ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना
2007—2012

योजना एवं विकास विभाग
बिहार सरकार
पटना

प्राक्कथन

मेरे सपनों का बिहार एक ऐसा राज्य है जो गरीबी, अशिक्षा, गृह विहीनता, सामाजिक विषमता तथा लिंग भेद से मुक्त हो और जिसका पर्यावरण स्वस्थ और संपोषणीय हो तथा जहॉ के सभी लोग एक मानवीय सम्मान की जिंदगी जी सके। मैं बिहार की कल्पना एक ऐसे राज्य के रूप में करता हूँ जो सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जायेगा । मेरे इस स्वप्न को साकार करने के लिए त्वरित विकास, सार्थक नियोजन के अवसरों के सृजन, मूलभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण, मूलभूत सुविधाओं की प्रभावी डिलीवरी, मानव संसाधन के विकास तथा कमजोर वर्गों एवं समूहों के सशक्तीकरण की आवश्यकता है ।

राज्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी को दूर करना है । गरीबी में प्रभावी कमी न केवल गरीबों के लिए लक्षित विशिष्ट कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से आएगी वरन् जन–जन तक पहुंचने वाले ऐसे विकास से होगी जिसमें गैर कृषि क्षेत्रों में नियोजन के अवसर ज्यादा उपलब्ध हों ।

कृषि प्रक्षेत्र की प्रमुखता के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास की दर में काफी उतार–चढ़ाव होता रहा है । किन्तु यह प्रक्षेत्र राज्य की विशाल अव्यवहृत क्षमता एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर खाद्य एवं पोषण सुरक्षा तथा बेहतर कृषि आय सुनिश्चित करने का अवसर भी प्रदान करता है । कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्रों के समेकित तीव्र विकास के लिए कृषि रोड मैप तैयार किया गया है जिसे इस योजना काल में कार्यान्वित किया जाएगा । कृषि आधारित विकास के लिए समुचित सिंचाई की व्यवस्था अत्यावश्यक है। उपलब्ध जल संसाधनों का तकनीकी एवं मितव्ययितापूर्ण उपयोग कर विकास दर की दीर्धकालिकता में वृद्धि की जायेगी ।

आर्थिक विकास मुख्य रूप से आधारभूत संरचना के सतत विकास पर निर्भर है। इस महती कार्य को विस्तृत योजना, प्रभावी कार्य नीति तथा व्यवस्थागत उत्कृष्टता से संपन्न किया जायेगा । विद्युत उत्पादन क्षमता में तीव्र वृद्धि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, आर्थिक–सामाजिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति

के लिए भी यह आवश्यक है । इस प्रक्षेत्र में व्याप्त जड़ता को समाप्त करने तथा विकास की गति को तेज करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं।

योजना एक जड़ अवधारणा नहीं है । 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास के सभी आवश्यक अवयवों की गतिशीलता को आगे बढ़ाते हुए 8.5 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का प्रयास है ।

आम जनता को मूलभूत सामाजिक सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए सभी संस्थाओं को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है तथा उन्हें साधनों एवं कार्यो को हस्तांतरित कर सशक्त किया जा रहा है ।

11वीं पंचवर्षीय योजना के निरूपण की प्रक्रिया में जन–जन तक पहुंचने वाले विकास तथा विकास के समतामूलक वितरण का लक्ष्य मूल आधार है । यह विकास की हमारी व्यापक रणनीति तथा प्रक्षेत्रों की नीतियों को रेखांकित करता है। बिहार की 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति तभी होगी जब हम विकास को जन आन्दोलन का रूप दें । मैं बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सामाजिक संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं, मीडिया तथा बिहार के सभी नागरिकों से सक्रिय सहयोग का आह्वान करता हूँ।

(नीतीश कुमार)

प्रस्तावना

''**त्वरित विकास जो जन-जन तक पहुंचे**'' शीर्षक दृष्टिकोण पत्र के तहत रेखांकित विस्तृत रणनीति के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना का निरूपण हुआ है। योजना के प्रथम वर्ष में विकास आवेग की उपलब्धि को देखकर ऐसी उत्साहवर्द्धक आशा जगती है कि महत्वाकांक्षी प्रतीत होने वाले कठित वृहत एवं प्रक्षेत्रवार लक्ष्यों को भी पार किया जा सकता है । दृष्टिकोण-पत्र में सरकारील एवं निजी उद्व्यय क्रमशः 58310 करोड़ एवं 108283 करोड़ रूपये के आधार पर 8.5 प्रतिशत का वृद्धि लक्ष्य प्रक्षेपित किया गया था । राजस्व में उछाल तथा बढ़ते हुए निवेश का गुणक प्रभाव राज्य को उल्लेखनीय उच्चतर सरकारी उद्व्यय प्राप्त करने में सक्षम बनायेगा जिससे सकल घरेलू उत्पाद में 8.5 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि होगी । यह तीव्रतर गति से विकास करने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार को लाने में सक्षम होगा । कृषि और मानव संसाधन बिहार का तुलनात्मक सामर्थ्य है और ग्यारहवीं योजना कृषि प्रक्षेत्र की क्षमता के उपयोगा और मानव संसाधन विकास में निवेश को प्राथमिकता देता है । इस योजना में उल्लेखित कृषि की विशेष कार्य योजना को सभी स्टेकहोल्डर्स से विचार-विमर्श के पश्चात् अंतिम रूप दिया गया है । इसका कार्यान्वयन कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों को समुन्नत करेगा । इसी तरहद्व तकनीकी एवं प्रोफेशनल शिक्षा के नये केन्द्रों पर बल देने से तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण के उन्नयन एवं विस्तार से उभरती हुई मांग के अनुयप दक्षता का निर्माण हो सकेगा ।

आधारभूत संरचना में उल्लेखनीय ढंग से वर्द्धित निवेश के साथ नवीकृत व्यापक प्रबंधन सकारात्मक विकास-चक्र का निर्माण करेगा । राज्य अपने विकास की दीर्घकालीन खाई को कम करने तथा मानव संसाधन विकास के मुख्य मानकों में सुधार लाने की दिशा में परिवर्तन के द्वारा पर खड़ा है ।

पिछली सभी योजनाओं से यह योजना भिन्न है । यह हमारे तुलनात्मक सामर्थ्य और लाभकारी सरकारी निजी भागीदारी का दोहन एवं पोषण करता है । वस्तुतः यह बिहार का विकास इंजन बनाऐगा तथा राष्ट्रीय समृद्धि की वृद्धि में योगदायी होगा ।

(एन0 के0 सिंह)

तत्कालिन उपाध्यक्ष,

बिहार राज्य योजना पर्षद्, पटना

।

प्रस्तावना

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी ने सपना देखा था कि योजना के माध्यम से हम देश के प्रत्येक व्यक्ति के ऑसू पोछने में सफल होंगे ।

विभिन्न योजनाओं, जैसे कृषि के क्षेत्र में विकास, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, नये–नये उद्योगों की स्थापना, विद्युत उत्पादन ईकाइयों की स्थापना, आवागमन के लिए सड़कों के चौड़ीकरण के साथ निर्माण की योजना, बॉधों का सुदृढ़ीकरण आदि कार्यक्रम आज से नही बल्कि आजादी के बाद से ही योजनाबद्ध तरीके से लिए जाते रहे हैं और वर्त्तमान में इनकी सफलता पर ही आगे सोचने और सुधार लाने पर मदद मिलती है । योजनावद्ध तरीके से कार्य करना आवश्यक है, खासकर उनलोगों के उत्थान के लिए जो समाज में गरीबी रेखा से नीचे हैं । हमारा उद्देश्य यह है कि योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्यक्रमों की निर्धारित समय पर पूरा किया जाय ।

हमारे राज्य के वर्त्तमान मुख्यमंत्री, जिन्हें कुशल तकनीकी ज्ञान भी है, के नेतृत्व में हमलोंगों ने विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ कर दिया है, जैसे तकनीकी संस्थानों की स्थापना, औद्योगिक विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, विद्युत ईकाईयों की स्थापना, राज्य की आर्थिक नीतियों का पालन एवं सामाजिक तथा शैक्षणिक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना इत्यादि ।

11वीं पंचवर्षीय योजना में कई विकास कार्यक्रमों को लिया गया है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इन सभी योजनाओं को निर्धारित समय–सीमा के अंदर पूरा करने में सभी वर्ग के लोग पूरी तत्परता एवं ईमानदारी से साथ देंगे ।

(सुधा श्रीवास्तव)

विषय–सूची

अध्याय	**1**	**प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों का सिंहावलोकन**	**पृष्ठ संख्या**
	1	भूमिका	**10**
	2	राज्य की अर्थव्यवस्थाः विकास प्रवृति का एक वृहद् परिदृश्य	**12**
	3	कार्यक्रमों का सिंहावलोकन	**17**
अध्याय	**2**	**वित्तीय संसाधन और सार्वजनिक क्षेत्रक उद्व्यय**	**36**
अध्याय	**3**	**मानव एवं सामाजिक विकास**	
	3.1	प्रारंभिक एवं वयस्क शिक्षा	**42**
	3.2	माध्यमिक शिक्षा	**53**
	3.3	उच्च शिक्षा	**60**
	3.4	कला, संस्कृति एवं खेल	**64**
	3.5	चिकित्सा शिक्षा सहित स्वास्थ्य एवं भारतीय औषधि पद्धति	**81**
	3.6	पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता	**101**
	3.7	समाज कल्याण : महिला, बच्चे और विकलांग	**109**
अध्याय	**4**	**नियोजन,व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास**	**139**
अध्याय	**5**	**सामाजिक कड़ी**	
	5.1	ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन : रणनीति और कार्यक्रम	**154**
	5.2	पंचायती राज	**170**
अध्याय	**6**	**विशेष वर्ग/समूह**	

	6.1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण	**176**
	6.2	अन्य पिछड़ी जातियॉ	**181**
	6.3	अल्पसंख्यक वर्ग	**183**
अध्याय	**7**	**कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र**	
	7.1	कृषि	**190**
	7.2	पशुपालन	**218**
	7.3	गव्य विकास	**241**
	7.4	मत्स्य उद्योग और जल कृषि	**264**
	7.5	गन्ना विकास	**302**
	7.6	सहकारिता	**314**
अध्याय	**8**	**जल संसाधन विकास**	
	8.1	सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास	**328**
	8.2	लघु सिंचाई	**358**
अध्याय	**9**	**बाढ़ प्रबंधन की गतिकी**	**371**
अध्याय	**10**	**आधारभूत संरचनायें**	
	10.1	ऊर्जा	**381**
	10.2	परिवहन प्रक्षेत्र	**395**
	10.2.1	आधारभूत संरचना–पथ	**400**
	10.2.2	ग्रामीण कार्य	**421**
	10.3	नागरिक उड्यन	**433**
अध्याय	**11**	**नगर विकास एवं आवास**	**441**
अध्याय	**12**	**उद्योग और सेवाऐं**	

	12.1	उद्योग	**458**
	12.2	सूचना प्रौद्योगिकी	**483**
	12.3	पर्यटन	**485**
अध्याय	**13**	**पर्यावरण एवं वन**	**494**
अध्याय	**14**	**विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी**	**508**
अध्याय	**15**	**सामान्य सेवायें**	
	15.1	लोक निर्माण (भवन)	**518**
	15.2	विधि	**520**
	15.3	निबंधन	**522**
	15.4	वित्त	**525**
	15.5	गृह	**527**
	15.6	सूचना तथा प्रचार	**529**
	15.7	कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार	**533**
	15.8	उत्पाद एवं मद्य निषेध	**535**
	15.9	वाणिज्य–कर	**537**
	15.10	राजभाषा	**540**
	15.11	योजना एवं विकास तथा सांख्यिकी	**544**
	15.12	राजस्व एवं भूमि सुधार	**556**

विवरणी			561
जी एन0	ए		562
जी0 एन0	बी	पार्ट 1	570
जी0 एन0	बी	पार्ट 2	575
जी0 एन0	बी	पार्ट 3	576
जी0 एन0	सी	पार्ट 1	577
जी0 एन0	सी	पार्ट 2	578
जी0 एन0	सी	पार्ट 3	579
विवरणी	I		580
विवरणी	II		587
विवरणी	III		608
विवरणी	IV		609
विवरणी	V		610
विवरणी	VI	ए	618
विवरणी	VI	बी	627
विवरणी	VII	ए	628
विवरणी	VII	बी	637
विवरणी	VIII		638
विवरणी	IX	ए	639
विवरणी	IX	बी	643

अध्याय–1

प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

भूमिका

1.1 बिहार की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का लक्ष्य राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों के अनुरूप वृद्धि के नये दृष्टिपथ की प्राप्ति के लिए नीतियों का पुनर्गठन करना है जो व्यापक आधार वाला तथा विकास को जन–जन तक पहुंचने वाला होगा। पिछले कई दशकों से कई कारणों से बिहार राज्य राष्ट्रीय आर्थिक विकास में समान रूप से भागीदार नहीं हो सका है । कारण कई हैं – कुछ ऐतिहासिक, कुछ संस्थागत, कुछ भोगौलिक तथा कुछ दिशाविहीन प्राथमिकतायें । ग्याहरवीं योजना अच्छी तरह से सोची समझी प्राथमिकताओं तथा समुचित सुधारात्मक रणनीति के माध्यम से विगत वर्षों में दिखाई देने वाली ह्रास की दिशा को बदल कर वृद्धि के इंजन को गतिमान करने का प्रयास करेगी । ग्याहरवीं योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक वृद्धि की दर को उठाना तथा नवयुवकों के लिए सार्थक रोजगार के अवसर पैदा कर लाखों लोगों के जीवन यापन को विकसित करना है ।

1.2 तीव्र वृद्धि इस रणनीति का एक आवश्यक अंग होगा क्योंकि केवल तेजी से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था में ही बहुसंख्य की आमदनी में अपेक्षित वृद्धि कर जीवन शैली को सामान्य तौर पर विकसित किया जा सकता है । किन्तु केवल त्वरित वृद्धि की नीति से ही इस इच्छित लक्ष्य को नहीं पाया जा सकता है जब तक कि वितरणात्मक न्याय के समुचित उपायों के द्वारा इसे सहारा नहीं दिया जाय। 40 प्रतिशत से अधिक की जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे रहती है । ग्रामीण गरीबी वस्तुतः शहरी गरीबी से ज्यादा है । बिहार में हर दस व्यक्ति में से 9 व्यक्ति गांवों में बसता है इसलिए बिहार में गरीबी का स्वरूप मूलतः ग्रामीण है । ग्रामीण गरीब के पास भूमि, पशुधन, शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल तथा सार्थक रोजगार नहीं है । आय के मुख्य स्रोत कृषि मजदूरी तथा गैर कृषि रोजगार हैं । इनमें अधिकतर भूमिहीन हैं । यद्यपि वर्ष 1999–00 से 2004–05 के बीच गरीबी रेखा के नीचे के

व्यक्तियों के प्रतिशत में कमी आई है, फिर भी यह राष्ट्रीय औसत से काफी उपर है। राज्य सरकार को गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या के अनुपात में 13.1 प्रतिशत बिन्दु तक कमी लाने हेतु गंभीर प्रयास करना होगा (वर्ष 2004–05 में 41.5 से वर्ष 2011–12 में 28.4)

1.3 शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं रोजगार सृजन के लिए अनिवार्य हैं । राज्य के कमजोर सामाजिक सूचकांक अनिवार्य लोक सेवायें विशेषकर शिक्षा और स्वास्थ्य के सुधार के महत्व को रेखांकित करती है । बिहार का शिक्षा सूचकांक राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी कम है । इसका कारण शिक्षण संख्याओं तथा कर्मचारियों की कमी रही है । 6–14 वर्ष के उम्र वर्ग के बच्चों का पंजीकरण काफी कम है तथा बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों का प्रतिशत अधिक है । शिक्षा के निम्न स्तर के कारण शिक्षा एवं रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत अधिक है, जिसके कारण दक्ष मानव शक्ति का निरंतर ह्रास हो रहा है । स्वास्थ्य सेवा की स्थिति भी यही है, जहां चिकित्सा कार्मिक और भौतिक आधारभूत संरचनाएं राष्ट्रीय मानक से काफी कम हैं । बिहार में अन्य सामाजिक सूचकांक यथा– शिशु मुत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर तथा 0–3 वर्ष के उम्र वर्ग के बच्चों में कुपोषण राष्ट्रीय औसत के विरूद्ध अधिक है। संपूर्ण सामाजिक प्रणाली को नवीकृत करने की आवश्यकता है ताकि संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार सामाजिक सेवा प्रक्षेत्र को इस योजना में उच्च प्राथमिकता देनी होगी। बिहार मौलिक आधारभूत संरचनाओं यथा– सड़क तथा विद्युतशक्ति के मामलों में बहुत पिछड़ा है । अपर्याप्त सड़क मार्ग संजाल तथा अल्प विद्युत उत्पादन राज्य में औद्योगिक विकास के लिए बड़ी बाधा है । सडकों का स्वस्थ संजाल पिछड़े एवं अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों को व्यवसाय एवं निवेश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । अतः अपर्याप्त आधारभूत संरचना के कारण होने वाले अवरोध को सुलझाने का प्रयास आरंभ कर दिया गया है । सड़क के मामले में राज्य सरकार राज्य के अन्दर स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को पूर्ण करने हेतु प्रयत्नशील है । सड़कों के त्वरित निर्माण हेतु राज्य में नई निधि की स्वीकृति दी जा चुकी है तथा निविदा प्राप्ति की प्रक्रिया में सुधार लाया गया है और मुख्यमंत्री कार्यक्रम के अधीन छोटे पुलों और ग्रामीण सड़कों के निर्माण में तेजी लायी जा रही

है । ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मौसमों में काम के लायक ग्रामीण सड़क सम्पर्कता को आगे बढ़ाने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का गंभीरता पूर्वक कार्यान्वयन किया जा रहा है । सामान्यतया ग्यारहवीं योजना में आधारभूत संरचनाओं के विकास को उच्च प्राथमिकता देनी होगी । सड़कों की अधूरी कड़ियों का निर्माण, बाई–पास का निर्माण, पुराने और नये उद्‌घोषित राज्य उच्च पथों का उन्नयन और राज्य में सभी प्रमुख मार्गों का चार लेन में निर्माण पर बल देना होगा। राज्य के लिए विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता का तीव्र वर्द्धन भी सर्वोच्च प्राथमिकता में है । लगातार बढ़ती मांग के बावजूद राज्य के 50 प्रतिशत ग्रामों के 6 प्रतिशत परिवारों को ही हमारी विद्युत आपूर्ति प्रणाली आच्छादित करती है, ऊर्जा की अधिकतम उपलब्धता 950 मेगावाट है जिसके बाद भी 550 मेगावाट की कमी रह जाती है । बिहार में विद्युत उत्पादन की क्षमता मात्र 584 मेगावाट है; फलस्वरूप, राज्य की अधिकतर आवश्यकताएं केन्द्रीय उत्पादन संयंत्रों से क्रय कर पूरी की जाती है । ग्यारहवीं योजना में विद्युत शक्ति नीति के अन्तर्गत केन्द्रीय ऊर्जा प्रक्षेत्र की इकाइयों (Central PSUS) को सम्मिलित करने, जहां तक संभव हो संयुक्त क्षेत्र में वर्तमान उत्पादन परिसम्पतियों का नवीकरण करने तथा साथ ही साथ तापीय विद्युत शक्ति परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के लिए खोलने का अवसर देना होगा।

2. राज्य की अर्थव्यवस्थाः विकास प्रवृति का एक वृहद् परिदृश्य

2.1 दसवीं योजना के अन्तर्गत बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में उतार–चढ़ाव होता रहा है, इसका मुख्य कारण राज्य की आर्थिक व्यवस्था में कृषि प्रक्षेत्र की प्रमुखता है (तालिका 1.1)

1.1 दसवीं योजना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि (1999–2000 के मूल्यों पर)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु0 करोड़ में)	पूर्व वर्ष की तुलना में परिवर्तन	वर्षिक औसत वृद्धि दर (1999–2000 आधार वर्ष)
1	2	3	4
2002–03	61,976.16	11.77	7.82
2003–04	59,385.68	(-) 4.08	4.58
2004–05	65,908.61	10.98	6.25

2005–06(P)	65,956.17	0.07	5.23
2006–07(Q)	76,522.49	16.02	7.48

नोटः– पी0– औपबंधिक, क्यू– द्रूत अनुमान

दसवीं योजना में बिहार राज्य की औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर 4.61 प्रतिशत थी जबकि देश की आर्थिक वृद्धि दर 7 प्रतिशत से अधिक थी । दसवीं योजना में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नौवीं योजना की वृद्धि दर (2.9 प्रतिशत) से अधिक थी तथा प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 2.21 प्रतिशत थी । दसवीं योजना अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 1.76 प्रतिशत थी, जबकि उद्योग तथा सेवा क्षेत्र में यह क्रमशः 11.35 प्रतिशत तथा 5.58 प्रतिशत थी।

अर्थव्यवस्था की संरचना

2.2 बिहार की अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत पूर्ववर्त्ती वर्षों में बहुआयामी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुए हैं । इसका कारण कृषि अर्थ–व्यवस्था की प्रमुखता तथा अल्प औद्योगिक आधार हैं । हॉलाकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि की सहभागिता में कमी आयी है फिर भी यह इसका बहुत बड़ा भाग है । वर्ष 2006–07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग का भाग 6.97 प्रतिशत रहा है । प्राथमिक क्षेत्र का भाग वर्ष 1990–91 में 50.6 प्रतिशत था जो वर्ष 2006–07 में घटकर 34.4 प्रतिशत हो गया । वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के फलस्वरूप राज्य का औद्योगिक आधार झारखंड राज्य का हिस्सा हो गया, जिसके कारण राज्य की आर्थिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । वर्ष 1990–91 में औद्योगिक प्रक्षेत्र का योगदान 20.98 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2006–07 में 14.62 प्रतिशत हो गया जो राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है । तृतीयक क्षेत्र में असमानुपातिक रूप से वृद्धि हुई है जो द्वितीयक क्षेत्र में नहीं है । सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान वर्ष 2000–01 में 51 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2006–07 में 55 प्रतिशत हो गया है ।

क्षेत्रीय विषमताएं

2.3 गत कई दशकों में योजनाबद्ध विकास के प्रयास के बावजूद कई राज्यों में विषमताएं बढ़ती गयी हैं तथा बिहार विकास के सबसे निचले पायदान पर आ गया है । राज्य के पिछड़ेपन के कई ऐतिहासिक कारण हैं– प्रति व्यक्ति योजना व्यय

का कम रहना, अपर्याप्त केन्द्रीय सहायता का प्रवाह, बाढ़ और सूखे का प्रकोप, साख–जमा अनुपात में कमी आदि । जिला घरेलू उत्पाद के अध्ययन से स्पष्ट है कि आय के मामले में राज्य के अन्तर्गत काफी विषमता है । यदि जिलों को वर्ष 2004–05 के जिला घरेलू उत्पाद के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाय तो पटना, मुजफ्फरपुर, बेगुसराय, मुंगेर और भागलपुर जिले राज्य औसत से उपर थे । रोहतास एवं पश्चिम चम्पारण दो जिलों का क्रम 1999–2000 की तुलना में वर्ष 2004–05 में गिर गया है । राज्य औसत और वर्ष 2004–05 में जिला घरेलू उत्पाद के राज्य औसत के 75 प्रतिशत के बीच नालंदा, भोजपुर, रोहतास, गया, पश्चिमी चम्पारण, वैशाली, मधुबनी, समस्तीपुर, लखीसराय, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया तथा कटिहार जिलों का घरेलू उत्पाद है । शेष जिले जो इस वर्ग के नीचे हैं, को अति पिछड़े जिलों की श्रेणी में रखा जा सकता है । वर्ष 1999–2000 की तुलना वर्ष 2004–05 से करने पर स्पष्ट है कि उद्यमता के अवसर शहरी जनसंख्या के आस–पास केन्द्रित रहे हैं यथा पटना, इत्यादि जिनकी प्रति व्यक्ति जिला घरेलू उत्पाद में असाधारण वृद्धि हुई है, जबकि अन्य जिलों में यह प्रक्रिया पीछे है । राज्य की ग्यारहवीं योजना में पिछड़े जिलों में विकास के कार्यक्रमों को आरंभ कर राज्य की क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जायेगा ।

संभाव्य वृद्धि

2.4 बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निम्न स्तरीय वृद्धि के लिए कम मात्रा में भौतिक पूंजी का एकत्रीकरण और पूंजी का उपयोग करने की क्षमता में कमी को उत्तदायी माना जा सकता है । वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 तक देश में निवेश दर 27 प्रतिशत रहा है, जिसके विरूद्ध बिहार का औसत निवेश दर राज्य घरेलू उत्पाद के 15 प्रतिशत से भी कम असाधारण रूप से कम रहा है । राज्य की गतिहीन अर्थव्यवस्था को गति देने हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को त्वरित गति से बढ़ाना आवश्यक है । ग्यारहवीं योजना में बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का लक्ष्य 8.5 प्रतिशत रखा गया है, जिसके लिए निवेश दर को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 23.65 प्रतिशत तक बढ़ाने की आवश्यकता है ।

2.5 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की अल्प वृद्धि दर की पृष्ठ भूमि में एक परिकल्पित उच्च वृद्धि दर संभव है यदि अब तक अप्रयुक्त क्षमताओं खासकर प्राथमिक क्षेत्र का दोहन करने हेतु सामूहिक प्रयास किया जाय । इसके बहुत से प्रमाण हैं कि लोक निधि से बनी आधारभूत संरचनाओं यथा सड़क, विद्युत, सिंचाई, आदि में विशाल पूंजी सामग्री वर्षों से बेकार पड़ी हुई है । अधिक लागत से बनने वाली नई परियोजनाओं की अपेक्षा ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने और समुन्नत करने को प्राथमिकता दी जायगी । विकास की उच्चतर दर की प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका अदा करनी होगी, जिसके लिए निवेशोन्मुख वातावरण तैयार किया जा रहा है । इसके अलावे, केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों जैसे विद्युतशक्ति, बाढ़ नियंत्रण, सड़कों और पुलों का निर्माण आदि में सीधे निवेश के कारण बिहार में निवेश का आकर्षण बढ़ेगा ।

2.6 सकल राज्य घरेलू उत्पाद की निर्धारित वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत में प्रक्षेत्रवार वृद्धि दर यथा– कृषि के लिए 5 प्रतिशत, उद्योग के लिए 11 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र के लिए 10 प्रतिशत सम्मिलित है । 1990 के दशक के बाद कृषि में ह्रासमान प्रवृति रही है, दसवीं योजना में औसत वार्षिक वृद्धि दर 2 प्रतिशत से भी कम रही है । कृषि क्षेत्र में ह्रास का मुख्य कारण सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, बीज उर्वरक, यांत्रिकीकरण आदि की आपूर्ति में बाधा तथा कुछ खास सांस्थिक कारण हैं । ग्यारहवीं योजना में ग्रामीण तथा शहरी निर्धन परिवारों की वास्तविक आय बढ़ाने हेतु कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना तथा कृषि उत्पादों की मांग में पर्याप्त वृद्धि के लिए आपूर्ति पक्ष की इन बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास किया जायेगा । भूमि सुधार कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा लघु, सीमान्त एवं भूमिहीन मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जायेगी । दसवीं योजना में उद्योग क्षेत्र की वृद्धि दर 5.58 प्रतिशत थी । आधारभूत संरचनाओं के समुचित विकास तथा नयी औद्योगिक नीति के कार्यान्वयन द्वारा उद्योग क्षेत्र में निजी निवेश की वृद्धि की संभावना है । सेवा क्षेत्र जिसमें 11.35 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, में स्वतः वृद्धि होगी ।

इन्क्रिमेन्टल कैपिटल आउटपुट रेसियो (आई0सी0ओ0आर0) और निवेश की रूप–रेखा

2.7 राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष1999–2000 और 2003–04 के बीच पूंजी निर्माण तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद (दो वर्ष पूर्व) के आंकड़ों के आधार पर वृद्धिजन्य पूंजी उत्पाद अनुपात (आईसीओरआर) 2.78 का आकलन किया गया है । ग्यारहवीं योजना में प्रस्तावित विकासशील आधारभूत संरचनाओं यथा–सड़कें, पुलों, विद्युतशक्ति, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण की प्रस्तावित योजनाओं हेतु उच्चतर पूंजीगत व्यय को ध्यान में रखकर आई0सी0ओर0आर0 को वास्तविक रूप में 3.0 माना गया है। स्वीकृत आई0सी0ओर0आर0 और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि संबंधों के आधार पर 8.5 प्रतिशत की वृद्धि हेतु कुल उद्व्यय का आकार 1,66,593 करोड़ रुपये प्रक्षेपित किया गया है जिसमें सरकारी क्षेत्र का उद्व्यय 60,665 करोड़ रुपये तथा शेष1,05,928 करोड़ रुपये निजी क्षेत्र से अनुमानित है । निजी क्षेत्र से बड़ी भूमिका ग्रहण करने की अपेक्षा की जाती है जिसके फलस्वरूप वर्तमान कुल पूंजी निवेश में इसकी भगीदारी 59 प्रतिशत से बढ़कर 63.6 प्रतिशत होने की संभावना है । परिवहन, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि वैसे क्षेत्र हैं जिनमें निजी क्षेत्र से अधिक निवेश का अनुमान है ।

2.8 तेजी से और अधिक विकास दर प्राप्त करने के लिए प्रक्षेत्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के समझदारीपूर्ण सूत्रण की आवश्यकता है । राज्य को लक्ष्यांकित वृद्धि दर प्राप्त करने के योग्य बनाने हेतु नयी पहल एवं प्राथमिकताओं को योजना के अनुसार रेखांकित किया जाना है । ग्यारहवीं योजना में सरकारी क्षेत्र का उद्व्यय दसवीं योजना के वास्तविक व्यय के लगभग तीन गुणा होगा । आधारभूत संरचनाओं के क्षेत्र में अधिक उद्व्यय का आवंटन किया जायेगा यथा–कुल उद्व्यय का 7.47 प्रतिशत उर्जा, 12.49 प्रतिशत जल प्रबंधन एवं सिंचाई और 26.49 प्रतिशत सड़कों और पुलों के लिए तथा सामाजिक आधारभूत संरचनाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण और शहरी विकास के लिए कुल उद्व्यय का 25.02 प्रतिशत आवंटित किया जायेगा ।

2.9 ग्यारहवीं योजना में उपलब्ध संसाधनों के न्यायपरक एवं दक्षतापूर्ण उपयोग के उद्देश्य से योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्राथमिकता तय की जायेगी ।

प्रत्येक प्रक्षेत्र के लिए प्रस्तावित वार्षिक योजना में प्रक्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया है । मौलिक रूप से यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक प्रक्षेत्र के प्रमुख कार्यक्रमों के लिए निधि की कमी नहीं हो तथा उन्हें योजनाबद्ध रूप से पूर्ण करना सुनिश्चित हो सके ताकि परियोजना का वास्तविक लाभ प्राप्त किया जा सके । योजना के कार्यान्वयन में वृहद विचलन का एक मुख्य कारण आंतरिक संसाधन सुप्रवाह का निम्नस्तर तथा सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन राज्य विद्युत–बोर्ड और राज्य परिवहन निगम जैसे लोक उपक्रमों का निकृष्ट परिचालन का होना है । ग्यारहवीं योजना में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के आंतरिक संसाधन को पर्याप्त रूप से सुप्रवाही तथा आंतरिक लेखा को सुदृढ़ करने हेतु सम्मिलित रूप से प्रयास किया जाएगा ताकि भविष्य में वे राज्य के बजटीय संसाधन पर निर्भर नहीं हों और राजकोष को सकारात्मक सहयोग कर सके । योजना कार्यक्रमों के लिए समय पर पर्याप्त मात्रा में आवंटन उपलब्ध कराना आवश्यक है ताकि उसे सकारात्मक परिणाम में रूपान्तरित किया जा सके । समुचित बजट नियंत्रण के लिए एक आउटकम बजट व्यवस्था को आरंभ करने की आवश्यकता होगी ।

3. कार्यक्रमों का सिंहावलोकन

कृषि, सिंचाई और जल प्रबंधन

3.1 कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप बिहार की अर्थव्यवस्था के मूल हैं । राज्य की लगभग 90 प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है तथा तीन–चौथाई से अधिक कार्यबल कृषि में नियोजित हैं । वर्ष 2006–07 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं सम्बद्ध कार्य–कलापों का योगदान 29.26 प्रतिशत था; यद्यपि वर्ष 1980 कें 48 प्रतिशत के स्तर से यह कम है फिर भी देश में सर्वाधिक है । दसवीं योजना का प्रथम वर्ष 2002–03 भयंकर रूप से सूखा ग्रस्त था, फिर भी बिहार में कृषि प्रक्षेत्र इतना लचीला था कि वर्ष 2001–02 के 116.82 लाख एम0टी0 के मुकाबले खाद्यान्न उत्पादन मामूली रूप से घटकर वर्ष 2002–03 में 110.85 लाख एम0टी0 हुआ । वर्ष 2003–04 में खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर 112.11 लाख एम0टी0 हो गया जबकि वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में खाद्यान्न उत्पादन घटकर क्रमशः 79.6 लाख एम0टी0 एवं 81.12 एम0टी0 दर्ज किया गया । वर्ष 2006–07 के प्रारम्भिक

अनुमान में कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन में पुनर्नवीकरण के संकेत हैं और उत्पादक 112.07 लाख एम0टी0 अनुमानित है । कृषि क्षेत्र में केन्द्र प्रायोजित योजना – वृहद् प्रबंधन प्रणाली (90:10) का कार्यान्वयन दसवीं योजना के प्रत्येक वर्ष में किया गया था । योजना का मुख्य उद्देश्य विशेषकर अनाज, गन्ना एवं जूट फसलों की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि लाकर फसल उत्पादन में वृद्धि करना था । इसके लिए बीज प्रतिस्थापन दर में वृद्धि, आधुनिक कृषि उपकरणों का उन्नयन तथा किसानों द्वारा व्यावहारिक पैकेज को अपनाने पर जोर दिया गया है। तकनीक का प्रभावकारी अंतरण फसल प्रदर्शन, किसानों के प्रशिक्षण एवं किसान मेला लगाकर किया जाता है । तेलहन, दालें, मक्का एवं खजूर–तेल के उत्पादन में वृद्धि हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना तेलहन, दलहन, पामतेल तथा मक्के के लिए समेकित येाजना (Integrated scheme of oilseeds, pulses, oilpam and maize) आइसोपोम (75:25) का कार्यान्वयन वर्ष 2004–05 से किया जा रहा है । राज्य में मकई फसल की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में बड़ी सफलता मिली है, जो राष्ट्रीय औसत से उपर है । योजना का उद्देश्य अधिक ऊपज वाली किस्मों के बीज की आपूर्ति में वृद्धि, रोगों एवं कीटों का सामयिक नियंत्रण, जलोपयोगी दक्षता में सुधार तथा तकनीक का प्रभावकारी ढंग से अन्तरण है । केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 में जूट तकनीकी मिशन कार्यक्रम का प्रारंभ जूट के रेशों की गुणवत्ता में सुधार सहित जूट का उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए किया गया है । इस कार्यक्रम में केन्द्र सरकार 90 प्रतिशत राशि का वहन करेगी । कोशी क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि जलवायु क्षेत्र II में जूट की खेती की प्रबल संभावना है ।

3.2 ग्यारहवीं योजना के लिए फसल विविधता एक महत्वपूर्ण रणनीति है । फलों एवं सब्जियों द्वारा सकल फसल क्षेत्र का 10 प्रतिशत आच्छादित होता है, जबकि कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत आय में इनका योगदान 50 प्रतिशत है । कृषि योग्य क्षेत्र को चिह्नित कर लीची, आम, केला, अमरूद एवं मखाना फसलों के क्षेत्र में वृद्धि की जायेगी । सिंचाई के सुनिश्चित साधन वाले क्षेत्रों में सब्जी की खेती का उन्नयन किया जायेगा । गन्ने की खेती में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि की जायेगी ।

3.3 ग्यारहवीं योजना के लिए निर्धारित विकास दर के लक्ष्य की प्राप्ति के क्रम में संतुलित एवं समेकित उर्वरक उपयोग का उन्नयन कर उच्चतर उत्पादकता को

कायम रखा जायेगा । मृदा जॉच आधारभूत संरचना का विस्तार प्रखंड स्तर तक किया जायेगा तथा कृषि उपचार केन्द्रों को प्रोत्साहित कर कृषकों को मृदा जॉच की सेवा उपलब्ध करायी जायेगी । रासायनिक कीट नाशक दवाओं की जगह समेकित कीट–नाशक प्रबंधन का बड़े पैमाने पर उन्नयन कर प्रतिस्थापित किया जायेगा । जैविक कृषि को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा वर्मीकल्चर तकनीक को प्रत्येक कृषक तक पहुंचाया जायेगा । समयानुसार बोआई, कटाई, तथा कटाई के उपरांत अन्य कार्य–कलापों के लिए कृषि जन्य यांत्रिकीकरण का उन्नयन किया जायेगा । बगानों के विकास के लिए जीरो–टिलेज मशीन, उन्नत तल पर पौधे लगाने, लघु संयुक्त कटाई मशीन, भ्रमणशील कटाई करने वाली इकाइयों को प्राथमिकता दी जायगी ।

3.4 राज्य में कृषि के विभिन्न एवं बहुआयामी सह अस्तित्व की प्रणाली को नयी समेकित प्रणाली से प्रतिस्थापित किया जायेगा । दक्ष किसानों के समूह और स्वयं सहायता समूह के गठन हेतु सामूहिक पहल को प्रोत्साहित किया जायेगा । आधुनिक कृषि विपणन के साथ–साथ निजी क्षेत्र की पहल, सहकारिता एवं अनुबंध आधारित कृषि की सहायता से आधुनिक विपणन व्यवस्था द्वारा समर्थित विपणनबंध का विकास किया जायेगा , जिसमें उत्पादों का श्रेणीकरण, कटाई के बाद प्रबंधन आदि की व्यवस्था होगी । समुचित फसल तकनीक द्वारा प्राकृतिक आपदा के जोखिम को कम किया जायेगा और फसल बीमा का विस्तार बागवानी में लगे कृषक सहित सभी कृषकों तक किया जायेगा । प्रमुख खाद्यान्नों की रणनीति के तहत चावल गहन तकनीक का संचरण, मक्के के शंकर प्रभेदों को लोकप्रिय बनाना, गेहूं के लघु एवं मध्यावधि प्रभेदों का विकास, कृषि योग्य क्षेत्र I में चावल की फसल की कटाई के बाद चना की खेती, सरसों को अंतर–फसल के रूप में लोकप्रिय बनाना तथा पुराने बगानों का नवीकरण सम्मिलित है ।

3.5 पशुपालन और इससे सम्बद्ध कार्य–कलाप यथा–मुर्गी पालन, मत्स्य पालन द्वारा ग्रामीण गरीबी को कम करने की बड़ी संभावना है । ग्यारहवीं योजना में इस क्षेत्र के उन्नयन पर काफी बल दिया गया है ताकि ग्रामीण आय में वृद्धि की संभावना को बढ़ाया जा सके । योजना के कार्यक्रमों के अधीन नये पशु चिकित्सालयों, औषधालयों तथा बहु चिकित्सीय प्रणाली को स्थापित कर राज्य में

प्रत्येक 5000 पशुधन पर एक पशु चिकित्सालय के मानक को प्राप्त किया जायेगा । जीवाणु और विषाणु से संबंधित उत्पादित टीकों की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना को आधुनिक एवं सुदृढ़ बनाया जायेगा । पशु प्रोटीन और पशु चारा के प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, विपणन और गुणवत्ता नियंत्रण हेतु एक पशु लोक स्वास्थ्य–सेवा की स्थापना की जायेगी । ग्यारहवीं योजना में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए मुर्गी पालन, शूकर पालन तथा डेयरी की छोटी इकाइयों पर बल दिया गया है । डेयरी से अधिक आय प्राप्त करने के लिए दुधारू पशुओं की उत्पादकता को बढ़ाना तथा दुग्ध उत्पादन की लागत को कम करना अनिवार्य है । यह कार्य उन्नत किस्मों के पशु, बढ़िया चारा तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ, कृषकों को उपलब्ध कराकर तथा सहकारिता और विपणन शृखंला का सुदृढ़ीकरण, भंडारण की अच्छी व्यवस्था और प्रसंस्करण इकाइयों की क्षमता में वृद्धि लाकर, किया जायेगा ।

3.6 कृषि के विकास के लिए सिंचाई एक निर्णायक घटक है और यही कारण है कि इस योजना में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । बिहार मुख्यतया एक कृषि आधारित राज्य है एवं न्यायपूर्ण जल प्रबंधन के अन्तर्गत प्राप्त जल की प्रत्येक बूंद से अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है । राज्य के विभाजन के पश्चात् राज्य में जल संसाधन कार्यक्रमों की योजना तैयार कर कार्यान्वयन की आवश्यकता है, क्योंकि अन्य राज्यों की सहायता और सहमति के बिना राज्य में बड़े जलाशयों का निर्माण नहीं किया जा सकता है । राष्ट्रीय विकास परिषद कृषि विकास की ऐसी रणनीति के लिए कृत संकल्प है जिससे किसानों की, उनकी परिस्थिति के अनुकूल आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । इस हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों को समुन्नत कृषि के लिए एक रणनीति विकसित करने की सलाह दी गई है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत कृषि विकास हेतु 4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी चालू योजनाओं खासकर ए0आई0बी0पी0 द्वारा प्रायोजित योजनाओं को पूर्ण करने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी । बिहार सरकार ने योजना तैयार की है कि ए0आई0बी0पी0 द्वारा प्रायोजित सभी, चालू योजनाओं यथा–सोन आधुनिकीकरण योजना, दुर्गावती जलाशय योजना और पश्चिम कोशी सिंचाई

योजना को वर्ष 2008–09 तक पूर्ण कर लिया जाय । दो अन्य योजनाओं यथा– बटेश्वरस्थान पंप नहर योजना और पुनपुन बांध योजना को ए0आई0बी0पी0के अंतर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है । यदि केन्द्र सरकार द्वारा इन दोनों योजनाओं को ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है तो इन्हें भी वर्ष 2008–09 तक पूरा किया जा सकता है । राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा भी सुझाव दिया गया है कि राज्य में योजनाओं के आधुनिकीकरण तथा नदियों के बेसिनों को जोड़ने की योजनाओं को ए0आई0बी0पी0 के तहत आधुनिकीकरण योजनाओं में सम्मिलित किया जाय । चांदन जलाशय योजना तथा बडुआ जलाशय योजनायें भी ए0आई0बी0पी0 के अंतर्गत सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित है । राज्य में नदियों के बेसिन को जोड़ने वाली योजनाओं यथा– घाघरा–गंडक और बागमती–अधवारा समूह को जोड़ने की योजनाओं को भी ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। ग्यारहवीं योजना में ए0आई0बी0पी0 प्रायोजित योजनाओं के अलावे ई0आर0एम0 तथा नाबार्ड के अधीन योजनाओं, राज्य योजना और राष्ट्रीय सम विकास योजना के लक्ष्यों को पूर्ण करना है । दसवीं योजना के अंत तक वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 53.55 लाख हेक्टेयर की कुल संभावित सिंचाई क्षमता के विरूद्ध बिहार में 28.33 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता प्राप्त की जा सकती है । ग्यारहवीं योजना में राज्य द्वारा चालू योजनाओं से 2.94 लाख हेक्टेयर तथा नई योजनाओं से 8.80 लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त संभावित सिंचाई क्षमता प्राप्त करने की योजना है । नदियों के बेसिन को जोड़ने वाली योजना के माध्यम से बिहार में अतिरिक्त 3.87 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होने की संभावना है । इस प्रकार वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के माध्यम से 15.61 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होने की संभावना है ।

3.7 लघु सिचांई योजना में 2000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्र को आच्छादित करने वाली सभी सतही और भूतल जल सिंचाई योजनायें शामिल हैं जिसमें लघु सतही जल प्रवाह सिंचाई, सतही उद्‌वह सिंचाई, श्रोत खुले कुएं तथा नलकूप सम्मिलित हैं । लघु सिंचाई के अंतर्गत मुख्य रूप से छोटी नदियॉ, झरने, तथा अन्य जल स्रोत–आहर, पोईन आदि के सतही जल की दिशा में परिवर्त्तन कर सतही सिंचाई योजना कार्यान्वित की जाती है । राज्य सरकार इन योजनाओं का

कार्यान्वयन मुख्य रूप से नाबार्ड द्वारा ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि (आर. आई.डी.एफ.) के ऋण के माध्यम से करती है । आर0आई0डी0एफ0 योजनाओं को तीन वर्षों के अंदर संपन्न किया जाना है इसलिए लघु सिंचाई योजनाओं की प्राक्कलित राशि में सामान्य रूप से कोई वृद्धि नहीं होती है । अधिकांश योजनाएं एक से तीन वर्षों के अंदर पूर्ण की जाती हैं । ग्यारहवीं योजना में नाबार्ड से प्राप्त आर0आई0डी0एफ0 ऋण का उपयोग महत्वपूर्ण सतही सिंचाई योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया जायेगा । ग्यारहवीं योजना के प्रथम दो वर्षों में लघु जल संसाधन विभाग ने अतिरिक्त 80,000 हेक्टेयर के संभाव्य क्षेत्र का लक्ष्य सतही योजनाओं के संपादन एवं जल श्रोतों (आहर तथा पईन आदि) का जीर्णोद्धार, नवींकरण एवं पुनर्स्थापन का कार्य क्रमशः आर0आई0डी0एफ0 एवं भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित किया है । राज्य में भूतल जल का लगभग 45 से 50 प्रतिशत तक दोहन किया जा रहा है, जिससे तत्काल संकटापन्न स्थिति होने एवं अधिक दोहन का खतरा नहीं है । भू–तल जल स्रोत से वार्षिक सिंचाई की अधिकतम संभावना 48.57 लाख हेक्टेयर है । वर्ष 2006–07 तक लगभग 30 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सृजन की संभावना आकलित थी । ग्यारहवीं योजना के अंत तक अतिरिक्त 13.84 लाख हेक्टेयर संभाव्य सिंचाई क्षेत्र का सृजन प्रस्तावित है, जिसमें भू–तल जल स्रोतों से 10.87 लाख हेक्टेयर तथा सतही जल स्रोतों से 1. 97 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सम्मिलित है ।

3.8 सामाजिक संरचना

राज्य में ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यों में से एक गरीबी हटाना एवं लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है । यद्यपि विगत वर्षों में ग्रामीण गरीबी घटी है, लेकिन ग्रामीण गरीबों की संख्या बढ़ी है । यह अच्छी तरह से समझा जा चुका है कि यदि गरीब व्यक्तियों को सक्रिय रूप से विकास प्रक्रिया से जोड़ा जा सके तो गरीबी उन्मूलन प्रभावी रूप से किया जा सकता है । अतएव गरीबी कम करने से संबंधित कार्यक्रमों को गरीबों के सशक्तीकरण पर आधारित करने की आवश्यकता है, जिसके लिए पंचायती राज संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का प्रयास करना होगा । बिहार में अलग से ग्रामीण विकास से संबंधित अपनी सार्थक योजनाएं नहीं हैं, यह मुख्य रूप से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर केन्द्रित है ।

स्वर्ण ज्यंती ग्राम स्वरोजगार योजना निर्धन परिवारों को गरीबी रेखा से उपर लाने में सहायता करती है जिसमें स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करने तथा बैंक के माध्यम से ऋण एवं सरकारी अनुदान देकर आय के साधन उपलब्ध कराना है।

3.9 राष्ट्रीय ग्रामीण सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार में प्रारंभ में मात्र 23 जिलों को सम्मिलित किया गया था । ग्यारहवीं योजना के आरंभ अर्थात् 1 अप्रैल,2007 से राज्य के सभी 38 जिलों तक इस योजना को विस्तारित किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक पंजीकृत ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हों, को 100 दिनों का सुनिश्चित मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराया जाना है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीवनयापन की सुरक्षा, उनके दुःखद पलायन को रोकना और टिकाउ ग्रामीण आधारभूत संरचना का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण करना है ।

3.10 राज्य में इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985 से जारी है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूर तथा ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को निःशुल्क आवासीय इकाइयॉ प्रदान की जाती हैं । वर्ष 1995–96 से इंदिरा आवास योजना के लाभ के विस्तार के क्रम में मृत सैन्य कर्मियों की विधवाओं या उनके निकटतम संबंधी को शामिल किया गया है । इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत कमजोर वर्गों की प्राथमिकता सुनिश्चित करने हेतु गैर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए इंदिरा आवास आवंटन 40 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है । 1 अप्रैल, 2004 से इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता राशि को पुनरीक्षित किया गया है जिसकी उच्चतम सीमा वर्तमान में समतल भूमि पर निर्माण हेतु प्रति इकाई 25000 रुपये तथा पर्वतीय एवं दुष्कर क्षेत्र में प्रति इकाई 27,500 रुपये निर्धारित है । ग्रामीण क्षेत्रों में अव्यवहृत कच्चे मकानों के उन्नयन की आवश्यकता महसूस की गयी जिसके तहत 1 अप्रैल, 2004 से योजना की कुल निधि के 20 प्रतिशत तक अनुदान की राशि का उपयोग अव्यवहृत कच्चे मकानों को पक्के एवं अर्द्ध पक्के मकानों में रूपान्तरित करने हेतु तथा ऋण सह अनुदान योजना के अन्तर्गत ऋण लाभान्वितों को प्रदान किए गए हैं । इन दोनों योजनाओं यथा–इंदिरा आवास योजना उन्नयन और ऋण सह अनुदान

सहायता योजना के अन्तर्गत निधि के आवंटन की प्रक्रिया में वर्ष 2005–06 से परिवर्तन किया गया है, जिसके अनुसार राज्य स्तरीय आवंटन में 75 प्रतिशत राशि गृहविहीनों तथा 25 प्रतिशत राशि गरीबी के अनुपात में किया जाना है । पुनः जिलों में 75 प्रतिशत राशि गृहविहीनों को तथा 25 प्रतिशत राशि अनुसूचित जाति/जनजाति जनसंख्या के आधार पर आवंटित की जानी है ।

3.11 शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरी आधारभूत संरचनाओं और सेवाओं पर पड़ने वाला दबाव विचारणीय है । बिहार में शहरी सुविधाओं के अंतर्गत प्रति व्यक्ति जल का उपयोग एवं आपूर्ति 61 लीटर प्रतिदिन है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी उपर करीब 23.62 प्रतिशत अधिक है । राज्य की शहरी जनसंख्या मात्र कुछ जिलों यथा–पटना, नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में केन्द्रित है, जबकि राज्य के शेष भाग में शहरीकरण अत्यल्प है । महत्वपूर्ण तथ्य है कि वर्ष 1999–2001 के दौरान शहरी जनंसख्या वृद्धि दर ऋणात्मक (–2.68 प्रतिशत वार्षिक) थी । बिहार में प्रति व्यक्ति नगरीय सेवा व्यय मात्र 104 रुपया है जबकि महाराष्ट्र में यह 1750 रुपये हैं । राज्य में शहरी संस्थायें और विशेषकर शहरी स्थानीय निकाय निष्क्रिय तथा उपेक्षित हैं। बिहार में शहरी साक्षरता राष्ट्रीय औसत 70.1 प्रतिशत की तुलना में मात्र 64.53 प्रतिशत है । राज्य सरकार राज्य से शारीरिक रूप से भेगी कार्य के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्ध है । राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बिहार में 2,00,230 सूखे शौचालयों को गीले शौचालयों में परिवर्तित करने की योजना का सूत्रण किया गया है, जिसे राज्य सरकार भी प्राथमिकता दे रही है । जलापूर्ति, जल निकासी, गंदे नाले का पानी तथा पर्यावरण स्वच्छता से संबंधित अन्य कार्यों के लिए शहरी स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बारहवें वित्तीय आयोग द्वारा 2005–06 से 2009–10 के लिए 180.00 करोड़ रुपये की राशि की अनुशंसा की गयी है । इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रमंडलीय शहरों को सम्मिलित किया जायेगा । राज्य के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम), अरबन इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम ऑफ स्मॉल एन्ड मिडियम टाउनस (यू0आई0डीएस0एस0एम0टी0), इनटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम ऑफ स्मॉल एन्ड मिडियम टाउनस (आई0डी0एस0एस0एम0टी0) समेकित आवासीय एवं तंग बस्ती

विकास कार्यक्रम (आई0एच0एस0डी0पी0) सहित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का शुभारंभ किया गया है। केन्द्र सरकार की सहायता से राष्ट्रीय सूचना प्रणाली की स्थापना की गयी है । इस केन्द्र प्रायोजित योजना में आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं दरभंगा सम्मिलित है।

3.12 ग्यारहवीं योजना के जनोन्मुखी विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त रोजगार के अवसरों के सृजन की आवश्यकता होगी ताकि कार्यबल में सम्मिलित होने वाले नये प्रवेशार्थियों को नियोजित किया जा सके । योजना आयोग द्वारा वर्ष 1993–94 से 2004–05 की अवधि में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में रोजगार के लचीलेपन के आधार पर 49.37 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजन का अनुमान किया गया है । वर्ष 2004–05 के स्तर पर श्रमबल सहभागिता दर को कायम रखते हुए पिछले बचे लोगों (बैक लॉग) के नियोजन तथा नये प्रवेशार्थियों को सम्मिलित करने हेतु अतिरिक्त रोजगार की आवश्यकता 57.78 लाख की होगी ; इसके बावजूद ग्यारहवीं योजना के अंत तक 8.41 लाख बेरोजगार बचे रहेंगे । विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा में सुधार बेरोजगारी की समस्या को हल करने का एक तरीका हो सकता है । विनिर्माण में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए आधारभूत संरचना में सुधार लाने के अलावे श्रम कानूनों का लचीलेपूर्ण ढंग से उपयोग, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, बालश्रम की समाप्ति, लिंग विषमता का उन्मूलन तथा नियमित प्रशिक्षण द्वारा दक्षता के उन्नयन पर ध्यान केन्द्रित करना होगा ।

3.13 समेकित बाल विकास योजना (आई0सी0डी0एस0) के माध्यम से किशोरों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं के पोषणनीय विकास में सहयोग जारी है । राज्य योजना के पोषण घटक के अन्तर्गत प्रतिदिन 0–6 वर्ष की उम्र के प्रत्येक बच्चे को 2.00 रु0 तथा छः माह से तीन वर्ष की उम्र तक के अत्यधिक कुपोषण से पीड़ित प्रत्येक बच्वे के लिए 2.70 रुपये उपलब्ध कराया जाता है । प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र में प्रतिदिन 80 बच्चों, 16 गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं तथा 3 किशोरियों को वर्ष में 300 दिन पोषण उपलब्ध कराने का प्रावधान है । वर्तमान में 393 परियोजनाओं के अधीन 60,587 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं

तथा वित्तीय वर्ष 2006–07 के अंत तक 139 नयी परियोजनाओं के अन्तर्गत 19,602 आंगनबाड़ी केन्द्रों को जोड़ा गया है । इसके अतिरिक्त राज्य में चालू वित्तीय वर्ष (2007–08) में 113 आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति पांच नयी परियोजनाओं के अधीन दी जायेगी ।

3.14 लोगों के सर्वांगीण स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार का सीधा प्रभाव उत्पादकता तथा आर्थिक विकास पर पड़ता है । इस मान्यता के आलोक में राज्य सरकार ग्यारहवीं योजना के कार्यक्रमों के अनिवार्य घटक के रूप में संक्रामक एवं असंक्रामक रोगों की रोक के प्रावधान हेतु लोक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुगठित एवं पुनर्गठित करेगी । इसके साथ ही निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी संगठनों को भी मूलभूत स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की भूमिका के निर्वहन हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा । राज्य में स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने की प्रणाली अपर्याप्त है । राज्य में वर्ष 2003–04 में राष्ट्रीय औसत 54 प्रतिशत के विरूद्ध 11 प्रतिशत टीकाकरण और प्रति लाख जीवित जन्म मातृत्व मृत्य दर 407 के विरूद्ध 452 प्रति लाख था । ग्यारहवीं योजना में राष्ट्रीय मानक के अनुरूप स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के निर्माण पर बल दिया जायेगा । स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ग्यारहवीं योजना के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1544 नये उपकेन्द्रों, 331 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 201 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा 25 प्रथम रेफरल इकाइयों का निर्माण एवं संचालन किया जायेगा । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के संचालन हेतु पंचायती राज संस्थाओं को प्रेरित किया जायेगा । सरकारी–निजी सहभागिता को पैथेलोजी, रेडियोलॉजी, अस्पतालों के अनुरक्षण, एम्बुलेंस सेवा आदि के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय लोगों को अस्पताल प्रबंधन का हिस्सा बनाया जायेगा । स्वास्थ्य येाजना के अन्य बड़े लक्ष्यों के अन्तर्गत कालाजार मृत्युदर को शत–प्रतिशत कम करना, कुष्ठ रोग को घटाकर प्रति 10,000 में 1 करना, यक्ष्मा–डॉट के तहत 85 प्रतिशत रोगमुक्ति तथा एच0आई0वी0/एड्स के बढ़ते खतरों के विरूद्ध संघर्ष करना है । तीन नये चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है ।

3.15 राज्य सरकार द्वारा शिक्षा विशेषकर प्राथमिक शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सर्वशिक्षा

अभियान एक मुहिम है । केन्द्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों को राज्य सरकार द्वारा जिला स्तर पर स्थानीय निकायों को सम्मिलित कर विकेन्द्रीकृत प्रबंधन ढांचा के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है । इस तरह 6–14 वर्ष के सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पर ध्यान रखा गया है ।

3.16 बिहार में मुख्य रूप से पर्याप्त संख्या में विद्यालयों एवं शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय छोड़ने की समस्या है । विद्यालय जाने वाले सभी बच्चों में कक्षा में रहने की प्रवृति को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मानक 1:40 के अनुरूप शिक्षक–छात्र अनुपात में वृद्धि के लिए राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गयी है । उपरोक्त राष्ट्रीय मानक के आधार पर अतिरिक्त 2.36 लाख प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षक बल को बढ़ाना होगा। योजना अवधि में प्रत्येक टोले के समीप एक विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु 15,000 अतिरिक्त नये विद्यालय खोले जाने हैं । राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सुप्रवाही बनाने हेतु एक योजना की रूपरेखा तैयार की गयी है, जिसके एक भाग के प्रबंधन का दायित्व शिक्षकों से हटाकर माता समितियों, स्वयं सहायता समूहों तथा गैर सरकारी संगठनों को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा ।

3.17 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा की मुख्य समस्या उनकी स्वायत्तता और उत्तरदायित्व से संबंधित है । राज्य में उच्च शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ करने तथा विकास की सुविधा प्रदान करने का दायित्व उच्च शिक्षा विभाग को सौंपा गया है । इससे शोध एवं भाषाई शिक्षण संस्थानों के विकास में सहायता मिलेगी जिससे राज्य में शिक्षा का सर्वांगीण विकास होगा । चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जा चुकी है, जिसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । नालंदा विश्वविद्यालय की स्वीकृति दी जा चुकी है जिसका विकास शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के रूप में किया जाना है । तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु आर्यभट्ट व्यावसायिक विश्वविद्यालय प्रस्तावित है । विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को निधि उपलब्ध कराने हेतु उच्च शिक्षा विभाग में एक निकाय की स्थापना की गयी है, जो निधि के व्याज से भवनों की मरम्मति, जीर्णोद्धार विद्युतीकरण एवं स्वच्छता आदि कार्यों हेतु राशि उपलब्ध कराती है ।

आर्थिक आधारभूत संरचना

3.18 देश के औद्योगिक विकास परिदृश्य में बिहार पीछे है । राज्य विभाजन के पश्चात् स्थिति में और गिरावट आ गयी है । वर्ष 2003–04 के वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि देश में अवस्थित कुल कारखानों में से बिहार में मात्र 1.15 प्रतिशत कारखानें हैं, जिसमें कुल 0.70 प्रतिशत स्थायी पूंजी का निवेश है । बिहार में निम्न स्तर के सकल पूंजी निर्माण के आंकड़ों से स्पष्ट है कि निम्न पूंजी निवेश का कारण केन्द्रीय निवेश एवं निजी निवेश का कम अनुपात में होना है ।

3.19 ग्यारहवीं योजना में उद्योगों के विकास के लिए 11 प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया है, जिसे प्राप्त करने हेतु राज्य को सुदृढ़ संरचना, पारदर्शिता तथा औद्योगिक विकास के योग्य वातावरण प्रदान करना होगा । इसके लिए नियमों, अधिनियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण, औद्योगिक आधारभूत संरचना यथा–भूमि अधिकोष और औद्योगिक संपदा तथा औद्योगिक मानव शक्ति की दक्षता में वृद्धि करना होगा । उद्योगों की स्थापना के लिए राज्य सरकार श्रम कानूनों और मंजूरी प्रक्रियाओं का सरलीकरण करेगी जिसमें आवश्यकतानुसार भूमि उपलब्ध कराने के लिए भूमि अधिकोष की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय निर्देश के अनुरूप मूलभूत सुविधाओं का सृजन और लोक– नीजि सहभागिता को प्रोत्साहित करना सम्मिलित होगा । औद्योगिक विकास रणनीति का मूल सिद्धांत आधारभूत संरचना का विकास करना है । प्रथमतः सरकारी क्षेत्र की भूमिका सुविधा उपलब्ध कराने वाली यानी फैसिलिटेटर की होनी चाहिए और इस भूमिका के निर्वहन के लिए सरकारी क्षेत्र के उद्व्यय में पर्याप्त वृद्धि करनी होगी । निजी क्षेत्र को बड़ी भूमिका के निर्वहन के लिए प्रोत्साहित करना होगा । मध्यम एवं लघु उद्यमों को इन्सपेक्टर राज से मुक्त करने हेतु उद्योग मित्र नामक मंच की स्थापना की गयी है, जिससे परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन हेतु अपनी समस्या दूर करने हेतु नीति–निर्धारकों से सीधे विमर्श किया जा सके । सिंगल विन्डो क्लीरियेंस एक्ट–2006 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है । सशक्त वातावरण के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होगी । आधारभूत संरचना, सहायक सेवाओं तथा क्षमता निर्माण में वृद्धि के लिए साकेतिक रूप से कुछ जिलों में मध्यम एवं लघु उद्यम प्रक्षेत्र के अंतगर्त समूह आधारित परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया है । इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा आधारभूत

संरचनाओं, साख एवं विपणन प्रणाली की खाई को पाटने के लिए कई उपाय प्रारंभ किए गए हैं । इस प्रसंग में राज्य सरकार सरकारी–निजी सहभागिता के प्रतिरूप के विकास हेतु सर्वोत्तम प्रयास कर रही है । इस प्रतिरूप के अधीन एक ई–गवर्नेंस परियोजना प्रारंभ की गयी है और समन्वयक के रूप में आई0एल0 एफ0एस0 संस्था राज्य सरकार को सहायता प्रदान कर रही है ।

3.20 औद्योगिक विकास के लिए सड़क संपर्कता मुख्य आधारभूत संरचनात्मक आवश्यकता है । एक अच्छा सड़क संजाल सेवा–पैठ तथा उत्पादन केन्द्र को बाजार से जोड़ने के कार्य का विस्तार करता है । राष्ट्रीय औसत की तुलना में बिहार में वर्तमान सड़क संजाल पूर्णतः अपर्याप्त है । जहां देश में वर्ष 1990 के बाद से सड़क संजाल का विकास 99.6 प्रतिशत है, उसके विरूद्ध बिहार में यह मात्र 27. 7 प्रतिशत है। दूसरी ओर, वर्ष 1990 से देश में जहां वाहनों की संख्या में वृद्धि 197 प्रतिशत थी वहां बिहार में 239 प्रतिशत थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यातायात के विस्तार की तुलना में सड़क संजाल में वृद्धि नहीं हुई है । प्रशासनिक, आर्थिक या पर्यटन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने हेतु सभी पथों को चार–लेन में विस्तारित करने की योजना है । राज्य उच्च पथ विकास कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत 2025 किलोमीटर राज्य उच्च पथों के उन्नयन का कार्य लिया गया है, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपये कर्णांकित है । राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में 1500 किलोमीटर राज्य सड़क को राज्य उच्च पथ के रूप में उद्घोषित किया गया है, जिनका उन्नयन दो लेन वाली सड़क के रूप में किया जायेगा । इसका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है तथा राज्य सरकार ने इन सड़कों के उन्नयन हेतु निधि के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से पहल की है । मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाई 3.05 मीटर से 3.50 मीटर है, जो आज की यातायात व्यवस्था के लिए अपर्याप्त है । ग्यारहवीं योजना अवधि में राज्य सरकार ने मुख्य जिला सड़कों के सभी के सभी 7714 किलोमीटर सड़क को मध्यवर्ती लेन मानक के अनुसार उन्नयन करने का निर्णय लिया है । राज्य के अन्दर पश्चिम से पूर्व गंगा के प्रवाह की लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है, परन्तु इस नदी पर मात्र चार पुल हैं । राज्य के त्वरित विकास को ध्यान में रखकर बड़ी नदियों पर प्रत्येक 50 किलोमीटर के अंतराल पर एक पुल

की आवश्यकता होगी । बड़ी नदियों पर पुलों की कमी को पाटने के लिए राज्य सरकार द्वारा बड़े पुलों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया है । राज्य उच्च पथ विकास कार्यक्रम के अधीन राज्य उच्च पथों में पुलों का परिवर्तन, पुनर्वासन तथा जीर्ण और क्षतिग्रस्त पुलों की चौड़ाई में विस्तार का कार्य लिया गया है।

3.21 ग्रामीण सड़क सम्पर्कता की खाई को पाटने के लिए मुख्यमंत्री सेतु निर्माण नामक एक नई योजना का शुभारंभ किया गया है । यह वर्तमान में चल रही ग्रामीण सड़क निर्माण योजना का अनुपूरक है । इस प्रयोजन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को पुनर्जीवित कर सक्रिय किया गया है । इस योजना के अन्तर्गत सभी ग्रामीण सड़कों के लिए वांछित पुलों अथवा बड़े कलभर्ट को लिया गया है ।

3.22 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत समयबद्ध शैली में 1000 की जनसंख्या वाले असंबद्ध ग्रामों/टोलों को सभी मौसम में प्रयुक्त होने लायक सड़कों से जोड़ा जाना है । इस योजना के अन्तर्गत 1000 से कम जनसंख्या वाले ग्रामों/टोलों को नहीं रखा गया है, लेकिन वे राज्य सरकार की एक नयी योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत आयेंगे, जो 500–990 जनसंख्या वाले सभी ग्रामों/टोलों को जोड़ेगी।

3.23 बिहार विद्युत शक्ति के मामले में अत्यंत पिछड़ा है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की लक्ष्यांकित वृद्धि की प्राप्ति के लिए अनिवार्य घटक है । राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अधीन दो शक्ति उत्पादक इकाइयों यथा–बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, जिसकी उत्पादन क्षमता (2x50 +2x110) मेगावाट तथा मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन जिसकी उत्पादन क्षमता (2x110) मेगावाट है, शेष रह गयी है । राज्य सरकार ने मुजफ्फरपुर थर्मल पावर स्टेशन को राष्ट्रीय थर्मल पावर निगम तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के संयुक्त क्षेत्र की कंपनी को हस्तगत करा दिया है । राज्य सरकार के द्वारा तापीय उत्पादन स्टेशन की स्थापना के लिए स्थलीय कार्य पूर्ण कर लिया गया है, इसे केन्द्रीय विद्युत शक्ति आपूर्ति इकाइयों यथा– राष्ट्रीय तापीय शक्ति निगम या निजी क्षेत्र के विकास की भागीदारी में शुल्क आधारित स्पर्द्धात्मक बोली के आधार पर लिया जायेगा । विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन विद्युत संचरण प्रणाली का स्वतंत्र अस्तित्व होगा ।

3.24 राष्ट्रीय सम विकास योजना के अधीन भारतीय पावर ग्रिड निगम के माध्यम से राज्य सरकार ने विद्युत संचरण के विकास को तेज किया है । उत्तर बिहार में इस प्रणाली को सुदृढ़ करने के क्रम में प्रथम चरण में 18 नये ग्रिड सब स्टेशन तथा 875 किलोमीटर विद्युत शक्ति संचरण लाईन निर्माण का कार्य 552 करोड़ रुपये की लागत से पूरा कर लिया गया है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकार, पावरग्रिड कारॅपोरेशन तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से संचरण लाईनों के संवर्द्धन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 1780 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान किया गया है। कार्य का कार्यान्वयन दो भागों (भाग–I & II) में संचरण फेज II के अधीन किया जायेगा ।

3.25 बिहार में विद्युत शक्ति के वितरण की दक्षता में सुधार लाना वास्तविक चुनौती है । आई0सी0आर0ए0 लिमिटेड द्वारा पावर फाइनान्स कॉरपोरेशन लिमिटेड को समर्पित प्रतिवेदन के अनुसार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को ए0 टी0 और सी0 हानि अत्यधिक अर्थात् 48 प्रतिशत तक है । विगत दो वर्षों में ए0 टी0 और सी0 हानि में कुछ सुधार हुआ है तथा अनुमान किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 के अधीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की पुनर्सरचना कर हानि को और कम किया जा सकेगा । विद्युत वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य एक्सलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफोर्म्स प्रोगाम के तहत किया जा रहा है । ए0पी0डी0आरपी0 कार्यक्रम 16 में से 12 विद्युत आपूर्ति अचंलों में लिया गया है तथा शेष चार अंचलों का योजना प्रारूप प्रतिवेदन तैयार कर स्वीकृति हेतु उर्जा मंत्रालय के पास जमा किया जाना है । उपभोक्ताओं की पहचान और फीडर मीटरींग अतिरिक्त 33 के0वी0 और 11 के0वी0 लाईनों, 33/11 के0वी0 पावर सब–स्टेशनों के अनुरक्षण, नये पावर सब–स्टेशनों का निर्माण, वितरण ट्रांसफॉर्मरों का संवर्द्धन एवं स्थापन, वितरण ट्रांसफॉर्मरों का अनुरक्षण, पेसु के अधीन डी0एम0एल0–एस0सी0ए0डी0ए0 एवं कंप्यूटीकरण पर स्वीकृत 866 करोड़ रुपये के विरूद्ध 423.30 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है । केन्द्र सरकार पूरी लागत का 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में तथा 25 प्रतिशत ऋण के रूप में कुल 50 प्रतिशत भाग का वहन करेगी ।

शेष 50 प्रतिशत की व्यवस्था वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को करनी होगी ।

पर्यावरण एवं वन

3.26 भारतीय वन सर्वेक्षण के राज्यों के वन प्रतिवेदन,2003 के अनुसार बिहार में (10 प्रतिशत से अधिक क्राउन घनत्व) 5558 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र में वन हैं, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 5.9 प्रतिशत है । केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवीं योजना के अंत तक 33 प्रतिशत वनाच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । मुख्य रूप से बिहार एक समतल भूमि वाला प्रदेश है । अतः इसके 20 प्रतिशत क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का प्रस्ताव है। इसका अर्थ यह है कि वृक्षाच्छादित क्षेत्र को बढ़ाकर 18832 वर्ग कि0मी0 किया जाय । राज्य में अधिसूचित वन क्षेत्र 6473 वर्ग कि0मी0 है । अतः 12359 वर्ग कि0मी0 गैर–वन भूमि को वृक्षाच्छादित करना अनिवार्य है । वन क्षेत्र के अतिरिक्त 12,799 वर्ग कि0मी0 भूमि को वृक्षाच्छादित करने के लक्ष्य की प्राप्ति अगले 20 वर्षों में किये जाने का प्रस्ताव है । इससे स्पष्ट है कि औसतन 640 वर्ग कि0मी0 क्षेत्र को प्रतिवर्ष वृक्षाच्छादित करना होगा । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निजी क्षेत्र में प्रतिवर्ष पौधारोपण हेतु एक करोड़ से अधिक बीजांकुर तैयार करना अनिवार्य होगा । छात्रों में अभिरूचि बढ़ाने हेतु छात्र वृक्षारोपण योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत पौधे को तीन वर्षों तक सुरक्षित रखने हेतु प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करायी जायेगी ।

3.27 अनुश्रवणीय लक्ष्य :

सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि अपने आप में अभिलक्ष्य नहीं है, अपितु यह एक साधन है, जिसे ध्यान में रखकर बिहार में ग्यारहवीं योजना के लिए अनुश्रवणीय सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य का निर्धारण किया गया है, जो विकासपरक आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के चहुमुखी आयामों को प्रतिबिम्बित करेगा । परियोजनाओं और कार्यक्रमों के ससमय एवं कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु 21 अनुश्रवणीय लक्ष्यों को चिह्नित किया गया है । ग्यारहवीं योजना इन सभी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों द्वारा सर्वोपरि लक्ष्यांकित विकास की प्राप्ति हेतु प्रतिबद्ध है।

राज्य के 21 अनुश्रवणीय लक्ष्य

राज्य स्तर पर निर्धारित 21 अनुश्रवणीय लक्ष्यों को छः बड़े श्रेणियों में निम्न प्रकार रखा गया है:–

(अ) आय और निर्धनता

(ब) शिक्षा

(स) स्वास्थ्य

(द) महिलाएं और बच्चे

(इ) आधारभूत संरचना

(ई) पर्यावरण

(अ) **आय और निर्धनता**

(i) ग्यारहवीं योजना में राज्य घरेलू उत्पाद का औसत वार्षिक वृद्धि दर 8.5 प्रतिशत ।

(ii) कृषि के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का औसत वार्षिक वृद्धि दर 5–7 प्रतिशत ।

(iii) 50 लाख रोजगार के नए अवसरों का सृजन ।

(iv) अकुशल कामगारों की वास्तविक मजदूरी में 20 प्रतिशत की वृद्धि तथा

(v) उपभोग आधारित निर्धनता के अनुपात में 13 प्रतिशत की कमी (2004–05 में 41.5 प्रतिशत से 2011–12 तक 28.4 प्रतिशत) ।

(ब) **शिक्षा**

(i) प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003–04 में 78.03 प्रतिशत विद्यालय छोड़ने की दर को घटाकर वर्ष 2011–12 में 27.85 प्रतिशत करना ।

(ii) 7 वर्ष या अधिक उम्र के लोगों की साक्षरता दर वर्ष 2001 में 46.96 प्रतिशत से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 तक 64.04 प्रतिशत करना ।

(iii) साक्षरता में लिंग विभेद की दर में 9.2 प्रतिशत की कमी लाना (वर्ष 2001 में 26.6 प्रतिशत से वर्ष 2011–12 तक 17.4 प्रतिशत करना)।

(स) **स्वास्थ्य**

(i) शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, वर्तमान में 61 प्रतिशत से घटाकर 29 प्रतिशत करना ।

(ii) वर्तमान में मातृत्व मृत्यु दर 371 प्रति लाख को घटाकर ग्यारहवीं योजना के अंत तक 123 प्रति लाख करना ।

(iii) ग्यारहवीं योजना के अंत तक वर्तमान कुल प्रजनन दर 4.3 से घटाकर 3.0 तक करना ।

(iv) ग्यारहवीं योजना के अंत तक 0–3 वर्ष के बच्चों में कुपोषण दर को आधा करना ।

(v) ग्यारहवीं योजना के अंत तक महिलाओं में रक्ताल्पता दर को 54.4 प्रतिशत से घटाकर 27.2 प्रतिशत करना तथा बालिकाओं में 63.4 प्रतिशत से घटाकर 31.7 प्रतिशत करना ।

(द) महिलाएं और बच्चे

(i) 0–6 वर्ष के उम्र समूह के वर्तमान लिंग अनुपात 942 से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 तक 950 करना ।

(ii) सरकार की प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योजनाओं में महिला एवं बालिका लाभान्वितों की भागीदारी बढ़ाकर 33 प्रतिशत करना ।

(इ) आधारभूत संरचना

(i) वर्ष 2012 तक सभी गांवों तथा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को विद्युत सम्पर्कता सुनिश्चित करना ।

(ii) वर्ष 2017 तक चौबीस घंटे विद्युत आपूर्ति तथा वर्ष 2012 तक 500 तक की आवादी वाले सभी गांवों/टोलों को सभी मौसम के लिए उपयुक्त सड़क से सम्पर्कता सुनिश्चित करना ।

(ई) पर्यावरण

(i) वन एवं वृक्षाच्छादन में 5 प्रतिशत की वृद्धि करना (वर्तमान 10 प्रतिशत से वर्ष 2011–12 तक 15 प्रतिशत) ।

(ii) वर्ष 2011–12 तक सभी बड़े शहरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप वायु की गुणवत्ता प्राप्त करना और

(iii) वर्ष 2011–12 तक सभी शहरों के गंदे जल को उपचारित कर नदी जल को स्वच्छ बनाना ।

3.28 ग्यारहवीं योजना का स्वरूप

ग्यारहवीं योजना में बिहार के लिए सरकारी क्षेत्र का उद्व्यय 60,631 करोड़ रुपये योजना आयोग द्वारा अनुमानित है । योजना आयोग द्वारा अनुमानित ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित उद्व्यय में वृद्धि की संभावना है । राज्य सरकार विकासशील आधारभूत संरचनाओं यथा–सड़क, पुल, विद्युतशक्ति, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, शिक्षा, समाज कल्याण तथा शहरी विकास में अधिक पूंजी व्यय करेगी, जिस कारण इन क्षेत्रों में उद्व्यय की मांग अत्यधिक हो जायेगी । ग्यारहवीं योजना अवधि के विगत तीन वर्षों में सवंर्द्धित संसाधनों के सुप्रवाह के रूख को देखते हुए योजना अवधि के दौरान और अंत तक सरकारी क्षेत्र में उद्व्यय में निश्चित रूप से वृद्धि होगी, जो कम से कम 65,000 करोड़ रुपये अनुमानित है ।

अध्याय–2

वित्तीय संसाधन और सार्वजनिक क्षेत्रक उद्‌व्यय

2.1 ग्यारहवीं योजना के लिए वित्त प्रबंध

1. ग्यारहवीं योजना के दौरान सामाजिक सेवाओं के उत्कृष्ट वितरण सहित त्वरित गति से चतुर्दिक विकास करने के लक्ष्य के लिए योजना उद्‌व्यय में पर्याप्त वृद्धि अपेक्षित है। योजना उद्‌देश्यों की प्राप्ति के लिए कृषि एवं सहबद्व क्षेत्रों, उद्योग, सिंचाई एवं जल प्रबंधन में बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता होगी । आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर पूंजी लगाना आवश्यक है ,क्योंकि पूंजी लगाने का वर्तमान स्तर इच्छित स्तर से काफी नीचे है । इसी प्रकार चतुर्दिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने तथा मानव विकास सूचकांक में पर्याप्त सुधार सुनिश्चित करने के लिए कल्याण,शिक्षा,स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के आवंटन में पर्याप्त वृद्वि किए जाने की आवश्यकता है ।

दसवीं योजना

2. ग्यारहवीं योजना में हमें कितना कार्य करना है, इसे आंकने के लिए दसवीं योजना अवधि (2002–07) के दौरान किए गए योजना व्यय की जॉच करना उपयोगी होगा । दसवीं योजना के लिए 24,897 करोड़ रु0 (वर्तमान मूल्य) के सार्वजनिक निवेश की परिकल्पना की गई थी । इसके विरूद्ध कुल व्यय 23,493.52 करोड़ रु0 था । दसवीं योजना के अंतिम वर्ष 2006–07 में व्यय में 8,631,01 करोड़ रु0 का उछाल आया जो विगत वर्ष के व्यय से 86.8 प्रतिशत अधिक था ।

3. करीब 1,800.05 करोड़ रु0 (देखें सारणी–1) के वर्तमान राजस्व घाटा के साथ दसवीं योजना का वित्त पोषण अनुमानित था । ऋणात्मक वर्तमान राजस्व बैलेंस का अर्थ है कि राज्य के राजस्व से योजना के वित्त पोषण में किसी योगदान की आशा नहीं की जा सकती थी । योजना अवधि के प्रथमार्द्ध के दौरान वस्तु स्थिति ऐसी ही थी । फिर भी योजना अवधि के अंत में वार्षिक वर्तमान राजस्व का बैलेंस सकारात्मक हो गया जिसकी तदर्थ (Provisional) राशि 2006–07 के लिए 3,000.06 करोड़ थी । यह 2006–07 में कर–राजस्व (राज्य के कर राजस्व में

13.28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और केन्द्रीय करों में इसकी हिस्सेदारी में 27.54 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी) में तेजी से उछाल और केन्द्र से प्राप्त गैर योजना अनुदान में तेजी का परिणाम था ।

सारणी–1: दसवी योजना के दौरान वर्त्तमान राजस्व का अवशेष

(रुपये करोड़ में)

क्रं0	मद	दसवीं योजना का प्रक्षेप	2002–03 में प्रस्तावित	2003–04 में वास्तविकी	2004–05 में वास्तविकी	2005–06 में वास्तविकी	2006–07 में वास्तविकी	दसवी योजना में कुल
क	गैर योजना राजस्व प्राप्तियाँ	57266.25	9861.41	11018.64	14116.38	15765.12	19519.52	70281.07
1	केन्द्रीय करों में अंश	39965.71	6549.23	7627.87	9117.13	10421.43	13291.72	47007.38
2	राज्य का अपना राजस्व कर	14962.58	2761.03	2889.69	3347.39	3560.25	4033.08	16591.44
3	गैर कर राजस्व	1642.67	260.83	320.38	417.76	522.31	511.30	2032.58
4	कन्द्र से गैर योजना अनुदान	695.29	290.32	180.70	1234.10	1261.13	1683.42	4649.67
ख	गैर योजना राजस्व व्यय	60082.07	11455.15	12329.95	13500.89	16175.68	16519.46	69981.13
ग	ए0आ0एम0	1015.77						0.00
घ	बी0सी0आर0	**.1800.05**	**.1593.74**	**.1311.31**	**615.49**	**.410.56**	**3000.06**	**299.94**

4. नीचे दी गइ सारणी 2 में दसवीं योजना में वित्त प्रबंध का सार दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि केन्द्रीय सहायता राशि मो. 358.14 करोड़ रुपये की थोड़ी कमी हुई थी जिसके परिणामस्वरूप ऋण का स्तर 8948.16 करोड़ रू0 बढ़ गया था।

सारणी–2: दसवी योजना का वित्त प्रबंध (करोड़ रू0 में)

क्रं0	मद	दसवीं योजना का प्रक्षेप	2002–03 की वास्ताविकी	2003–04 की वास्ताविकी	2004–05 की वास्ताविकी	2005–06 की वास्ताविकी	2006–07 की वास्ताविकी	दसवी योजना में कुल
1	बी0सी0आर0	-1800.05	-1593.74	-1311.31	615.49	-410.56	3000.06	299.94
2	एम0सी0आर0	2139.43	393.15	898.21	-536.67	843.37	1288.06	2886.12
3	भारत सरकार से	293.02						0.00

	योजना अनुदान (टी0एफ0सी0)							
4	केन्द्रीय सहायता	11533.92	1917.24	1987.19	3274.65	1551.46	2445.24	11175.78
5	राजकीय ऋण	8304.80	1672.78	1638.69	1205.48	2691.49	1739.72	8948.16
6	अन्य	528.88	135.57	0.00	0.00	0.00	0.00	135.57
	कुल	21000.00	2525.00	3212.78	4558.95	4675.76	8473.08	23445.57

5. संक्षेप में कहा जा सकता है कि योजना अवधि के उतरार्द्ध में अच्छी राजस्व प्रगति के बावजूद योजना स्कीमों के लिए निधि उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त राशि सृजित नहीं की जा सकी । अतः राज्य को योजना कार्यो के वित्त पोषण के लिए केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त ऋण पर पूरी तरह निर्भर करना पड़ा।

ग्यारहवीं योजना का वित्त–प्रबंध

6. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, ग्यारहवीं योजना के लिए निधि की आवश्यकताएॅ दसवीं योजना की तुलना में बहुत अधिक होगी । 2007–08 की वार्षिक योजना का आकार 10200.00 करोड़ रू0 रखा गया है , जो 2006–07 की वार्षिक योजना से 23.6 प्रतिशत अधिक है । ग्यारहवीं योजना के शेष अवधि के दौरान ऐसी ही वृद्धि प्रत्याशित है । इस दस्तावेज के क्षेत्रीय विश्लेषणों के आधार पर ग्यारहवीं योजना का आकार 60,665.00 करोड़ रू0 आकलित किया गया है जो दसवीं योजना के आकार से प्रायः तीन गुणा अधिक है ।

7. ग्यारहवीं योजना उद्व्यय का तदर्थ क्षेत्रवार विवरण सारणी–3 में दिया गया है

कमांक	सेक्टर	उद्व्यय
1	कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता	1575.09
2	जल प्रबंधन एवं सिंचाई	7575.44
3	उद्योग	1949.16
4	सड़क और पुल	16071.63
5	उर्जा	4537.23
6	शहरी विकास	3874.23
7	कल्याण	4448.06
8	शिक्षा	4774.37
9	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	2079.10
10	ग्रामीण विकास एवं पी0आर0	7381.53

11	अन्य	6399.16
	कुल	**60665.00**

8. हाल के वर्षो में कर में मजबूत उछाल और चालू वर्ष में इसके जारी रहने की प्रवृति को ध्यान में रखते हुए यह मानना अयथार्थ नहीं होगा कि ग्यारहवीं योजना के दौरान राजस्व वसूली राजस्व व्यय से अधिक होगी और अतिरिक्त राशि का उपयोग योजना स्कीमों के वित्त पोषण में किया जा सकेगा। अतः प्रक्षेपण में प्रत्येक वर्ष की योजना के लिए चालू राजस्व के अवशेष शीर्ष में वृहत राशि रखी गई है। इन आकलनों के पीछे निम्नलिखित धारणाएॅ है :–

- प्रतिवर्ष केन्द्रीय करों से प्राप्त होने वाली राशि में 16 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। निश्चिय ही यह एक रूढ़ीवादी आकलन है, क्योंकि इस वर्ष केन्द्रीय राजस्व पूर्ववर्ती वर्ष से 40 प्रतिशत अधिक बताया गया है ।
- राज्य के अपने कर राजस्व में 14 प्रतिशत की विकास दर रखी गई है जो पूरी तरह संभावना के दायरे में आती है, क्योंकि 2006–07 के दौरान वार्षिक विकास 13 प्रतिशत से काफी उपर था ।
- राज्य के गैर–कर राजस्व में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है ।
- गैर योजना राजस्व व्यय में औसत वार्षिक वृद्धि 11.4 प्रतिशत अनुमानित है। गैर योजना व्यय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण मदें शामिल हैं :–

क) प्रतिमाह 60 करोड़ रू0 की दर पर 3600 करोड़ रू0 के बराबर बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के निधिकरण में रिसोर्स गैप ।

ख) वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने के फलस्वरूप वेतन में अनुमानित वृद्धि को पूरा करने के लिए आवश्यक निधि को शामिल किया गया है (4222.42 करोड़ रू0) ।

ग) राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को राज्य के राजस्व से मिलनेवाले अंश को शामिल किया गया है ।

घ) योजना अवधि के दौरान नयी नियुक्तियों पर अनुमानित व्यय को ध्यान में रखा गया है । इसमें निम्नलिखित पद शामिल हैः सहायक अभियंता (1619), उप समाहर्त्ता (586), पशु चिकित्सक (738), आरक्षी उपाधीक्षक

(71), सी0डी0पी0ओ0 (351), महिला पर्यवेक्षक (2795), कृषि कर्मी (1000), आरक्षी अवर निरीक्षक (2191), पुलिस कंस्टेबल (10629), महिला कंस्टेबल (1000), न्यायिक दंडाधिकारी (318), उच्च न्यायालय के स्टेनों (300) ।

9. उपर्युक्त अवधारणाओं के आधार पर ग्यारहवीं योजना काल में चालू राजस्व में अवशेष का प्रक्षेपण सारणी 4 में दर्शाया गया है ।

सारणी 4 : ग्यारहवीं योजना काल में चालू राजस्व में अवशेष का प्रक्षेपण

(रुपये करोड़ में)

क्रं	मद	ग्यारहवीं योजना प्रक्षेत्र	2007–08 की वार्षिक योजना	2008–09 की वार्षिक योजना	2009–10 की वार्षिक योजना	2010–11 की वार्षिक योजना	2011–12 की वार्षिक योजना
क	गैर योजना राजस्व प्राप्तियॉ	151856.66	22831.70	25976.77	29919.21	34072.94	39056.03
1	केन्द्रीय करों में अंश	108183.94	15730.96	18247.91	21167.58	24554.39	28483.10
2	राज्य का अपना राजस्व कर	32076.28	4969.97	5492.20	6272.89	7150.61	8190.62
3	गैर कर राजस्व	2225.94	396.25	406.65	543.42	432.62	447.00
4	कन्द्र से गैर योजना अनुदान	9370.49	1734.52	1830.01	1935.32	1935.32	1935.32
ख	गैर योजना राजस्व व्यय	127340.27	20329.58	21894.86	25732.31	28508.54	30874.98
ग	ए0आ0एम0						
घ	बी0सी0आर0	24516.39	2502.12	4081.91	4186.90	5564.40	8181.06

10. इस प्रकार राजस्व से प्राप्त अतिरेक राशि से ग्यारहवीं योजना के लिए आवश्यक निधि की 40 प्रतिशत से अधिक निधि लगायी जा सकेगी । शेष आवश्यकताएॅ मुख्यतः केन्द्रीय सहायता (18822 करोड़ रू0 –31 प्रतिशत) और ऋण (16129.27 करोड़ रू0 –26.6 प्रतिशत) से पूरी की जाएॅगी । ऋण की सीमा का निर्धारण एफ0आर0बी0एम0 के प्रावधनों के तहत किया जायगा । राज्य के लिए 2008–09 से अपने राज कोषीय घाटे को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के 3 प्रतिशत तक सीमित रखना अनिवार्य होगा। तदनुसार वित्त पोषण की स्कीम में ऋण का कार्यक्रम शामिल है जो एफ0आर0बी0एम0 के शर्तें के अनुरूप है ।

11. ग्यारहवीं योजना में निधि उपलब्ध कराने की योजना का विस्तृत विवरण अनुसूची में दिया गया है । उसका सार सारणी–5 में दर्शाया गया है ।

सारणी 5: ग्यारहवीं योजना का वित्त प्रबंध

क्रं	मद	ग्यारहवीं योजना परिदृश्य	2007–08 की वार्षिक योजना	2008–09 की वार्षिक योजना	2009–10 की वार्षिक योजना	2010–11 की वार्षिक योजना	2011–12 की वार्षिक योजना
1	बी0सी0आर0	24516.39	2502.12	4081.91	4186.90	5564.40	8181.06
2	एम0सी0आर0	364.88	168.18	170.49	72.88	24.63	22.05
3	भारत सरकार से योजना अनुदान (टी0एफ0सी0)	555.00	111.00	111.00	111.00	111.00	111.00
4	केन्द्रीय सहायता	18822.04	3451.70	3579.97	3727.47	3914.71	4148.19
5	राज्य द्वारा उधार	16129.27	3689.28	2556.63	2091.75	3253.49	3728.12
	कुल	**60665.30**	**10200.00**	**10500.00**	**11000.00**	**12818.98**	**16146.32**

अध्याय –3

मानव एवं सामाजिक विकास

3.1 प्रारंभिक एवं वयस्क शिक्षा

मानव संसाधन के विकास हेतु शिक्षा एक संवेदनशील कारक है। साथ ही देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है । परंपरागत कृषि से आधुनिक कृषि, उद्योगों को उन्नत तकनीक तक ले जाने एवं सामाजिक क्षेत्र में तीव्र गति से निवेश आदि के लिए मानव पूंजी एवं उसकी गुणवत्ता पर हम निर्भर करते हैं। सामाजिक एवं आर्थिक विकास के प्रमुख कारक जैसे –आर्थिक वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर, साक्षरता दर एक दूसरे के पूरक हैं, परन्तु साक्षरता दर अन्य कारकों की वृद्धि एवं कमी में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सार तथ्य यही है कि साक्षरता एवं महिला शिक्षा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने एवं आर्थिक वृद्धि दर को उच्चतम स्तर तक ले जाने में सहायक होता है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकारता है कि साक्षरता एवं प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम सिर्फ सामाजिक न्याय के लिए ही आवश्यक नहीं है, बल्कि यह आर्थिक वृद्धि, सामाजिक स्थिरता एवं सद्भाव के लिए भी आवश्यक है।

10 वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में प्रगति

2. प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण और सम्पूर्ण साक्षरता 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य थे। 10वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत सभी केन्द्रीय एवं राज्य की योजनायें प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण एवं सम्पूर्ण साक्षरता की प्राप्ति के उद्देश्य से संचालित थे। संवैधानिक बाध्यता के तहत 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र एवं राज्य के नीतिगत निर्णयों में इसका प्रावधान किया गया। बिहार राज्य में इसके लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP), सर्व शिक्षा अभियान (SSA), यूनिसेफ द्वारा सहायता प्राप्त स्पीड एवं सम्पूर्ण साक्षरता अभियान आते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) ने इस

क्रम में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के एक नया आधार एवं दृष्टि प्रदान किया, परन्तु यह एक पायलट कार्यक्रम था, जो कुछ ही जिलों में संचालित था। इसने प्रारम्भिक शिक्षा के प्रबंधन में सामुदायिक सहभागिता का वेहतर विकल्प दिया। सन् 2002 में स्पष्ट लक्ष्य एवं सम्पूर्ण कार्यक्रम सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। प्रारम्भिक वर्षों में राज्य की वित्तीय उपयोग की क्षमता काफी कम थी, परन्तु इसने राज्य के विद्यालय स्तर तक वेहतर प्रबंधन एवं आधारभूत संरचना विकसित करने में काफी सहयोग दिया, जिसके कारण आने वाले दिनों में वित्तीय व्यय बढ़ा । नामांकन ,ठहराव आदि में सुधार हुआ। बिहार में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या अधिक थी। इसमें महत्वपूर्ण गिरावट नजर आई। इसी प्रकार लिंग एवं सामाजिक भेदभाव में कमी आयी, जबकि शिक्षक–छात्र अनुपात एवं छात्र–वर्ग कक्ष अनुपात उस दौरान भी प्रमुख समस्या रहीं।

3. 10वीं पंचवर्षीय योजना में पहला लक्ष्य निर्धारित किया गया कि वर्ष 2003 तक सभी छात्रों को विद्यालय या अन्य वैकल्पिक संस्थाओं में नामांकित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। विद्यालय से बाहर के बच्चों की संख्या में भारी कमी आयी, परन्तु सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सका। इसके अलावे इस अवधि में बच्चों की विद्यालय में भागीदारी का स्तर बढ़ा, जिसके कारण ठहराव पर सकारात्मक प्रभाव दिखायी पड़ा। 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छीजन दर में मार्जिनल कमी आयी और उच्च प्राथमिक स्तर की तुलना में प्राथमिक स्तर पर ज्यादा परिवर्त्तन दिखायी पड़ा। प्रारम्भिक स्तर पर कई सकारात्मक परिवर्त्तन आने के बाद भी माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में तुलनात्मक रूप से सकारात्मक परिवर्त्तन नहीं हुआ। इस क्षेत्र में निवेश एवं विस्तार काफी कम हुआ। आधारभूत संरचना में सुधार के लिये कुछ कदम उठाये गये तथा परीक्षा प्रणाली में कुछ सुधार हुआ। महाविद्यालयों से इन्टर स्तर की पढ़ाई को हटाने एवं माध्यमिक विद्यालयों का इन्टर स्तर तक उन्नयन करने के लिए कार्य प्रारम्भ किये गये। उच्च शिक्षा में शैक्षणिक कैलेन्डर आरम्भ किया गया और इसे सभी विश्वविद्यालयों में लागू किया गया। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन भूगतान नियमित हुआ । उन्हें प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन मिलना प्रारम्भ हुआ। इस प्रकार उच्च शिक्षा में आधारभूत संरचना में सुधार हेतु अधिक धन की आवश्यकता महसूस हुई। उन्हें

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) से निधि अधिक प्राप्त करने की सलाह दी गयी।

4. प्रारम्भिक शिक्षा राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों की सूची में जोड़ी गयी। वर्त्तमान में सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम मुख्य वाहन बना। भारत सरकार ने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को राज्य सरकार के भागीदारी से प्रारम्भ किया। यह कार्यक्रम जिला स्तरीय प्रबंधन एवं स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से चलाया गया। सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय शिक्षा से संबंधित सभी क्रियाओं को शामिल किया गया जैसे भौतिक संरचना का विस्तार, निःशुल्क पाठ्य–पुस्तकों का वितरण, बालिका शिक्षा हेतु प्रोत्साहन, शिक्षक प्रशिक्षण आदि।

5. सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों के लिए विद्यालय , शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक विद्यालय, बैक टू स्कूल कैम्प हों।
- वर्ष 2007 तक सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा (आठवीं) प्राप्त हो।
- जीवन के लिए शिक्षा पर जोर देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना ।
- 2010 तक प्राथमिक शिक्षा सभी लिंग एवं सामाजिक अन्तर को भरना।
- 2010 तक बच्चों का सर्वव्यापी ठहराव सुनिश्चित करना।

6. बिहार में शिक्षा के मानक राष्ट्रीय स्तर से काफी कम पाये गये। सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2002–03 में बिहार के 6–14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए 56 था, जबकि राष्ट्रीय औसत पर यह 82.5 था। लिंग भेद दर भी काफी उँचा था। साथ ही छीजन दर भी काफी उच्च स्तर पर था। प्रत्येक 100 बच्चों में से 59 बच्चे वर्ग दृट एवं 78 बच्चे वर्ग VIII की पढ़ाई पूरी नहीं कर रहे थे। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर वर्ग –V एवं VIII तक छीजन दर क्रमशः 31 एवं 52 प्रतिशत था।

10 वीं पंचवर्षीय योजना के तहत वित्तीय उपलब्धि

7. 10 वीं पंचवर्षीय योजना के संशोधित उद्व्यय 184.65 करोड़ के विरूद्ध प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा पर 184.80 करोड़ रूपये व्यय (100.08:) किये गये। माध्यमिक शिक्षा के लिए संशोधित उद्व्यय 147.27 करोड़ रू0 इस अवधि में व्यय 166.23 करोड़ रू0 के विरूद्ध किया गया। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के लिए इस अवधि में संशोधित उद्व्यय 64.23 करोड़ रू0 के विरूद्ध 60.28 करोड़ रू0 व्यय हुआ।

8. राज्य सरकार ने विद्यालयों से बाहर के सभी बच्चों को विद्यालय लाने एवं सभी माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालयों के बैकलॉग रिक्तियों को भरने हेतु 2.36 लाख शिक्षकों को नियुक्त करने का फैसला लिया। छात्र– शिक्षक अनुपात 1:40 के स्तर पर लाने हेतु यह नीति निर्धारण किया गया। 60,000 शिक्षकों का पद विद्यालय से बाहर रह रहे 24 लाख बच्चों (घरेलू नौकर, ढावा , होटल, रेस्तरां, उद्योगों में कार्य कर रहे बच्चे) के लिए सृजित किया गया। सह– शिक्षक एवं संविदा पर नियुक्त शिक्षकों की प्रणाली को गुणवत्ता वाली शिक्षा एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु रद्द किया गया। नियुक्ति के अधिकार का विकेन्द्रीकरण कर पंचायती राज संस्थाओं को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं को नियुक्ति का अधिकार देने एवं उदार सेवा शर्त्तों के फलस्वरूप राज्य सरकार एक नियत वेतन पर शिक्षक बल को बढ़ाने में सक्षम हुई। शिक्षकों की नियुक्ति के अलावे 14000 वैकल्पिक एवं शिक्षा केन्द्रों के बन्द होने बाद 15000 नये विद्यालय प्रारम्भ किये जा रहे है। विद्यालय भवन की संरचना में सिर्फ वर्ग कक्ष जोड़ने (एस0एस0ए0 के द्वारा) के बदले नयी धारणा एवं मान्यता के साथ एक नया कार्यक्रम **'' मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास''** प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम हेतु राज्य सरकार ने धन की व्यवस्था अपने बजट में की। इसके तहत विद्यालय भवन की बड़ी मरम्मति , खेल–कूद की सुविधा, चहारदीवारी की व्यवस्था की गयी। अन्य विभागों के कार्यक्रमों से शौचालय, पेयजल, रसोई शेड का प्रावधान किया गया। इस प्रकार सामाजिक न्याय एवं समता मूलक का विद्यालय प्रणाली विकसित करने में यह कार्यक्रम एक उदाहरण बना। छीजन दर बिहार के साथ–साथ

राष्ट्रीय स्तर के लिये भी चुनौती है । बिहार में पर्याप्त संख्या में विद्यालय एवं शिक्षक दशको से न होने के कारण छीजन दर उँचा रहा है। जहाँ विद्यालय थे, वहाँ शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्यों एवं सेवा संबंधी मामले हेतु कोर्ट में व्यस्त रहते थे। उक्त सभी कारकों का 11 वीं पंचवर्षीय योजना में सुधार करना होगा। इसके अलावे मुख्य मंत्री बालिका पोशाक योजना प्रारम्भ की गयी, जिसके तहत वर्ग– V -VIII के छात्राओं को पोशाक एवं स्टेशनरी के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी। इस कार्यक्रम से छीजन दर खासकर उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की कम होनी चाहिए। राज्य सरकार इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में आच्छादित करेगी।

9. संविधान की धारा– 21 (क) के अन्तर्गत बच्चों को आठ वर्षीय मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए तैयार कराने में प्रारंभिक शिशु की देख–भाल तथा शिक्षा (ECCE) महत्वपूर्ण पहला कदम है। राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा 80,000 प्राथमीक विद्यालयों अथवा इन विद्यालयों के आस–पास ECCE केन्द्र निर्माण के लिए नेवार्ड के साथ मिलकर पहल की गयी है। यदि केन्द्रीय स्तर पर ECCE केन्द्र को ICDS से शिक्षा के अन्तर्गत स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया जाता है, तो 11 वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इन 80,000 केन्द्रों को संचालित करना एवं इनके प्रशिक्षित नर्सरी शिक्षक को नियुक्त किया जाना संभव हो सकेगा। कार्यस्थल के नजदीक के विद्यालयों के क्रेच की व्यवस्था करनी होगी, ताकि कामकाजी अभिभावक अपने बच्चों को वहाँ रख सकें और बालिकाएँ इस कार्य के लिए घर में न रहकर विद्यालय जा सके। विद्यालय से बाहर के बच्चों के लिए दो प्रकार की नीति अपनाई गई है। अधिक से अधिक बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में नामांकित कराया जा रहा है। दूसरे वैसे बच्चे, जो वर्ग के हिसाब से अधिक उम्र के हैं, उनके लिए **संकल्प योजना** चलायी गयी है। इसके अन्तर्गत आवासीय एवं गैर आवासीय केन्द्र की स्थापना की गयी है। राज्य सरकार द्वारा मध्याह्न भोजन योजना को सुचारू ढंग से संचालित करने हेतु एक योजना बनायी गयी है। नीतिगत निर्णय में प्रमुख हैंः– शिक्षकों को इस योजना से अलग रखना, योजना को माता समिति, स्वयं सहायता समूहों तथा शहरी क्षेत्रों में स्वयंसेवी संस्थाओं को स्थानान्तरित करना।

10. विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम को प्रारम्भ करने का प्रयास किया गया है। इसके अन्तर्गत स्थानीय प्राथमिक उपचार केन्द्र के चिकित्सक कालबद्ध रूप में विद्यालय जाकर बच्चों का स्वास्थ्य जाँच करेंगे अथवा बच्चों को नजदीक के प्राथमिक उपचार केन्द्र पर स्वास्थ्य जाँच के लिए ले जाया जायेगा। अलावे यह निर्णय लिया जा चुका है कि बच्चों के लिए प्रगति कार्ड का प्रिंट कराया जायेगा तथा प्रगति प्रतिवेदन उनके अभिभावकों को दिया जायेगा। इससे बच्चों को क्रमिक शैक्षणिक प्रगति का अभिलेख रखा जा सकेगा। इन कार्डों में बच्चे के स्वास्थ्य जाँच का रिकॉर्ड भी रहेगा। राज्य द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेंवर्क ;छब्थ्द्धए 2005 के आधार पर पाठ्यक्रम एवं सिलेबस को भी संशोधित करने की पहल की गयी है। इन विषयों पर शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा उन्हें पाठ्य–पुस्तक के अलावे नवाचारी शिक्षण हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावे, राज्य के 60 शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को पुनर्जीवित एवं सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्ष 2008 से इन संस्थानों में पूर्व सेवा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की संभावना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक–एक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान (D.I.E.T) हेतु राशि दिये जाने का प्रावधान है। यह मुख्य रूप से सेवाकालीन प्रशिक्षण हेतु संस्थान है। राज्य के नियमित प्रशिक्षण संस्थान हेतु भी राशि की आवश्यकता है। राज्य में भारी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक हैं और बहुत बड़ी संख्या में नियुक्त होने वाले हैं। कारण शिक्षकों की कमी और न्यायालय का आदेश है। नयी नियुक्ति नियमावली के अनुसार शिक्षकों को तीन वर्ष तक डायट एवं प्रखण्ड संसाधन केन्द्र (BRC) में प्रशिक्षण दिया जायेगा। तीन वर्ष के कार्यों का मूल्यांकन विद्यालय शिक्षा समिति एवं पंचायती राज संस्थानों द्वारा किया जायेगा, जो इनके वेतन वृद्धि पर निर्णय लेंगे। यह आशा की जाती है कि इन सभी पहल द्वारा राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार आयेगा तथा जेन्डर गैप कम होगा तथा छीजन में कमी आयेगी।

सर्व शिक्षा अभियान

11. प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण हेतु वर्ष 2001–02 में सर्व शिक्षा अभियान प्रारम्भ किया गया। परन्तु यह योजना 10 वीं पंचवर्षीय योजना के दूसरे वर्ष में गति प्राप्त कर पाया। यह एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र एवं

राज्य का अंशदान 10 वीं पंचवर्षीय योजना सत्र में 75ः 25 रहा। यद्यपि इस योजना के द्वारा अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाया, परन्तु धीरे–धीरे यह योजना अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है। वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2005 में सकल नामांकन में 74ः से 91 ः हो गया है। वर्ग ा-ट में छीजन दर 52ः से घटकर 36.06ः हो गयी है । यद्यपि अभी भी एक बड़ी संख्या में विद्यालय से बाहर के बच्चे हैं, परन्तु यह योजना धीरे–धीरे शत्–प्रतिशत नामांकन की ओर बढ़ रही है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –248662.56 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 0.00 लाख रू0)

कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय

11. कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय राज्य के शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों एवं वैसे प्रखण्ड जहाँ राष्ट्रीय औसत से महिला साक्षरता दर कम हो तथा लैंगिक भेद अधिक हो, में प्रारम्भ किया जा रहा है। राज्य में इस प्रकार के प्रखण्डों की संख्या– 469 है, जहाँ दो प्रखण्डों में लड़कियों के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा भी आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इस प्रकार शैक्षिक रूप से पिछड़े कुल 467 प्रखण्डों को आच्छादित किया जाना है। यह सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र और राज्य का अंश 65:35 है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक कस्तुरबा बालिका आवासीय विद्यालय प्रारम्भ करते हुए कुल 350 विद्यालय खोले जाने है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –9157.65 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 239.70 लाख रू0)

प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL)

12. एन0पी0ई0जी0ई0एल0 कार्यक्रम निम्नलिखित लक्ष्य के साथ 2003–04 में प्रारम्भ किया गयाः–

(a) लड़कियों के नामांकन एवं ठहराव में वृद्धि।

(b) बालिकाओं में सशक्तिकरण हेतु गुणात्मक शिक्ष में सुधार।

राज्य में कुल 533 प्रखण्डों में से 469 शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्ड हैं (न्यूनतम महिला साक्षरता एवं उच्च लैंगिग असमानता के आधार पर) इस हेतु कुल 219 प्रखण्डों का 2004–05 प्रथम चरण में चयन किया गया। प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्ड में एक मॉडल संकुल विद्यालय की स्थापना होगी, जो बालिका शिक्षा हेतु उस संकुल में नोडल सेन्टर का कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त बालिका सशक्तिकरण हेतु मीना र्मच की स्थापना की जायेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् द्वारा क्षेत्र में समीचीन वातावरण निर्माण हेतु मीना रंगमंच अभियान भी चलाया गया।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –1210.20 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 00.00 लाख रू0)

मध्याह्न भोजन योजना

13. मध्याह्न भोजन योजना प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में बढ़ोतरी हेतु लागू की गयी, ताकि नामांकन, ठहराव एवं उपस्थिति में बढ़ोतरी हो सके एवं साथ–साथ बच्चों के पोषण के स्तर में भी प्रगति हो सके। इस योजना अन्तर्गत कक्षा I से V के सभी छात्र (सरकारी/सरकार द्वारा पोषित/स्थानीय निकाय/मदरसा/संस्कृत बोर्ड विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र के साथ) को न्यूनतम 45 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन वर्ष में 200 दिन मध्याह्न भोजन के रूप में पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।प्रथम चरण में प्रत्येक जिला के तीन प्रखण्डों में, जहाँ साक्षरता दर न्यूनतम है, को पायलट आधार पर आच्छादित किया गया। बाद में इस कार्यक्रम को इन जिलेां के सभी प्रखण्डों एवं अन्ततः जनवरी,2005 से राज्य के सभी विद्यालयों में लागू किया जा चुका है। मध्याह्न भोजन योजना हेतु 41454.03 लाख की राशि वर्ष 2006–07 में स्वीकृत की गयी। वर्ष 2007–08 में कुल 64910.96 लाख का व्यय संभावित है। इसमें से केन्द्रीय सहायता के रूप में 45400.00 लाख तथा राज्य योजना अन्तर्गत 194.00 लाख व्यय की जायेगी, जिससे कुल 15166112 बच्चे लाभांबित होंगे। वर्त्तमान में वर्ष 2007–08 में इस हेतु 19400.00 लाख की राशि तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में 118438.94 लाख की राशि कर्णांकित की गयी है। हालॉकि राज्य के

संसाधन के मद्देनजर 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 118438.94 लाख तथा वार्षिक योजना 2007–08 अन्तर्गत 19400.00 लाख की राशि सीमित की गयी है। मध्याह्न भोजन योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर भी विस्तारित किया जा रहा है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –118438.94 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 19400.00 लाख रू0)

कार्यशाला एवं सेमिनार

14. विभिन्न कक्षाओं में लागू पाठ्य–पुस्तकें पुरानी हो चुकी हैं एवं इन्हें परिवर्द्धित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त सहायक पुस्तक एवं शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जानी है, ताकि शिक्षा के स्तर में सुधार हो सके।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –518.93 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 85.00 लाख रू0)

शिक्षक –प्रशिक्षण

15. प्रारम्भिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण विन्दु है। शिक्षक प्रशिक्षण मैनुअल एवं अन्य सामग्री का कार्यशाला के माध्यम से विकास किया जाना है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –51.89 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 8.50 लाख रू0)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान कैम्प हेतु राज्यांश

16. पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान कैम्प हेतु राज्यांश के रूप में निम्नांकित राशि कर्णांकित की गयी हैः–

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –3.05 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 0.50 लाख रू0)

सभी जिलों में अंग्रेजी भाषा एवं प्रशिक्षण संस्थान ;म्स्ज्प्द्ध की स्थापना

17. अंग्रेजी शिक्षा समय की पुकार है एवं इसे राज्य के सभी जिलों में एक अंग्रेजी भाषा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित कर राज्य शिक्षा, अनुसंधन तथा प्रशिक्षण परिषद् की देखरेख में लागू किया जाना है, ताकि अंग्रेजी भाषा एवं प्रशिक्षण प्रभावी हो सके।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –305.26 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0)

प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग का कम्प्यूटरीकरण

18. प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों को क्रमिक रूप से एक कम्प्यूटर एवं एक प्रिंटर उपलब्ध कराया जायेगा।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –61.05 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन

19. प्रथम चरण में बुनियादी विद्यालयों के भवन का जीर्णोद्धार एवं उनमें शिक्षण यंत्र यथा कम्प्यूटर तथा कौशल विकास हेतु अन्य संयत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। बुनियादी विद्यालयों में शिक्षक नियोजन हेतु नई नियमावली बनायी जा रही है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –305.26 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0)

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग

20. सभी कार्यक्रमों के प्रभावी रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु विभाग में एक कोषांग की स्थापना की गयी है, जो 11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) तक संचालित होगी।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –152.63 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 25.00 लाख रू0)

जन शिक्षा

21. सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम :– वर्ष 2005–06 में सम्पूर्ण साक्षरता अभियान/उत्तर साक्षरता कार्यक्रम हेतु विभिन्न जिलों से प्राप्त प्रस्ताव को भारत सरकार को अग्रसारित किया गया है। इसकी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति के उपरान्त स्वीकृत राशि का 1/3 भाग राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में वहन किया जायेगा।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –3052.55 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 500.00 लाख रू0)

जीवन कौशल केन्द्र की स्थापना

22. वयस्क साक्षरता के क्षेत्र में नवसाक्षरों में कौशल एवं क्षमता विकसित किया जाना अनिवार्य है, ताकि वे इस परिवर्त्तनशील समाज के साथ आगे बढ़ सकें। कौशल एवं क्षमता विकास हेतु विभिन्न क्षेत्र यथा – प्रबन्धन क्षमता, कानूनी ज्ञान, श्रम प्रबन्धन (ताकि वे सिर्फ श्रमिक न रहकर सहकर्मी बन सकें), आर्थिक उपार्जन हेतु लघु स्तर पर व्यापार प्रबंधन इत्यादि। नवसाक्षरों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण विभिन्न समूहों में प्रदान किया जायेगा। इसका लक्ष्य उनके अन्दर आर्थिकोपार्जन की क्षमता का विकास करना है, ताकि वे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (ळक्च्द्ध को बढ़ाने में सहयोग प्रदान कर सकें।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –235.05 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 38.50 लाख रू0)

प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा

10 वीं योजना के दौरान वित्तीय प्रगति :

वर्ष	मूल उदव्यय	पुनरीक्षित उदव्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	25133.60	17893.30	20195.99
2003-04	27193.58	23147.58	22709.39
2004-05	50545.85	39845.88	36679.97
2005-06	46189.20	42867.37	43548.04
2006-07	63169.60	59400.00	58773.74

11वीं योजना हेतु वित्तीय लक्ष्य

वर्षिक योजना 2007–08 – 20177.50 लाख

11 वीं पंचवर्षीय योजना – 383450.70 लाख

प्रमुख नीतिगत पहल/मील का पत्थर

- राज्य में 2.36 लाख प्रारम्भिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों के नियोजन

का निर्णय, ताकि पूर्व की सम्पूर्ण रिक्तियॉ भरी जा सकें एवं विद्यालय से बाहर के सभी बच्चे प्रारम्भिक विद्यालय में जोड़े जा सकें।

- पारा शिक्षक या संविदा आधारित शिक्षक को हटाया गया, ताकि सामाजिक न्याय एवं समानता विद्यालय प्रणाली में लायी जा सके।
- नियोजन की शक्ति विकेन्द्रीकृत कर पंचायती राज संस्थानों को दी गयी।
- नये विद्यालय के निर्माण की प्रणाली, एस0एस0ए0 कार्यक्रम अधीन नये वर्ग कक्ष के साथ ही मुख्यमंत्री समग्र विद्यालय विकास योजना लागू किया जाना।
- राज्य में मध्याह्म भोजन योजना को सुचारू रूप से लागू करने हेतु कार्ययोजना निर्माण। इस कार्यक्रम से शिक्षकों को अलग रखते हुए इसे माता समिति, स्व–सहायता समूहों तथा शहरी क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्था के द्वारा क्रियान्वयन।
- राज्य द्वारा राष्ट्रीय पाठ्य चर्या कार्य योजना (NCF) 2005 को आधार मानकर पाठ्य चर्या एवं पाठ्यक्रम का पुनर्रीक्षण।
- कस्तुरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय को शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखण्डों में, जहाँ ग्रामीण महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है तथा साक्षरता में लैंगिग असमानता राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है, स्थापित किया जाना।
- एस0सी0ई0आर0टी0 की देखरेख में प्रत्येक जिले में एक एल0ई0टी0आई0 केन्द्र अंग्रेजी भाषा के विकास एवं प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया जाना।

3.2 माध्यमिक शिक्षा

1. भूमण्डलीकरण एवं विश्व के बदलते हुए आर्थिक परिवेश ने विकासशील देशों के सामने ढेर सारे अवसर प्रस्तुत किये है। इन मौकों को भुनाने के लिए आवश्यक है कि मानव संसाधन की दक्षता एवं कुशलता बढ़ायी जाय। इसके अन्तर्गत बाजार एवं समाज की माँग की पूर्त्ति हेतु शिक्षा की आधारभूत संरचना को मजबूत करना होगा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार पूरी शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का

कार्य करता है। यह कार्यक्रम के प्रशिक्षण हेतु हमें जमीन (आधार) भी प्रदान करता है। उच्च माध्यमिक स्तर या इन्टर स्तर दक्षता विकास हेतु महत्वपूर्ण होता है,क्योंकि इस स्तर पर छात्रों द्वारा तकनीकी विघाओं का चयन किया जाता है।

2. सर्व शिक्षा अभियान की सफलता का मतलब होगा कि आगामी कुछ वर्षों में साथ–साथ माध्यमिक शिक्षा का गुणात्मक एवं संख्यात्मक विस्तार हो, नामांकन दर में वृद्धि हो और छीजन दर में कमी हों। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा की आधारभूत संरचना में भारी परिवर्त्तन करना होगा। विश्वव्यापीकरण के चलते प्रतिस्पर्द्धात्मक उद्योग, व्यापार एवं सेवाओं में उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों की भारी माँग होगी। देश माध्यमिक शिक्षा को मानव संसाधन की आपूर्त्ति करने वाला एक मात्र आपूर्त्तिकर्त्ता है।

10 वीं योजना की समीक्षा और 11 वीं योजना के लक्ष्य

3. 10 वीं येाजना के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा का व्यय, निर्धारित संशोधित उद्व्यय 166.23 करोड़ रूपये के विरूद्ध 147.27 करोड़ रूपये (88.59%) था।

4. राज्य में 1 लाख की आबादी पर औसत एक माध्यमिक विद्यालय है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर एक लाख की आबादी पर 13 माध्यमिक विद्यालय हैं। इसका कारण यह है कि राज्य में विद्यालयों के सरकारीकरण के बाद अतिरिक्त शिक्षक एवं नये विद्यालयों की व्यवस्था सरकारी स्तर पर नहीं की गयी। निजी एवं सरकारी भागीदारी में नया विद्यालय खोलने की रणनीति पर कार्य अब किया जा रहा है। समान विद्यालय प्रणाली आयोग ने रिपोर्ट सौंप दिया है। सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में प्रारम्भिक कदम उठाये हैं। 12000 शिक्षकों के पूर्व से आ रहे रिक्त पदों को प्रारम्भिक शिक्षा हेतु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित चयन प्रक्रिया के समान ही भरा जा रहा है। इसके अलावे कई चरणों में अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, बड़े पैमाने पर मरम्मती, कम्प्यूटर एवं खेल–कूद की सामग्रियों की व्यवस्था हेतु धन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त माध्यमिक शिक्षा के आगामी विस्तार हेतु 10,000 शिक्षकों की व्यवस्था रखी जा रही है। इस प्रकार 11 वीं योजना में राज्य में माध्यमिक शिक्षा के आधारभूत संरचना में विस्तार एवं बड़ी संख्या में शिक्षकों के नियोजन करने हेतु बड़े निवेश एवं सहयोग की जरूरत होगी। इसके

लिए राज्य ने कदम उठाये हैं। 10000 उच्च प्राथमिक (मध्य) विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में उत्क्रमित करने की योजना है। लगभग 200 उच्च माध्यमिक विद्यालय व्यवसायिक शिक्षा के साथ 11वीं योजना में प्रत्येक वर्ष खोलने होगें। बालिकाओं हेतु पूर्व से खुले 250 प्रोजेक्ट विद्यालयों को गैर–योजना के तहत मजबूत किया जायेगा। नावार्ड से भी 600 माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालयों में उत्क्रमित करने हेतु सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हो चुकी है और यह परियोजना जल्द ही प्रारम्भ की जायेगी। लगभग 400 इन्टरस्तरीय महाविद्यालयों, जहाँ सिर्फ +2 स्तर की शिक्षा दी जाती है, उन्हें 9 वीं एवं 10 वीं के छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी जिला मुख्यालयों में एक आदर्श +2 विद्यालय विकसित किया जायेगा, जिसमें सभी बच्चों हेत आवासीय सुविधा भी होगी। यह विद्यालय जिला के अन्य विद्यालयों के लिए समान विद्यालय प्रणाली के तहत उदाहरण बनेगा। बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षाा प्रदान करने हेतु साइकिल उपलब्ध कराने की योजना लागू की जा रही है, जिससे माध्यमिक शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ेगी। राज्य सरकार शिक्षकों की नियुक्ति एवं विद्यालय प्रबंधन का कार्य पंचायती राज संस्थाओं एवं क्षेत्रीय संस्थाओं को स्थानान्तरित कर रही है, जो विद्यालय एवं शिक्षको की जवाबदेही को बढ़ायेगी। इसके आगे, समान विद्यालय प्रणाली आयोग ने एक रूपरेखा विकसित करने की सलाह दी है, जिसमें निजी और सरकारी विद्यालय स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धात्मक माहौल में कार्य करें एवं सभी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति, अनु० जन जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ी जाति को समान सुविधा मिले औैर उनमें भेद–भाव न किया जाय। प्रायोगिक तौर पर बिहार ने सी0बी0एस0ई0 की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली में सुधार, इन0सी0ई0आर0टी0 की तर्ज पर एन0सी0एफ0 (NCF) 2005 प्रारम्भ किया है। COBSE (काउन्सिल ऑफ बोर्डस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया) विद्यालयों की ग्रेडिंग पर कार्य कर रही है। इसके आगे विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा NCF 2005 के आलोक में बढ़ायी जायेगी, जहाँकि कार्य एवं शिक्षा को एक दूसरे से सम्बद्ध किया जाता है। पूरे विश्व में परम्परागत व्यवसायिक शिक्षा अनुपयोगी हो चुकी है और भारतीय अनुभव भी इससे अलग नहीं है। एन0सी0एफ0 (NCF) 2005 एवं

इन0सी0ई0आर0टी0 की अनुशंसाओं के अनुरूप सरकार अपनी रणनीति की समीक्षा कर कुछ स्वभाविक दक्षता विकसित कर उसे अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। इसके अन्तर्गत भाषागत दक्षता, विशेषणात्मक दक्षता तथा सूचना प्रावैद्यिकी में दक्षता के क्षेत्र आते हैं।

5. अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण, सरकारी एवं गैर–सरकारी विद्यालय का उन्नयन तथा आदर्श विद्यालय की स्थापना

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय –52570.520 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 3416.00 लाख रू0)

6. दो सैनिक विद्यालय का भवन निर्माण : दो सैनिक विद्यालय क्रमशः राजगीर (नालन्दा) एवं गोपालगंज में अस्थायी भवन में संचालित हैं। सैनिक स्कूल प्रशासन द्वारा प्रत्येक विद्यालय हेतु 2500.00 लाख प्रति विद्यालय भवन निर्माण का प्रस्ताव है। विभाग द्वारा 600.00 लाख प्रति विद्यालय 2007–08 में भवन निर्माण का प्रस्ताव है एवं 11 वीं पंचवर्षीय योजना अन्तर्गत 3600.00 लाख अनुमानित है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 3600.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 600.00 लाख रू0)

7. प्रमण्डलीय मुख्यालय में शिक्षा कार्यालय भवन का निर्माणः– प्रमण्डल एवं जिला स्तर पर विभागीय कार्यालय विद्यालय भवन या लीज भवन में संचालित हैं। विद्यालय प्रशासन को संगठित करने के उद्देश्य से वर्ष 2008–09 में शिक्षा भवन निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु वर्ष 2007–08 में 450.00 लाख व्यय का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 450.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 450.00 लाख रू0)

8. दो आवासीय विद्यालय हेतु भवन निर्माण : राज्य सरकार द्वारा क्रमशः दो आवासीय विद्यालय– लड़कों हेतु सिमुलतल्ला (जमुई) तथा लड़कियों हेतु डेहरी ऑन सोन (रोहतास) में –250.00 लाख प्रति विद्यालय हेतु राशि संबंधित जिला पदाधिकारियों को कॉरपस फन्ड में जमा करने हेतु प्रदान की गयी है। विभाग द्वारा 300.00 लाख रूपया प्रति आवासीय विद्यालय वर्ष 2005 –06 में कर्णांकित किया गया है। वर्ष 2007–08 में क्रमशः 50.00 लाख की राशि का प्रस्ताव है, जिसे 25.00

लाख प्रति विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी को प्रदान करना है एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 250.00 लाख व्यय का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 250.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0)

9. विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षा (ICT @ School scheme) – राज्य सरकार सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने हेतु इच्छुक है। अतः ICT @ School scheme(केन्द्रीय सम्पोषित योजना) के अन्तर्गत 799 माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को आच्छादित किया जाना है। 148 विद्यालय एवं एक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। शेष 651 विद्यालयों का अगले चरण में कम्प्यूटरकृत करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2007–08 में 100.00 लाख केन्द्रांश का 25 प्रतिशत राज्यांश की आवश्यकता है एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में कुल 1666.00 लाख का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 1666.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 100.00 लाख रू0)

10. शिक्षक प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम : दक्षता आधारित शिक्षक प्रशिक्षण, प्रधानाध्यापक/प्राचार्य हेतु उन्मुखीकरण एवं प्रबंधन प्रशिक्षण आयोजन की योजना शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु संचालित की जायेगी। इस हेतु क्षमता विकास संबंधी कई कार्यक्रम एस0सी0ई0आर0टी0, पटना द्वारा आयोजित किये जायेंगे। एस0सी0ई0आर0टी0, प्रशिक्षण में संयोजक का कार्य करेगी एवं प्रशिक्षण महाविद्यालयों में प्रशिक्षण कार्य आयोजित होंगे। वर्ष 2007–08 में 50.00 लाख तथा 11 वीं पंचवर्षीय योजना में 260.00 लाख व्यय का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 260.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0)

11. छात्रों का परिभ्रमण कार्यक्रमः– छात्रों में गुणात्मक शिक्षा लाने हेतु अन्य राज्यों के प्रमुख संस्थानों के परिभ्रमण का प्रस्ताव है,जिसमें 50.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है। वर्ष 2007–08 में 50.00 लाख का व्यय तथा 11वीं पंचवर्षीय येाजना में 450.00 लाख का व्यय प्रस्तावित है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 450.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0)

12. व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण : राज्य में 91 उच्च विद्यालयों में +2 स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य " World of school एवं world of work " की खाई को पाटना है। इससे व्यक्तिगत रोजगार बढ़ेगा एवं कौशल प्राप्त व्यक्ति की माँग एवं पूर्त्ति की असमानता घटेगी। साथ ही छात्रों में छीजन एवं अनुत्तीर्णता तथा हतोत्साह का डर भी समाप्त हो जायेगा। वर्ष 2007–08 में संबंधित उच्च विद्यालय में व्यवसायिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु 50.00 लाख एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना में 290.00 लाख का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 290.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0)

13. प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जीर्णोद्धारः प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय का जीर्णोद्धार प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवश्यक है। अतः वर्ष 2007–08 में 0.00 लाख एवं 11वीं पंचवर्षीय येाजना में 2007–12 में 500.00 लाख के व्यय का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 500.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 00.00 लाख रू0)

14. माध्यमिक शिक्षा योजना का अनुश्रवणः माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा गुणात्मक प्रगति एवं संख्यात्मक विकास हेतु सुदृढ़ीकरण की योजना है। जमीनी स्तर पर विभाग के कार्यों के अनुश्रवण हेतु वर्ष 2007–08 में 10.00 लाख एवं 11वीं पंचवर्षीय येाजना में 50.930 लाख व्यय का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 50.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

माध्यमिक शिक्षा

10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भौतिक प्रगति

(राशि लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	1700.00	1426.00	892.26
2003–04	1514.00	1680.29	1818.88
2004–05	1662.18	1712.18	1324.23
2005–06	2758.20	2154.87	1297.56
2006–07	4169.00	9900.00	9394.91
कुल	**11803.38**	**16873.34**	**14727.84**

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 : 4776.00 लाख रू0
11वीं पंचवर्षीय योजना : 66193.87 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील का पत्थर

- माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सभी 12000 शिक्षकों के पदों को भरा जा रहा हे।
- माध्यमिक शिक्षा प्रक्षेत्र अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु अतिरिक्त 10000 माध्यमिक शिक्षकों का पद सृजित किया गया है।
- लगभग 1000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने की योजना है।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया जायेगा।
- 400 इंटर महाविद्यालयों में सिर्फ इंटरस्तर की पढ़ाई हो रही है। उन्हें उत्प्रेरित किया जा रहा है कि वह वर्ग IX एवं X की भी पढ़ाई अपने यहॉ शुरू करें, ताकि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर अधिक बच्चों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके।
- मदरसा और संस्कृत विद्यालयों को मुख्य धारा में लाने की भी योजना है।
- सभी जिला मुख्यालय में +2 स्तर का एक–एक आदर्श विद्यालय उत्क्रमित किया जा

रहा है, जिसमें छात्रावास की भी सुविधा उपलब्ध होगी। यह विद्यालय जिले के सभी बच्चों के लिए मेरिट पर उपलब्ध होंगे।

- शिक्षकों की नियुक्ति पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय प्रबंधन समितियों को स्थानांतरित कर दी गयी है।
- राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप 2005 (NCF) पर आधारित सी0बी0एस0ई0 परीक्षा सुधार को लागू किया जा रहा है।
- जहाँ तक विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा का प्रश्न है राज्य सरकार राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम स्वरूप 2005 (NCF 2005) के "काम और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं" को लागूकरेगी।
- 600 माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण हेतु भवन निर्माण के प्रस्ताव पर नाबार्ड सिद्धांत सहमत है।

3.3 उच्च शिक्षा

1. विश्वविद्यालयों की स्वायतत्ता में वृद्धि एवं जबाबदेही निर्धारित करना उच्च शिक्षा प्रणाली का प्रमुख मुद्दा है। समय पर पर्याप्त धन मुहैया कराया जा रहा है और शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान होता है। विश्वविद्यालयों के नियमों में आवश्यक संशोधन एवं अन्य संस्थाओं का पुनर्गठन प्रक्रियाधीन है। राष्ट्रीय स्तर के एक विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी है। कई इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थाओं को लोक निजी भागीदारी में स्थापित करने के साथ–साथ अतीत के ज्ञान एवं शिक्षण का केन्द्र नालन्दा में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने की योजना बनायी गयी है।

2. उच्च शिक्षा निदेशालय को उच्च शिक्षा के संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने में सहायता उपलब्ध कराने की जबाबदेही दी गयी है। इसके अलावे शोध संस्थानों को विकसित करने एवं शिक्षा को समग्तता की भावना से जोड़ने की भी जिम्मेवारी दी गयी है। बिहार विभाजन के बाद राज्य ने कई प्रमुख तकनीकि संस्थनों को खोया जैसे

–एक्स0एल0आर0आई0 (XLRI), जमशेदपुर , इसने राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शून्यता पैदा किया। इसके साथ ही सरकार की इच्छा है कि उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की ललक समाप्त हो, ताकि आम नागरिकों पर व्यय का बोझ कम हो। इसके लिए योजना बनायी गयी है। एक तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रारूप सरकार के विचाराधीन है। इसमें निजी निवेशकों को पूर्ण स्वायतता के साथ इंनीनियरिंग, तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान खोलने एवं चलाने का प्रावधान है। विश्वविद्यालय उन्हें सिर्फ एक मंच उपलब्ध करायेगा, जो परीक्षा संचालन एवं डिग्री प्रदान करेगा। राज्य में नालन्दा खुला विश्वविद्यालय है, जो कार्यरत छात्रों को और उन्हें, जो नियमित शैक्षणिक सत्र में भाग नहीं ले सकते हैं, को उच्चत्तर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। विश्वविद्यालय अपने पाठ्यक्रमों में बदलाव करेगा तथा सूचना प्राद्यौगिकी एवं अन्य शिक्षण पाठ्यक्रमो को शामिल करेगा।

3. 11वीं योजना विशेषकर दूरस्थ एवं खुला शिक्षा को राज्य में प्रारम्भ करने एवं इंदिरा गॉधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (IGNOU) के तहत डी0ई0सी0 (Distance Education council) को धन मुहैया करायेगा। उच्च शिक्षा में निजी निवेश की एक विशेष योजना उद्योग विभाग द्वारा बनायी गयी है, इससे यह अपेक्षा है कि एक जो कि प्रोफेसनल विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थानों को लोक निजी भगीदारी में खोलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। उसी प्रकार प्रस्तावित नालन्दा विश्वविद्यालय जो राजगीर –नालन्दा में अवस्थित होगा, वह अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और निजी निवेश को आकर्षित करेगा।

4. 11वीं योजना में बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित हैं:–

- उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले ज्ञान के केन्द्रों (संस्थानों) को विकसित करना।
- पर्याप्त मरम्मती एवं जीर्णोद्धार के द्वारा वर्त्तमान विश्वविद्यालयों एवं कॉलेज भवनों को सुदृढ़ करना।
- विभिन्न शैक्षणिक एवं प्रशासनिक संस्थानो का आधुनिकीकरण, ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें।

• राज्य में राष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन संस्थान एवं आई0आई0टी0 की स्थापना, ताकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रबंधन एवं तकनीकी शिक्षा राज्य के छात्रों को उपलब्ध हो।

वित्तीय वर्ष 2007–08 में वार्षिक योजनान्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ प्रस्तावित हैं:

(1) चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,पटनाः चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। इसके सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है ।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 2000.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 400.00 लाख रू0)

(2) यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दाः यूनिवर्सिटी ऑफ नालन्दा की स्थापना की स्वीकृति दी गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी कई है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 में प्रारम्भ की गयी है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 12000.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 2000.00 लाख रू0)

(3) आर्यभट्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी – व्यवसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रमों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु आर्यभट्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 415.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 100.00 लाख रू0)

(4) कॉरपस फन्डः उच्च शिक्षा विभाग में कॉरपस फन्ड की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के वर्त्तमान भवनों की मरम्मती एवं जीर्णोद्धार, विद्युतीकरण एवं सेनेटरी कार्य के लिए राशि उपलब्ध कराना है। यह राशि कॉरपस फन्ड में जमा किये गये धन राशि से उत्पन्न व्याज से ली जानी है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 2000.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 00.00 लाख रू0)

(5) विश्वविद्यालयों के विकास के लिए सहायता : राज्य के विश्वविद्यालयों, पटना विश्वविद्यालय सहित, की संरचनाओं के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 15009.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 2000.00 लाख रू0)

(6) सूर्य नारायण सिंह समाजवादी शोध संस्थानः वार्षिक योजना 2007–08 में सूर्य नारायण सिंह समाजवादी शोध संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 90.00 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

(7) विभिन्न अकादमियों को सहायताः दक्षिण भारतीय भाषा अकादमी को सहायता अनुदान देने का प्रस्ताव है।

(पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 78.50 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 12.50 लाख रू0)

उच्च शिक्षा

10 वीं योजना में वित्तीय उपलब्धि

वर्ष	वास्तविक उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	160.50	168.50	154.42
2003–04	163.53	130.00	102.95
2004–05	400.00	344.72	407.72
2005–06	4400.00	384.91	132.65
2006–07	5000.00	5000.00	5627.97
कुल	**10124.03**	**6028.13**	**6425.71**

11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य

पंचवर्षीय योजना (2007 –2012) का उद्व्यय – 31592.07 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007– 2008) का उद्व्यय – 20117.50 लाख रू0

मुख्य नीतिगत पहल /मील के पत्थर

- विश्वविद्यालय अधिनियम में विस्तृत संशोधन एवं अन्य आयोग/संस्थाओं की पुनर्संरचना प्रक्रियाधीन है।
- राष्ट्रीय स्तर के विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। लोक निजी भागीदारी के अन्तर्गत कई इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों की

स्थापना की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के एक उत्कृष्ट विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा में प्रस्तावित है,जिससे ज्ञान एवं अध्ययन की इस प्राचीन भूमि के गौरव को पुनर्स्थापित किया जा सकेगा।

- निजी निवेशकों को पूरी स्वायतता के साथ इंजीनयरिंग, तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थान खोलने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी विधेयक के प्रारूप पर त्वरित कार्रवाई की जा रही है।
- नालन्दा खुला विश्वविद्यालय काम–काजी छात्रों एवं नियमित रूप से विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकने वाले छात्रों की जरूरतो को पूरा कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रमों को संशोधित किया गया है और सूचना प्राद्यौगिका एवं अन्य शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को लागू किया जा रहा है।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य में दूरस्थ एवं खुली शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इसके लिए इग्नू के तर्हत दूरस्थ शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत राशि की व्यवस्था की जायेगी।
- उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्रों की सहभागिता की योजना उद्योग विभाग की विशेष निवेश नीति में निर्धारित है।
- प्रोफेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना लोक निजी पार्टनरसिप के अन्तर्गत तकनीकी संस्थानों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगा।

3.4 कला, संस्कृति एवं खेल

कला, संस्कृति एवं युवा मामले विभाग में चार निदेशालय हैः खेल एवं युवा कल्याण निदेशालय, कला एवं संस्कृति निदेशालय, संग्रहालय निदेशालय एवं पुरातत्व निदेशालय । विरासत प्रबंधन के विषय पर कार्य करने के अतिरिक्त विभाग का मुख्य उद्वेश्य खेल सहित, कला, संस्कृति एवं युवा कल्याण से संबंधित मामलों की देख –भाल करना है । विभिन्न कार्यक्रमों के साथ–साथ विभाग राज्य के युवाओं की सृजनात्मक एवं सकारात्मक मनोवृति जगाने का प्रयास करता है ।

2. दसवीं योजना में राज्य की विकास प्रक्रियाओं में युवकों को लगाने पर विशेष ध्यान रहा है। इस उद्वेश्य की प्राप्ति शिक्षा एवं रोजगार के अवसर प्रदान कर तथा नेतृत्व क्षमताओं को विकसित तथा खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर करने का प्रयास किया गया ताकि वे राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय खेलों और प्रतिस्पर्द्धाओं में भाग लेने में समर्थ हो सके ।

दसवीं योजना की समीक्षा एवं ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

3. खेल एवं युवा सेवाओं के लिए दसवीं योजना के संशोधित उद्व्यय 40.31 करोड़ रू0 के विरूद्ध दसवीं योजना अवधि के दौरान 37.88 प्रतिशत करोड रू0 (93.97) व्यय हुए । कला एवं संस्कृति के लिए 32.96 करोड रू0 के संशोधित उद्व्यय के विरूद्ध दसवीं योजना के दौरान 24.93 करोड रू0 व्यय हुए ।

क. खेल एवं युवा सेवायें

राज्य की खेल नीति का निरूपण राज्य में खेल–कूद के चतुर्दिक विकास एवं युवाओं में खेल–कूद के प्रति जागरूकता पैदा करन हेतु तैयार किया गया है । खेल नीति का लाभ सुदूर देहात के सभी वर्गों को समुचित रूप से प्राप्त हो, इसका ख्याल रखा गया है।

राज्य में खेल नीति को ध्यान में रखते हुए खेल–कूद के विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना तैयार की गयी है, जिसका बिन्दुवार उल्लेख निम्न प्रकार हैः–

4. खेल सम्मान समारोह

राज्य सरकार प्रतिवर्ष राज्य के वैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों जिन्होंने राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त कर राज्य को गौरवान्वित किया है, उन्हें मेजर ध्यानचन्द के जन्म दिवस 29 अगस्त को नकद पुरस्कार, ताम्र पत्र एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करती है, ताकि राज्य के खिलाड़ियों का उत्साहवर्द्धन हो सके।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

5. राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का अयोजन

राज्य सरकार प्रतिवर्ष राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करने का विचार करती है, ताकि राज्य के खिलाड़ियों को खेल में अच्छा प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हो एवं उनका उत्साहवर्द्धन हो । राज्य सरकार प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु अनुदान देती है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 15.00 लाख रू0)

6. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में सहभागिताः–

सरकार खिलाड़ियों को राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु अनुदान की राशि उपलब्ध कराती है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 75.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

7. राज्य के विश्वविद्यालयों में खेल–कूद का प्रोत्साहनः– बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों में खेल–कूद का वातावरण तैयार करने हेतु वित्तीय वर्ष 2005–06 से एक नयी योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को खेल–कूद के संचालन हेतु राज्य सरकार अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराती है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 60.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

8. **खिलाड़ी कल्याण कोष**

इस योजना तहत बिहार सरकार खिलाड़ियों के कल्याण के लिए, उनके उपचार हेतु, उपकरणों के क्रय एवं अन्य आर्थिक–सामाजिक बाधाओं के समाधान हेतु अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराती है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 40.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.50 लाख रू0)

9. **राष्ट्रीय सेवा योजना–राज्य भागीदारी**

राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम चलता है, जिसके लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार 7:5 के अनुपात में राशि उपलब्ध

कराती है। युवाओं की भागीदारी में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का लक्ष्य रखा गया है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 410.92 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 67.50 लाख रू0)

10. कंकड़बाग में स्पोर्ट्स कम्पलेक्स का निर्माण

राज्य सरकार खेल–कूद तथा आधारभूत संरचना के विकास के लिए कंकड़बाग, पटना में स्पोर्ट्स कम्पलेक्स बना रही है जिससे राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन में सुविधा प्राप्त हो सके।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 2500.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 500.00 लाख रू0)

11. सहरसा में खेल कम्पलेक्स का निर्माण

राज्य सरकार ने राज्य के पूर्वी भाग में खेल–कूद की सुविधा तथा आधारभूत संरचना के विकास हेतु सहरसा में स्पोर्टस कम्पलेक्स के निर्माण की योजना बनायी है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 228.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 37.00 लाख रू0)

12. मोईनुलहक स्टेडियम का रख–रखाव एवं जीर्णोद्धार

यह राज्य का एक मात्र स्टेडियम है जो पटना में अवस्थित है। इसके रख–रखाव/पैवेलियन के निर्माण/जीर्णोद्धार/मैदान के समतलीकरण के लिए राज्य सरकार ने योजना बनायी है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 800.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 40.00 लाख रू0)

13. राज्य के अन्य वर्तमान स्टेडियम की मरम्मती एवं विकास

राज्य में खेल सुविधा के विकास हेतु सरकार ने राज्य के अन्य वर्तमान स्टेडियम की मरम्मती एवं विकास हेतु योजना बनायी है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 600.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 75.00 लाख रू0)

14. जिला–अनुमंडल में स्टेडियम का निर्माण

राज्य सरकार आधारभूत संरचना के विकास हेतु जिला एवं अनुमंडल स्तर पर स्टेडियम के निर्माण का विचार रखती है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 2593.86 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 300.00 लाख रू0)

15. राजकीय स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, पटना का विकास यह राज्य का एक मात्र शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय है, जिसके विकास हेतु समतलीकरण/विभिन्न खेल क्षेत्र का निर्माण/तरणताल का निर्माण/प्राचार्य एवं शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्तर के आवास तथा छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास के निर्माण की योजना है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 2000.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

16. छपरा में स्पोर्टस कम्पलेक्स का निर्माण

राज्य सरकार खेल की आधारभूत संरचना के विकास के लिए छपरा में स्पोर्टस कम्पलेक्स के निर्माण का विचार रखती है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 327.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

17. उ0वि0 जलालपुर के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण

खेल की आधारभूत संरचना तथा खेल–कूद के विकास में गति प्रदान करने हेतु उच्च विद्यालय जलालपुर, सारण के मैदान में स्टेडियम निर्माण करने की राज्य सरकार की योजना है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 300.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 12.00 लाख रू0)

ख. संग्रहालय निदेशालय

सदियों तक भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक घटनाओं का संचालन बिहार से होता रहा है और यहॉ का अतीत अत्यंत गौरवशाली रहा है। यहाँ पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत तथा सम्पदा के अकूत भंडार हैं। विरासत के रूप में प्राप्त इन सम्पदाओं को सुरक्षित रूप में भावी पीढ़ी को सौंपा

जाना है। विरासत के संरक्षण एवं सांस्कृतिक हस्तांतरण के इस दायित्व के प्रति राज्य सरकार सतत् प्रयत्नशील है और इसी उद्देश्य से राज्य में संग्रहालयों की स्थापना की गयी है। राजकीय संग्रहालयों के माध्यम से पुरातात्विक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत की इन सम्पदाओं को आधुनिक–वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित तथा संरक्षित रखते हुए इनके प्रदर्शन तथा विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियाँ आयोजित कर आम जन तथा विशेषज्ञ विद्यार्थियों में विरासत के महत्व एवं इसके संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। सम्प्रति बिहार राज्य में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पटना संग्रहालय सहित 20 राजकीय संग्रहालय सृजित हैं। इसके अतिरिक्त विरासत संरक्षण से जुड़े कई गैर–सरकारी संस्थानों द्वारा भी बिहार राज्य में संग्रहालय स्थापित किये गये हैं। राजकीय संग्रहालयों के सर्वांगीण विकास के तहत स्थापना व्यय, आधुनिक–वैज्ञानिक तरीके से प्रदर्शन व्यवस्था, कारगर सुरक्षा व्यवस्था, पुरावशेषों तथा कलाकृतियों का संरक्षण, कैटलॉग प्रकाशन, उद्यान विकास, प्रकाश व्यवस्था के साथ ही गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा संचालित संग्रहालयों के विकास हेतु सहायक अनुदान उपलब्ध कराने की योजना राज्य सरकार द्वारा ली गयी है। एतद् 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08) के लिए निम्नांकित योजनाएँ ली गयी हैं–

18. स्थापना

जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति को शाश्वत एवं अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए 1 देशरत्न मार्ग, पटना में स्थापित **जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय** के संचालन हेतु सृजित पदों के संधारण तथा संग्रहालय के रख–रखाव एवं विकास की आवश्यकता है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

19. संग्रहालयों में दीर्घा विकास

राजकीय संग्रहालयों में प्रदर्शन दीर्घाओं को आधुनिक–वैज्ञानिक ढंग से विकसित करने तथा पुरावशेषों/कलाकृतियों के श्रव्य–दृश्य व्यवस्था के साथ सुरूचिपूर्ण एवं आकर्षक प्रदर्शन करने की योजना प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 56.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 15.00 लाख रू0)

20. पुरावशेषों / कलाकृतियों का डिजिटल डाक्यूमेंटेशन

बिहार के संग्रहालयों में पुरातत्वशेषों एवं कलाकृतियों का वृहत संकलन है। भारत सरकार की नीति के आलोक में संकलनों के डिजिटलीकरण एवं प्रलेखन के साथ ही इनके A एवं A+ श्रेणी में वर्गीकरण की योजना 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि में ली गयी है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 2.00 लाख रू0)

21. संग्रहालयों में कारगर सुरक्षा प्रबंधन

संग्रहालयों की सुरक्षा एक अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील विषय है। संग्रहालयों में चोरी की घटनाएँ आये दिन होती हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए संग्रहालयों में सुरक्षा की कारगर व्यवस्था को प्राथमिकता दी गयी है। इस कार्य में सरकारी एजेन्सी के साथ ही गैर–सरकारी एजेंसियों की सेवा लेने का भी प्रस्ताव है, ताकि दिवा–रात्रि 24 घंटे अचूक निगरानी की जा सके।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 25.00 लाख रू0)

22. लैण्ड स्कैपिंग एवं उद्यान विभाग

पर्यावरण एवं सौन्दर्य की दृष्टि से संग्रहालय के उद्यान को आकर्षक रूप से विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पटना संग्रहालय सहित विभिन्न जिला स्तरीय संग्रहालय के परिसर में लैण्ड स्केपिंग एवं उद्यान विकास हेतु प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 30.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

23. सांस्कृतिक सम्पदा का संरक्षण

संग्रहालयों में संकलित दुर्लभ पुरावशेषों / कलाकृतियों को प्रकृति से होने वाली क्षति से बचाने के लिए विभिन्न अंतराल पर रासायनिक उपचार की

आवश्यकता होती है। इस कार्य के निमित पटना संग्रहालय में एक रासायनिक प्रयोगशाला भी स्थापित है। इस प्रयोगशाला को राज्य स्तरीय प्रयोगशाला के रूप में विकसित करने तथा संग्रहालयों में संकलित पुरावशेषों/कलाकृतियों के सम्यक संरक्षण का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 2.00 लाख रू0)

24. गैर–सरकारी संग्रहालयों को सहायता अनुदान

विरासत संरक्षण के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे गैर सरकारी संग्रहालयों/संस्थानों के विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से ली गयी है। गत वित्तीय वर्ष में 8.00 लाख रु. सहायक अनुदान की स्वीकृति विभिन्न संग्रहालयों को दी गयी है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

25. कैटलॉग का प्रकाशन

संग्रहालयों में संकलित पुरावशेषों/कलाकृतियों के कैटलॉग का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान, शोधकर्ता एवं छात्रों के अध्ययन में कैटलॉग की महत्वपूर्ण भूमिका है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

26. पटना संग्रहालय के कर्मियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण

पटना संग्रहालय के कार्यालय प्रधान सहित सभी कोटि के कर्मियों के लिए एक ही परिसर में आवासीय भवन निर्माण की योजना है। इस हेतु कार्यालय प्रधान के लिए कर्णांकित वर्तमान आवास जो काफी जीर्णावस्था में है, को तोड़कर उक्त परिसर में कार्यालय प्रधान सहित सभी कोटि के कर्मियों के लिए बहुमंजिला आवासीय भवन के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु आवश्यक प्राक्कलन तैयार करने का अनुरोध भवन निर्माण विभाग से किया गया है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

27. संग्रहालय में प्रकाश व्यवस्था

संग्रहालय की सुरक्षा एवं प्रदर्शन में प्रकाश की अहम भूमिका होती है। संग्रहालयों में अबाध प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही दीर्घाओं में आधुनिक प्रकाश की व्यवस्था आवश्यक है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 60.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 11.00 लाख रू0)

28. पटना संग्रहालय उन्नयन, प्रदर्शन तकनीक का विकास एवं वातानुकूलन की व्यवस्था

बिहार का गौरव, पटना संग्रहालय को अपने समृद्ध संकलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इस संग्रहालय के उन्नयन एवं इसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 300.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 300.00 लाख रू0)

ग. सांस्कृतिक कार्य निदेशालय

29. सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण

कला–संस्कृति एक ऐसा सशक्त माध्यम है, जिसके द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन कर राज्य में शांतिपूर्ण माहौल कायम किया जा सकता है तथा राज्य का उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है। राज्य के उपेक्षित वर्गों को कला–संस्कृति के द्वारा मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। प्रशिक्षण कार्य संचालित कर कला–संस्कृति की जानकारी दी जा सकती है। इस योजना के तहत राज्य के सभी हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित कर एक स्वस्थ सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण किया जाना है। इस प्रकार इस योजना के क्रियान्वयन की नितांत आवश्यकता है।

इस योजना के तहत प्रतियोगिता, सेमिनार, कार्यशाला एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 125.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 25.00 लाख रू0)

30. अन्तर्राजीय/अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम

इस योजना के तहत देश के विभिन्न राज्यों एवं विदेश की कला–संस्कृति से रू–ब–रू होना है। सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से एक–दूसरे को जानने का मौका मिलता है। इस योजना का व्यापक महत्व है। देश–प्रदेश के कलाकार इसके द्वारा दूसरे राज्यों/देश में जाकर अपनी कला को प्रदर्शित कर अपनी पहचान बनाते हैं तथा उसी प्रकार दूसरे देश–प्रदेश के कलाकार अपने देश/प्रदेश में आकर कला का प्रदर्शन करते हैं।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 90.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

31. गणतंत्र/स्वतंत्रता दिवस समारोह

गणतंत्र एंव स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय त्योहार है। इन दोनों अवसरों पर ऐतिहासिक गांधी मैदान, पटना में झांकी का प्रदर्शन किया जाता है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 17.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 3.00 लाख रू0)

32. प्रदर्श कला के कार्यक्रम हेतु बिहार संगीत नाटक अकादमी को कार्यक्रम अनुदान_ बिहार संगीत नाटक अकादमी का गठन मूलतः प्रदर्श कला के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास की दृष्टि से किया गया है। अतः इस कला के विकास के लिए अकादमी को प्रोत्साहित कना आवश्यक है। अकादमी द्वारा प्रदर्श कला के तहत नाटक, नृत्य, संगीत के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 200.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 30.00 लाख रू0)

33. चाक्षुष कला के कार्यक्रम हेतु बिहार ललित कला अकादमी को कार्यक्रम अनुदान जिस प्रकार संगीत नाटक अकादमी का गठन प्रदर्श कला के लिए किया गया है, ठीक उसी प्रकार बिहार ललित कला अकादमी का गठन चाक्षुष कला के लिए किया गया है। इसके तहत मूर्तिकला, शिल्पकला, पारम्परिक कला, छायाचित्र कला, चित्रकला आदि विधाओं का संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास किया जाता है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 90.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 0.00 लाख रू0)

34. भारतीय नृत्य कला मंदिर को संगीत महाविद्यालय के रूप में विकास

वर्षों से राज्य में संगीत महाविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय नृत्य कला मंदिर को संगीत महाविद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय है। मगध विश्वविद्यालय से इसका संबद्धता की कार्रवाई की जा रही है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 250.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 30.00 लाख रू0)

35. प्रदर्श एवं चाक्षुषकला में अकादमी अवार्ड

इस योजना के तहत राज्य के ख्याति प्राप्त कलाकारों को सम्मान देने का निर्णय है। इसके तहत प्रतिवर्ष प्रदर्शन कला में 10 एवं चाक्षुष कला में 5 कलाकारों को सम्मानित किया जायेगा। प्रत्येक कलाकार को 21,000 रु. नकद, एक शाल एवं एक प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

36. चाक्षुष एवं प्रदर्श कला में पत्रिका का प्रकाशन

चाक्षुष एवं प्रदर्शन कला में कई कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं, इन कार्यक्रमों को समेकित रूप से पत्रिका में प्रकाशित कराकर प्रचारित–प्रसारित किया जाना है, ताकि आम जनों को गतिविधियों के बारे में जानकारी हो सके।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 4.00 लाख रू0)

37. चाक्षुष एवं प्रदर्श कला में डाक्युमेंटेशन

इस योजना के तहत वैसी कलाओं का प्रलेखन करने की योजना है, जो लुप्त होने की स्थिति में हैं। यह दोनों कलाओं पर लागू होता है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

38. राजकीय सांस्कृतिक महोत्सव

मूलतः इसे बिहार सांस्कृतिक महोत्सव का नाम दिया गया है। वर्ष 1997 एवं 1999 में गांधी मैदान में व्यापक तरीके से कार्यक्रम आयोजित कराए गए जिसमें लगभग 500 कलाकारों ने भाग लिया। गत वर्ष दुर्गापूजा के अवसर पर गांधी मैदान में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 355.05 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

39. कलाकार कल्याण कोष

इस योजना को क्रियान्वित करने का मुख्य उद्देश्य अभावग्रस्त/रोगग्रस्त कलाकारों को सहयता पहुंचाना है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 30.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

40. राष्ट्रीय युवा उत्सव एवं अन्य उत्सवों में राज्य की सहभागिता

प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन दिनांक 12–16 जनवरी तक किया जाता है। इसके अलावे अन्य उत्सव के आयोजन भी देश भर में होते रहते हैं। ऐसे आयोजनों में राज्य के कलाकारों की भागीदारी चयन प्रतियोगिता कराकर की जाती है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

41. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम

राज्य में उग्रवादी गतिविधियाँ दिन–प्रतिदिन बढ़ रही हैं। खासकर राज्य के कुछ जिले नक्सली उग्रवाद से प्रभावित हैं । ऐसी स्थिति में उन क्षेत्रों में सांस्कृतिक गतिविधि के माध्यम से उन युवाओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है, जो भटक चुके हैं तथा उग्रवाद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद आदि जगहों में कार्यक्रम होंगे।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

42. लोक संस्कृति का संरक्षण

बिहार राज्य भोजपुरी, मैथिली, बज्जिका, मगही एवं अंगिका भाषाओं के आधार पर पांच अंचलों में विभाजित है। प्रत्येक अंचल का कला–संस्कृति के दृष्टिकोण से अलग महत्व है। अतः इन क्षेत्रों की कला–संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास की दृष्टि से इस योजना का प्रारम्भ किया गया है। चालू वर्ष में मिथिला कला के विकास पर ध्यान दिया जायेगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

43. जननायक कर्पूरी ठाकुर ग्रामीण सांस्कृतिक शोध

यह नयी योजना है। बिहार के 5 आंचलिक क्षेत्रों यथा मगध, मिथिलांचल, भोजपुरी, बज्जिकांचल एवं अंग क्षेत्र की प्रचलित कलाओं पर शोध के दृष्टिकोण से इस संस्थान की स्थापना की जायगी। इसके लिए 5 अंचलों के लिए 5 आंचलिक भवन होंगे, जो कि उस क्षेत्र की कला को प्रतिबिम्बित करेंगे।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 550.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

44. सांस्कृतिक भवनों/प्रेक्षागृहों का विकास

राज्य में कई सांस्कृतिक भवन एवं प्रेक्षागृह हैं, जो कि ठीक स्थिति में नहीं है। इसे विकास एवं सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है। इसके तहत भारतीय नृत्य कला मंदिर, रवीन्द्र भवन, कालीदास रंगालय, विधापति भवन, प्रेमचन्द रंगशाला आदि प्रेक्षागृहों को विकसित किया जाना है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 0.00 लाख रू0)

45. डॉक्युमेंटरी फिल्म का निर्माण

इस योजना के तहत वैसे व्यक्तित्वों पर वृत्तचित्र निर्माण किया जाना है, जिनका कला के क्षेत्र में व्यापक योगदान रहा है। स्व0 भिखारी ठाकुर पर वृत्तचित्र के निर्माण की कार्रवाई की जा रही है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 40.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

46. अल्प सूचना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

इस योजना के तहत वैसे कार्यक्रमों का समावेश किया जाता है, जिसकी सूचना अल्प समय में दी जाती है अर्थात् जो पूर्व से निर्धारित नहीं रहता है। इसके अन्तर्गत विभिन्न जिला प्रशासनों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर कार्यक्रम, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी तथा कार्यरत संस्थाओं के अनुरोध पर आधारित कार्यक्रम किए जाते हैं।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 250.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 40.00 लाख रू0)

47. बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसर का निर्माण

ऐसे परिसर का निर्माण केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से किया जाता है। पटना में भारतीय नृत्य कला मंदिर परिसर में 200.00 लाख की लागत से परिसर का निर्माण किया जा रहा है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 200.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

ध. पुरातत्व निदेशालय

बिहार राज्य ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखता है। इस राज्य के अन्दर प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से जुड़े नवपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के पुरावशेष काफी संख्या में विद्यमान है। इसके अलावे काफी संख्या में प्राचीन स्मारक, पुरातात्विक स्थल, प्राचीन महल, किला, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि भी विद्यमान हैं। समुचित संरक्षण एवं संवर्धन के अभाव में प्राचीन स्मारक के अवशेष विनष्ट हो रहे हैं। अतएव 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के तहत् राज्य के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों एवं स्मारकों के संरक्षण, संवर्धन एवं सौन्दर्यीकरण करने का प्रस्ताव है ताकि इसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर लाया जा सके।

48. बिहार राज्य में अवस्थित महत्वपूर्ण 30 प्राचीन स्मारकों/पुरातात्विक स्थलों को पुरातत्व निदेशालय द्वारा '' बिहार प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला निधि अधिनियम 1976 '' के द्वारा सुरक्षित स्मारक घोषित किया गया है।

इन सभी सुरक्षित स्मारकों के संरक्षण, संवर्धन एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 तथा वार्षिक योजना के अन्तर्गत खर्च करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

49. बिहार राज्य में करीब 100 ऐसे भवन, किले, मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि हैं, जो ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। इनकी कला एवं स्थापत्य शैली अपने आप में अद्वितीय है। उचित देख–रेख एवं संरक्षण के अभाव में ये प्राचीन स्मारक एवं भवन विनष्ट हो रहे हैं। ये राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित नहीं है। अतएव ऐसे प्राचीन भवनों, किलों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चो आदि के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 तथा वार्षिक योजना के अन्तर्गत व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

50. बोधगया, छपरा, एवं मुजफ्फरपुर में पुरातात्विक थीम पार्क बनाने की योजना है जहाँ **UNESCO** द्वारा भारतवर्ष में घोषित **World Hegitage Mouments** का **Replica** बनाने की योजना है। इस पार्क का निर्माण महत्वपूर्ण पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर की जायेगी ताकि बोधगया, नालन्दा आदि स्थानों की तरह यहाँ भी देश एवं विदेश के पर्यटक आ सकें। इस प्रकार हमारी संस्कृति, कला एवं स्थापत्य का प्रचार–प्रसार दूसरे देशों में हो सकेगा। अतएव इस कार्य हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 तथा वार्षिक योजना के अन्तर्गत व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 15.00 लाख रू0)

51. भागलपुर एवं छपरा में प्रागैतिहासिक पार्क बनाये जाने की योजना है, जिसमें मानव को क्रमिक विकास की क्रमबद्ध श्रृंखला को दर्शाया जायेगा कि उसने शिकारी जीवन से कृषि जीवन तक के सफर को कैसे तय किया।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 50.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

52. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तर्ज पर चिरांद में एक पुरातात्विक संगहालय बनाने की योजना है। छपरा जिला में अवस्थित चिंराद में खुदाई के दौरान नवपाषण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ हड्डी के बने विभिन्न प्रकार के पुरावशेष काफी संख्या में प्राप्त हुए हैं। खुदाई द्वारा प्राप्त सभी पुरावशेषों को इस संग्रहालय में आम नागरिकों के देखने हेतु प्रदर्शित किया जायेगा। इससे लोगों में अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति जागरूकता पैदा होगी। अतएव चिरांद पुरातात्विक संग्रहालय बनाने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 तथा वार्षिक योजना के अन्तर्गत व्यय करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 25.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

53. लम्बित उत्खनन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रकाशन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना के अन्तर्गत खर्च करने की योजना है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 25.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

कला संस्कृति एवं खेल

10वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय उपलब्धि

(रू0 लाख में)

वर्ष	मूल उदव्यय	पुनरीक्षित उदव्यय	वास्तविक उदव्यय
2002–2003	783.28	636.00	162.00
2003–2004	505.13	293.54	329.13
2004–2005	775.99	775.99	745.82
2005–2006	1300.20	1100.20	913.25
2006–2007	2544.00	2744.00	2602.95
कुल–	**5908.60**	**5549.73**	**4753.15**

11वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–2008) : 2944.00 लाख रू0
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12): 16048.92 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- राज्य की खेल नीति का उद्वेश्य राज्य में ग्राम स्तर से राज्य स्तर तक खेल–खूद का चतुर्दिक विकास करना
- राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं तथा अन्य प्रतियोगिकताओं में पदक लेकर राज्य को गौरवान्वित करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करना ।
- राज्य के विश्वविद्यालयों में खेल–कूद को प्रोत्साहित करना । वित्तीय वर्ष 2005–06 से एक नई योजना प्रारंभ की गई है जिसके तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालयों को खेल–कूद के संचालन हेतु अनुदान स्वरूप राशि उपलब्ध कराई जाती है ।
- खेल–कूद तथा आधारभूत संरचना के विकास लिए कंकडबाग, पटना में स्पोर्टस क्लब का निर्माण किया जा रहा है ।
- जिन जिलों/अनुमंडलों में स्टेडियम नही हैं वहॉ इनका निर्माण किया जाऐगा ।
- राज्यकीय स्वास्थ्य एवं शरीरिक शिक्षण महाविद्यालय, राजेन्द्र नगर का विकास किया जाएगा जिसके अंतर्गत समतलीकरण/विभिन्न खेल क्षेत्र का निर्माण/तरण ताल का निर्माण/प्रार्चाय एवं शिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर के आवास तथा छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास सम्मिलित है ।
- जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्राहालय को बिहार के विभिन्न सांकृतिक ग्राम प्रक्षेत्रों के समन्वय के रूप में विकसित करना ।
- बिहार के संग्रहालयों में का वृहत संकलन है। भारत सरकार की नीति के आलोक में पुरातत्वशेषों एवं कलाकृतियों के संकलनों का A एवं A+ श्रेणी में वर्गीकरण कर डिजिटलीकरण करना ।
- संग्रहालयों में संकलित दुर्लभ पुरावशेषों/कलाकृतियों को प्रकृति से होने वाली क्षति से बचाने के लिए विभिन्न अंतराल पर रासायनिक उपचार करना ।

- प्रदर्श एवं चाक्षुषकला में अकादमी राज्य के ख्याति प्राप्त कलाकारों को सम्मान देने के तहत प्रतिवर्ष प्रदर्शन कला में 10 एवं चाक्षुष कला में 5 कलाकारों को सम्मानित किया जायेगा। प्रत्येक कलाकार को 21,000 रु. नकद, एक शाल एवं एक प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया है ।
- लोक संस्कृति के संरक्षण योजना बिहार के विभिन्न क्षेत्रों की कला–संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन एवं विकास की दृष्टि से प्रारम्भ किया गया है।
- बोधगया, छपरा, एवं मुजफ्फरपुर में पुरातात्विक थीम पार्क बनाने की योजना है जहाँ **UNESCO** द्वारा भारतवर्ष में घोषित **World Hegitage Mouments** का **Replica** बनाने की योजना है।
- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की तर्ज पर चिरांद में एक पुरातात्विक संगहालय बनाने की योजना है। छपरा जिला में अवस्थित चिंराद में खुदाई के दौरान नवपाषण युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं।

3.5 चिकित्सा शिक्षा सहित स्वास्थ्य एवं भारतीय औषधि पद्धति (आई.एस.एम)

जीवन की गुणवत्ता एवं जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक विकास विभिन्न परिवर्तनीय विकास का मिश्रित प्रतिफल है । लोगों का स्वस्थ्य रहना अब न सिर्फ उत्पादकता में वृद्धि और आर्थिक प्रगति का कारक है, वरन अपने आप में एक साध्य के रूप में जाना जाता है । आबादी के शोषित एवं वंचित तबकों पर विशेष ध्यान देने के साथ–साथ स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं पोषण–सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाकर इस कार्य को पूरा करना होगा ।

2. बिहार सरकार सामान्य जन के घर–घर में स्वास्थ्य सुविधा पहॅुचाने के लिए वचनबद्ध है । इसका प्रयास है कि ग्रामीण स्तर पर पर्याप्त आधारभूत संरचना विकसित की जाय । ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढॉचा को सरल एवं कारगर बनाकर ग्रामीण स्तर

पर स्वास्थ्य की बुनियादी आधारभूत संरचना को मजबूत करना है ताकि जनसामान्य को लाभ प्राप्त हो सके । राज्य ने महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी एवं महामारी संबंधी परिवर्तनों को झेला है, जिसके कारण स्वास्थ्य क्षेत्र की मॉग काफी बढ़ गई है । फलतः राज्य में स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना, मानव शक्ति दोनों चिकित्सीय और पारा चिकित्सीय कर्मचारियों की उपकरण, औषधि, उपभोग्य, उपस्कर और साज–सज्जा आदि में बड़ा अंतर आ गया है। सभी स्तरों पर वर्त्तमान स्वास्थ्य सुविधाएँ जीर्ण–शीर्ण स्थिति में है । राज्य मे स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग एवं आपूर्ति के बीच की खाई भी बढ़ चुकी है ।

दसवीं योजना की समीक्षा और ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य

3. स्वास्थ्य के लिए दसवीं योजना के पुनरीक्षित उद्व्यय 496.70 करोड़ रू0 के विरूद्व 524.08 करोड़ रू0 (105.51 प्रतिशत) व्यय हुए ।

4. ग्यारहवीं योजना की दृष्टिः–

- आधारभूत संरचना में सुधार
- स्वास्थ्य सूचकों में सुधार
- मानव बल की योजना बनाना
- क्षमता निर्माण
- स्वास्थ्य सेवा में सुधार
- कालाजार, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, मलेरिया एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर का उन्मूलन एवं अंधापन पर नियंत्रण

5. ग्यारहवीं योजना के उद्देश्यः–

- नव सृजित जिलों, अनुमंडलों, प्रखंडों एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में क्रमशः नये जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण
- वर्त्तमान स्वास्थ्य सुविधाओं का सुसज्जीकरण
- मानव बल का आयोजन
- चिकित्सकों एवं पारामेडिकलों को बहुदक्षता प्रशिक्षण और एस.बी.ए. (स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन) प्रशिक्षण
- जनस्वास्थ्य सुविधाकेन्द्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की दक्षता एवं गुणवत्ता में सुधार
- औषधि, उपभोज्य, उपकरण एवं निदान तंत्रों की आपूर्ति में वृद्धि हेतु सक्षम तार्किक प्रणाली का विकास एवं औषधि के यौक्तिक प्रयोग को प्रोत्साहित करना
- स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार

- कालाजार, कुष्ठ रोग, फाइलेरिया, मलेरिया एवं जापानी मस्तिष्क ज्वर का उन्मूलन एवं अंधापन पर नियंत्रण

6. स्वास्थ्य सेवाओं का वित्त प्रबंधः–

- राज्य में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में निधि की व्यवस्था राज्य, केन्द्र एवं वाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं द्वारा की जाती है ।

i. राज्य प्रक्षेत्रः– स्वास्थ्य एक प्रमुख प्रक्षेत्र है जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा निधि का उपबंध किया जाता है । राज्य सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के विकास एवं औषधि की भारतीय प्रणाली (आइ0एस0एम0) हेतु निधि का उपबंध करती है ।

ii. केन्द्र प्रक्षेत्रः– केन्द्र द्वारा उपबंधित निधि का उपयोग निम्नलिखित क्रिया कलापों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है :–

- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0 आर0 एच0 एम) का कार्यान्वयन
- एच0 आई0 वी0 / एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यथा, अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम, संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा रोग नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम राज्य में जुलाई,05 से ही एन0आर0एच0एम0 के अंतर्गत कार्यान्वित किए जा रहे हैं । एच0आई0वी0 / एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी द्वारा किया जाता है।

ii. बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाः– बाह्य सहायता विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय दाता एजेंसियों यथा विश्व बैंक, डी0एफ0आई0डी0, यूरोपीय आयोग एवं ग्लोबल निधि द्वारा एच0आई0वी0 / एड्स, टी0वी0 एवं मलेरिया (जी0एफ0ए0टी0एम0) के नियंत्रण हेतु राज्य को प्रदान किये जाते है ।

ग्यारहवीं योजना की रणनीति

7. **स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचना**

सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के क्षेत्र में केन्द्र सरकार के मानदंड एवं राज्य में विद्यमान आधारभूत संरचना के बीच की खाईयों को पाटने के लिए बहुत से उपायों की शुरूआत की है । आधारभूत संरचना में बहुत बड़ी खाईयाँ है, लेकिन सरकार ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान उन्हें पाटने पर विचार कर रही है । इसने नयी स्वास्थ्य सुविधाओं यथा उपकेन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेफरल अस्पताल अनुमंडलीय एवं जिला अस्पतालों के निर्माण हेतु विस्तृत योजना

तैयार की है । नव सृजित प्रखंडों, अनुमंडलों एवं जिलों में क्रमशः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुमंडलीय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है । प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1544 उपकेन्द्रों, 331 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 201 (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) सी0एच0सी0 एवं 25 रेफरल अस्पताल (एफ0आर0यू0) का निर्माण एवं उसका संचालन किया जाएगा । इसके अलावे, तीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है । इसके अतिरिक्त वैसी स्वास्थ्य सुविधायें, जिनकी स्थिति दनयनीय है, राज्य सरकार के भवन निर्माण विभाग की सहायता से सुसज्जित की जा रही हैं । चिकित्सा महाविद्यालय की रूपरेखा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधायें तथा जिला औषधि भंडार के पर्यवेक्षण का दायित्व पर्यवेक्षीय परामर्शी एजेंसी को सौपा जायेगा ।

8. मानव बल का आयोजन (Manpower Planning)

सरकार ने राज्य के उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, रेफरल अस्पतालों अनुमंडलीय अस्पतालों और जिला अस्पतालों में मानव बल की रिक्तियों का मूल्यांकन नियमित रूप से किया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में समय पर कारगर और गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतुं चार विशेषज्ञ चिकित्सकों और तीन सामान्य चिकित्सकों के पद सृजित किये गये हैं, और इन चिकित्सकों को सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहले ही पदस्थापित किया जा चुका है । विभाग ने रिक्तियों को पाटने के लिए 5000 सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों तथा 4000 पारा मेडिकल कर्मियों को संविदा के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया है । जिला स्वास्थ्य समितियों ने अल्प अवधि में सरल एवं सुगम साक्षात्कार का आयोजन किया है तथा 1500 चिकित्सकों, 7964 ए0एन0एम0 और 4000 श्रेणी 'क' नर्सों की भर्त्ती की है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों तथा पारामेडिकल कर्मियों के उपयुक्त पदस्थापन की प्रक्रिया विचाराधीन है।

9. औषधि एवं उपकरण का प्रबंध

प्रबंध प्रणाली की समीक्षा और औषधियों एवं उपकरणों के प्रबंध में गतिरोध की पहचान करने के बाद सरकार ने आवश्यक उपकरणों एवं अन्य औषधियों के प्रबंध को कारगर बनाया है । सरकार स्वास्थ्य केन्द्रों पर पहुॅचनेवाले रोगियों के लिए विभिन्न आवश्यक औषधियॉ उपलब्ध कराती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए आवश्यक औषधियों की संख्या –

2 / बहिर्वासी चिकित्सा (ओ0पी0डी0)– 22

2/ अन्तर्वासी चिकित्सा (इन्डोर) – 23

जिला के मुख्य अस्पतालों के लिए आवश्यक औषधियों की संख्या–

1 / बहिर्वासी चिकित्सा (ओ0पी0डी0)– 22

2/ अन्तर्वासी चिकित्सा (इन्डोर) – 107

10. **क्षमता निर्माण**

सरकार ने चिकित्सक, पारामेडिकल स्टाफ एवं प्रसव परिचारिकाओं को कुशल बनाने के लिए वृहत पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया है । एनेस्थीसिया की कमी एनेस्थीसिया में अल्पकालीन प्रशिक्षण द्वारा पूरी की जायेगी । ए0एन0एम0/ जी0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालयों को सुसज्जित किया जा रहा है एवं प्रशिक्षित नर्सो की आपूर्ति में वृद्धि के लिए उनके संचालन हेतु चरणबद्व तरीके से उपकरण दिये जा रहे हैं। 12 ए0एन0एम0 प्रशिक्षण विद्यालयों को संचालित करने के लिए शिक्षण स्टाफ को पदस्थापित किया जा रहा है । शेष 9 ए.एन.एम. प्रशिक्षण विद्यालयों का संचालन ग्यारहवीं योजना के दौरान होगा ।

11. **सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से स्वास्थ्य प्रदायी प्रणाली में सुधार**

जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्वास्थ्य प्रदायी सेवाओं में सुधार के लिए विभाग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 247 स्वास्थ्य सेवाओं की शुरूआत की है । निःशुल्क औषधि वितरण के साथ–साथ चिकित्सकों की उपलब्धता के परिणाम स्वरूप जनवरी, 06 और जून, 07 के बीच जनस्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की संख्या में कई गुणा वृद्धि हुई है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों की औसत मासिक संख्या में वृद्धि हुई है, जो जनवरी, 06 में 39 से बढ़कर जून, 07 में 2900 के लगभग हो गई है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी सेवायें निजी ऐजेंसियों को आऊटसोर्स कर दी गयी हैं, और 276 पैथोलॉजी इकाइयों की स्थापना की गई है जिसमें अब तक 200000 से अधिक पैथोलॉजी जॉच की गई है । पुनः 132 एक्सरे इकाईयों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त प्रमंडलीय मुख्यालायों में स्थापित

6 नियंत्रण कक्षों के माध्यम से करमुक्त आपातकालीन चिकित्सा, एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है और इन नियंत्रण कक्षों में अब तक 6000 से अधिक कॉल आ चुके हैं । अस्पताल अनुरक्षण सेवा एवं एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत निजी एजेंसियों के माध्यम से की गई है।

12. **आई0ई0सी0 एवं बिहेवियरल चेन्ज कम्यूनिकेशन** (बी0सी0सी0)

बी0सी0सी0 एवं आई0इ0सी0 कार्यक्रमों में वृद्धि की जा रही है । तत्काल सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों यथा दैनिक प्रतिरक्षण पल्सपोलियो, अंधापन नियंत्रण इत्यादि के लिए प्रचार अभियान की शुरूआत की है । सरकार ने ग्रामीणों के बीच उनकी मनोवृति एवं व्यवहार परिवर्तन के लिए समेकित बाल विकास स्कीम एवं पंचायती राज्य संस्थाओं के सहयोग से बी0सी0ई0/आई0इ0सी0 अभियान चलाने की योजना बनाई है ।

13. **स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार**

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र : लक्ष्य

(ऑकड़े .....में)

संकेतक	**वर्त्तमान**	**2012 तक**
शिशु मृत्यु दर (आई0एम0आर0) *	61	29
मातृत्व मृत्यु दर (एम0एम0आर0) **	371	200
कुल प्रजनन दर (टी0एफ0आर0) ***	4.3	2.1
सांस्थिक प्रसव सेवा	27	50
प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा प्रसव सेवा	23.4	90

श्रोतः

*   एस0आर0एस0, 2004,

**   2001, 2002, 2003 आर0आई0एम0ई0, आर0जी0आई0 के प्रयोग द्वारा मृत्यु का विशेष सर्वेक्षण,

***   केन्द्र सरकार, एस0 आर0 एस0,2002, एन0एफ0एच0एस0 (1998–99)

14. शिशु मृत्यु दर (आई0 एम0 आर0) में कमी

बिहार में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से उपर है और ग्यारहवीं योजना के अंत तक इसे प्रति 1000 जन्म दर पर 29 तक लाने का लक्ष्य है । इस प्रयोजनार्थ सरकार नवजातों की मृत्यु दर को सार्वभौम मानक पर लाने, गृह आधारित नवजातों की देखरेख और बेहतर स्तनपान तथा नवजात एवं बच्चों की बीमारी से संबंधित एकीकृत व्यवस्था को लागू करने की योजना बना रही है। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट (ASHAs), आंगनवाड़ी सेविकायें (AWWs), और ए0एन0एम0 जैसे तृणमूल स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को क्षमता निर्माण के माध्यम से इन क्षेत्रों में पहल करने के लिए सक्षम बनाया गया है तथा उप केन्द्रों को प्रोत्साहन एवं विपुल निधियॉ उपलब्ध करायी गयी हैं।

15. रूटीन प्रतिरक्षण (आच्छादन) में वृद्धि

रूटीन प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि विभाग की प्राथमिकताओं में से एक हैं । राज्य में प्रतिरक्षण आच्छादन में वृद्धि हेतु सरकार ने वैकल्पिक टीका डिलीवरी प्रणाली यथा निजी कुरियर जैसे अनेक नये कदम उठाये हैं, प्रतिसत्र के आधार पर लगभर 400 ए0एन0एम0 को ठेके पर रखा गया है । दूरस्थ क्षेत्रों में चलन्त भान प्रतिरक्षण अभियान और ऑगनबाड़ी केन्द्रों में विस्तार सत्र आरंभ किये गये हैं; इन उपायों से रूटीन प्रतिरक्षण को बल मिला है । पूर्ण प्रतिरक्षण 11 प्रतिशत (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 के अनुसार) से बढ़कर 32.8 प्रतिशत (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–3 के अनुसार) हो गया है। इसके अतिरिक्त, रूटीन प्रतिरक्षण में तेजी लाने हेतु विभाग द्वारा प्रतिरक्षण सप्ताह के आयोजन करने एवं बाल ट्रैकिंग प्रणाली लागू करने की कार्रवाई की जा रही है।

16. मातृत्व मृत्यु–दर (एम0एम0आर0) में कमीः

जननी एवं बाल सुरक्षा योजना (जे0बी0एस0वाइ0)

देश का पांचवॉ सर्वोच्च मातृत्व मृत्यु–दर 371 बिहार में है, जो 301 के राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। ग्यारहवीं योजना के अंत तक राज्य का लक्ष्य इसे घटाकर 200 करना है। इस प्रयोजनार्थ जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अधीन संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव के अतिरिक्त गर्भवती मातावों एवं नवजनत शिशु

का निबंधन भी किया जा रहा है। बाधित प्रसव की दशा में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्रों पर भेजने में विलम्ब होना मातृत्व की उच्च मृत्यु दर का बड़ा कारण है । रोगियों को समय पर भेजने के लिए सरकार ने डायल 102 पर एम्बुलेंस सेवा शुरूआत की है, जो कारगर कार्यान्वयन हेतु बाहरी आपूर्तिकर्त्ता से प्राप्त की गयी है। साथ ही, रोगियों को मातृ स्वास्थ्य की देखरेख के लिए निजी क्लिनिकों को प्राधिकृत किया जा रहा है तथा इमॉक, नवप्रसव और बाल स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला में रेफरल अस्पताल चालू किये जायेंगे । इस प्रयोजनार्थ रेफरल अस्पतालों को नया रूप दिया जा रहा है, उपकरण प्राप्त किये जा रहे हैं और विशेषज्ञों को तैनात किया जा रहा है । ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल परिचारिकाओं की उपलब्धता में वृद्धि हेतु सरकार ने उनका प्रशिक्षण आरंभ किया है। संस्थागत प्रसव की संख्या प्रतिमाह 7000 से बढ़कर 50000 हो गयी है । राज्य में उच्च मातृ मृत्यु दर के कारकों में अनेक सामाजिक आर्थिक कारण यथा –लड़कियों का कम उम्र में विवाह, कम उम्र में प्रथम संतानोत्पति, अस्वास्थ्यकर दशा में घर में प्रसव, संतोनोत्पति से संबंधित अनेक वर्जित कर्म और गर्भवती महिलाओं में रक्त की कमी आदि शामिल हैं । सरकार ग्रामीण व्यक्तियों की प्रवृति एवं व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए समेकित बाल विकास येाजना और पंचायती राज संस्थाओं के सहयोग से बी0सी0सी0 / आइ0इ0सी अभियान चलायेगा ।

17. कुल जनन क्षमता अनुपात में कमी

राज्य में कुल जनन क्षमता दर का स्थान देश की सर्वोच्च क्षमता दर में दूसरा है (राष्ट्रीय औसत 3.0 की तुलना में 4.2)। लेकिन ग्यारहवीं योजना के अंत तक इसे घटाकर 3.0 करने का लक्ष्य है । लोगों के विचार में परिर्वतन के माध्यम से लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि, प्रथम संतानोत्पत्ति में विलम्ब, प्रसव प्रक्रिया में पुरूषों की भागीदारी और गर्भ निरोधक की आवश्यकताएँ पूरी कर इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा । गर्भ निरोधक की आपूर्ति आवश्यकता को कम करने के लिए सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों पर परिवार नियोजन दिवस नियत किया है । कार्य दिवसों (सोमवार से शनिवार तक) को प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र पर बंध्याकरण एवं परिवार नियोजन शिविर चलाये जा रहे हैं।

परिवार नियोजन एवं बंध्याकरण सेवायें उपलब्ध कराने हेतु निजी स्वास्थ्य केन्द्रों एवं गैर सरकारी संगठनों को प्राधिकृत किया जा रहा है ।

18. चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों के लिए निजी निवेश

सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है । सरकार भूमि, जल एवं विद्युत के उपबंध को सरल एवं सुलभ बनायेगी और निलामी दस्तावेज तैयार करने की लागत में हिस्सेदारी करेगी। सरकार प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एकल विंडो प्रणाली अपनायेगा। अब तक राज्य को सात प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं और दो को अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जा चुके है ।

19. अति महत्वपूर्ण इकाई का गठन

सरकार अनेक अस्पतालों एवं चिकित्सा महाविद्यालयों में अतिमहत्वपूर्ण इकाइयों के गठन के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी प्रस्ताव को अपनायेगी ।

20. औषधीय विनिर्माण

औषधीय विनिर्माण के लिए निजी निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा क्योंकि राज्य में बहुत कम अनुपात में अपेक्षित औषधियों का विनिर्माण होता है । प्रत्येक वर्ष 1500 करोड़ रू0 की कुल वार्षिक मांग में मात्र 50 करोड़ रू0 की औषधियों का विनिर्माण राज्य में हो रहा है ।

21. शहरी स्वास्थ्य

ग्रामीण स्वास्थ्य के साथ–साथ शहरी स्वास्थ्य खासकर सरकारी सुविधा संबंधी सेवायें अपर्याप्त है; इसके लिए सार्वजनिक–निजी भागीदारी संभावित विकल्प हो सकता है ।

22. अंतर क्षेत्रीय सहयोग

अच्छा स्वास्थ्य जितना पेय जल, अस्पतालों एवं क्रियाशील स्वास्थ्य प्रणाली पर निर्भर करता है उतना ही महिला साक्षरता, पोषण, शिशु विकास, स्वच्छता, स्त्रियों के सशक्तीकरण आदि पर भी निर्भर करता है । इसे प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य, बाल विकास, शिक्षा, पेयजल, स्वच्छता संबंधी मामलों का निपटारा करने वाले विभिन्न विभागों के बीच कारगर ताल मेल की योजना बनायी गई है । ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गॉवों में पहले से विद्यमान स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति का

रूपांतरित रूप होगा । इन समितियों में ए0एन0एम0 और ए0एस0एच0ए0 भी सहयोजित होंगी ।

23. संक्रामक रोग

कुष्ठ एवं क्षय रोग जैसे संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में राज्य ने सफलता प्राप्त की है । संक्रमण नियंत्रण उपायों के कारगर कार्यान्वयन के लिए सरकार ने निवारक उपायों को प्रोत्साहित करने की योजना बनायी है ।

24. राष्ट्रीय रोगवाहक नियंत्रण कार्यक्रम

मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, डेंगू और जापानी मस्तिक ज्वर जैसे रोगों के निवारण एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय रोग वाहक नियंत्रण एवं सुरक्षा कार्यक्रम (अम्ब्रेला प्रोग्राम) है । राष्ट्रीय रोगवाहक नियंत्रण कार्यक्रम की रणनीति तीन चरणों में लागू की जा रही है : कीटनाशी दवाओं के छिड़काव के माध्यम से रोगों का एकीकृत नियंत्रण, आरंभ में रोगों की पहचान और उनका कारगर उपचार। सरकार द्वारा सभी स्तरों पर कर्मचारियों का प्रशिक्षण आरंभ किया जा रहा है तथा Information, Education & Communication (IEC)/Behavioural Change Communication (BCC) की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

25. मलेरिया

झारखंड से सटे हुए सात जिले मलेरिया से विशेष प्रभावित हैं । केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को मलेरिया निरोधी दवाओं और कीटनाशियों (यथा डी0डी0टी0 और सिंथेटिक पॉयरेथराइड) के रूप में सहायता उपलब्ध करायी जा रही है । मलेरिया की वर्त्तमान स्थिति (2006–07) 3.08 है जिसे 2008–09 के अंत तक कम कर 1.7 और 2011–12 के अंत में 1.4 तक किया जाएगा ।

26. कालाजार

काजाजार 31 जिलों में फैला हुआ है और सरकार ने इन क्षेत्रों में डी0डी0टी0 का छिड़काव आरंभ कर दिया है । इस वित्तीय वर्ष में लगभग 92 प्रतिशत लक्षित ग्रामीण टोलों में डी0डी0टी0 का छिड़काव पूरा किया जा चुका है । कालाजार के मामले शहरी क्षेत्रों में भी बहुत अधिक है इसलिए डी0डी0टी0 का छिड़काव शहरी क्षेत्रों में भी आरंभ किया जा रहा है । दवा में किसी प्रकार की कमी का मुकाबला करने के लिए एमफोटेरीशीन–बी0 हेतु दर संविदा आरंभ की गई है ।

कालाजार रोगियों के अबाधित उपचार को सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला चिकित्सा माहाविद्यालयों एवं अस्पतालों को एमफोटेरीसीन–बी की खरीद के लिए प्राधिकृत किया गया है । आर0के0 39 के शीघ्र एवं कारगर निदान हेतु राज्य में द्रुत नैदानिक किट्स का शुभारंभ किया जा रहा है । इस प्रकार की पहल से कालाजार रोग में कमी आयी है । कालाजार की वर्त्तमान दर 3.19 है, जिसके 2008–09 के अंत में कम होते हुए 2010 तक समाप्त हो जाने की आशा की जाती है । कालाजार रोगियों को भोजन के लिए प्रतिदिन 50 रू0 तथा निर्वाह और बीस दिनों तक परिचारक के लिए 50 रू0 दिये जाते हैं । कालाजार विशेषज्ञ डॉ0 सी0पी0 ठाकुर की अध्यक्षता में कालाजार पर राज्य टास्क फोर्स का गठन किया गया है ।

27. लसीका फाइलेरिया

सरकार ने दो वर्षों से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों के लिए गृह आधारित रूग्णता प्रबंध के अतिरिक्त डी0ई0सी0 टेवलेट की एक खुराक वर्ष में एक बार देने की शुरूआत की है । फाइलेरिया नियंत्रित करने के लिए सभी जिलों में जागरूकता पैदा करने और दवा खिलाने के लिए चलंत अभियान आरंभ किया गया है । सम्प्रति लघु फाइलेरिया की दर 1.1 है जो 2007–08 के अंत तक घटकर 0.7 हो जाएगी ।

28. जापानी मस्तिष्क ज्वर

जापानी मस्तिष्क ज्वर को नियंत्रित करने के लिए आरंभिक चरण में रोग का निदान और इसको नियंत्रित करना मुख्य रणनीति रही है ।

29. संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (आर0एन0टी0सी0पी0)

आर0एन0टी0सी0पी0 राज्य के सभी 38 जिलों में आरंभ किया गया है । पर्याप्त संख्या में स्टाफ की भर्ती की गई है और प्राप्ति प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाया गया है । बाहरी एजेंसी यथा विश्व बैंक और ग्लोबल फंड फॉर एड्स, ट्यूबरकुलोसिस एण्ड मलेरिया (जी0एफ0ए0टी0एम0) द्वारा इस कार्यक्रम में सहायता प्रदान की गई है। स्पुटम स्मीअर माइक्रोस्कोपी सेवा की स्कीलिंग, कलचर और ड्रग सेंसिटिविटी परीक्षण, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टी0बी आदि के लिए डी0ओ0टी0एस0 जैसी नयी पहल की शुरूआत की गई है । 2006–07 में

एन0एस0पी0 रोग की पहचान की वार्षिक दर 32.20 प्रतिशत थी जिसे 2008–09 के अंत तक 70 प्रतिशत हो जाने की संभावना है ।

30. राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम

बिहार में कुष्ठ की दर नवम्बर, 05 के अंत में प्रति 10000 (दस हजार) व्यक्ति 1.6 थी और इसमें 2006–07 में 1.6 प्रतिशत से कम होने की उम्मीद है ।

31. अंधापन नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम

बिहार में मोतियाबिन्द अंधेपन का प्रमुख कारण है और मोतियाबिन्द शल्यचिकित्सा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है । ऑपरेशन कैंप के माध्यम से आरंभ किए गये है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसिद्ध गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त इनपुट की मदद से ऑखों की जॉच के लिए कैंप चलाये जा रहे हैं । जिला अस्पतालों में अंधेपन के अनेक मामलों से निपटने के लिए सार्वजनिक–निजी आधार पर ऑखों की देखरेख हेतु इकाई स्थापित की जा रही है । 2006–07 में अंधेपन की वर्त्तमान दर 0.78 प्रतिशत थी जिसे 2008–09 के अंत तक घट कर 0.5 प्रतिशत होने की आशा की जाती है ।

32. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम

राज्य में मृत्यु का एक प्रमुख कारण कैंसर है और तम्बाकू का इस्तेमाल ही अधिकांश रोगियों की मौत के लिए जिम्मेदार है । विभाग की मुख्य रणनीति स्वास्थ्य शिक्षा, आरंभिक स्तर पर आम कैंसर की पहचान के माध्यम से और अप्रत्यक्ष रूप से इसके निवारण को सुलभ बनाते हुए कैंसर की रोकथाम करना है ।

33. राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

आधुनिक जीवन के तनाव के फलस्वरूप मानसिक रोगों में वृद्धि हो रही है । मानसिक स्वास्थ्य में सुधार हेतु आरंभिक स्तर पर रोगियों की पहचान, उनका पर्याप्त उपचार और पुनर्वास मुख्य रणनीति है। राज्य के विभाजन के पश्चात मानसिक अस्पताल बिहार के हाथ से निकल गये । राज्य सरकार ने भोजपुर जिला के कोइलवर में राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान की स्थापना की है ।

34. **चिकित्सा शिक्षा**

राज्य में सरकारी क्षेत्र में छः चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल तथा एक दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल हैं । इसके अलावा पटना में हृदय रोग विज्ञान में एक सुपर स्पेशियलिटी केन्द्र और एक मल्टी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल है । इन चिकित्सा महाविद्यालयों पर दबाव को कम करने और चिकित्सा शिक्षा में वृद्धि के लिए विभाग ने मधेपुरा, नालंदा, और बेतिया में तीन सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल खोलने का निर्णय लिया है। नालंदा में एक दंत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भी स्थापित किया जाएगा। तीन चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु दो करोड़ रू0 का उपबंध किया गया है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के मॉडल पर पटना जिला के फुलवारी शरीफ में अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से विशेषज्ञों की सेवा उपलब्ध कराते हुए स्वास्थ्य सेवा में वर्त्तमान के अंतर को कम किया जायेगा। इस संस्था के माध्यम से गुणात्मक चिकित्सा शिक्षा भी उपलब्ध करायी जायेगी जहॉ एक शिक्षा सत्र में एक सौ छात्रों को भर्ती किया जायेगा। राज्य सरकार ने राज्य में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हेतु जमीन अधिग्रहण करने के लिए निधि का उपबंध किया है ।

35. **आयुष**

राज्य में 11 आयुर्वेदिक, 5 यूनानी और 11 होमियोपैथिक अस्पताल के अतिरिक्त 311 आयुर्वेदिक, 143 युनानी, तथा 179 होमियोपैथी औषधालय हैं। आयुर्वेदिक, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होमियोपैथी पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सरकार ने लोक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एलोपैथिक डॉक्टर के साथ–साथ आयुष चिकित्सकों को पदस्थापित करने की योजना बनायी है। आयुष चिकित्सकों को परिवार कल्याण तथा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों में प्रशिक्षित एंव समंजित किया जायेगा ताकि इन कार्यक्रमों के अधीन अधिकाधिक लोगों को शामिल किया जा सके। आयुष के अधीन आवश्यक दवायें उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है ।

36. **राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम**

आंकड़ों के आधार पर बिहार उन राज्यों में है जहॉ एड्स/एच0आई0वी0 रोगियों की संख्या कम है । लगभग आठ जिलों में एच0आई0वी0 का प्रकोप अन्य जिलों की तुलना में ज्यादा है ।

37. **समेकित रोग निगरानी परियोजना**

हैजा, अतिज्वर, पोलियो, खसरा, मलेरिया, यक्ष्मा और एच0आई0वी0/एड्स सहित संक्रामक रोगों के आसन्न प्रकोप के लक्षणों को आरंभिक स्तर पर पहचान के लिए एकीकृत रोग निगरानी परियोजना आरंभ की गई है ताकि यथा समय कारगर कदम उठाये जा सकें । चालू रोग नियंत्रण कार्यक्रम की प्रगति की मॉनीटरिंग करने और अधिकाधिक स्वास्थ्य संसाधनों के आबंटन में सहायता के लिए परियोजना के तहत ऑकड़े भी उपलब्ध कराये जाएगे ।

वार्षिक योजना 2007–08 और ग्यारहवीं योजना के लिए प्रस्तावित स्कीम

38. सदर अस्पतालों का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 4000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 800.00 लाख रू0}

39. अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 21024.82 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 3865.00 लाख रू0}

40. अपूर्ण रेफरल अस्पतालों का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 700.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 100.00 लाख रू0}

41. लोक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 1266.40 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 266.40 लाख रू0}

42. स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 20000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 5000.00लाख रू0}

43. अतिरिक्त लोक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 5194.29 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 100.00 लाख रू0}

44. शहरी क्षेत्रों में राजकीय औषधालय भवन का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 250.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 50.00 लाख रू0}

45. अन्य जिला चिकित्सा पदाधिकारी के सरकारी आवासीय क्वार्टर का निर्माण

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 648.15 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 128.15 लाख रू0}

46. कर्मचारी राज्य बीमा की व्यवस्था

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 80.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 15.00 लाख रू0}

47. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राज्यांश)
{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 12494.29 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 12012.38 लाख रू0}

3.5.1 चिकित्सा शिक्षा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति

सरकार को राज्य में एलोपैथी चिकित्सा शिक्षा के साथ–साथ देशी चिकित्सा पद्धति का भी प्रचार–प्रसार करना है । राज्य में छः सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय और एक विशेष सुविधा प्राप्त (सुपर स्पेशियलिटी) अस्पताल हैं जिन्हें राज्य से सहायता प्राप्त हो रही है। विशेष सुविधा प्राप्त इंदिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान सार्वजनिक अस्पताल है और इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान एक स्वायत संस्थान है ।

2. खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिए चिकित्सा महाविद्यालयों का बेहतर रख–रखाव चिकित्सा शिक्षा सरकार का मुख्य उद्देश्य है । निजी संस्थाओं के साथ भागीदारी के माध्यम से सरकार द्वारा चिकित्सा शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है । भारतीय चिकित्सा परिषद तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद् की अनुशंसाओं के आधार पर नये चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पताल और दंत महाविद्यालय प्रस्तावित है ।

दसवीं योजना की समीक्षा तथा 11वीं योजना के लक्ष्य

3. चिकित्सा शिक्षा तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति हेतु 10वीं योजना के 177.15 करोड़ रू0 के पुनरीक्षित उद्व्यय के विरूद्ध 10वीं योजना के दौरान व्यय 181.86 करोड़ रू0 (102.66 प्रतिशत) था ।

4. **इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थानः** यह एक स्वायत्त संस्थान है जो स्वंय अपना संसाधन सृजित करता है । कमी की भरपाई राज्य सरकार से सहायता अनुदान द्वारा की जाती है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 3034.97 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 500.00 लाख रू0}

5. **पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटनाः** स्नातकोत्तर लड़कियों एवं लडक़ों के लिए छात्रावास तथा वर्ग– IV कर्मियों के लिए क्वार्टर का निर्माण किया जाएगा ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 7921.35 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 1305.00 लाख रू0}

6. **डी0एम0सी0एच0 दरभंगाः** एक 50 शय्या वाले नर्स होस्टल का निर्माण किया जाएगा तथा अन्य कार्य आरंभ किये जाएंगे ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 620.96 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 102.00 लाख रू0}

7. **ए0एन0एम0चिकित्सा महाविद्यालय, गयाः** शिक्षकों के लिए आवास का निर्माण ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 607.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 100.00 लाख रू0}

8. **ए0एन0एम0 चिकित्सा महाविद्यालय, गयाः** होस्टल और नर्स क्वार्टर का निर्माण प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 1566.97 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 258.15 लाख रू0}

9. **बिहार फिजियोथेरापी एवं कमर्शियल थेरापी महाविद्यालय :** एक अतिरिक्त भवन का निर्माण प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 2069.87 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 341.00 लाख रू0}

10. **इंदिरा गॉधी हृदय रोग संस्थान :** नर्स क्वार्टर और अन्य कार्यों का निर्माण प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 1569.51 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 258.60 लाख रू0}

11. **नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटनाः** नर्सेज स्कूल एवं हास्टल निर्माण की योजना प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 1214.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 200.00 लाख रू0}

12. **श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुरः** जल मीनार निर्माण आदि की योजना प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 586.30 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 96.59 लाख रू0}

13. **जवाहर लाल चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुरः** नर्सेज हॉस्टल एवं अन्य कार्यों की योजना प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 839.85 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 138.36 लाख रू0}

14. **नव स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयः** तीन नये स्थापित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों की स्थापना के लिए भूमि अर्जन की योजना प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 1214.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 200.00 लाख रू0}

स्वास्थ्य

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक खर्च
2002–03	11203.30	8794.65	8261.13
2003–04	10538.79	8238.79	8298.58
2004–05	8468.02	9368.02	8691.23
2005–06	9467.90	12946.90	12942.80
2006–06	10200.00	10322.00	14214.85
योग	49878.01	49670.36	52408.59

11वीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 22336.93 लाख रूपये
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) – 65163.66 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- ग्रामीण स्वास्थ्य आधारभूत संरचना के लिए केन्द्र सरकार के मापदंड एवं राज्य में विद्यमान आधारभूत संरचना के बीच खाइयों को पाटने के लिए बहुत से उपायों की शुरूआत की है ।
- नव सृजित प्रखंडों, अनुमंडलों एवं जिलों में क्रमशः पी0एच0सी0 अनुमंडलीय अस्पतालों एवं जिला अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है।
- प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1544 उपकेन्द्रों, 331 पी0एच0सी0, 201 सी0एच0सी0 एवं 25 एफ0आर0यू0 का निर्माण एवं उसका संचालन किया जायेगा ।
- चिकित्सा महाविद्यालय की रूपरेखा एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रूपांकन परामर्शी एजेंसी को रखा गया है ।
- चौबीस घंटे कारगर और गुणात्मक स्वास्थ्य सेवायें उपलब्ध कराने हेतु चार विशेषज्ञ चिकित्सकों और तीन सामान्य चिकित्सकों के पद सृजित किये गये हैं और इन चिकित्सकों को सभी प्राथमिक केन्द्रों पर पदस्थापित किया जा चुका है ।
- रिक्तियों को पाटने के लिए 5000 सामान्य चिकित्सकों और विशेषज्ञों तथा 4000 पारा मेडिकल कर्मियों को संविदा के आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया है ।

- जिला स्वास्थ्य समितियों ने अल्प अवधि के दौरान सरल और सुगम साक्षात्कार का आयोजन किया है तथा 1500 चिकित्सकों, 7964 ए0एन0एम0 और 4000 श्रेणी 'ए' की भर्ती की है ।
- आवश्यक एवं अन्य दवाओं की प्राप्ति के लिए अधिप्राप्ति प्रणाली को सुप्रवाही बनाया गया है । स्वास्थ्य सुविधा के लिए जरूरतमंद सभी मरीजों को आवश्यक दवायें एवं विभिन्न सुविधाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराना ।
- सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सरकार की ओर से अहर्निश (24x7) संबर्द्धित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का कार्य प्रंरभ कर दिया गया है।
- जनस्वास्थ्य केन्द्रों में एक महीना में मरीजों की औसत संख्या में वृद्धि हुई है, जो जनवरी 2006 में 39 से बढ़कर जून 2007 में 2900 के लगभग हो गयी है ।
- जनस्वास्थ्य केन्द्रों पर पैथोलॉजी एवं रेडियोलॉजी सेवायें निजी एजेंसियों को आउट सोर्स कर दिया गया है ।
- 276 पैथोलॉजी इकाईयों में अबतक 2,00,000 लाख से अधिक पैथोलॉजिकल जॉच की गयी है ।
- 132 एक्स-रे इकाईयों की स्थापना की गयी है ।
- प्रमंडलीय मुख्यालयों में स्थापित 6 नियंत्रण कक्षों के माध्यम से टॉल-फ्री आपात-कालीन चिकित्सा एम्बुलेंस सेवा का संचालन किया जा रहा है, जिसमें अबतक 6000 से अधिक कॉल आ चुके हैं ।
- अस्पताल अनुरक्षण सेवा एवं एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत निजी एजेंसियों के माध्यम से की गयी है ।

- विभिन्न कार्य क्रमों यथा- दैनिक प्रतिरक्षण, पल्स-पोलियो, अंधापन नियंत्रण इत्यादि के लिए प्रचार अभियान प्रारंभ किया गया है ।
- शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा सभी नवजात शिशुओं का व्यापक रूप से पता लगाने की योजना तैयार की गयी है। राज्य में
- प्रत्येक नगजात शिशु की देख-रेख निर्धारित मानक के अनुरूप की जायेगी।
- तृण-मूल स्वास्थ्यकर्त्ताओं यथा - ए0एस0एच0ए0, ए0डब्लू0डब्लू0एस0 और ए0एन0एम0 को क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन तथा उपकेन्द्रों को यथेष्ट निधि उपलब्ध कराकर सशक्त करना है ।
- राज्य में प्रतिरक्षण कवरेज में वृद्धि हेतु विभाग ने वैकल्पिक टीका डिलिवरी प्रणाली के निजी कुरियर जैसे अनेक नये कदम उठाये हैं, प्रतिसत्र के आधार पर लगभग 400 ए0एन0एम0 को ठेके पर, दूरस्थ क्षेत्रों में चलन्तभान प्रतिरक्षण अभियान और ऑजनबाड़ी केन्द्रों में प्रतिरक्षण विस्तार सत्र आरंभ किया गया है ।
- पूर्ण प्रतिरक्षण 11 प्रतिशत (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण - II, एन0एफ0एच0एस0-2) से बढ़कर 32.8 प्रतिशत (एन0एफ0एच0एस0-3) हो गया है ।
- राज्य में मातृत्व-मृत्यु-दर अनुपात में कमी लाने के लिए जननी एवं बाल सुरक्षा योजना के अधीन संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

- रोगियों को समय पर अस्पताल भेजने के कारगर उपाय हेतु बाहरी आपूर्तिकर्त्ताओं के माध्यम से 'डायल-102' एम्बुलेंस सेवा की शुरूआत की गयी है ।
- मातृ स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए निजी क्लिनिकों को प्राधिकृत किया जा रहा है ।
- सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु एकल विंडो प्रस्ताव में तेजी लायी जा रही है । राज्य में इस प्रकार के सात प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें से दो को अनाप्ति प्रमाण पत्र दिये जा चुके है। राज्य सरकार सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत कई चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में सशक्त विशेष इकाईयाँ स्थापित करेगी

3.6 पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता

बिहार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एक नोडल ऐजेंसी के रूप में कार्य करता है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति हेतु चापाकल/ड्रिल्ड नलकूप का निर्माण एवं पुराने बन्द चापाकलों की विशेष मरम्मती के कार्य किये जाते हैं। शहरी, अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन, पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की जॉच, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल हेतु आवश्यक व्यवस्था एवं सरकारी भवनों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधित कार्य इस विभाग के अधीन है। इसके साथ ही राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्वयन इस विभाग द्वारा किया जाता है।

2. विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित, पर्याप्त, दीर्घकालिक एवं टिकाऊ तथा सभी लोगों की पहुँच के अन्दर राज्य के सभी ग्रामीण टोलों में पेयजल की सुविधा एवं उपयुक्त स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित करना है, ताकि आम लोगों को शुद्ध एवं स्वच्छ वातावरण एवं बेहतर जीवन प्राप्त हो सके।

3. योजनाओं के माध्यम से पेयजलापूर्ति हेतु उन्नत एवं पर्याप्त आधारभूत संरचना का विकास करना है, ताकि ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो एवं उनकी उत्पादकता में वृद्धि हो तथा वे लोग दीर्घकालिक एवं स्थाई रूप से जीवन यापन कर सकें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधा का विकास करना विभाग की दूसरी प्राथमिकता वाला क्षेत्र है। विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता एवं स्वच्छता सुविधा के बेहतर उपयोग पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

10वीं पंचवर्षीय योजना काल की समीक्षा एवं 11वीं पचवर्षीय योजना का लक्ष्य

4. पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रक्षेत्र हेतु 10वीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षित उद्व्यय 34411.84 लाख रूपये था जिसके विरूद्ध 25653.89 लाख रूपये का व्यय हुआ है।

5. **वार्षिक येाजना 2007–08 एवं 11वीं पंचवर्षीय येाजना काल के लिए रणनीति**

- ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा हेतु निर्मित योजनाओं के संचालन एवं रख–रखाव हेतु इनका स्वामित्व पंचायत राज संस्थानों को सौपना ।
- पंचायत राज संस्थानों /स्वंय सेवी संस्थानों /अन्य भागीदारों की क्षमता का विकास ।
- अन्य विभागों, खास कर स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पंचायत राज विभागों से समन्वय ।
- जल गुणवत्ता प्रभावित एवं जल अभाव वाले क्षेत्रों में सरकारी निजी भागीदारी का विकास ।

- भू–जल रिचार्ज एवं भू–जल के दुरूपयोग के रोक हेतु नियमन।
- योजनाओं के लाभ को मद्देनजर उनका अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।

प्रस्तावित योजनाऍं

6. नाबार्ड द्वारा 13052.38 लाख रू0 की लागत पर 158 प्रखंड मुख्यालयों में पेयजलापूर्ति हेतु योजना की स्वीकृति दी गई है एवं इस योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस मद के अन्तर्गत और भी योजनाएँ ली जाऍंगी।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 13500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 3500.00 लाख रू0)

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

7. भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्त्तमान स्थिति के अनुसार राज्य की करीब 19 प्रतिशत ग्रामीण आबादी शौचालय सुविधा के साथ आच्छादित है। ग्रामीण आबादी अभी भी गंदगी के कारण मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव से अनभिज्ञ है। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत मुख्य कार्य गरीबी रेखा के नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर वाले परिवारों के लिए शौचालय, सभी विद्यालयों में शौचालय, सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय एवं सामुदायिक शौचालय के निर्माण के साथ उच्छिष्ठ ठोस एवं तरल पदार्थों का सुरक्षित निपटान करना है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यांश के रूप में परियोजना लागत राशि की 20–30 प्रतिशत राशि दी जानी है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 18000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 1800.00 लाख रूपये)

8. केन्द्र प्रायोजित त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत राज्य के 20 हजार तक की आबादी वाले 41 जनगणना शहरों में पाईप जलापूर्ति की व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा चयन किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 50 प्रतिशत राशि का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना था। चयनित शहरों में से 33 शहरों की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। 8 योजनाएँ चालू की गई है एवं शेष योजनाओं को वर्ष 2007–08 तक चालू करने का लक्ष्य है। अन्य 20–25 छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों की जलापूर्ति व्यवस्था के

उन्नयन की आवश्यकता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन योजनाओं को लिया जाना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 2000.00 लाख रूपये रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 300.00 लाख रूपये)

9. राज्य के सभी प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। इस योजना में राज्यांश की राशि 50 प्रतिशत एवं केन्द्रांश की राशि 50 प्रतिशत होती है। कुछ विद्यालयों में निर्मित पेयजल स्रोत पुराने हो गये है, जिनका जीवनकाल समाप्त हो गया है एवं उनके बदले नये पेयजल स्रोत का निर्माण किया जाना आवश्यक है ताकि संधारणीय स्रोत का निर्माण हो सके।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 10000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 700.00 लाख रूपये)

10. राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् अधिकांश रीग मशीन, हाइड्रोफ्रैक्चरींग मशीन एवं टी0 एम0 सी0 मशीन नव सृजित झारखण्ड राज्य के अधीन चले गये। बिहार राज्य के लिए अब एक हाइड्रोफ्रैक्चरींग मशीन, दो टी0 एम0 सी0 एवं पाँच रीग मशीन के साथ अनुषांगिक वाहनों की आवश्यकता है। भारत सरकार के मापदण्ड के अनुसार 50 प्रतिशत राशि राज्यांश मद से एवं 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश मद से दी जानी है। राज्यांश मद के लिए वर्ष 2007–08 हेतु 150.00 लाख एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए 800.00 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 800.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 150.00 लाख रूपये)

भारत निर्माण कार्यक्रम

11. भारत सरकार के पेयजलापूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा देश के सभी बचे अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित टोलों का आच्छादन दो वर्षों में तथा स्लीप्ड बैक के कारण उभरे अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित टोलों का आच्छादन 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेयजल सुविधा के साथ 4 वर्षों में करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार के मार्गदर्शन के अनुसार सब–मिशन की योजनाओं में राज्यांश मद से 25 प्रतिशत राशि दी जानी है।

(i) भू–गर्भीय संरचना एवं स्थानीय स्थिति के अनुसार गुणवत्ता प्रभावित टोलों में शुद्ध पेयजल के लिए वैकल्पिक चापाकल/सैनेटरी वेल/ ट्रीटमेंट यूनिट के साथ चापाकल का निर्माण किया जाना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 2000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 600.00 लाख रूपये)

(ii) सतही जल स्रोत की उपलब्धता के आधार पर नजदीक वाले गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए एक ग्राम/बहु ग्राम के आधार पर पाईप जलापूर्ति योजनाएँ ली जानी है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 7000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 600.00 लाख रूपये)

निर्माणाधीन/नई योजनाएँ (राज्य योजना)

12. भारत सरकार की सहायता से राज्य के 33 जिलों में जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं का सृजन किया गया है एवं वे कार्यशील हैं। इन प्रयोगशालाओं ि स्थापना मद का व्यय एवं रख–रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। आम आदमी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पेयजल गुणवत्ता की मोनिटरींग एवं निगरानी आवश्यक है। पेयजल नमूनों की नियमित जाँच, मैपिंग एवं उनका संधारण भी जरूरी है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 750.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 100.00 लाख रूपये)

13. केन्द्र प्रयोजित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान एवं स्वजलधारा कार्य के लिए विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है। साथ ही शहरी क्षेत्रों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन का दायित्व भी विभाग के जिम्में है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी विभिन्न अस्पतालों में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधा की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राशि दी जाती है। इस प्रकार विभाग का कार्य बोझ अप्रत्याशित रूप से काफी बढ़ गया है। इन सभी योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए विभाग के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार की आवश्यकता हो गई है। तदनुसार 10 कार्य प्रमण्डल, 2 कार्य अंचल, 3 मुख्य अभियंता, 2 रूपांकण एवं मोनेटरींग प्रमण्डल का सृजन किया जाना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 18000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 500.00 लाख रूपये)

14. पेयजलापूर्ति प्रक्षेत्र के लिए गुणवत्ता की मोनिटरिंग एक महत्वूर्ण पहलू होता है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 1200.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 200.00 लाख रूपये)

15. राज्य के पठारी/उप पठारी क्षेत्रों में भू–गर्भीय जल की उपलब्धता की जाँच आवश्यक है ताकि पेयजल स्रोत संपोषणीय (सस्टेनेबुल) हो सके। यूनिसेफ की सहायता से विभाग को एक टेरामीटर उपलब्ध कराया गया है, जिससे जियोफिजिकल सर्वेक्षण कार्य किया जाता है।

ग्रामीण/अर्द्ध शहरी/ शहरी क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था हेतु विस्तृत सर्वेक्षण कर परियोजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही गुणवत्ता प्रभावित एवं अभाव ग्रस्त क्षेत्रों में बहु–ग्राम पाईप जलापूर्ति योजना भी विस्तृत सर्वेक्षण कर तैयार किया जाना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 1000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 200.00 लाख रूपये)

16. ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ली गई पाईप जलापूर्ति योजनाओं को पूर्ण करना एवं पुरानी पाईप जलापूर्ति योजना के पुनर्गठन का कार्य करने की आवश्यकता है ताकि वेहतर पेयजलापूर्ति व्यवस्था हो सके। विद्यमान पाईप जलापूर्ति योजना के अन्तर्गत असफल जल स्रोत के स्थान पर नये जल स्रोत का निर्माण भी किया जाना है ताकि उनसे आम जनता को पूरा लाभ मिल सके।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 20256.12 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 5579.85 लाख रूपये)

17. आंशिक आच्छादित/ अनाच्छादित टोलों के आच्छादन हेतु नये चापाकल/ सैनिटरी कूप के निर्माण की जरूरत होती है। साथ ही पुराने चापाकलों का सेवाकाल समाप्त होने पर उनके स्थान पर नया चापाकल का निर्माण भी किया जाना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 16000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 5028.00 लाख रूपये)

18. योजनाओं के सफल कार्यान्वयन एवं उनके प्रभावकारी रख–रखाव के लिए विभागीय पदाधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है ताकि उनकी कार्य कुशलता एवं क्षमता में वृद्धि हो सके।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 100.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 15.00 लाख रूपये)

19. पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता प्रक्षेत्र में नयी तकनीक के विकास एवं उपयोग हेतु शोध एवं विकास कार्य किया जाना आवश्यक है ताकि उपयुक्त एवं कम खर्च पर स्थानीय आवश्यकता तथा स्थिति के अनुसार योजना ली जा सके जो उपभोक्ताओं द्वारा ग्राह्य हो।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 600.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 100.00 लाख रूपये)

20. समय पर योजनाओं के कार्यान्वयन एवं एतद् संबंधी निर्णय लेने के लिए सूचना प्रबंधन पद्धति का विकास आवश्यक है। इसके लिए मुख्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक के कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना है। इस कार्य में भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– रूपये 100.00 लाख)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– रूपये 5.00 लाख)

21. भू–जल के अत्यधिक दोहन से राज्य के कुछ क्षेत्रों में भू–जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हो रही है, जिससे प्रतिकूल पर्यावरणीय स्थिति एवं भू–जल असंतुलन का खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना है। ऐसी स्थिति को वृहत रूप से जल संरक्षण, भू–जल रिचार्ज एवं रेन वाटर हारभेस्टिंग अभियान चलाकर काफी हद तक रोका जा सकता है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 1200.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 250.00 लाख रूपये)

22. विभाग द्वारा राज्य के अधिकांश शहरी क्षेत्रों एवं सरकारी भवनों में पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा की योजनाओं का रख–रखाव किया जाता है। इन योजनाओं के रख–रखाव के दरम्यान उन्हें सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी कभी–कभी आ पड़ती है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– 1000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– 600.00 लाख रूपये)

23. श्मशानघाट स्थलों के विकास एवं आधुनिकीकरण की आवश्यकता है ।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय– रूपये 2000.00 लाख रूपये)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय– रूपये 0.00 लाख रूपये)

पेयजलापूर्त्ति एवं स्वच्छता

10वीं पंचवर्षीय योजना की वित्तीय उपलब्धि

राशि लाख में ।

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	3962.30	4455.30	3821.68
2003–04	5962.30	5217.30	5365.17
2004–05	5866.00	5866.00	2514.19
2005–06	9134.69	5827.24	4321.01
2006–07	16048.00	13046.00	9631.84
कुल	**40973.29**	**34411.84**	**25653.89**

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 – 20427.85 लाख रूपये
11वीं पंचवर्षीय योजना – 105506.12 लाख रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- शुद्व पेयजलापूर्त्ति के लिए उन्नत एवं पर्याप्त आधारभूत संरचना, खासकर ग्रामीणों के लिए विकसित करना ताकि उनके लिए बेहत्तर स्वास्थ्य उपलब्ध हो एवं उनकी उत्पादक क्षमता में विकास तथा जीवनयापन में टिकाऊपन प्राप्त किया जा सके ।
- पंचायत राज संस्थाओं को ग्रामीण जलापूर्त्ति एवं स्वच्छता की योजना के स्वामित्व को सुपूर्द करना ।
- पंचायत राज संस्थानों, स्वयं सेवी संस्थानों एवं अन्य भागीदारों की क्षमता में विकास।
- अन्य विभागों खासकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग एवं पंचायत राज विभाग के साथ समन्वय ।
- गुणवत्ता प्रभावित एवं जलाभाव वाले क्षेत्र में लोक निजी भागीदारी की खोज तथा बढ़ावा देना ।
- भूजल रिजार्च एवं भूजल के दुरूपयोग के रोक हेतु नियमन ।
- योजनाओं के लाभ में मद्देनजर रखते हुए उसकी मोनिटरिंग एवं इभैलूएशन ।

- नाबार्ड द्वारा 158 प्रखंड मुख्यालयों में पाईप जलापूर्त्ति हेतु 13052.38 लाख रू0 की योजना की स्वीकृति ।
- ग्रामीण आबादी अभी भी मानव स्वास्थ्य पर गंदगी के कारण पड़नेवाले कुप्रभाव से अनभिज्ञ है । संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे एवं गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों के लिए शौचालय निर्माण, विद्यालयों एवं ऑगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय निर्माण तथा सामुदायिक शौचालय निर्माण के साथ उच्छिष्ठ ठोस एवं तरल पदार्थो का सुरक्षित निपटान के कार्यो को लिया गया है ।
- शुद्व पेयजल की आपूर्त्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्धेश्य से जल नमूनों की जॉच के लिए 33 जिलास्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना की गयी है ।
- ग्रामीण शहरी एवं विभिन्न अस्पतालों में पेयजलापूर्त्ति एवं स्वच्छता के कार्यो के कार्यान्वयन हेतु 10 कार्य प्रमंडल, 2 कार्य अंचल एवं 3 मुख्य अभियंता के पदों के साथ 2 रूपांकण एवं मोनिटरिंग प्रमंडल की स्थापना का प्रस्ताव है ।

3.7 समाज कल्याण : महिला, बच्चे और विकलांग

समाज कल्याण विभाग सामाजिक परिवर्त्तन एवं विकास के एजेंट के रुप में महिलाओं, बच्चों और विकलांगों के सशक्तीकरण के मार्ग का अनुसरण करता है। महिलाओं, खासकर लड़कियों में शिक्षा को प्रोत्साहित कर और उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाएँ उपलब्ध कराकर सामाजिक सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। आर्थिक सशक्तीकरण से महिलाओं के नियोजन और आय पैदा करने वाले कार्य–कलापों में मदद मिलेगी। इन वचनबद्धताओं को पूरा करने हेतु क्षेत्र में कार्यरत सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा एकजुट प्रयास जारी रहेंगे।

2. समाज कल्याण विभाग के कार्यक्रमों से महिलाओं, बच्चों और विकलांगों की आवश्यकताएँ पूरी होती हैं। विभाग का उद्देश्य व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों का पुनर्वास तथा सामाजिक आर्थिक विकास और महिला सशक्तीकरण की विभिन्न स्कीमों को लागू करना है। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं और कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर को सुदृढ़ करना भी है।

दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य

3. समाज कल्याण हेतु दसवीं योजना के 701.08 करोड़ रु0 के पुनरीक्षित उद्व्यय के विरुद्ध दसवीं योजना अवधि में उपगत व्यय 664.09 करोड़ रु0 (94.72 प्रतिशत) था।

ग्यारहवीं योजना की झॉकी

4. कुपोषण की समाप्ति के लिए समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी. एस) के क्षेत्र एवं सेवा को व्यापक रुप देना ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य होगा। सभी बच्चों को पूर्णतः प्रतिरक्षित कर स्वस्थ बनाया जाएगा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा तक उनकी पहुॅच होगी। सामाजिक एवं आर्थिक रुप से महिलाओं को पूर्णतः सशक्त बनाने तथा सभी बच्चों के समुचित विकास के लिए अपेक्षित संरक्षण, शरण और सुविधाएॅ उपलब्ध कराने हेतु प्रयास किये जाएॅगे। शिशु सदन के लिए अपेक्षित भवन उपलब्ध कराये जाएॅगे और अधिकाधिक अनुरक्षण सदन खोले जाएॅगे। विकलांग व्यक्तियों को उपकरण उपलब्ध कराने हेतु स्कीम शुरु की जाएगी और लोगों को विकलांग बनने से बचाने के लिए प्रयास किये जाएॅगे। भिक्षावृत्ति का उन्मूलन किया जाएगा।

5. समेकित बाल विकास कार्यक्रम (आई.सी.डी.एस.) की सफलता श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों की कमी और आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए भवनों के अभाव के कारण बाधित हुई है। सभी 60,000 केन्द्रों में ऑगनबाड़ी कार्यकर्त्ता और ऑगनबाड़ी पर्यवेक्षिका का कम से कम एक–एक स्वीकृत पद है तथा इन श्रमिकों के बेहतर प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण से कार्यक्रम का अधिक कारगर ढंग से संचालन सुनिश्चित हो सकेगा। इसी प्रकार कमजोर समुदायों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन के लिए भवनों का निर्माण करना आवश्यक होगा। योजना की प्राप्ति एवं वितरण का कार्य ग्राम स्तर पर पोषाहार वितरण समिति (माताओं की समिति) को सफलतापूर्वक प्रत्यायोजित किया गया है, किन्तु समिति के सदस्यों की क्षमता में वृद्धि से सेवाओं की बेहतर मॉनिटरिंग और उन पर बेहतर नियंत्रण में उन्हें सहायता मिलेगी। समेकित बाल विकास स्कीम ने अब तक पोषण, प्रतिरक्षण एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा जैसी अन्य सेवाओं पर ध्यान फोकस किया है और स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है।

6. देखरेख या सुरक्षा के मुहताज या शारीरिक रुप से अशक्त बच्चों के लिए घरों एवं विद्यालयों की कमी है। सुरक्षा के मुहताज या कानून तोड़ने वाले बच्चों की देखरेख बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें जे.जे. होम्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन घरों की कमी का परिणाम है कि सभी जरुरतमंद बच्चों की देखरेख नहीं की जा सकती। शारीरिक एवं मानसिक रुप से अशक्त बच्चों के लिए विशेष विद्यालयों की कमी है तथा आंखों एवं कानों से अशक्त बच्चों के लिए विद्यमान विद्यालयों को सुदृढ़ करना आवश्यक है। विद्यालयों, छात्रावासों और अस्पतालों में निर्माण कार्य, मानवशक्ति एवं साधन की कमी (भवन एवं निर्माण विभाग में) के कारण अधूरे पड़े हैं। सभी स्तरों पर अनेक रिक्तियॉ कार्यक्रमों के पूरा होने में मुख्य अड़चन हैं। यद्यपि पंचायतराज संस्थाओं को प्रमुख स्कीमें लागू करने की शक्ति प्राप्त है, फिर भी सेवा प्रदान में सुधार के पूर्व उनके पदधारीकों एवं कर्मचारियों की क्षमता का भरपूर निर्माण आवश्यक होगा। व्यवसायिक पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसे रोजगार से जोड़ना आवश्यक है।

7. राज्य में दत्तक ग्रहण (एडौप्सन) कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के लिए दत्तक ग्रहण एजेंसी के रुप में कार्य करने हेतु सक्षम गैर सरकारी संगठनों को लाइसेंस उपलब्ध कराने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है। केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश का अनुपालन करते हुए राज्य दत्तक ग्रहण प्रकोष्ठ की सहायता से राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। दत्तक ग्रहण समन्वय एजेंसी द्वारा राज्य के लिए बिहार स्वयंसेवी समन्वय एजेंसी मनोनीत की गई है । छह वर्ष तक के बच्चों को शरण देने के लिए शिशुगृह की स्थापना की जायेगी।

8. विधवाओं को आवासीय सुविधाओं के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं है लेकिन अपने परिवार द्वारा त्यक्त विधवाओं को विपत्तिग्रस्त महिलाओं की कोटि में शामिल किया गया है और उन्हें अल्पावधि गृहों में आवासीय सुविधाऍ उपलब्ध कराई जाती हैं। ऐसी महिलाऍ जो अवैध व्यापार या घरेलू हिंसा की शिकार हैं अथवा जो परित्यक्त, अपने परिवार से निकाली गई विधवा आदि हैं, को आवासीय सुविधाऍ एवं क्षमता सृजन प्रशिक्षण देने के लिए बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा सीतामढ़ी, सीवान, नालन्दा, किशनगंज, जमुई, मधेपुरा, दरभंगा, औरंगाबाद,

गोपालगंज, पूर्वी चम्पारण, नवादा, पूर्णिया और अररिया में 14 अल्पावधि गृह चलाये जा रहे हैं। स्वधर (Swadhar) स्कीम के तहत दो गृह मुजफ्फरपुर और नवादा में कार्यरत है। महिला हेल्पलाइन ग्यारह जिलों यथा बेतिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, नालन्दा और जमुई में कार्यरत हैं। इसके अलावा बिहार के शेष 27 जिलों में चरणबद्ध रीति से हेल्पलाइन की स्थापना का प्रस्ताव है और महिलाओं को सहायता एवं सेवा उपलब्ध कराने के लिए अल्पावधि गृहों का निर्माण करते हुए प्रमंडलीय स्तर पर हेल्पलाइन से संबद्ध अल्पावधि गृहों का निर्माण किया जाएगा। विपदाग्रस्त महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास अल्पावधि गृहों का परम लक्ष्य होगा।

9. अवैध व्यापार की शिकार और अवैध व्यापार के उत्तरदायी अस्तित्व के निवारण, संरक्षण एवं पुनर्वास हेतु कार्य योजना अवैध व्यापार की शिकार वेश्याओं को पुनर्वास की सुविधाएँ उपलब्ध कराती है। अवैध व्यापार के शिकार बच्चों एवं महिलाओं के लिए जिन्हें सेक्स व्यापार के लिए बाध्य किया गया है, समुचित चिकित्सीय, शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की योजना बनाई गई है। यह नई योजना सिविल सोसाइटी संगठनों के माध्यम से निष्पादित की जाएगी, जिसमें समाज कल्याण विभाग की प्रस्तावित एकीकृत महिला विकास स्कीम के तहत वेश्याओं एवं उनके बच्चों के पुनर्वास की स्कीमें शामिल है। अवैध व्यापार, घरेलू हिंसा, वाणिज्यिक एवं यौन शोषण या अन्य प्रकार के शोषणों की शिकार महिलाओं के साथ जुड़े कलंक को दूर करने और निवारण एवं सामाजिक पुनर्वास को प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त जनचेतना अभियान की योजना बनाई गई है।

10. विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति :– समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ग IX और इससे उपर के वर्ग में अध्ययन करने वाले विकलांग छात्रों की विशेष देख रेख की जाती है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 2,500.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 500.00 लाख रुपये}

11. विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण :– पहचान पत्र–सह–अशक्तता प्रमाण पत्र निर्गत करने की योजना सहित राज्य में विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण प्रस्तावित है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 250.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 50.00 लाख रुपये}

12. विकलांगों के लिए वर्कशाप :– विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, पटना द्वारा उन्हें पॉच व्यवसायों– बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, चर्म उद्योग, टेलरिंग और वेल्डिंग में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस केन्द्र में पुराने उपकरणों एवं यंत्रों के आपूरण हेतु उपबंध किये गये हैं । दो नये व्यवसाय–इलेक्ट्रोनिक्स और विद्युत उपकरणों की मरम्मत चालू किये गये हैं और 2007–08 में नेत्रहीन छात्रों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 125.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 25.00 लाख रुपये}

13. अशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय की स्थापना :– अशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य अशक्तता आयुक्त, बिहार के एक स्वतंत्र कार्यालय की स्थापना 2006–07 में की गई थी।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 185.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 37.00 लाख रुपये}

14. महिला विकास निगम :– बिहार राज्य महिला विकास निगम महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान एवं उनके सशक्तीकरण हेतु विभिन्न स्कीमें लागू करता है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 300.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 60.00 लाख रुपये}

15. हेल्पलाइन महिला सशक्तीकरण :– 1999–2000 में चालू की गई इस स्कीम के माध्यम से ऐसी महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है जो घरेलू हिंसा की शिकार हैं या जो अपने पति, परिवार या समाज द्वारा त्याग दी गई हैं । सम्प्रति राज्य के 11 जिलों– पटना, भागलपुर, बेतिया, गया, मुजफ्फरपुर, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, नालन्दा और जमुई में हेल्पलाइन हैं । राज्य में महिला सशक्तीकरण के अन्य कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 3,200.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 1,860.00 लाख रुपये का अंश}

16. श्रमजीवी महिला होस्टल का निर्माण :– सेवाधीन महिलाओं को समंजित करने हेतु सभी प्रमंडलीय स्तर पर श्रमजीवी महिला होस्टल और शिशु सदन स्थापित किये जायेंगे ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1,750.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 1,860.00 लाख रुपये का अंश}

17. शिशु सदनों की स्थापना :– चरणबद्ध रीति से पटना सचिवालय, प्रमंडलीय कार्यालयों और अन्य स्थानों में शिशु सदन स्थापित किये जाएँगे जहां महिलाएं बड़ी संख्या में काम करती हैं ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1,250.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 1,860.00 लाख रुपये का अंश}

18. विपदाग्रस्त महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास :– अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1986 तथा घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के उपबंधों के अनुसार विपदाग्रस्त महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास हेतु संरक्षण गृह, अल्पावधिगृह और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये जाएंगे। सम्प्रति पटना में 100 शैय्या वाले गृह की स्थापना प्रस्तावित है और इतनी ही शैय्या वाला गृह प्रमंडलीय स्तर पर प्रस्तावित है । प्रस्तावित योजना में विधवा, परित्यक्त एवं अलग की गई महिलाएं शामिल हैं ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 500.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 1,860.00 लाख रुपये}

19. प्रदर्शनी/सेमिनार और सम्मेलन :– विकलांग व्यक्तियों और बच्चों के कल्याण हेतु विभिन्न सरकारी स्कीमों के संबंध में जागरुकता बढ़ाने और बच्चों को इनसे अवगत कराने हेतु यदा कदा प्रदर्शनी, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 250.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 50.00 लाख रुपये का अंश}

20. क्षेत्र पदाधिकारियों का प्रशिक्षण :– ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्र पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जायेगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 50.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 260.00 लाख रुपये का अंश}

21. क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण तथा सामाजिक उद्यमिता यूनिटों का विकास : अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1986 तथा घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के उपबंधों के अधीन अनैतिक व्यापार की शिकार महिलाओं के लिए चरणबद्ध रीति से क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी । प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य आय उपार्जित करने में सहायता करना होगा । ऐसे व्यक्तियों को आर्थिक रुप से स्वतंत्र बनाने में सहायता के लिए प्रशिक्षणोत्तर वित्तीय सहायता और व्यवसाय किट्स उपलब्ध कराये जाते हैं । इसके अलावा इन बचाई गयी महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु व्यवहार्य सामाजिक उद्यमिता यूनिटों को प्रोत्साहित किया जायेगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1,250.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 260.00 लाख रुपये का अंश}

22. विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण :– राज्य सरकार द्वारा आठ विशेष विद्यालय–पांच मूक–बधिर छात्रों के लिए और तीन नेत्रहीन छात्रों के लिए चलाये जा रहे हैं । इनमें से पांच विद्यालयों के पास समुचित भवन, होस्टल सुविधाएँ और अन्य आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । इन पांच विशेष विद्यालयों में भवनों एवं होस्टलों का निर्माण और उनका उन्नयन तथा अन्य आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएँ प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 2,000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 400.00 लाख रुपये का अंश}

23. बारहवां वित्त आयोग :– जे0जे0 अधिनियम के अधीन संरक्षणगृहों और विकलांग छात्रों के विशेष विद्यालयों के उन्नयन हेतु बारहवें वित्त आयोग द्वारा 2,000 लाख रुपये मंजूर किया गया है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 500.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 1,534.00 लाख रुपये का अंश}

24. 10 प्रेक्षणगृहों का निर्माण :– 2006 में यथा संशोधित किशोर न्याय (बच्चों की देख रेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले में किशोरों के लिए प्रेक्षणगृहों का निर्माण और अनुरक्षण अब अनिवार्य है । 10 प्रेक्षणगृहों के लिए भवन का निर्माण प्रस्तावित है जिसे दो वित्तीय वर्षों में पूरा किया जायेगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्‌व्यय : 600.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्‌व्यय : 1,534.00 लाख रुपये का अंश}

25. प्रेक्षणगृहों विशेष विद्यालयों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार :– समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्रेक्षणगृहों/विशेष विद्यालयों की मरम्मत और इनका जीर्णोद्धार आवश्यक है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्‌व्यय : 1,500.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्‌व्यय : 1,534.00 लाख रुपये का अंश}

26. बाल अधिकार सुरक्षा हेतु राज्य आयोग :– राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग अधिनियम, 2005 के अनुसार बाल अधिकारों की सुरक्षा हेतु राज्य आयोग गठित करने का प्रस्ताव है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्‌व्यय : 280.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्‌व्यय : 56.00 लाख रुपये}

27. बाल संरक्षण इकाई :– 2006 में संशोधित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अनुसार सभी 38 जिलों में राज्य स्तरीय बाल संरक्षण इकाई तथा जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई गठित करना अनिवार्य है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्‌व्यय : 3,435.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्‌व्यय : 687.00 लाख रुपये}

28. चरणबद्ध नीति से भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है । प्रशिक्षण केन्द्र सहित राज्य स्तरीय 100 शैय्या वाले भिक्षुक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी । भिक्षुकों के कौशल एवं अभिरुचि के अनुसार वित्तीय सहायता एवं उपकरण किट्‌स सहित अल्पकालीन आवासीय आय उत्पादन प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षणोत्तर वित्तीय सहायता एवं व्यवसाय किट

उन्हें वित्तीय रुप में स्वावलम्बी बनाने में सहायक सिद्ध होंगी । भिक्षुकों की पुनर्वास निधि हेतु राज्य का अंशदान अपेक्षित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1,000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 400.00 लाख रुपये का अंश}

29. उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्वास निधि :– वरिष्ठ नागरिकों के पुनर्वास हेतु चिकित्सा एवं मनोरंजन की सुविधाओं सहित राज्य स्तर पर गृह निर्माण प्रस्तावित है । इसका विस्तार प्रमंडलीय मुख्यालयों एवं जिलों तक चरणबद्ध रीति से किया जाएगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1,000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 400.00 लाख रुपये का अंश}

30. अशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्यमंत्री सामर्थ्य स्कीम, अस्तित्व सहायता एवं उपकरण – अशक्त व्यक्तियों के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास हेतु उनकी कठिनाईयों को दूर करने और उनकी आर्थिक क्षमता में वृद्धि करने के लिए टिकाऊ, स्तरीय और वैज्ञानिक रुप से विनिर्मित तिपहिया साइकिल उपलब्ध करायी जायेगी।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 2,500.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 500.00 लाख रुपये}

31. अशक्त व्यक्तियों के लिए नये विशेष विद्यालयों की स्थापना :– अशक्त छात्रों के लिए प्रमंडलीय स्तर पर (सिवाय पटना के) चरणबद्ध रीति से विशेष विद्यालयों की स्थापना की जाएगी ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1,000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 200.00 लाख रुपये}

32. जिलों में समाज कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना :– अशक्त व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों तथा समाज के अन्य विपत्तिग्रस्त एवं उपेक्षित वर्गों से संबद्ध कल्याण स्कीमों के निष्पादनार्थ सभी जिलों में संविदा के आधार पर समाज कल्याण पदाधिकारियों की भर्त्ती की जाएगी ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 460.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 92.00 लाख रुपये}

33. विशेष रुप से जरुरतमंद व्यक्तियों के लिए पुनर्वास निधि :– खासकर अशक्त व्यक्तियों की शिक्षा तथा उनके सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास की बाबत उनके जीवन की गुणवत्ता सुधार के लिए निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1955 के अधीन निधि प्रस्तावित की गयी है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 770.51 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 275.00 लाख रुपये}

34. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :– ''कन्या विवाह'' योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत, के कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/– (पॉच हजार) रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

35. कन्या सुरक्षा योजना :– इस योजना का उद्देश्य भ्रूण हत्या को रोकना तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कन्या को जन्म के समय मात्र 2000/– (दो हजार) रूपये की राशि प्रति कन्या एक मुश्त अनुदान के रूप में यू0टी0आई0 के चिल्ड्रेन कैरियर वैलेन्स्ड फंड अथवा कन्या सुरक्षा ट्रस्ट द्वारा निर्धारित फंड में कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 200.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

36. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम :– इस कार्यक्रम के अधीन ऑगनवाड़ी केन्द्र हेतु समेकित बाल विकास स्कीम के तहत भवनों का निर्माण किया जाना है । 10वीं योजना अवधि के दौरान 1.70 लाख प्रति ऑगनवाड़ी केन्द्र के विरुद्ध 110 ऑगनवाड़ी केन्द्र के भवनों के लिए उद्व्यय 787.00 लाख रुपये थी ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 2643.13 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 200.00 लाख रुपये}

पोषण

37. राज्य योजना के पोषण आहार के तहत 0–6 वर्ष आयु के प्रति बच्चे के लिए प्रति दिन 2.00 रु0, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिला के लिए 2.30 रु0 और 6 माह से 3 वर्ष की आयु वाले अत्यधिक कुपोषित प्रत्येक बच्चे के लिए 2.70 रु0 का उपबंध किया गया है । वर्ष में 300 दिनों तक प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 80 बच्चों, 16 गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली महिलाओं और 3 किशोरियों के लिए स्कीम में पोषाहार का उपबंध किया गया है । सम्प्रति 393 परियोजनाओं के अधीन 60,587 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, 2005–06 के अंत में राज्य की नयी 139 परियोजनाओं के अधीन 19,602 आंगनबाड़ी केन्द्र की मंजूरी दी गयी थी और इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य की पॉच नयी परियोजनाओं के अधीन और 113 आंगनबाड़ी केन्द्रों की मंजूरी दी जा रही है । इस प्रकार परियोजना और आंगनवाड़ी केन्द्रों की कुल संख्या क्रमशः 537 और 80,302 होगी । केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार 99 लाभार्थियों के लिए प्रति माह (25 दिन) प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 5,302.50 रु0 अनुमानित है । आशा की जाती है कि समेकित बाल विकास स्कीम के तहत हाल में मंजूर की गयी 144 परियोजनाऍ और 19,715 अतिरिक्त आंगनबाड़ी केन्द्र मार्च, 2007 तक चालू हो जायेंगे जिसके बाद 80,302 आंगनबाड़ी केन्द्रों में लाभार्थियों की कुल संख्या 79,49,898 हो जायेगी । इसके अलावा वर्ष में 300 दिनों तक 80 बच्चों (3–6 वर्ष के) 16 गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं और 3 किशोरियों के लिए 0.20 रु0 (औसत) की बल वर्द्धक मिसरी का उपबंध किया गया है । पोषाहार में लोहा और विटामिन ए जैसी कमी को दूर करने की समग्र नीति के एक अंग के रुप में बलवर्द्धक मिसरी का वितरण इसका लक्ष्य है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 183077.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 18515.09 लाख रुपये}

38. समेकित बाल विकास स्कीम की आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण :– एक ओर कुपोषण कम करने तथा दूसरी ओर पी.एस.ई. केन्द्र के रुप में आंगनबाड़ी केन्द्र को उत्क्रमित करते हुए भावी शिक्षा की नींव डालने के प्रयोजनार्थ क्षमता निर्माण हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना और जिला के लिए अपना पृथक भवन होना आवश्यक है । इसके अलावा कारगर प्रशिक्षण एवं साधन प्रोत्साहन कार्यक्रम हेतु

समेकित बाल विकास स्कीम के लिए राज्य, जिला और प्रखण्ड स्तर पर साधन केन्द्र भी आवश्यक है । नाबार्ड के प्रति आंगनबाड़ी केन्द्र 2.10 लाख की दर पर शौचालय एवं पेय–जल सुविधाओं सहित भवन निर्माण की योजना के वित्त पोषण हेतु सहमत हो गया है । ऋण के रुप में नाबार्ड का योगदान 85 प्रतिशत होगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 50,188.50 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 4,319.50 लाख रुपये}

39. एन पी ए जी :– राष्ट्रीय पोषाहार मिशन के अधीन समेकित बाल विकास स्कीम नेटवर्क के माध्यम से गया और औरंगाबाद जिलों में प्रत्येक कुपोषित किशोरी को प्रतिमाह 6 किलो चावल या गेहूँ वितरित किया जाता है । 35 किलो से कम वजन वाली किशोरी को कुपोषित माना गया है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 7,590.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 1,380.00 लाख रुपये}

40. प्रबंधन सूचना प्रणाली – इसके तहत सूचनाओं के संग्रहण के प्रणाली का विकसित करने का प्रस्ताव है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 100.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

41. दुलार नीति – इस नीति के तहत

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 408.10 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

42. एन एस ए पी : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम (एन ओ ए पी एस) :– इस स्कीम का शुभारंभ आरंभ में केन्द्र सरकार द्वारा अगस्त, 1995 में किया गया था । यह स्कीम शहरी क्षेत्रों में 5,500 रु0 और ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रु0 की वार्षिक आय वाले 65 वर्ष से अधिक आयु वाले वृद्धों के लिए है । केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निधि सीधे जिलों के जिला क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों को भेजी जाती है । 2002–03 में यह स्कीम राज्य सरकार की राज्य योजना को अंतरित की गयी थी । तब से राज्य को निधि का आवंटन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में किया जाता है । 2006–07 से भुगतान डाकघरों के बचत खाता के माध्यम से किया जा रहा है।

43. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ स्कीम (एन एफ बी एस) :– इस स्कीम के माध्यम से 18 से 65 वर्ष के आयु समूह के जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में गरीबी रेखा से नीचे के शोक संतप्त परिवार को 10,000 रु0 का अनुदान दिया जाता है। निधि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जिलों के जिला क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों को सीधे भेजी जाती थी । 2002–03 में स्कीम राज्य सरकार की राज्य योजना में अंतरित कर दी गयी और तब से राज्य को निधि का आवंटन अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रुप में किया जाता है । स्कीम का लक्ष्य वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है ताकि जीविकोपार्जन करने वाले व्यक्ति की मृत्यु की दशा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाला परिवार ऐसी आकस्मिकताओं से होने वाले वित्तीय आघात पर काबू पा सके ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 90,552.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 39,946.00 लाख रुपये}

44. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :– इस योजना के तहत, गरीब परिवार की विधवाओं जिनकी वार्षिक आय 30,000/– रू0 तक हो तथा जिनकी उम्र 18 से 64 वर्ष तक हो उन्हें 200/– रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किया जायेगा। इस योजना का आगामी वित्तीय वर्ष से भौतिक लक्ष्य 2 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाना है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 2000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

45. बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :– इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में रहने वाले वैसै विकलांग व्यकित्त जिनकी वार्षिक आय 30,000/– रू0 तक हो तथा जिनकी उम्र 18 से 64 वर्ष तक हो, को 200/–रू0 प्रतिमाह की दर से पेंशन प्रदान किया जायेगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 2000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

46. विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधीन व्यक्तिगत पेंशनरों के लिए व्यक्तिगत दुर्धटना बीमा योजना :– राज्य सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पेशनरों के व्यक्तिगत दुर्घटना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

तथा विकलांगों को बिहार राज्य विकलांगता स्कीम के तहत पेशनरों के व्यक्तिगत दुर्घटना हेतु एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पेशनरों को भुगतान पोस्ट ऑफिस में संधारित उनके बचत खाता के माध्यम से किया जायेगा। व्यक्तिगत मृत्यु के मामले में इन पेशनरों को ओरियेन्टल इन्सोरेन्स कम्पनी के द्वारा 1 लाख रू0 की बीमा राशि का भुगतान कराया जायेगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 244.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

47. 60 से 64 वर्ष के वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना– राज्य सरकार द्वारा 60 से 64 वर्ष तक के आयुवर्ग के वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन राज्य कोष से प्रदान किया जाना है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धों को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, विधवाओं को लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना तथा विकलांगों को बिहार राज्य विकलांगता स्कीम के तहत लाभान्वित किया जाना है। बिहार राज्य में 60 वर्ष की आयु से उपर के वृद्धजन को बिहार सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत योग्य माना जायेगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 1000.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

48. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना – गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को उनके परिवार के सदस्यों की मृत्यु पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। योग्य व्यक्ति को 1,500/– रूपये अन्त्येष्टि हेतु प्रदान किया जायेगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय : 600.00 लाख रुपये}

{वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय : 0.00 लाख रुपये}

समाज कल्याण विभाग

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वित्तीय उपलब्धि

(लाख रूपये में)

वर्ष	वास्तविक उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	4351.95	2287.07	4021.24
2003–04	5115.25	5057.23	4266.76
2004–05	5211.69	5711.69	3880.51
2005–06	13890.04	23233.56	24353.83
2006–07	42675.00	33818.85	32886.93
कुल	71244.83	70108.4	66409.27

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) : 71146.59 लाख रूपये
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) : 368258.24 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- कुपोषण के उन्मूलन हेतु समेकित बाल विकास परियोजना की सेवायें एवं विस्तार को सभी क्षेत्रों में लागू करना।
- सभी क्षेत्रों में यथा सामाजिक तथा आर्थिक रूप से महिला सशक्तिकरण का प्रयास किया जाना तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमन्द बालकों के समुचित विकास हेतु आवासीय एवं अन्य सुविधाएँ प्रदान करना।
- सभी 60,000 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कम से कम एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं पर्यवेक्षिका के पदो की स्वीकृति तथा इनका प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण ताकि कार्यक्रम को कुशलतापूर्वक चलाया जा सके।
- पोषण सामग्री की प्राप्ति एवं वितरण का कार्य पोषाहार वितरण समिति (ग्राम स्तर पर माताओं की एक समिति) को प्रत्यायोजित।
- राज्य में दत्तक ग्रहण कार्यक्रम प्रोत्साहित करने हेतु एक कार्य योजना बनायी गयी है ताकि सक्षम स्वैच्छिक संस्थाओं को दत्तक ग्रहण संस्था के रूप में कार्य करने की मान्यता दी जा सके।

- केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, के द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के अनुपालन में राज्य दत्तक ग्रहण कोषांग के सहयोग से एक राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन।
- बिहार वॉलेन्टरी कोआर्डिनेटिंग एजेन्सी (एक गैर सरकारी संस्था) को राज्य मे दत्तक ग्रहण समन्वय संस्था के रूप में मान्यता दी गयी है। 6 वर्ष उम्र तक के बालकों के आवासन हेतु शिशु गृह की स्थापना की जायेगी।
- बिहार राज्य समाज कल्याण बोर्ड द्वारा कठिन परिस्थितियों में रह रही महिलाओं यथा अनैतिक व्यापार एवं घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को आवासीय सुविधा प्रदान करने एवं उनकी क्षमता संवर्धन प्रशिक्षण हेतु 14 अल्पावास गृह संचालित किये जा रहे है।
- ग्यारह जिलों में महिला हेल्पलाईन संचालित है।
- चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी जिलों में हेल्पलाईन का गठन तथा विधवाओं को सहयोग एवं सेवायें प्रदान करने हेतु हेल्पलाईन के साथ एक अल्पावास गृह को जोड़ना।
- प्रमंडलीय स्तर पर अल्पावास गृहों की स्थापना प्रस्तावित है जिससे महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में जोड़नें में मदद मिलेगी।
- अनैतिक व्यापार से पीड़ित व्यक्तियों के बचाव, संरक्षण एवं पुनर्वास की कार्ययोजना ''अस्तित्व'' द्वारा अनैतिक व्यापार के शिकार यौन कार्यकर्ता के पुनर्वास की व्यवस्था।
- मानव व्यापार से पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों, जो यौन व्यापार में घकेल दिये गये है, हेतु समुचित चिकित्सीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास की व्यवस्था।
- समाज कल्याण विभाग की प्रस्तावित समेकित महिला विकास योजना के अंतर्गत नवचारी योजना का कार्यान्वयन नागरिक संस्थाओं द्वारा किया जाना है जिसमें यौन कार्यकर्त्ता एव उनके बच्चों का पुनर्वास योजना सम्मिलित है।

- समाज कल्याण विभाग द्वारा पटना में संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु 5 ट्रेडों यथा लौह कला, काष्ठ कला, चर्म कला, वेल्ड़िग तथा टेलरिंग में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- कामकाजी महिलों को शिशुसदन की सुविधा देने हेतु पटना सचिवालय, प्रंमडलीय कार्यालयों एवं अन्य स्थानों पर जहॉ ज्यादा संख्या में महिलायें कार्य करती है, शिशुसदन की स्थापना चरणबद्ध तरीके से की जायेगी।
- मुख्य मंत्री सामर्थ्य योजना के अधीन विकलांगजनों के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक एवं मानसिक पुनर्वास हेतु उन्हें टिकाउ, सुविकसित, मानकीकृत और वैज्ञानिक तरीके से तैयार किये गये तिपहिया साईकिल प्रदान करने का प्रस्ताव है।

परिशिष्ट 3.1

प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रू० में)

क्र0	कार्यक्रम का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय
क	**प्रारम्भिक शिक्षा**		
1.	सर्व शिक्षा अभियान	248662.56	0.00
2.	कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय	9157.65	0.00
3.	एन० पी० ई० जी० ई० एल०	12210.20	0.00
4.	मध्याह्म भोजन योजना	118438.94	19400.00
5.	टेस्ट बुक, पाठ्यक्रम, पूरक पुस्तकें, शिक्षण अधिगम सामग्री के विकास हेतु कार्यशाला का आयोजन	518.93	85.00
6.	शिक्षक प्रशिक्षण	51.89	8.50
7.	पूर्वोतर विज्ञान केन्द्र हेतु राज्यांश	3.05	0.50
8.	सभी जिलों में अंग्रेजी भाषायी शिक्षण केन्द्रों की स्थापना (ELTI)	305.26	50.00
9.	प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग का कम्प्यूटरीकरण	61.05	10.00
10.	बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन	6105.10	00.00
11.	मध्याह्म भोजन कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु बी० ई० पी० में कोषांग	152.63	25.00
ख	**वयस्क शिक्षा**		
1.	सम्पूर्ण साक्षरता अभियान	3052.55	500.00
2.	जीवन कौशल केन्द्र की स्थापना	235.05	38.50
	योगः	**398954.86**	**20117.50**

परिशिष्ट 3.2

माध्यमिक शिक्षा

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रू० में)

	योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का उद्व्यय	वर्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
	(सी) मध्यमिक शिक्षा विद्यालय भवन निर्माण		
(क)	अतिरिक्त वर्ग कक्ष निर्माण/राजकीय /राजकीयकृत विद्यालयों का उत्क्रमण एवं आदर्श विद्यालय	52570.52	3416.00
(ख)	सैनिक विद्यालय भवन निर्माण	3600.00	600.00
(ग)	प्रमंडलीय मुख्यालय में शिक्षा भवन का निर्माण	450.00	450.00
15	दो आवासीय विद्यालय भवन निर्माण	250.00	50.00
16	माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा (I.C.T@ Schools)	3272.42	100.00
17	उच्च विद्यालयों के शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण	260.00	50.00
18	छात्रों का शैक्षणिक परिभ्रमण	450.00	50.00
19	व्यवसायिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण	290.00	50.00
20	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों का जीर्णोद्धार	500.00	0.00
21	माध्यमिक शिक्षा के योजनाओं का अनुश्रवण	50.93	10.00
	मध्यमिक शिक्षा का योग	**66193.87**	**4776.00**

परिशिष्ट 3.3

उच्च शिक्षा

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रू० में)

(डी) उच्च शिक्षा योजना का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का उद्व्यय	वर्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय	2000.00	400.00
'यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा'	12000.00	2000.00
"आर्यभट्ट प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना	415.00	100.00
कॉरपस फण्ड	2000.00	0.00
विश्वविद्यालयों को विकास सहायता	13781.32	2000.00
सूर्य नारायण सिंह समाजवादी शोध संस्थान	90.00	10.00
विभिन्न अकादमियों को सहायता	78.50	12.50
उच्च शिक्षा का योग	**31592.57**	**4522.50**

परिशिष्ट–3.4

कला, संस्कृति एवं युवा

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रू० में)

कला, संस्कृति एवं युवा
खेल–कूद एवं युवा
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना 2007–08

क्रमांक	योजना का नाम	कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में) 2007–12	कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में) 2007–08
1	खेल सम्मान समारोह का आयोजन	100.00	20.00
2	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय टूर्नामेंट का आयोजन	100.00	15.00
3	अन्तर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय / राज्य स्तरीय टूर्नामेंट में सहभागिता	75.00	10.00
4	राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में खेल–कूद को प्रोत्साहन	60.00	10.00
5	खिलाड़ी कल्याण कोष	40.00	5.50
6	राष्ट्रीय सेवा योजना–राज्यांश	410.92	67.50
7	स्पोर्ट्स कम्पलेक्स कंकड़बाग, पटना का निर्माण	2500.00	500.00
8	स्पोर्ट्स कम्पलेक्स सहरसा का निर्माण	228.00	37.00
9	मोईनुल हक स्टेडियम, पटना का अनुरक्षण रख–रखाव	800.00	40.00
10	राज्य के पूर्वनिर्मित स्टेडियम का अनुरक्षण एवं विकास	600.00	75.00
11	जिला–अनुमण्डल स्तरीय स्टेडियम का निर्माण	2593-86	300.00
12	राजकीय स्वास्थ्य एवं शा0शि0 महाविद्यालय राजेन्द्र नगर, पटना का विकास	2000.00	50.00
13	स्पोर्ट्स कम्पलेक्स, छपरा का निर्माण	327.00	50.00
14	जलालपुर ब्लॉक मुख्यालय, सारण के उच्च विद्यालय के खेल मैदान में स्टेडियम का निर्माण	300.00	12.00
	योग	**10134.78**	**1192.00**

संग्रहालय निदेशालय

क्रमांक	योजना का नाम	कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में) 2007–12	कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में) 2007–08
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, पटना का स्थापना संधारण एवं रख–रखाव	20.00	20.00
2	संग्रहालयों में दीर्घा विभाग	56.00	15.00
3	पुरावशेषों / कलाकृतियों का डिजिटल डाक्यूमेंटेशन	10.00	2.00
4	संग्रहालयों में कारगर सुरक्षा व्यवस्था	100.00	25.00
5	संग्रहालयों में लैण्ड स्केपिंग एवं उद्यान विभाग	30.00	5.00
6	सांस्कृतिक सम्पदाओं का संरक्षण	10.00	2.00
7	गैर–सरकारी संग्रहालयों को सहयाक अनुदान	50.00	10.00
8	कैटलॉग का प्रकाशन	20.00	5.00
9	पटना संग्रहालय के कर्मियों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण	100.00	5.00
10	संग्रहालयों में प्रकाश व्यवस्था	60.00	11.00
11	पटना संग्रहालयों का उन्नयन, प्रदर्शन तकनीक में विभाग एवं वातानुकूलन की व्यवस्था सहित	300.00	300.00
	योग	**756.00**	**400.00**

सांस्कृतिक निदेशालय

क्रमांक	योजना का नाम	कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में) 2007–12	कर्णांकित उद्व्यय (लाख रु0 में) 2007–08
1	सांस्कृतिक वातावरण निर्माण	125.00	25.00
2	अल्प सूचना पर सांस्कृतिक कार्यक्रम	250.00	40.00
3	अन्तर्राष्ट्रीय / अन्तर्राज्जीय सांस्कृतिक आदान– प्रदान	90.00	20.00
4	गणतंत्र और स्वतंत्रता दिवस समारोह	17.00	3.00
5	बहूद्देशीय सांस्कृतिक परिसर पटना का निर्माण	200.00	20.00
6	बिहार संगीत नाटक अकादमी को प्रदर्श कला के कार्यक्रम हेतु अनुदान	200.00	30.00
7	बिहार ललित कला अकादमी का चाक्षुष कला के कार्यक्रम हेतु अनुदान	90.00	0.00

8	भारतीय नृत्य कला मंदिर, पटना के संगीत महाविद्यालय के रूप में विकास हेतु अनुदान	250.00	30.00
9	चाक्षुष एवं प्रदर्श कला में अकादमी पुरस्कार	20.00	5.00
10	चाक्षुष एवं प्रदर्श कला के संबंधित पत्रिका का प्रकाशन	20.00	4.00
11	चाक्षुष एवं प्रदर्श कला से संबंधित डाक्यूमेंटेशन	50.00	5.00
12	राज्य सांस्कृतिक महोत्सव	355.05	50.00
13	कलाकार कल्याण कोष	30.00	5.00
14	राष्ट्रीय युवा उत्सव एवं अन्य उत्सवों में राज्य की सहभागिता	50.00	10.00
15	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्य{मों का आयोजन	50.00	10.00
16	लोक संस्कृति का संरक्षण	20.00	5.00
17	जन नायक कर्पूरी ठाकुर ग्रामीण संस्कृति शोध संस्थान की सीापना	550.00	10.00
18	वृत्त चित्र का निर्माण	40.00	5.00
19	संस्कृति भवन/सभागारों का विकास	50.00	0.00
	योग	**2457.05**	**292.00**

पुरातत्व निदेशालय

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रस्तावित राशि (लााख रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए प्रस्तावित राशि (लााख रु0 में)
1	राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित सभी पुरातात्विक स्मारकों /स्थलों का संरक्षण, संवर्धन एवं सौन्दर्यीकरण	100.00	20.00
2	राज्य सरकार द्वारा सुरक्षित घोषित नही किये गये प्राचीन भवनों का संरक्षण एवं संवर्धन	50.00	5.00
3	बोधगया, छपरा एवं मुजफ्फपुर में पुरातात्विक थीम पार्क का निर्माण	100.00	15.00
4	भागलपुर एवं छपरा में प्रागैतिहासिक युगीन पार्क का निर्माण	50.00	10.00
5	चिरान्द (छपरा) में पुरातात्विक संग्रहालय का	25.00	5.00

	निर्माण		
6	प्रकाशन	25.00	5.00
	योग	**350.00**	**60.00**
	12वां वित्त आयोग	3000.00	1000.00
	विरासत संरक्षण के लिए अनुदान		
	कुल योग	**16697.83**	**2944.00**

परिशिष्ट – 3.5

स्वास्थ्य

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्व्यय	2007–08 के लिए उद्व्यय
1	सदर अस्पताल का निर्माण	4,000.00	800.00
2	अनुमंडलीय अस्पतालों का निर्माण	21,024.82	3,865.00
3	अधूरे रेफरल अस्पतालों का निर्माण	700.00	100.00
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	1,266.40	266.40
5	स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण	20,000.00	5,000.00
6	अतिरिक्त प्रा0 स्वा0 के0 का निर्माण	4,700.00	100.00
7	शहरी क्षेत्रों में राजकीय औषद्यालयों का निर्माण	250.00	50.00
8	अन्य जिला चिकित्सा पदा0 के लिए आवासीय भवनों का निर्माण	648.15	128.15
9	कर्मचारी राज्य बीमा की स्थापना	80.00	15.00
10	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (राज्यांश)	12,494.29	12,012.38
	योग	**65,163.66**	**22,336.93**

चिकित्सा शिक्षा एवं भारतीय औषध प्रणाली

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रुपये में)

क्रमांक	योजना	ग्यारहवीं योजना के लिए उद्व्यय	2007–08 के लिए उद्व्यय
1	इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान को अनुदान	3,034.97	500.00
2	पी0एम0सी0एच0, पटना में चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के लिए क्वाटर, स्नातकोत्तर छात्राओं एवं छात्रों के लिए छात्रावास निर्माण हेतु	7,921.35	1,305.00
3	डी0एम0सी0एच0, दरभंगा में 50 शय्या वाले नर्सों का छात्रावास एवं अन्य निर्माण हेतु	620.96	102.30
4	ए0एन0एम0सी0एच0, गया में चिकित्सकों के लिए आवास निर्माण हेतु	607.00	100.00
5	ए0एन0एम0सी0एच0, गया में नर्सों के छात्रावास निर्माण हेतु	1,566.97	258.15
6	बिहार कॉलेज ऑफ फिजियो थिरेपी और कमर्शियल थिरेपी के लिए अतिरिक्त भवन निर्माण हेतु	2,069.87	341.00
7	इंदिरा गांधी हृदयरोग संस्थान के नर्सों के क्वाटर निर्माण हेतु	1,569.51	258.60
8	एन0एम0सी0एच0, पटना में नर्सों के लिए विद्यालय, छात्रावास आदि निर्माण हेतु	1,214.00	200.00
9	श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में जल–मिनार निर्माण हेतु	586.30	96.59
10	जे0एल0 चिकित्सा महाविद्यालय, भागलपुर में नये छात्रावास एवं अन्य निर्माण कार्य हेतु	839.85	138.36
11	तीन नये चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण	1214.00	200.00
	योग	**22,090.34**	**3500.00**

परिशिष्ट– 3.6

पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(लाख रुपये में)

क्रं0	कार्यक्रम	योजना	11वीं पंचवर्षीय (2007–12) का उद्व्यय	वर्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	नाबार्ड	ग्रामीण आधारभूत संरचना का विकास	13500.00	3500.00
		योग	**13500.00**	**3500.00**
2	केन्द्र प्रायोजित योजना	अ. (i) ग्रामीण स्वच्छता एवं जल निकासी	18000.00	1800.00
		(ii) बीस हजार आबादी तक के अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में पाईप जलापूर्ति योजना (त्वरित शहरी जलापूर्ति कार्यक्रम)	250.00	250.00
		(iii) अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति योजना	1750.00	50.00
		(iv) प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति योजना	10000.00	700.00
		(v) यंत्र एवं संयत्र	800.00	150.00
		ब. भारत निर्माण कार्यक्रम	2000.00	600.00
		(i) अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु नलकूपों का निर्माण		
		(ii) अनाच्छादित/आंशिक आच्छादित/जल गुणवत्ता प्रभावित टोलों के आच्छादन हेतु जलापूर्ति योजना की व्यवस्था	7000.00	600.00
		योग	**39800.00**	**4150.00**

क्रं0	कार्यक्रम	योजना	11वीं पंचवर्षीय (2007–12) का उद्व्यय	वर्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
1	2	3	4	5
3	चालू / नई योजना	(i) प्रयोगशाला का अवधि विस्तार एवं जल गुणवत्ता की मोनिटरिंग	750.00	100.00
		(ii) जल गुणवत्ता की मोनिटरिंग	1200.00	400.00
		(iii) निदेशन, प्रशासन एवं स्थापना	8000.00	500.00
		(iv) भू–जल अन्वेषण, परियोजना प्रस्तुतीकरण एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति की स्थिति का सर्वेक्षण	1000.00	200.00
		(v) ग्रामीण पाईप जलापूर्ति योजना	20256.12	5579.85
		(vi) नये नलकूप / सेनेटरी कूप का निर्माण	16000.00	5028.00
		(vii) प्रशिक्षण	100.00	15.00
		(viii) शोध एवं विकास	600.00	100.00
		(ix) सूचना प्रबंधन एवं कम्प्यूटरीकरण	100.00	5.00
		(x) भू–जल रिचार्ज एवं रेन वाटर हारभेस्टिंग	1200.00	250.00
		(xi) शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढ़ीकरण	1000.00	600.00
		(xii) श्मशानघाटों का विकास एवं आधुनिकीकरण तथा विद्युत शवदाहगृह के निर्माण	2000.00	0.00
		योग	**52206.12**	**12777.85**
		कुल योग	**105506.12**	**20427.85**

परिशिष्ट–3.7

समाज कल्याण निदेशालय

समाज कल्याण (महिला, बच्चे और विकलांग)

11वीं पंचवर्षीय योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में

(रू0 लाख में)

क्र0	योजना का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	2	3	4
1	अशक्त छात्रों को छात्रवृति	3500.00	500.00
2	विकलांग व्यक्तियों का सर्वेक्षण	250.00	50.00
3	विकलांगों के लिए कार्यशाला	125.00	25.00
4	अशक्त व्यक्तियों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय की स्थापना	185.00	37.00
5	महिला विकास निगम	300.00	60.00
6	हेल्पलाईन और महिला सशक्तिकरण	3200.00	1860.00
7	श्रमजीवी महिला होस्टल का निर्माण	1750.00	
8	शिशु सदनों की स्थापना	1250.00	
9	विपदाग्रस्त महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास	500.00	
10	प्रदर्शनी / सेमिनार और सम्मेलन	250.00	50.00
11	क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षण	50.00	260.00
12	क्षमता निर्माण,प्रशिक्षण तथा सामाजिक उद्यमिकता इकाईयों का विकास	1250.00	
13	विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण	2000.00	400.00

क्र0	योजना का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	2	3	4
14	12वें वित्त आयोग की अनुशंसा की योजनाएँ	500.00	1534.00
15	10 प्रेक्षण गृहों का निर्माण	600.00	
16	प्रेक्षण गृहों/विशेष विद्यालय भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार	1500.00	
17	बाल अधिकार सुरक्षा हेतु राज्य आयोग	280.00	56.00
18	बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	3435.00	687.00
19	भिक्षुक पुनर्वास निधि	1000.00	400.00
20	उपेक्षित वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुनर्वास निधि	1000.00	
21	अशक्त व्यक्तियों के लिए मुख्य मंत्री सामर्थ स्कीम, अस्तित्व सहायता एवं उपकरण	2500.00	500.00
22	अशक्त व्यक्तियों के लिए नये विशेष विद्यालयों की स्थापना	1000.00	200.00
23	जिलों में समाज कल्याण प्रकोष्ठ की स्थापना	460.00	92.00
24	विशेष रूप से जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए पुनर्वास निधि	770.51	275.00
25	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	1000.00	00.00
26	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	200.00	00.00
समेकित बाल विकास कार्यक्रम निदेशालय			
27	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2643.13	200.00
28	पोषण	183077.00	18515.09
29	समेकित बाल विकास स्कीम की आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण	50188.50	4319.50
30	एन0 पी0 ए0 जी0	7590.00	1380.00
31	प्रबंधन सूचना प्रणाली	100.00	00.00
32	दुलार नीति	408.10	00.00

क्र0	योजना का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	2	3	4
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय			
33	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन0एस0ए0पी0)	90552.00	39946.00
34	लक्ष्मीवाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2000.00	00.00
35	बिहार राज्य निःशक्तता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	2000.00	00.00
36	व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	244.00	00.00
37	वृद्धजनों के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1000.00	00.00
38	कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	600.00	00.00
	योग	**368258.24**	**71146.59**

अध्याय–4

4. नियोजन,व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

टिकाउ रोजगार सृजन अभी भी योजना–आधारित आर्थिक विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्ष्यों में शामिल है। सभी पंचवर्षीय योजनाओं में रोजगार के पर्याप्त अवसरों के सृजन की आवश्यकता पर बल दिया जाता रहा है, ताकि बेरोजगारों की संख्या को एक निश्चित कालीावधि में उत्तरोत्तर कम किया जा सके। श्रम संसाधन विभाग के कार्य भार हैंः औद्योगिक शांति को बनाये रखना, श्रम कल्याण, श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन, युवाओं की रोजगार क्षमता में बृद्धि हेतु उनके कौशल–उन्नयन में सक्रिय भूमिका, रोजगार दफ्तरों के माध्यम से कुशल कामगारों तथा बाजार के बीच संपर्क–सूत्र स्थापित करना एवं ई.एस.आई.अधिनियम के अंतर्गत बीमित ब्यक्तियों / परिवारों की चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं की ब्यवस्था करना। हालॉकि 90 के दशक की शुरुआत से इन कार्य–भारों के निर्वहन के दृष्टिकोण में मौलिक बदलाव देखने में आये हैं। ऐसा पाया गया है कि श्रम कानूनों के उद्‌देश्यों के संबंध में विभिन्न साझेदारों का नजरिया अलग–अलग होता है। खास तौर पर, कामगारों एवं मालिकों के मत तो प्रायः अलग–अलग होते ही हैं। परन्तु 90 के दशक में जो आर्थिक सुधार शुरु हुए थे उनके कारण एक ऐसी नियोजन नीति की जरुरत पर सबकी सहमति बन रही है जिसके अनुसार श्रम कानूनों का सरलीकरण कर विकास की गति तीब्र की जा सके एवं रोजगारों का सृजन हो सके । ऐसा न हो कि श्रम कानून महज संगठित क्षेत्र के मजदूरों के सुरक्षित हितों की ही रक्षा करते रहें । अब यह महसूस किया जाने लगा है कि श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन तथा श्रमिक कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से श्रमिकों के सबसे संकटापन्न तबके के हितों पर विशेष ध्यान दिया जाय । इस तबके में शामिल हैंः बाल मजदूर, महिला मजदूर , बंधुआ मजदूर , प्रवासी मजदूर एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर।

2. यह भी महसूस किया जाने लगा है कि भूमंडलीकरण, निजीकरण एवं प्रतिस्पर्धा के दौर में जब कि विकास की दर दहाई का आंकड़ा छू रही है मुख्यतः कृषि प्रधान भारतीय अर्थ व्यवस्था का रुपांतरण तेजी से औद्योगिक अर्थ व्यवस्था

के रुप में होगा। निसंदेह इसका असर श्रम संसाधन पर पड़ेगा । कृषि क्षेत्र में लगे मजदूर उद्योग का रुख करेंगे तथा कुशल कामगारों की मॉग कई गुणा बढेगी। ऐसे में यह आवश्यक होगा कि बाजार की मॅाग के अनुसार कामगारों की कुशलता में बृद्धि की जाय तथा यह कोशिश की जाय कि कामगारों को रोजगार के योग्य बनाया जा सके । ऐसी परिस्थिति में निजी क्षेत्र की भागीदारी कौशल–विकास के क्षेत्र में लगातार बढ़ती जायगी, क्योंकि सरकार के लिए यह अकेले संभव नहीं है कि वह बाजार में बढ़ती मांग एवं अर्थ व्यवस्था की गति को बनाये रखने के लिये आवश्यक कुशल कामगारों की बड़ी संख्या का सृजन कर सके।

3. 10वीं पंचवर्षीय योजना के मुकाबले 11वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार बाजार में होनेवाले व्यापक परिवर्तनों तथा मॉग आधारित विकास के निवेश आधारित विकास में बदलने की संभावना के मद्देनजर अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ने के प्रबल आसार हैं। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक होगा कि रोजगार तलाशने वाले युवाओं को, उनकी योग्यता एवं अनुभव के अनुसार, बाजार में उपलब्ध नौकरियों के संबंध में अधिकाधिक सूचना प्राप्त हो । अतएव नौकरी एवं कैरियर के संबंध में परामर्श की मॅाग बढ़ती जायगी तथा यह आवश्यक होगा कि रोजगार दफ्तर महज बेरोजगारों का निबंधन करने वाली संस्था बने रहने के बजाए खुद को परामर्शी–सह–संदर्शन केन्द्र की नयी भूमिका में ढालें। साथ हीं नागरिक–केन्द्रित ई.गवर्नेन्स की गतिविधियों के बढ़ते जाने के कारण यह जरुरी होगा कि बेरोजगारों को ''ऑन लाईन'' निबंधन की सुविधा उपलब्ध करायी जाय ताकि वे अपने समय और संसाधनों की बचत करते हुए इलेक्ट्रोनिक माध्यम से निबंधन करा सकें ।

4. यहॉ यह रेखांकित करना आवश्यक प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय मैनुफैक्चरिंग प्रतिस्पर्धा पर्षद् ने मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जो अनुशंसाऍ की हैं, उनमें से श्रम कानूनों के संबंध में की गयी यह अनुशंसा द्रष्टव्य है : ''विकास में बृद्धि के लिए जरुरी वातावरण निर्माण करने, मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने तथा ऐसे विकास को संभव बनाने के लिये कौशल विकास उन्नयन को प्रोत्साहित करने जैसे मसलों को केंद्र में रख कर श्रम संबंधी मामलों को जॉचना होगा (पारा 3.3.9.1)

5. अतएव, 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक ऐसी विकासोन्मुखी श्रम नीति की आवश्यकता होगी जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तथा संकटापन्न श्रमिकों के कल्याण एवं लाभ के लिये काम कर सके । साथ हीं साथ इस बात की भी जरुरत होगी कि निजी क्षेत्र की सहभागिता से कौशल विकास के साधनों का विस्तार एवं उन्नयन किया जाय तथा बदले परिवेश में रोजगार दफ्तरों की भूमिका का पुनरावलोकन किया जाय।

11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति

6. श्रम बाजार की बदलती परिस्थिति के परिप्रेक्ष्य में योजना की नयी रणनीति निम्नांकित पर केन्द्रित होगी :–

- श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिये संस्थागत क्षमता का मजबूतीकरण।
- कृषि श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का सशक्तिकरण।
- श्रम अधिनियमों एवं नियमों का सरलीकरण।
- बाल एवं बंधुआ मजदूरों की विमुक्ति तथा पुनर्वास।
- बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी कार्य।
- निजी निवेश को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास के साधनों का विस्तार करना ताकि कुशलताओं की कमी को दूर किया जा सके।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण,जिसमें जन निजी भागीदारी माध्यम का भी उपयोग किया जा सकेगा।
- मांग का आकलन तथा बदलती मांगों के अनुरुप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यचर्या का निर्धारण/पुनर्निधारण।
- परामर्श एवं संदर्शन के लिये संस्थागत क्षमता का मजबूतीकरण एवं
- विभाग तथा उसके अधिनस्थ कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।

11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य

7. 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य उपर्युक्त रणनीति को श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से लागू करने का होगा । इस प्रक्रिया में जिन **''मंत्रों''** को अपनाया

जायेगा वे होंगेः क्षमता निर्माण, श्रम कानूनों एवं नियमों का सरलीकरण, सशक्तिकरण, प्रवर्तन, निजी क्षेत्रों की भागीदारी तथा डेलीवरी सिस्टम में सुधार।

प्रस्तावित योजनाएँ

4.1 श्रम पक्ष

8. ग्रामीण एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के प्रशिक्षण शिविरों का संगठन

ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी एवं विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी नहीं होनें तथा अशिक्षा के कारण अपने कर्त्तव्यों से अनभिज्ञ रहते है, जिसके कारण उनको मिलने वाली न्यूनतम मजदूरी एवं अन्य सुविधाओं से वंचित रह जाते है । इसलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों में जागृति लाने तथा उन्हें विभिन्न श्रम अधिनियमों की जानकारी देनें के उद्देश्य से ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया जाता है ।

क) अवस्थित सभी जिला मुख्यालय में ग्रामीण मजदूरों राज्य में एक दिन का शिविर लगाने की योजना है, जिसमें प्रत्येक पंचायत से एक–एक मजदूर का चयन किया जायेगा। मजदूरों के चयन में अनुसूचित जाति एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी । वर्त्तमान समय कुल 38 जिला एवं 8463 ग्राम पंचायत है ।इसी तरह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु अलग से सेमिनार/सिम्पोजियम/ वर्कशॉप आदि का आयोजन किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 78.55 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 11.61 लाख रू0)

9. बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण, विमुक्ति एवं पुनर्वास

11वीं पंचवर्षिय योजना में 2500 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराने एवं उनके पुनर्वास का लक्ष्य रखा जा रहा है ।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बाल श्रमिकों के संबंध में दिनांक 10.12.96 को दिये गये न्याय निर्णय के अनुसार खतरनाक उद्योगों से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों के परिवार के एक वयस्क को रोजगार मुहैया कराना है । यदि बाल श्रमिकों के परिवार के एक वयस्क सदस्य को रोजगार देना संभव नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार को प्रति बाल श्रमिक रू० 5000/– (रूपये पाँच हजार) मात्र जिला स्तर पर गठित बाल श्रमिक

पुनर्वास–सह–कल्याण कोष में जमा कराने का प्रावधान है । बाल श्रमिकों के पुनर्वास हेतु बाल श्रमिक कोषांग गठित है । खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिकों के सर्वेक्षण एवं विमुक्ति कार्य हेतु संविदा के आधार पर वाहन की व्यवस्था की जायेगी । मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को 30 दिन का राशन, भोजन, दवा, वस्त्र आदि भी दिया जाना है । राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध संस्थानों द्वारा बाल श्रमिकों का सर्वेक्षण किया जायेगा । बाल श्रमिकों की सहायता हेतु चाईल्ड हेल्प लाईन की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय स्तर पर उड़नदस्ता का प्रावधान किया जायेगा, जो बाल श्रमिक (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम का कार्यान्वयन करेगा । इस उड़नदस्ते के लिए वाहनादि की व्यवस्था का प्रावधान संविदा के आधार पर किया जायेगा ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 8.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1.00 लाख रू0)

10. बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन

राज्य के बाल श्रमिकों की समस्या के निराकरण, पुनर्वास एवं उससे संबंधित अन्य मामलों पर राज्य सरकार को अपनी अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया है । इसका गठन वर्ष– 1999–2000 में तथा पुनर्गठन वर्ष– 2003–04 में एवं पुनः पुनर्गठन मार्च, 2007 में किया गया है । आयोग का कार्यकाल तीन वर्षो का है । यह राज्य योजना है तथा स्थापना एवं आयोग के अन्य क्रियाकलापों से संबंधित है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में आयोग की स्थापना एवं क्रियाकलापों पर होने वाला अनुमानित व्यय रू0 22.00 लाख (बाईस लाख) निर्धारित है । क्रिया कलापों के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में अलग से 10लाख रुपये की आवश्यकता ऑकी गयी है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 160.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 22.00 लाख रू0)

11. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना

बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 से पूरे राज्य में लागू है । बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत 20. 000/–रू0 (बीस हजार) रूपये की लागत पर प्रत्येक विमुक्त बंधुआ मजदूर को

पुनर्वासित (परिसम्पति के रूप में) किया जाता है । इसके अलावा विमुक्त बंधुआ मजदूरों को इन्दिरा आवास, सामाजिक सुरक्षा पेंशन एवं अन्य गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अधीन लाभान्वित किया जाता है तथा बंधुआ मजदूरों के नियोजकों पर अभियोजन की कार्रवाई करने का प्रावधान है । बंधुआ मजदूर संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा मानवाधिकार आयोग, भारत सरकार द्वारा भी समय–समय पर की जाती है । चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में 550 विमुक्त बंधुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने का लक्ष्य है, पुनर्वास हेतु प्रत्येक बंधुआ मजदूर को राज्याशं की राशि 10 हजार रूपया एवं केन्द्राशं की राशि 10 हजार रूपया कुल 20 हजार रूपया भुगतान किया जाना है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 75.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 15.00 लाख रू0)

12. नियोजन पक्ष

विगत पंचवर्षीय योजना से उच्च गुणात्मक सुविधाओं एवं सुरक्षा वाले नियोजन के अवसरों के सृजन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। न0एस0एस0ओ0 के प्रतिवेदन के अनुसार वर्ष 2004–05 में श्रम बल 2.93 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से तथा कार्यबल 2.89 प्रतिशत प्रतिवर्ष की गति से ब़ढ़ी है । जिसके बीच का अन्तर बेरोजगारी को दर्शाता है । यह भी उल्लेखनीय है कि देश के कार्यबल का मात्र 8 प्रतिशत ही संगठित क्षेत्र में लगा हुआ है । इससे स्पष्ट होता है कि श्रम बल में नये प्रवेशक द्वारा जबकि संगठित क्षेत्र को महत्व दिया जा रहा है वहीं असंगठित क्षेत्र में नियोजन कई गुणा बढ़ रहे हैं, परन्तु उनमें अनेकों कमियॉ हैं। अतएव 11 वी ं पंचवर्षीय योजना में जहॉ एक ओर असंगठित क्षेत्र में नियोजन स्थिति में प्रगति लाने का प्रस्ताव है वहीं दूसरी ओर व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है ताकि असंगठित क्षेत्र में नियोजन को प्रोत्साहित किया जा सके तथा अनेकों स्वनियोजन उत्क्रमों को सूत्रित किया जा सके ।

13. इस लक्ष्य को पाने के लिए यह नियोजन सेवा ही है जिसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि वे न केवल वर्तमान जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सके बल्कि उजागर हुई स्थिति में बेरोजगारी की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नयी भूमिका

का निर्वाह कर सके । नयी भूमिका में जो बड़ा परिवर्तन प्रस्तावित है वह नियोजन सेवा की सीमा को असंगठित क्षेत्र तक विस्तारित करने का है जो कि कार्यबल में 92 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है तथा बेरोजगारों के एक बड़े समूह को सोख लेने का अवसर प्रदान करता है । यह स्वभाविक है कि उक्त परिवर्तन के साथ साथ नियोजनालयों की दूसरी भूमिका का भी निर्वाह हो सके जैसे व्यवसायिक मार्गदर्शन का दिशा निर्धारण एंव असंगठित क्षेत्र की ओर कैरियर कांउसलिंग को लागू करना तथा असंगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार का पूर्ण विश्लेषण।

14. नियोजन सेवा का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

आर्थिक वैश्वीकरण नियोजन अवसरों के कई गुणा सृजन का फल लाया है, विशेषकर असंगठित क्षेत्रों में। इस लाभ को समान ढ़ंग से वितरित करने हेतु सृजित नियोजन अवसरों कं सम्बन्ध में आवश्यक सूचनायें उनकी विशेषताओं के साथ बेरोजगार युवकों को देना आवश्यक है विशेषकर राज्य के सुदूर क्षेत्रों में ग्रामीण बेरोजगारों को । इस कार्य के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा तथा कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों को राज्य के सुदूर अविकसित जिलों तक ले जाना होगा । इसके लिए आवश्यक है कि नियोजनालय के जाल को व्यवसायिक मार्गदर्शन सहित विस्तारित किया जाय । इस कार्य के लिए दस जिलों यथा किशनगंज, अररिया, भभुआ, सुपौल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, अरवल, शिवहर एवं बांका में कैरियर सूचना केन्द्रों की स्थापना प्रस्तावित है । इस कार्य के लिए उन स्थानों पर सुयोग्य महाविधालयों/विधालयों /शिक्षण संस्थानों को चयनित किया जा सकता है जिसे कैरियर काउंसलिंग और कैरियर सूचना केन्द्रों का दायित्व सौपा जा सकता है । प्रसिद्व अध्यापकों को यह जबाबदेही दी जा सकती है। इन कार्यो के ऊपर उत्तम प्रबन्धन हेतु नियोजन सेवा की विभिन्न शाखाओं के तंत्रों पर जिला नियोजनालय अथवा अवर प्रादेशिक नियोजनालय को सारे कार्य के अनुश्रवण की शक्ति प्रदान करना प्रस्तावित है । तीन नव सृजित विश्वविधालयों यथा डा0 राजेन्द्र प्रसाद विश्वविधालय, छपरा/ वीर कुवर सिंह विश्वविधालय, आरा एवं वी0पी0मण्डल विश्वविधालय, मधेपुरा में विश्वविधालय सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित करना प्रस्तावित है जिसमें किसी भी पद की स्वीकृति नहीं होगी । विश्वविधालय के उप

कुलपति द्वारा चयनित प्राध्यापकों को उन केन्द्रों की देखरेख का दायित्व सौपा जा सकता है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 32.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 6.40 लाख रू0)

15. नियोजन सेवा किया कलापों में ई0प्रणाली

नियोजनालय निबंधित बेरोजगारों के जीवन व्यौरा का अभिलेख पोषित करता है जिसके आधार पर यह नियोजक द्वारा रिक्तियों के विरूद्व मांग आने पर निबंधन की वरीयता एवं योग्यतानुसार योग्य उम्मीदवारों का नाम संप्रेषित करता है । इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि नियोजन सेवा का उपयोग दक्षतापूर्वक बेरोजगारों द्वारा किया जा सके, यह वांछनीय है कि कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाय कि उनकी जीवन विवरणियॉ राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजार में महत्वपूर्ण नियोजकों के समक्ष प्रचारित हो सके। इस कार्य हेतु नियोजनालय की जीवित पंजी को डिजीटल करना होगा । दूसरे शब्दों में नियोजनालय के वेबसाइट पर एवं इन्टरनेट पर बेरोजगारों के बायो–डाटा को लाना एक सही कदम होगा जो लक्ष्य प्राप्ति हेतु उपयोगी होगा । ऑनलाइन निबंधन एवं आन लाइन संप्रेषण समय की आवश्यकता है । नियोजन सेवा की कार्य प्रणाली का कम्प्यूटीकरण इस कार्य के लिए नितान्त आवश्यक है ।

दूसरी ओर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय नियोजन बाजार से उपलब्ध इन्टरनेट जानकारियों को भी प्राप्त किया जा सकेगा जो व्यवसायिक मार्गदर्शन एवं कैरियर काउन्सलिंग कार्यक्रम में सहायक होगा । नियोजन सेवा के क्रियाकलापें में ई0 प्रणाली की सहायता से आर्थिक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों के सम्बन्ध में जानकारियॉ का एकत्रिकरण एवं निस्तारण किया जा सकेगा तथा इन ऑकड़ों का विभिन्न सामाजिक/आर्थिक कोणों से विश्लेषण किया जा सकेगा । ये श्रम बाजार सूचनाओं को राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के विभिन्न स्तरों तक तीव्र गति निष्पक्ष एवं दक्षपूर्ण ढ़ंग से पहुॅचाने में उपयोगी होंगे ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1.80 लाख रू0)

16. व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण

11वीं पंचवर्षीय योजना में व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत नियोजन/कैरियर इच्छुकों को कॉनसलिंग देना ही प्रमुख दबाब क्षेत्र बन चुका है । वर्तमान वित्तीय वातावरण में शैक्षणिक प्रगति की तुलना में कौशल प्रगति ही नियोजन पाने के लिए प्रमुख अर्हता है । नियोजन की सोच में आये नये परिवर्तनों के आलोक में कौशल प्रगति हेतु रास्ते की खोज पर बल देना होगा और नियोजनालयों को वैरियर काउन्सलर के रूप में विकसित करना होगा । इस कार्य हेतु राज्य के 28 जिले में वर्ष में दो बार एक लाख रूपये प्रतिवर्ष की लागत पर कैरियर मेला आयोजित करने का प्रस्ताव है। क्षेत्रीय नियोजन एवं जीवन वृति अवसरों की वृहद सीमा को पर्याप्त करने हेतु राज्य स्तर पर सेमिनार/ सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव है जिसमें हरेक विशेषधिकार (फेकल्टी) जीवनवृति/नियोजक इच्छुकों के समक्ष वर्तमान नियोजन बाजार में उपलब्ध पाठयक्रमों का पूर्ण प्रकरण प्रस्तुत करेंगे । इस कार्य हेतु 3.00 लाख रूपये प्रति वर्ष व्यय करने का प्रस्ताव है । व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम को सफल कियान्वयन हेतु यह उतना ही आवश्यक है कि स्वयं नियोजन पदाधिकारियों को अद्यतन प्रशिक्षण दिया जाय तथा उन्हें हर विषय में विभिन्न कैरियर काउन्सलिंग कार्यो से अद्यतन रखा जाय । यह प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से होगा ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 0.60 लाख रू0)

17. नियोजनालयों के लिए भवन का निर्माण

कैरियर काउन्सलिंग/ कैरियर वार्तालाप/ निबंधन/ मार्गदर्शन/ व्यवसायिक मार्गदर्शन आदि के लिए नियोजनालय के प्रांगण में आये बेरोजगार युवकों की एक बड़ी भीड़ की सेवा के लिए उनके अनुसार नियोजनालय के अपने भवन की आवश्यकता है । इसके लिए अवर प्रादेशिक नियोजनालयों/जिला नियोजनालयों जहॉ आटी0टी0आई0 परिसर में विभाग की भूमि उपलब्ध है यथा भागलपुर, दरभंगा, डालमियानगर, गया एवं बेगूसराय में भवन प्रस्तावित है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 177.10 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

18. जिलों का एरिया स्किल सर्वे

श्रम बल की बनावट के संबंध में आवश्यक सूचनायें एक़्त्रित करने हेतु जिलों का एरिया स्किल सर्वे करण नितान्त आवश्यक है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 10.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 2.00 लाख रू0)

19. प्रशिक्षण पक्ष

देश में तकनीकी स्कील्ड कामगारों की कमी को देखते हुए वर्ष 1950 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की गयी थी । औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का मुख्य उद्‌देश्य बेरोजगार शिक्षित युवकों एवं युवतियों के स्वालंबन योग्य बनाना है । वर्तमान में बिहार राज्य में 22 सामान्य एवं 7 महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है । इन संस्थानों में कुल 33 व्यवसायों में प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है जिसमें सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है ।

20. इस पंचवर्षीय योजना में राज्य में तकनीकी संस्थानों के जाल बिछाने का प्रयास किया जायेगा जिससे कि सभी जिलों के छात्र इसका लाभ उठा सकें और व्यवसायिक प्रशिक्षण पा कर रोजगार के अवसर पा सकें । इसी उद्‌देश्य से जिन जिलों में प्रशिक्षण संस्थान नहीं हे , उन जिलों में प्रशिक्षण संस्थान खोलने का प्रस्ताव हे । इसके साथ ही महिलाओं के सर्वांगीण व्यवसायिक विकास हेतु कमिश्नरी मुख्यालयों में भी महिला औ0प्र0संस्थान खोलने का भी प्रस्ताव है । औद्योगिक मांग को देखते हुए संस्थानों में स्थानीय रोजगार को देखते हुए नये –नये व्यवसाय खोलने का भी प्रस्ताव दिया गया है। जिन संस्थानों को भवन , कर्मशाला एवं चहारदिवारी नहीं है , उन्हें भी इस योजना में ले कर पूरा करने का प्रस्ताव दिया गया है ।

21. औधोगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण

इस पंचवर्षीय योजना में औ0प्र0संस्थान, हिलसा बीरपुर ,बेगुसराय, घोघरडीहा, हथुआ, बेतिया, हाजीपुर एवं महिलाऔ0प्र0संस्थान,पटना ,सीवान, एवं आरा में प्रशासनिक भवन, कर्मशाला भवन, चहारदीवारी एवं छात्रावासों के निर्माण का प्रस्ताव है । साथ ही महिला ओ0प्र0संस्थान गया,मुजफ्फरपुर, एवं दरभंगा तथा

औप्र0संस्थान, नवादा एवं मढ़ौरा में कर्मशाला के निर्माण के साथ औ0प्र0संस्थान, मुंगेर,फारबिसगंज, मढ़ौरा, नवादा सीतामढ़ी ,,कटिहार एवं गया में चहारदिवारी बनाने का भी प्रस्ताव है । छात्रावासों के पूनर्निर्माण एवं नये छात्रावास के निर्माण का भी प्रस्ताव रखा गया हें ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 2500.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 449.00 लाख रू0)

22. पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना

आज के बदलते हुए परिवेश में नये–नये क्षेत्रों में तकनीकी व्यवसाय की मांग को देखते हुए संस्थान स्तर पर नियोजन की संभावनाओं को देखते हुए , नये व्यवसायों का चुनाव कर प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता के मद्दे नजर 22 औ0प्र0 संस्थानों में प्रतिवर्ष प्रति संस्थान पांच लाख रूपये की अनुमानित राशि से नये– नये व्यवसाय खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 150.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 30.00 लाख रू0)

23. महिला औघेागिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना

इस योजना के अंतर्गत राज्य में स्थित महिला औ0प्र0संस्थानों, में महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नये नये नियोजन के अवसरों को देखते हुए नये –नये व्यवसाय खोलने की आवश्यकता के आलोक में प्रति संस्थान पांच लाख रूपये की लागत से महिला औ0प्र0संस्थान में वहॉ की आवश्यकता को देखते हुए नये व्यवसाय खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 350.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 70.00 लाख रू0)

24. औ0प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन (राज्यांश)

इस योजना के अंतर्गत औ0प्र0संस्थान के उन्नयन का प्रस्ताव है । इसमें भारत सरकार के द्वारा 75:25 में केन्द्र और राय सरकार के अनुपातिक व्यवसाय में यह योजना 2005में शुरू की गयी हें। जिसके अंतर्गत विश्व स्तरीय प्रशिक्षण चलाने

हेतु सेंटर औफ एक्सलेंस के प्रस्ताव के अंतर्गत 2 औ0प्र0संस्थानों को डोमेस्टिक राशि तथा 13 औ0प्र0संस्थानों को विश्व बैंक की राशि के अन्तर्गत चिन्हित किया गया है । डोमेस्टिक राशि के अन्तर्गत कुल बजट प्रावधान प्रति संस्थान 160 लाख रू0 की दर से 320 लाख रु0 है। विश्व बैंक की राशि से औ0प्र0संस्थानों को प्रति संस्थान तीन करोड़ रू0 की लागत से उन्नयन किया जाना हैं ।

शेष वैसे संस्थान जहॉ उपर के अनुसार उन्नयन के प्रस्ताव नहीं हैं उन 14 संस्थानों के लिए स्टेट फंडींग से उन्नयन हेतु सी0ओ0ई0 के पैटर्न पर तीन करोड़ प्रति संस्थान का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 320.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 80.00 लाख रू0)

25. अल्प संख्यक बहुल जिलों में स्थित संस्थानों का दर्जा बढ़ाना

इस योजना के अंतर्गत अल्प संख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों के तकनीकी ज्ञान का दर्जा बढ़ाने हेतु उन्हें प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य धारा में शामिल करने के प्रस्ताव पर औ0प्र0संस्थान ,फ़ारबिसगंज में एलेक्ट्रोनिक्स ट्रेड में प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 12.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 2.00 लाख रू0)

26. नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

इस योजना अंतर्गत राज्य के पॉच कमिश्नरी मुख्यालय यथा कोशी सारण,मुंगेर,भागलपुर, एवं पूर्णिया में महिला औ0प्र0संस्थान खोलने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 180.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 56.00 लाख रू0)

27. कौशल क्षमता का विकास(कैपिसिटी बिल्डींग)

इस योजना के अंर्तगत अनुदेशकीय कर्मियों एवं पदाधिकारियों के उच्च प्रशिक्षण/प्रशिक्षण कर्मशाला आदि में भाग लेने का प्रस्ताव है ताकि उनकी क्षमता विकास हो सके।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 5.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1.00 लाख रू0)

28. मैनेजमेन्ट इन्फौरमेशन सिस्टम

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सूचना एवं तकनिकी नेटवर्क बढ़ाने हेतु यथा नामांकन, प्रशिक्षण, परीक्षा, परीक्षा फल/ प्रमाण पत्र आदि के निष्पादन के लिए ऑन लाईन साफ्टवेयर डेभलपमेंट,कम्प्यूटर डेभलपमेंट, ,कम्प्यूटर नेटवर्कींग आदि कार्यो का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 20.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1.99 लाख रू0)

29. स्टेट प्रोजेक्ट इम्पलीमेन्टेशन यूनिट

इस योजना के अंतर्गत संस्थान में चल रहे योजनाओं की मानेटरींग, सेमिनार, पुरस्कार, एवं समारोह आदि के आयोजन हेतु का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 40.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 6.00 लाख रू0)

30. प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर व्यवसाय–

इस योजना में औ0प्र0संस्थान दीघा घाट में प्लास्टिक प्रोसेसींग व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 12.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 2.00 लाख रू0)

श्रम संसाधन

10वीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय उपलब्धि

(रु0 लाख में)

वर्ष	मूल उदव्यय	पुनरीक्षित उदव्यय	वास्तविक उदव्यय
2002–2003	5370.94	5233.53	3368.36
2003–2004	5343.54	5236.32	5864.45
2004–2005	11352.43	11352.43	8872.02
2005–2006	11026.10	11011.57	10974.12
2006–2007	33976.61	36527.00	36438.89
कुल–	67069.62	69360.85	65517.84

11वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007—2008) : 778.40 लाख रु0
11वीं पंचवर्षीय योजना (2007—2012) : 9289.52 लाख रु0

मुख्य नीतिगत पहल/ मील के पत्थर

- श्रम अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिये संस्थागत क्षमता का मजबूतीकरण।
- कृषि श्रमिकों एवं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों का सशक्तिकरण।
- श्रम अधिनियमों एवं नियमों का सरलीकरण।
- बाल एवं बंधुआ मजदूरों की विमुक्ति तथा पुनर्वास।
- बीड़ी कामगारों के लिए कल्याणकारी कार्य।
- निजी निवेश को इस क्षेत्र में प्रोत्साहित करते हुए कौशल विकास के साधनों का विस्तार करना ताकि कुशलताओं की कमी को दूर किया जा सके।
- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण,जिसमें जन निजी भागीदारी माध्यम का भी उपयोग किया जा सकेगा।
- मांग का आकलन तथा बदलती मांगों के अनुरुप औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित पाठ्यचर्या का निर्धारण/पुनर्निधारण।
- परामर्श एवं संदर्शन के लिये संस्थागत क्षमता का मजबूतीकरण एवं
- विभाग तथा उसके अधिनस्था कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण।

परिशिष्ट–4

नियोजन, व्यवसायिक शिक्षा एवं दक्षता विकास

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(रू0 लाख में)

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरों का संगठन	78.55	11.61
2	बाल मजदूर का सर्वेक्षण, विमुक्ति एवं पुनर्वास	8.00	1.00
3	बिहार राज्य बाल मजदूर आयोग की स्थापना	160.00	22.00
4	नियोजन सेवाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण	32.00	6.40
5	नियोजन सेवा ऑपरेशन का कम्प्यूटरीकरण	100.00	1.80
6	नियोजनालय हेतु भवन का निर्माण	177.10	20.00
7	जिलों का एरिया स्कील सर्वे	10.00	2.00
8	व्यवसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	5.00	0.60
9	कौशल क्षमता का विकास	5.00	1.00
10	प्लास्टिक प्रोसेसिंग ऑपरेटर व्यवसाय	12.00	2.00
11	अल्प संख्यक बहुल क्षेत्रों में आई0टी0आई0 का उन्नयन	12.00	2.00
12	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण	2500.00	449.00
13	पूर्व से स्थापित संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना ।	150.00	30.00
14	महिला आई0टी0आई0 की स्थापना	180.00	56.00
15	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नया व्यवसाय प्रारंभ करना ।	350.00	70.00
16	राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई	40.00	6.00
17	प्रबंधन सूचना प्रणाली	20.00	1.99
	सी0 एस0 एस0 स्कीमों मं राज्य की हिस्सेदारी		
18	सी0 एस0 एस0 (75 : 25) आई0टी0आई0 का उन्नयन	320.00	80.00
19	सी0 एस0 एस0 (50 : 50) बंधुआ मजदूरों का पनुर्वास	75.00	15.00
	कुल	**4234.65**	**778.40**

अध्याय–5

सामाजिक कड़ी

5.1 ग्रामीण बिहार में गरीबी उन्मूलन : रणनीति और कार्यक्रम

राज्य और केन्द्र सरकार ने ग्रामीण आबादी की जीविका को सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रमों की शुरूआत की है जिसमें बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन पर जोर दिया गया है। स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रथम योजना के दौरान ग्रामीण विकास विभाग का गठन किया गया जो अपने वर्तमान नाम प्राप्त करने के पूर्व 1980 तक सामुदायिक विकास विभाग कहलाता था । विभाग मजदूरी नियोजन, सूक्ष्म वित्त द्वारा स्व रोजगार, ग्रामीण गृह विहीनों के लिए गृह निर्माण तथा आहर, पोईन, ग्रामीण सड़क, जलछाजन विकास आदि जैसी ग्रामीण आधारभूत संरचना के विकास सहित गरीबी उन्मूलन से सम्बद्ध स्कीमों का ध्यान रखता है । ये स्कीम केन्द्र और राज्य प्रायोजित होते हैं किन्तु उनका कार्यान्वयन और अनुश्रवण विभाग द्वारा किया जाता है। विभाग ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए अकुशल श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने हेतु सतत प्रयत्नशील है तथा गरीबों को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं बैंकों के माध्यम से वित्तीय सहायता मुहैय्या कराकर स्वयं सहायता समूह स्थापित करने एवं अपना खुद का उद्यम शुरू करने हेतु प्रोत्साहित कर रहा है तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले गृह विहीन परिवारों को मकान मुहैय्या करा रहा है ।

2. वर्तमान में विभाग राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–बिहार (एन0आर0ई0 जी0एस0), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना तथा हरियाली स्कीम का कार्य कर रहा है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम की देख–रेख करने हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति अनुबंध के आधार पर की गई है ।

ग्यारहवीं योजना के लिए रणनीति

3. भारतवर्ष के तीसरे सब से अधिक आबादी वाले प्रांत बिहार में वर्तमान समय में मुख्य चुनौती गरीबी को हटाना है । बिहार की कुल आबादी की 90 प्रतिशत आबादी गॉवों में रहती है जिनमें 41.5 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। इन परिवारों को आधारभूत सुविधाओं का काफी अभाव है । गंदी बस्ती में रहने की लाचारी, आवश्यक सुविधाओं की जानकारी का अभाव इन्हें और अधिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर बना रही है।

4. बिहार को 2015 तक एक विकसित राज्य बनाने का स्वप्न है । इस हेतु गरीबी को साल दर साल कम करने की आवश्यकता है । 1990–2015 की अवधि में गरीबी–रेखा से नीचे के लोगों में कम से कम आधी आबादी को रेखा से उपर कर देने का लक्ष्य रखा गया है, जिनकी आमदनी 1 डॉलर प्रतिदिन से कम की है। बिहार के परिपेक्ष्य में 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे के लोगों में 22 प्रतिशत की कमी अर्थात प्रतिवर्ष 1.5 प्रतिशत की कमी लाना अनिवार्य है । ऐसी आबादी को भूख और गरीबी से निजात दिलाने हेतु प्रत्यक्ष प्रयास की आवश्यकता है जिससे इन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली–पानी की मूलभूत सुविधा प्राप्त हो सके । महिला सशक्तीकरण/जागरण से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिल सकती है । रोजगार की गारंटी, स्वरोजगार की शिक्षा/विभागीय मदद आवास मुहैया कराने से इनमें जीवन स्तर में थोड़ा सुधार ला सकती है । भूमि विकास एवं जल संरक्षण की योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा जो जीवन स्तर को उपर उठा सकती है ।

5. गरीबी को प्रभावी ढंग से कम करने हेतु न सिर्फ ऐसी योजनाओं की आवश्यकता है बल्कि गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर उत्पन्न कर इन्हें इसमें लगाया जाना कारगर साबित होगा । इस हेतु वृहत् कार्य योजना लागू करना आवश्यक है जिसमें मानव संसाधन के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय जल, कल्याण, स्वस्थ आर्थिक प्रगति के संबंध में इन्हें शिक्षित किया जा सके । ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति हेतु गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिये विशेष कार्यक्रम, महिलाओं

की शिक्षा के साथ–साथ उद्योग, खेती, पशुपालन, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन एवं दूरसंचार पर बल देना भी आवश्यक है ।

6. मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा एवं मकान की सुविधा इन्हें रोजगार उपलब्ध कराकर, स्वरोजगार के अवसर पैदा कर, आवास मुहैया कर दिया जा रहा है। विभाग द्वारा अगली पंचवर्षीय योजना में भी रोजगार गारंटी योजना, एस०जी०एस०वाई०, इंदिरा आवास योजना, हरियाली कार्यक्रम पर बल दिये जाने का तथा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने पर ध्यान दिये जानी की योजना है।

10वी पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

7. **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना**

इस योजना के तहत केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में सत्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने एवं आधारभूत संरचना का निर्माण कराने का उदेश्य था । इस योजना अन्तर्गत पिछली पंचवर्षीय योजना में वितीय वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक कुल अनुमानित वजट 578.5 करोड़ रूपये था जिसके विरूद्ध 495.09 करोड़ रूपये (लगभग 86 प्रतिशत) खर्च किया जा सका। वर्ष 2006–07 में अनुमानित वजट का शत प्रतिशत राशि विभाग द्वारा खर्च की जा सकी । वर्तमान में यह योजना एन०आर०ई०जी०एस० में समाहित हो गया है ।

8. **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम**

यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 में राज्य के 23 जिलो में लागू की गयी । पूर्व में चल रही सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना को इस योजना के लागू होने के बाद बंद कर दिया गया है । इस योजना अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल मजदूरों को रोजगार मुहैया कराना, पलायन को रोकना एवं आधारभूत संरचना का निर्माण कराना है। वर्ष 2006–07 में अनुमानित वजट से कम ही राशि खर्च की जा सकी । योजना के नये स्वरूप को समझने में कठिनाई एवं वितीय वर्ष में आम चुनाव में पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण पूर्ण राशि खर्च नहीं की जा सकी ।

9. **राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम**

बिहार के 15 जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम चलाया गया जिसमें राशि के अलावा अनाज भी रोजगार के मद में उपलब्ध कराया गया । उपलब्ध राशि का 54.6 प्रतिशत राशि खर्च की गई । वर्त्तमान में यह योजना एन०आर०ई०जी०एस० में समाहित हो गयी है।

10. **स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना**

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों मे स्वयं सहायता समूह गठित कर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियेां के लिए 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत और विकलांगों के लिए 3 प्रतिशत लाभ आरक्षित करके कमजोर वर्गो के लिए विशेष सुरक्षापायों की व्यवस्था है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लॉक में गठित समूहों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए होने चाहिए। पिछली पंचवर्षीय योजना में गत 4 वर्षो में उपलब्ध राशि का लगभग 74 प्रतिशत व्यय किया जा सका। बैंकों द्वारा अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त होने, क्षेत्रीय स्तर पर कर्मियों की कमी, ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी तथा उत्पादित किये गये वस्तुओं के विपणन की समस्या के कारण इस योजना की राशि का पूर्ण व्यय नहीं हो सका ।

11. **राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना**

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2 फरवरी 2006 से लागू होने के बाद बिहार राज्य ने भी अपने स्रोतों से राशि उपलब्ध कराकर राज्य के शेष बचे 15 जिलों में राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की। पुनः राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम– बिहार, पूरे राज्य में लागू हो जाने के बाद इस योजना को बिहार सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है । पिछली पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2006–07 में उपलब्ध राशि 150 करोड़ रू0 के विरूद्ध कुल 140 करोड़ रू0 अर्थात 93 प्रतिशत खर्च किया जा सका ।

12. **इन्दिरा आवास योजना**

इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के सदस्यों को जिन्हें पक्का मकान उपलब्ध नहीं है, उन्हें मकान बनाने हेतु राशि उपलब्ध करायी जाती है । पिछली पंचवर्षीय योजना में वजट उपबंध की 90 प्रतिशत राशि खर्च की गई है। कुल 3 लाख 15 हजार गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराया गया है ।

13. **हरियाली**

इस योजना अन्तर्गत राज्य की बंजर एवं अवक्रमित भूमि का विकास करना है । इस योजना अन्तर्गत सुखाड़ोन्मुख कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) राज्य के छः जिलों के 30 प्रखण्डों में तथा एकीकृत बंजर भूमि कार्यक्रम (आई०डब्लू०डी०पी०) राज्य के 31 जिलों के 60 प्रखंडों में चलाया जा रहा है । पिछली पंचवर्षीय योजना के गत 4 वर्षों का वजट अनुमान 9.68 करोड़ रूपये के विरूद्ध 6.99 करोड़ रूपये (लगभग 72 प्रतिशत) की राशि खर्च की जा सकी)

14. **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना**

योजना के तहत ली जाने वाली आवास योजना भी इन्दिरा आवास के दो अवयव– ग्रामीण आवास के नवनिर्माण तथा ग्रामीण आवास का उन्नयन है । जिसमें धुऑ रहित चुल्हा तथा स्वच्छ शौचालय पर उपबंधित राशि का 10 प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान रखा गया । योजना के तहत उपबंधित राशि लगभग 82 प्रतिशत व्यय किया गया ।

15. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई)

15.1 पिछले समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी) और इसके सम्बद्ध कार्यक्रमों की पुनसंरचना के बाद, अप्रैल, 1999 में शुरू की गई स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) का उदेश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को सामाजिक प्रोत्साहन, उनके प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण तथा बैंक क्रेडिट व सरकारी सब्सिडी के मिश्रण के जरिए उन्हें स्वयंसेवी समूहों (एसएचजी) में गठित करके गरीबी रेखा से उपर लाना है।

15.2 एसजीएसवाई कार्यक्रम की संकल्पना, सामाजिक प्रोत्साहन और एस0एच0जी0– के गठन पर बल देते हुए गरीबों के लिए एक प्रक्रिया उन्मुख

कार्यक्रम के रूप में की गई है। यह माना जाता है कि एसएचजी विभिन्न चरणों के माध्यम से काम करते है और इसलिए कार्यक्रम के अन्र्तगत यह निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक चरण के अन्त में एक ग्रेडिंग का प्रयास किया जाना चाहिए। परिकल्पना की गई है कि एसएचजी विकास कार्य के लिए, डीआरडीए, समूह विकास प्रक्रिया शुरू करने और इसे बनाए रखने के लिए एनजीओ, समुदाय आधारित संगठनों आदि की सहायता प्राप्त कर सकता है और उपर्युक्त संगठनों/सोसाइटियों, व्यक्तियों को, एसएचजी के गठन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 10,000/– रूपये तक की राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके अलावा, कार्यक्रम के अन्तर्गत समूह निधि की चार गुणा राशि चक्रीय निधि के रूप में ''कैश क्रेडिट'' के तौर पर बैंकों द्वारा उपलब्ध करायी जाती है जबकि डी०आर०डी०ए० द्वारा सहायता के रूप में समूह निधि के बराबर की राशि न्यूनतम 5000/– रूपये एवं अधिकतम 10000/– रूपये उपलब्ध करायी जाती है। एसएचजी द्वारा आय सृजक कार्यकलाप प्रारंभ करने के लिए अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के बाद कार्यक्रम के अन्तर्गत सब्सिडी और ऋण के रूप में सहायता प्रदान की जाती है। परियोजना लागत की 30 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 7500/– रूपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के मामले में परियोजना लागत के 50 प्रतिशत तक, अधिकतम 10,000/– रूपये की सब्सिडी प्रदान की जाती है। स्व–रोजगारियों के समूह के लिए सब्सिडी की राशि स्कीम की लागत का 50 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति 10,000/– रूपये अथवा 1.25 लाख रूपये तक, जो भी कम हो, होती है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए सब्सिडी के संबंध में धन की कोई सीमा नहीं है। सब्सिडी ''बैंक–इंडेड होती है।

15.3 कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियेां के लिए 50 प्रतिशत, महिलाओं के लिए 40 प्रतिशत और विकलागों के लिए 3 प्रतिशत लाभ आरक्षित करके कमजोर वर्गो के लिए विशेष सुरक्षापायों की व्यवस्था है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक ब्लॉक में गठित समूहों में से 50 प्रतिशत केवल महिलाओं के लिए होने चाहिए।

15.4 क्योंकि इस स्कीम की प्रकृति प्रक्रियोन्मुखी है इसलिए यह माना जाता है कि राज्य/संधराज्य में यह स्कीम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों पर होंगे । अतः इस स्कीम में लचीलेपन की व्यवस्था की गई है ताकि डीआरडीए, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आधारभूत संरचना, रिवोल्विंग फंड को निर्धारित कर सके और आर्थिक कार्यकलापों हेतु स्थानीय जरूरतों के अनुसार समूह निर्माण के भिन्न–भिन्न चरणों पर आधारित (अनुदान) दे सके। इसके अलावा, एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत 15 प्रतिशत धन राष्ट्रीय स्तर पर विशेष परियोजनाओं के लिए अलग रखा गया है । विशेष परियोजनायें जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्व रोजगार सृजन क्षमता हो किसी भी क्षेत्र के लिए खुली है ।

15.5 स्कीम के लिए वर्ष 2006–07 में 139.98 करोड़ रूपये के केन्द्रीय परिव्यय एवं 46.66 करोड़ रूपये के रूप में राज्यांश परिव्यय की व्यवस्था की गई थी । प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के लिए वास्तविक व्यय, वर्ष 2006–07 के लिए बजट वास्तविक व्यय और वर्ष 2007–08 के लिए बजट अनुमान संलग्नक–1 में दर्शाया गया है।

16 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–बिहार

16.1 दिनांक 01.04.07 से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों में ''राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम–बिहार'' के नाम से चलायी जा रही है ।

योजनान्तर्गत मजदूरी चाहने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को निबंधित कर उन्हें जॉब कार्ड दिया जायेगा एवं उनके द्वारा अकुशल मजदूरी की लिखित मांग करने पर 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक जॉव कार्डधारी परिवार के व्यस्क सदस्यों को सम्मिलित रूप से एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का अकुशल मजदूरी नियोजन दिया जायेगा । रोजगार मुहैया नहीं कराने की स्थिति में आवेदक को अनियोजन भत्ता राज्य सरकार को देना होगा। उत्पादक परिसम्पति का सृजन कर श्रमिकों के पलायन को रोकना एवं ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी दूर करना योजना का मुख्य उद्देश्य है । ठीकेदारी एवं मशीनों के उपयोग पर रोक है ।

16.2 इस योजना के अन्तर्गत अकुशल मजदूरों पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा जबकि कुशल, अर्द्धकुशल मजदूरों पर तथा सामग्री

पर होने वाले व्यय का वहन, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में किया जायेगा। जल संरक्षण एवं जल संचय, परम्परागत सार्वजनिक जल स्त्रोतो का जीर्णोद्धार, पईन–आहर का जीर्णोद्धार, सामाजिक वानिकी, वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण द्वारा सुखे से बचाव, सिंचाई के लिए सूक्ष्म एवं लधु सिंचाई परियोजना सहित नहरों का निर्माण, अनु0 जाति/अनु0 जनजाति परिवारों के लिए भूमि विकास, इंन्दिरा आवास योजना के लाभान्वित गॉवों में सम्पर्क सड़क जैसी योजनाएँ इसके अन्तर्गत ली जा सकती है।

16.3 त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत योजना के कार्यान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है । कार्यों की योजना तैयार करने, परिवारों का पंजीकरण करने, रोजगार कार्ड जारी करने, रोजगार आवंटित करने, कम से कम पचास प्रतिशत कार्यों को लागू करने और गॉव स्तर पर योजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को ही सौपा गया है । प्रखंड स्तर पर ग्राम पंचायतों से प्राप्त योजनाओं की सूची को अनुमोदित करते हुए प्रखंड की वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर तीस दिनों के अन्दर जिला कार्यक्रम समन्वयक/उप विकास आयुक्तों को उपलब्ध कराया जाना है । पंचायत समिति तथा पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजना की समीक्षा जिला परिषद द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इसे जिला वार्षिक कार्य योजना में शामिल कर लिया जाता है । जिला परिषद द्वारा वैसी योजनाओं का क्रियान्वयन कराया जाना है जिसका विस्तार एक से अधिक प्रखंड में हो, एक प्रखंड के पंचायत को दूसरे प्रखंड के पंचायत से जोड़ता हो, अथवा इसके अलावे एक जिला को दूसरे जिला से जोड़ने वाले पईन, जमीदारी तटबंध, नहर का भी क्रियान्वयन किया जाना है।

16.4 यह योजना श्रमिकों की मांग पर आधारित है एवं राशि की सतत् उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया गया है । अनुश्रवण एवं निगरानी के लिए प्रत्येक स्तर पर समिति गठित है । श्रमिकों को मजदूरी भुगतान पद्वति को दोषमुक्त रखने हेतु बैंकों को माध्यम बनाया गया है । ग्राम सभा द्वारा सार्वजनिक निगरानी के लिए खुली सभा में सामाजिक ऑडिट किए जाते हैं । यह सूचना के अधिकार से जुड़ा हुआ है।

16.5 योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अनुबंध के आधार पर प्रखंड /पंचायतों में विभिन्न पदो के विरूद्ध नियुक्ति की कार्रवाई की गई है । साथ ही, आम जनता की व्यापक जानकारी के निमित दैनिक सामाचार पत्रों में योजना के मुख्य उद्देश्य एवं क्रियान्वयन प्रचारित भी हैं ।

16.6 इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2006–07 में केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में 564.90 करोड़ रूपये विमुक्ति किए गए हैं तथा योजनान्तर्गत कुल उपलब्ध राशि 1228.94 करोड़ रूपये के विरूद्ध 718.28 करोड़ रूपये व्यय किये गये, कुल 35.63 लाख परिवारों को जॉब कार्ड वितरण किया गया तथा 16.88 लाख परिवारों को रोजगार मुहैया कर 596.87 लाख मानव दिवस का सृजन किया गया ।

17 ग्रामीण आवासन–इन्दिरा आवास योजना (आईएवाई)

17.1 आवासन को मानव उत्तरजीविता के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में समझा गया है और इसलिए यह सामाजिक विकास के लिए अनिवार्य है। ग्रामीण गरीबों की आवासन जरूरतों को पूरा करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार 1985–86 से इन्दिरा आवास योजना (आइएवाई) कार्यान्वित कर रही है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आवासन को एक प्राथमिकता का क्षेत्र मानकर आश्रयहीनता को दूर करना था । इस उद्वेश्य को प्राप्त करने के लिए ग्रामीण आवासन के संबंध में विशेष कार्य योजना तैयार की गई थी।

17.2 इंन्दिरा आवास योजना का उदेश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियेां और मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को मुफ्त रिहायशी इकाई उपलब्ध कराना है। वर्ष 1995–96 से इसका लाभ युद्ध के दौरान मारे गए रक्षा कर्मियों की विधवाओं अथवा उनके रिश्तेदार को भी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है । भूतपूर्व सैनिकों और अर्द्ध–सैनिक बलो के सेवानिवृत सदस्यों के लिए भी, जबतक वे इस येाजना की सामान्य पात्रता की शर्तों को पूरा करते है, इस योजना का लाभ विस्तारित किया गया है । ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले विकलांगों के लाभार्थ निधि का 3 प्रतिशत आरक्षित किया गया है तथापि गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के

लोगों को आई0ए0वाई0 का लाभ कुल आवंटन के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। और उसमें भी 15 प्रतिशत अल्पसंख्यको के लिए होगा ।

17.3 आवास निर्माण के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा को 1 अप्रैल 2004 से संशोधित कर दिया गया है और फिलहाल यह मैदानी क्षेत्रों के लिए 25000/– रूपये प्रति इकाई तथा पर्वतीय/कठिन इलाकों के लिए 27,500/– रूपये प्रति इकाई है। चूँकि ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा मकानों के उन्नयन की अत्यंत जरूरत थी, इसलिए 01.04.04 से यह निर्धारित किया गया है कि कुल निधि के 20 प्रतिशत तक का उपयेाग कच्चे मकानों के पक्के/अर्द्व–पक्के मकानों में बदलने के लिए अथवा क्रेडिट –सह– सब्सिडी स्कीम के अन्तर्गत ऋण का लाभ उठाने वाले लाभार्थी को सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। सम्प्रति ये दोनों योजनाएँ यथा इंदिरा आवास उन्नयन एवं ऋण–सह–अनुदान की योजनाओं पर कुल आवंटन का 20 प्रतिशत तक राशि का व्यय किया जा सकता है ।

17.4 इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को गरीबी के अनुपात तथा आवास की कमी के आधार पर दी जाती है, जिसमें प्रत्येक घटक को सामान वेटेज दिया जाएगा । इस कार्य के लिए योजना आयोग द्वारा तैयार किए गये गरीबी अनुपात के ऑकड़ा का प्रयोग किया जाता है, जबकि आवास की कमी का निर्धारण पिछली जनगणना के आधार पर किया जाता है । एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अंदर इंदिरा आवास योजना की निधियों के अंतर–जिला आवंटन का मानदण्ड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की कुल अनुसूचित जाति/जनजाति आबादी और आवास की कमी की तुलना में एक जिला में ग्रामीण अनुसूचित जाति/जनजाति आवादी और आवास की कमी का अनुपात है। इन दोनों घटकों को अंतर–जिला आवंटनों में सामान वेटेज दिया जाता है। एक जिले के अंदर प्रखंडो के लिए लक्ष्यों को इन्हीं सिद्वान्तों पर निर्धारित किया जाता है ।

17.5 वर्ष 2006–07 में इस योजनान्तर्गत कुल 1132.19 करोड़ रूपये आवंटन किया गया था तथा कुल उपलब्ध राशि 1683.67 करोड़ रूपये के विरूद्व 1185.88 करोड़ रूपये व्यय कर 3.15 लाख नये आवास का निर्माण एवं उन्नयन किया गया।

18. बंजर भूमि और अवक्रमित भूमि का विकास

18.1 सरकार द्वारा अवक्रमित और बंजर भूमि के विकास को उच्च प्राथमिकता दी गई है। संधारणीय आधार पर इन क्षेत्रों में मानव जनसंख्या और पशुधन को सहायता देने हेतु अवक्रमित भूमि वहन क्षमता को बढ़ावा देना इन कार्यक्रमों के प्रमुख उदेश्य रहें है जिसका घ्येय बंजर भूमि का विकास करना है । जलसंभर विकास वर्षा आधारित है । प्राकृतिक संसाधन संबंधी दसवीं योजना कार्यदल ने संकेत दिया था कि 107 मिलियन हेक्टेयर अपक्रमित भूमि में से 89 मिलियन हेक्टेयर का दसवीं योजना अवधि के प्रारंभ में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। दसवीं योजना के प्रथम तीन वर्षो के दौरान भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा लगभग 6 लाख हेक्टेयर अपक्रमित भूमि के सुधार हेतु निधियां जारी की गई है।

विभिन्न मंत्रालय अपक्रमित भूमि के सुधार करने हेतु जलसंभर विकास कार्यक्रमो पर कार्रवाई करते हैं। भूमि संसाधन विभाग तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम के (डीपीएपी) मरूभूमि विकास कार्यक्रम (आईडब्लूडीपी) की केन्द्र प्रायेाजित स्कीमों (सीएसएस) हेतु राज्य सरकारों की सहायता करता है। पर्यावरण और वन मंत्रालय अवक्रमित वनों के कायाकल्प हेतु एक स्कीम का संचालन करता है। कृषि मंत्रालय पूर्वोतर राज्यों में झूम (शिफ्टिंग) खेती में वर्षा आधारित क्षेत्रों और बंजर भूमि विकास परियोजना के लिए राष्ट्रीय जलसंभर विकास परियोजना का कार्यान्वयन करता है। इन कार्यक्रमों का नीचे विश्लेषण किया जा रहा है।

18.2 बिहार में कुल बंजर भूमि 5443.68 वर्ग कि०मी० है जिसमें से 1403.21 वर्ग कि०मी० जल जमाव है (अर्थात् 25.78 प्रतिशत) तथा 51 प्रतिशत अवकृष्ट वर्ग से आच्छादित है । इस प्रकार कुल 23.22 प्रतिशत बंजर भूमि किसी अन्य उपयोग में लायी जा सकती है ।

19. सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी0पी0ए0पी0)

19.1 डीपीएपी देश में उन क्षेत्रों के सामने आने वाली विशेष समस्याओं के समाधान के लिए 1973–74 से शुरू किया गया था जो लगातार तीव्र सूखे की स्थिति के प्रभावित रहते है। हनुमन्त राव समिति (1994) की सिफारिश के आधार पर यह कार्यक्रम 1995 से जलसंभर आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है।

जलसंभर परियोजनाओं के आयोजना, निष्पादन और अनुरक्षण की जिम्मेदारी इस उदेश्य हेतु विशेष रूप से गठित स्थानीय लोगों के संगठनों को सौपी गई है। डीपीएपी के संचालन का यूनिट एक ब्लॉक होता है सम्प्रति 16 राज्यों में अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडू उत्तर प्रदेश, उत्तांचल और पश्चिम बंगाल के 182 जिलों के 972 ब्लॉक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल है।

19.2 बिहार में सुखाड़ोन्मुख क्षेत्र विकास कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) छः जिलों (यथा मधुबनी, जमुई, नवादा, रोहतास, कैमूर, सीतामढ़ी) के 30 प्रखंडों में चलाई जा रहीं हैं। कुल 500 हे० की 543 योजनाएँ चलायी जा रहीं है । वर्ष 2006–07 तक कुल 37.61 करोड़ राशि के विरूद्व 25.96 करोड़ रू० व्यय हो चुका है ।

20. एकीकृत बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई0डब्लू0डी0पी0)

20.1 यह कार्यक्रम 1989–90 से कार्यान्वित किया जा रहा है । पहली अप्रैल, 1995 से इस स्कीम को जलसंभर विकास हेतु निर्गत दिशानिर्देश के अनुसार जलसंभर के आधार पर कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे सभी स्तरों पर जनता की भागीदारी बढ़ने के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में जलसंभर को बढ़ावा देकर रोजगार सृजन की आशा की जाती है जिससे भूमि का संधारणीय विकास होगा और लाभों की उचित साझेदारी होगी।

20.2 आईडब्लूडीपी के अंतर्गत परियोजनाओं को समान्यतया उन क्षेत्रों में स्वीकृत किया जाता है जो क्षेत्र डीडीपी और डीपीएपी के द्वारा आच्छादित नहीं होते हैं । इस कार्यक्रम को देश के 297 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बिहार राज्य में समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्लू०डी०पी०) 31 जिलों (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर खगड़िया, शिवहर, को छोड़ कर) के 60 प्रखंडो में चलाई जा रहा है । वर्ष 2006–07 तक 65 योजना (प्रत्येक लगभग 5000 हे०) स्वीकृत है । कुल 30.68 करोड़ आवंटन के विरूद्व 12.89 करोड़ व्यय हो चुके हैं ।

21. हरियाली दिशानिर्देश

21.1 डीपीएपी, डीडीपी और आईडब्लूडीपी के कार्यान्वयन हेतु सामान्य दिशानिर्देशों को वर्ष 2003 में संशोधित कर इसका नाम हरियाली दिशा निर्देश किया गया था।

हरियाली के अंतर्गत जलसंभर विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईजी) की निर्णायक भूमिका है। इस पहल के अंतर्गत जलसंभर विकास कार्यक्रमों अर्थात डीपीएपी, डीडीपी, और आईडब्ल्यूडीपी को पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस तारीख से पहले स्वीकृत परियोजनाएं 2001 के जलसंभर विकास दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

21.2 हरियाली कार्यक्रम पर सम्यक विचार करने के लिए भारत सरकार के तथा देश के सभी जलछाजन कार्यक्रम के अध्ययन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा श्री एस० पार्यसरथी की अध्यक्षता में एक तकनीकी कमेटी का गठन किया गया । कमेटी की अनुशंसाओं के आधार पर डी०पी०ए०पी०, आई०डब्लू०डी०पी० तथा डी०डी०पी० कार्यक्रम को मिलाकर Intergrated watershed management programme गठित किया गया जो 01.04.07 से लागू हो गया है ।

स्कीमों का संक्षिप्त वर्णन : राज्य योजना

22. **सामुदायिक विकास (प्रखंड भवन)**:–इस स्कीम के अधीन नवसृजित प्रखंडों के लिए भवन बनाए जायेगे तथा पूर्व वर्षों में बनाए गए भवनों का चरणवार पुनर्रूद्वार किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय–36393.17 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 2540 लाख रू0)

23. **स्थापना**:–इस स्कीम के अधीन विभिन्न स्कीमों यथा एस0जी0एस0वाई0, एस0जी0आर0वाई, डी0पी0ए0पी0, प्रखंडों का सुदृढ़ीकरण, आर0डी0टी0आई0, विशेष खंड आदि की स्थापना विषयक खर्च जैसे वेतन, यात्रा भत्ता आदि की व्यवस्था की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय–41592.19 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 8525.50 लाख रू0)

24. **ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान**:–ग्यारहवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान को मजबूत किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय–519.91 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 60 लाख रू0)

25. **स्वर्णजंयती ग्राम स्वरोजगार योजनाः**— बी0पी0एल0 परिवारों की सहायता का यह एक समेकित कार्यक्रम है जिसमें सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक परिवार प्रति माह कम से कम 2000 रू0 प्राप्त करें।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का उद्व्यय— 192363.91 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय— 6.725 लाख रू0)

26. **एन0आर0ई0जी0एस0ः**—इस स्कीम के अधीन जॉब कार्डधारी को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का मजदूरी आधारित नियोजन दिया जाएगा । इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य काम चाहने वाले को जीविका उपलब्ध कराना है ताकि उनके प्रवजन को रोका जा सके तथा दीर्धकालीन आर्थिक विकास के लिए स्थायी परिसम्पति सृजित की जा सके ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का अंश उद्व्यय— 242274.55 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय— 12000 लाख रू0)

27. **एस0आर0ई0जी0एस0ः**— यह स्कीम उन 15 जिलों में शुरू की गयी थी जहॉ एन0आर0ई0जी0एस0 लागू नहीं थे । चूँकि एन0आर0ई0जी0एस0 अब सभी 38 जिलों में लागू है , इसलिए वर्ष 2007—08 से यह स्कीम वापस ले ली गयी है । चालू स्कीम को पूरा करने के लिए निधि उपलब्ध करायी गयी है । एन0आर0ई0जी0एस0 अब राज्य के सभी 38 जिलों में लागू है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का अंश उद्व्यय— 242274.55 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय— 20000 लाख रू0)

28. **सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनाः**—इस कार्यक्रम का लक्ष्य उन ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी युक्त नियोजन एवं खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है जहॉ एन0आ0ई0जी0एस0 लागू नहीं है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का अंश उद्व्यय— 242274.55 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय— 7600 लाख रू0)

29. **खाद्यान का हथालन** ः—इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम के भंडार से पंचायत स्तर तक खाद्यान्न पहुॅचाने में होने वाले खर्च का वहन करती है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का अंश उद्व्यय— 242274.55 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय— 1500 लाख रू0)

30. **सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रमः**—यह स्कीम, जो चौथी पंचवर्षीय योजना से विद्यमान है, का लक्ष्य स्थानीय लोगो की भागीदारी से प्राकृतिक संसाधनों के

उपयोग तथा जलछाजन की व्यवस्था कर गम्भीर रूप से पीडित सूखा क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन कायम करना है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय– 1559.71 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 220 लाख रू0)

31. **डी0आर0डी0ए0 प्रशासनः**–इस स्कीम का उदेश्य जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को मजबूत करना तथा गरीबी–रोधी प्रबंधनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय– 4199.02 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 835 लाख रू0)

32. **डी0आर0डी0ए0 भवनः**–इस स्कीम के अंतर्गत डी0आर0डी0ए0 के लिए भवन बनाए जायेंगे ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय–1000 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 100 लाख रू0)

भारत निर्माण ग्रामीण आवासन

33. **इंदिरा आवास योजनाः**–यह केन्द्र सरकार का प्रमुख ग्रामीण आवासन स्कीम है जिसमें से 20 प्रतिशत गग्रमीण बी0पी0एल0 परिवारों के अप्रयोज्य कच्चे मकानों को उन्नत करने के लिए कर्णांकित किया गया है । जो इस स्कीम के अंदर नही आते हैं, उन्हें ऋण तथा आर्थिक सहायता स्कीम के अंतर्गत दी जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय– 118928.89 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 35448.16 लाख रू0)

प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत वित्तीय तथा वास्तविक निष्पादन

(करोड़ रूपये)

क्रं0	योजना का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	2006-07
		बजट अनुमान्य	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान्य	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान्य	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान्य	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान्य	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	124.00	90.75	160.50	140.50	201.00	170.84	93.00	93.00	93.00	19273.5 लाख मानव दिवस
2	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम					50.25	50.25	170.00	79.08	120.00	19273.5 लाख मानव दिवस

3	राष्ट्रीय काम के बदलें अनाज कार्यक्रम	20.00	8.99	7.50	7.50	106.83	82.63	25.00	25.00	15.00	....
4	स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना	20.00	13.35	14.00	12.79	60.00	55.46	66.00	36.00	66.00	47545 लाभान्वित स्वरोजगारी
5	राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम						----	150.00	140.00	200.00	....
6	इंदिरा आवास योजना	101.00	65.51	241.00	235.42	136.50	136.50	412.00	404.27	412.00	3.15 लाख नव निर्मित
7	हरियाली	3.48	1.30	2.00	1.49	2.00	2.00	2.20	2.20	2.20	....
8	डी०आर०डी०ए० (प्रशासन)	6.50	2.47	2.50	3.93	6.00	3.58	6.60	3.80	6.60	....
9	सामुदायिक विकास	5.50	0.00	1.00	1.00	29.42	28.93	15.40	15.40	25.40	....
10	स्थापना	54.55	60.50	51.50	71.35	64.58	63.33	71.25	69.09	71.25	....
11	डी०आर०डी०ए० (भवन)					5.00	0.76	1.00	0.20	1.00	....
12	प्रशिक्षण					1.00	0.79	0.60	0.60	0.60	....
13	पी०एम०जी०वाई० (ग्रामीण आवास)	95.23	84.61	84.61	63.45					----	....
	कुल योग	**430.26**	**327.48**	**564.61**	**537.43**	**662.58**	**595.06**	**1013.05**	**868.64**	**1013.05**	

ग्रामीण विकास

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	41608.55	35816.80	35407.61
2003–04	41613.55	32014.67	32747.62
2004–05	56460.55	46479.68	53743.40
2005–06	58583.40	59633.40	59507.73
2006–07	72202.00	88076.16	86862.79
योग	**270468.05**	**262030.71**	**268269.15**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08)	–	95552.66 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12)	–	638751.34 लाख रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- लगभग 1.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से वर्ष 2015 तक गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या में 22 प्रतिशत की कमी लाना ।
- ग्रामीण निर्धन परिवारों को स्वनियोजन के माध्यम से सुनिश्चित मजदूरी नियोजन, उत्पादक जीवन स्तर एवं मकान उपलब्ध कराना ।
- गैर कृषि कार्य–कलापों के नियेाजन में वृद्धि के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से गरीबी कम करना ।
- भूख और अभाव के उन्मूलन के लिए चालू ग्रामीण नियोजन सुनिश्चित योजना, एस0जी0एस0वाई0, इन्दिरा आवास योजना, जलसंभर विकास योजना जैसी योजनाओं के कार्यान्वयन पर वल देना ।
- जिन 15 जिलों में एस0आर0ई0जी0एस0 का कार्यान्वयन राज्य सरकार के अपने संसाधनों से किया जा रहा था, वहॉ एन0आर0ई0जी0एस0 को दिनांक 1–4–2007 से सम्मिलित कर अर्थात अब सभी 38 जिलों में एन0आर0ई0जी0एस0 को लागू करना ।

5.2 पंचायती राज

1. बिहार पंचायत राज अधिनियम 1993 को निरसित करते हुए बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 लागू किया गया है। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत मई–जून 2006 में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव सम्पन्न कराया गया है एवं सम्प्रति 38 जिला परिषदें, 531 पंचायत समितियॉ, 8463 ग्राम पंचायतें एवं 8463 ग्राम कचहरियॉ अस्तित्व में आ गयी हैं।

2. पंचायतों का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। विभिन्न विभागों द्वारा पंचायतों को शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया है जिनमें कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन,

सामाजिक वानिकी, खादी एवं ग्राम–उद्योग, ग्रामीण गृह निर्माण, पेयजल, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, उन्मूलन कार्यक्रम, सामाजिक कल्याण, लोक वितरण प्रणाली, महिला एवं बाल विकास प्रमुख हैं।

3. पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्थाओं का योगदान विस्तृत है। पंचायत राज संस्थाओं को अपने विस्तृत कार्यक्षेत्र एवं दायित्व के निर्वहन हेतु वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।

4. वर्तमान में ग्राम कचहरियों में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का अभाव है जिसके कारण वे ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकती हैं। उन्हें आवश्यक आधारभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए उचित आर्थिक सहायता की जरूरत है।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना–लक्ष्य एवं प्रयास

5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का वर्तमान उद्देश्य पंचायतों को विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के योग्य बनाना है ताकि सामुदायिक विकास एवं रोजगार के अवसर प्रदान करने में उनका योगदान हो सके । चूँकि पंचायती राज संस्थाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं विकासपरक योजनाओं को बनाने एवं उनके कार्यान्वयन में महत्ती भूमिका है, अतः यह आवश्यक है कि उन्हें अपने संवैधानिक उपबंधों के अनुसार दायित्वों के निर्वहन हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

6. **ग्राम कचहरी एवं पंचायत के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण एवं अन्य व्यय**

विभिन्न संवैधानिक उपबंधों से अवगत कराने हेतु नव निर्वाचित प्रतिनिधियों यथा – पंच एवं सरपंच का प्रशिक्षण आवश्यक है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय–75349.60 लाख रु०)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–129.40 लाख रु०)

7. **पंचायती राज स्थापना व्यय** –पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत आवश्यक पदों के लिए ।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय–714.81 लाख रु०)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–112.60 लाख रु०)

विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम

8. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के 37 जिलों (जहानाबाद के साथ अरवल को संयुक्त करते हुए) को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम के लिए चयनित किया गया है। योजना के अन्तर्गत पंचायत राज संस्थाओं के क्षमतावर्द्धन हेतु प्रत्येक जिले को प्रति वर्ष 100 लाख रुपये एवं अनाबद्ध अनुदान के अन्तर्गत विभिन्न विकास योजनाओं के गैप को भरने के लिए प्रत्येक जिले को न्यूनतम 1000 लाख रूपये एवं अतिरिक्त राशि जिले की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के आधार पर उपलब्ध करायी जानी है। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा बिहार के लिए विकास निधि में 2007–08 हेतु 602.96 करोड़ रुपये कर्णांकित किए जाने की सूचना दी गयी है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय–30000.00 लाख रु०)
(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–30000.00 लाख रु०)

पंचायती राज

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 30242.00 लाख रुपये
ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) – 106064.42 लाख रुपये

प्रमुख नीतिगत पहल / मील के पत्थर

- पंचायतों को योजनाएँ लेने एवं विकास संबंधी योजनाओं को कार्यान्वित करने, सामुदायिक विकास एवं रोजगार के अवसर विकसित करने हेतु सक्षम बनाना।

- संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पंचायत राज संस्थाओं को अपने

कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु पर्याप्त साधन सम्पन्न बनाना।

- बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड (बी0आर0जी0एफ0) के अन्तर्गत 37 जिलों (जहानाबाद के साथ अरवल को संयुक्त करते हुए) को चयनित किया गया है।
- पंचायत राज संस्थाओं के स्तर पर बी0आर0जी0एफ0 परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जिला योजना की समुचित तैयारी के लिए क्षमता निर्माण का कार्य लिया गया है।
- केन्द्र प्रायोजित बी0आर0जी0एफ0 परियोजनान्तर्गत सीवान जिला को नहीं लिया गया है। इस जिला को राज्य योजना में सम्मिलित किया गया है।

परिशिष्ट–5.1

ग्रामीण विकास

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

स्कीम	11वी योजना उद्व्यय (2007–12)	वार्षिक योजना उद्व्यय (2007–08)
राज्य योजना		
सामुदायिक विकास, प्रखंड भवन	36393.17	2540.00
स्थापना	41592.19	8524.50
ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान	519.91	60.00
केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्य की हिस्सेदारी		
स्वर्ण जंयती ग्राम स्वरोजगार योजना	192363.91	6725.00
एन0आर0ई0जी0एस	242274.55	12000.00
एस0आर0ई0जी0एस0		20000.00
एस0जी0आर0वाई		7600.00
खाद्यान का हथालन		1500.00
सूखा प्रभावित क्षेत्र कार्यक्रम	1559.71	220.00
डी0आर0डी0ए0 प्रशासन	4199.02	835.00
डी0आर0डी0ए0 भवन	1000.00	100.00
भारत निर्माण		
केन्द्र प्रायोजित स्कीम (75:25) इंदिरा आवास योजना	118928.89	35448.16
कुल	**638831.35**	**95552.66**

परिशिष्ट–5.2

पंचायती राज

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्रं0	योजना का नाम	11वीं योजना (2007–12) का उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
1	जिला परिष्द/ ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी के लिए व्यय एवं प्रशिक्षण	75344.60	129.40
2	पंचायती राज का स्थापना	714.82	112.60
3	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	30000.00	30000.00
	योग	**106064.42**	**30242.00**

अध्याय–6

विशेष वर्ग/समूह

6.1 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण

सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति (अ0जा0) एवं अनुसूचित जन जाति (अ0ज0जा0) आते हैं । राज्य विभाजन के पश्चात्, मुख्य लक्ष्य वर्ग अनुसूचित जाति हैं, क्योंकि अब अनुसूचित जनजातियों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 0.91 प्रतिशत ही रह गई है, जबकि अनुसूचित जाति की संख्या 15.72 प्रतिशत है । वर्त्तमान में विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास तथा उन्हें सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करता है ।

2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जातियों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए छात्रवृति प्रदान करने, आवासीय विद्यालय, छात्रावास की व्यवस्था करने एवं परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति करने से संबंधित अनेक शैक्षणिक योजनाओं का संचालन करता है । चूँकि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति कल्याण विभाग (एस0सी0 एस0पी0 एवं टी0एस0पी0) के कार्यान्वयन के लिए अब नोडल विभाग है, अतः प्रयास यह होगा कि विभिन्न विभागों द्वारा अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 के संबंध में चलाई जा रही योजनाओं को एक छत के नीचे समेकित किया जाए ।

दसवीं योजना की समीक्षा और ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य

3. अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए दसवीं योजना के संशोधित उद्व्यय 295.22 करोड़ रूपये के विरूद्ध, दसवीं योजना अवधि के दौरान 271.42 करोड़ (91.94 प्रतिशत) रूपये का व्यय हुआ ।

ग्यारहवीं योजना की रणनीति

4. अ0जा0 के लिए शैक्षणिक योजनाएँ, यथा, शैक्षणिक छात्रवृति का प्रावधान और आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास का निर्माण जारी रहेगा, जिसमें छात्राओं की सहायतावाली योजनाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी । अ0जा0,अ0ज0जा0

अत्याचार निवारण अधिनियम (पीओए) के अन्तर्गत अ0जा0 को छात्रवृति एवं उन्हें सहायता प्रदान करने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा । योजना एवं गैर–योजना के अन्तर्गत अन्य योजनाएँ यथा, छात्रवृति योजना, सहायता केन्द्र, पुस्तक अधिकोष, छात्राओं के लिए परिधान, आवासीय विद्यालय, छात्रावास इत्यादि का कार्यान्वयन किया जा रहा है । पिछड़ी जातियों के लिए भी इसी तरह की योजनाएँ चलाई जा रही है, जिनकी जनसंख्या राज्य की जनसंख्या के 50 प्रतिशत से अधिक है

5. **अ0जा0 के लिए छात्रवृति :– प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयः–** ग्यारहवीं योजना अवधि के अन्तर्गत छात्रों के लिए छात्रवृति का वितरण जारी रहेगा।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 41942.38 लाख रूपये
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 4205.00 लाख रूपये)

6. **अ0जा0 छात्राओं के लिए परिधान** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0 छात्राओं के लिए पोशाक मुहैया कराने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 500.00 लाख रूपये
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 100.00 लाख रूपये)

7. **अ0जा0 विद्यालय एवं छात्रावास का जीर्णोद्धार** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0 विद्यालयों एवं छात्रावासों के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 2000.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 400.00 लाख रूपये ।

8. **अ0जा0 विद्यालयों की स्थापना** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0 के लिए विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 6700.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 1340.00 लाख रूपये ।

9. **विशेष केन्द्रीय सहायता से विशेष अंगीभूत योजना(ए. सी. ए. से एस. सी. पी.) को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त आर्थिक सहायता** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान (एस. सी. ए. से. एस. सी. पी. को) 5 प्रतिशत का अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 1000.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 200.00 लाख रूपये ।

10. **अनुसूचित जाति विकास निगम (एस.सी.डी.सी.) के शेयर पूँजी:** ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान एस.सी.डी.सी. को शेयर पूँजी प्रदान की जाएगी।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 500.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 100.00 लाख रूपये ।

11. **अ0जा0 (50 : 50)** : ग्यारहवीं अवधि के दौरान मलिन पेशा से जुड़े योग्य छात्रों को छात्रवृति दी जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 200.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 10.00 लाख रूपये ।

12. **अ0जा0 (50 : 50)** : पूर्व–परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रः ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 100.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 20.00 लाख रूपये ।

13. **अ0जा0 (50 : 50) छात्रावास का निर्माण** : अ0जा0 के लिए छात्रावासों का निर्माण किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 282.50 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 56.50 लाख रूपये ।

14. **अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 (50 : 50) अत्याचार निवारण अधिनियम (पी. ओ.ए.) के अधीन अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 का सहायता** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन योग्य छात्रों को सहायता पदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 125.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 25.00 लाख रूपये ।

15. **अ0जा0 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0 प्रवेशिकोत्तर छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 2450.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 490.00 लाख रूपये ।

16. **अ0जा0 तकनीकी छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0 छात्रों को तकनीकी छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 210.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 42.00 लाख रूपये ।

17. **अ0जा0 खेल छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0 के छात्रों को खेल छात्रवृति दी जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 15.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 3.00 लाख रूपये ।

18. **अ0जा0, अ0ज0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0जा0, अ0जा0जा0 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 2070.40 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 1281.00 लाख रूपये ।

19. **शोध सेमिनार एवं खेल प्रशिक्षण** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शोध, सेमिनार एवं खेल प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 150.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 25.00 लाख रूपये ।

20. **दक्षता विकास कार्यक्रम** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान दक्षता विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 2000.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 250.00 लाख रूपये ।

21. **अ0ज0जा0 छात्रवृति : प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0ज0जा0 के छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 1750.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 350.00 लाख रूपये ।

22. **अ0ज0जा0 प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान प्रवेशिकात्तर अ0ज0जा0 छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 150.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 30.00 लाख रूपये ।

23. **अ0ज0जा0 तकनीकी छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान योग्य एस.टी. छात्रों को तकनीकी छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 5.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 1.00 लाख रूपये ।

24. **अ0ज0जा0 खेल छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अ0ज0जा0 के योग्य छात्रों को खेल छात्रवृति प्रदान की जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 5.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 1.00 लाख रूपये ।

25. **शोध संस्थान की स्थापना** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान शोध संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 50.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये ।

26. **आयुर केन्द्र (Ayurvedic Medical Center) का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आयुर केन्द्र (Ayurvedic Medical Center) को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 150.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 100.00 लाख रूपये ।

केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण वित्त संपोषित योजनाएँ

27. **जनजाति उप–योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान जनजाति उप–योजना को केन्द्र सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता प्राप्त होगी।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 1579.90 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 500.00 लाख रूपये ।

28. **अनुच्छेद 275(11) के अन्तर्गत अनुदान** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त होगें ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 723.88 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 229.00 लाख रूपये ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

दसवीं योजना में वित्तीय उपलब्धि (अत्यंत पिछड़े वर्गो के कल्याण सहित)

(रू0 लाख में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	2760.00	2026.00	1620.57
2003–04	5128.09	4346.74	4155.12
2004–05	2063.71	3563.71	2223.44
2005–06	7079.04	6125.38	6064.88
2006–07	13361.00	13361.00	13078.85
योग	**30391.84**	**29422.83**	**27142.86**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वर्षिक योजना 2007–08 – 963.50 लाख रू0
ग्यारहवीं योजना 2007–12 – 62892.84 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का निर्माण (विशेष प्राथमिकता छात्राओं के लिए)
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 को सहायता देने पर विशेष बल ।

6.2 अन्य पिछड़ी जातियॉ

अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए अब स्वतंत्र विभाग गठित है । विशेषकर शिक्षा एवं आधारभूत न्यूनतम सेवाओं के क्षेत्र में विद्यमान सभी असमानताओं एवं विभिन्नताओं, को दूर कर पिछड़ी एवं अत्यन्त पिछड़ी जातियों को सामाजिक रूप से सशक्त करने का लक्ष्य है । पिछड़ी जातियों के शैक्षणिक स्तर को विकसित करने की दिशा में ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान छात्रवृति योजनाओं एवं आवासीय विद्यालयों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

ग्यारहवीं योजना एवं वार्षिक योजना 2007–08 के लिए प्रस्तावित योजनाऍ

शैक्षणिक योजनाऍ

1. **छात्रवृति योजना** : अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए विद्यालय, प्रवेशिकोत्तर शिक्षा एवं तकनीकी प्रशिक्षण हेतु विभिन्न छात्रवृति कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं । छात्रवृति की दर विभाग द्वारा निर्धारित की जाती है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 11073.74 लाख रूपये।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 2000.00 लाख रूपये ।

2. **अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना** : सिर्फ अन्य पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए बारह विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की गई है । इन विद्यालयों में, भोजन, आवास एवं पढ़न–लिखने की सामग्री की मुफ्त व्यवस्था की गई है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 1375.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 275.00 लाख रूपये ।

3. **अन्य पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालयों का भवन निर्माण**ः राज्य सरकार ने अन्य पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 12 आवासीय उच्च विद्यालयों की स्वीकृति प्रदान की है । 2005–06 एवं 2006–07 के दौरान चार विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए निधि की स्वीकृति मिल चुकी है । इन विद्यालयों को अपने निजी भवन की आवश्यकता है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 1675.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 335.00 लाख रूपये ।

4. **बिहार राज्य पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम को शेयर पूँजी** : राज्य सरकार बिहार राज्य पिछड़ी जाति वित्त एवं विकास निगम चलाती है । यह निगम कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और राज्य सरकार इसे शेयर पूँजी प्रदान करती है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 500.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 100.00 लाख रूपये ।

5. **अन्य पिछड़ी जातियों के लिए प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 3504.60 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 584.10 लाख रूपये ।

6. **अन्य पिछड़ी जातियों के लिए तकनीकी छात्रवृति** : ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान इस योजना को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 88.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 17.40 लाख रूपये ।

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (50 : 50)

1. **पूर्व प्रवेशिका छात्रवृति (50 : 50)** : अन्य पिछड़ी जातियों के लिए पूर्व–प्रवेशिका छात्रवृति योजना केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में भी आरंभ की गई है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 500.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 100.00 लाख रूपये ।

2. **केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण (50 : 50)** : 2002–03 के दौरान अन्य पिछड़ी जातियों के छात्रों के लिए छात्रावास के निर्माण हेतु 229.29 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 565.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 113.00 लाख रूपये ।

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08	–	3524.50 लाख रू0
ग्यारहवीं योजना 2007–12	–	18207.60 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- सभी असमानताओं,विभिन्नताओं एवं अन्य प्रतिबंधों को दूरकर पिछड़े एवं सर्वाधिक पिछड़े वर्गो को सामाजिक रूप से सशक्त करना
- मौलिक न्यूनतम सेवाओं को सहज उपलब्ध कराना
- अन्य पिछड़े वर्गो के शिक्षा स्तर में सुधार करना
- अन्य पिछड़े वर्गो के लिए 12 आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति, विशेषकर बालिकाओं के लिए ।

6.3 अल्पसंख्यक वर्ग

अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण के लिए एक स्वतंत्र विभाग गठित है ।धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की संस्कृति एवं भाषा को संरक्षित करने के प्रयोजनार्थ विभाग लक्ष्यांकित कार्यक्रम प्रारंभ करता है । सरकार राज्य में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वचनबद्ध है । इस क्षेत्र के अन्तर्गत विभाग द्वारा वक्फ की सम्पत्तियों का सर्वेक्षण, कम्प्यूटरीकरण एवं लोक सेवा आयोग तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हेतु अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रवृति प्रदान करने एवं कोचिंग की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है ।

ग्यारहवीं योजना की रणनीति

रणनीति के अन्तर्गत (1) प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु अल्पसंख्यक छात्रों के सहायतार्थ आधारभूत संरचना को मजबूत करना, (2) अल्पसंख्यक महिलाओं, मुख्य रूप से तलाकशुदा महिलाओं का, जिन्हें आर्थिक मदद की जरूरत है, के कल्याण की व्यवस्था करना, और (3) वक्फ की संपत्ति के सर्वेक्षण का कम्प्यूटरीकरण करना सम्मिलित है ।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

1. **अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण– अनुरक्षण एवं सुसज्जित करना** : विभाग अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण एवं उसका अनुरक्षण करता है । वार्षिक योजना 2007–08 में इन छात्रावासों के अनुरक्षण एवं सुसज्जीकरण को जारी रखने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 6374.33 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 1021.00 लाख रूपये ।

2. **हज भवन का निर्माण** : अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य प्रत्येक वर्ष हज यात्रा पर जाते हैं । पटना में उनके लिए हज भवन का निर्माण कराया जा रहा है।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 300.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 100.00 लाख रूपये ।

3. **उद्यान मंडप का निर्माण** : ग्यारहवीं योजना के दौरान उद्यान मंडप के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 844.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 00.00 लाख रूपये ।

4. **राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के लिए राज्य की शेयर पूँजी का उपबंध** : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरतमन्द कारीगरों एवं स्वनियोजकों को ऋण मुहैया कराता है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 832.39 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 232.39 लाख रूपये ।

5. **राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम की शेयर पूँजी** : राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम के कार्य–कलापों को जारी रखने के लिए सहायता ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 1005.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 205.00 लाख रूपये ।

6. **वक्फ संपतियों के सर्वेक्षण का कम्प्यूटरीकरण** : वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डाटा बेस तैयार करने के लिए बड़े पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता होगी।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007–12) : 170.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 50.00 लाख रूपये ।

7. **मेधा–सह–साधन के आधार पर महाविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृति**: अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों को उनकी शिक्षा के लिए छात्रवृति प्रदान की जाती है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007—12) : 1000.00 लाख रूपये।
वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय : 200.00 लाख रूपये ।

8. **लोक सेवा आयोग तैयारी में मद्द हेतु महाविद्यालय छात्रों को छात्रवृतिः** विभाग, लोक सेवा आयोग परीक्षार्थियों को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु प्रोत्साहन एवं छात्रवृति प्रदान करता है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007—12) : 1000.00 लाख रूपये।
वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय : 200.00 लाख रूपये ।

9. **वक्फ संपत्तियों का अनुरक्षण एवं सुरक्षाः** वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के अनुरक्षण एवं सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे अल्पसंख्यक समुदाय के काम आ सके।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007—12) : 130.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय : 50.00 लाख रूपये ।

10. **वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की चक्रीय निधि (रिवाल्विंग फंड) के रूप में सहाय्य अनुदानः** सरकार वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए संग्रह निधि के रूप में सहाय्य अनुदान प्रदान करती है ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007—12) : 153.20 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय : 40.61 लाख रूपये ।

11. **वक्फ बोर्ड के माध्यम से तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को वित्तीय सहायताः** निर्धन तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना से लाभप्रद स्व—नियोजन प्राप्त हो सकेगा और वक्फ बोर्ड के माध्यम से इनका मार्ग प्रशस्त किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना का उद्व्यय) (2007—12) : 700.00 लाख रूपये ।
वार्षिक योजना 2007—08 का उद्व्यय : 140.00 लाख रूपये ।

अल्पसंख्यक कल्याण

दसवीं योजना में वित्तीय उपलब्धि

(रू0 लाख में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002—03	220.00	190.00	212.50
2003—04	289.54	366.54	288.48
2004—05	352.70	352.70	352.70
2005—06	1852.70	1320.70	1253.72
2006—07	1970.00	2239.80	2239.00
योग	**4684.94**	**4468.94**	**4346.40**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वर्षिक योजना 2007–08	–	2239.50 लाख रू0
ग्यारहवीं योजना	–	13590.59 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- वक्फ परिसम्पतियों के सर्वेक्षण का कम्प्यूटरीकरण
- अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए छात्रवृति तथा लोक सेवा आयोग एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए कोचिंग हेतु सहायता
- अल्पसंख्यक महिलाओं, मुख्यतः तलाकशुदा महिलाओं का कल्याण

परिशिष्ट–6.1

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्र0	योजनाएँ	11वी योजना उद्व्यय (2007–08)	वार्षिक योजना उद्व्यय (2007–08)
	राज्य योजना		
	अनुसूचित जाति		
1	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय के लिए छात्रवृति	41942.38	4205.00
2	छात्राओं के लिए परिधान	500.00	100.00
3	विद्यालयों एवं छात्रावासों का जीर्णोद्धार	2000.00	400.00
4	विद्यालय खोलना एवं उसकी स्थापना	6700.00	1340.00
5	एस0सी0ए0 से एस0सी0पी0 को अतिरिक्त 5 प्रतिशत की सब्सिडी	1000.00	200.00
6	एस0सी0डी0सी0 को शेयर पूँजी	500.00	100.00
7	(50:50) छात्रवृति मालिन पेशा	200.00	10.00
8	(50:50) पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र	100.00	20.00
9	(50:50) छात्रावास का निर्माण	282.50	56.50
10	अ0जा0 एवं अ0ज0जा0(50:50) अ0जा0 एवं अ0ज0जा0 की सहायता पी0ओ0ए0 अधिनियम	125.00	25.00
11	प्रवेशिकोत्तर	2450.00	490.00
12	तकनीकी छात्रवृति	210.00	42.00
13	अ0जा0 खेल छात्रवृति	15.00	3.00
14	अ0जा0 / अ0ज0जा0 / अ0पि0व0 आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास	2070.40	1281.00
15	शीध्र, सेमिनार, खेल प्रशिक्षण	150.00	25.00
16	दक्षता विकास कार्यक्रम	2000.00	250.00
	कुल(अ0जा0)	**60245.28**	**8547.50**
	अनुसूचित जन जाति		
17	प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यलाय	1750.00	350.00
18	प्रवेशिकोत्तर	150.00	30.00
19	तकनीकी छात्रवृति	5.00	1.00
20	खेल छात्रवृति	5.00	1.00
21	शोध संस्थान की स्थापना	50.00	5.00
22	आयुर केन्द्र (Ayurvedic Medical Center) का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण	150.00	100.00

क्र0	योजनाएँ	11वी योजना उद्व्यय (2007–08)	वार्षिक योजना उद्व्यय (2007–08)
23	एस0सी0ए0से0टी0एस0पी	1579.90	500.00
24	अनुच्छेद 275 (1) के अधीन अनुदान	723.88	229.00
	कुल(अ0ज0जा0)	**4413.78**	**1216.00**
	कुल योग(अ0जा0+अ0ज0जा0)	**64659.06**	**9763.50**

परिशिष्ट–6.2

पिछड़ी एवं अत्यंत पिछड़ी जाति कल्याण

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्रमांक	योजनाएँ	11वी योजना उद्व्यय (2007–12)	वार्षिक योजना उद्व्यय (2007–08)
	राज्य योजना		
	ओ0बी0सी0		
1	छात्रवृति पि0व0: प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय	11073.74	2000.00
2	पि0व0: आवासीय विद्यालयों की स्थापना	1375.00	275.00
3	बी0सी0डी0सी0 के लिए शेयर पूँजी	500.00	100.00
4	पि0व0: छात्राओं के लिए विद्यालयों का निर्माण	1675.00	335.00
5	अ0पि0व0: प्रवेशिकोत्तर छात्रवृति	3504.60	584.10
6	अ0पि0व0: तकनीकी छात्रवृति	88.00	17.40
	सी0एस0एस0 स्कीमों का राज्यांश		
7	पि0व0: 50:50 प्रवेशिका–पूर्व छात्रवृति	500.00	100.00
8	पि0व0:(50:50) छात्रावासों का निर्माण	565.00	113.00
	कुल(अ0पि0व0)	**19281.34**	**3524.50**

परिशिष्ट–6.3

अल्प संख्यक कल्याण

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

कमांक	योजनाएँ	11वी योजना उद्व्यय (2007–12)	वार्षिक योजना उद्व्यय (2007–08)
1	0101–अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण, अनुरक्षण एवं सुसज्जीकरण आदि	6374.33	1021.00
2	0102–अल्पसंख्यक भवन–सह–हज भवन का निर्माण	300.00	100.00
3	उद्यान मंडप का निर्माण	844.10	
4	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम का राज्य की शेयर पूँजी	832.39	232.39
5	अल्पसंख्यक वित्त निगम का राज्य की शेयर पूँजी	1005.00	205.00
6	वक्फ संपत्तियों के सर्वेक्षण का कम्प्यूरीकरण	170.00	50.00
7	महाविद्यालय जाने वाले छात्रों को मेधा–सह–निर्धनता के आधार पर छात्रवृति	1000.00	200.00
8	लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अल्पसंख्यक छात्रों की कोचिंग	1000.00	200.00
9	वक्फ संपत्तियों का अनुरक्षण एवं सुरक्षा	130.00	50.00
10	वक्फ संपत्तियों के विकास के लिए राज्य वक्फ वोर्ड को परिक्रामी चक्रिय निधि के रूप में सहाय्य अनुदान	153.20	40.61
11	तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सहायता	700.00	140.00
	कुल	**12508.92**	**2239.00**

अध्याय–7
कृषि एवं संबद्ध प्रक्षेत्र

7.1 कृषि

बिहार की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है । राज्य की जनसंख्या का लगभग 90 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है और कार्यबल का तीन चौथाई से अधिक भाग कृषि में लगा हुआ है । वर्ष 2006–07 में राज्य के घरेलू उत्पाद में कृषि तथा सहबद्ध सेवाओं का अंशदान 29.26 प्रतिशत था, यद्यपि 1980 में दर्ज किए गए 48 प्रतिशत के ऑकड़े से यह काफी कम है, फिरभी इस क्षेत्र में देश की सर्वोच्च भागीदारी में इसका स्थान है । हालॉकि दसवीं योजना (2002–03) के प्रथम वर्ष के दौरान देश में भीषण सुखाड़ का प्रकोप हुआ, फिरभी बिहार की कृषि ने काफी लचीलापन का प्रदर्शन किया क्योंकि खाद्यान्न उत्पादन में 116.82 लाख मेट्रीक टन(2001–02) से 110.85 लाख मेट्रीक टन(2002–03) का मामूली ह्रास हुआ है और वर्ष 2003–04 में खाद्यान्न का उत्पादन 1.1 प्रतिशत बढ़कर 112.11 लाख मेट्रीक टन हो गया है । जबकि लगातार दो वर्षों अर्थात् 2004–05 में 79.6 लाख मेट्रीक टन और 2005–06 में 81.12 लाख मेट्रीक टन की कमी खाद्यान्न उत्पादन में हुई । अनुमान के अनुसार 2006–07 में अंतरिम कृषि में पुनरुद्धार के लक्षण प्रकट हुए हैं, जिसके दौरान खाद्यान्न उत्पादन 112.07 लाख मेट्रीक टन अनुमानित है ।

10वीं योजना की वित्तीय उपलब्धि

2. 10वीं योजना के संशोधित उद्व्यय 23441.61 लाख रू0 के विरूद्ध दसवीं योजना अवधि के दौरान 21144.10 लाख रू0 (90.19 प्रतिशत) का व्यय हुआ ।

11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति

3. बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 93.6 हजार वर्ग किलोमीटर है, जिसमें गंगा नदी लगभग बीचों बीच बहती हैं; उत्तरी बिहार 53.3 हजार वर्ग किमी तथा दक्षिणी बिहार 40.9 हजार वर्ग किमी में फैला है। मिट्टी की गुणवत्ता, वर्षापात, तापक्रम आदि के आधार पर बिहार को चार कृषि जलवायवीय क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ये क्षेत्र हैं जोन–I उत्तर तटीय समतल, जोन– II उत्तरपूर्वी तटीय समतल,

जोन–III दक्षिणपूर्वी तटीय समतल तथा जोन–III बी–दक्षिण पश्चिमी तटीय समतल। इन क्षेत्रों की अपनी–अपनी विशिष्टताएँ एवं संभावनायें हैं।

4. बिहार ने उपजाऊ भूमि, पर्याप्त वर्षापात तथा भूगर्भ जल की प्रचुर उपलब्धता के बाबजूद अभी तक अपनी पूर्ण कृषि उत्पादन क्षमता को प्राप्त नहीं किया है। कृषि उत्पादकता के मामले में बिहार देश में सबसे कम उत्पादकता वाले राज्यों में से एक है, जिसके कारण इसके गांवों में गरीबी एवं कुपोषण व्याप्त है। इसके फलस्वरूप, यहाँ के मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिहार में कृषि के विकास के महत्व को रेखांकित करने के लिए डा० एम० एस० स्वामीनाथन के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रतिवेदन के कुछ अंशों का उद्धरण करना समीचीन होगा–''यदि हम इस क्षेत्र (पूर्वी) को कृषि विकास के क्षेत्र में अग्रणी के रूप में विकसित नहीं करेंगे, तो देश को 40 वर्षों बाद पुनः एक बार विदेशों से खाद्यान्न आयात करने की दयनीय स्थिति में लौटना पड़ेगा।'' ऐसी स्थिति में बिहार में कृषि के त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। इस रोड मैप की तैयारी के लिए एक **किसान पंचायत** का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री, कृषि एवं संबद्ध विभागों के मंत्रीगण, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं राज्य के विभिन्न जिलों से दो हजार से अधिक किसानों ने भाग लिया। रोड मैप की तैयारी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। नियत समय के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। 11वीं पचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य तालिका–I में अंकित है।

तालिका–I

कृषि विकास के रोड मैप के अनुसार 11वीं पचवर्षीय योजना के लिए भौतिक लक्ष्य

(i) फसल उत्पादकता में वृद्धि :

i.	चावल	14.86 क्विंटल/हे० से 29.72 क्विंटल/हे०
ii.	गेंहूँ	20.55 क्विंटल/हे० से 30.50

iii.	मक्का	26.71 क्विंटल/हे० से 35.25 क्विंटल/हे०
iv.	दलहन	7.22 क्विंटल/हे० से 10.13 क्विंटल/हे०
v.	तेलहन	10.32 क्विंटल/हे० से 12.00 क्विंटल/हे०
vi.	गन्ना	455.6 क्विंटल/हे० से 600.00 क्विंटल/हे०
vii.	फल	109.32 क्विंटल/हे० से 146.05 क्विंटल/हे०
viii.	सब्जी	165.92 क्विंटल/हे० से 200.60 क्विंटल/हे०

(नोट : वर्तमान उत्पादकता के आंकड़ो खाद्यान के लिए 2006–07 एवं फल–सब्जी के लिए 2005–06 से संबंधित है और लक्षित आंकड़े वर्ष 2012 के लिए है।)

(ii) फसल सघनता की वृद्धि 133 प्रतिशत से (2004–05) से 161 प्रतिशत की होगी।

(iii) प्रति व्यक्ति वार्षिक कृषि उत्पादन 661 रूपये से बढ़कर 1061 रूपये होगा।

(iv) भूमि उत्पादकता का स्तर 7351 रूपये/प्रति से बढ़कर 11799 रूपये /प्रति के आर्थिक स्तर पर होगा।

5. अभी तक कृषि विकास का जोर खेत पर आधारित रहा है जिससे किसानों का उतना भला नहीं हो सका है जितना विकास की प्रक्रिया में उनकी आकांक्षायें हैं। कृषि विकास की दर को बढ़ाने के लिए उत्पादकता के साथ किसानों की आमदनी को भी बढ़ाना होगा। साथ ही यह भी ध्यान देना होगा कि जो प्राकृतिक संसाधन राज्य में नैसर्गिक रूप से उपलब्ध है वे अक्षुण्ण रहें। इस प्रकार 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में कृषि के विकास के लिए पंचमुखी उद्देश्य निम्न प्रकार से निर्धारित किये गये हैं :

(क) कृषकों, विशेषतः छोटी जोत के कृषकों की आय में बढ़ोत्तरी लाकर इसे लाभकारी स्तर तक ले जाना सुनिश्चित करना

(ख) उत्पादकता को बढाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना

(ग) पोषण सुरक्षा एवं लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि को सुनिश्चित करना

(घ) कृषि में लाभकारी रोजगार का सृजन तथा ग्रामों से पलायन को रोकना

(ड़0) कृषि विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना

रणनीति

6. खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए कृषि विकास में न्याय के साथ प्रगति लाने के लिए प्रस्तावित कार्य योजना को चार मुख्य समूहों में बांटा गया है :

- उपादान : आपूर्ति एवं गुणवत्ता
- तकनीक का हस्तांतरण तथा प्रसार
- आय बढ़ाने की योजनाएँ
- विपणन

7. **उपादान** : इन कार्यक्रमों का एक प्रमुख बिन्दु उपादान की व्यवस्था करना होगा। उपादानों में, बीज का फसल उत्पादकता बढ़ाने में प्रमुख योगदान है। किसानों द्वारा किए जा रहे बीज प्रतिस्थापन की निम्न दर देखते हुए, बिहार के खेतों में चयनित फसलों की नयी किस्म के बीजों का उपयोग करने की एक त्वरित योजना बनायी गयी है। यह त्वरित कार्यक्रम किसानों के द्वारा किसानों के लिए कार्यान्वित की जायेगी। साथ ही बीज ग्राम को चिन्हित कर बीजोत्पादन का कार्यक्रम चलाया जायेगा। आगामी चार वर्षों में किसानों के बीच एक बड़े बीज आंदोलन का लक्ष्य है जो बीज के मामले में आत्मनिर्भरता लायेगा एवं कृषि उत्पादकता में लक्षित वृद्धि सम्भव हो सकेगी।

7.1 बीज उत्पादन/वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकारी प्रक्षेत्रों एवं कृषि विश्वविधालय/कृषि विज्ञान केन्द्रों में आधार बीज उत्पादित किये जायेंगे। बिहार राज्य बीज निगम में प्रसंस्करण एवं विपणन की क्षमता को विस्तारित किया जायेगा। बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन की गुणवत्ता को कायम रखने के लिए बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को किसानों के बीज को प्रमाणित करने के लिए सुदृढ़ किया जायेगा।

7.2 छोटे भूखंडों में आय वृद्धि के लिए वागबानी एक उत्तम साधन है। फसल कार्य योजना की तरह ही वागबानी में भी गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री और सब्जी बीज उत्पादन कार्यक्रम लागू करने का लक्ष्य है।

7.3 राज्य में आलू बीज उत्पादन के लिए एक विशेष आलू बीज उत्पादन कार्य योजना लागू करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ गन्ना उधोग की बढ़ती मांग को देखते हुए चीनी मिलों के माध्यम से गन्ना के उन्नत बीज का वितरण करने का लक्ष्य है। केला एवं गन्ना पौध सामग्री की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए ''टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला'' की स्थापना करने की योजना है।

7.4 बीजोत्पादन के अलावा दूसरा मुख्य उपादान उर्वरक है और फसल उत्पादन वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण है। राज्य में आयातित उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित नहीं रहने के चलते रोड मैप में उर्वरक मुख्यतया फास्फेटिक एवं पोटाशिक खाद आयात पर राज्य का नियंत्रण लाने का प्रस्ताव है।

7.5 उर्वरकों की आपूर्ति में कठिनाइयों को ध्यान में रखकर हरी खाद एवं केंचुआ खाद उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया है। सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए अनुदानित दर पर बोरॉन, जिंक सल्फेट एवं जिप्सम/पाइराइट की आपूर्ति हेतु योजना की रूपरेखा तैयार की गई है।

7.6 कृषि उत्पादन के लिए उपादानों में एक कीटनाशी/कृषि रसायनों के वितरण एवं प्रयोग को प्रभावी स्वरूप देने के लिए राज्य में कार्यरत पौधा संरक्षण केन्द्रों का जीर्णोद्धार करने का कार्यक्रम है।

7.7 उपादानों की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के साथ–साथ गुणवत्ता युक्त उपादानों के पहलू को भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में महत्व दिया गया है। प्रखंड स्तर पर मिट्टी परीक्षण सुविधा हेतु प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। जिला स्तर पर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला के साथ बीज परीक्षण प्रयोगशाला भी होगा। इन प्रयोगशालाओं के अलावा प्राकृतिक मित्रकीटों के पालन के लिए जैव नियंत्रण प्रयोगशाला तथा कीटनाशी व उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं को भी योजना में स्थान दिया गया है।

7.8 अन्तर फसल अवधि की समय–सीमा को कम करने एवं समय पर बुआई अनिवार्य रूप से संपन्न कर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए एक वृहद् कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना में खेतिहर महिलाओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले कृषि उपकरणों को महत्व भी दिया गया है।

8. **तकनीकी हस्तांतरण एवं कृषि प्रसार** : आधुनिक कृषि में कृषि तकनीक एक उपादान के रूप में चिह्वित है। आधुनिक कृषि तकनीक को कृषकों तक पहुचाने के लिए किसानों के खेत पर ''फारमर्स फील्ड स्कूल'' स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विशेषज्ञों द्वारा खेत में जाकर किसानों के बीच कृषि उत्पादन की नवीनतम पैकेज प्रणाली का विस्तार किया जायेगा।

8.1 विभिन्न तकनीकों का प्रत्यक्षण एवं कृषकों को कृषि में विकसित राज्यों का क्षेत्र भ्रमण जैसे प्रमुख अवयवों को सम्मिलित किया गया है।

8.2 किसान सम्मान योजना कृषि विभाग का महत्वपूर्ण कृषि प्रसार कार्यक्रम है जिसे पिछले अनुभवों के आधार पर, और सुदृढ़ किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर ई–किसान भवन स्थापित कर कृषि में सूचना तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव है। यहां पर मिट्टी परीक्षण सुविधाओं के साथ कृषि सूचनाएं भी उपलब्ध होंगी।

9. **आय संवर्द्धन कार्यक्रम** : कृषि विकास का मुख्य उद्देश्य कृषकों की आय में वृद्धि लाना है। इस क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय द्वारा समेकित कृषि माडलों का विकास किया गया है। इसके माध्यम से फसल उत्पादन, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, बतख पालन, मत्स्य पालन, आदि का सामंजन कर प्रति एकड़ क्षेत्रफल में अधिकतम आय प्राप्त करने हेतु कृषको को प्रोत्साहित किया जायेगा।

9.1 दक्षिणी बिहार के जिलों में अपरदित भूमि में जल–छाजन विकास के माध्यम से कृषि की उत्पादकता के साथ–साथ लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि लायी जायेगी।

10. **विपणन** : किसानों को उनके उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता मूल्य का बेहतर हिस्सा दिलाने के उद्देश्य से समेकित बाजार–प्रबंधन का विकास किया जायेगा।

विपणन विकास के लिए संस्थागत प्रयास किये जायेंगे जिससे राज्य में आधुनिक कृषि विपणन व्यवस्था का विकास होगा एवं किसानों की आय में वृद्धि होगी।

कृषि निवेश तथा सेवाएँ

11. **बीज योजना** : बीज एक ऐसा उपादान है जिसके सहारे सभी उपलब्ध वैज्ञानिक तकनीक फसल उत्पादन में रूपान्तरित होते हैं। कृषि के विकास में बीज की उपलब्धता निर्विवाद रूप से एक बहुत बड़ा कारक है। प्रस्तावित कार्यक्रम राज्य के सभी गाँवों में चार साल के अंदर प्रमुख फसलों (वागबानी एंव गन्ना सहित) के गुणवतायुक्त बीज किसानों को उपलब्ध कराने के उद्धेश्य से तैयार किया गया है। कृषि विकास के लिए कुछ फसलों को चिन्हित किया गया है जिसमें सरकारी सहायता प्रदान किया जाना आवश्यक है।

(क) प्रमुख फसलें : धान, गेहूँ, मक्का, अरहर, चना, मसूर, मूँग, मटर, राई/सरसों, तीसी, गन्ना।

(ख) वागबानी फसलें :

फल : आम, लीची, अमरूद, केला, आँवला।

सब्जी : बैंगन, टमाटर, भिंडी, प्याज, मटर, आलू और सहजन।

11.1 बीज योजना का उद्‌देश्य बीज प्रतिस्थापन दर में बढ़ोत्तरी करना है। आगामी 4 वर्षो में निम्नांकित बीज प्रतिस्थापन का लक्ष्य है।

- गेहूँ एवं धान : 33%, दलहनी फसलें : 20%
- राई/सरसों : 55%, मक्का : 70%

11.2 बीज प्रतिस्थापन दर प्राप्त करने की प्रक्रिया राज्य के सभी बीज गुणन प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन आरंभ कर, बिहार राज्य बीज निगम एंव राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी को सुदृढ कर प्रारंभ की जा चुकी है। इस रोड मैंप में राज्य की आवश्यकता के अनुरूप गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक क्रैश योजना प्रस्तावित है।

11.2.1 **प्रमुख फसलो के लिए क्रैश योजना** :– प्रस्तावित योजना राज्य के सभी ग्रामों में चिन्हित फसलों के गुणवत्तायुक्त बीज पहुचाने के उद्देश्य से तैयार की गयी है। कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु आगामी 4 वर्षो की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके कार्यान्वयन से राज्य में पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध होगा जो कृषि उत्पादन एंव उत्पादकता बढ़ाने में सहायक सिद्व होगा एवं तेजी से आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने में मदद करेगा।

11.2.2 **बीज योजना का कार्यान्वयन** : प्रत्येक गॉव के दो किसानों को चिन्हित कर फसलों की निर्धारित मात्रा में आधार बीज (निर्धारित मात्रा धान्य फसलो कें लिए आधा एकड़ के लिए बीज एंव दलहनी एंव तेलहन फसलों के एक चौथाई एकड़ के लिए बीज) आधी कीमत पर उपलब्ध कराया जायेगा। किसानों द्वारा उत्पादित बीज को गाँवों के पारंपरिक विनिमय के तरीकों जैसे–डेढ़ा (एक किलो बीज के लिए 1.5 किलो खाद्यान्न) एवं सवैया (एक किलो बीज के लिए 1.25 किलो खाद्यान्न) द्वारा किसानों से किसानों के बीच हस्तान्तरित होगा। इस कार्यक्रम में एक किसान को निम्नांकित मात्रा में आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। बीज की कुल आवश्यकता तालिका में वर्णित है।

क्र० सं०	फसल का नाम	प्रत्येक किसान को उपलब्ध करायी जानेवाली बीज की मात्रा (किलो मे)	वर्षवार बीज आवश्यकता (क्वि0 में)
1	गेहूँ	20.0	18193.6
2	चावल	6.0	5458.1
3	मक्का	4.0	1819.3
4	अरहर	2.0	1819.4
5	चना	8.0	5404.0
6	मसूर	4.0	3189.4
7	मूँग	3.0	1160.6
8	राई/सरसों/तोरिया	1.0	454.8
9	अलसी	2.0	1562.2

11.3 **उद्यान : पौध रोपण सामग्री** : बिहार में उद्यान फसलों के विकास के द्वारा खाद्य एंव पोषण सुरक्षा के साथ–साथ रोजगार सृजन की अपार सम्भावनाए हैं। लीची, आम, केला एंव अमरूद के फलोत्पादन के क्षेत्र में इस राज्य के मुख्य उत्पादक होने के बावजूद पिछले पाँच वर्षो से इन फलों के क्षेत्र विस्तार एवं उत्पादकता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उत्पादकता बढ़ाने हेतु उन्नत किस्म की पौध रोपण सामग्री की उपलब्धता प्रमुख है। उद्यान फसलों के त्वरित विकास हेतु कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उन्नत किस्म की पौध–रोपण सामग्री उपलब्ध होना आवश्यक है। आम लीची, अमरूद एवं केला बिहार राज्य की मुख्य फसल है। रोड मैप में इन फसलों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया है। वर्ष 2006–07 में 17 संतति बागों मे उन्नत मातृवृक्षों का रोपण कर पुनर्जीवित किया गया है। खेती हेतु अनुपयुक्त भूमि पर पोषक एवं लाभकारी फलदार पौधों के बाग की स्थापना आगामी चार वर्षों में 15500 हेक्टेयर आम, 4500 हेक्टेयर लीची, 4500 हेक्टेयर अमरूद, 4000 हेक्टेयर आँवला एवं 10000 हेक्टेयर केला का क्षेत्र विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

क्षेत्र विस्तार हेतु चयनित फलदार पौधों का नाम एवं प्रभेद :–

क्र0	फल का नाम	प्रभेद
1.	आम	मालदह, बम्बई, जर्दालू, दशहरी, आम्रपाली एंव मल्लिका।
2.	लीची	शाही, चायना, बेदाना एंव रोज सेन्टेड
3.	अमरूद	इलाहाबाद सफेदा, सरदार(एल–49)
4.	आँवला	नरेन्द्र आवँला–6/7 एंव नरेन्द्र आवँला–10
5.	केला (पुत्तल एंव टिश्यू कल्चर)	डवार्फ कैवेन्डिस, जी.नैन, मालभोग

पौध रोपण सामग्री की भौतिक आवश्यकता :–

क्र0	फल का नाम	पौध रोपण सामग्री (लाख में)				
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	आम	4.25	4.25	4.25	4.25	**17**
2.	लीची	1.125	1.125	1.125	1.125	**4.5**
3.	अमरूद	3.1275	3.1275	3.1275	3.1275	**12.51**
4.	केला (पुत्तल एंव टिश्यूकल्चर)	106.24	106.24	106.24	106.24	**424.96**
5.	आँवला	1.56	1.56	1.56	1.56	6.24
कुल		**116.30**	**116.30**	**116.30**	**116.30**	**465.21**

उक्त योजनाओं का कार्यान्यवन राष्ट्रीय वागबानी मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाएगा ।

11.4 **गन्ना फसल** : गन्ना फसल का बीज चीनी मिलों के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य के 12 जिलों हेतु गन्ने के निम्न प्रभेद चिन्हित किए गए है :– सी0 ओ0 पी0 9301, सी0 ओ0 एस0 96268, सी0 ओ0 एस0 767, बी0 ओ0 139, यू0 पी0 9530 और बी0 ओ0 147। यदि गन्ना का बीज चीनी मिलों के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान से प्राप्त किया जायेगा, तो उसके लिए बीज की आवश्यकता संबधित गणना मिल द्वारा बीज उत्पादक एजेंसी को प्रत्येक वर्ष अगस्त के अंत तक भेजना आवश्यक होगा तथा इसकी सूचना गन्ना उद्योग विभाग एंव गन्ना अनुसंधान संस्थान को दिया जाना आवश्यक होगा। चीनी मिलों द्वारा गाँवों की सूची, किसानों का नाम, बीज की आवश्यकता एवं प्राप्ति स्रोत प्रत्येक वर्ष जुलाई के अन्त तक गन्ना उद्योग विभाग को प्रतिवेदित किया जाएगा। परिवहन व्यय सहित बीज की कीमत का भुगतान गन्ना उद्योग विभाग द्वारा संबंधित चीनी मिलों को किया जाएगा।

बिहार में फैक्ट्रीवार बीज की आवश्यकता का आकलन निम्नांकित है

क्र0	**फैक्ट्री का नाम**	**गावों की संख्या**	**बीज की आवश्यकता** (क्वि0 में)
1.	बगहा	261	9396
2.	हरिनगर	369	13284
3.	नरकटियागंज	436	15696
4.	मझौलिया	359	12984
5.	सिंघवलिया	536	19296
6.	गोपालगंज	1935	62460
7.	सासामुसा	422	15192
8.	हसनपुर	484	17424
9.	रिगा	835	30060
	कुल	**5637**	**195792**

12. **मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन कार्यक्रम**

12.1 **केंचुआ/नाडेप कम्पोस्ट** :– रासायनिक उर्वरकों के हानिकारक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए केंचुआ एवं नाडेप कम्पोस्ट के दृष्टिगत एक महत्वाकांक्षी जैविक–उर्वरक कार्यक्रम तैयार किया गया है। केंचुआ–खाद के प्रयोग से पोषक–तत्वों की आपूर्ति के अलावा पौधों को वृद्धि–कारक हारमोन्स की पूर्ति होती है; साथ ही, इसके प्रयोग से मृदा बनावट में सुधार होने से जलधारण एवं पोषक–तत्व धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। नाडेप कम्पोस्ट तुलनात्मक दृष्टि से थोड़ा भारी होता है क्योंकि यह पादप तथा जन्तु अपशिष्ट से तैयार होता है जिसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। इसका प्रयोग भूमि में जैविक क्रियाशीलता के बढ़ने के साथ–साथ पोषक–तत्वों के उपयोग अथवा क्षरण हो जाने से हुई कमी को पूर्ण करता है।

भौतिक लक्ष्यः–

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
भौतिक (संख्या)	12000	18000	24000	24000	**48000**

12.2 **समेकित पोषक–तत्व प्रबंधन** :– मृदा–उर्वरता को पुनर्स्थापित अथवा बढ़ाने के लिए जैव–उर्वरकों का व्यवहार अतिआवश्यक है। जैव–उर्वरक यथा, नील हरित शैवाल, अजोला का धान की खेती में, एजोटोबैक्टर, स्फुर घोलक जीवाणु (पी0 एस0 बी0), माइकोराइजा (वी0 ए0 एम0) तथा हरित खाद आदि का अन्य फसलों में उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को 500 रू0/ हे० की अनुदान राशि दी जायेगी।

भौतिक लक्ष्यः

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
भौतिक (क्षेत्रफल लाख हे० में)	1.00	2.00	3.00	4.00	**10.00**

12.3 **सूक्ष्म पोषक–तत्व का वितरण** :– सूक्ष्म पोषक तत्व यथा, जिंक, बोरान आदि की कमी को दूर करने के लिए इनके यौगिक/रासायनिक उत्पादों के उपयोग के प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को लागत का 50%, अधिकतम 500.00 रू0/हे0, की दर से अनुदान राशि दी जायेगी।

भौतिक लक्ष्य (क्षेत्रफल लाख हे० में)

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
भौतिक	2.00	3.00	4.00	5.00	**14.00**

12.4 **जिप्सम/पायराइट का प्रयोग** :– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा किये गये मृदा–सर्वेक्षण में 24 जिलों की मिट्टी क्षारीय एवं तीन जिलों की मृदा अम्लीय पायी गयी है। क्षारीय मृदा वाले जिलों के कृषकों को अपने खेत की भौतिक

एवं रासायनिक दशा सुधारने के लिए जिप्सम/पायराइट के प्रयोग पर प्रोत्साहन देने के लिए 500.00 रू0 प्रति हे0 की दर से अनुदान सहायता दी जायेगी।

12.5 **भौतिक लक्ष्य**

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
भौतिक (क्षेत्रफल लाख हे० में)	2.00	3.00	3.50	4.00	**12.50**

13. **फसल–सुरक्षा** : फसलों में कीट एवं व्याधि के आक्रमण के फलस्वरुप फसल क्षति होने से कृषि आय में काफी कमी होती है। अतः आवश्यक है कि आसानी से उपलब्ध एवं पर्यावरण के उपयुक्त नई तकनीक एवं विधियों का प्रयोग कर फसल सुरक्षा कार्य किया जाय एवं आर्थिक क्षति को रोका जाय। इसके लिए उपयुक्त तकनीकी का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

13.1 **एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन** :– यह फसल सुरक्षा की एक नवीनतम तकनीक है। जिसके अन्तर्गत रासायनिक जीवनाशी के बेतहाशा प्रयोग होने से पर्यावरण, फसल तथा मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्पारिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है। इस तकनीक के अन्तर्गत निम्नांकित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी कृषकों को उनके खेत पर जाकर दी जाती है जिसे कृषक क्षेत्र पाठशाला (एफ0 एफ0 एस0) नाम से जाना जाता है। इसे एफ0 एफ0 एस0 मॉडल के अन्तर्गत प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत बाद मे चर्चा की गयी है। एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन के अन्तर्गत अन्य कार्यक्रम निम्नांकित हैं :–

(क) **पौधा संरक्षण केन्द्रों का कार्यान्वयन** :– वर्तमान में 324 पौधा संरक्षण केन्द्र हैं जो अकार्यरत अवस्था मे हैं। इन केन्द्रों को सरकारी–गैरसरकारी सहयोग के माध्यम से चलाये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य के सभी प्रखण्डों में पौधा संरक्षण केन्द्रों को कार्यान्वित किया जायेगा। कृषकों को पौधा–संरक्षण निदान के साथ–साथ अनुदानित दर पर पौधा–संरक्षण रसायनों/जैव उत्पादों को इस केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। इन केन्द्रों पर छिड़काव हेतु छिड़काव मशीन

भाड़े पर उपलब्ध कराये जायेगें जिससे कृषक समय पर पौधा संरक्षण कार्य कर सकेगें।

(ख) **जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला** :– प्राकृतिक मित्र–कीटों की पहचान कर कृत्रिम ढंग से प्रयोगशाला में इन्हें पाल कर समय पर खेतों में छोड़ा जायेगा जिससे प्रकृति में अपेक्षित बदलाव के लिए तथा हानिकारक कीटों की संख्या को न्यूनतम रखा जा सके।

भौतिक लक्ष्य

वर्ष	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला	3	3			6

(ग) **फाइटो–सैनिटरी प्रयोगशाला**:– निर्यात योग्य कृषि उत्पादों को कीट–व्याधि से मुक्त होने का प्रमाण–पत्र देने की आवश्यकता होती है। कार्यरत प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

(घ) **गुण नियंत्रण प्रयोगशाला**:– कार्बनिक एवं जैविक उर्वरक तथा जैव कीटनाशी पर्यावरण के उपयुक्त होने के कारण काफी लोकप्रिय हो रहा है। कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक एवं कीटनाशी की उपलब्धता के लिए 4000 नमूना जाँचने की सुविधा सहित तीन नयी उर्वरक **जाँच** प्रयोगशाला तथा कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला/जैविक कीटनाशी जाँच प्रयोगशाला की स्थापना की आवश्यकता होगी। वर्तमान में कार्यरत गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की जाँच क्षमता 2500 नमूना है जिसे बढ़ाकर 4500 नमूने प्रतिवर्ष किया जाएगा ।

14. **कृषि यांत्रिकरण** : आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग से कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी की जा सकती है। यांत्रिकीकरण से समय पर खेत की तैयारी, बुआई एवं समय पर कटनी में मदद मिलती है। साथ ही खेत की तैयारी में उन्नत कृषि उपकरणों के व्यवहार से समय एवं लागत में बचत होती है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अनाज फसलों की पिछात बुआई से उत्पादकता प्रभावित होती है। कृषि यांत्रिकरण को बढावा देने के लिए कृषि उपकरणों के मूल्य का 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव है। कम्बाइन हार्वेस्टर, पैडी ट्रांसप्लांटर, कोनो

वीडर, रीपर, सुगरकेन कटर प्लांटर और दूसरे उन्नत कृषि उपकरणों पर अनुदान देने का प्रस्ताव है। अनुदान के माध्यम से महिलाओं एवं समाज के कमजोर लोगों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कृषि उपकरणों को विशेष बढ़ावा दिया जायेगा। कृषि यंत्रों की मरम्मति एवं प्रसार अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु कृषि यांत्रिकरण कार्यशालाएँ क्रमशः पटना, आरा, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में स्थापित था। वर्तमान में ये कार्यशालाएँ जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं। इन कर्मशालाओं के पुनरूद्धार की आवश्यकता है। इस पुनरूद्धार कार्य में आधारभूत संरचनाओं का मरम्मति और नयी यंत्रों की खरीद की जरूरत होगी।

15. **कृषि प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण कार्यक्रम** : आधुनिक कृषि में प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण कारक हैं। इस रोड मैप में कृषि प्रौद्योगिकी को प्रत्येक कृषक तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

15.1 **कृषक क्षेत्र पाठशाला** : कृषक क्षेत्र पाठशाला तकनीकी प्रसार का प्रभावकारी माध्यम है। बीस सप्ताह तक प्रत्येक सप्ताह में एक दिन (कुल 20 दिन) प्रत्येक 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 कृषकों को खरीफ/रबी मौसम के शुरू होने से पूर्व फसल उत्पादन के संबंध में प्रशिक्षित किया जायेगा। वर्ष 2011–12 तक कृषक क्षेत्र पाठशाला का आच्छादन सभी कृषकों तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक कृषक क्षेत्र पाठशाला में 17000 रू० व्यय का अनुमान है।

15.2 **प्रत्यक्षण** : परंपरागत रूप से प्रत्यक्षण द्वारा प्रभावी तरीके से फसल उत्पादन तकनीकी को कृषकों तक पहुंचाया जाता रहा है। फसल प्रत्यक्षण ''देखकर सीखने'' के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें किसान अपने खेत पर आधुनिक तकनीकी को परखते हैं एवं अपनाते हैं। कृषकों के खेत में बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन, समेकित पोषक तत्व प्रबंधन, संकर धान, एस० आर० आई० तकनीक का प्रदर्शन किया जायेगा। प्रत्यक्षण आयोजित करने हेतु 2000 रू० प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जायेगी एवं संकर धान के लिए 3000 रू प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता देय होगा।

15.3 **किसान प्रशिक्षण एवं किसान भ्रमण** : किसान वैज्ञानिक वार्तालाप प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्र, प्रखंड/ग्राम स्तर पर किसान

प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए 5000 रू० व्यय का अनुमान है। किसानों में जागरूकता लाने के लिए देशभर के विशिष्ट स्थानों पर किसान भ्रमण आयोजित किया जायेगा। 20 कृषकों के दल को भ्रमण हेतु कृषि अनुसंधान संस्थान/ राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान में भेजा जायेगा। प्रत्येक भ्रमण के लिए 50000 रू० का व्यय अनुमानित है।

15.4 **प्रगतिशील कृषकों को सम्मान** : ऐसे प्रगतिशील कृषक जिन्होंने कृषि के क्षेत्र मे विशिष्ट सफलता अर्जित की है उन्हें सम्मानित किया जायेगा, जिससे दूसरे किसान उत्साहित होकर उनके अच्छे कार्यों को अपना सके एवं सम्मानित कृषक भी उत्साहित होकर कृषि का कार्य पूर्णकालिक रूप से कर सकें। किसान सम्मान योजना में प्रखंड स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषक को किसान श्री का सम्मान एवं 1 लाख रूपया का नगद पुरस्कार, जिला स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषक को किसान भूषण सम्मान एवं 2 लाख रूपये का नगद पुरस्कार एवं राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषक को किसान रत्न सम्मान एवं 5 लाख रूपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

15.5 **राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय में कृषि कर्मियों का प्रशिक्षण** : कृषि प्रसार कार्य में संलग्न कृषि कर्मियों के कृषि तकनीकी ज्ञान में परिमार्जन एवं इसे अद्यतन करने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय द्वारा अनिवार्य रूप से खरीफ/रबी के प्रारंभ में पदाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

15.6 इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए फेसीलीटेटर प्रशिक्षण का प्रस्ताव है। फेसीलीटेटर का प्रशिक्षण को लिए 1000 रू/प्रशिक्षण का व्यय का अनुमान है।

भौतिक लक्ष्य

क्रम संख्या	कार्यक्रम	वर्ष				कुल
		2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	
1.	कृषक क्षेत्र पाठशाला	2000	3000	4000	5000	**14000**
2.	किसान प्रशिक्षण (फसल उत्पादन)	4000	6000	8000	8471	**26471**
2. (क)	किसान प्रशिक्षण (कृषि यांत्रिकीकरण)	2000	2000	2000	2000	**8000**
3.	प्रत्यक्षण					
3. (क)	बीज उत्पादन तकनीकी	6000	8000	10000	10000	**40000**
3. (ख)	समेकित पोषक तत्व प्रबंधन	8471	8471	8471	8471	**33884**
3. (ग)	फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी	16942	25413	33884	42355	**118594**
3. (घ)	एस० आर० आई०	3000	3000	3000	3000	**12000**
3. (ङ)	संकर धान	10000	10000	10000	10000	**40000**
4.	किसान भ्रमण	1000	1200	1400	1600	**5200**
5.	पदाधिकारी प्रशिक्षण	200	200	300	300	**1000**
5 (क)	फेसिलिटेटर प्रशिक्षण	800	1000	1200	1200	**4200**
6	किसान सम्मान योजना	577	577	577	577	**2308**
	कुल	**71645**	**82307**	**93178**	**102204**	**349334**

15.7 **कृषि प्रसार तंत्र का सुदृढ़ीकरण** विगत दो दशकों से ग्राम स्तर पर कृषि प्रसार तंत्र विलुप्त प्राय हो चुका है या अन्य कार्यो यथा, ग्रामीण विकास कार्य, निर्वाचन कार्य, पंचायती राज्य व्यवस्था के प्रशासनिक कार्यो में संलग्न है।

(क) **पंचायत स्तर** : कृषि विभाग को पुनर्जीवित करने के लिए यह आवश्यक है कि पंचायत स्तर पर कृषि विभाग का अपना संगठनात्मक स्वरूप हो ताकि कृषि विकास कार्यक्रम के साथ–साथ प्रसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन एवं प्रबंधन सही तरीके से हो सके। किसानों की आबादी एवं पंचायतों की संख्या के मद्देनजर यह प्रस्ताव है कि प्रत्येक पंचायत में एक कृषि प्रसार कार्यकर्त्ता को नियोजित किया जाय जो पंचायत कृषि पदाधिकारी के नाम से जाना जायेगा और वे प्रखंड कृषि पदाधिकारी के अधीन कार्य करेगें ताकि निचले स्तर पर तकनीकी एवं मूलभूत उपादानों का लाभ प्रभावकारी तरीके से किसानों तक पहुँचाया जा सके।

(ख) **प्रखण्ड स्तर** : पंचायत कृषि पदाधिकारी के कार्य–कलापों पर नियंत्रण एवं विभिन्न योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन हेतु अलग से एक प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी की स्थापना का प्रावधान की आवश्यकता है जिनके अधीन अधीनस्थ सेवा के कृषि पदाधिकारी, यथा प्रखंड कृषि पदाधिकारी/ पौधा संरक्षण निरीक्षक/ उद्यान निरीक्षक/ माप–तौल इत्यादि कार्यरत होगें। सभी प्रखंड कृषि विकास पदाधिकारी जिला कृषि पदाधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेगें। जिला कृषि पदाधिकारी को जिला स्तर पर विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों, यथा पौधा संरक्षण/ उद्यान/ सांख्यिकी/ शष्य/ प्रसार/ कृषि अभियंत्रण/ गुण नियंत्रण/ विपणन आदि के विशेषज्ञ सहयोग करेगे। किसानों बढ़ती आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कृषि विभाग के पुनर्गठन के संबंध में अध्ययन किया जा रहा है और इसे आगामी नौ माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

15.8 **ई–किसान भवन** : प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर एक किसान भवन नीचे अंकित सुविधाओं से युक्त होगा :

(क) किसान सूचना एवं सलाहकार केन्द्र,मिट्टी जॉच प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र, विश्रामालय,पौधा संरक्षण केन्द्र,सूचना तकनीक एवं विपणन सूचना केन्द्र,कृषि यंत्र अधिकोष (भाड़े पर उपलब्ध कराने हेतु) एवं प्रशासनिक परिसर। प्रत्येक किसान भवन को अपना एक जेनसेट एवं इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। यह ई–किसान भवन कृषि विभाग के एक बड़े सूचना तंत्र के साथ जुड़ा रहेगा एवं किसान मौसम एवं अन्य जानकारियों को यहॉ से सीधे प्राप्त कर

सकते हैं। ई–किसान भवन में कुछ सेवाओं को प्राईवेट पब्लिक पार्टनरशीप (PPP Mode) द्वारा संचालित किया जायेगा एवं शेष सेवाओं के लिए सीधे व्यवस्था किया जायेगी। प्रति किसान भवन के लिए 25 लाख रूपये का वित्तीय व्यय का प्रावधान किया गया है।

16. समेकित कृषि प्रणाली

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा समेकित कृषि प्रणाली का विकास किया गया है। इस प्रणाली को अपनाकर किसान एक एकड़ रकबा से अत्यधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रणाली फार्मिंग सिस्टम पर आधारित है जिसमें फसल उत्पादन के साथ–साथ पशुपालन एवं मत्स्य पालन को अपनाया जा सकता है। समेकित कृषि प्रणाली संसाधनों का बेहतर उपयोग करती है। इस प्रणाली में एक इन्टरप्राइज का बेकार सामान दूसरे इन्टरप्राइज के लिए संसाधन का काम करता है। जैसे कि गोबर का उपयोग मत्स्य पालन एवं फसल उत्पादन के लिए उर्वरक / कम्पोस्ट का काम करता है। बिहार की कृषि छोटे जोतों पर आघारित है एवं छोटे जोत के लिए समेकित कृषि प्रणाली आमदनी बढ़ोत्तरी के लिए अत्यन्त ही महत्वपूर्ण है। इस मॉडल को प्रचारित करने के लिए 3000 रूपया प्रति एकड़ की दर से कृषकों को सहायता का प्रस्ताव है। समेकित कृषि प्रणाली के लिए भौतिक कार्यक्रम निम्न प्रकार प्रस्तावित है (राशि लाख रूपये में) :–

क्र0	अवयव	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1.	भौतिक कार्यक्रम क्षेत्रफल एकड़ में	25000	50000	100000	150000	**325000**

11वीं योजना अवधि में कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित योजनाएँ

राज्य योजना

17. **बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज उत्पादनः** बी आर बी एन के पास बीज प्रसंस्करण की विशाल सृजित क्षमता है, जिसका उपयोग ग्यारहवीं योजना के दौरान बीज उत्पादकों के लिए प्रसंस्करण एवं विपणन सहायता के रुप में लाभप्रद

ढ़ंग से किया जाएगा । ऐसे प्रयासों से 2006–07 के दौरान धान और गेहूँ के 10000–10000 क्विंटल प्रमाणित बीजों का उत्पादन किया गया । ग्यारहवीं योजना के दौरान बीज उत्पादन को सुदृढ़ और प्रोत्साहित करना आवश्यक है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 2495.52 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 372.00 लाख रुपये

18. **उद्यान कृषि महाविद्यालय की स्थापना हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सहायता** : वर्ष 2007–08 के दौरान शोध तथा शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं । नालन्दा में नया उद्यान कृषि महाविद्यालय के लिए 10 करोड़ तथा सहरसा में कृषि महाविद्यालय के लिए 7 करोड़ का विकास अनुदान राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को विमुक्त किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 8734.33 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 1000.00 लाख रुपये

19. **मिट्टी, बीज और उर्वरक प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण**: ग्यारहवीं योजना तथा 2007–08 के दौरान मिट्टी, बीज और उर्वरक प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए उद्व्यय प्रस्तावित है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 9701.34 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 536.50 लाख रुपये

20. **राष्ट्रीय वागबानी मिशन कार्यक्रम तथा मुख्यमंत्री वागबानी मिशन कार्यक्रम**:– वर्ष 2005–06 से राज्य के 19 जिलों में राष्ट्रीय वागबानी मिशन कार्यक्रम लागू किया गया है । शेष 19 जिलों में राष्ट्रीय वागबानी मिशन की तर्ज पर राज्य संसाधनों से मुख्यमंत्री वागबानी मिशन कार्यक्रम लागू किया गया है । मुख्यमंत्री वागबानी मिशन के अधीन वर्ष 2006–07 के दौरान 10 करोड़ रुपये कार्यान्वयन अभिकरण को विमुक्त किये गये ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 6836.69 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 975.00 लाख रुपये

21. **सरकारी फार्मों में बीज उत्पादन**: **बड़े पैमान पर बीज उत्पादन** 2006–07 में आरंभ किया गया । बीज उत्पादन को सुदृढ़ करने हेतु दसवीं योजना के आरंभिक वर्षों में राज्य योजना स्कीम के माध्यम से राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा द्वारा बीज उत्पादन को प्रोत्साहित किया गया ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 3639.30 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 875.17 लाख रुपये

22. **टाल और दियारा विकास** : राज्य में टाल एवं दियारा विशिष्ट कृषि क्षेत्र है जिनकी परिस्थितियॉ अन्य क्षेत्रों से अलग है। टाल एवं दियारा क्षेत्रों के लिए एक विशेष कृषि कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस योजना में सब्जी, मक्का एवं दलहन विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 623.88 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 109.00 लाख रुपये

23. **उर्वरक अनुदान** : मृदा–उर्वरता को पुर्नस्थापित अथवा बढ़ाने के लिए जैव–उर्वरकों का व्यवहार अतिआवश्यक है। जैव–उर्वरक यथा, नील हरित शैवाल, अजोला का धान की खेती में, एजोटोबैक्टर, स्फुर घोलक जीवाणु (पी0 एस0 बी0), माइकोराइजा (वी0 ए0 एम0) तथा हरित खाद आदि का अन्य फसलों में उपयोग प्रोत्साहित करने के लिए कृषकों को अनुदान राशि दी जायेगी।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 1169.78 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 225.00 लाख रुपये

24. **किसानों तथा प्रसार कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण** : यह प्रशिक्षण आधारभूत संरचना तथा किसान सलाहाकार योजना के अंतर्गत किसान मेला आयोजित कर सुदृढ़ किया जायेगा ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 3521.83 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 500.00 लाख रुपये

25. **मिट्टी संरक्षण कार्य** : अपरदित भूमि में कृषि कार्य को बढ़ावा देने के लिए भूमि संरक्षण कार्यक्रम चलाया जायेगा ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 1039.80 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 300.00 लाख रुपये

26. **कृषि विभाग के भवनों और प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण तथा पुनर्सुसज्जीतकरण** : इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के भवनों और प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण तथा पुनर्सुसज्जीतकरण किया जाएगा ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 519.90 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 0.00 लाख रुपये

27. **ईख शोध संस्थान** : इस योजना के अंतर्गत 11वीं योजना अवधि में ईख शोध संस्थान निर्माण किया जाएगा ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 1039.80 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 0.00 लाख रुपये

28. **स्टीयरिंग ग्रुप** : 11वीं पंचवर्षीय योजना के मध्यवर्ती संदेश के लिए कृषि प्रक्षेत्र के लिए स्टीयरिंग ग्रुप का गठन किया गया है । इस स्टीयरिंग ग्रुप के संचालन हेतु उद्व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 10.40 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

29. **राज्य किसान आयोग** : किसान आयोग के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उद्व्यय निर्धारित किया गया है।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 94.10 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 23.80 लाख रुपये

30. **कृषि शोध तथा शिक्षा के लिए सहायता(रा0कृ0 वि0)** : राजेन्द्र कृषि विश्वविधालय, पूसा, राज्य में एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में शिक्षा एवं शोध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मंडन भारती कृषि महाविद्यालय, सहरसा एवं उद्यान महाविद्यालय, नालन्दा के लिए योजना उद्व्यय निर्धारित किया गया है।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 8838.31 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 700.00 लाख रुपये

31. **विपणन आधारभूत संरचना का विकास** : राज्य में आधुनिक टर्मिनल बाजार एवं ग्रामीण हाट आदि के निर्माण के लिए उद्व्यय निर्धारित किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 6238.81 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 0.00 लाख रुपये

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

मैको–मोड निधि (10:90)

32. **समेकित सीरियल विकास कार्यक्रम**: केन्द्र प्रायोजित (10:90) मैक्रोमोड मैनेजमेंट अन्तर्गत समेकित सीरियल विकास कार्यक्रम शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नई तकनीक का प्रचार–प्रसार किसानों के बीच कर कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम अन्तर्गत फसल प्रत्यक्षण, किसान मेला, प्रसारकर्मियों का प्रशिक्षण, कृषक प्रशिक्षण एवं अनुदानित दर पर बीज

वितरण का प्रस्ताव है। लाभुकों के चयन में महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। किसान प्रशिक्षण में कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जायेगा।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 519.90 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 100.00 लाख रुपये

33. **एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन** : फसल सुरक्षा की इस नवीनतम तकनीक के अन्तर्गत रासायनिक जीवनाशी के बेतहाशा प्रयोग होने से पर्यावरण, फसल तथा मानव स्वास्थ्य पर होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी जाती है।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 103.98 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 20.00 लाख रुपये

34. **जूट तकनीकी मिशन** : वर्ष 2006–07 में केन्द्र सरकार द्वारा जूट के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु जूट तकनीकी मिशन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था । कोशी प्रक्षेत्र जो एग्रो क्लामेटिक जोन–II में अवस्थित है, जूट उत्पादन के लिए उपयुक्त है । इस क्षेत्र में केन्द्र तथा राज्य के ''90:10'' के उद्व्यय के आघार पर यह येाजना कार्यान्वित की जाएगी ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 103.98 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 15.00 लाख रुपये

35. **कृषि यंत्रीकरण** : राज्य में कृषि लागत में कमी एवं समय से कृषि कार्य सम्पादित करने हेतु आधुनिक कृषि यंत्रों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। लधु एवं सीमान्त किसानों के बीच आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रचार–प्रसार के लिए कृषि यांत्रिकरण योजना का प्रस्ताव है। इस योजना में मैक्रोमैनेजमेंट मोड के अतिरिक्त राज्य सहायता के रूप में 25 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रस्ताव है जिससे किसानों को कृषि यंत्र 50 प्रतिशत अनुदान पर प्राप्त हो सकेगा। इस योजना के लिए 900 लाख रू0 उद्व्यय निर्धारित है।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 3119.40 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 1100.00 लाख रुपये

36. **उर्वरक का समेकित और संतुलित उपयोग** : मैक्रोमोड मैनेजमेंट योजना अन्तर्गत मिट्टी जॉच के आधार पर रसायनिक उर्वरकों के व्यवहार एवं समेकित पोषक तत्व प्रबंधन को प्रचारित करने के लिए उर्वरता प्रबंधन कार्यक्रम प्रस्तावित है।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 129.98 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 25.00 लाख रुपये

37. **राष्ट्रीय जलछाजन विकास योजना (एन डब्ल्यू डी पी आर)** : राज्य में यह योजना कृषि के माइक्रो मैनेजमेंट मोड के घटक के रूप में कार्यान्वित की जा रही है । वर्ष 2006–07 में इस योजना के अंतर्गत 9708 हे0 भूमि जलछाजन के अंतर्गत ली गयी थी ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 104.16 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

38. **सस्टनेबल डेवेलपमेंट ऑफ सुगर वेस्ड कॉपिंग सिस्टम (एस0 यू0 बी0ए0सी0एस0)**: इसके अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना में उद्व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 579.89 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 0.00 लाख रुपये

39. **रिवर वैली प्रोजेक्ट (आर वी पी)/फ्लड प्रोन रिवरस (एफ पी आर)** : मैक्रों मैनेजमेंट मोड के अंतर्गत इस योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 26.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 5.00 लाख रुपये

40. **तेलहन, दलहन एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम)** : केन्द्र प्रायोजित (75:25) आइसोपोम योजना अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में तेलहन, दलहन एवं मक्का के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बीज प्रतिस्थापन दर को बढ़ाने के लिए प्रजनक बीज का क्रय, आधार बीज का उत्पादन, बीज ग्राम के तहत प्रमाणित बीज का उत्पादन, प्रमाणित बीज का वितरण, प्रत्यक्षण, किसान प्रशिक्षण, प्रसार कर्मियों का प्रशिक्षण, समेकित कीट प्रबंधन, जैव उर्वरक के व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए राइजोबियम कल्चर/ पी0एस0बी0 का वितरण जैसे महत्वपूर्ण कार्यमद शामिल किये गये हैं।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 1559.70 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 280.00 लाख रुपये

41. **किसान सम्मान योजना सहित विस्तार सुधार (अत्मा) के लिए राज्य पोषण** : राज्य के सभी जिलों में कृषि प्रबंध अभिकरण (आत्मा) का गठन किया गया है। इस योजना में कार्यमद के लिए भारत सरकार से 90 प्रतिशत राशि

प्राप्त होती है शेष 10 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राज्य सरकार को वहन करना है। साथ ही आत्मा की स्थापना का शत प्रतिशत व्यय भारत राज्य सरकार को वहन करना है। आत्मा द्वारा प्रमुखता से किसान सम्मान योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है एवं इस योजना में किसान सम्मान योजना का शत प्रतिशत व्यय भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 10398.01 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 1500.00 लाख रुपये

42. **माइको सिंचाई** : सिंचाई जल के महत्तम उपयोग एवं जल की बर्बादी को रोकने के लिए स्प्रींकलर एवं ड्रीप इरिगेशन को प्रोत्साहित किया जायेगा। इसके फलस्वरूप फसल उत्पादन लागत में कमी होगी एवं किसानों की आमदनी बढ़ेगी।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 3639.30 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 149.00 लाख रुपये

स्थापना

43. **कृषि विस्तार परियोजना** : बिहार में कृषि विस्तार में सुधार हेतु राज्य विस्तार समर्थन कार्यक्रम वर्ष 2005–06 से लागू किया गया है । इस स्कीम के अंतर्गत कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण के अंतर्गत 15 जिलों को पंजीकृत किया गया है । इसका उद्देश्य कृषिक समूहों के हित के लिए लाईन विभागों के बीच विस्तार के लिए संपर्क स्थापित करना है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 519.90 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 500.00 लाख रुपये

44. **अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का कार्यालय** : इसके लिए 11वीं पंचवषीय येाजना में उद्व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 10.40 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

45. **पौधा संरक्षण** : राज्य के सभी प्रखण्डों में पौधा संरक्षण केन्द्रों को कार्यान्वित किया जायेगा। कृषकों को पौधा–संरक्षण निदान के साथ–साथ अनुदानित दर पर पौधा–संरक्षण रसायनों/जैव उत्पादों को इस केन्द्र पर उपलब्ध कराया जायेगा। इन केन्द्रों पर छिड़काव हेतु छिड़काव मशीन भाड़े पर उपलब्ध कराये जायेगें जिससे कृषक समय पर पौधा संरक्षण कार्य कर सकेगें।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 13.52 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 13.00 लाख रुपये

46. **टाल विकास** : राज्य में टाल एवं दियारा विशिष्ट कृषि क्षेत्र है जिनकी परिस्थितियॉ अन्य क्षेत्रों से अलग है। टाल एवं दियारा क्षेत्रों के लिए एक विशेष कृषि कार्यक्रम चलाया जायेगा। इस योजना में सब्जी, मक्का एवं दलहन विकास पर विशेष जोर दिया जायेगा।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 5.20 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 5.00 लाख रुपये

47. **बीज जॉच प्रयोगशाला** : इसकी स्थापना के लिए वर्ष 2007–12 में उद्व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 5.20 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 5.00 लाख रुपये

48. **बीज प्रमाणन एजेंसी** : राज्य अन्तर्गत विभिन्न श्रोतों से उत्पादित बीजों का प्रमाणिकरण बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य में बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेंसी कार्यरत है जिसे सुदृढ़ किया जाएगा।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 311.80 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 95.00 लाख रुपये

कृषि

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	2632.50	1654.06	1736.19
2003-04	3750.00	2400.00	1843.64
2004-05	7893.55	6807.55	5981.59
2005-06	8070.56	2397.52	2043.51
2006-07	3212.00	10182.48	9539.77
योग	**25558.61**	**23441.61**	**21144.10**

यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 – 11459.00 लाख रूपये

ग्यारहवीं योजना 2007–12 – 75672.11 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- फसल उत्पादकता में वृद्धि ।
- मकई, गन्ना, फल एवं सब्जियों के विकास द्वारा फसलों की विविधता का उन्नयन ।
- आधुनिक प्रौद्योगिक पैकेज सहित गुणवत्ता, पहुॅच एवं समय पर इनपुट में सुधार से कृषि विस्तार प्रणाली द्वारा प्रौद्योगिकी का अंतरण ।
- राज्य के विशेष कृषि–जलवायु समस्याओं से संबंधित कृषि शिक्षण एवं शोध में संशोधन
- बाजारीकरण, प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्धित श्रृंखला का सुदृढ़ीकरण तथा कृषि फार्म से परे रोजगार के अवसरों का सृजन ।
- मित्रतापूर्ण पर्यावरण, फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी यथा– समेकित कीटनाशी प्रबंधन, समेकित पोषण प्रबंधन आदि का विकास ।
- लधु सिंचाई प्रौद्योगिकी का उन्नयन और जलछाजन प्रबंधन द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का सस्टेनेबल उपयोग तथा संरक्षण ।
- कृषि योग्य वातावरण एवं फसल विशेष रणनीति ।

चावल के लिए रणनीति

- चावल गहनता प्रौद्योगिकी प्रणाली का प्रसार ।
- अधिक उपजवाली प्रभेदों का प्रसार ।
- सबल बीज कार्यक्रम द्वारा समर्थित बोरो चावल का प्रसार ।
- आय में वृद्धि हेतु उत्तम/सुगंधित प्रभेदों का प्रसार ।
- अल्प एवं मध्यम अवधि के प्रभेदों से अधिक अवधि वाले प्रभेदों का प्रतिस्थान।

- मिल सुविधाएँ, मजबूत अधिप्राप्ति तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन ।

मकई के लिए रणनीति

- सबल बीज कार्यक्रम द्वारा अधिक उपज वाले प्रभेदों को लोकप्रिय बनाना ।
- रवी मकई की खेती का प्रसार ।
- बेबी फार्म, पॉपकोर्ण, स्पीट कार्न की खेती का प्रसार तथा विशेषकर दियारा क्षेत्रों में आयवृद्धि हेतु प्रोटीनयुक्त मकई के प्रभेदो का प्रसार ।
- अधिप्राप्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य और उचित भंडारण(सुखाने सहित)
- मकई आधारित प्रसंस्करण उद्योग (पशु खाद्य, कार्न तेल, स्टार्च, इथेनॉल आदि का उत्पादन) का उन्नयन ।
- मानव खा़द्य पदार्थ के रूप में मकई को लोक प्रिय बनाना ।

गेहूँ के लिए रणनीति

- समय पर बुआई एवं कटनी
- अल्प एवं मध्यम अवधि के प्रभेदों का विकास, और
- यंत्रीकरण (संयुक्त कटनी तथा जीरो टिलेज बुआई)

दलहन के लिए रणनीति

- क्षेत्र विस्तार (विशेषकर– मसूर मूंग एवं चना)
- सबल बीज कार्यक्रम द्वारा समर्पित अधिक उपज प्रदान करने वाले प्रभेदों को लोक प्रिय बनाना
- मध्यम एवं विलंब से होने वाले चावल की कटनी के पश्चात् कृषि सेल–1 में चना की खेती का पुनर्स्थापन
- राईजोवियम सहित जैव उर्वरकों का उपयोग और
- जल जमाव की समस्या से त्राण हेतु जल निकासी की योजना में सुधार

तेलहन के लिए रणनीति

- क्षेत्र विस्तार

- रूग्ण एवं कम उत्पादन वाले गेहूॅ का राई/सरसों और सूर्यमुखी से प्रतिस्थापन
- सबल बीज कार्यक्रम द्वारा समर्थित अधिक उपज वाले प्रभेदों को लोक प्रिय बनाना
- अन्तर्फसल एवं पैरा पद्धति से राई–सरसों को लोकप्रिय बनाना और
- गंधकयुक्त उर्वरकों के उपयोग का प्रसार

7.2 पशुपालन

पशुपालन राज्य अर्थव्यवस्था का अभ्यन्तर क्षेत्र है, क्योंकि यह गरीबी निवारण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास, ग्रामीण बेरोजगारी से लड़ने और अमीर–गरीब तथा शहरी–ग्रामीण के बीच की खाई को पाटने में मदद करता है । इस क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में सहयोग 16 प्रतिशत है, लेकिन इसे राज्य के बजट का सिर्फ 0. 75 प्रतिशत आवंटित होता है। राज्य की लगभग 89 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। ग्रामीण आजीविका के अतिरिक्त दूध, मांस, अंडा, ऊन, चमड़ा तथा कुत्तों पर निर्भरता के कारण लोगों का स्वास्थ्य, जीवन–शैली और सुरक्षा इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है ।

2. बकरी पालन गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाली राज्य की लगभग 43 प्रतिशत आबादी की आजीविका में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण मार्ग है । गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले 344 लाख जनता के बीच लगभग 95 लाख बकरियॉ हैं अर्थात् प्रति 3.6 व्यक्ति पर एक बकरी का पालन। योजनाबद्ध विकास और व्यवस्थित विपणन से एक वर्ष में एक अदद बकरी से 2000 रुपये की आमदनी की जा सकती है। इस प्रकार, थोड़े प्रयास से एक अदद बकरी गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले किसी परिवार की वार्षिक आमदनी में 33.3 प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है । प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, मवेशियों के बॉझपन के कारण राज्य को 10000 करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति होती है । स्तन शोध और एफ एम डी से इस क्षेत्र में राज्य को और 10000 करोड़ की वार्षिक क्षति होती है । थोड़े प्रयास से 5000 करोड़ रुपयों की बचत कर राज्य की वार्षिक इस हानि में 25 प्रतिशत की कमी की जा सकती है । वर्त्तमान में, राज्य के पास जन्तु प्रोटीन के नियंत्रण और प्रभावित करने की कोई वैज्ञानिक रीति नहीं है, लेकिन

मनुष्य के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर मांस का विपणन अपरिहार्य है । राज्य की अधिकांश पशु संस्थाएँ, पशुपालन आधारभूत संरचना पशु मानव संसाधन विकास कार्यक्रम पर्याप्त रुप से सुसज्जित नहीं है, इस प्रकार उनके सुदृढ़ीकरण और विकास की सख्त जरुरत है।

3. **दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि** :– दसवीं योजना के अंतर्गत संशोधित उद्व्यय 1249.48 लाख रुपये के विरुद्ध 1042.66 लाख रुपये (83.44 प्रतिशत)का व्यय किया गया।

11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति

4. पशुपालन राज्य अर्थव्यवस्था का मुख्य क्षेत्र है । यह गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास, ग्राामीण बेरोजगारी से लड़ने हेतु मौका प्रदान करता है एवं गरीब ग्रामीणों एवं शहरी उच्च समाज के बीच बढ़ती खाई को पाटने हेतु मौका प्रदान करता है। राज्य के 89% आबादी की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़ी है। ग्रामीण लोग के अलावे शहरी उच्च वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य, जीवन शैली एवं सुरक्षा भी दूध, मांस, अंडा, ऊन, चमड़ा एवं कुत्तो के माध्यम से इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

5. मानव खपत हेतु पशु जन्य प्रोटीन उपलब्धता पर, ग्रामीण लोगों के लिए पर्याप्त एवं सतत् अर्थोपार्जन एवं बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के मौका सृजन पशुपालन कार्यों के बहुआयामी कार्यकलापों पर निर्भर करता है। इन लक्ष्यों को विभाग के योजना एवं गैर योजना कार्यक्रमों को जारी रखकर एवं नये योजनाओं को अपनाकर पूरा किया जाएगा । निम्नलिखित सांख्यिकीय ऑकड़े दर्शाते हैं कि हम कहाँ हैं और हमें कहाँजाना है ।

5.1 राज्य का वर्तमान पशु संसाधन परिदृश्य निम्न प्रकार है ।

क्र.	पशुधन	संख्या (लाख में)	राष्ट्रीय संख्या का प्रतिशत
1.	गो जाति	105	5.90
2.	भैंस जाति	58	6.20
3.	प्रजनन योग्य गाय एवं भैस	67	8.40
4.	भेंड़	05	0.80
5.	बकरी	96	8.40
6.	सूकर	06	4.40
7.	अन्य	02	0.90

8.	मुर्गा–मुर्गी	140	3.26

5.2 पशु जन्य प्रोटीन की प्रति व्यक्ति उपलब्धता

क्र.	पशु उत्पाद	बिहार	भारत	ICMR की अनुशंसा	प्रगति की आवश्यकता
1.	मॉस	2.58 कि0 ग्राम प्रति वर्ष	4.74 किलो प्रति वर्ष	10.95 किलो प्रति वर्ष	चार गुना
2.	दुध	138 ग्राम प्रतिदिन	238 ग्राम प्रतिदिन	300 ग्राम प्रतिदिन	तीन गुना
3.	अंडा	10.30 प्रति वर्ष	45 प्रति वर्ष	180 प्रति वर्ष	सतरह गुना

5.3 आधारभूत संरचनाएँ

क्र.	सुविधाएँ	स्वीकृत	उपलब्धता	आवश्यकता
1.	पशु चिकित्सकों की संख्या	1729	920	3260
2.	सहायक कर्मी	6219	3880	16300
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	1401	500	6700
4..	कुक्कुट प्रक्षेत्र	03	03	सुदृढ़ीकरण
5.	गव्य प्रक्षेत्र	03	03	पूनर्जीवन
6.	बकरी प्रक्षेत्र	—	—	01
7.	हिमांकित शुक्र बैंक	04	04	38

6. उपरोक्त ऑकड़े दर्शाते हैं कि हमें भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् की अनुशंसित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मांस, दूध, अंडा उत्पादन में क्रमशः चार तीन एवं सतरह गुना बढ़ोत्तरी की आवश्कता है ।

7. लक्ष्य प्राप्ति हेतु रणनीति

- रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियमित नियुक्ति करना।
- पशु–चिकित्सालयों मे पशु चिकित्सकों एवं पारा– वेट की संख्या को बढ़ाकर।
- अनुमंडलिय स्तरीय पशु चिकित्सालयों में दक्ष एवं विषय विशेषज्ञों की सुविधा प्रदान करना।
- जरूरत मंद लोगों को द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करें।
- वर्त्तमान संगठनात्मक पद्धति को पुनर्गठित कर एवं संविदा के आधार पर पारा– वेट की सेवाओं को लेकर।
- पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना को आधूनिक एवं सुदृढ़ कर।

- बी0 एल0 डी0 ए0 के कर्यों विशेषकर पशु प्रजनन कार्यों को उत्थान एवं मजबुत कर।
- प्रत्येक 1000 प्रजनन योग्य पशुओं के लिए एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र स्थापित कर।
- आर्थिक महत्व के संक्रामक एवं जानलेवा बीमारियों यथा एच0 एस0– बी0 क्यू0, एफ0 एम0 डी0 कृमि रोगों को नियंत्रित एवं उन्मूलन कर।
- मृत पशुओं का समुचित निष्पादन कर।
- चारा विकास कार्यक्रमों को लागू कर ।
- सरकार द्वारा एवं जन निजी सहभागिता के आधार पर गव्य एवं भैंस प्रजनन प्रक्षेत्रों को पूनर्जीवित कर एवं विकास कर।
- बकरी प्रजनन प्रक्षेत्रा के द्वारा स्थानीय बकरियों नस्ल सुधारकर एवं पिछवाड़े (Back Yard) बकरी पालन को बढ़ावा देकर।
- लो– इनपुट प्रकार के मुर्गीपालन को सुधारकर।
- विलुप्त हो रहे स्थानीय नस्लों को संरक्षित कर ।
- पशु चिकित्सा शिविरों, सेमिनार, कर्मशाला, प्रशिक्षण एवं रिफ्रेशर कोर्स के आयोजन के द्वारा प्रसार एवं ज्ञान वर्द्धन कार्यक्रम आयोजित कर ।
- तरल नाइट्रोजन उत्पादन, पशु एवं मुर्गी आहार उत्पादन और चारा बीज उत्पादन हेतु निजी संगठनों को प्रोत्साहित कर।

योजना वार विवरण एवं अनुमानित लागत

8. पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा

8.1 उद्देश्यः–

1. पशुपालकों के द्वार पर रूग्न पशुओं की आपातकालीन अवस्था में पहुँचना।
2. रूग्न पशुओं को पशु चिकित्सालयों में लाने में होने वाले तनाव से छुटकारा दिलाना।
3. बीमार पशुओं को पशु चिकित्सालयों में लाने में हाने वाले तनाव को कम करना।

8.2 कार्यान्वयनः–

1. यह समय की मांग है कि पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध करायी जाय। राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की अनुशंसा है कि प्रत्येक 5,000 पशुओं पर एक पशु चिकित्सक एवं जरूरतमंद पशुपालाकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध काराने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सालय में दो पशु चिकित्सक होना चाहिए।
2. प्रत्येक पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सकों की संख्या को बढ़ाते हुए बेहतर आधारभुत संरचना प्रदान की जाएगी। इसके लिए मोटर साईकिल, मोबाईल फोन, भवन, औजार, उपस्यकर, दवा आदि उपलब्ध कराये जायेंगे।

3. पशु चिकित्सालय में पदस्थापित पशु चिकित्स चक्रीय आधार पर बाह्य रोगीयों का ईलाज करेंगे। वैसे पशु जो पशु चिकित्सालय में लाए जाने में असमर्थ हो दोनो में से कोई एक पशु चिकित्सक द्वार पर जाकर ईलाज करेंगे। यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
4. एक महीना में कम से कम 50 रोगी पशुओं का द्वार पर ईलाज करेंगे अर्थात एक माह में 100 पशुओं का ईलाज। ये ईलाज पशु चिकित्सालय में किए ईलाज के अतिरिक्त होंगे।
5. पशु चिकित्सकों एवं पारा– वेट को मोटर साईकिल हेतु कर्म पुस्तिका का संधारण करना होगा।
6. वैसे व्यक्ति जिन्हें प्राथमिक पशु चिकित्सा का ज्ञान हो विशेष कर डिप्लोमा पाठ्यक्रम वाले, को संविदा के आधार पर पारा– वेट के रूप में रखा जाएगा।

8.3 अनुमानित लागत प्रति पशु चिकित्सालय

क्रं सं0	अवयव	लागत (लाख रूपये में)
01	भवन निर्माण	26.70
02	आधारभूत संरचना (उपस्कर एवं औजार)	1.00
03	पशु चिकित्सक / पशुधन सहायकों के लिए मोटर साइकिल / पशुचिकित्सक हेतु मोबाईल फोन	2.60
04	प्रति मोटर साईकिल 25 लीटर ईंधन, मरम्मति, मोबाईल फोन हेतु रिचार्ज कुपन	1.00
05	8,000 रुपये प्रति माह की दर से पारा– वेट को भुगतान	2.88
	कुल	**34.18**

8.4 इस प्रकार कार्यक्रम पर वर्षवार खर्च निम्न प्रकार है ।

क्रं सं0	वर्ष	पशु चिकित्सालयों की संख्या	लागत (लाख रूपये में)
01	2008–09	200	6836.00
02	2009–10	200	6836.00
03	2010–11	212	7246.00
04	2011–12	212	7246.00
	कुल	824	28164.32

(दो सौ एकासी करोड़ चौसठ लाख बत्तीस हजार रूपये मात्र)

9. द्वार पर टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवा वितरण

9.1 उद्देश्य :

1. जानलेवा बीमारियों से पशुधन की रक्षा ।
2. पशुओं का टीकाकरण द्वार पर।
3. स्वास्थ्य सुरक्षा एवं उत्पादन की बढ़ोतरी ।
4. पशुओं के लाने में होनेवाले श्रमिक खर्च एवं समय में कमी ।

5. द्वार से टीकाकरण स्थल तक लाने एवं टीकाकरण कृमिनाशक दवा पिलाने से होनवाली तनाव को न्यूनीकरन करना ।
6. बेरोजगार युवाओ हेतु अंशकालिक रोजगार का सृजन ।

9.2 टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवा पिलाने की अवधि

1. एच0 एस0 एवं बी0क्यू0 – मई एवं जून
2. एफ0 एम0 डी – नवम्बर एवं दिसम्बर
3. कृमिनाशक दवा पिलाना/खिलाना – मार्च एवं अक्टूबर (टीकाकरण – पूर्व समय)

9.3 कार्यान्वयन

1. प्रखंड पमुख एवं संबंधित पशु–चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी प्रति पशु चिकित्सालय दो टीकाकारकों (पशु मित्र) का चयन करेंगे ।
2. प्रखंड के पशु चिकित्सा पदाधिकारी के इस कार्य हेतु आपस में पंचायतों का बटवारा करेंगे ।
3. किसी विशेष गॉव के पशुओं का टीकाकरण टीकाकारकों द्वारा एक दिन में किया जाएगा
4. किसी गॉव में कार्य संपन्न करने के बाद टीकाकारकों को इस आशय का एक प्रमाण–पत्र पंचायत प्रतिनिधि से प्राप्त करना होगा ।
5. संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारी की अनुशंसा पर जिला पशुपालन पदाधिकारी टीकाकारकों को पारिश्रमिक भुगतान करेंगे ।
6. भुगतान बैंक खाता के द्वारा किया जाएगा ।
7. प्रत्येक टीकाकारक को एक रूपये प्रति टीकाकृत पशु की दर से भुगतान किया जाएगा जो अधिकतम एक सौ रुपये तक होगा । यही दर कृमि नाशक दवा पिलाने/खिलाने एवं अन्य पशु चिकित्सीय सेवा पर लागू होगी ।

9.4 द्वार पर टीकाकरण कार्यक्रम हेतु अनुमानित लागत (लाख रु0 में) :

क्र. सं.	टीकौषधि/ कृमिनाशक दवा का नाम	लक्षित पशुओं की संख्या 80%	टीकौषधि/ कृमिनाशक दवाओं की कीमत	टीकाकरण अन्यान्य की कीमत	पारिश्रमिक पर व्यय	कुल
01	एच एस एवं बी. क्यू रू. 3/ खुराक	134	402.00	268.00	134.00	804.00
02	एफ एम डी रू. 7/ खुराक	134	938.00	268.00	134.00	1340.00
03	वृहद असर वाली कृमि नाशक रू. 30/ खुराक	134	4020.00	——	134.00	4154.00
	कुल	402	5360.00	536.00	402.00	6298.00

9.5 टीकाकरण एवं कृमिनाशक दवाओं पर वर्षवार अनुमानित व्यय

क. सं.	कार्य अवयव	वित्तीय वर्श				कुल
		08–09(80%)	09–10(85%)	10–11(90%)	11–12(95%)	
01	एच. एस. एवं बी.क्यू	804.00	882.00	960.00	1044.00	3690.00
02	एफ एम डी	1340.00	1470.00	1600.00	1740.00	3879.00
03	वृहद असर वाली कृमि नाशक	4154.00	4557.00	4960.00	5394.00	12444.00
	कुल	6298.00	6909.00	7520.00	8178.00	18567.00

यह मानते हुए कि आने वाले 5 वर्षों में टीकौषधि एवं दवा का दाम स्थिर रहेगा।प्रतिवर्श पशुओं की गणना 3 प्रतिशत बढ़ा कर की गयी है ।

10. पशुपालन कार्यालयों का सुदृढ़ीकरण

10.1 उद्देश्य

1. अधीनस्थ कार्यालयों पर सख्त एवं दक्ष प्रशासन।
2. उन कार्यालयों से नजदीकी संबंध रखना ।

10.2 अनुमानित लागत (लाख रू0 में) वर्ष –2008–09

क.सं.	कार्यालय	फैक्स मशीन रू 8000 / मशीन	कम्प्युटर सेट रू 40000 /	उपस्कर रू 60000 /	कुल
01	क्षेत्रीय निदेशक (8)	0.64	3.20	4.80	8.64
02	जिला पशुपालन पदाधिकारी (38)	3.04	––	22.80	25.84
03	अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी (36)	2.88	14.40	21.60	38.88
	कुल	6.56	17.60	49.20	73.36

11. प्रसार एवं ज्ञान वर्द्धन का प्रचार

पशु चिकित्सा महाविद्यालयों से पशुचिकित्सा स्नातक की योग्ता प्राप्त करने के बाद पशु चिकित्सकों को पशुपालन विभाग के विभिन्न पदों पर पदस्थापित किया जाता

है। वे लोंग अपने ताजा ज्ञान से पशुचिकित्सालयों में काम करना शुरू करते हैं परन्तु समय के साथ–साथ पशु चिकित्सा क्षेत्र में हो रही उपलब्धिओं की जानकारी की आवश्यक्ता उन्हें पड़ने लगती हैं । उन्हें नई समस्याओं के समाधान में कठिनाई होती है। अतः आवश्यकता है कि उन्हें नियमित अंतराल पर आधुनिक उपलब्धियों की जानकारी हेतु अल्प अवधि पाठय्क्रम की आवश्यकता होती है । इस हेतु उन्हें राज्य के बाहर ख्यातिप्राप्त संस्थानों में रिफ्रेशर कोर्स दिलाने हेतु भेजा जाएगा। इसी प्रकार अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, क्षेत्रीय निदेशक स्तर के पदाधिकारियों को भी प्रशासनिक प्रशिक्षण दिलाने की योजना है। तकनीकी प्रशिक्षण 15 दिनों की एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण 6 दिनों की होगी।ज्ञान प्रसार एवं प्रचार हेतु भारतीय पशु चिकित्सा परिषद द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किया जाएगा ।

11.1 अनुमानित लागत

(लाख रू0 में)

क्र.सं.	पद	वित्तीय वर्श				कुल
		08–09	09–10	10–11	11–12	
01	क्षेत्रीय निदेशक (08)	0.32	––	––	––	0.32
02	जिला पशुपालन पदाधिकारी (38)	1.52	––	––	––	1.52
03	अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी (36)	1.44	––	––	––	1.44
04	पशु चिकित्सा पदाधिकारी (200)	20.00	20.00	20.00	20.00	80.00
	कुल	23.28	20.00	20.00	20.00	83.28

11.2 प्रत्येक पशु चिकित्सक के प्रशिक्षण पर 10000 रू. के हिसाब से खर्च रखा गया है जिसमें पठन खर्च, यात्राा व्यय, भोजन, आवास आदि शामिल है। वे अपने मूल स्थापना से यात्राा–व्यय आदि का दावा नहीं करेंगे।

12 बकरी प्रजनन सह पालन प्रक्षेत्र

बिहार में बकरे का मांस सर्वाधिक प्रिय है और मानव खपत हेतु उपलब्ध मांस का मुख्य श्रोत है । भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिशद (आई0सी0एम0आर0) की अनुशंसा के आलोक में बिहार में प्रति व्यक्ति मांस की उपलब्धता चार गुना कम(एक चौथाई) है। बकरियों को गरीबों की गाय कहा जाता है और बिहार में इसके उत्पादन वृद्धि के असीमित अवसर हैं। दुर्भाग्य से राज्य में एक भी मान्यता प्राप्त बकरी प्रक्षेत्र नहीं हैं जहॉ से लोग बकारियों के मेमनों को प्राप्त कर सके । इस समस्या का समाधान बकरी प्रजनन

सह पालन प्रक्षेत्र(ब्लैक बंगाल,जमनापारी) स्थापित कर किया जा सकता है एवं इन्हें (बकरियों को) गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों को विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वितरित किया जा सकता है। परिणामस्वरुप बकरी पालन ग्रामीण आर्थिक उन्नयन का प्रमुख एवं सतत साधन हो सकता है । राज्य में बकरी विकास हेतु सरकार दो बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करेगी।

1. स्थानीय नस्लों का उन्नत नस्ल से उत्थान ।
2. प्रक्षेत्र में उत्पन्न उन्नत नस्ल के मेमनों से स्थानीय नस्ल को प्रतिस्थापित कर ।

12.1 वर्त्तमान परिदृश्य

1. बकरे–मांस की मांग में दिन प्रतिदिन बढ़ोत्तरी ।
2. यह सबसे प्रचलित एवं मान्य मांस है ।
3. बिहार में पशुगणना 03 के अनुसार बकरियों की संख्या 96 लाख है जो राष्ट्रीय संख्या का 8.40 प्रतिशत है ।
4. ग्रामीणों के द्वारा निम्न स्तर के बकरी का पालन किया जाता है ।परिणामतः कम उत्पादन एवं कम आय प्राप्त होती है ।

12.2 उद्देश्य

1. उन्नत जर्मप्लाज्म के स्त्रोत को स्थापित कर।
2. बी0 पी0 एल0 लोगों के बीच इसका प्रचार कर ।
3. आर्थिक उत्पादन हेतु बी0 पी0 एल महिलाओं को शामिल कर ।
4. ग्रामीणों क्षेत्रों के सीमान्त एवं भूमिहीन किसानों को उनकी आर्थिक दशा को सुधारने हेतु उन्नत बकरी पालन अपनाने हेतु मदद कर ।

12.3 कार्य योजना

इसे पाइलॉट आधार पर सरकारी पशु प्रक्षेत्र पूर्णिया में 500 बकरियों एवं 25 बकरों की मदद से शुरू किया जाएगा। अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर इसे जन निजी सहभागिता के आधार पर भी शुरू किया जा सकता है ।

- छः महीने में प्रक्षेत्र में उत्पन्न 50 प्रतिशत मेमनों को लोगो की मांग पर संबंधित पशु चिकित्सा पदाधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर अनुदानित दर पर बेचा जाएगा ।

- वितरण का तरीका एवं दर का निर्धारण एक समिति के द्वारा किया जाएगा जिसमें प्रक्षेत्र प्रबंधक,पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं उस क्षेत्रा के प्रखण्ड प्रमुख रहेंगे ।
- प्रक्षेत्र प्रभारी के द्वारा 40 प्रतिशत उत्पादित मेमनों को खुले बाजार में बेचा जाएगा ।
- शेष 10 प्रतिशत मेमनों को प्रक्षेत्र मे रखकर उनकी संख्या बढ़ायी जाएगी।
- बी0 पी0 एल0 परिवारों को पॉच मेमने इस शर्त पर बॉटे जाएगे कि वे दो वर्ष के बाद पॉच मेमनो को प्रक्षेत्र को वापस कर देगें ताकि इन्हें दूसरे बी0 पी0 एल0 परिवरों को दिया जा सके ।
- इस प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे आच्छादित किया जाएगा और धीरे–धीरे अच्छे गुणवक्ता वाली बकरियों की संख्या बढ़ जाएगी ।

12.4 प्रक्षेत्र स्थापित करने हेतु सुविधाओ की आवश्यकता

- भूमि– यह सरकारी पशु प्रक्षेत्र पूर्णिया में उपलब्ध है ।
- 50 बकरियों हेतु 20’ x30’ क्षेत्रफल के 10 बकरी सेड बनाये जाएगे ।
- ठढ़ एवं गर्मी से बचाव करने हेतु 1–2 महीने के मेमनों हेतु दो मेमना घेरा की विशेष व्यवस्था करनी होगी ।
- 40 x 30’ x 20’ क्षेत्र का एक चारा गोदाम ।
- 25 जनन योग बकरों हेतु पार्टीशन युक्त घेरा ।
- 20’ x 40’ क्षेत्रफल का प्रयोगशाला एवं कार्यालय
- हरा चारा उपलब्धता हेतु परिसर में हरा चारा उगाया जाएगा ।
- 2–4 घंटा के लिए पशुओं को चरने हेतु चारागाह में भेजा जाएगा ।

12.5 अनुमानित खर्च

अनावर्ती खर्च

(लाख रू0 में)

क.	अवयव	प्रथम वर्ष 08–09	द्वितीय वर्ष 09–10	तृतीय वर्ष 10–11	चतुर्थ वर्ष 11–12	कुल
01	बकरी, मजदुर, कार्यालय, मेमना हेतु 14 शेड्स रू. 500 /	52.00	––	––	––	52.00

	वर्ग फीट					
02	सभी शेड्स कार्यालय आदि में पाइप गाड़ने एवं फीट करने हेतु	20.00	——	——	——	20.00
03	जेनरेटर, फ्रीज, डीप फ्रीज कम्प्युटर आदि का क्रय	20.00	——	——	——	20.00
04	सही नस्ल की 500 बकरियॉ रू. 300/ बकरी	3.00 (100 बकरी हेतु)	6.00 (200 बकरी हेतु)	6.00 (200 बकरी हेतु)	——	15.00
05	25 बकरे रू. 5000/ बकरा	0.50 (10 बकरा हेतु)	0.50 (10 बकरा हेतु)	0.25 (05 बकरा हेतु)	——	1.25
06	सभी पंचायतों मे 0 बकरों का क्रय रू0	105.00 (2100)	105.00 (2100)	105.00 (2100)	110.00 (2200)	425.00 (8500)
	कुल	200.50	111.50	111.25	110.00	533.25

12.6 **आवर्ती खर्च**

क्र.सं.	अवयव	पदों की संख्या	प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	चतुर्थ वर्ष	कुल
01	प्रक्षेत्र प्रबंधक	01	——	——	——	——	——
02	पशु चिकित्सा पदाधिकारी	01	——	——	——	——	——
03	पशुधन सहायक	01	——	——	——	——	——
04	प्रयोगशाला सहायक रू. 8000/ माह	01	0.96	0.96	0.96	0.96	3.84
05	मजदूर रू. 100 / दिन	10	3.60	3.60	3.60	3.60	14.40
06	फीड एवं फॉडर रू. 1 किग्रा एवं दाना मिश्रण / 250 ग्रा. प्रतिदिन	——	3.00	9.00	17.00	18.00	47.00
07	वितरित किये जानेवाले बकरों के लिये 5रू0/दिन से	——	3.15	3.15	3.15	3.30	12.75

	30 दिनों हेतु चारा						
8	अन्यान्य	——	0.50	0.50	0.50	0.50	2.00
	कुल	——	11.21	17.21	25.21	26.36	79.99

कुल : 613.24(छः करोड़ तेरह लाख चौविस हजार रुपये।

13. भैंस विकास

प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता हेतु आई0सी0एम0आर0 की अनुशंसा के आलोक में राज्य में दुध उत्पादन में तीन गुना सुधार की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को गाय एवं भैंस सुधार कार्यक्रम को अपना कर प्राप्त किया जा सकता है। गव्य पालन पर बहुत कुछ किया गया है अब बहुत कुछ किया जा रहा है। परन्तु भैंस पालन पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विकास हेतु भैंस विकास कार्यक्रम को अतिरिक्ति महत्व देने की जरूरत है।

13.1 वर्तमान परिदृश्य

- भैंस की दूध की मांग व्यक्तिगत रूप से एवं वाणिज्यिक रूप से दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है।
- बिहार की भौगोलिक स्थिति भैंस पालन हेतु उपर्युक्त है।
- बिहार में भैंसों की संख्या– 58 लाख है जिन में लगभग 31.47 लाख प्रजनन योग्य है।
- राज्य में प्रति भैंस दुग्ध उत्पादन 3.5 किलोग्राम है।
- अगले पॉच वर्षो में दुग्ध उत्पादन 7 कि0 ग्रा0 प्रतिदिन करने का लक्ष्य है।

13.2 कार्य योजना

- मुर्रा नस्ल का उपयोग कर स्थानीय भैंसों का नस्ल सुधार कर ।
- बिहार में आहार एवं चारा की स्थिति में सुधार कर ।
- भैंस का दूध एवं इसके उत्पादो हेतु मार्केट उपलब्ध करा कर ।
- लोगों को घरेलु प्रसंस्करण एवं बाजार हेतु प्रोत्साहित कर ।

13.3 कार्यान्वयन

- 45 भैंस एवं 5 भैंसा से वर्त्तमान पशु प्रक्षेत्रा डुमरॉव में मुर्रा भैंस प्रजनन सह भैंसा पालन प्रक्षेत्र कायम किया जायेगा ।

- शुरू में भैसों को मुर्रा भैसा के सीमेन से कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया जायेगा
- प्रक्षेत्रा में उत्पन्न पाड़ों का पोषण कर भैसा बनाना एवं उससे फ्रोजन सीमेन बैंक, पटना में सीमेन एकत्रित किया जायेगा।
- परिस्थिति के अनुसार पाड़ियों को बेचा जा सकता है ।
- स्थिति को देखते हुए दूरस्त देहाती क्षेत्रों में प्राकृतिक सेवा उपलब्ध कराने हेतु निजी लोगों/ पंचायतों को अनुबंध के आधार पर भैंसों को वितरित किया जाएगा।
- उपरोक्त कार्यक्रम बी.एल.डी.ए. के कार्यक्रमों के अलावे लेकिन बी.एल.डी. ए. के तकनिकी मार्गदर्शन में किया जाएगा।

13.4 **वित्तीय खर्च**

13.4.1 **अनावर्ती खर्च**

लाख रूपये में

क. सं.	अवयव	संख्या	कुल
01	मादा भैंसों का क्रय 30000 रूपये/ मादा	45	13.50
02	भैंसा का क्रय 40000 रूपये / भैंसा	05	2.00
03	ढुलाई खर्च	——	1.50
04	वर्तमान पशु प्रक्षेत्र का जीर्णोद्धार (नयी बनावट मरम्मती, जलापूर्ति आदि)	——	50.00
	कुल	——	67.00

स्थापना व्यय का वहन सामान्य स्थापना से किया जायेगा ।

13.4.2 **आवर्ती खर्च–**

(लाख रूपये में)

क. सं.	अवयव	संख्या	कुल
01	शुरुआत में फीड एवं फॉडर का खर्च रू. 120/ दिन/ पशु	365 दिन	22.00
02	चारा बोआई एवं उत्पादन (प्रसंस्करण सहित) रू. 30000/ हेक्टेयर	10 हेक्टेयर	3.00
03	स्वास्थ्य रक्षा एवं देखरेख रू. 500/ पशु / महीना	——	3.00
04	कार्यालय व्यय एवं ढुलाई	——	1.00
	कुल	——	29.00

कुल– 96.00 लाख रूपये

13.4.3 **वर्ष वार वित्तीय लागत**

लाख रूपये में

क्र. सं.	अव्यव	08–09	09–10	10–11	11–12	कुल	अभ्युक्तियाँ
01	अनावर्ती	67.00	4.00	4.50	5.00	80.50	5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि
02	आवर्ती	8.00	32.00	35.00	39.00	114.00	शुरू में 25 प्रतिशत और बाद में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि
	कुल	75.00	36.00	39.50	44.00	194.50	

14. बिहार में ग्रामीण मुर्गी पालन विकास की परियोजना

14.1 **परिचय** : बिहार देश में सबसे कम अंडा एवं मांस उत्पादक राज्य है जहाँ 10.30 अंडे एवं 2.58 कि.ग्रा. मांस का उत्पादन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यह आश्चर्यजनक है कि 75 प्रतिशत अंडा एवं मांस की खपत 25 प्रतिशत शहरी लोगों के द्वारा कर लिया जाता है। ग्रामीण स्तर पर मार्केट के अभाव में ग्रामीणों को शहर की तुलना में अधिक दाम पर अण्डा एवं मांस उपलब्ध हो पाता है।कोई दूसरा साधन भी नहीं है जो ग्रामीणों कों उच्चित दाम एवं स्थान पर अण्डा एवं मांस उपलब्ध करा सके । ग्रामीण क्षेत्रों में अण्डा एवं मांस उत्पादन की वृद्धि को बढ़ाने हेतू निम्नलिखित उपाय अपनाएं जाने का प्रस्ताव है :

- पाँच वर्षों की अवधि में प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता 10.30 से 80 करना है।
- वर्तमान 76.53 लाख किलो से 91 लाख किलो प्रतिवर्ष मांस उत्पादन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रा के लिए दुकाजी मुर्गियों के सुधार एवं समर्थन हेतू घरेलु ऑगन में या मुक्त रूप से मुर्गीपालन की योजना जिससे अंडा एवं मांस की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।

14..2 **तकनीकी कार्यकम/ रणनीतियाँ–**

- ○ मान्यताप्राप्त मुर्गियाँ (क) वनराजा (ख) ग्रामप्रिया एवं (ग) निर्भीक को उनके पैतृक स्थान पी0 डी0 पी0 हैदराबाद एवं केरी,इज्जत नगर से लाकर शुरू करना ।

- पारस्परिक मिलन से तैयार अच्छे चूजों को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करना।
- इन तीन उन्नत दुकाजी नस्ल के मुर्गियों को उनके उपयोगिता की जॉच राज्य के सरकारी मुर्गी प्रक्षेत्र में की जाएगी।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र में उत्पन्न अच्छे नस्ल की मुर्गियों से दो लाख मुर्गियों को प्रतिवर्षं पैदा किया जाएगा।
- छः मुर्गी प्रक्षेत्र विभिन्न क्षेत्रों में होंगे। इनमें से पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर के प्रक्षेत्रों को पूनर्जीवित किया जाएगा जबकि गोपालगंज, बिहार शरीफ एवं किशनगंज में आधुनिक सुविधाओं से लैस नया प्रक्षेत्र स्थापित किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र में 2 लाख चुजा प्रति वर्ष तैयार किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रक्षेत्र में 20000 चूजा प्रतिमाह की हैचिंग क्षमता वाली हैचरी (दो महीने की ठंढीकरण अवधि सहित) की स्थापना की जाएगी।
- उत्पन्न चूजों को प्रक्षेत्र में ही तीन माह तक पाला जाएगा और 10 नर एवं 15 मादाओं (25 पक्षियों) को प्रति परिवार चूनिन्दा किसानों को आपूर्ति किया जाएगा।
- कुल मिलाकर 8000 चूनिन्दा परिवारों को उन्नत नस्ल के पक्षियों का विरण इस समझौता के आधार पर किया जाएगा कि वे पक्षियों के उत्पादन एवं उत्पादकता की जानकारी केन्द्र को देगा।
- 25 पक्षियों हेतु मुर्गीपालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये पक्षियॉ उन्हें पालने एवं उत्पादन स्तर को जानने हेतू उन्हें दिया जाएगा। साथ ही इससे उनका खान–पान एवं आर्थिक स्तर को बढ़ाने हेतू दिया जाएगा।
- इन पक्षियों से अनुमानित उत्पादन इस प्रकार है–
  वनराजा – 100–110 चूजा / वर्ष
  ग्रामप्रिया – 140–150 चूजा / वर्ष
  केरी निर्भीक – 150–160 चूजा / वर्ष
- प्रत्येक मादा औसतन एक वर्ष 130 चूजा देगी। अतएव 2000 मुर्गियॉ एवं 200 मुर्गों को प्रत्येक प्रक्षेत्र में प्रतिवर्ष बरकरार रखा जाएगा।

- सी.ए.आर.आई., इज्जतनगर एवं पी.डी.पी., हैदराबाद के द्वारा प्रतिस्थानी स्टॉक उपलब्ध कराया जाएगा।
- तकनीकी प्रबोधन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पूर्वी क्षेत्र, कृषि विश्वविद्यालय/ इज्जतनगर एवं पी.डी.पी., हैदराबाद से कराया जाएगा।
- सभी कार्यों के संचालन की जिम्मेवारी एवं निधि का संचालन प्रक्षेत्र प्रभारी पर होगी जो पशुपालन विभाग का पदाधिकारी होगा।

14..3 **अनुमानित उत्पादन**

1. अण्डा– प्रत्येक प्रक्षेत्र से प्रति वर्ष 100 अण्डा की दर से 18 लाख अतिरिक्त अण्डा का उत्पादन होगा। इस प्रकार पॉच वर्षों में 18 ग 6 ग 5 त्र 540 लाख अण्डों का उत्पादन होगा।
2. 2.5 किलो मीट/ पक्षी के हिसाब से छः लाख मुर्गा से 15 लाख किलो मुर्गा मांस प्रतिवर्ष प्राप्त होगा। इस प्रकार पॉच वर्शो में 76.53 लाख किलो से 91.00 लाख कि0 ग्रा0 प्राप्त किया जाएगा।

14..4 **बजट की आवश्यकता**

14.4.1 **अनावर्ती खर्च**

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	विवरणी	खर्च
01	सी.पी.एफ., पटना में 35 मुर्गी शेड हेतु जीर्णोद्धार/ नई संरचना	35.00
02	सी.पी.एफ., भागलपुर में 35 मुर्गी शेड हेतु जीर्णोद्धार/ नई संरचना	35.00
03	सी.पी.एफ., मुजफ्फरपुर में 35 मुर्गी शेड हेतु जीर्णोद्धार/ नई संरचना	35.00
04	सी.पी.एफ., किशनगंज में 35 मुर्गी शेड हेतु जीर्णोद्धार/ नई संरचना	35.00
05	सी.पी.एफ.,गोपालगंज में 35 मुर्गी शेड हेतु जीर्णोद्धार/ नई संरचना	35.00
06	सी.पी.एफ., बिहारशरीफ में 35 मुर्गी शेड हेतु जीर्णोद्धार/ नई संरचना	35.00
07	सभी स्थानों पर हैचरी भवन 2.50 लाख	15.00
08	सभी जगहों के लिए पूर्ण हैचरी मशीन एवं स्थापन चार्ज	12.00
09	सभी स्थानों पर मुर्गी प्रक्षेत्रों हेतु दिवार 6 x 2	12.00
10	जमीन रोड, उर्जा, जलापूर्ति विकास	15.00
11	वहन– मार्शल जीप (प्रत्येक हेतु एक) 6 x 5	30.00
	कुल	**294.00**

14.4.2 **आवर्ती खर्च :**

रूपये लाख में

क्र.सं.	विवरणी	खर्च
01	12000 लेयर / मुर्गा हेतु खाद्य बनाने एवं खाद्य की आवश्यकता 40 किग्रा. / पक्षी/ वर्ष 15000 रूपये / टन	72.00
02	3 सप्ताह हेतु 12 लाख चूजों के लिए दाना की आवश्यकता 900 टन रू0 15000/टन	135.00
03	औसत प्रशिक्षण कार्यक्रम	20.00
	कुल	**227.00**

यह एक अनुमानित लागत है जिसमें बदलाव हो सकता है। मानव संसाधन विभाग की ओर से रहेगा।

क्र सं.	अवयव	08–09	09–10	10–11	11–12	कुल	अभ्युक्तियॉ
01	अनावर्ती	147.00	147.00	6 .00	8.00	308.00	50–50 : पहला दो वर्ष
02	लेयर	36.00	72.00	76.00	80.00	264.00	5 : / वर्ष
03	3 सप्ताह के मुर्गियों हेतु फिड	68.00	135.00	142.00	149.00	494.00	अंतिम वर्ष 10 :
04	प्रशिक्षण कार्यक्रम	10.00	20.00	––	20.00	50.00	
	कुल	261.00	374.00	224.00	257.00	1116.00	

15 अनुमंडल स्तरीय पशु–चिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण

मूलभूत योग्यता बी0 भी0 एस– सी0 एण्ड ए0 एच0 प्राप्त कर पशु चिकित्सक राज्य के कार्यरत पशु–चिकित्सालयों में अपनी सेवा प्रदान करते हैं । किसी विशेश परिस्थिति में जहॉ विशिष्ट चिकित्सा प्रदान करने की जरूरत पड़ती है तो विशिष्टता की आवश्यकता पड़ती है । वर्त्तमान में पशु चिकित्सालयों में विशेष चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है । राज्य में बहुत सारे पशु चिकित्सक स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त किये हुए हैं। पशु चिकित्सको को पशु चिकित्सालय /प्रखण्ड स्तर पर कभी कभी विशिष्ट प्रकार के रोगों के चिकित्सा के दौरान परेशानी महसूस करते हैं । इन समस्याओं का सामना करने हेतु यह आवश्यक है कि अनुमंडल स्तर के पशु चिकित्सालयों में विषय वस्तु विशेशज्ञों का प्रावधान किया जाए एवं ऐम्बुलेटरी क्लीनीक की सुविधा प्रदान की जाए । इस प्रकार

अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों को सुदृढ़ीकरण हेतु यह योजना प्रस्तावित है ।

15.1 **उद्देश्य**

- रूग्न पशुओं को बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रदान करना ।
- Referred रोगियों को बेहतर और विशिष्ट सेवा प्रदान करना ।
- Ambulatory वाहन के द्वारा द्वार पर पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना।

15.2 कार्यान्यवयन

- औषधि विज्ञान, गर्भ –विज्ञान,शल्य चिकित्सा,पशुधन उत्पादन एवं प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि वाले पशु चिकित्सको को अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में पदस्थापन किया जाएगा ।
- अनुमंडलीय स्तरीय पशु चिकित्सालयों हेतु भवन निर्माण किया जाएगा । इसमें शल्य–उपकरण,औषधि,जॉच सुविधाएॅ,चलन्त वाहन (आपातकालीन अवस्था में द्वार पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु सुसज्जित वाहन) ।
- विशय वस्तु विशेषज्ञों को सहायता प्रदान करने हेतु पारावेट(4) एवं चतुर्थवर्गीय कर्मचारी (4) को संविदा के आधार पर रखा जाएगा ।
- सरकारी पशु चिकित्सको,पशुधन सहायकों एवं चपरासियों का स्थापना व्यय का वहन सरकारी स्थापना से किया जाएगा जबकि संविदा पर बहाल लोगों के स्थापना पर होने वाले व्यय का वहन रा0 कृ0 वि0 यो0 से प्राप्त निधि से किया जाएगा ।

15.3 अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालय पर होने वाले व्यय

15.3.1 अनावर्ती–	**रू0 लाख में**
1. भवन– निर्माण–	50.00
2. आधारभूत खर्च,औजार,उपस्कर	1.50
3. पूर्ण सुसज्जित वाहन	5.00
	56.50

आवर्ती–

1. स्नातकोतर पशु चिकित्सकों	@25000/ माह का भुगतान –	12.00
2. पारावेट को भुगतान	@8000/ माह का भुगतान –	3.84
3. चतुर्थ वर्ग को भुगतान	@5000/ माह का भुगतान	2.40
4. चालक को भुगतान	@5000/ माह का भुगतान	0.60
5. आकस्मिकता मद में मद में 10 कि0 मी0 प्रति लिटर के हिसाब से 1000 कि0 मी0 प्रति माह हेतु ईधन		0.48

6. विविध— 0.18

कुल— 19.50

अनुमंडल स्तरीय पशुचिकित्साल्यों की संख्या—39

अनावति खर्च

क्र. सं.	अवयव	08—09	09—10	10—11	11—12	कुल
1	नव भवन निर्माण	500.00	500.00	500.00	450.00	1950.00
2	आधारभुत सुविधा	15.00	15.00	15.00	13.50	58.50
3	वाहन	50.00	50.00	50.00	45.00	195.00
	कुल	565.00	565.00	565.00	508.50	2203.50

15.3.2 **आवर्ती खर्च**

क्र. सं.	अवयव	08—09	09—10	10—11	11—12	कुल
1	पशु चिकित्सकों को पारिश्रमिक	120.00	120.00	120.00	108.00	468.00
2	पारावेट को पारिश्रमिक	38.40	38.40	38.40	34.56	149.76
3	चतुर्थवर्ग को पारिश्रमिम	24.00	24.00	24.00	21.60	93.60
4	चालक को पारिश्रमिक	6.00	6.00	6.00	5.40	23.40
5	ईधन	4.80	4.80	4.80	4.32	18.72
6	अन्यान	1.80	1.80	1.80	1.62	7.02
7	कुल—	195.00	195.00	195.00	175.50	760.50
	कुल योग	760.00	760.00	760.00	684.00	3648.00

16. पशु बीमा योजना

राज्य सरकार पाईलट आधार पर पॉच जिलों (पटना,रोहता,समस्तीपुर,मुजफ्फरपुर एवं बेगूसराय) में राष्ट्रीय पशु बीमा योजना को क्रियान्वित कर रही है । इस योजना को राज्य के शेष 33 जिलों में भी बढ़ाने की आवश्यक्ता है । भारत सरकार के दिशा निदेश का पालन अन्य जिलों में भी किया जाएगा । इस योजना में 4.5 प्रतिशत वार्षिक प्रिमियम पर सिर्फ दुधारू गायों एवं भैंस का बीमा किया जाएगा । प्रीमीयम की आधी राशि पशुपालकों के द्वारा और शेष आधी राशि सरकारी क्षेत्रों से वहन की जाएगी ।

<u>व्यय</u> (लाख रूपये में)

1. 2003 की पशु गणना में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि के साथ 33 जिलों में आकलित दुधारू गाय एवं भैंस की बीमा–16.00
2. बीमा हेतु गाय एवं भैंसों की लक्षित संख्या–8.00
3. पशु लागत का 4.5 प्रतिशत प्रीमियम राशि की आधी राशि –3600.00

वर्षवार व्यय

क्र. सं0	वर्ष	बीमा किये जाने वाले पशुओं की संख्या	राशि
1	2008–09	8.00 (50 प्रतिशत)	3600.00
2	2009–10	10.00 (60 प्रतिशत)	4500.00
3	2010–11	12.00 (70 प्रतिशत)	5400.00
4	2011–12	14.00 (80 प्रतिशत)	6300.00
		कुल–	19800.00

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्तावित येाजनाओं का संक्षिप्त विवरण

17 **निदेशन और प्रशासन**: पिछले वर्षों में पशुपालन विभाग के क्रियाकलाप में वृद्धि होती रही है । इसके अतिरिक्त नये प्रमण्डलों, जिलों और प्रखण्डों का सृजन कर सामान्य प्रशासनिक ढॉचे का पुनर्गठन करने की जरुरत है। इसलिए सभी स्तरों पर वर्त्तमान सांगठनिक ढॉचे को विस्तारित और सुदृढ करने की जरुरत है । प्रशासन को अधिक प्रभाशाली बनाने और विभिन्न स्तरों पर कार्यकर्त्ताओं की गतिशीलता बढ़ाने के लिए राज्य और क्षेत्र स्तरों पर प्रशासनिक मशीनरी को समुचित रुप से सुदृढ़ करना पड़ेगा ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 103.99 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

18. **पशु सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य**:–राष्ट्रीय कृषि आयोग की अनुशंसा के अनुसार प्रति 5,000 पशुधन इकाई पर एक औषधालय होना चाहिए । राज्य में 29 चलंत पशु औषधालयों सहित कुल 853 पशु अस्पताल और औषधालय कार्य कर रहे हैं । वर्ष 2007–08 में चालू पशु औषधालय स्कीमों को जारी रखा जाएगा, और वर्त्तमान आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाएगा । इसके अतिरिक्त ग्यारहवीं योजना के दरम्यान 200 प्रति वर्ष की दर से 1,000 नये पशु औषधालय स्थापित किये जाएगें ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 2300.04 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 312.00 लाख रुपये

19. **प्रशासनिक अन्वेषण और सांख्यिकी**:—पशु रोग चिकित्सा प्रयोगशाला, दरभंगा को जारी रखने के लिए ।

ग्यारहवीं योजना(2007—12) के लिए उद्व्यय 83.18 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007—08) के लिए उद्व्यय 12.00 लाख रुपये

केन्द्र प्रायोजित स्कीम

20. **कुक्कुट विकास**:—पिछली योजना अवधियों के दरम्यान चलाए गए विभिन्न कुक्कुट पालन विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरुप राज्य में कुक्कुट उत्पादन में न सिर्फ बढ़ोत्तरी हुई है बल्कि कुक्कुट पालन एक महत्वपूर्ण पूरक व्यवसाय भी बन गया है । 2007—08 में पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णियॉ और किशनगंज में कुक्कुट पालन फार्मों को निम्न—निवेश प्रौद्योगिक योजना के अंतर्गत सुदृढ़ किया जाएगा, जिसमें केन्द्र और राज्य के लागत अंश का अनुपात 80:20 होगा । ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए 80.00 लाख रुपये प्रस्तावित किया गया था जिसमें 2007—08 कि लिए 20 प्रतिशत राज्य अंश के रुप में 65.00 लाख रुपये प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त अन्य कुक्कुट विकास कार्यक्रम भी है ।

ग्यारहवीं योजना(2007—12) के लिए उद्व्यय 103.98 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007—08) के लिए उद्व्यय 5.00 लाख रुपये

21. पशु रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता :—आमतौर पर ग्रामीण विकास की गति को बढ़ाने में और परिवारों की आमदनी में वृद्धि करने में पशुधन क्षेत्र की अकूत संभावना है । फिरभी, उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए व्यापक स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना बड़ी समस्या बनी हुई है। इसको ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार ने भिन्न—भिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों को एक स्कीम में समाविष्ट कर दिया है, अर्थात् पशुरोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता(अस्काड) इस योजना का उद्देश्य है । इस योजना का उद्देश्य पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन को प्रभावित करने वाली राज्य विशेष में होने वाली बीमारियों का उन्मूलन करना है । बिहार में, एच एस, बी क्यू, एन्थ्रेक्स, सवियन इन्फलूएन्जा और एफ एम डी चिन्तित करने वाली बीमारियां हैं । पशुधन की इन बीमारियों से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण और अन्य निरोधक तथा आरोग्यकर कदम उठाये जा रहे हैं । इस योजना में केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच 75:25 के

अनुपात में लागत शेयर करने का प्रावधान है, लेकिन वेतन और भत्तों पर पूरा खर्च राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा । परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अन्य बातों के साथ–साथ पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना में जैव उत्पाद इकाई को सुदृढ़ करने, उत्तम प्रयोगशाला पद्धति के अनुसार क्षेत्रीय नैदानिक प्रयोगशालाएँ स्थापित करने, पशुधन मालिकों, पारा पशुचिकित्सकों को प्रशिक्षित करना और जागरुकता अभियान का आयोजन करने का लक्ष्य है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 415.92 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 65.00 लाख रुपये

22. **पशुधन उत्पादों के आकलन के लिए न्यादर्श सर्वेक्षणः दुग्ध, अंडे, मांस और ऊन** :–यह योजना पशु आहार प्रोटीन और अन्य पशु उत्पादों के संदर्भ में भिन्न–भिन्न पशुपालन क्रियाकलापों की व्याप्ति को विम्बित करती है, जिनके आधार पर पशुपालन क्षेत्र में आगे के क्रिया कलापों की योजना बनायी जा सकती है । यह योजना केन्द्र और राज्य सरकार की 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी के आधार पर जारी रखी जा रही है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 207.96 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 30.00 लाख रुपये

23. **पशु चिकित्सा परिषदः**–यह स्कीम पशु चिकित्सा स्नातकों की क्षमता का मूल्यांकन करती है, क्योंकि परिषद में चिकित्सा स्नातकों का पंजियन अनिवार्य है । यह योजना, केन्द्र और राज्य सरकार की 50:50 के अनुपात में हिस्सेदारी के आधार पर जारी रखी जा रही है।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 41.59 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 5.00 लाख रुपये

पशुपालन

दसवीं पंचवर्षीय योजना में वित्तीय उपलब्धि ।

(राशि लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय
2002–03	383.00	273.00	223.28
2003–04	341.00	270.70	200.35
2004–05	292.25	273.55	198.20
2005–06	404.70	206.35	198.88
2006–07	518.00	225.88	221.95
योग	1,938.95	1,249.48	1,042.66

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) : 439.00 लाख रुपये

ग्यारहवीं योजना (2007–12) : 3,256.66 लाख रुपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- पुनरुद्धार, आधुनिकीकरण और नये पशु अस्पताल, औषधालय और कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना ।
- देशी पशुधन, छोटे रोमंथियों (भेड़–बकरियों), कुक्कुट पालन और सूअर पालन का आनुवंशिक उन्नयन तथा साथ ही साथ स्थानीय प्रजातियों का संरक्षण ।
- बेहतर विपणन सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से एक लघु रोमंथी विकास एजेंसी (भेड़–बकरी) के गठन की पहल ।
- रोगमुक्त क्षेत्रों के सृजन और रख–रखाव के लिए सघन अनुश्रवणित पशु प्रतिरक्षण कार्यक्रम ।
- पशु चारा उत्पादन में वृद्धि और सामान्य संपत्ति संसाधन का सुधार ।
- पशु लोक स्वास्थ्य सेवा का सृजन और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्यकर जन्तु प्रोटीन प्रदान करना ।
- अनुश्रवण, मूल्यांकन और सूचना प्रणाली सृजित करना ।
- पशु लोक संसाधन विकास प्रणाली सृजित करना ।
- निम्न आय वाले और गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की आजीविका में सुधार के लिए पिछवाड़े कुक्कुट पालन, सुअर पालन और बकरी पालन का सुदृढ़ीकरण ।
- ग्रामीण और शहरी युवाओं के लिए रोजगार के अवसर का सृजन ।
- पशुपालकों की समग्र अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्तर और नागरिक स्थितियों में सुधार लाना ।

7.3 गव्य विकास

ग्यारहवीं योजना में दुग्धशाला विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य हैं:–डेयरी उद्योग को स्व–पोषित और व्यवहार्य आर्थिक क्रियाकलाप करनेवाले उद्योग के रुप में प्रोत्साहित कर, विशेषकर छोटे और सीमान्त किसानों और ग्रामीण भूमिहीनों के लिए दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना और लोगों को स्वच्छ दूध और दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराना । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक संकरण तथा दूध देने वाले पशुओं के उन्नयन, पोषण तथा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन के माध्यम से प्रति दुधारु पशु दूध का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा । इन उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए अन्य प्रौद्योगिकी निवेशों के साथ–साथ आवश्यक आधारभूत संरचना प्रदान करना पड़ेगा । दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों एवं दुग्ध संघों के माध्यम से दूध का संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने की जरुरत है ।

2. ग्यारहवीं योजना में कर्णांकित और आवंटित निधि में से अधिकांश का उपयोग असंचालित बाढ़ क्षेत्रों के लिए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एवं दुग्धशाला सहकारी समितियों में माध्यम से संग्रहण में बढ़ोत्तरी करने के लिए किया जाएगा । ऑपरेशन फ्लड के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के साथ–साथ उसमें निहित नाजुक खाइयों को भी ध्यान में रखा जाएगा । ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य लगभग सभी जिला स्तरीय शहरों और लगभग सभी गॉवों के लिए दूध की मॉग की पूर्ति दुग्धशाला सहकारी समितियॉ का गठन कर पूरा करना है । इन उद्धेश्यों को पूरा करने में कम्पफेड और दुग्धशाला विकास निदेशालय प्रमुख घटक होगें ।

दसवीं योजना की वित्तीय उपलब्धि

3. दसवीं योजना के लिए कुल संशोधित उद्व्यय 5546.95 लाख रुपये के विरुद्ध 5457.46 (98.38 प्रतिशत) लाख रुपये का उपयोग किया गया ।

11वीं पंचवर्षीय योजना की रणनीति

4. बिहार से झारखंड अलग हो जाने के फलस्वरूप राज्य के जी०डी०पी० में उद्योग का योगदान 20 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत हो गया है जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान 32 प्रतिशत से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2003–04 में कृषि क्षेत्र का योगदान बिहार राज्य के जी०डी०पी० में 35 प्रतिशत था जिसमें पशुधन क्षेत्र का योगदान लगभग एक चौथाई है। पशुधन क्षेत्र का प्रमुख उत्पाद दूध है जिसका योगदान लगभग 70

प्रतिशत है। इसप्रकार यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था परिवर्तन लाने में कृषि क्षेत्र में गव्य विकास की अहम भूमिका है।

5. राष्ट्रीय पशुधन संख्या का 5.6 प्रतिशत बिहार राज्य में अवस्थित है। वर्ष 2005–06 में बिहार का कुल दुग्ध उत्पादन 5060 हजार टन था जो राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन का 5.2 प्रतिशत है। दुग्ध उत्पादन में बिहार राज्य 10वें स्थान पर है। इस राज्य में अच्छी जलवायु एवं गांगेय उवरक मिट्टी के फलस्वरूप पशुपालन की असीम संभावनाएँ हैं।

6. वर्ष 2005–06 में राष्ट्रीय औसत 241 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन दूध की उपलब्धता की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 154 ग्राम प्रति दिन थी। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान पर्षद द्वारा दूध की न्यूनतम आवश्यकता 220 ग्राम प्रति व्यक्ति अनुशंसा की गई है । यह 66 ग्राम प्रति व्यक्ति कमी को दर्शाता है ।

7. राज्य में कुल दुग्ध उत्पादन (वर्ष 2005–06 में आकलित 138.0 लाख किलो प्रति दिन) में से बिक्री योग्य उपलब्ध सरप्लस दूध के 8 प्रतिशत दूध का संकलन सहकारी क्षेत्रों में हो रहा है। शेष उपलब्ध दूध का व्यवसाय मुख्यतः असंगठित क्षेत्रों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रकार गव्य क्षेत्र में विशाल क्षमता है जिसका अभी भी भरपूर उपयोग किया जाना बाकी है। सहकारी क्षेत्र में दूध हस्तन का वार्षिक वृद्धि दर लगभग 13 प्रतिशत है। वर्ष 2012 तक राज्य का दुग्ध उत्पादन 172 लाख किलो प्रति दिन करने का लक्ष्य है तथा भारत सरकार एवं एन०डी०डी०बी० के अनुमान अनुरूप वर्ष 2022 तक दुग्ध उत्पादन बढ़कर 247 लाख किलो प्रति दिन हो जायेगा ।

8. **गव्य विकास की वर्त्तमान स्थिति** : बिहार के 28 जिलों में 6200 गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियॉ राज्य के 7750 गॉवों (19.5 प्रतिशत) में आच्छादित है । जिला स्तर पर कम्फेड द्वारा स्थापित पॉच दुग्ध संघ 24 जिलों में तथा कम्फेड इकाई स्तर से 4 जिलों (गया, जहानाबाद,भागलपुर एवं मुंगेर) में गव्य विकास का कार्य सम्पादित किया जा रहा है । दुग्ध समितियों से 3.4 लाख ग्रामीण परिवार जुड़े हैं जिसमें 14.7 प्रतिशत महिला किसान सम्मिलित हैं । इसके अलावे गव्य निदेशालय द्वारा पूर्णिया,अररिया,कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगाबाद, मुंगेर, नालन्दा, छपरा, सीवान, सुपौल, मधेपुरा, बॉका, जमुई, लखीसराय, नवादा, भोखपुरा, अरवल एवं पटना जिले में गव्य विकास का कार्य सम्पादन किया जा रहा है। वर्ष 2006–07 में

प्रतिदिन दुग्ध संग्रहण 6.09 लाख किलो ग्राम था। जुलाई से सितम्बर 2007 में विनाशकारी बाढ़ आने से दुग्ध उत्पादन/संग्रहण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप दुग्ध संग्रहण बाढ़ के पूर्व स्तर तक भी नहीं पहुॅच सका है जो माह जुलाई 2007 में 6.50 लाख लीटर प्रति दिन पहुॅच गया था ।

9. **पशु उपादान कार्यकम** : राज्य में दुग्ध उत्पादन में अभिवृद्धि के लिए राज्य सरकार एवं कम्फेड द्वारा दुग्ध उत्पादकों को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जा रही है :

9.1 **प्रजनन सुविधाएँ** : 2701 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों के माध्यम से राज्य भर में कम्फेड के 4000 दुग्ध समितियों से जुड़े पशुपालकों को निर्धारित शुल्क पर उनके दरवाजे पर ये सुविधाएँ दी जा रही हैं ।

9.2 **पशु स्वास्थ्य रक्षा** : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवारा के रूप में अभियान चलाकर तथा कम्फेड की ओर से खुरपका मुँहपका (एफ०एम०डी०), गलाघोंटू (एच०एस०) तथा लंगड़ी (बी०क्यू०) संक्रामक बीमारियों के बचाव हेतु पशु टीकाकरण एवं पशु कृमिनाशन कार्य सम्पादित किए गए हैं। वर्त्तमान में पशुपालन विभाग अन्तर्गत 853 पशु चिकित्सालय कार्यरत हैं। पशुओं में जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए वर्ष में दो बार पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर पशु जॉच एवं टीकाकरण पखवारा का आयोजन प्रारंभ किया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2007–08 में भी यह पखवारा दो बार सम्पन्न किया गया है। जनवरी, 08 तक 66.95 लाख पशु टीकाकरण किया गया है। इसके अलावे स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत थनैला रोग पर नियंत्रण एवं बचाव के कार्य किए गए हैं ।

9.3 **पशु पोषण** : राज्य में पटना, मुजफ्फरपुर तथा कम्फेड के अधीन रॉची (झारखंड) में कुल 260 एम0टी0 का पशु आहार कारखाना स्थापित है, जहॉ से सलाना लगभग 45.46 हजार एम0टी0 पशु आहार का उत्पादन कर राज्य के किसानों को संतुलित पशु आहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावे दुग्ध संघों द्वारा चारा बीज उत्पादन कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। चारा बीज की कमी को पूरा करने हेतु सहकारी संघों द्वारा राज्य में सालाना लगभग 300 एम०टी० चारा बीज उत्पादन एवं क्रय कर खरीफ एवं रबी के मौसम में किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। सूखे चारे की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु यूरिया उपचार तकनीक द्वारा वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में क्रमशः 5190 एम०टी० एवं 5900 एम०टी० सूखे चारे का उपचार किया गया है।

9.4 **प्रशिक्षण** : कम्फेड प्रशिक्षण केन्द्र में समिति संचालन (26 दिन), प्रबंधकारिणी कमिटी उन्मुखीकरण (3 दिन), कृत्रिम गर्भाधान (40 दिन) तथा पशु प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। अबतक 40675 कृशकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें 24 प्रतिशत महिलाऍं शामिल हैं। वर्ष 2007–08 में 3000 दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया गया है।

10. **आधारभूत संरचना** : बिहार में 6.35 लाख लीटर प्रतिदिन हस्तन क्षमता के दस डेयरी संयंत्र तथा 2.42 लाख लीटर प्रतिदिन अतिरिक्त प्रशीतन क्षमता के आठ दुग्ध प्रशीतन केन्द्र एवं दस बल्क कूलर इकाईयॉं अधिश्ठापित हैं। बिहार की अधिकांश डेयरियॉं आई०एस०ओ०/एच०ए०सी०सी०पी० प्रमाणित हैं। अतिरेक दुग्ध जन्य ठोस पदार्थो को संरक्षित करने के लिए बरौनी में 10 एम०टी० प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र कार्यरत है। बिहार सरकार की वित्तीय सहायता से बिहार शरीफ में 30 एम०टी० प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र एवं अत्याधुनिक डेयरी की स्थापना की जा रही है। इसके अतिरिक्त मुजफ्फरपुर में भी 10 एम0टी0 प्रतिदिन क्षमता का दुग्ध चूर्ण संयंत्र की स्थापना की जा रही है। पटना में 3000 लीटर प्रतिदिन क्षमता का एक आईसक्रीम प्लांट अवस्थित है।

11. **विपणन** : राज्य में सभी डेयरियों द्वारा लगभग 5.50 लाख लीटर तरल दूध का प्रतिदिन औसतन विपणन बिहार,झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उत्तर प्रदेश के 85 शहरों में 7200 बिक्री केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। पॉच प्रकार के दूध निमोनिक चिन्ह पाउच में तथा 24 प्रकार के वेल्यू एडेड दुग्ध उत्पाद सुधा ब्रांड के लोकप्रिय नाम से उपरोक्त भाहरां में बिक्री किए जाते हैं। कम्फेड की विपणन व्यवस्था के कारण बिहार एवं झारखंड वासी पैकेटबंद पाश्च्यरीकृत दूध एवं लोकप्रिय सुधा दुग्ध उत्पाद उचित मूल्य पर प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे हैं ।

12. **रोडमैप** : बिहार के ग्रामीण किसानों के आर्थिक विकास तथा उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आमदनी सृजन के विभिन्न आयामों के विकास पर पशुपालन एवं गव्य विकास के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों का 2012 तक के लिए रोडमैप तैयार किया गया है जिसका क्रियान्वयन होने पर राज्य के जी०डी०पी०में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा ।

क्रम सं0	कार्यकलाप	वर्त्तमान	2012
01	दुग्ध उत्पादन	138.0 लाख किलो/दिन	172लाख किलो/दिन @
02	प्रसंस्करण क्षमता (सहकारिता)	6.35 लाख लीटर/दिन	16.35 लाख लीटर/दिन
03	दुग्ध संग्रहण(सहकारिता)	6.0 लाख किलो/दिन	12.00 लाख किलो/दिन
04	दुग्ध विपणन (सहकारिता)	6.0 लाख लीटर/दिन	9.0 लाख लीटर/दिन
05	प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता प्रतिदिन	154 ग्राम	161 ग्राम
06	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	2701	शतप्रतिशत दरवाजे पर
07	टीकाकरण	66.95 लाख	शतप्रतिशत
08	चारा/पशु आहार उत्पादन	260 एम0टी0/दिन*	460 एम0टी0/दिन
09	चारा ब्लॉक निर्माण इकाई	0	14+100 **
10	फार्म प्रबंधन, समिति प्रबंघन एवं कृत्रिम गर्भाधान में किसानों का प्रशिक्षण	3000 (वर्ष 2007–08)	80,866 (वर्ष 2012 तक)

@ भारत सरकार एवं एन०डी०डी०बी० के अनुमान के अनुसार वर्ष 2022 में दुग्ध उत्पादन बढ़कर 247 लाख किलो होगा ।

* 100 एम०टी० प्रतिदिन क्षमता का एक पशु आहार कारखाना रॉची में अवस्थित है ।

**14 इकाई राज्य सरकार एवं कम्फेड स्तर पर तथा 100 इकाई का निर्माण निजी संस्थान स्तर पर।

13 **रणनीति** : पूर्व से संचालितत कार्यक्रम से प्राप्त अनुभव एवं राष्ट्रीय योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित किए जाने वाले कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए पशुपालन एवं गव्य विकास के विभिन्न आयामों पर तय लक्ष्य को निम्नलिखित रणनीतियों के आधार पर पूरा किए जायेंगे ।

13.1 **दुधारू मवेशी की उत्पादकता को निम्नलिखित उपायों से बढ़ाये जायेंगे:**

13.2 **कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार :**

- दुधारू मवेशियों के नस्ल सुधार पर जोर दिया जायेगा जिससे ज्यादा–से–ज्यादा दूध का उत्पादन हो सके। वर्त्तमान में कुल 4000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों में ही कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। कुछ गैर सरकारी संगठन यथा बैफ, जे०के० ट्रस्ट, इंडिया जेन तथा राज्य

सरकार के द्वारा लगभग 2701 केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है । वर्ष 2012 तक कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम का विस्तार करते हुए यह सुविधा प्रत्येक कृषक के दरवाजे पर पहुॅचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- इस कार्य हेतु आधारभूत संरचना मद में तरल नेत्रजन के परिवहन, भंडारण एवं वितरण के लिए 3000 लीटर क्षमता का स्टोरेज टैंक तथा 10,000 लीटर क्षमता के टैंकर की व्यवस्था की जायेगी। इसप्रकार वर्ष 2012 तक कम्फेड के पॉच दुग्ध संघों यथा–वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना, देशरत्न डा0 राजेन्द्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी, तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर, मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर एवं शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा में से प्रत्येक संघ में एक तरल नेत्रजन स्टोरेज टैंक स्थापित हो जायेगा एवं नेत्रजन टैंकर से परिवहन कर तरल नेत्रजन की उपलब्धता बढ़ाने में सुविधा होगी ।

- प्रगतिशील कृषकों द्वारा सभी मिल्क शेड में 50 ब्रिडिंग इकाई स्थापित किए जाने की गव्य निदेशालय की योजना है जिसके माध्यम से लाभान्वित स्वयं अच्छे नस्ल के मवेशी की व्यवस्था के लिए आत्म निर्भर हो सकेंगे। कृत्रिम गर्भाधान कार्य की सुविधा किसानों के दरवाजे तक उपलब्ध कराने की योजना है ।

14. **पशु स्वास्थ्य आच्छादन :**

14.1 दुधारू मवेशी के अच्छे स्वास्थ्य नहीं रहने के कारण उसके उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। कुछ संक्रामक बीमारियों जैसे खुरपका–मुहपका, गलाघोटू, लंगड़ी इत्यादि से दुधारू मवेशियों के बचाव की आवश्यकता है। पशुओं में जानलेवा बीमारियों की रोकथाम के लिए वर्ष में दो बार पंचायत स्तर पर कैम्प लगाकर पशु जॉच एवं टीकाकरण पखवारा का आयोजन प्रारंभ किया गया है। फलस्वरूप वर्ष 2007–08 में भी यह पखवारा दो बार सम्पन्न किया गया है। जनवरी, 08 तक 66.95 लाख पशु टीकाकरण किया गया है जिसे विस्तारित करते हुए 2012 तक प्रत्येक वर्ष दो बार सभी पशुओं का टीकाकरण करने की योजना है। विभागीय स्तर पर वृहत रूप से कैम्प आयोजित कर पशु कृमिनाशक कार्य सम्पादित किया जा रहा है।

14.2 दुधारू मवेशियों के लिए दूसरी प्रमुख बीमारी थनैला है जो विशेष रूप से संकर नस्ल के मवेशी को प्रभावित करता है । इस बीमारी की रोक–थाम के लिए किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। यह स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम में मददगार साबित होगा। किसानों के दरवाजे तक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार एवं कम्फेड के दुग्ध संघ के माध्यम से चलंत अस्पताल आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है ।

14.3 राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादक कृशकों को अपने दरवाजे पर पशु चिकित्सा की सुविधा मुहैया कराने हेतु एक वृहत योजना तैयार की जा रही है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक पशु चिकित्सालय में दो पशु चिकित्सक, चलंत चिकित्सा सुविधा से लैस होंगे जो कृषकों को उनके दरवाजे पर जाकर पशु चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करायेंगे ।

14.4 कम्फेड के संघ स्तर पर बीमारियों का पता लगाने के लिए एक प्रयोगशाला स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जहॉ पर बीमार पशुओं से नमूना इकट्ठा किया जायेगा तथा उसकी जॉच की जायेगी जिसके फलस्वरूप सही बीमारी का पता लगाकर समुचित ईलाज किया जा सकेगा ।

15. **पशु पोषाहार** : मवेशी को संतुलित आहार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है क्योंकि कुल उत्पादन लागत का 70 प्रतिशत खिलाने के तरीका पर ही निर्भर करता है । संतुलित पशु आहार एवं हरा चारा मुख्य रूप से पशु पोषाहार के लिए आवश्यक है ।

15.1 **पशु आहार** : प्रति वर्ष 109.5 हजार मिट्रिक टन पशु आहार की आवश्यकता समिति की होती है जिसका आधार प्रति दिन दुग्ध संग्रहण 12.0 लाख किलो ग्राम है। इसके लिए प्रति दिन अतिरिक्त 100 एम०टी० पशु आहार उत्पादन करने की आवश्यकता होगी। वर्त्तमान में स्थापित संयंत्र की क्षमता 260 एम०टी० प्रति दिन है । अतः पटना स्थित पशु आहार कारखाना की क्षमता 100 एम0टी0 से बढ़ाकर 150 एम0टी0 करने, मुजफ्फरपुर स्थित संयत्र का क्षमता विस्तार करने एवं समस्तीपुर तथा मुंगेर में 50–50 मे0 टन क्षमता के दो नये पशु आहार कारखाने तथा वैशाली एवं बरौनी में 100–100 एम0टी0 प्रतिदिन क्षमता के कारखाने में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है ।

15.2 **पशु चारा** :

- दुधारू मवेशी को हरा चारा खिलाने से न केवल संतुलित पशु आहार के खपत में कमी होगी बल्कि दुग्ध उत्पादन के लागत में भी अनुपातिक ढंग

से कमी लाई जा सकेगी । वर्त्तमान में हरा चारा का प्रचलन किसानों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं है जिसका मुख्य कारण इसके लिए जमीन की अनुपलब्धता एवं जानकारी का अभाव है। दूसरा कारण अच्छे किस्म के बीज की कमी का होना है। वर्त्तमान में प्रति वर्ष 300 एम0टी0 हरा चारा बीज की आवश्यकता समितियों द्वारा होती है जिसे 2012 तक दुगुना करने का प्रस्ताव है।

- वर्त्तमान समय में सहकारी क्षेत्र में हरा चारा बीज के उत्पादन की कोई भी इकाई स्थापित नहीं है इसलिए निजी क्षेत्र पर निर्भर रहना पड़ता है। इस कार्य हेतु एक चारा बीज उत्पादन इकाई समस्तीपुर में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
- दुधारू मवेशी को सूखा चारा खिलाया जाता है जो कम पौष्टिक होता है। सूखा चारा को यूरिया से उपचारित कर इसके पौष्टिकता में वृद्धि की जाती है। यह तकनीक दुग्ध उत्पादन के लागत व्यय में कमी लाती है। सहयोग समिति के किसानों द्वारा इस तकनीक के अपनाई जा रही है। वर्त्तमान में 6000 एम०टी० सूखा चारा को यूरिया से उपचारित किया गया है। उपचारित किए जाने वाले सूखा चारा को 2012 तक दुगुना करने का प्रस्ताव है।
- प्राकृतिक विपदा जैसे बाढ़ एवं सूखाड़ के समय में हरा चारा एवं सूखा चारा की उपलब्धता बहुत ही कम हो जाती है जिसके कारण मवेशियों को भरपूर आहार नहीं मिल पाता है। इससे दुधारू मवेशी के उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः वैसे समय में जब सूखा चारा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसे फोडर ब्लॉक के रूप में उपचारित कर सुरक्षित रखने हेतु कुल चौदह इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें छः इकाई कम्फेड के दुग्ध संघ स्तर पर एवं आठ इकाई पशुपालन विभाग के द्वारा स्थापित किया जायेगा। लीन मौसम में अतिरिक्त हरा चारा को साईलेज के रूप में संरक्षित रखा जायेगा। कम्फेड एवं गव्य निदेशालय द्वारा किसानों के खेत (0.25 एकड़) में 4000 चारा प्रत्यक्षण इकाई स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

16. **मानव क्षमता का विकास** : राज्य में दुधारू मवेशी की दुग्ध उत्पादकता में कमी को देखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए जानवरों के उचित ढंग से रख–रखाव, उन्नत प्रबंधन, हरा चारा उत्पादन, सूखा चारा की पौष्टिकता बढ़ाने, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राथमिक उपचार से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर यथा – एन०डी०डी०बी०, सिलीगुड़ी, एन०डी०आर०आई०, करनाल एवं राज्य स्थित कम्फेड के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण दिलाये जाते हैं । इस कार्यक्रम से किसानों को नई तकनीक की जानकारी एवं आधुनिक ढंग से डेयरी व्यवसाय को करने में सहायता प्राप्त होती है। समिति स्तर पर तथा संघ के स्तर पर कार्यो का प्रबंधन दुग्ध उत्पादक द्वारा स्वयं किया जाता है उसी प्रकार गॉवों में स्थानीय युवक द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। सहकारी समितियों के दिन प्रति दिन का कार्य सचिव द्वारा किया जाता है जो उसी गॉव के होते हैं । समिति के सदस्यों तथा उसके कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि लाने के लिए प्रशिक्षण की आव यकता होती है जिसे कम्फेड में स्थित प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण केन्द्र, पटना में 90 सदस्यों को एक साथ ठहराने एवं खिलाने की व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण केन्द्र को राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बनाये जाने का प्रस्ताव है जिससे इसकी क्षमता 200 प्रशिक्षणार्थीयों को एक साथ ठहराने की हो जायेगी। इसके अतिरिक्त बरौनी स्थित प्रशिक्षण केन्द्र की क्षमता को 20 से बढ़ाकर 50 करना प्रस्तावित है।

16.1 कम्फेड प्रशिक्षण केन्द्र में समिति संचालन (26 दिन), प्रबंधकारिणी कमिटी उन्मुखीकरण (3 दिन), कृत्रिम गर्भाधान (40 दिन) तथा पशु प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जाते हैं। अबतक 40675 कृशकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है जिसमें 24ः महिलाएँ भाामिल हैं जिसे वर्ष 2012 तक बढ़ा कर 64,600 करने की योजना है। वर्ष 2007–08 में 3000 दुग्ध उत्पादकों को प्रशिक्षण दिया गया है तथा वर्ष 2012 तक कम–से–कम 80,866 अतिरिक्त दुग्ध उत्पादक कृशकों को प्रशिक्षण दिये जाने का प्रस्ताव है ।

17. **दुग्ध विधायन के लिए नये आधारभूत संरचना स्थापित करना तथा वर्त्तमान में उपलब्ध संरचना को सुदृढ़ करना** : वर्ष 2012 तक यह आकलन किया गया है कि दुग्ध संग्रहण की मात्रा प्रति दिन औसतन 12 लाख किलो ग्राम से बढ़ कर फ्लस सीजन में लगभग 16.75 लाख किलो ग्राम हो जायेगा। वर्त्तमान में दुग्ध

संयंत्र की हस्तन क्षमता 6.35 लाख लीटर प्रति दिन है जिसे बढ़ा कर 16.35 लाख लीटर प्रति दिन किए जाने के लिए रणनीति अपनाई गई है। विस्तृत विवरणी निम्नवत है :

क्र० सं०	डेयरी प्लांट	वर्त्तमान क्षमता लाख ली०/दिन	अतिरिक्त क्षमता लाख ली0/दिन	कुल क्षमता लाख ली0/दिन 2012 तक	निधी का श्रोत	परियोजना लागत करोड़ रू0 मे ।	योजना पूरा होने की अवधि(माह)
01	पटना	1.50	–	1.50	एन०सी०डी०सी०	5.16	12
02	मजफ्फरपुर	1.00	0.50	1.50	एन०सी०डी०सी०	9.95	12
03	समस्तीपुर	1.00	1.00	2.00	एन०सी०डी०सी०	10.94	24
04	बिहारशरीफ	–	4.00	4.00	राज्य सरकार	120.93	24
05	हाजीपुर	–	1.00	1.00	ग्रामीण विकास	12.44	24
06	बरौनी	1.60	1.40	3.00	–	–	–
07	आरा	0.60	–	0.60	–	–	–
08	भागलपुर	0.25	–	0.25	–	–	–
09	गया	0.20	–	0.20	–	–	–
10	कैमूर	0.10	–	0.10	–	–	–
11	पूर्णिया	0.10	–	0.10	–	–	–
12	गोपालगंज	–	0.10	0.10	–	–	–
13	मोहनिया	–	2.00	2.00	–	–	–
	कुल	6.35	10.00	16.35			

17.1 बरौनी डेयरी का क्षमता विस्तार 1.60 लाख लीटर से 3.0 लाख लीटर प्रतिदिन किए जाने का प्रस्ताव, राष्ट्रीय कृशि विकास योजना/एन०सी०डी०सी० से वित्तीय सहायता लेने हेतु के पुनरीक्षित किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप डेयरी प्लांट की कुल क्षमता बढ़ कर 16.35 लाख लीटर प्रति दिन हो जायेगा। 2012 तक भोश 2.15 लाख लीटर क्षमता का अतिरिक्त प्रोसेसिंग प्लांट की आव यकता होगी जिसके लिए 2.00 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता एक नया डेयरी प्लांट मोहनिया में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है एवं 1.00 लाख लीटर का नया संयत्र डेहरी–ऑन–सोन में स्थापित करना प्रस्तावित है।

17.2 मूल्यवर्द्धन के लिए प्रस्तावित है कि दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन हेतु संरचना का सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण एवं आधुनीकिकरण किया जाय । डेहरी–ऑन–सोन में 1.0 टन प्रतिदिन क्षमता के चीज प्लान्ट की स्थापना करने का लक्ष्य है जिसपर 2.471 करोड रूपये खर्च होने का अनुमान है । यह संयंत्र मुख्यतः भैंस के दूध से मोजरेला चीज एवं प्रोसेस्ड चीज तैयार करेगा । दुग्धजन्य पदार्थ को राश्ट्रीय एवं अन्तर्राश्ट्रीय मानक स्तर के अनुरूप तैयार करने हेतु स्वच्छ दूध उत्पादन करने का विशेष प्रयास किया जाएगा

जिसके लिए दुग्ध उत्पादकों को आवश्यक प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन राशि दी जायेगी । वर्ष 2012 तक कुल दुग्ध संग्रहण के 20 प्रतिशत का शीतलीकरण 242 बल्क कूलर के माध्यम से किया जायेगा। गुणवत्ता में अनवरत सुधार हेतु एवं नए उत्पाद लाने के लिए एक आर0 एण्ड डी0 लैब की स्थापना प्रस्तावित है।

17.3 पुराने डेयरियों एवं शीतकरण संयंत्रों का सुदृढ़िकरण एवं विस्तार भी प्रस्तावित है जो M&MPO एवं ISO-HACCP मानक की आवश्यकताओं को पूरा कर सके ।

18. **दुग्ध समितियों का भौगोलिक विस्तार** : दुग्ध संग्रहण के लक्ष्य प्राप्ति के लिये 5600 नये समितियों का गठन प्रस्तावित है जिससे वर्त्तमान में 6200 समितियों की संख्या बढ़कर 11800 हो जायेगी।

18.1 समिति संचालन में अधिक पारदर्शिता लाने के लिये सभी समितियों में इलेक्ट्रानिक मिल्कोटेस्टर, जांच संयंत्र देना प्रस्तावित है । सभी समितियों को स्टेनलेस स्टील कैन दिया जाएगा। वैसी 695 समितियों में स्वचालित संग्रहण संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव है जहां 500 किलो से अधिक दूध संग्रहण हो रहा हो। वैसी 20 प्रतिशत समितियों में भी इलेक्ट्रानिक मिल्कोटेस्टर देने का प्रस्ताव है जहां 60 से अधिक दुग्ध उत्पादक कार्यरत हैं।

19. **विपणन में विस्तार करने का कार्यक्रम** : ग्राहकों के मांग के अनुरूप तथा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से विक्रय केन्द्रों की संख्या 7150 से बढ़ाकर 12225 तक बढ़ाने की योजना वर्ष 2012 तक है ताकि विपणन को 9.00 लाख लीटर प्रतिदिन पहुँचाया जा सके।

19.1 पूर्णकालीन दुग्ध मंडपों की संख्या भी 500 से 902 तक बढ़ाने तथा विक्रय केन्द्रों को प्रशीतन क्षमता (डीप फ्रीज एवं वीजीकुलर) से सुदृढ़ करने का भी प्रस्ताव है । दूध एवं दुग्धजन्य पदार्थों का विपणन में विस्तार कम से कम 15 अतिरिक्त शहरों में भी करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य के लगभग 100 भाहरों में पाउच या टेट्रापैक दूध उपलब्ध हो सके । विपणन व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित का विशेष प्रयास किया जाएगा ।

20. **गव्य निदेशालय की योजनाऍ** : राज्य के 28 जिलों में कम्फेड द्वारा कार्य का सम्पादन किया जा रहा है तथा शेष 10 जिलों यथा – छपरा, सीवान,सुपौल, मधेपुरा, बॉका, जमुई, लखीसराय, नवादा, शेखपुरा, अरवल में गव्य विकास निदेशालय द्वारा पूर्ण रूप से कार्य आरंभ किया गया है । इसके अतिरिक्त कुछ जिलों यथा– पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, गोपालगंज, सीतामढ़ी, औरंगावाद, मुंगेर, नालन्दा एवं पटना में

कम्फेड के सहयोग से कार्य किया जा रहा है। इन जिलों में निम्नलिखित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

20.1 **मिनी डेयरी की योजना** : इस योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों, शिक्षित बेरोजगार, लघु एवं सीमांत कृषकों को मिनी डेयरी की स्थापना हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाती है जिससे ग्रामीण क्षेत्र में स्वनियोजन का अवसर प्राप्त होता है। इस योजना के द्वारा प्रत्येक लाभान्वित को पॉच संकर नस्ल की दुधारू मवेशी उपलब्ध कराए जाते हैं । एक यूनिट मिनी डेयरी का अनुमानित लागत व्यय 1,00,950.00 रू0 है जिसमें 80,000.00 रू0 बैंक द्वारा ऋण के रूप में तथा 20,950.00 रू0 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जाते हैं । इस योजना से राज्य में संकर नस्ल के दुधारू मवेशी की संख्या में वृद्धि होगी तथा दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी जिससे किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध किया जा सकेगा ।

20.2 **गव्य विज्ञान में प्रशिक्षण की योजना** : राज्य में दुधारू मवेशी की दुग्ध उत्पादकता में कमी को देखते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए जानवरों के उचित ढंग से रख–रखाव, उन्नत प्रबंधन, हरा चारा उत्पादन, सूखा चारा की पौष्टिकता बढ़ाने, कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राथमिक उपचार से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए राज्य से बाहर एवं राज्य स्थित संस्थानों यथा– एन0डी0डी0बी, सिलीगुड़ी, एन0डी0आर0आई0, करनाल, कम्फेड के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण दिलाये जाते हैं । इस कार्यक्रम से किसानों को नई तकनीक की जानकारी प्राप्त होती है तथा आधुनिक ढंग से डेयरी व्यवसाय को करने में सहायता प्राप्त होती है।

20.3 **हरा चारा प्रत्यक्षण की योजना** : हरा चारा प्रत्यक्षण का कार्य शरदकालीन एवं ग्रीष्मकालीन मौसम में किसानों के बीच निर्धारित प्लॉट में किया जाता है । इस योजना के क्रियान्वयन से दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। साथ ही उत्पादन लागत में भी कमी आती है। समिति के सदस्यों के बीच प्रत्येक लाभान्वित को निर्धारित प्लॉट में हरा चारा प्रत्यक्षण हेतु प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाता है। शरद ऋतु में वरसीम एवं जई तथा गृष्म मौसम में सूडान एवं मक्का का बीज उपलब्ध कराया जाता है । प्रति प्लॉट हरा चारा प्रत्यक्षण हेतु कुल 1,600,00 रू0 अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाता है ।

20.4 **आदर्श डेयरी ग्राम योजना** : इस योजना अन्तर्गत पॉच गॉवों का एक समूह बनाकर उसे स्वच्छ, सुन्दर, सुविधायुक्त तथा समृद्ध ग्राम के रूप में विकसित करना है। आदर्श डेयरी ग्राम में विशेष रूप से समिति का गठन, सामुदायिक भवन का निर्माण,

कृत्रिम गर्भाधान–सह–प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र की स्थापना, 1,000 लीटर क्षमता का बल्क कूलर की स्थापना, स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पादित कराया जाता है । एक इकाई का वर्त्तमान अनुमानित लागत व्यय लगभग 18.00 लाख रू० है।

20.5 दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति में दुग्ध संग्रहण केन्द्र निर्माण तथा इलेक्टोनिक मिल्कोटेस्टर क्रय योजना : इस योजना के अर्न्तगत वैसी समितियॉ जहॉ पर प्रतिदिन 200 लीटर दूध का संग्रहण हो रहा हो तथा समिति निबंधित हो एवं जमीन उपलब्ध हो, वैसी समितियों में दुग्ध संग्रहण केन्द्र का निर्माण कराया जाता है तथा इन समितियों को मिल्कोटेस्टर की आपूर्ति की जाती है । एक इकाई का लागत व्यय लगभग 4.00 लाख रू0 हैं।

20.6 **कैटल ब्रीडिंग फार्म की योजना** : राज्य में उन्नत नस्ल के दुधारू मवेशी की कमी को देखते हुए ग्रामीण बेरोजगार, प्रगतिशील किसानों के लिए कैटल ब्रीडिंग फार्म की स्थापना की योजना प्रस्तावित है। एक इकाई ब्रीडिंग फार्म का अनुमानित लागत व्यय 4.00 लाख रू0 है जिसमें 80 प्रतिशत बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराए जायेंगे। लाभान्वित किसानों द्वारा सीड मनी के रूप में 10 प्रतिशत की राशि वहन करनी होगी।

20.7 **स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की योजना** : इस योजना का मुख्य उदे्श्य दुग्ध उत्पादक के स्तर पर उत्पादित दूध की गुणवता में सुधार लाना है। इस कार्य के लिए दुग्ध उत्पादकों के आधारभूत संरचना जैसे स्टेनलेस स्टील का दूध दूहने हेतु बाल्टी, स्ट्रेनर, स्टेनलेस स्टील का मिल्क कैन, साफ–सफाई के लिए किटाणुनाशक घोल इत्यादि, जागरुकता पैदा करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि मुहैया कराना है। योजना का कियान्वयन समिति स्तर पर किया जाना है।

21. **राष्ट्रीय कृषि विकास योजना** : इस योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2007–08 में राज्य योजना मद से किया जा रहा है। इस योजना अन्तर्गत मुख्य रुप से राज्य के सभी जिलों को सम्बद्ध किया गया है। योजना का क्रियान्व्यन कम्फेड एवं गव्य विकास निदेशालय द्वारा संयुक्त रुप से निर्धारित कार्य क्षेत्र अन्तर्गत किया जा रहा है। वर्ष 2007–08 में निम्नलिखित योजनाओं यथा–स्वंय सहायता समूह/समिति का गठन, कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा मुहैया कराना, प्रशिक्षण की व्यवस्था, फॉडर ब्लॉक मेकिंग

यूनिट की स्थापना, स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना, पुराने डेयरी प्लांट के क्षमता विस्तार आदि कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

22. **निधि की आवश्यकता एवं श्रोत** : गव्य विकास के उपर्युक्त कार्यक्रम को पूरा करने में वर्ष **2012** तक **471.78** करोड़ रूपये का व्यय आकलित किया गया है जिसका कार्यक्रम वार आकलन इस प्रकार है :

कार्यकलाप	**राशि (करोड़ में)**
दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन	25.79
नस्ल सुधार	92.35
पशु स्वास्थ्य	10.23
पशु पोशण	80.58
कार्यबल का विस्तार	8.68
प्रसंस्करण एवं विपणन आधारभूत संरचना	254.15
कुल	**471.78**

22.1 उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों के लिए निधि की व्यवस्था बिहार सरकार, आर0के0वी0वाई, कम्फेड का अपना साधन श्रोत, एस0जी0एस0वाई0,एस0वी0वाई0 या एन0सी0डी0सी0 से ऋण लेकर किए जाने का प्रस्ताव है। वर्ष 2008 से 2012 तक के लिए कार्यक्रमवार विस्तृत व्यौरा निधि की आवश्यकता के साथ संलग्न पृष्ठ पर द्रष्टव्य है।

22.2 बिहार मे गव्य विकास के भौतिक लक्ष्य

क0 सं0	योजना	दर	वर्ष 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
I	**दुग्ध समितियों का गठन**						
1	दुग्ध समितियों का गठन	0.20	1133	1307	1476	1684	5600
2	मिल्को टेस्टर	0.28	905	1046	1183	1348	4482
II	**नस्ल सुधार**						
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	0.42	251	313	357	425	1346
4	तरल नेत्रजन भण्डारण/वितरण व्यवस्था	15.00	1	1	1	0	3
5	तरल नेत्रजन परिवहन टैंकर	40.00	0	0	1	0	1
6	कृत्रिम गर्भाधान सूचना पद्धति	6.00	1	0	0	0	1

7	आदर्श ग्राम की स्थापना	16.50	60	60	81	81	282
8	मिनी डेयरी की स्थापना	1.00	622	733	862	976	3193
III	**पशु स्वास्थ्य**						
9	चलन्त पशु चिकित्सा क्लिनिक–सह– रोग निरीक्षण प्रयागशाला	5.00	7	0	0	0	7
10	पशु प्रजनन इकाईयों की स्थापना	4.00	50	52	63	63	228
IV	**पशु पोषण**						
11	पशु आहार कारखाना का विस्तारीकरण	500.00	1	1	0	0	2
12	नये पशु आहार कारखाना की स्थापना	1500.00	0	2	1	1	4
13	फार्मलडेहाईड प्लाण्ट की स्थापना	90.00	0	2	2	1	5
14	मिनरल मिक्सचर प्लाण्ट की स्थापना	15.00	1	1	0	0	2
15	चारा बीज प्रसंस्करण संयंत्र	55.00	0	1	0	0	1
16	चारा ब्लॉक बनाने की इकाई	25.00	3	3	1	0	7
	चारा ब्लॉक बनाने की इकाई पी.पी.पी. के अन्तर्गत	6.50	30	30	40	0	100
17	राशन संतुलन योजना	0.30	17	27	26	32	102
18	चारा प्रत्यक्षण इकाई की स्थापना	0.016	1279	1492	1812	2044	6627
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
V	**मानव बल विकास**						
19	प्रशिक्षण केन्द्र का क्षमता विस्तार	75.00	1	1	0	0	2
20	समिति संगठन पर किसानों का प्रशिक्षण	0.052	1133	1307	1476	1684	5600
21	कृत्रिम गर्भाधान के किसानों का प्रशिक्षण	0.080	251	313	357	425	1346
22	किसानों का अध्ययन भ्रमण	0.028	1532	1868	2192	2528	8120
23	दुग्ध उत्पादकों का जागरूकता कार्यक्रम	0.001	12220	14617	17766	21197	65800
VI	**प्रसंस्करण आधारभूत संरचना**						
24	अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला	300.00	0	1	0	0	1
25	बल्क कूलर की स्थापना	23.00	47	53	61	81	242
26	नया डेयरी प्लाण्ट की स्थापना	1500.00	4	0	1	1	6
27	स्थापित डेयरी प्लाण्ट का सुदृढ़ीकरण	300.00	2	5	0	0	7
28	स्वचालित संग्रहण केन्द्र की स्थापना	2.00	119	161	188	227	695
29	प्रशितन यान	20.00	1	2	3	3	9

30	इन्सुलेटेड बॉक्स/डीप फ्रीज से सज्जित होल डे मिल्क बूथ	2.50	75	87	104	136	402
31	वाक–इन कोल्ड स्टोर	9.00	11	12	11	13	47
32	कोल्ड चेन (भिजीकुलरर्स/डीप फ्रीज)	0.20	136	176	213	254	779
33	ई.आर.पी.	100.00	2	3	0	0	5

नोट– 1. दिये गये दर प्रथम वर्ष के हैं। आगे के वर्षों में इसमें 5 प्रतिशत प्रति वर्ष की बढ़ोत्तरी की गई है।

2. टीकाकरण, कृमिनाशन एवं पशुओं की जांच के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया है क्योंकि पशुपालन विभाग, राज्य सरकार इन योजनाओं को पूरे राज्य में क्रियान्वित कर रही है ।

बिहार में गव्य विकास के वित्तीय लक्ष्य

(2008–2012)

क्र0 सं0	योजना	दर	वर्ष 2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	कुल
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
I	**<u>दुग्ध समितियों का गठन</u>**						
1	दुग्ध समितियों का गठन	0.20	226.60	274.47	325.46	389.89	1216.42
2	मिल्को टेस्टर	0.28	253.40	307.52	365.19	436.93	1363.04
	योग		**480.00**	**581.99**	**690.65**	**826.82**	**2579.46**
II	**<u>नस्ल सुधार</u>**						
3	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	0.42	105.42	138.03	165.31	206.64	615.40
4	तरल नेत्रजन भण्डारण/वितरण व्यवस्था	15.00	15.00	15.75	16.54	0.00	47.29
5	तरल नेत्रजन परिवहन टैंकर	40.00	0.00	0.00	44.10	0.00	44.10
6	कृत्रिम गर्भाधान सूचना पद्धति	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00
7	आदर्श ग्राम की स्थापना	16.50	990.00	1039.50	1473.49	1547.17	5050.16

8	मिनी डेयरी की स्थापना – लागत	1.00	622.00	769.65	950.36	1129.84	3471.85
	मिनी डेयरी की स्थापना – अनुदान	0.20	124.40	153.93	190.07	225.97	694.37
	योग		**1738.42**	**1962.93**	**2649.79**	**2883.65**	**9234.79**
III	**पशु स्वास्थ्य**						
9	चलन्त पशु चिकित्सा क्लिनिक–सह– रोग निरीक्षण प्रयागशाला	5.00	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00
10	पशु प्रजनन इकाईयों की स्थापना–लागत	4.00	200.00	218.40	277.83	291.72	987.95
	पशु प्रजनन इकाईयों की सीापना–अनुदान	0.80	40.00	43.68	55.57	58.34	197.59
	योग		**235.00**	**218.40**	**277.83**	**291.72**	**1022.95**
IV	**पशु पोषण**						
11	पशु आहार कारखाना का विस्तारीकरण	500.00	200.00	510.00	315.00	0.00	1025.00
12	नये पशु आहार कारखाना की स्थापना	1500.00	0.00	1050.00	2236.50	2149.88	5436.38
13	फार्मलडेहाईड प्लाण्ट की स्थापना	90.00	0.00	189.00	198.45	104.19	491.64
14	मिनरल मिक्सचर प्लाण्ट की स्थापना	15.00	15.00	15.75	0.00	0.00	30.75
15	चारा बीज प्रसंस्करण संयंत्र	55.00	0.00	57.75	0.00	0.00	57.75

1	2	3	4	5	6	7	8
16	चारा ब्लॉक बनाने की इकाई	25.00	75.00	78.75	27.56	0.00	181.31
	चारा ब्लॉक बनाने की इकाई पी.पी.पी. के अन्तर्गत–कुल लागत	6.50	195.00	204.75	286.65	0.00	686.40
	चारा ब्लाक–पी0पी0पी0 – सबसिडि	1.30	39.00	40.95	57.33	0.00	137.28
17	राशन संतुलन योजना	0.30	5.10	8.51	8.60	11.11	33.32
18	चारा प्रत्यक्षण इकाई की स्थापना	0.016	20.46	25.07	31.96	37.86	115.35
	योग		**510.56**	**2139.57**	**3104.73**	**2303.04**	**8057.90**
V	**मानव बल विकास**						
19	प्रशिक्षण केन्द्र का क्षमता विस्तार	75.00	75.00	40.00	0.00	0.00	115.00
20	समिति संगठन पर	0.052	58.92	71.36	84.62	101.37	316.27

	किसानों का प्रशिक्षण						
21	कृत्रिम गर्भाधान के किसानों का प्रशिक्षण	0.080	20.08	26.29	31.49	39.36	117.22
22	किसानों का अध्ययन भ्रमण	0.028	42.90	54.92	67.67	81.94	247.42
23	दुग्ध उत्पादकों का जागरूकता कार्यक्रम	0.0011	13.44	16.08	19.54	23.32	72.38
	योग		**210.34**	**208.65**	**203.32**	**245.99**	**868.29**
VI	**प्रसंस्करण आधारभूत संरचना**						
24	अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला	300.00	0.00	315.00	0.00	0.00	315.00
25	बल्क कूलर की स्थापना	23.00	1081.00	1279.95	1546.81	2156.66	6064.41
26	नया डेयरी प्लाण्ट की स्थापना	1500.00	5893.00	2700.00	992.25	2397.94	11983.19
27	स्थापित डेयरी प्लाण्ट का सुदृढ़ीकरण	300.00	450.00	900.00	825.00	0.00	2175.00
28	स्वचालित संग्रहण केन्द्र की स्थापना	2.00	238.00	338.10	414.54	525.56	1516.20
29	प्रशितन यान	20.00	20.00	42.00	66.15	69.46	197.61
30	इन्सुलेटेड बॉक्स/डीप फ्रीज से सज्जित होल डे मिल्क बूथ	2.50	187.50	228.38	286.65	393.59	1096.12
31	वाक–इन कोल्ड स्टोर	9.00	99.00	113.40	109.15	135.44	456.99
32	कोल्ड चेन (भिजीकुलरर्स/डीप फ्रीज)	0.20	27.20	36.96	46.97	58.81	169.93
33	ई.आर.पी.	100.00	200.00	315.00	0.00	0.00	515.00
	पर्यवेक्षण एवं इवैलुएशन		227.41	227.60	224.26	245.77	925.04
	योग		**8423.11**	**6496.39**	**4511.77**	**5983.22**	**25414.49**
	कुल		11597.43	11607.92	11438.09	12534.44	47177.89

वर्ष 2008–09 के लिए रोड मैप अन्तर्गत योजनाओं की निधि निम्नप्रकार से होगी

योजना का नाम	वित्तीय आवश्यकता	निधि के स्रोत					
		राज्य योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	केन्द्रीय योजनायें	कम्फेड/ दुग्ध संघ	सांस्थिक वित्त	पी0पी0पी0/ मार्जिन मनी
1	2	3	4	5	6	7	8
दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन							
दुग्ध उत्पादक सहयोग	226.60	47.40	143.36	26.88	8.96		

समितियों की स्थापना							
इलेक्ट्रोनिक मिल्को टेस्टर	253.40	53.20	160.16	29.96	10.08		
नस्ल सुधार							
कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की स्थापना	105.42	26.46	63.42	11.76	3.78		
तरल नेत्रजन का भंडारण/वितरण व्यवस्था	15.00		15.00				
कृत्रिम गर्भाधान हेतु सूचना पद्धति की स्थापना	6.00		6.00				
आदर्श ग्राम की स्थापना	990.00	66.00	726.00	198.00			
मिनी डेयरी की स्थापना	622.00	80.00	44.40			435.40	62.20
पशु स्वास्थ्य							
चलंत पशु चिकित्सा पथ/बीमारी जॉच प्रयोगशाला की स्थपना	35.00		30.00	5.00			
प्रजनन इकाईयों की स्थापना–कुल लागत	200.00	40.00				140.00	20.00
पशु पोषण							
पशु आहार कारखाना का विस्तार	200.00		200.00				
मिनरल मिक्स्चर प्लांट की स्थापना	15.00		15.00				
चारा ब्लॉक बनाने की इकाई की स्थापना	75.00	75.00					
चारा ब्लॉक बनाने की इकाई की स्थापना–पी0पी0पी0	195.00		39.00			136.50	19.50
राशन संतुलन योजना	5.10		5.10				
चारा प्रत्यक्षण इकाई की स्थापना	20.46	12.80	7.66				
1	2	3	4	5	6	7	8
कार्यबल का विकास							
प्रशिक्षण केन्द्र के क्षमता का विस्तार	75.00		75.00				
समिति संगठन हेतु किसानों का प्रशिक्षण	58.92		48.52	10.40			
कृत्रिम गर्भाधान हेतु किसानों का प्रशिक्षण	20.08	5.04	10.40	4.64			
किसानों का अध्ययन भ्रमण	42.90	22.40	14.00	6.50			
दुग्ध उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	13.44		11.00		2.44		
प्रसंस्करण एवं विपणन आधारभूत							

संरचना							
बल्क कूलर की स्थापना	1081.00		575.00	230.00		276.00	
न्ये डेयरी प्लांट की स्थापना	5893.00	4093.00	1100.00		100.00	600.00	
वर्त्तमान डेयरियों का सुदृढ़िकरण	450.00		292.50		45.00	112.50	
स्वचालित दुग्ध संग्रहण केन्द्र की स्थापना	238.00		160.00	12.00		66.00	
प्रशितन यान	20.00		20.00				
होल डे मिल्क बूथ हेतु इन्सुलेटेड बॉक्स एवं डीपफ्रीज	187.50		150.00	37.50			
वुकिंग कोल्ड स्टोर	99.00		99.00				
कोल्ड चेन (डीपफ्रीजर एवं विजीकुलर)	27.20		27.20				
ई0आर0पी0 (कम्प्यूटरिकरण)	200.00		200.00				
मोनिटरिंग एण्ड ईभैल्युएशन	227.41		227.41				
कुल	11597.43	4521.30	4465.13	572.64	170.26	1766.40	101.70

ग्यारहवीं योजना और वार्षिक योजना 2007–08 के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम

23. शिक्षा एवं प्रशिक्षण :–दुग्धशाला सहयोग समितियों के सदस्यों एवं सचिवों को दुग्धशाला विकास कार्यक्रमों की गतिविधियों से परिचित कराने में सहायता प्रदान करने हेतु उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए राज्य के भीतर और बाहर एक समुचित प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है । समितियों के सदस्यों को बुनियादी प्रशिक्षण देने के लिए कम्फेड, पटना तथा एन डी डी बी, सिलिगुड़ी में अल्पावधिक पाठ्यक्रम आयोजित किए जाएँगे।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 129.98 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 25.00 लाख रुपये

24 **दुग्ध उत्पाद प्रतियोगिता** :–उत्पादकों द्वारा सहकारी समितियों को नियमित दूध आपूर्त्ति करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम स्तर पर एक दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 51.99 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

25 **निदेशन और प्रशासनः**—कार्यान्वयन क्षेत्र में विकास गतिविधियों के नियमित जॉच, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण का कुल क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक (दुग्ध) कार्यालय, भागलपुर और केन्द्रीय प्रेक्षक कार्यालय, पटना द्वारा कायम रखना आवश्यक है ।

ग्यारहवीं योजना(2007—12) के लिए उद्व्यय 88.37 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007—08) के लिए उद्व्यय 17.00 लाख रुपये

26 **दुग्ध संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और इलेक्ट्रॉनिक मिल्को टेस्टर की खरीद** :—ग्राम स्तर पर दुग्ध सहकारी समिति के सदस्यों के लिए किसी केन्द्रीय स्थल पर सहकारी समिति के सदस्यों द्वारा उत्पादित दूध संग्रहण करने, उत्पादित दूध की गुणवत्ता की जॉच करने और समितियों के अभिलेखों के रख—रखाव के लिए एक केन्द्रीय स्थल के रुप में एक भवन का होना अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त समितियों को दूध की नियमित जॉच के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर प्रदान किया जाएगा । भवन उन दुग्ध सहकारी समितियों के लिए बनाए जाएॅगे, जो प्रतिदिन कम से कम 200 लिटर दूध इकट्ठा करते हों, ताकि वे बेहतर काम करने के लिए प्रोत्साहित किए जाएॅ ।

ग्यारहवीं योजना(2007—12) के लिए उद्व्यय 157.37 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007—08) के लिए उद्व्यय 30.00 लाख रुपये

27 **आदर्श ग्राम योजना** :—आदर्श दुग्धशाला ग्राम योजना वर्ष 2005—06 के दौरान आरंभ की गयी थी जिसके अंतर्गत पांच दुग्धशाला सहकारी समितियों का एक समूह गठित किया जाएगा, जिसमें एक समिति को आदर्श समिति माना जाएगा। आदर्श समिति में एक दुग्ध संग्रहण केन्द्र तथा सामुदायिक भवन का निर्माण होगा जिसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियॉ, जैसे कृत्रिम गर्भाधान, हरित चारा प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि की व्यवस्था होगी ।

ग्यारहवीं योजना(2007—12) के लिए उद्व्यय 337.94 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007—08) के लिए उद्व्यय 65.00 लाख रुपये

28 **लघु दुग्धशाला की स्थापना** :—यह एक चालू योजना है, जिसे दसवीं योजना के दौरान कोष के अभाव में बंद कर दिया गया था । पांच संकर प्रजाति की गायों का एक समूह, अर्थात् गांवों में लघु दुग्धशाला की एक इकाई, और बैंक ऋण के माध्यम से प्रगतिशील किसानों और लक्ष्य समूहों के लिए सहकारी

समितियां स्थापित की जाएंगी । लाभार्थियों को बीमा, पशुचारा, दवा तथा यातायात आदि के लिए लगभग 20000 रुपये प्रदान किये जायेगें।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 259.95 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 50.00 लाख रुपये

29 **सहकारी समितियों में पशुचारा प्रदर्शन** :–दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने और उत्पादन लागत न्यूनतम करने के लिए सहकारी समितियों के सदस्यों के भू–खंडों में पशुचारा प्रदर्शन कार्यक्रम आरंभ किया गया है । शरद और ग्रीष्म ऋतुओं में सहकारी समिति के सदस्य को उच्च गुणवत्ता वाला पशुचारा बीज तथा उर्वरक आदि प्रदान किया जाता है । इसके निमित्त ग्यारहवीं योजना के लिए 50.00 लाख रुपये तथा वार्षिक योजना 2007–08 के लिए 10.00 लाख रुपये का उपबंध किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 51.99 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

30. **नये दुग्धशाला संयंत्र की स्थापना** :–संगठित क्षेत्र के माध्यम से दूध प्राप्त करने का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के भीतर वर्तमान दूध प्राप्ति को दुगुना अर्थात् 5.50 लाख लीटर प्रतिदिन से 12.00 लाख प्रतिदिन करना है । प्राप्त अतिरिक्त दूध के प्रसंस्करण की तात्कालिक आवश्यकता होगी, अतः विभिन्न इलाकों में नये दुग्धशाला संयंत्र स्थापित किये जाएंगे । 2006–07 के लिए 120.93 करोड़ रुपये के अनुमानित लागत पर 4.00 लाख लिटर प्रतिदिन क्षमतावाले नये दुग्धशाला संयंत्र तथा एक चतुष्पट्टा (टेट्रा पैक) संयंत्र युक्त 30 एम टी प्रतिदिन क्षमतावाले पाउडर संयंत्र को मंजूरी दी गयी है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 25995.05 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 3000.00 लाख रुपये

गव्य विकास

दसवीं योजना में उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	108.00	50.00	47.73
2003-04	106.50	90.00	31.80
2004-05	97.45	97.45	92.56
2005-06	178.00	102.50	81.53
2006-07	207.00	5207.00	5203.85
योग	**696.95**	**5546.95**	**5457.47**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना	(2007–08)	3207.00 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना	(2007–12)	27071.24 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- स्वपोषण एवं आर्थिक व्यवहार्य क्रियाकलापों द्वारा दुग्धशालाओं के दूध उत्पादन में वृद्धि ।
- उपभोक्ताओं को शुद्ध दूध तथा शुद्ध दूध–उत्पाद उपलब्ध कराना ।
- आदर्श दुग्ध ग्राम योजना की नई योजना के अधीन पॉच दुग्ध सहकारी समितियों के समूह का गठन तथा जिनमें से एक समिति जो दुग्ध संग्रह के मार्ग में अवस्थित हों, को आदर्श समिति बनाना ।
- दुग्ध उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन लागत में कमी लाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों के जमीन में चारा प्रदर्शन कार्यक्रम आरंभ ।

7.4 मत्स्य उद्योग और जल कृषि

पोखर और तालाबों(लगभग 65,000 हेक्टेयर में आच्छादित) तथा गंगा, कोशी, सोन, गंडक, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, करेह और बागमती जो मत्स्यपालन का खजाना है जैसी बड़ी नदियों (2700 किलोमीटर के आसपास) के रुप में जल संसाधनों से बिहार सुसम्पन्न है । इन दो प्रकार के जल संसाधनों के अतिरिक्त उत्तर बिहार चौर एवं गो–खुर झीलों जैसे मत्स्य पकड़ उद्योग संसाधनों का लाभ प्राप्त है । राज्य अर्थव्यवस्था की यह महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि इन संसाधनों और अन्य बाढ़ग्रस्त मैदानी इलाकों को मत्स्य पकड़ उद्योग को मत्स्य संबर्द्धन उद्योग के संसाधन में परिवर्त्तित किया जाए ।

2. बिहार को अपने घरेलू जरुरतों के लिए प्रतिवर्ष करीब 4.5 लाख टन मछली की आवश्यकता है, जबकि वार्षिक उत्पादन लगभग 2.25–2.50 लाख टन ही है। हालांकि 75 प्रतिशत पोखर और तालाब जीर्णन और गाद जमने की स्थिति में हैं। करीब 2600 हेक्टेयर जल क्षेत्र का एफ एफ डी ए कार्यक्रम के तहत पुनरुद्धार किया गया है । विकसित पोखरों का औसत उत्पादन तकनीकी रुप से स्वस्थ मत्स्य पालन तरीकों तथा गुणवत्तापूर्ण मत्स्य जीरों के भंडारण को अपनाने से बढ़कर 3175 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष हो गयी है, जबकि अविकसित पोखरों की उपज केवल 800–1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष है। यह निश्चित रुप से विकसित पोखरों में मत्स्यपालन के वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रभाव को प्रतिविम्बित करता है । नदियों एवं झीलों जैसे प्राकृतिक पारिस्थितिक प्रणालियों (इको सिस्टम) में आवास के स्तर में गिरावट, जनन क्षेत्रों की हानि, पोखरों एवं तालाबों में भारी गाद का भरना, दीर्घजीवी जलीय पौधों(मैक्रो फाइटस) का भारी जमावड़ा, जिससे तालाब को त्यागना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरुप उत्पादन में कमी होती है, खराब गुणवत्ता वाले मत्स्य जीरा लक्ष्य समूह और जागरुकता की कमी साधन, पर्णधारियों में प्रक्रिया एवं तकनीकी जानकारी की कमी ओर मुक्त जल मत्स्य उद्योग संसाधनों का वैकल्पिक उपयोग कैसे किया जाए, आदि बिहार में मत्स्य उद्योग और जल कृषि से जुड़े बड़े मुद्दे हैं । बिहार को राजस्व की जरुरत है और मत्स्य पालन जैस स्वपोषित कार्यक्रम राजकोष को भारी सहायता देने के अतिरिक्त रोजगार के मौके

मुहैया करा सकता है और स्थानीय जनता को सस्ता और पोषक प्रोटीन उपलब्ध करा सकता है ।

दसवीं योजना की वित्तीय उपलब्धि

3. दसवीं योजना में मत्स्य उद्योग क्षेत्र के लिए पुनरीक्षित उद्व्यय 1025.57 लाख रुपये था, जिसमें से 658.92 लाख रुपये (64.24 प्रतिशत) ही व्यय हुआ है।

4. राज्य में मछली पालन हेतु विस्तृत जलसंसाधन हैं । इनमें करीब 69,000 हेक्टर तालाब एवं पोखर, 9,000 हेक्टर मन, 7,200 हेक्टर जलाशय, 3,200 कि.मीटर नदियाँ तथा करीब 1,00,000 हेक्टर नदीय, बाढ़जनित आर्द्र–भूमि एवं जलजमाव क्षेत्र हैं । राज्य में मछली की वार्षिक मांग करीब 4.56 लाख टन है और उत्पादन 2.60 लाख टन के आस–पास होता है । अतः मांग और उत्पादन की चौड़ी खाई को पाटने के लिए आवश्यक है कि राज्य में मत्स्य उत्पादन को दुगुणा किया जाए । इसके लिए एक विशिष्ट कार्य योजना का निर्माण किया जाए । मनों एवं चौर में पालन मात्स्यिकी को बढ़ावा देना तथा तालाबों एवं पोखरों में सघन/अर्द्धसघन मछली पालन को विकसित कर के ही उत्पादकता में बढ़ोतरी का तात्कालिक प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है । कुल मिलाकर निम्न कार्य बिन्दुओं पर गहन ध्यान देना एवं मूर्तरुप में लाना आवश्यक है –

- तालाबों एवं पोखरों का जलक्षेत्र संरक्षण
- तालाबों एवं पोखरों में वैज्ञानिक सघन/अर्द्धसघन मछली पालन
- मनों में पानी लेने तथा बाहर जाने देने हेतु विशिष्ठ असैनिक संरचना का निर्माण
- मनों में पालन आधारित मात्स्यिकी हेतु अंगुलिकाओं का संचयन
- उचित साइज तक संवर्धन
- राज्य में वर्त्तमान 35 करोड़ मत्स्य बीज (फ्राई) उत्पादन के स्तर को 65 करोड़ प्रति वर्ष तक ले जाना तथा
- किसानों को मछली के उचित मूल्य प्राप्ति हेतु सुनिश्चित बाजार एवं विपणन व्यवस्था

5. 4.56 लाख टन के इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इस कार्य योजना में तालाबों एवं मनों अथवा इसके सदृश अन्य जलकरों में मछली पालन को विकसित करने पर बल दिया गया है । तालाबों में मछली पालन को सघन एवं अर्द्धसघन खेती

अन्तर्गत लाकर मत्स्य उत्पादन को दुगुणा से ढाई गुणा तक बढ़ाने एवं मनों में बड़े आकार की अंगुलिकाओं का संचयन कर उन्हें पालन मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाना इस रोड मैप के मूल बिन्दु हैं । इसके अतिरिक्त अन्य सहायक योजनाएँ भी चलायी जाएँगी।

6. विभिन्न योजनाओं के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैंः–

6.1 **मत्स्य अंगुलिकाओं की व्यवस्थाः** उपर्युक्त दोनों कार्य योजनाओं में उल्लेखित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु करीब 64 करोड़ मत्स्य बीज (फ्राई) की वार्षिक आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त अन्य जलक्षेत्रों हेतु भी मत्स्य बीज की आवश्यकता अलग से होगी । मत्स्य बीज उत्पादन हेतु प्रारंभिक अवश्यकताओं तथा प्रजातिवार मत्स्य बीज की आवश्यकताओं को निम्न सारणी में देखा जा सकता है :

प्रजाति	**कुल का प्रतिशत**	**मत्स्य बीज की संख्या (करोड़ में)**			**आवश्यक प्रजनकों ' की मात्रा (कि.ग्राम)**	
		अंगुलिका	**फ्राई**	**स्पॉन**	**मादा मछली**	**नर मछली**
कतला	30	12.00	24.00	79.20	15900	15900
रोहू	30	12.00	24.00	79.20	15900	15900
मृगल	20	8.00	16.00	52.80	10600	10600
ग्रास कार्प	10	4.00	8.00	26.40	5280	5280
कामन कार्प	8	3.25	6.50	21.45	4290	4290
सिल्वर कार्प	2	0.75	1.50	4.95	990	990
कुल :	**100**	**40**	**80**	**264**	**52960**	**52960**

अनुमान्यतः 50,000 स्पॉन उत्पादन प्रति किलो बॉडी वेट–मादा मछली का

6.2 राज्य की वार्षिक मत्स्य बीज की मांग को देखते हुए 100 मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । इन मत्स्य बीज उत्पादन केन्द्रों को स्पॉन की आपूर्ति विभिन्न हैचरियों द्वारा की जाएगी । मत्स्य बीज उत्पादन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक मात्रा में प्रजनकों हेतु **ब्रूड बैंक** स्थापित किए जाएगे । हैचरी की आवश्यकता पूरी करने हेतु पोर्टेबल हैचरी की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि इसकी लागत कम है । पोर्टेबल हैचरी की

स्थापना वैसे मत्स्य बीज फार्म पर भी की जा सकती है जहाँ संचयन तालाबों की कमी है । ऐसी जगहों पर प्रजनकों की व्यवस्था निकटतम **ब्रूड बैंक** से की जाएगी । स्थल चयन में इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि **ब्रूड बैंक** की दूरी प्रस्तावित हैचरी स्थल से नजदीक हो । आवश्यक स्पौन उत्पादन हेतु कम से कम 50 जगहों पर **ब्रूड बैंक** की स्थापना अनुमानित है ।

6.3 **मत्स्य बीज उत्पादन इकाई (सीड प्रोडक्शन यूनिट)** :मत्स्य बीज फार्म (नर्सरी तथा रियरिंग तालाबों सहित) को फ्राई तथा अंगुलिका उत्पादन इकाई के रुप में विकसित किया जाएगा । अनुमान्यतः 5 वर्षों में राज्य में करीब 664 हेक्टर जलक्षेत्र की आवश्यकता नर्सरी/रियरिंग तालाब के रुप में होगी । मत्स्य बीज उत्पादन इकाई मत्स्य स्पॉन से फ्राई एवं फिंगरलिंग की अवस्था में लाने हेतु मुख्यतः उपयोग में लायी जाएगी। मत्स्य हैचरियों से उत्पादित स्पौन को सीधे तालाबों अथवा मनों में संचयन की वर्तमान प्रैक्टिस को बंद करते हुए मात्र फ्राई अथवा फिंगरलिंग संचयन को ही प्रश्रय दिया जाएगा।

6.4 **योजना :**

- 40 करोड़ अंगुलिकाओं के वार्षिक उत्पादन के लिए राज्य में मत्स्य बीज उत्पादकों एवं तालाबों को चिहिन्त किया जाएगा । पूर्ण लक्ष्य प्राप्ति हेतु 664 हेक्टर नर्सरी/रियरिंग जलक्षेत्र की आवश्यकता होगी।
- 0.2 हेक्टर के नर्सरी तालाब/रियरिंग तालाबों को मत्स्य बीज केन्द्र के रुप में विकसित किया जाएगा जहाँ स्पॉन से अंगुलिकाएँ तैयार की जाएँगी ।
- प्रति 0.2 हेक्टर जलक्षेत्र पर ब्याज रहित ऋण के रुप में 12000 रुपये मत्स्य बीज उत्पादकों को दिए जाएँगे । इससे वे स्पॉन से अंगुलिका तक (45 दिन) मत्स्य बीज का पोषण करेंगे ।
- प्रति 0.2 हेक्टर जलक्षेत्र पर 1.20 लाख अंगुलिकाएँ प्राप्त करने का लक्ष्य रहेगा ।

- इसकी बिक्री 50 पैसे प्रति की दर से मत्स्य पालकों को की जाएगी। बिक्री से प्राप्त राशि से 31 दिसम्बर तक ऋण की वापसी की जाएगी अन्यथा वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समय पर ऋण वापसी होने पर उन्हें अगले वर्ष भी ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ।
- अंगुलिकाओं की बिक्री में मत्स्य पालक विकास अभिकरण सहयोग करेंगे।

वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान

(लाख रुपये में)

क्र.	कार्यक्रम	वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान			
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	मत्स्य बीज (फिंगरलिंग) उत्पादन का लक्ष्य (करोड़ में)	10	20	35	40
2	आवश्यक रियरिंग स्पेस (हेक्टर जलक्षेत्र)	166	332	583.3	664
3	आवश्यक रियरिंग के लिए लागत खर्च (ऋण स्वरुप लाख रुपये में) @ 10 पैसे/अंगुलिका	100	200	350	400
4	ब्रूड बैंक की स्थापना	165	100	–	–
कुल (3+4)		**265**	**300**	**350**	**400**

7. **तालाबों में सघन/अर्द्धसघन मछली पालनः** उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य में 69,000 हेक्टर जलक्षेत्र तालाबों के रुप में उपलब्ध है । राज्य का मछली उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग इन्हीं जलक्षेत्रों से प्राप्त होता है । वैसे सभी तालाब वर्त्तमान में अपनी पूरी संचयन क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गई है एवं इनकी तली में सिल्ट का जमाव है । मछली उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु इन जलकरों का पुनरुद्धार आवश्यक है । हाल के वर्षों में निजी क्षेत्र में इस ओर तेजी से अभिरुची बढ़ी है एवं सरकारी जलकरों का ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत भी जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। राज्य में मत्स्य पालक विकास अभिकरणों द्वारा विकसित तालाबों का वार्षिक मत्स्य उत्पादन करीब 2200 कि.ग्राम/हेक्टर है जो राष्ट्रीय औसत से कम है । वैसे कुछ कृषकों द्वारा 3–4 टन प्रति हेक्टर वार्षिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त किया जा रहा है । इस कार्य योजना का लक्ष्य 50,000 हेक्टर तालाबों एवं पोखरों को सघन/अर्द्धसघन मछली

पालन अन्तर्गत लाना है । इसमें से 30,000 हेक्टर (1 हेक्टर = 2.5 एकड़) जलक्षेत्र से 3000 कि.ग्राम/हेक्टर एवं 20,000 हेक्टर जलक्षेत्र से 5000 कि.ग्राम/हेक्टर वार्षिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करना इस कार्य योजना का लक्ष्य है । इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन विधि से खेती की जाएगी एवं पाली जाने वाली मछलियाँ मुख्यतः रोहू, कतला, मृगल होंगी । कुछ जगहों पर आवश्यकतानुसार कामन कार्प, सिल्वर कार्प एवं ग्रास कार्प मिलाकर मिश्रित मत्स्य पालन किया जाएगा । राज्य के मत्स्य कृषकों की मुख्य समस्या तालाबों में सीधे स्पॉन का संचयन है । इस अवधारणा को आमूल बदल कर उचित साइज की मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन सुनिश्चित किया जाएगा ।

कार्य योजना	**उत्पादन दर**		**कुल**
	3 टन/हे./वर्ष	**5 टन/हे./वर्ष**	
सघन/अर्द्धसघन मछली पालन अन्तर्गत प्रस्तावित रकबा (हे.)	30,000	20,000	**50,000**
वार्षिक मत्स्य उत्पादन अनुमानित (टन में)	90,000	1,00,000	**1,90,000**
प्रति हे. अंगुलिकायें संचयन दर	5,000	8,000	
अंगुलिकाओं की वार्षिक आवश्यकता (लाख)	1,500	1,600	**3,100**
फ्राई की वार्षिक आवश्यकता (लाख में)	3,000	3,200	**6,200**
स्पॉन की वार्षिक आवश्यकता (लाख में)	10,000	10,700	**20,700**
मछलियों के लिए आवश्यक भोजन (टन/हे.)	3.6	7.5	
मछलियों के लिए वार्षिक आवश्यक भोजन (टन में)	1,08,000	1,50,000	**2,58,000**
इनपुट पर वार्षिक लागत राशि (रुपये/हे.)	95,000	1,50,000	
उत्पादित मछलियों का वार्षिक मूल्य (रुपये/हे.)	1,50,000	2,50,000	
कुल **आय** (रु./हे./वर्ष)	55,000	1,00,000	
इनपुट पर वार्षिक लागत (रुपये करोड़ में)	285	300	**585**
उत्पादित मछलियों का वार्षिक मूल्य (रुपये करोड़ में)	450	500	**950**

3000–5000
कि.ग्राम / हेक्टर

तालाबों में सघन / अर्द्धसघन मछली पालन

2000–2200
कि ग्राम / हेक्टर

विकसित तालाबों से वर्तमान उत्पादन

7.1 निदेशालय के अधीन जलकरों को उत्पादकता के आधार पर वर्ग A, B तथा C, तीन श्रेणियों में बाँटा गया है । श्रेणी (I) के तालाबों में 3–5 टन प्रतिवर्ष / हे. उत्पादकता प्राप्त करने हेतु किसानों को, बन्दोबस्तधारियों को / समितियों को उचित संख्या में मत्स्य बीज (अंगुलिकाएँ) उपलब्ध करायी जाएगी । प्रथम दो वर्षों यथा 2009–10, 2010–11 में इन तालाबों की उत्पादन क्षमता 3 टन / वर्ष / हे. तक ले जाने की जिम्मेवारी इन बन्दोबस्तधारियों / समितियों की होगी । जिस वर्ष अंगुलिकाएँ इन्हें दी जाएँगी उसके अगले वर्ष अंगुलिकाओं की लागत शिकारमाही परवाना निर्गत करने के पूर्व लाभुक से प्राप्त की जाएगी । निजी क्षेत्र के किसानों से राशि वसूली हेतु अलग से प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी ।

7.2 राशि का हस्तांतरण:

- तालाबों के जलक्षेत्र के आधार पर आकलित अंगुलिकाओं की संख्या (5000 अंगुलिकाएँ / हेक्टर) की लागत (50 पैसे प्रति अंगुलिका की दर से) लाभुक बन्दोबस्तधारी को चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- चेक जिला मत्स्य पदाधिकारी तथा मत्स्य बीज उत्पादक के नाम Escrow Account payee होगा।
- तालाब बन्दोबस्तधारी / लाभुक वांक्षित संख्या में अंगुलिका प्राप्त कर चेक मत्स्य बीज उत्पादक को हस्तगत करा देगा ।

- मत्स्य बीज उत्पादक, चेक प्राप्ति की रसीद तालाब के बन्दोबस्तधारी/लाभुक को उपलब्ध कराएगा, जिसकी प्रति जिला मत्स्य पदाधिकारी को दी जाएगी साथ ही मत्स्य बीज प्राप्तकर्त्ता, मत्स्य बीज प्राप्ति की रसीद मत्स्य बीज उत्पादक को देंगे।
- मत्स्य बीज उत्पादक को प्राप्त चेक जिला मत्स्य पदाधिकारी तथा मत्स्य बीज उत्पादक के Escrow Account में जमा होगा । इससे कर्ज की राशि (जो बीज उत्पादकों को 10 पैसे/फिंगरलिंग की दर से दी गई है) काट कर शेष राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा मत्स्य बीज उत्पादकों को वापस कर दी जाएगी।
- सभी मत्स्य बीज उत्पादक पूर्व से विभाग द्वारा चिन्हित होंगे ।
- वर्षवार बन्दोबस्तधारियों (लाभुक) को उपलब्ध कराए जाने वाली अंगुलिकाओं की संख्या (भौतिक लक्ष्य) तथा वित्तीय लागत निम्न प्रकार हैं

क्र.	कार्यक्रम	वर्षवार विभाजन			
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	मत्स्य बीज उपलब्ध कराने का भौतिक लक्ष्य (करोड़ सं.)	5	10	14	14
2	लागत मूल्य जो मत्स्य बीज उत्पादक को उपलब्ध कराया जाएगा @ 50 पैसे/फिंगरलिंग (लाख रू0 में)	250	500	700	700

8. मनों में मछली पालनः बिहार राज्य के उत्तरी भाग में नदियों में मुख्य धारा से अलग हुए अंशों को मन अथवा आक्सबो–लेक्स के नाम से जाना जाता है । सामान्यतः इन मनों का आकार **U** अथवा **S** जैसा होता है और इनका मुहाना बरसात के समय नदियों से जुड़ जाता है। इन मनों के उपर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों द्वारा कई शोघ पत्र लिखे गए हैं तथा इनकी उत्पादन क्षमता 1500–2000 कि.ग्राम/हेक्टर/वर्ष आंकी गई है । राज्य में इन मनों की संख्या 100 के आस–पास है तथा इनका उपयोग वर्त्तमान में मुख्यतः

प्रग्रहण मात्स्यिकी (मात्र् मछली पकड़ने) के अन्तर्गत हो रहा है । इनसे वार्षिक मत्स्य उत्पादन मात्र् 60–70 कि.ग्राम/हे. है । विगत वर्षों में कुछ मनों का विकास कर इन्हें पालन मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाया गया है, जिससे मत्स्य उत्पादन बढ़कर 400–500 कि.ग्राम/हे. तक प्राप्त हुआ है । इससे स्पष्ट है कि मनों से मत्स्य उत्पादन को कई गुणा बढ़ाया जा सकता है । इस कार्य योजना में 5000 हेक्टर मनों के जलक्षेत्र को पालन–मात्स्यिकी के अन्तर्गत लाने का कार्यक्रम है । इसके मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैं:

- मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/लाभार्थियों को तकनीक एवं कार्यक्रम की पूरी जानकारी देना
- मनों को चिन्हित कर उनमें पानी आने एवं जल निकासी की व्यवस्था हेतु योजना प्राक्कलन तैयार करना
- लाभुक तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी के बीच निर्धारित एकरारनामा का हस्ताक्षर
- आवश्यकता अनुसार पक्का निर्माण से जल निकासी एवं पानी आगमन संरचना तैयार करना
- मनों से जलकुंभी एवं अन्य जलीय पौधों की सफाई
- मनों की आवश्यकता अनुसार बाड़ी लगाकर (च्मद बनसजनतम) उचित साइज का मत्स्य बीज तैयार करना
- बड़े साइज के मत्स्य बीज का मनों में संचयन
- बाढ़ के पूर्व परिस्थिति अनुसार मछली की निकासी

कार्य योजना	**परिमाण**	**उत्पादन**
जलक्षेत्र (मनों) में पालन–मात्स्यिकी	5000 हे.	
वार्षिक मत्स्य अंगूलिकायें की आवश्यकता @ 2000 अंगुलिका प्रति हेक्टर	100 लाख अंगुलिका	
अनुमानित मत्स्य उत्पादन @ 960 कि.ग्राम/हेक्टर	4800 टन	औसत 4500 टन प्रति वर्ष

प्रति चक्र 50,000 अंगुलिका उत्पादन हेतु 0.1 हेक्टर क्षेत्र का पेन निर्माण एवं बीज उत्पादन की अनुमानित विवरणी

	इकाई दर (रुपये में)	कुल मूल्य (रुपये में)
(क) प्रारंभिक व्यय		
बांस, 125 (संख्या)	80 / पीस	10,000
वेलॉन / नाइलॉन स्क्रीन नेट 600 मीटर	10 / मी.	6,000
काला पेन्ट 20 लिटर	100 / लि.	2,000
नाइलॉन धागा 20 कि.ग्राम	100 / कि.ग्राम	2,000
निर्माण हेतु आवश्यक श्रमिक 50 (संख्या)	100 / श्रमिक	5,000
योग : क		**25,000**
(ख) आवर्त्त		
बीज, 1,00,000 फ्राई	80 / 1000 फ्राई	8,000
भोजन, @ वजन का 1%		3,200
दवा इत्यादि		500
योग : ख		**11,700**
कुल योग : क+ख		**36,700**

8.1 50,000 मत्स्य अंगुलिकाओं का वास्तविक बाजार मूल्य 50,000 रुपये से कम नहीं होगा । इस प्रकार मनों में बाड़ी लगाकर बीज की आवश्यकता पूरी की जा सकती है एवं इससे अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी । सामान्यतः 100 हेक्टर जलक्षेत्र के मन में 4 पेन का निर्माण कर उसकी मत्स्य अंगुलिकाओं की आवश्यकता आसानी से पूरी की जा सकती है । इसका दूसरा लाभकारी पक्ष है कि पेन की औसत आयु कम से कम तीन वर्ष होती है, अतः दूसरे एवं तीसरे वर्षों में उत्पादन लागत में कमी एवं आय में वृद्धि सुनिश्चित होगी ।

मनों के विकास हेतु वर्षवार प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान

(लाख रुपये में)

क्र.	कार्यक्रम	वर्षवार विभाजन			
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	प्रस्तवित मन–जलक्षेत्र का विकास (5000 हे. 60 मन)	1500	2000	1500	
2	वर्षवार फिंगरलिंग (बड़ा साइज) की आवश्यकता (संख्या लाख में)	30	70 (40+30)	100 (70+30)	100
3	0.1 हेक्टर पेन एरिया की संख्या (50,000 अंगुलिका)	60	140	200	200
	वित्तीय				
4	मनों के भौतिक सुधार हेतु राशि	300.00	400.00	300.00	
5	बड़ी अंगुलिकाएँ हेतु पेन, बीज, खाना आदि पर व्यय	36.00	69.00		

9. चौर विकासः सामान्यतः चौर निजी क्षेत्र में हैं । चौर क्षेत्र अथवा जल–जमाव क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना में सहायता राशि उपलब्ध है । इसके अनुसार प्रति हेक्टर जल–जमाव क्षेत्र विकास हेतु 1.25 लाख रुपये का 20 प्रतिशत अधिकतम 25,000 रुपये अनुदान स्वरुप देय होंगे । इसमें केन्द्र सरकार की राशि 20,000 रुपये तथा राज्य योजना से 5,000 रुपये व्यय होंगे । शेष राशि बैंक ऋण अथवा स्वलागत के रुप में उपलब्ध होगी । इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टर 75,000 रुपये प्रति हेक्टर की दर से इनपुट पर ऋण एवं 20 प्रतिशत अनुदान स्वरुप देय होंगे ।

क्र.	कार्यक्रम	वर्षवार संभावित व्यय (लाख रुपये)				
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
1	जल जमाव क्षेत्र का विकास	50	200	600	150	
2	कुल अनुदान @ Rs. 40,000 प्रति हे.	20	80	240	60	कुल
		5	20	60	15	राज्यांश
		15	60	180	45	केन्द्रांश

10. मत्स्य आहार उत्पादन की योजनाएँः

- राज्य में मत्स्य आहार उत्पादन इकाईयों की स्थापना हेतु निजी क्षेत्र, विभिन्न सहकारी समितियेां अथवा उनके परिसंघ के माध्यम से फीड मिल स्थापित किए जाएँगे ।
- इसकी इकाई लागत (करीब 12.00 लाख रुपये) का 25 प्रतिशत व्यय भार राज्य सरकार द्वारा अनुदान रुप में तथा शेष 75 प्रतिशत बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ।

आहार उत्पादन इकाइयों का वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान

(लाख रु0 में)

क्र.	कार्यक्रम	वर्ष वित्तीय अनुमान			
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	प्रस्तावित इकाईयाँ (संख्या)	100	150	150	150
2	बैंक ऋण सहित अनुमानित कुल व्यय @ Rs. 12 लाख प्रति इकाई	1200	1800	1800	1800
3	कुल अनुदान (@ 25:)	300	450	450	450
4	कुल अनुमानित उत्पादन (मि.टन)	3000	7500	12000	16500

11. फसलोत्तर विपणन की व्यवस्थाः– स्कीम : साफ स्वच्छ अवस्था में मछलियों का परिवहन सुनिश्चित कराने हेतु चार चक्कों के छोटे वाहन, पिकअप वैन्स, शहरों में रिटेल (खुदरा बिक्री) हेतु कियोस्क एवं आइस प्लांट की व्यवस्था। **निधि** :कृषि मंत्रालय (पशुपालन, गव्य विकास तथा मात्स्यिकी विभाग) की केन्द्र प्रायोजित योजना (Post Harvest Infrastructure Development Scheme)

- फेडरेशन/कॉरपोरेशन्स को 100% केन्द्रीय सहायता
- मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/एन.जी.ओ./Joint Sector को 75% केन्द्रीय सहायता
- प्रस्तावित स्कीम में मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/एन.जी.ओ. (जो कम से कम एक मत्स्य स्नातक/डिप्लोमाधारी को नियोजन दिए हों) को केन्द्रीय

75% सहायता के अतिरिक्त 25% सहायता राज्य योजना मद से दी जाएगी। मत्स्य विपणन हेतु छोटे चार पहिए वाहन (इनसुलेटेड अथवा आइसक्रेट के साथ) पिक अप वैन्स आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से मछली क्रय कर शहरी क्षेत्रों तक लाना एवं उनका विपणन करना है ।

वर्षवार लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान

(लाख रुपये में)

क्र.	**कार्य का विवरण**	**वर्षवार वित्तीय अनुमान**				**अभ्युक्ति**
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
क	**मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से व्यय**					
1	छोटे वाहन (चार पहिए)/ कियोस्क आदि(सं.)	10	20	30	40	
1.1	अनुमानित कुल व्यय	40.00	80.00	120.00	160.00	
1.2	राज्य योजना से व्यय (25:)	10.00	20.00	30.00	40.00	शेष भारत सरकार
2	पिक अप वैन्स अन्य उपकरण सहित (संख्या)	5	10	15	20	
2.1	अनुमानित कुल व्यय	40.00	80.00	120.00	160.00	
2.2	राज्य योजना से व्यय (25:)	10.00	20.00	30.00	40.00	शेष भारत सरकार
ख	**फेडरेशन के माध्यम से विपणन**					
1	पिक अप वेन्स (संख्या)	2	5	10	10	
1.1	कुल लागत	16.00	40.00	80.00	80.00	
2	चार पहिया छोटे वाहन (संख्या)	10	20	20	20	
2.1	कुल लागत	40.00	80.00	80.00	80.00	100% केन्द्र सरकार
3	आइस प्लांट (संख्या)	–	1	2	1	
3.1	कुल लागत		40.00	80.00	40.00	100% केन्द्र सरकार
मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से व्यय						
1	इन्सुलेटेड ठेला	40	50	50	50	एन.एफ.डी.बी.

	(संख्या)					38 जिला x5=190
1.1	कुल लागत @ Rs.20,000/ ठेला	8.00	10.00	10.00	10.00	
2	सामूहिक संग्रहण केन्द्र	5	10	10	—	
2.1	कुल लागत	15.00	30.00	80	—	(मन स्कीम में लागत समाहित अतः यहाँ योग में शामिल नहीं है)
कुल : राज्य योजना योग		**20**	**40**	**60**	**80**	राज्य योजना+रा.कृ. वि.यो.
कुल : केन्द्रांश योग		**124**	**280**	**430**	**450**	एन.एफ.डी.बी. +केन्द्रांश
कुल योग :		**159**	**360**	**520**	**530**	

12. मत्स्य कृषकों का प्रशिक्षण : राज्य में मछली पालन से जुड़े किसानों एवं इसके व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों में प्रशिक्षण दिलाने का कार्यक्रम है । प्रत्येक वर्ष 1000 मत्स्य कृषकों को राज्य से बाहर प्रशिक्षण एवं स्थल अध्ययन कराया जाएगा । इसके अतिरिक्त प्रमंडल स्तर पर वार्षिक 1200 मत्स्य कृषकों को तथा राज्य स्तर पर वार्षिक 800 मत्स्य कृषकों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा ।

वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान निम्न प्रकार हैं:

(लाख रु0 में)

क्र.	प्रशिक्षण	वर्ष वित्तीय अनुमान				अभ्युक्ति
		2008—09	2009—10	2010—11	2011—12	निधि के श्रोत
1	राज्य से बाहर प्रशिक्षण (संख्या)	1000	1000	1000	1000	राज्य योजना + RKVY + NFDB
1.1	वित्तीय लागत (लाख रुपये)	57.00	58.00	60.00	60.00	
2	प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण	1200	1200	1500	1500	
2.1	वित्तीय लागत (रुपये लाख में)	30.00	30.00	30.00	30.00	

	@ Rs. 2000/ trainee+other exp.					
3	राज्य स्तर पर प्रशिक्षण (संख्या)	800	800	800	800	
3.1	वित्तीय लागत	16.00	16.00	16.00	16.00	
कुल वित्तीय अनुमानः		103.00	104.00	106.00	106.00	

13. पारा एक्सटेंशन वर्कर की योजना : सम्प्रति यह योजना राज्य के दस जिलों में लागू है । इसे पूरे राज्य में, सभी जिलों में लागू किया जाएगा । जिन जिलों में जलकरों की संख्या कम है वहाँ दो–तीन प्रखंडों पर एक पारा एक्सटेंशन वर्कर उपलब्ध रहेंगे । राज्य में इस प्रकार 1000 पारा एक्सटेंशन वर्कर चिहिन्त रहेंगे जिसपर प्रति वर्ष अनुमानित लागत 85.00 लाख रुपये है। इसमें 25.00 लाख रुपये उनके प्रशिक्षण पर व्यय होंगे । प्रति पारा एक्सटेंशन वर्कर करीब 10 हजार रुपये की लागत का विभिन्न जाँच उपकरण दिए जाएँगे । इसपर अनुमानित व्यय 100.00 लाख रुपये है । प्रति पारा एक्सटेंशन वर्कर 2000 रुपये प्रति माह तीन महीनों तक उन्हें विशेष सेवाओं के लिए भुगतान किया जाएगा । पारा एक्स्टेंशन वर्कर द्वारा किसानों को तकनिकी परामर्श प्रदान किया जाएगा साथ ही उनके तालाबों का मासिक/पाक्षिक निरीक्षण किया जाएगा। बढ़े हुए उत्पादन में पारा एक्सटेंशन वर्कर को लाभांश प्राप्त होगा। किसानों तथा पारा एक्सटेंशन वर्कर के बीच विभाग द्वारा अनुमोदित अनुबन्ध हस्ताक्षर किया जाएगा ।

वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान

(लाख रु0 में)

क्र.	कार्यक्रम	वर्ष वित्तीय अनुमान			
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
1	पारा एक्सटेंशन वर्कर (संख्या)	1000	1000	1000	1000
2	अनुमानित कुल व्यय	85.00	135.00	135.00	85.00

14. तालाबों के सर्वेक्षण की योजना : मत्स्य निदेशालय में, राज्य में उपलब्ध तालाबों के संबंध में प्राथमिक सूचनाएं यथा संख्या, स्वामित्व, उनकी भौतिक स्थिति तथा उनमें पाली जाने वाली मछलियों की जानकारी तथा अद्यतन सूचना उपलब्ध

नहीं है ।इससे वास्तविक आंकड़े एवं परियोजना सूत्रण में कठिनाई होती है। प्रथम चरण में कुल 30,000 तालाबों के सर्वेक्षण की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष अनुमानतः 30,000 तालाबों के सर्वेक्षण हेतु अनुमानित लागत 41.00 लाख रुपये होंगे । ऐसे क्षेत्र जहाँ तालाबों की संख्या कम है प्रति तालाब एक सौ रुपये सर्वेक्षण हेतु राशि सर्वेक्षकों को दी जाएगी ।

15. प्रसार योजनाएँ: मत्स्य विज्ञान के प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न हाट बाजार एवं मेलों में प्रदर्शनी लगाने, प्रखंड मुख्यालयों में विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड, ब्रेश्योर आदि के लिए वर्षवार वित्तीय लक्ष्य विवरणी में दर्ज है । प्रस्तावित राशि में वर्ष में कम से कम एक बार राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार/कार्यशाला एवं दो बार राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन शामिल है। चार वर्षों का सकल अनुमान 75.00 लाख रुपये है ।

16. पटना में मछली घर की स्थापना: राज्य के झीलों तथा चौर एरिया में रंगीन मछलियों की कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनका राज्य से बाहर व्यवसायिक महत्व है। अज्ञानतावश मछुआरों द्वारा इन्हें मार दिया जाता है तथा इनका उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है। रंगीन मछलियों के पालन तथा प्रजनन के प्रचार हेतु एक संस्थान की आवश्यकता महसूस की जारही थी जिससे लोगों में इसके व्यवसायिक महत्व का पता चले। इसी उद्देश्य से पटना में मछली घर स्थापित करने की योजना है । विद्यापति मार्ग में उपलब्ध जिला मत्स्य कार्यालय परिसर में इसका निर्माण किया जाएगा । अनुमानित लागत पाँच करोड़ रुपये है। वर्षवार वित्तीय अनुमान निम्न प्रकार हैः–

क्र.	प्रशिक्षण	वर्षवार लागत (रुपये लाख में)				अभ्युक्ति
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	निधि के श्रोत
1	पटना में मछली घर की स्थापना	95.00	400.00	10.00	10.00	RKVY

17. सक्रिय मछुआरों को बीमा सुरक्षा : सक्रिय मछुआरों को दुर्घटना /आकस्मिक मृत्यु हेतु बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी । केन्द्र प्रायोजित इस योजना

में प्रति व्यक्ति बीमा प्रिमियम 14 रुपये है जिसका आधा व्यय भार केन्द्र सरकार वहन करती है । इसमें मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में मृतक के आश्रित/मृतक को 50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है । मछुआरों के लिए **जनश्री बीमा** योजना भी लागू की जाएगी । इसके तहत 50 रुपये की राशि प्रति व्यक्ति की दर से बीमा कंपनी को उपलब्ध कराई जाएगी, 50 रुपये लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा एवं शेष 100 रुपये सामाजिक सुरक्षा निधि से बीमा कंपनी प्राप्त करेगी । वर्ष 2008–09 में 20 हजार मछुआरों को इसके अन्तर्गत लाया जाएगा । वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान निम्न प्रकार हैः–

क्र.	बीमा सुरक्षा	लक्ष्य	वर्षवार लागत (रुपये लाख में)				अभ्युक्ति
			2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	निधि के श्रोत
1	केन्द्र प्रायोजित योजना में बीमा	संख्या	60,000	70,000	85,000	85,000	राज्य योजना
1.1	**राशि**		8.40	9.80	11.90	11.90	50%
2	जनश्री बीमा योजना	संख्या	20,000	25,000	30,000	35,000	
2.1	**राशि**		10.00	12.50	15.00	17.50	राज्य योजना
			20.00	25.00	30.00	35.00	सामाजिक सुरक्षा
			10.00	12.50	15.00	17.50	लाभुकों का अंशदान
		कुल2.1	40.00	50.00	60.00	70.00	
	कुल 1.1+ कुल 2.1		48.40	59.80	71.90	81.90	
			38.40	47.30	56.90	64.40	जिस राशि का प्रावधान होना है

18. आदर्श मछुआरा ग्राम योजनाः राष्ट्रीय मछुआ कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत मछुआ बहुल बस्तियों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले मछुआरों के लिए आवास, उनके निजी जमीन पर पेयजल तथा सामुदायिक भवन की सुविधा उपलब्ध

करायी जाती है । प्रति आवास इकाई लागत 40,000 रुपये है जिसका आधा व्यय भार केन्द्र सरकार वहन करती है । जिस गाँव में 75 से ज्यादा आवास का निर्माण होता है वहाँ एक सामुदायिक भवन जिसकी इकाई लागत 1.75 लाख रुपये है का निर्माण कराया जाता है । वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान निम्न प्रकार हैः–

क्र.	आदर्श मछुआरा ग्राम	वर्षवार लागत (लाख रु0 में)				अभ्युक्ति
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	निधि के श्रोत
1	आवासों की संख्या	200	200	230	230	
1.1	कुल लागत	42.50	85.00	150.00	85.40	राज्यांश
1.2		42.50	85.00	150.00	85.40	केन्द्रांश

19. मत्स्य अनुसंधान योजनाः मत्स्य पालकों के दिनानुदिन की समस्याओं का निराकरण, मिट्‌टी एवं जल की जाँच, मछलियों में फैलने वाली बिमारियों की पहचान एवं रोकथाम हेतु उपाय के अतिरिक्त मीठेजल में पाली जाने वाली झींगा का पालन एवं प्रजनन, स्वशासी मछलियों का प्रजनन एवं बीज वितरण, रंगीन मछलियों का पालन एवं प्रजनन आदि मुख्य कार्य इस योजना अन्तर्गत किए जाते हैं । तदनुरुप मत्स्य अनुसंधान केन्द्र पटना के विभिन्न परियोजनाओं हेतु राशि कर्णांकित की गई है । विस्तृत विवरण व्यय विवरणी में उल्लेखित है ।

20. समेकित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षणः समेकित मत्स्य पालन का उद्‌देश्य है मछली पालन में आहार पर व्यय होने वाली राशि में कमी । इसके अन्तर्गत मछली पालन के साथ साथ मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मवेशी पालन आदि को समेकित किया जाता है । कृषि मंत्रालय की केन्द्र प्रायोजित योजना में निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था है । बैंकों द्वारा सामान्यतः इस परियोजना में ऋण देने की गति अत्यन्त कम है । कृषि को बहुआयामी बनाने हेतु इस परियोजना को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में प्रत्यक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य है । इसके तहत प्रत्येक जिले में एक हेक्टर जलक्षेत्र को किसानों के प्रत्यक्षण हेतु समेकित मत्स्य पालन अन्तर्गत लाया जाएगा। वर्षवार लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान निम्न प्रकार हैः–

क्र.	समेकित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण	वर्षवार लागत (रुपये लाख में)				अभ्युक्ति
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	निधि के श्रोत
1	38 हेक्टर (भौतिक लक्ष्य)	–	20 हेक्टर	18 हेक्टर	–	RKVY
1.1	राशि @ Rs.80,000 / हे.	–	16	15	–	

21. पटना में मत्स्य प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापनाः राज्य को मत्स्य उत्पादन में आत्म निर्भर बनाने एवं अन्य राज्यों से मछलियों की आपूर्ति कम करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने राज्य में उपलब्ध जल संसाधनों से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । इसके लिए मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीकी अद्यतन जानकारी दिलाना आवश्यक है । सम्प्रति राज्य के बाहर सी.आई.एफ.ई. उपकेन्द्र काकीनाडा से मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित करने में काफी व्यय का भार वहन करना पड़ता है । राज्य सरकार की मंशा है कि अगले पाँच वर्षों में राज्य मत्स्य उत्पादन में आत्म निर्भर हो जाए । इसके लिए लगभग एक लाख मत्स्य पालकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है । अतः पटना में एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इसके लिए आवश्यक संरचनाओं का विकास एवं पद सृजन आदि का प्रस्ताव है । इसके लिए संलग्न विवरणी के अनुरुप राशि का उपबन्ध किया गया है । राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड द्वारा भी बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम दिया गया है । इस प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना से प्रशिक्षणार्थियों को बाहर भेजकर प्रशिक्षित करने वाली राशि की बचत होगी ।

22. मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का सुदृढ़ीकरणः सम्प्रति राज्य के 33 जिलों में मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना कार्यान्वित है । शेष 5 जिलों में भी इसे विस्तारित करने का प्रस्ताव है । राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अभिकरण योजना के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रक्रियात्मक एवं राशि स्वीकृति में होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अभिकरण जिलों के लिए 10 लाख रुपये की दर से अभिकरण के खाते में राशि उपलब्ध करा दी जाए । इससे विकास कार्यों में गति आएगी । इसका संचालन परिक्रमी (रिवोलविंग फंड) खाते के रुप में किया जा सके ।

23. फसल सुरक्षा बीमा योजनाः इस योजना के तहत तालाबों में संचित मछलियों की सुरक्षा हेतु बीमा योजना के कवरेज अन्तर्गत लाया जाएगा । प्राकृतिक आपदा एवं असामाजिक तत्वों द्वारा हानि पहुँचाये जाने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ प्राप्त हो सकेगा । निजी क्षेत्र के मत्स्य पालकों द्वारा बीमा प्रिमियम का भुगतान एवं सरकारी क्षेत्र के जलकरों का प्रिमियम भुगतान मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से किया जाएगा । इसपर आवश्यक निर्णय हेतु योजना विचारार्थ है । इस रोड मैप में इसके लिए राशि का प्रावधान किया गया है जो बीमा कम्पनी (ओरिएंटल इंश्योरेंस) द्‌वारा निर्धारित प्रति हेक्टर फसल मूल्य (चालिस हजार रूपये) पर आधारित है। प्रस्तावित प्रिमियम राशि में 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार देगी। आधी राशि किसान/बंदोबस्तधारी द्‌वारा स्वयं वहन किया जाएगा।

वर्षवार भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय अनुमान

क्र.	कार्य/ भौतिक लक्ष्य	इकाई	वर्ष वित्तीय अनुमान (रुपये लाख में)				अभ्युक्ति
			2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
1	जलक्षेत्र जिसे बीमित करना है	हेक्टर	10000	20000	28000	50000	
2	अनुमानित प्रिमियम	2000रू0 /हेक्टर	200	400	560	1000	
2.1	राज्य सरकार का अंशदान	50 प्रतिशत	100	200	280	500	
2.2	लाभुक का अंशदान	50 प्रतिशत	100	200	280	500	

24. पुराने तालाबों का जीर्णोद्धारः मत्स्य उत्पादन में सतत् वृद्धि हेतु आवश्यक है कि उपलब्ध जल संसाधनों का संरक्षण किया जाए । पुराने जलकरों के जीर्णोद्धार से इनकी फसल (मछली) उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी । निजी क्षेत्र के तालाबों का, ऋण और अनुदान संपोषित कार्यक्रम में तथा सरकारी क्षेत्र के तालाबों (जलकरों) का जीर्णोद्धार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम के तहत प्रस्तावित है।

वर्षवार लक्ष्य एवं वित्तीय आकलन

क्र.	कार्य/ भौतिक लक्ष्य	इकाई	वर्ष वित्तीय अनुमान (रुपये लाख में)				अभ्युक्ति
			2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
1	सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार	हेक्टर	5000	6000	8000	8000	
1.1	अनुमानित व्यय / 2.00 लाख रु./हे.	करोड़ रुपये	100	120	160	160	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना
2	निजी क्षेत्र के तालाबों का जीर्णोद्धार	हेक्टर	500	600	800	800	
2.1	अनुदान की राशि /12000 रुपये/हे.	रुपये	0.15	0.18	0.24	0.24	राज्य योजना
			0.45	0.54	0.72	0.72	केन्द्रांश शेष लागत बैंक ऋण/स्वलागत

(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना प्रारुप में परिवर्त्तन करने पर वित्तीय अनुमान में भी परिवर्त्तन संभव)

25. मत्स्य कृषक सम्मान योजनाः मत्स्य पालकों को उत्पादकता में अभिवृद्धि लाने एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मत्स्य कृषक सम्मान योजना के तर्ज पर योजनाएँ ली जाएँगी । इसके लिए मत्स्य पालन से संबंधित उपकरण यथा एरेटर, पम्पिंग सेट, मिट्टी एवं जल जाँच किट आदि सम्मान स्वरुप दिए जाने का प्रस्ताव है । जो मत्स्य पालक 3000 कि.ग्राम प्रति हेक्टर प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन करते हैं उनके लिए सम्मान योजना लागू होगी। वर्षवार संभावित व्यय की विवरणी संलग्न विवरणी पर अंकित है ।

मत्स्य प्रक्षेत्र अन्तर्गत प्रस्तावित रोड–मैप में वर्षवार तथा योजनावार कर्णांकित राशि की विवरणी

(लाख रु0 में)

क्र.	योजनाएँ	वर्ष वित्तीय अनुमान				निधि के श्रोत
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	
1 मत्स्य बीज की व्यवस्था						
1.1	मत्स्य बीज उत्पादन	100	200	350	400	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.

	इकाइयाँ की स्थापना					
1.2	शहरी क्षेत्रों में ब्रूड बैंक की स्थापना	165	100			राज्य योजना
2	तालाबों में सघन /अर्द्धसघन मछली पालन योजना	250	500	700	700	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
3	मन मात्स्यिकी का विकास (प्दबसनकपदह बवेज वि `ममक)	336	469	300		राष्ट्रीय कृषि वि.यो./राज्य योजना
4	चौर मात्स्यिकी का विकास	20	80	240	60	राज्य योजना/ केन्द्रीय सहायता
5	मत्स्य आहार उत्पादन इकाइयों की स्थापना	300	450	450	450	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
6	**मत्स्य विपणन की व्यवस्था**					
6.1	मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के माध्यम से					
6.1.1	कियोस्क/छोटे चार पहिया वाहन सहायक उपकरणों सहित	40	80	120	160	25% राज्य योजना
6.1.2	पिक अप वैन्स सहायक उपकरणों सहित	40	80	120	160	25ः राज्य योजना
6.2	मत्स्यजीवी फेडरेशन के माध्यम से					
6.2.1	पिक अप वैन्स	16	40	80	80	100 % केन्द्रांश
6.2.2	चार पहिया	40	80	80	80	100 %

	छोटे वाहन					केन्द्रांश
6.2.3	आइस प्लांट	–	40	80	40	
6.3	मत्स्य पालक विकास अभिकरणों के माध्यम से					
6.3.1	इंसूलेटेड ठेला	8	10	10	10	एन..एफ.डी.बी.
6.3.2	समूहिक संग्रहण केन्द्र	–	–	–		राज्य योजना
7 मत्स्य कृषकों का प्रशिक्षण						
7.1	राज्य से बाहर प्रशिक्षण	57	58	60	60	राज्य योजना तथा एन..एफ.डी.बी. तथा राष्ट्रीय कृषि वि. यो.
7.2	प्रमंडल स्तर पर प्रशिक्षण / राज्य स्तर पर	34	46	46	46	एन..एफ.डी.बी. / राज्य योजना तथा राष्ट्रीय कृषि वि. यो
	कुल :	**1406**	**2233**	**2636**	**2246**	
	B. F.	**1406**	**2233**	**2636**	**2246**	
8	पारा एक्सटेंशन वर्कर्स की योजना	85.00	135.00	135.00	85.00	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
9	तालाबों के सर्वेक्षण की योजना	41.00				राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
10	प्रसार योजना	15	20	20	20	राज्य योजना
11	पटना में मछली घर की स्थापना	95	400	10	10	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
12	सक्रिय मछुआरों को बीमा सरुक्षा (ब्ऍ्यै)	48.40	59.80	71.90	81.90	राज्य योजना, केन्द्रांश / सामाजिक सुरक्षा निधि
13	आदर्श मछुआरा ग्राम योजना	85	170	300	170.80	राज्य योजना / केन्द्रीय सहायता
14	मत्स्य अनुसंधान	5	10	12	15	राज्य योजना

	योजना					
15	समेकित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण 38 हे.	–	16	15	–	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
16	पटना में प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	31	25	23	23	राज्य योजना
17	मत्स्य पालक विकास अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण	150	150	30	–	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
18	फसल बीमा योजना	200	400	560	1000	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
19	मत्स्य कृषक सम्मान योजना	–	10	10	15	राष्ट्रीय कृषि वि.यो.
20	**पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार**					
20.1	राजस्व सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार	10000	12000	16000	16000	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम
20.2	निजी क्षेत्र में तालाब निर्माण/जीर्णोद्धार	60.00	72.00	96.00	96.00	राज्य योजना/ केन्द्रीय सहायता
21	अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए योजना	13.00	25.00	12.00	–	
22	एन.एफ.डी.बी. हेतु राज्यांश	–	5.00	10.00	–	
	कुल :	**12234.40**	**15730.80**	**19940.90**	**19762.70**	
	समग्र कुल :	**67668.80**				

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा व्यय होने वाली राशि 54,000 लाख रुपये ।

मत्स्य प्रक्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु निधि के श्रोत

(लाख रू0 में)

क्र.	योजना का नाम	राज्य योजना	रा. कृ. वि.यो.	ग्रामीण विकास विभाग	केन्द्रांश	एन.एफ. डी.बी. तथा अन्य गैर बजटीय	कुल
1	मत्स्य बीज उत्पादन	–	1050	–	–	–	1050
1.1	ब्रूड बैंक की स्थापना	265	–	–	–	–	265
2	तालाबों में सघन/ अर्द्धसघन मछली पालन हेतु ऋण	–	2150	–	–	–	2150
3	मन मात्स्यिकी का विकास	600	505	–	–	–	1105
4	चौर मात्स्यिकी का विकास CSS	100	–	–	300	–	400
5	मत्स्य आहार उत्पादन इकाईयों की स्थापना	–	1650	–	–	–	1650
6	मत्स्य विपणन की व्यवस्था						
	क. समितियों के माध्यम	100	100	–	600	–	800
	ख. फेडरेशन के माध्यम	–	–	–	656	–	656
	ग. इनसुलेटेड ठेला	–	–	–	–	38	38
	घ. सामूहिक संग्रहण केन्द्र	मन स्कीम से	–	–	–	–	–
7	प्रशिक्षण	175	160	–	–	72	407
8	पारा एक्सटेंशन वर्कर की योजना	–	440	–	–	–	440
9	तालाबों के	–	41	–	–	–	41

	सर्वेक्षण की योजना						
10	प्रसार योजना	20	55	—	—	—	75
11	मछली घर की स्थापना	—	515	—	—	—	515
12	सक्रिय मछुआरों की बीमा योजना	76	—	—	21	110+55′	262
13	आदर्श मछुआरा ग्राम योजना	362.90	—	—	362.90	—	725.80
14	मत्स्य अनुसंधान योजना	42	—	—	—	—	42
15	समेकित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण	—	31	—	—	—	31
16	राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	102	—	—	—	—	102
17	मत्स्य पालक अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण	—	330	—	—	—	330
18	फसल बीमा योजना	—	1080	—	—	1080′′	2160
19	मत्स्य कृषक सम्मान योजना	—	35	—	—	—	35
20	निजी क्षेत्र के तालाबों का जीर्णोद्धार	81	—	—	243	—	324
20.1	सरकारी तालाबों का जीर्णोद्धार	—	—	54,000	—	—	54,000
21	अनुसूचित जाति के कृषकों के लिए योजना	50	—	—	—	—	50.00
22	एन.एफ.डी.बी. हेतु राज्यांश	50	—	—	—	—	50.00
कुल		**1988.90**	**8142.00**	**54000**	**2182.90**	**1355.00**	**67668.80**

- 55.00 लाख सीधे लाभुकों का अंशदान अतिरिक्त '' लाभुक का अंशदान–1080

मत्स्य प्रक्षेत्र द्वारा व्यय होने वाली राशि (बजटीय) :

राज्य योजना : 1988.90 लाख रुपये
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना : 8142.00 लाख रुपये
केन्द्रांश : 2182.90 लाख रुपये

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा व्यय होने वाली राशि : 54,000 लाख रुपये

वित्तीय संस्थानों से संभावित वित्त संपोषण

(रुपये लाख में)

क्र.		कार्यक्रम का नाम	वर्षवार संभावना				कुल
			2008–09	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**	
1	**फिश फीड मिल(संख्या)**		100	150	150	150	550
	1.1	12.00 लाख रू0 प्रति इकाई लागत	1200	1800	1800	1800	6600
	1.2	25 प्रतिशत अनुदान,राज्य सरकार	300	450	450	450	1650
	1.3	बैंकों द्वारा वित्त संपोषण	900	1350	1350	1350	4950
2	**पुराने तालाबों का जीर्णोध्दार**						
	2.1	भौतिक लक्ष्य, हेक्टर	500	600	800	800	2700
	2.2	कुल लागत, लाख रू0	300	360	480	480	1620
	2.3	अनुदान, 20 प्रतिशत	60	72	96	96	324
	2.4	संभावित वित्त संपोषण	240	288	384	384	1296
3	**सक्रिय मछुआरों को बीमा सुरक्षा**						
	3.1	समाजिक सुरक्षा निधि से अंशदान (लाख रू0)	20	25	30	35	110
	3.2	लाभुक का अंशदान (लाख रू0)	10	12.50	15	17.50	55
4	**फसल बीमा में लाभुक का अंशदान** (लाख रू0)		100	200	280	500	1080

संस्थागत वित्त संपोषण : 6246.00 लाख रू0
संपोषण सामाजिक सुरक्षा निधि : 110.00 लाख रू0
लाभुकों द्वारा अंशदान : 1135.00 लाख रू0

रोड मैप की विभिन्न योजनाओं में भौतिक लक्ष्य

क्र.	भौतिक लक्ष्य	इकाई	वर्षवार संभावित उपलब्धि			
			2008—09	2009—10	2010—11	2011—12
1	मत्स्य बीज उत्पादन	करोड़	10	20	35	40
2	सघन/अर्द्धसघन मछली पालन	हेक्टर	30,000	20,000		
3	मन मात्स्यिकी का विकास	हेक्टर	1500	2000	1500	
4	चौर मात्स्यिकी का विकास	हेक्टर	50	200	600	150
5	समेकित मत्स्य पालन	हेक्टर	—	20	18	—
6	मत्स्य आहार उत्पादन इकाइयों की स्थापना	संख्या	100	150	150	150
7	विपणन					
7.1	चार पहिया वैन	संख्या	20	40	50	60
7.2	पिकअप वैन	संख्या	7	15	25	30
7.3	इन्सुलेटेड रिक्शा	संख्या	40	50	50	50
7.4	समुहिक संग्रहण केन्द्र	संख्या	5	10	10	—
7.5	आइस प्लांट का निर्माण	संख्या	—	40	80	40
8	प्रशिक्षण					
8.1	राज्य से बाहर	संख्या	1000	1000	1000	1000
8.2	प्रमंडल/राज्य स्तरीय	संख्या	2000	2000	2300	2300
9	पारा एक्सटेंशन वर्कर	संख्या	269	76	—	—
10	तालाबों का सर्वेक्षण	संख्या	30000	30000		
11	जनश्री बीमा योजना	संख्या	20000	25000	30000	35000

12	आदर्श मछुआरा ग्राम आवासों का निर्माण	संख्या	200	400	735	402

चार वर्षों में संभावित औसत वार्षिक मत्स्य उत्पादन : 4.05 लाख टन

26. सहकारी प्रक्षेत्र की भूमिका : राज्य के कृषि एवं कृषि आधारित प्रेक्षेत्र के विकास में सहकारिता प्रक्षेत्र की अहम भूमिका है। सहकारी समितियों ने विशेष रूप से प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स) एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक ने बीज एवं उर्वरक के व्यवसाय एवं कृषकों के वित्त पोषण में परम्परागत रूप से अहम भूमिका निभायी है, तथापि सहकारी समितियों की दयनीय आर्थिक स्थिति, कुशल प्रबंधन के अभाव के कारण कृषि प्रक्षेत्र में वित्तीय सहायता और बीज तथा उर्वरक की आपूर्ति में काफी गिरावट आयी है। इन असफलताओं का अर्थ यह नहीं है कि सहकारिता प्रक्षेत्र ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनी उपयोगिता खो दी है।

27. कृषि साख : सहकारी समितियां अल्पकालीन सहकारी साख के वितरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है । 11वीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी प्रक्षेत्र के लिए लगभग तीन हजार करोड़ रुपये के सहकारी वित्त पोषण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसमें से वर्ष 2007–08 तक कुल संभावित वित्त पोषण 400.00 करोड़ रुपये होने की संभावना है । 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अल्पकालीन सहकारी साख संरचना (यथा पैक्स), केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं राज्य सहकारी बैंक आते हैं के सुदृढ़िकरण हेतु सभी प्रयास किये जायेंगे । इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्धारित लक्ष्य में मो॰ 100.00 करोड़ रुपये की वार्षिक अभिवृद्धि की आवश्यकता होगी । अल्पकालीन सहकारी साख संरचना के पुनरोद्धार के माध्यम से इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर दिया गया है, परन्तु वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भूमिका दीर्घकालीन कृषि साख के क्षेत्र में सदैव बनी रहेगी ।

28. कृषि आदान : सहकारी समितियां परम्परागत रूप अपने सदस्यों को कृषि आदान की आपूर्ति करती रही हैं । परन्तु बिहार राज्य क्रय–बिक्रय विपणन संघ (बिस्कोमान) की दयनीय वित्तीय स्थिति का कुप्रभाव पैक्स एवं व्यापार मंडल

सहयोग समितियों पर भी पड़ा है जिसके कारण कृषि आदान के व्यवसाय में कमी आयी है । योजना के आरंभ में निबंधित 6000 पैक्सों के विरूद्ध मात्र 300 पैक्सों के द्वारा ही उर्वरक का व्यवसाय किया गया । राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर पारस्परिक समन्वय एवं तालमेल के कारण ऐसे उर्वरक व्यवसाय करनेवाले समितियों की संख्या बढ़कर 1800 हो गई है और ऐसी समितियों के द्वारा गत वित्तीय वर्ष में मो 100 करोड़ रुपये का खाद व्यवसाय किया गया है । यह अनुभव किया गया है कि सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक के वितरण और उपलब्धता में आसानी होती है । ऐसी संभावना है कि ऐसे कृषि व्यवसाय करने वाले सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर ढाई हजार हो जायगी। बिस्कोमान के पुनरोद्धार एवं सहकारी प्रक्षेत्र को उर्वरक की आवंटन एवं आपूर्ति होने से ऐसी संभावना है कि कृषि क्षेत्र में व्यवसाय करनेवालों समितियों की संख्या योजना अवधि की समाप्ति तक लगभग 4000 हो जायेगी । गुणवत्ता पूर्ण बीजों की अनुपलब्धता के कारण सहकारी समितियां अपने सदस्यों को उचित बीच उपलब्ध नहीं करा पा रही है । बिहार राज्य बीज निगम के पुनरोद्धार से गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति में बहुत मदद मिलेगी ।

29. फसल बीमा : इस राज्य की कृषि मुख्य रूप से प्रकृति पर आधारित है अतः एक कुशल फसल बीमा योजना की आवश्यकता से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है । राज्य सरकार वर्ष 2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू कर चुकी है । यह योजना ऋण लेने वाले कृषकों के लिए वाध्यकारी है जबकि गैर ऋणियों के लिए वैकल्पिक है । इस योजना के तहत आच्छादित होने वाले कृषकों की विगत वर्षों में काफी वृद्धि हुई है और विगत पांच वर्षो में लगभग 500.00 करोड़ रुपये फसल छतिपूर्ति की भरपाई भी की गई है । योजना अवधि के तहत निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति कृषि साख को बढ़ाकर, ऋणी कृषकों को इसके दायरे में लाकर किया जायगा । इसके बावजूद प्रचार प्रसार के माध्यम से गैर ऋणी कृषकों को भी इस दायरे में लाने की प्रचुर संभावना है । इस उद्येश्य की पूर्ति के लिए एक योजना बनायी गई है जिसके तहत कुछ विशिष्ट पैक्स जो अपने सदस्यों से जमा वृद्धि के रूप में राशि प्राप्त करते हैं वैसे पैक्स अपने गैर ऋणी कृषक सदस्यों के द्वारा समिति में संधारित बचत खाते के माध्यम से बीमा का प्रीमियम प्राप्त कर

सकेंगे । केन्द्रीय सहकारी बैंक उन पैक्सों जिनकी जमा वृद्धि एक निर्धारित माप दंड से उपर है को ऐसे कृषि बीमा कार्य करने के एवज में सेवा शुल्क प्रोत्साहन राशि के रूप में प्राप्त कर सकेगी । ऐसा करने से कृषि बीमा की योजना आसानी से कृषकों को उपलब्ध होगी और तद्नुसार गैर ऋणी कृषकों को इसके दायरे में लाने में आसानी होगी । पिछले अनुभवों से यह महसूस किया गया है कि इस योजना के विस्तार में सबसे बड़ी बाधा कृषकों के द्वारा बैंकों में प्रीमियम के भुगतान के लिए खोले जाने वाले खाता की शर्तें हैं । ऐसी संभावना है कि इस योजना के तहत गैर ऋणी कृषकों का आच्छादन वर्ष 2006–07 के कुल 78,000 से बढ़कर योजना के समापन तक 2.50 लाख हो जायगा।

सहकारिता प्रक्षेत्र के लिए निधि की आवश्यकता

वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित क्षमता (मि.ट. में)	प्राक्कलित राशि (लाख रूपये में)
2008 - 09	112500	6075.00
2009 – 10	202500	11810.00
2010 – 11	147500	9292.00
2011 - 12	205000	13948.00
Total	**667500.00**	**41125.00**

30. सांस्थिक वित्त : बिहार में कृषि की अर्थव्यवस्था बाढ़ एवं सुखे दोनों से प्रभावित होता है। औसत भूधारिता 0.75 हेक्टेयर है, जो कि राष्ट्रीय औसत 1.57 हेक्टेयर से भी कम है। लघु एवं सीमान्त कृषक की संख्या 91 प्रतिशत से अधिक है। बिहार में अच्छी भूमि है जिससे उत्पादकता अधिक है परन्तु प्रति इकाई उत्पादन मात्र 661 रूपया है जबकि राष्ट्रीय औसत 2304 रूपया है। बिहार में कृषि वृद्धि की अपार संभावनाएं हैं। वार्षिक साख योजना को देखने पर यह स्पष्ट होगा कि गत्त पांच वर्षों में औसत उपलब्धि 80 प्रतिशत है। जबकि कृषि में साख की आवश्यकता लक्ष्य से कहीं अधिक है। इस प्रकार से अगले चार वर्षों में रोड मैप के लिए आवश्यकता का आकलन किया गया है।

उपरोक्त प्रकार से कृषि में साख की आवश्यकता निम्न प्रकार से है :–

क्र0	वर्ष	राशि (रूपये करोड़ में)
1.	2008.09	5724.68
2.	2009.10	7051.98
3.	2010.11	8517.11
4.	2011.12	9465.56
	कुल	**30759.33**

31. सेक्टर वार ऋण की आवश्यकता :–

क्रमांक	सेक्टर	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
1	अल्पकालीन फसल ऋण	3198.00	4229.98	4913.11	5895.73
2	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में निवेश ऋण	2566.28	2822.00	3604.00	3569.83
3	कुल (1+2)	**5764.28**	**7051.98**	**8517.11**	**9465.56**
4	गैर कृषि क्षेत्र	1068.53	1175.38	1292.92	1486.86
5	कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण	272.85	300.14	330.15	379.67
6	माइक्रो क्रेडिट	24.75	61.88	154.70	386.75
7	अन्य प्राथमिकता क्षेत्र	2204.15	2424.57	2788.26	4182.39
8	कुल प्राथमिकता क्षेत्र ;34567द्ध	**9334.56**	**11013.96**	**13083.14**	**15901.23**
9	गैर प्राथमिकता क्षेत्र	8264.00	9090.40	9999.44	10999.38
	कुल साख	**17598.56**	**20104.35**	**23082.58**	**26900.61**

32. आर्थिक क्षेत्रवार वित्तीय आवश्यकता :–

क्रमांक	सेक्टर	वित्तीय आवश्यकता			
		2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**
1	फसल ऋण	3153.70	3469.00	3815.90	4388.29
2	लघु सिंचाई	681.46	727.00	799.70	919.66
3	भूमि का विकास	83.44	91.78	100.96	116.10
4	कृषि यांत्रिकरण	650.08	715.09	786.60	904.59
5	उद्यान	189.32	208.25	229.08	263.44

6	रेशम पालन	6.39	7.03	7.73	8.89
7	वन	17.42	18.96	20.86	23.99
8	गव्य विकास	409.15	450.07	495.08	569.34
9	कुक्कुट विकास	106.11	116.72	128.39	147.65
10	भेड़, बकरी, सुअर पालन	101.40	111.54	122.69	141.09
11	मत्स्य पालन	112.44	123.68	136.05	156.46
12	भंडारण	146.27	160.90	176.99	203.54
13	गैर पारंपरिक उर्जा	15.81	17.39	19.13	22.00
14	अन्य कृषि	51.69	56.86	62.55	71.93
15	कृषि के लिए सावधि ऋण	2570.98	3582.98	4701.21	5406.39
16	कृषि कुल	5724.68	7051.98	8517.11	9465.56
17	गैर कृषि	1068.53	1175.38	1292.92	1486.86
18	निवेश ऋण	272.85	300.14	330.15	379.67
19	वर्किंग कैपिटल	24.75	61.88	154.70	386.75
20	खाद्य प्रसंस्करण	2204.15	2424.57	2788.26	4182.39
21	माइक्रो क्रेडिट	9294.96	11013.95	13083.14	15901.23
22	अन्य प्राथमिकता	8264.00	9090.40	9999.44	10999.38
23	प्राथमिकता क्षेत्र का कुल	**17558.95**	**20104.35**	**23082.58**	**26900.61**

33. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

33.1 रोड मैप की कार्यकलापों को नियमित रूप से अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन का प्रस्ताव है। यह समिति माह में एक बार बैठक आयोजित करेगी एवं प्रगति की समीक्षा करेगी साथ ही सुधारात्मक सुझाव देगी।

33.2. रोड मैप के कार्यकलापों के अनुश्रवण के लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति के गठन का प्रस्ताव है। यह समिति तीन माह में एक बार बैठक करेगी।

रोड मैप का वित्त पोषण

पिछले अध्यायों में प्रक्षेत्र वार रणनीति की व्याख्या की गई है। फिर भी एक नजर में रोड मैप का अवलोकन आवश्यक है। यह भी स्पष्ट होगा कि कृषि प्रक्षेत्र प्रमुख भूमिका निभायेगा, जिसमें काफी निवेश की आवश्यकता होगी एवं इसमें कुल निवेश के 61 प्रतिशत का कर्णांकन किया गया है।

रोड मैप के लिए कुल 6135.97 करोड़ रूपये की आवश्कयत है। प्रक्षेत्र वार वित्तीय आवश्यकता निम्न प्रकार है।

रोड मैप के लिए वर्षवार निधि की आवश्यकता

क0सं0	प्रक्षेत्र का नाम	निधि की आवश्यकता (लाख रू0 में)				
		2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	कुल
1	कृषि	922.13	916.70	977.02	941.27	3757.12
2	पशुपालन	180.99	196.02	213.45	228.65	819.13
3	गव्य विकास	115.97	116.07	114.38	125.34	471.77
4	मत्स्य	122.34	157.30	199.40	197.62	676.68
5	सहकारिता	60.75	118.10	92.92	139.48	411.25
	कुल	1402.18	1504.20	1597.18	1632.37	6135.97

वित्तीय आवश्यकता का विस्तृत विवरण संबंधित प्रक्षेत्र में दिया गया है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रोड मैप के वित्त पोषण के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण होगा।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरणः

34. **उन्नत नस्ल के मत्स्य बीजों (जीरा) का उत्पादन और आपूर्तिः** गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज (जीरा) मत्स्य पालन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव है । इस स्कीम के अन्तर्गत बीज फार्मों के विस्तार एवं उत्क्रमण द्वारा गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीजों का उत्पादन एवं आपूर्ति और मत्स्य बीज उत्पत्तिशालाओं का निर्माण एवं मरम्मति आते हैं । गुणवत्तापूर्ण बीजों की वार्षिक मांग को पूरा करने में जो मुख्य बाधा रही है वह है वर्त्तमान मत्स्य फार्मों की उत्पादन में कमी । उत्पादकता में यह गिरावट उनके पुराने हो जाने और कमजोर प्रबंधन का परिणाम है । इसके अलावे, बिहार मत्स्य विकास निगम के नियंत्रण वाले जीरा उत्पादनशालाओं में उत्पादन आशा के अनुरुप नहीं है । इन कारणों से राज्य क्षेत्र में एक 75 मिलियन जीरा प्रतिवर्ष क्षमतावाला जीरा उत्पादनशाला के निर्माण का प्रस्ताव है । मत्स्य कृषकों के सहयोग से तथा मात्स्यिकी स्नातकों के सहयोग से योजना अवधि के अन्त तक उत्पादन स्तर को वर्त्तमान 450 मिलियन जीरा से बढ़ाकर 664 मिलियन किया जाने का लक्ष्य है।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 275.35 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 23.50 लाख रुपये ।

35. मन और चौर विकास योजनाः गोखुर झील और चौर (जल–जमाव क्षेत्र) अन्य लाभदायक कार्यों के अलावे भारी संख्या में मत्स्य कृषकों का पोषण करने वाले राज्य के प्रधान मत्स्य संसाधन श्रोत हैं । किन्तु झीलों को अनेक विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ा है, जिससे मत्स्य उत्पादन में गिरावट आई है । गरीब मत्स्य कृषकों के पास नई तकनीकों में निवेश करने के लिए संसाधन नहीं है । पेन कल्चर, मन और चौर जैसे जलक्षेत्रों से अधिकतम उपज लेने वाला नूतन तकनीक है । इन झीलों का 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टर से अधिक वार्षिक उत्पादन क्षमता है । ये जलक्षेत्र जलप्राणी समूह की उच्च जैव–विविधता का समर्थन करती है और इनमें से कुछ तो स्वच्छ जल की सजावटी मछलियों के भंडार हैं ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 795.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 195.00 लाख रुपये ।

36. मत्स्य अनुसंधान योजनाः नई तकनीकों के निकलते रहने और क्षेत्र में कार्यान्वित होते रहने के कारण मत्स्य संवर्द्धन का तेजी से बदलने वाला क्षेत्र है । मीठापुर कृषि फार्म संवर्द्धकों के दैनंदिन की समस्याओं पर कार्य करता है और उनके पोखरों की मिट्टी और जल की जाँच कर उनका समाधान करता है । इसके अलावे, यहाँ नई जलकृषि तकनीकों को अपनाया जाता है और स्थानीय कृषि जलवायु परिस्थितियों में उनकी उपयुक्तता का विश्लेषण किया जाता है । ग्यारहवीं योजना में 52.50 लाख रुपये और वार्षिक योजना 2007–08 के दरम्यान 10.50 लाख रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है । इस योजना के अधीन स्वच्छ जल वृहत् झींगा संवर्द्धन के प्रदर्शन एवं पोखर प्राचलों के रख–रखाव के साथ सजावटी मछलियों का सवंर्द्धन एवं प्रजनन और वायु श्वासी मछलियों के संवर्द्धन एवं प्रजनन जैसे कार्यक्रमों पर काम किया जाता है । दृश्य–श्रव्य, क्षेत्र प्रतिदर्शन के लिए नए उपकरण, पुस्तकें और पत्रिकाओं जैसी विस्तार सामग्रियाँ भी खरीदी जायेंगी, जो पूँजी निर्माण में योगदान करेगी ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 52.50 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 10.50 लाख रुपये ।

37. मत्स्य उद्योग संगठनों का सुदृढ़ीकरणः किसी भी तकनीकी विभाग के लिए शोध और प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, परन्तु मत्स्य संसाधन निदेशालय के पास अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित करनेवाली कोई

इकाई नहीं है । पटना स्थित राज्य स्तरीय कर्मचारी प्रशिक्षण केन्द्र को कुछ वर्ष पूर्व विघटित कर दिया गया और निदेशालय अपनी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए आई.सी.ए.आर. पर निर्भर है । हालांकि उनका प्रशिक्षण उच्च कोटि का होता है तद्यपि प्रशिछुओं को राज्य से बाहर जाना पड़ता है जो खर्चीला है । प्रस्ताव है कि पटना स्थित विभागीय भवनों में आवश्यक उपान्तरण कर एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किया जाए । विभागीय कार्यों की त्रीव प्रगति में मदद के लिए एक कार्यपालक अभियंता का पद सृजित किया गया है । वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए प्रस्तावित आवंटन 33.50 लाख रुपये है ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 135.50 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 33.50 लाख रुपये ।

38. **मत्स्य प्रसार योजनाः** विभागीय कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा तकनिक विस्तार के लिए यह एक राज्य स्तरीय योजना है । राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 1000 किसानों को राज्य के बाहर मुख्यतः सी.आई.एफ. ई. के काकीनाडा (आंध्र प्रदेश में) केन्द्र पर प्रशिक्षण दिया जाए । इन किसानों के प्रशिक्षण के शत्–प्रतिशत् खर्च विभाग वहन करेगा ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 255.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 60.00 लाख रुपये ।

39. **विशेष अंगीभूत योजनाः** नौकाओं एवं जालों के रुप में तथा उनके पोखरों की मरम्मती के लिए और उनमें मत्स्य सवंर्द्धन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अंगीभूत योजना के तहत मत्स्यपालकों को सहायता दी जाएगी।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 255.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 60.00 लाख रुपये ।

40. **मत्स्य विपणन स्कीमः** ग्यारहवीं योजना के दरम्यान मत्स्य बाजार को विकसित किया जाएगा ताकि मछली पालकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। केन्द्र प्रायोजित योजना फसलोत्तर मत्स्य विपणन की आधारभूत संरचनाओं का विकास अन्तर्गत विशेष सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा 25 प्रतिशत अनुदान देने की योजना प्रस्तावित है। बाकी राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 100.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 0.00 लाख रुपये ।

41. अन्तर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि का विकास : बिहार में 33 मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यरत हैं । इस केन्द्र प्रायोजित योजना के अधीन जो मुख्य कार्य लिए जा रहे हैं उनमें नए पोखरों का निर्माण, पुराने त्वक्त पोखरों की मरम्मती, कृषकों का प्रशिक्षण, जरुरी निवेशों की आपूर्ति और विस्तार पोषण शामिल है । स्थापना व्यय पूरी तरह राज्य सरकार वहन करती है और केन्द्र सरकार विकास कार्य के लिए आर्थिक सहायता के रुप में 75 प्रतिशत वहन करती है । इस योजना की एक अनिवार्य विशेषता है आर्थिक सहायता (सब्सिडी) सहित बैंकों से ऋण सहायता जिसमें केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सहभागिता 75:25 के आधार पर है । इस प्रकार, इस कार्यक्रम की सफलता के लिए बैंक अत्यन्त आवश्यक है । इस योजना के अधीन मुख्य गतिविधियाँ हैं मत्स्य कृषकों को दस दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान करना और पोखरों के निर्माण एवं मरम्मती के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराना और शफरी–उत्पन्न शाखाओं का निर्माण तथा जल–जमाव क्षेत्रों का जल कृषि भू–संपदा (के रुप) में विकास । केन्द्र सरकार इन सभी गतिविधियों के लिए समानुपातिक अंशदान प्रदान करती है ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 196.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 15.00 लाख रुपये ।

42. प्रशिक्षण एवं विस्तार योजनाः इस योजना के मुख्य अवयव हैं मत्स्य कृषकों एवं मत्स्य उद्योग विस्तार कार्यकर्त्ताओं को अल्पावधिक प्रशिक्षण देना और प्रदर्शनियों और सेमिनार आयोजित करना । इस स्कीम के अधीन प्रशिक्षण केन्द्रों, पोस्टरों एवं पम्फलेटों के प्रकाशन और प्रशिक्षण सामग्रियों की तैयारी का लक्ष्य है यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें 80:20 के आधार पर खर्च की सहभागिता करती है ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 5.00 लाख रुपये ।

43. सामूहिक दुर्घटना बीमा योजनाः यह कल्याणकारी योजना सक्रिय मछुआरों के लिए लक्ष्यांकित हैं, जो मत्स्यजीवी सहकारी समितियों के सदस्य हैं । मछुआरों की मृत्यु अथवा स्थायी अपंगता की स्थिति में 50,000 रुपये तथा आंशिक अपंगता की स्थिति में 25,000 रुपये की बीमा राशि उपलब्ध होती है । यह एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारें बीमा प्रिमियम खर्च का

बराबर हिस्सा वहन करती है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में मछुआरों के लिए जन श्री बीमा योजना भी लागू करने का प्रस्ताव है।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 80.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 4.00 लाख रुपये ।

44. मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधायें: इस योजना के अधीन सरकार 40,000 रुपये प्रति इकाई की लागत पर मकान, कम से कम 75 घरों वाले मछुआ वाहुल्य गाँवों के लिए एक सामुदायिक भवन अर्थात एक सामान्य कार्य स्थल प्रदान करती है । सामुदायिक भवन के लिए कुल आकलित लागत 1.75 लाख रुपये है । इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अधीन केन्द्र सरकार निधि का आधा भाग प्रदान करेगी ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 406.40 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 43.50 लाख रुपये ।

45. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की योजनाओं हेतु राज्यांश: मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की गयी है। इसकी कुछ योजनाओं में राज्य सरकार का अंशदान (10 प्रतिशत) भी अपेक्षित होता है।

ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय 15.00 लाख रुपये ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय 0.00 लाख रुपये ।

मत्स्य उद्योग और जल कृषि

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	250.00	180.00	114.02
2003–04	225.00	181.00	159.28
2004–05	206.00	206.00	116.03
2005–06	356.57	306.57	160.17
2006–07	400.00	152.00	109.42
योग	**1437.57**	**1025.57**	**658.92**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 400.00 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 2370.75 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- पोखरों के विकास और तकनीकी तौर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन को अपनाकर राज्य के उत्पादन में विस्तार करना और राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादकता में वृद्धि करना है ।
- मछलियों के भंडारण के लिए स्वस्थकर स्थिति बनाने, द्रुत परिवहन प्रणाली अपनाने तथा दक्ष बाजार तंत्र की स्थापना से मछली मारने वाले समुदायों में सामाजिक, आर्थिक प्रतिरक्षा को बढ़ाना ।
- मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुँचने के लिए वार्षिक उत्पादन स्तर को वर्त्तमान 2.80 लाख टन से बढ़ाकर लगभग 6 लाख टन करना ।
- नए जलक्षेत्रों का सृजन, पुराने को पुर्नजीवित, गोखुर झीलों, चौरों तथा कमांड क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त मैदानी इलाकों जैसे मुक्त जल क्षेत्रों को पालन आधारित मत्स्य उद्योग के अधीन लाकर उपज में विस्तार किया जाएगा ।
- प्रग्रहण मात्स्यिकी संसाधनों को क्रमिक एवं वैज्ञानिक रुप से पालन मत्स्य उद्योग संसाधनों में परिवर्त्तित कर उत्क्रमित करना।

7.5 गन्ना विकास

दसवीं योजना अवधि के दरम्यान कृषि आधारित उद्योगों की बेहतरी और उसके द्वारा गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखते हुए विशेष कर ग्रामीण इलाकों में और अधिक रोजगार के अवसर सृजित करने पर ध्यान दिया गया है । हालॉकि इस क्षेत्र में विकास दर धीमी रही है । राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बिहार में गन्ना उत्पादन तथा उत्पादकता कम है । इसलिए आमतौर पर दूसरी हरित क्रांति और विशेष कर गन्ना में सकल घरेलू कृषि उत्पाद 4 प्रतिशत के आसपास बढ़ाने की सख्त जरुरत है। कृषि विकास की दर को कम से कम दुगुना करने की चुनौती सामने है । हमारी राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य हमारी बढ़ती आबादी के लिए सिर्फ

चीनी उत्पादन में बढ़ोतरी करने की नहीं है, बल्कि विदेशी मुद्रा की कमाई में बढ़ोतरी करने के लिए अन्तरर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने पर भी है ।

2. ग्यारहवीं योजना अवधि के दरम्यान विभाग का मुख्य उद्देश्य बिहार में चीनी उद्योग की स्थापना, विकास और विस्तार के लिए उपयुक्त वातावरण निर्माण करना है। इसके लिए सिंचाई से संबंधित आधारभूत संरचना के विकास, जल निकासी, ग्रामीण संपर्क सड़क, यातायात, 10 प्रतिशत के अपेक्षित स्तर तक चीनी प्रति प्राप्ति स्तर बढ़ाने की शक्ति के साथ–साथ गन्ने की गुणवत्ता एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए वृहत् स्तरीय योजना निर्माण की जरुरत होगी ।

दसवीं योजना की समीक्षा और ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य

3. दसवीं योजना में गन्ना विकास के लिए संशोधित उद्व्यय 1267.85 लाख रुपये था जिसके विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि 1083.54 लाख रुपये (85.46 प्रतिशत) रही है । ऊपर सूचीबद्ध उद्येश्यों को प्राप्ति करने के लिए निम्नांकित कार्यक्षेत्रों पर बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता होगी ।

4. वर्त्तमान में, राज्य में 9 चीनी मिलें कार्यरत हैं, और राज्य सरकार नये चीनी कम्प्लेक्सों को स्थापित करने के लिए 19 प्रस्तावों पर कार्य कर रही है, जिनमें से 13 को स्वीकृत किया जा चुका है । 2010 तक 25,000 टी सी डी की पेराई क्षमतावाले दस बड़े चीनी कम्प्लेक्स स्थापित किए जाएंगे । सरकार निजीकरण के माध्यम से चालू चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार करने के लिए बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन दो डिस्टीलरी एवं 15 बंद पड़ी चीनी मिलों के पुनरुद्धार के रास्ते भी खोज रही है ।

5. इससे गन्ने की मांग में भारी बढ़ोत्तरी होगी और 2007–08 से आरंभ होने वाले आगामी पांच वर्षों में गन्ना की खेती 2.30 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर कम से कम 5.45 लाख हेक्टेयर करने का प्रस्ताव है । जब सभी दस नये चीनी कम्प्लेक्स काम करना आंरभ कर देंगे तब गन्ने की मांग कम से कम 164.75 लाख मे0 टन होगी । चीनी, गुड़ तथा खाड़सारी एवं गन्ना आधारित अन्य उद्योगों को समुचित गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए और चीनी उत्पादन के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने के लिए गन्ने की खेती में अनुपातिक बढ़ोतरी अनिवार्य है । इस प्रकार योजना का अधिभावी बल इस बात पर होगा कि गन्ने की खेती वाले इलाके में

आनुपातिक वृद्धि की जाए और गन्ने की उत्पादकता तथा चीनी की प्राप्ति बढ़ायी जाए ।

सारणी : ग्यारहवीं योजना के दरम्यान प्रस्तावित क्षेत्र और गन्ना और चीनी की उत्पादकता

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
	(अनुमानित)					
गन्ने का आच्छादन (लाख हेक्टेयर)	3.08	6.60	9.97	13.05	19.08	20.90
कुल गन्ना उत्पादन (लाख टन)	181.72	405.90	636.09	881.10	1297.40	1463.00
गन्ने की उत्पादकता (टन प्रति हेक्टेयर)	59.00	61.50	63.80	66.00	68.00	70.00
पेराई हेतु गन्ने की उपलब्धता (प्रतिशत में)	55	57	59	61	63	65
पेराई हेतु गन्ना (लाख टन)	99.94	231.36	375.29	537.47	817.38	950.95
चीनी प्राप्ति का प्रतिशत	9.48%	9.50%	9.53%	9.55%	9.58%	9.60%
चीनी का उत्पादन (लाख टन)	9.47	21.98	35.76	51.06	53.40	55.80

ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावित योजनाएँ

6. **चीनी और गन्ना उत्पादन में लक्ष्यांकित वृद्धि प्राप्ति करने के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए दो योजनाएँ प्रस्तावित की गयी है :–** केन्द्र प्रायोजित ''सुबैक्स'' योजना एवं राज्य योजना का विकास ।

केन्द्र प्रायोजित ''सुबैक्स'' योजना

6.1 क्षेत्र प्रत्यक्षण (डेमॉन्सट्रेशन) : ये प्रत्यक्षण राज्य गन्ना विकास विभाग द्वारा किसान के खेत में किया जाएगा, जहां तकनीक प्रदर्शन के लिए अपेक्षित लागत के उपयोग के लिए प्रति प्रदर्शन 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी । प्रत्यक्षण का आकार आधा हेक्टयेर होगा।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 230.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 40.00 लाख रुपये

6.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम और शैक्षिक यात्राएँ

6.2.1 शैक्षणिक भ्रमण : गन्ना विकास के अधिकारियों और गन्ना उगानेवालों के ज्ञान में वृद्धि करने के लिए राज्य के बाहर शैक्षिक यात्राएँ प्रस्तावित हैं । प्रस्ताव है कि ग्यारहवीं योजना के दरम्यान 60 शैक्षिक यात्राएँ आयोजित की जाएं ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 180.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 45.00 लाख रुपये

6.2.2 कृषक प्रशिक्षण : कृषकों को कृषि के आधुनिक उत्पादक तरीकों से परिचित कराने के लिए 30 प्रतिभागियों का दो दिवसीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा, समूची योजना अवधि में प्रति प्रशिक्षण 5,000 रुपये की दर से 3,000 कृषक प्रशिक्षण कैंप प्रस्तावित है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 150.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 30.00 लाख रुपये

6.3 कृषि यंत्र : उन्नत कृषि मशीनरी के माध्यम से फार्म में अपने संसाधनों को विकसित करने हेतु किसानों को समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित रुप में प्रोत्साहित करने का प्रस्ताव निम्नप्रकार है :–

6.3.1 **ट्रैक्टर चालित यंत्र** :ट्रैक्टर से खींचे जाने वाले जुताई उपकरणों, रोपाई यंत्र(प्लांटर्स), दौनी यंत्र(हार्वेस्टर्स) आदि की खरीद पर 25 प्रतिशत अनुदान(सब्सिडी), जिसकी प्रति इकाई सीमा 10,000 रुपये होगी, प्रस्तावित है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 470.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 90.00 लाख रुपये

6.3.2 बैल चालित तथा हस्तचालित पौधा संरक्षण उपकरण:– उन्नत कृषि उपकरणों के क्रय हेतु 50 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन(जिसकी अधिकतम सीमा प्रति इकाई 2000 रुपये होगी) प्रस्तावित है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 240.00 लाख रुपये

वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 40.00 लाख रुपये

6.3.3 **ट्रैक्टर/पावर टिलर** : जुताई करने और गन्ने को खेतों से मिलों तक ढोने के लिए ट्रैक्टर/पावर टिलर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मशीन है । ट्रैक्टर/पावर टिलर के क्रय पर प्रति इकाई 30,000 रुपये का अनुदान प्रस्तावित है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 180.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 45.00 लाख रुपये

6.3.4 **मिट्टी खोदक तथा गन्ना रोपण यंत्र** : मिट्टी खनित्र–गन्ना रोपण यंत्र गन्ने की खेती के लिए उपयोगी है, क्योंकि ये खेती की लागत और समय को कम कर देते हैं । इस यंत्र के क्रय हेतु लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अथवा प्रति इकाई 20000/–रू0(दोनों में से जो कम हो), पूरी येाजना अवधि में 200 यंत्र हेतु अनुदान का प्रस्ताव किया गया है ।

ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 40.00 लाख रुपये
वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 10.00 लाख रुपये

6.4 बीज गुणक कार्यक्रम

6.4.1 प्रजनक बीज नर्सरी:– गुणवत्ता युक्त प्रजनक बीजों का उत्पादन गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा, कृषि विकास केन्द्रों (के बी के) एवं चीनी मिल के फार्मो पर उनके वैज्ञानिकों के पर्यवेक्षण में किया जाएगा । आधार बीज उपलब्ध कराने हेतु प्रतिवर्ष 100 हेक्टेयर में नर्सरी लगायी जाएगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 150.00 लाख रूपये
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 30.00 लाख रूपये)

6.4.2 आधार बीज नर्सरी : गन्ने के आधार बीजों का विकास चीनी मिलों द्वारा अपनी कृषि भूमि एवं प्रगतिशील गन्ना उत्पादकों की जमीनों में किया जाएगा । आधार बीज विकास कार्यक्रम का पर्यवेक्षण गन्ना अनुसंधान संस्थान, पूसा के वैज्ञानिक, कृषि विकास केन्द्र तथा गन्ना विभाग के कर्मचारी करेंगे ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 1,250.00 लाख रूपये
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 250.00 लाख रूपये)

6.4.3 प्रमाणिक बीज नर्सरी :– किसानों को प्रामाणिक बीज नर्सरी लगाने हेतु प्रति हेक्टेयर 3,000 रूपये अथवा कृषि लागत के 10 प्रतिशत की राशि, जो भी कम हो, दी जाएगी । इसके लिए 5,000 हेक्टेयर प्रतिवर्ष का लक्ष्य प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 750.00 लाख रूपये
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 150.00 लाख रूपये)

6.5 **उष्ण वायु ताप उपचार यंत्र (एम0एच0ए0टी0प्लांट)**: रोगमुक्त गन्ने के विकास के लिए चीनी मिलों/अनुसंधान संस्थानों को गन्ने के बीजोपचार हेतु एम.

एच. ए. टी. संयंत्र उपलब्ध कराया जाएगा । इसके लिए प्रति संयंत्र ट्रॉली सहित 3 लाख की आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्यय : 102.00 लाख रूपये
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्‌व्यय : 30.00 लाख रूपये)

6.6 **जैविक खाद एवं वर्मीकम्पोस्टिंग प्रयोगशाला** : रासायनिक खादों के प्रयोग को रोकने और मिट्‌टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक खाद/वर्मीकम्पोस्ट प्रयोगशाला स्थापित करना अतिआवश्यक है । इसके लिए प्रति प्रयोगशाला के लिए 10 लाख रूपये की राशि प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्यय : 100.00 लाख रूपये

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्‌व्यय : 20.00 लाख रूपये)

6.7 **टिशू कल्चर प्रयोगशाला** : आनुवंशिक रूप से उत्तम बीजों का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रत्येक चीनी मिल और अनुसंधान संस्थान में टिशू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी । प्रति टिशू कल्चर प्रयोगशाला के लिए 10 लाख रू0 की राशि प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्यय : 170.00 लाख रूपये
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्‌व्यय : 40.00 लाख रूपये)

6.8 **जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला** : समेकित कीट प्रबन्धन को प्रोत्साहित करने हेतु विशिष्ट परजीवियों और परभक्षियों के विरूद्ध जैव–कीटनाशकों की पहचान कर ली गयी है, और बड़ी संख्या में कीटों के उपर उनका प्रयोग किया जा रहा है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्यय : 105.00 लाख रूपये

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्‌व्यय : 20.00 लाख रूपये)

6.9 तकनीक का अस्तरण : गन्ना उत्पादकों में नई तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और गन्ना उत्पादन की अद्‌यतन विधियों के प्रायोगिक अनुभवों को प्राप्त करने हेतु उनका देश के अन्य गन्ना उत्पादक राज्यों तथा गन्ना अनुसंधान संस्थानों का दौरा करना अत्यावश्यक है । इसके अतिरिक्त सेमिनार, प्रदर्शनी आदि भी इनकी जागरूकता बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं । इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गन्ना उत्पादकों को दूसरे राज्यों की यात्रा पर ले जाने और

सेमिनार, मेला, प्रदर्शनी, ब्रीडियो फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, साहित्य आदि जैसे विस्तार–माध्यमों के निर्माण की योजना बनायी जा चुकी है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 40.00 लाख रूपये

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 8.00 लाख रूपये)

6.10 **टपकन (ड्रिप) सिंचाई का प्रदर्शनः** जल के अधिक कुशलतापूर्वक प्रयोग को बढ़ावा देने, गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने और गन्ना– उत्पादकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी फार्मों, अनुसंधान फार्मों और मिल फार्मों में ड्रिप सिंचाई पद्धति को संचालित किया जाएगा । प्रत्येक प्रदर्शन हेतु 50,000 रू0 प्रति हेक्टेयर या लागत के 70 प्रतिशत की राशि जो भी कम हो प्रस्तावित है। इसके साथ ग्यारहवीं योजना में 50 प्रत्यक्षण की योजना है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 125.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 25.00 लाख रूपये)

6.11 **प्रभावी निरीक्षण एवं अनुश्रवणः** प्रत्येक स्कीम का 10 प्रतिशत कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, स्कीमों के समुचित अनुश्रवण, कर्मचारियों को क्षेत्र–निरीक्षण के लिए तैयार करने एवं विविध व्ययों के लिए कर्णांकित किया जाएगा । राशि का उपयोग पी.ओ. एल के लिए, वाहनों के क्रय एवं अनुश्रवण और किसानों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तिकाओं एवं पोस्टर की तैयारी में किया जा सकेगा।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 47.50 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 9.50 लाख रूपये)

राज्य योजना

7.1 उन्नत किस्म के बीजों के क्रय हेतु अनुदानः गन्ना उत्पादकों को उन्नत बीज क्रय हेतु प्रति क्विंटल 25 रु0 प्रोत्साहन स्वरूप दिए जा रहे हैं । योजना–अवधि में 2703 लाख क्विंटल गन्ने के बीज की खरीदारी की जाएगी, जिसकी लागत 675.86 लाख रुपये होगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 675.86 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 50.00 लाख रूपये)

7.2 **बीज परिवहन अनुदानः** बीज के परिवहन की लागत को चुकाने के लिए किसानों को बीज नर्सरी से दूरी के हिसाब से (औसत) 25 रु0 प्रति क्विंटल की आर्थिक सहायता दी जाती है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 675.86 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 50.00 लाख रूपये)

7.3 **पौध–संरक्षक रसायन हेतु अनुदानः** गन्ने की खेती के लिए रोपण–चरण से ही पौध–संरक्षक रसायनों का प्रयोग आवश्यक है । रोगों, कीटों और नाशी जीव रहित गन्ना के लिए तथा मिट्टी एवं बीज उपचार हेतु 500 रू0 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 374.32 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 25.00 लाख रूपये)

7.4 **उन्नत कोल्हू और कराह कय हेतु अनुदानः** बिहार के कारखाना रहित क्षेत्रों में उत्पादित कुल गन्ने से उत्तम कोटि के गुड़ और खॉडसारी तैयार किए जाते हैं । उन्नत कोल्हू और कड़ाह के प्रति सेट की खरीद के लिए 5000 रू0 की आर्थिक सहायता प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 88.38 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 05.00 लाख रूपये)

7.5 **वर्मीकल्चर–जैविक खाद प्रयोगशाला की स्थापना** : हरेक कारखाना में वर्मीकल्चर–जैविकीय खाद प्रयोगशाला बनाने हेतु 5.00 लाख रूपये प्रति इकाई की आर्थिक सहायता का प्रस्ताव किया गया है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 337.94 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 15.00 लाख रूपये)

7.6 **बीज गुणन कार्यकमः** बीज–गुणन का कार्य सरकारी संगठनों, चीनी मिलो, गैर–सरकारी संगठनों एवं प्रगतिशील कृषकों के द्वारा किया जा रहा है । इसके लिए लागत के रूप में 30,000 रू0 प्रति हेक्टेयर की राशि प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 1,247.76 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 120.00 लाख रूपये)

7.7 **टिशू कल्चर प्रयोगशाला** : इसके माध्यम से गन्ने के उन्नत बीजों के शीघ्र गुणन में सहायता मिलेगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 436.72 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 30.00 लाख रूपये)

7.8 **सेमिनार, प्रदर्शनी, शैक्षणिक भ्रमण एवं प्रचार प्रसार** : गन्ने की खेती का संवर्द्धन और उसके क्षेत्र के विस्तार हेतु, राज्य, जिला और अंचल स्तर पर उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सेमिनारों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा । इनके अतिरिक्त कृषकों और पदाधिकारियों के लिए शैक्षिक दौरे का भी आयोजन किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 504.30 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 50.00 लाख रूपये)

7.9 **गन्ना शोध संस्थान, पूसा को सुदृढ़ करना** : गन्ना शोध संस्थान, पूसा बिहार में शोध कार्य करने वाला एक मात्र संस्थान है । इस समय इसकी आधारभूत संरचना अपयोप्त है । गन्ना विभाग इस संस्थान को सुदृढ़ करने के लिए बजटीय पोषण प्रदान करने जा रही है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 686.27 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 420.00 लाख रूपये)

7.10 **सुदूर संवेदी विधि और गन्ना शोध संस्थान, पूसा द्वारा क्षेत्र और उत्पादकता का सर्वेक्षण** : राज्य के अन्दर गन्ना के क्षेत्र एवं उत्पादकता का सही–सही चित्र प्राप्त करने के लिए गन्ना विभाग सुदूर संवेदी विधियों से हवाई सर्वेक्षण करवायेगा। इसके अतिरिक्त, सरकार ने गन्ना शोध संस्थान, पूसा के द्वारा उत्पादकता–सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 176.77 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 30.00 लाख रूपये)

7.11 **जैविक खाद–प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता** : जैविक खाद के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने एवं रासायनिक खाद के अत्यधिक प्रयोग को कम करने हेतु जैविक खाद–प्रदर्शन के लिए ग्यारहवीं योजना अवधि में अनुदान देने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 155.97 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 05.00 लाख रूपये)

7.12 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को सह–उत्पादित(को–जेनरेटेड) विद्युत की खरीद हेतु अनुदानः राज्य सरकार बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को उत्तर प्रदेश में लागू सह–उत्पादित विद्युत टैरिफ मूल्य एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (एनटीपीसी और अन्य से) द्वारा विद्युत क्रय दर के बीच अन्तर के रूप में 1 रु0 प्रति युनिट का अनुदान देगी। योजना अवधि के दौरान चालू चीनी मिलों, नई चीनी मिलों एवं गन्ना–आधारित एथनॉल अथवा आर एस विनिर्माण संयंत्रों से सह–उत्पादित विद्युत की खरीद के लिए 26.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 26.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रुपये)

7.13 **मोलाशेस पर लगने वाले वैट (बी ए टी) की प्रतिपूर्ति** : राज्य में चीनी और गन्ना उद्योग की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने शीरे पर लगने वाले वैट शुल्क की प्रतिपूर्ति करने का निश्चय किया है । पूरी योजना–अवधि में चालू चीनी मिलों के लिए शीरे पर लगने वाले वैट–शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु नई चीनी मिलों एवं गन्ना–आधारित एथनॉल और आर एस विनिर्माण संस्थान के लिए 26.00 लाख रुपये की आवश्यकता होगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 26.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये)

7.14 **चीनी पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति** : राज्य में चीनी और गन्ना उद्योग का प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने अपनी प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत पॉच वर्षों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति का निर्णय किया गया है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 26.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये)

7.15 **संचरण–लाइन लगाने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निधिः** राज्य सरकार ने अपनी प्रोत्साहन नीति 2006 के अंतर्गत चीनी मिलों के माध्यम से विद्युत के सह उत्पादन को आगे बढ़ाने का निश्चय किया है । चीनी मिलों से

बि0रा0वि0बो0 के ग्रिड तक संचरण लाइन लगाने की लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 26.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये)

7.16 **चीनी मिलों की स्थापना एवं विस्तार हेतु अनुदानः** राज्य सरकार ने अपनी प्रोत्साहन नीति 2006 के अंतर्गत निवेशकों को संयंत्र और मशीनरी की कुल लागत का 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में देने का निश्चय किया है जो अधिकतम 10 करोड़ रू0 तक होगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 26.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये)

7.17 **डिस्टीलरी एवं इथेनाल इकाई की स्थापना एवं विस्तार हेतु अनुदानः** राज्य में डिस्टीलरी एवं गन्ना आधारित एथनॉल इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने अपनी प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निवेशकों को संयंत्र और मशीनरी की कुल लागत का 10 प्रतिशत अनुदान के रूप में देने का निश्चय किया है जिसकी अधिकतम सीमा 26.00 लाख रू0 होगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 26.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये)

7.18 **सह–उत्पादित विद्युत इकाइयों की स्थापना हेतु अनुदानः** बिजली की कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने चीनी मिलों के माध्यम से बिजली के सह–उत्पादन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है और इसके प्रोत्साहन स्वरूप पूँजी निवेश (संयंत्र एवं मशीनरी) पर 10 प्रतिशत की अधिक सहायता या 0.35 लाख रू0 प्रति एच0 डब्लू0 जिसकी सीमा 10 करोड़ रू0 होगी, दोनों में जो भी कम हो, देने का निर्णय किया गया है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय : 25.00 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय : 5.00 लाख रूपये)

गन्ना विकास

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	132.00	68.50	105.95
2003–04	132.00	22.00	22.00
2004–05	132.00	149.00	108.75
2005–06	435.96	114.85	114.85
2006–07	480.00	913.50	731.99
योग	**1311.96**	**1267.85**	**1083.54**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 923.35 लाख रूपये

ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 5992.33 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- बिहार में गन्ना उद्योग की स्थापना, विकास और विस्तार के अनुरूप वातावरण का सृजन
- बिहार में 9 चीली मिल कार्यरत हैं तथा 19 परियोजनाओं के लिए नये चीनी कम्प्लेक्स की स्थापना का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन, 13 प्रस्ताव बिहार सरकार द्वारा अनुमोदित
- 25000 टी0सी0डी0 की पेराई क्षमता वाले सुगर कम्प्लेक्स की 10 बृह्द परियोजनाओं की वर्ष 2010 तक स्थापना की जायेगी ।
- सरकार द्वारा निजीकरण के माध्यम से चालू चीनी मिलों की पेराई क्षमता में विस्तार के लिए बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन दो डिस्टीलरी एवं 15 बंद पड़े चीनी मिलों के पुनरुद्धार के उपाय की तलाश ।

7.6 सहकारिता

कृषि कार्यक्रम की राष्ट्रीय नीति में कृषि कार्य एवं ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास हेतु सहकारिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि बिहार के विकास का रास्ता कृषि प्रक्षेत्र के बीच से ही गुजरता है। ग्रामीण कृषकों के स्तर में गुणात्मक सुधार लाने, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों द्वारा कृषि उत्पादन क्षमता तथा कृषि संसाधन में गति लाने हेतु विशेष बल दिया गया है । गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण प्रक्षेत्रों में कृषि हेतु साख व्यवस्था में वृद्धि और उनकी प्राथमिक संरचना को मजबूत करने का प्रस्ताव है ।

2 सहकारिता को प्रारम्भ से ही ग्रामीण जनता की समानता, सामाजिक न्याय एवं उदारवादी व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अंग माना गया है अर्थात् बिहार राज्य के ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास हेतु सहकारिता प्रारंभ से ही सतत् प्रयत्नशील रहा है। सहकारिता सिर्फ सहकारिता समाज से सम्बद्ध लोगों के उत्थान के लिए ही नहीं रह गया है बल्कि भारतीय अर्थनीति अन्तर्गत उदारवादी एवं ध्रुवीकरण के प्रकरण में ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए भी अपरिहार्य हो गया है । स्वयं सेवी समूह, कामगार संघ, कुटीर उधोग, महिला एवं कमजोर वर्ग आदि के उत्थान, मजबूती एवं सहायता की आवश्यकता है । राज्य सरकार द्वारा सहकारिता के माध्यम से इन संस्थाओं के संगठन एवं उन्नति हेतु स्वैच्छिक संस्थानों के साथ सक्रिय भागीदारी का प्रयत्न किया जायेगा। वैधानिक संरचना (ढांचा) के अनुसार इन संस्थानों की अर्थव्यवस्था में क्रमिक परिवर्त्तन की आवश्यकता है। वस्तुतः सहकारिता बिहार जैसे राज्य के लिए कृषि एवं उसके सहयोगी प्रक्षेत्र आर्थिक व्यवस्था का प्रधान आश्रय है। लघु एवं सीमान्त कृषक, बटाईदार, भूमिहीन श्रमिक एवं समाज के उपेक्षित ग्रामीणों की दशा सुधारने अर्थात् जनसमुदाय को शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से ही सहकारिता का उदय हुआ है, ताकि लोग अपने पैरों पर स्वयं खड़े होकर अपना रोजगार कर सकें, स्वावलम्बी बन सकें।

3 सहकारिता आन्दोलन का प्रमुख उद्देश्य सहकारिता के माध्यम से राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा अन्य कमजोर वर्गों के स्वरोजगार को प्रोत्साहित कर उनका आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान करना है । बिहार राज्य मुख्यतः कृषि प्रधान

राज्य है, जहॉ करीब 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है । सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको पर साख व्यवस्था निर्भर रही है । उत्पादित खाद्यानों की सुरक्षा पर अधिक बल दिया गया है, जो कि तब तक प्राप्त नहीं हो सकती जब तक किसानों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं की जाती । इस कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन में 5936 पैक्स तथा 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों का योगदान सराहनीय रहा है । शीर्ष सहकारी संस्थान बिहार राज्य सहकारिता बैंक कृषकों को खरीफ एवं रब्बी मौसम में उचित दर पर अल्पकालीन ऋण एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती है । कृषि उत्पादन हेतु कृषकों को खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि उपलब्ध कराना एवं उत्पादित वस्तुओं के पणन एवं परिष्करण की व्यवस्था बिहार राज्य क्रय विक्रय संघ (विस्कोमान) के प्रमुख कार्य रहे हैं।

4 दसवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा

दसवीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षित उद्व्यय 30408.69 करोड़ रू0 के विरूद्ध सहकारिता द्वारा 30380.13 करोड रू0 (99.90 प्रतिशत) व्यय किया गया है, जो कि एक मिसाल है ।

5. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य :–

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम को अपनाने का प्रस्ताव है

(क) जमा संग्रहण, ऋण वसूली, व्यवसाय कार्य, विविधीकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साख में वृद्धि द्वारा सबल बनाना।

(ख) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से विपणन, भण्डारण, परिष्करण, इकाईयों में सुधार करना एवं सबल बनाना।

(ग) सहकारिता आन्दोलन में अधिक से अधिक महिलाओं, कमजोर वर्ग, स्वयंसेवी समूहों की सहभागिता।

(ध) सहकारी संस्थानों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं सदस्यों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम पर विशेष बल दिया जाना।

6.(क) **कृषि साख स्थिरीकरण निधि**:–प्राकृतिक आपदाओं से कृषकों को राहत देने के लिए बिहार राज्य सहकारिता बैंक में एक ''कृषि साख स्थिरीकरण निधि'' की स्थापना की गयी है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण कृषकों के लिए अपने

अल्पकालीन ऋण चुकता करना संभव नहीं रहता है, ऐसी परिस्थिति में सहकारी बैंक उक्त निधि से कृषकों के अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर देते हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 500.00 लाख का प्रस्ताव है। 2007–08 हेतु राशि कर्णाकित नहीं की गई है ।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–500.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–0.00 लाख रू0)

(ख) **बिहार राज्य भंडार निगम तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायताः**–सहकारिता प्रक्षेत्र में भंडारण क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार राज्य भंडार निगम तथा अन्य सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है ।

(1) **बिहार राज्य भंडार निगम**

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–44.80 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–1.00 लाख रू0)

(2) **अन्य सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता**

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–995.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–4.00 लाख रू0)

(ग) **सहकारी प्रशिक्षण संस्थान के नवीकरण/पुनरूद्धार** :– सहकारी प्रक्षेत्र में एक मात्र सहकारी प्रशिक्षण संस्थान पूसा, में अवस्थित है, जो सहकारी नियंत्रण में कार्यरत है। इस संस्थान में विभागीय कर्मचारियों एवं सहकारी समिति से जुड़े अध्यक्ष/प्रबंधक एवं प्रबंधकारिणी के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह संस्थान 2.75 एकड़ में फैला हुआ है। वर्षों पूर्व बने भवन तथा छात्रावास की स्थिति जर्जर हो गई है। आधुनिक वर्ग कक्ष, पुस्तकालय तथा छात्रावास के नवीकरण की आवश्यकता है। अगर इसकी सुरक्षा नहीं की जाती है तो यह ध्वस्त हो जायेगा। इसके अतिरिक्त एक नये प्रशासनिक भवन एवं छात्रावास की आवश्यकता है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–300.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–50.00 लाख रू0)

(घ) **विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारी हेतु प्रशिक्षणः**– विभागीय पदाधिकारी/कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु बैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण एवं

प्रबंधन संस्थान, पुणे तथा दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पटना तथा अन्य राष्ट्रीय स्तर संस्थान में भेजा जाता है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–170.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–34.00 लाख रू0)

(प) **सहकारिता से जुड़े कार्यक्रम हेतु प्रचार–प्रसार** :–सहकारिता की आवश्यकताओं तथा उद्देश्यों को दृष्टि में रखकर सहकारिता से जुड़े कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को जनमानस तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रचार–प्रसार अति आवश्यक है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–60.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–10.00 लाख रू0)

(फ) **राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना**:– भारत सरकार द्वारा व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर एक नयी बीमा योजना लागू की गयी है, जिसका नाम राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। इस पर होने वाले व्यय में भारत सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी बराबर की होती है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए कुल उद्व्यय–44581.81 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–8620.00 लाख रू0)

(ब) **बिहार राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना अनुदान मद में राज्यांश की राशि**:– नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में गोपालगंज एवं मधुबनी जिलों में यह योजना लागू की गयी थी तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना मे गया, सीतामढ़ी,आरा, छपरा एव सीवान जिला में लागू की गयी है। इस प्रकार 39 जिलों में से 7 जिलों में पहले से ही लागू है; शेष जिलों में इसे लागू करने का प्रस्ताव है। यह योजना लागू है ।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए कुल उद्व्यय–8756.30 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय–60.00 लाख रू0)

सहकारिता

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	1997.00	450.00	450.00
2003–04	583.75	177.32	148.76
2004–05	832.32	10832.32	10832.32
2005–06	850.05	10170.05	10170.05
2006–07	4279.00	8779.00	8779.00
योग	**8542.12**	**30408.69**	**30380.13**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 8779.00 लाख रूपये

ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 55407.91 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- बेहतर लेखा संधारण द्वारा सहकारिता प्रक्षेत्र का सुदृढ़ीकरण।
- सहकारिता आंदोलन में महिलाओं, कमजोर वर्गो एवं स्वयंसेवी समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना ।
- ऋण वसूली, जमा संग्रहण एवं साख वृद्धि द्वारा सहकारिता को सबल बनाना।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की सहायता से विपणन, भंडारण, परिष्कृत इकाईयों में सुधार करना एवं सबल बनाना ।
- कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषकों की जीवनशैली में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने हेतु सरकारी और निजी साधनों से कृषि संसाधनों में वृद्धि करना ।
- 5936 पैक्स एवं 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों के सक्रियता को बढ़ाते हुये सहकारिता का विकास सुनिश्चित करना ।
- कृषि उत्पादों को बढ़ाना एवं उनका विपणन सहकारी संस्थानों द्वारा सुनिश्चित करना ।

कृषि

परिशिष्ट–7.1

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) हेतु उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	बिहार राज्य बीज निगम द्वारा बीज उत्पादन	2495.52	372.00
2	वागबानी महाविद्यालय की स्थापना हेतु राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सहायता	8734.33	1000.00
3	मिट्टी, बीज तथा खाद प्रयोगशाला का सुदृढ़ीकरण	9701.34	536.50
4	गैर एम एच एम जिलों में मुख्यमंत्री मिशन कार्यक्रम के साथ–साथ वागबानी मिशन कार्यक्रम	6836.69	975.00
5	सरकारी फामों में बीच उत्पादन	3639.30	875.17
6	टाल एवं दियारा क्षेत्रों का विकास	623.88	109.00
7	उर्वरक सब्सिडी	1169.78	225.00
8	प्रशिक्षण की आधारभूत संरचना के सबलीकरण, कार्यकर्त्ता किसान सलाहकार मेला सहित किसान मेला के आयोजन द्वारा कृषकों/प्रसार कार्यकर्त्ताओं	3521.83	500.00
9	मृदा संरक्षण कार्य	1039.80	300.00
10	कृषि विभागों के भवनों/प्रयोगशालाओं का अनुरक्षण और उनका जीर्णोद्धार	519.90	0.00
11	गन्ना शोध संस्थान	1039.80	0.00
12	स्टयरिंग ग्रूप	10.40	10.00
13	राज्य किसान आयोग	94.10	23.80
14	कृषि शोध एवं शिक्षा(आर0ए0यू0)पर सहायकी	8838.31	700.00
15	विपणन की आधारभूत संरचना का विकास	6238.81	0.00
	केन्द्र– प्रयोजित योजना		
	माइक्रो–मोड (10:90)		
1	समेकित सिरियल विकास कार्यक्रम	519.90	100.00
2	ऐकीकृत नाशीजीव प्रबंधन	103.98	20.00
3	जूट तकनीकी मिशन	103.98	15.00
4	कृषि यंत्रीकरण	3119.40	1100.00
5	उर्वरक का समेकित एवं संतुलित प्रयोग	129.98	25.00

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007—12) हेतु उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007—08) हेतु उद्व्यय
6	राष्ट्रीय जलछाजन विकास योजना	104.16	10.00
7	सस्टनेबल डेवेलपमेंट ऑफ सूगर वेस्ड कॉपिंग सिस्टम (एस0 यू0 बी0ए0सी0एस0)	597.89	0.00
8	रिवर वैली प्रोजेक्ट (आर वी पी)/फ्लड प्रोन रिवरस (एफ पी आर)	26.00	5.00
9	तेलहन, दलहन एवं मक्का की समेकित योजना (आइसोपोम)	1559.70	280.00
10	विस्तार सुधार (ए0टी0एम0ए0) सहित किसान सम्मान योजना के लिए राज्य की समर्थन	10398.01	1500.00
11	माइक्रो सिंचाई संस्थान	3639.30	149.53
	स्थापना		
1	कृषि विस्तार परियोजना	519.90	500.00
2	अनुमंडल कृषि पदाधिकारी का कार्यालय	10.40	10.00
3	पौधा संरक्षण	13.52	13.00
4	टाल का विकास	5.20	5.00
5	बीज जॉच प्रयोगशाला	5.20	5.00
6	बीज प्रमाणीकरण एजेंसी	311.80	95.00
7	वर्ष 2007—08 में आर0एस0वी0वाई0 की समर्पित राशि	0.00	2000.00
	कुल	**75672.11**	**11459.00**

परिशिष्ट–7.2

ग्यारहवीं योजना(2007–12) तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना हेतु उद्व्यय	वार्षिक योजना हेतु उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	निदेशन एवं प्रशासन	103.99	10.00
2	पशु–चिकित्सा सेवा एवं पशु स्वास्थ्य	2300.04	312.00
3	प्रशासनिक शोध एवं साख्यिकी	83.18	12.00
	केन्द्र प्रायोजित येाजनाएँ के लिए राज्यांश		
4	सी0 एस0 एस0 (80:20) कुक्कुट विकास	103.98	5.00
5	सी0 एस0 एस0 (75:25) पशुरोगों के नियंत्रण हेतु राज्य की सहायता	415.92	65.00
6	सी0 एस0 एस0 (50:50) पशुधन उत्पादों (दुध, अण्डा, मांस, एवं ऊन) के न्यादर्श–सर्वेक्षण	207.96	30.00
7	सी0 एस0 एस0 (50:50) पशु चिकित्सा परिषद	41.59	5.00
	कुल	**3256.66**	**439.00**

परिशिष्ट–7.3

गव्य विकास

ग्यारहवीं योजना(2007–12)तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	शिक्षण एवं प्रशिक्षण	129.98	25.00
2	दुग्ध उत्पादन प्रतियोगिता	51.99	10.00
3	निदेशन एवं प्रशासन	88.37	17.00
4	दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्रों के निर्माण तथा इलेक्ट्रॉनिक मिल्क टेस्टर की खरीद	**155.97**	30.00
5	मिनी डेयरी	259.95	50.00
6	आदर्श डेयरी ग्राम योजना	337.94	65.00
7	सहकारी समिति में चारा प्रदर्शन	51.99	10.00
8	नये डेयरी संयंत्र की स्थापना	25995.05	3000.00
	कुल	**27071.25**	**3207.00**

परिशिष्ट– 7.4

मत्स्य उद्योग और जल कृषि

ग्यारहवीं योजना(2007–12)तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क0	योजनाओं के नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1.	उन्नत नस्ल के मत्स्य बीजों (जीरा) का उत्पादन और आपूर्ति	275.35	23.50
2.	मन और चौर विकास योजना	795.00	195.00
3	मत्स्य अनुसंधान योजना	52.50	10.50
4.	मत्स्य उद्योग संगठनों का सुदृढ़ीकरण	135.50	33.50
5.	मत्स्य प्रसार योजना	255.00	60.00
6.	विशेष अंगीभूत योजना	50.00	–
7.	मत्स्य विपणन स्कीम	100.00	
8.	अन्तर्देशीय मात्स्यिकी एवं जल कृषि का विकास	196.00	15.00
9.	प्रशिक्षण एवं विस्तार योजना	10.00	5.00
10.	सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना	80.00	4.00
11.	मछुआरों के लिए आवास एवं अन्य नागरिक सुविधाय	406.40	43.50
12.	राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड की योजनाओं हेतु राज्यांश	15.00	10.00
	कुल	**2370.75**	**400.00**

.

परिशिष्ट –7.5

गन्ना विकास

ग्यारहवीं योजना(2007–12)तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	स्कीम	निधि –श्रोत		ग्यारहवीं योजना हेतु उद्व्यय	वार्षिक योजना हेतु उद्व्यय
		सी0 एस0	एस0 एस0		
1	**अवयव**				
1.1	क्षेत्र प्रदर्शन 5000 रू0 प्रति 0.5 हे0 की दर से	90%	10%	230.00	40.00
2.	कृषकों एवं पदाधिकारियों के प्रशिक्षण एवं शैक्षणिक भ्रमण				
2.1	शैक्षिक यात्रा @ 3.00 लाख रू0	90%	10%	180.00	45.00
2.2	कृषक प्रशिक्षण@ 5000 प्रति प्रशिक्षण	90%	10%	150.00	30.00
3.	**कृषि उपकरण**	90%	10%		
3.1	ट्रैक्टर से खीचे जानेवाले उपकरणों पर 25 प्रतिशत या 10000 रू0	90%	10%	470.00	90.00
3.2	बैल से खीचे जाने वाले या हस्त चालित उपकरणो पर 50 प्रतिशत 2000 रू0	90%	10%	240.00	40.00
3.3	प्रत्येक ट्रैक्टर/पावर टिलर को 3000 रू0 की दर से सहायता			180.00	45.00
3.4	स्वायल डिगर एवं गन्ना रोपण यंत्र पर प्रत्येक को 20000 रू0 की दर से आर्थिक सहायता			150.00	30.00
4	**बीज उत्पादन कार्यक्रम**				
4.1	प्रजनक बीज नर्सरी की स्थापना के लिए 30000 रू0 प्रति हे0 की दर से आर्थिक सहायता, मात्र संस्थान के लिए	90%	10%	150.00	30.00
4.2	आधार बीज नर्सरी लगाने हेतु प्रति हे0 25000 रू0 की दर के आर्थिक सहायता	90%	10%	1250.00	250.00
4.3	बीज गुणक हेतु 3000 रू0 प्रति हे0 की दर से आर्थिक सहायता	90%	10%	750.00	150.00
5	ट्रॉली सहित एम0 एच0 एटी संयंत्र	90%	10%	102.00	30.00

क्र0	स्कीम	निधि –श्रोत		ग्यारहवीं योजना हेतु उद्व्यय	वार्षिक योजना हेतु उद्व्यय
		सी0 एस0	एस0 एस0		
	की स्थापना 3 लाख रू0 प्रति संयंत्र की दर से आर्थिक सहायता				
6	जैविक खाद एवं वर्मी कम्पोस्टिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रत्येक को 10 लाख रू0	90%	10%	100.00	20.00
7	टिशू कल्चर प्रयोगशालाओं की स्थापना पर प्रत्येक की 10 लाख रू0 की दर से	90%	10%	170.00	40.00
8	जैव नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना पर प्रत्येक को 5 लाख रू0 की दर से	90%	10%	105.00	20.00
9	प्रावैद्यिकी हस्तानांतरण	90%	10%	40.00	8.00
10	सांस्थिक फामों पर ड्रिप सिंचाई का प्रदर्शन तथा कृषकों का 50000 रू0 की लागत के 70 प्रतिशत की आर्थिक सहायता	90%	10%	125.00	25.00
11	आकस्मिक व्यय	90%	10%	47.50	9.50
	कुल			**4329.50**	**882.50**
	केन्द्रांश			**3896.55**	**3794.25**
	राज्यांश			**432.95**	**88.25**

गन्ना विकास : राज्य योजना

ग्यारहवीं योजना(2007–12)तथा वार्षिक योजना(2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रुपये में)

घटक	ग्यारहवीं योजना हेतु 2007–12 उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय
उन्नत गन्ना बीज क्रय हेतु 25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अनुदान	675.86	50.00
बीज परिवहन हेतु औसतन 25 रुपये प्रति क्विंटल की अनुदान	675.86	50.00
पौधा संरक्षण तथा रसायनों की खरीद हेतु 500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक सहायता	374.32	25.00
विकसित कराहों एवं कोल्हू की खरीद हेतु 5000 रुपये प्रति इकाई की दर से आर्थिक सहायता	88.38	5.00
जैविक खाद प्रयोगशालाओं की स्थापना (सिर्फ संस्थानों को) हेतु 5 लाख प्रति इकाई की दर से आर्थिक सहायता	337.94	15.00
बीज गुणन कार्यक्रम 30000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से	1247.76	120.00
टिशू कल्चर प्रयोगशाला 10.00 लाख रुपये की दर से	436.73	30.00
सेमिनार, प्रदर्शनी, शैक्षणिक भ्रमण, प्रचार–प्रसार	504.30	50.00
गन्ना शोध संस्थान, पूसा एव ंके बी के एस का सुदृढ़ीकरण	686.27	420.00
सर्वे अध्ययन कार्य	176.77	30.00
खेतों में जैविक खाद के प्रयोग हेतु 1,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता	155.97	5.00
बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सह–उत्पादित विद्युत की खरीद हेतु 1 रुपये प्रति यूनिट की दर से आर्थिक अनुदान	26.00	5.00
मेलाशेस पर वैट की प्रतिपूर्त्ति	26.00	5.00
चीनी पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्त्ति	26.00	5.00
ग्रिड से चीनी मिलों तक संचरण लाइन लगाने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को निधि	26.00	5.00
चीनी मिलों की स्थापना एवं विस्तार पर अनुदान	26.00	5.00
डिस्टीलरी/इथेनाल इकाई की स्थापना पर अनुदान	26.00	5.00

घटक	ग्यारहवीं योजना हेतु 2007–12 उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय
सह विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना पर अनुदान	26.00	5.00
कुल राज्य योजना	5542.15	835.00
राज्यांश (10 प्रतिशत)	450.18	88.25
कुल योग	**5992.33**	**923.25**

परिशिष्ट–7.6

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना 2007–08

सार एक झलक में (लाख रू0 में)

क्रं0	योजना का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12	वार्षिक योजना 2007–08
1	**2**	**3**	**4**
	सहकारिता		
I	**राज्य योजना**		
1	कृषि साख स्थिरीकरण निधि	500.00	--
2	वित्तीय सहायता :– (1) बिहार राज्य भंडार निगम (2) अन्य सहकारी संस्थान	44.80 995.00	1.00 4.00
3	सहकारी प्रशिक्षण संस्थान को नवीकरण / मरम्मती	300.00	50.00
4	विभागीय पदाधिकारी / कर्मचारी के लिए प्रशिक्षण	170.00	34.00
5	सहकारिता से जुड़े कार्यक्रम हेतु प्रचार–प्रसार	60.00	10.00
II	**केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनान्तर्गत राज्यांश :–**		
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	44581.81	8620.00
III			
1	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत राज्यांश	8756.30	60.00
	कुल योग (I+II+III)	**55407.91**	**8779.00**

अध्याय – 8

जल संसाधन विकास

8.1 सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण एवं कमाण्ड क्षेत्र विकास

1. राष्ट्रीय विकास परिषद ने देश के कृषि वार्षिक विकास दर पर गंभीर चिन्ता जताई है । आज भी भारत की आत्मा गॉवों में बसती है तथा लगभग तीन–चौथाई आबादी का अर्थिक जीवन कृषि पर आधारित है । इसलिये राष्ट्रीय विकास परिषद ने भारत सरकार और प्रादेशिक सरकारों से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में कृषि वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 4% निर्धारित किया है। 4% वार्षिक कृषि विकास दर का महत्वाकांक्षी लक्ष्य प्राप्त करने हेतु सिंचाई क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने सभी चालू वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में पूर्ण करने पर विशेष बल दिया है । विशेषकर वैसी सिंचाई योजनाएं, जो त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए0आई0बी0पी) से संचालित है, को प्राथमिकता के आधार पर ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में पूर्ण करने को कहा गया है।

2. इस परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार ने ए0आई0बी0पी0, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऍं यथा– सोन आधुनिकीकरण, दुर्गावती जलाशय योजना, पश्चिमी कोशी नहर परियोजना को वर्ष 2008–09 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है । पुनपुन बराज योजना तथा बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना, जो तत्काल राज्य योजना से संचालित है, को ए0आई0बी0पी0 में सम्मिलित करने हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया है । इन दो योजनाओं को भी वर्ष 2008–09 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है, बशर्ते वे ए0आई0बी0पी0 में सम्मिलित हो जायें। राष्ट्रीय विकास परिषद ने अपने संकल्प में व्यक्त किया है कि ए0आई0बी0पी0 का दायरा बढ़े ताकि आधुनिकीकरण योजना तथा प्रादेशिक भौगोलिक सीमान्तर्गत नदी बेसिनों की जोड़ने की योजनाऍं भी सम्मिलित की जा सके ।

3. बिहार जैसे सीमित संसाधन वाले प्रदेश के लिए ए0आई0बी0पी0 का उदार तथा वृहद् चेहरा वरदान साबित होगा । राष्ट्रीय विकास परिषद की इस

उत्साहवर्द्धक पहल के मद्देनजर बिहार सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत चंदन एवं बदुआ जलाशय आधुनिकीकरण योजना को सम्मिलित किया है । बिहार की नदी बेसिनों के जोड़ने की विभिन्न योजनाओं को भी ए0आई0बी0पी0 में रखने का प्रस्ताव है ।

4. ए0आई0बी0पी0 के अतिरिक्त राज्य योजना नाबार्ड एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर0एस0वी0वाई0) द्वारा प्रायोजित चालू योजनाओं को भी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

5. बिहार सरकार ने वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना से अधिकतम सृजित की जा सकनेवाली सिंचाई क्षमता 53.53 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अन्त तक 28.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजित की है ।

6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार सरकार ने वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के तहत चालू योजनाओं से 2.94 लाख हेक्टेयर, नयी योजनाओं से 8.80 लाख हेक्टेयर तथा नदी बेसिनों के जोड़ने की योजना से 3.87 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा है । इस प्रकार वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं से समेकित 15.6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है ।

7. दुर्भाग्यवश सृजित सिंचाई क्षमता एवं उपयोगी सिंचाई क्षमता के बीच खाई बढ़ती जा रही है । दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के अन्त तक कुल सृजित सिंचाई क्षमता 28.33 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध उपयोगी सिंचाई क्षमता मात्र 16.64 लाख हेक्टेयर है, जो सृजित सिंचाई क्षमता का 59% है । यह प्रतिशत राष्ट्रीय औसत प्रतिशत 80% से बहुत कम है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल में इस खाई को दूर करने का प्रस्ताव है। पुरानी सिंचाई योजनाओं जिसकी सिंचन क्षमता में काफी ह्रास हो चुका है, को आर0एस0वी0वाई0 के तहत पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है । पुनर्स्थापन की योजनाओं द्वारा 7.17 लाख हेक्टेयर ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनर्स्थापित करने का कार्यक्रम है ।

8. पुनर्स्थापन के अतिरिक्त उपयोगी सिंचन क्षमता में बृद्धि करने हेतु कमांड में नहर आऊटलेट से प्रक्षेत्र नाली का निर्माण युद्ध स्तर पर करने का कार्यक्रम है,

ताकि नहर से खेतों के बीच जल प्रवाह सुचारू रूप से हो सके । जल प्रबंधन द्वारा सिंचन क्षमता का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नहर वितरणियों का हस्तान्तरण निबंधित कृषक समिति को किया जा रहा है । दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) तक 46 वितरणियों का हस्तान्तरण किया जा चुका है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना काल (2007–12) में शेष बची सभी वितरणियों को हस्तान्तरित करने का लक्ष्य है ।

9. जल त्रासदी के दृष्टिकोण से बिहार एक अभिशप्त राज्य है जहॉं जल त्रासदी के चारों प्रमुख अंग यथा अकाल (सुखाड़), बाढ़, जल–जमाव तथा कटाव घटित होते हैं। सुखाड़ से बिहार को निजात दिलाने हेतु वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाएं निर्मित की गई है और निर्माणाधीन हैं। परन्तु बाढ़ से त्राण दिलाने हेतु बिहार ने दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन दोनो तरह की नीतियॉं अपनायी है। दीर्घकालीन नीति के तहत नेपाल देश के अन्तर्गत हाई डैम के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के कारण विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से पहल हेतु अपेक्षा की गयी है। तत्काल बिहार को बाढ़ से निजात दिलाने हेतु अल्पकालीन नीति के अधीन दसवीं पंचवर्षीय योजना काल (2002–07) के अन्त तक 3,430.00 कि0मी0 लम्बाई में बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंध का निर्माण कर कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 29.44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाढ़ से जान–माल की सुरक्षा प्रदान की गयी है। नदी कटाव भी बिहार की एक जलीय त्रासदी है इससे निजात दिलाने हेतु प्रतिवर्ष विभिन्न नदियों के विभिन्न आक्राम्य स्थलों का चयन कर कटाव निरोधक कार्य कराये जाते हैं, ताकि नदी किनारे अवस्थित तटबंधों, गॉंवों, शहरों को कटाव से सुरक्षा प्रदान किया जा सके। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में तटबंध निर्माण, कटाव निरोधक कार्य तथा हर मौसम के लिए उपयुक्त तटबंध सड़क के निर्माण का कार्यक्रम है । हर मौसमी तटबंध सड़क ग्रामीण यातायात के लिए वरदान साबित होगा। विशेषकर बाढ़ अवधि में किसानों एवं ग्रामीणों के आवागमन हेतु एकमात्र साधन होगा अन्यथा नावों के सहारे ही जीवन जीने को विवश होना पड़ता है ।

10. बाढ़ प्रक्षेत्र में भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु बिहार सरकार ने 58 अदद कटाव निरोधक कार्य, तटबंध एवं तटबंध सड़क की योजनाऍं

केन्द्र प्रायोजित / केन्द्रीय योजना के अधीन, जिसकी प्राक्कलित राशि 5199.29 करोड़ है, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार को समर्पित की। परन्तु गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु रु0 2882.00 करोड़ रुपये की योजनाओं की अनुशंसा की है, जो निम्नरूपेण सारणीबद्ध है :–

क्रमांक	कार्य का नाम	प्रकार	संभावित लागत राशि (करोड़ रुपये में)
01	बागमती बेसिन में कार्य	आर0 / एस0 / ई0	845.00
02	बधवारा बेसिन में कार्य	नया	200.00
03	कमला बेसिन में कार्य	आर0 / एस0 / ई0	50.00
04	महानन्दा बेसिन में कार्य	आर0 / एस0 / ई0	855.00
05	बूढ़ीगंडक बेसिन में कार्य	आर0 / एस0 / ई0	224.00
06	कोशी एवं गंडक नदी के किनारे अवस्थित तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण	आर0 / एस0 / ई0	509.00
07	गंगा नदी के किनारे अवस्थित तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण	आर0 / एस0 / ई0	29.00
08	गंगा नदी के किनारे भागलपुर एवं बॉका जिले में तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण	आर0 / एस0 / ई0	11.00
09	चन्दन नदी के किनारे भागलपुर एवं बॉका जिले में तटबंध का उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण	आर0 / एस0 / ई0	155.00
10	घाघरा नदी के किनारे तटबंधों का उच्चीकरण एवं सुदृढीकरण एवं विस्तार	आर0 / एस0 / ई0	4.00
	कुल योग		**2882.00**

11. बिहार को जल–जमाव से मुक्त करने हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यह नीति निर्धारित की गयी है कि वैसे चौरों से जल निकासी की जाय, जो काफी गहरी नहीं हो और जो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद हो । दसवीं पंचवर्षीय योजना काल (2002–07) के अन्त तक कुल जल क्षेत्र 9.41 लाख हेक्टेयर के विरूद्ध 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मुक्त किया जा चुका है । 2.50 लाख हेक्टेयर जल प्लावित

क्षेत्र चिन्हित किए गये हैं, जहाँ जल की गहराई अधिक है और आर्थिक दृष्टिकोण से फायदेमन्द नहीं है । ऐसे क्षेत्र में मत्स्यपालन, मखाना–सिंघाड़ा की खेती को प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है । विभिन्न जल निकासी योजनाओं द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में 1.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल–जमाव से मुक्त करने का कार्यक्रम है ।

सुधारात्मक रणनीति

12. सभी निर्मित वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं को 250% सिंचन क्षमता के आधार पर आधुनिकीकृत किया जाय क्योंकि सभी निर्मित सिंचाई योजनाएं 120%–180% सिंचन क्षमता पर रूपांकित एवं निर्मित है । इस तरह की अधुनिकीकरण योजना से अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन में आशातीत सफलता मिल सकती है ।

13. निर्मित सिंचाई योजनाओं की सिंचन क्षमता का मूल्यांकन प्रत्येक पॉच वर्ष पर राष्ट्रीय स्तर के अभियंत्रण संगठन/ विशेषज्ञ से कराया जाय ताकि पुर्नस्थापन कार्य की पूर्ण मरम्मति प्राथमिकता के आधार पर की जा सके। किसी भी सिंचाई योजना के हित में टुकड़ों में पुनर्स्थापन कार्य को निरुत्साहित किया जाना चाहिए।

14. सोन सिंचाई प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने हेतु इन्द्रपुरी जलाशय योजना के विवाद का त्वरित हल उत्तर प्रदेश के साथ संपर्क कर किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा बाणसागर समझौता परिषद की बैठक आहूत कर इसके विवादास्पद मुद्दे का समाधान शीघ्र निकाला जाना चाहिए ताकि यह योजना 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण हो सके ।

15. शोध एवं प्रशिक्षण सतत् विकास की एक अहम् कड़ी है । कार्यरत एवं नवनियुक्त अभियन्ता/ कर्मी को अद्यतन तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराने हेतु निरन्तर प्रशिक्षण का कार्यक्रम होना चाहिए । इस प्रयोजन हेतु जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) को सुदृढ़ कर इसके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करने की आवश्यकता है ।

16. विस्तृत प्राक्कलन प्रतिवेदन (डी0पी0आर0) तैयार करने के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण अनुभाग बनाने की आवश्यकता है। सम्प्रति निर्माण/अनुरक्षण प्रमण्डल डी0पी0आर0 का कार्य भी कर रहा है। अतएव, डी0पी0आर0 समय पर तैयार नहीं

हो सकता है। अतः इस समस्या को दूर करने हेतु अग्रिम योजना अनुभाग को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता है।

17. नदी एवं नहरों की तलहटी में गाद जमा हो जाने से नदियों एवं नहरों के जल संचयन की क्षमता निरंतर घटती जा रही है । जल प्रबंधन की दिशा में नदियों एवं नहरों से गाद निकालना एवं निकले हुए गाद की विशाल मात्रा का निस्तार एक चुनौती बनकर खड़ा है । इस चुनौती का सामना करने के लिए नदियों को गहरा करने तथा चौड़ाई को विस्तारित करने की योजना है ।

18. नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना को अधिक महत्व दिया जाना है । इन योजनाओं को केन्द्रीय अनुदान प्राप्त करने हेतु ए0आई0बी0पी0 में सम्मिलित कराने का प्रस्ताव है ।

19. ए0आईबी0पी0 के अन्तर्गत निधि उपलब्ध कराने की पद्धति को बदलने की आवश्यकता है 25ः केन्द्रांश तथा 75ः राज्यांश को परिवर्तित करते हुए क्रमशः 75ः केन्द्रांश तथा 25ः राज्यांश करना चाहिए ताकि राज्य कोष पर कम से कम दबाव पड़े ।

20. दीर्घकालीन रणनीति के तहत बाढ़ समस्या के निदान हेतु नेपाल सरकार से अन्तर्राष्ट्रीय समझौता करवाने की आवश्यकता है ताकि नेपाल क्षेत्र के हिमालय तराई में बहुद्देशीय हाई डैम परियोजना का निर्माण किया जा सके । इससे उत्तरी बिहार के आवर्त्ती बाढ़ समस्या का स्थायी निदान होने की संभावना है ।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव

21. प्रदेश बंटवारा के पश्चात् खनिज संपन्न झारखंड के अलग हो जाने से बिहार पूर्णरूपेण कृषि प्रधान प्रदेश बन गया है । बिहार के सर्वांगीण विकास हेतु कृषि प्रगति में प्राथमिकता के आधार पर अत्यधिक ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है । कृषि विकास की रीढ़ सिंचाई है । इसलिए सिंचाई प्रक्षेत्र के योजना सूत्रण की पारम्परिक नीति से हटते हुए एक क्रान्तिकारी पहल की आवश्यकता है । एक नदी बेसिन के सिंचाई बाढ़ नियंत्रण, जल निकासी के अलग–अलग योजना सूत्रण की लीक से हटकर समेकित नदी बेसिन विकास योजना के प्रारूप सूत्रण का सूत्रपात ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में किया जा रहा है ।

- ♦ किसी खास बेसिन में उपलब्ध जल को कमी वाले बेसिन को हस्तान्तरित करना।
- ♦ किसी नदी पर डैम, वीयर वा बराज न बनाकर कुशल जल प्रबंधन हेतु पूरे बेसिन के विकास हेतु दृष्टिकोण अपनाना जैसे सिंचाई, बाढ़ प्रबंधन, तटबंधों का निर्माण एवं उस पर सड़क निर्माण का कार्य कर पूरे बेसिन की योजना का विकास करना ।
- ♦ अन्तर्राज्यीय सिंचाई योजना के विवादास्पद मुद्दों के शीघ्र निष्पादन हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में पहल की गई है ।

22. जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने बेसिनों को जोड़ने की कुछ योजनाओं को चिन्हित किया है । ऐसा महसूस किया गया है कि यदि उत्तर बिहार के बेसिन को समुचित रूप से विकसित किया जाय तो उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या के साथ–साथ दक्षिण बिहार के सुखाड़ की समस्या से भी निजात मिल सकेगा । इस प्रकार जल संसाधन के अवयवों का समेकित रूप से विकास जैसे नदियों को नहरों से जोड़ना, आदि होने पर जलाशय इत्यादि विकसित होंगे ।

22.(i) बिहार राज्य के अन्दर निम्नलिखित नदी बेसिन है

दक्षिण बिहार

- कर्मनाशा
- सोन–काऊ–गांगी
- पुनपुन
- हरोहर
- किऊल
- बदुआ–बेलहरना
- विलासी–चंदन–चीर

उत्तर बिहार

- कोशी
- घाघरा–गंडक–बूढ़ीगंडक
- महानन्दा
- कमला बेसिन
- बागमती–अधवारा समूह

22.(ii) बेसिनों के विकास की दिशा में गंगा नदी बिहार राज्य को दो भागों में बॉटती है। गंगा के उत्तर भाग को उत्तर बिहार एवं दक्षिण भाग को दक्षिण बिहार के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के उत्तरी भाग से नेपाल की सीमा तक उत्तर बिहार क्षेत्र है और इसके अन्तर्गत कोशी, गंडक, बागमती एवं महानन्दा नदी है, जो नेपाल भाग से निकलकर उत्तर बिहार की ओर से बहते हुए गंगा नदी में मिलती है। इस प्रकार उत्तर बिहार की नदियों के लिए गंगा नदी मुख्य धारा के रूप में कार्य करती है। मानसून के समय जब गंगा नदी में जलस्तर की बृद्धि होती है और उत्तर बिहार की नदियों के जल को ग्रहण करना बन्द कर देती है तब उत्तर बिहार बाढ़ की समस्याओं से ग्रसित हो जाता है । इस प्रकार उत्तर बिहार के किसानों को इस दुष्परिणाम का शिकार होना पड़ता है और वहॉ के किसानों को दो या तीन फसलों के लाभ से वंचित होना पड़ता है ।

22.(iii) बेसिनवार नदियों को जोड़ने की योजना की अनुमानित राशि

क्र0 सं0	नदी बेसिन का नाम	(सी0सी0 ए0) कृषि योग्य भूमि क्षेत्र (000हे0)	सिंचाई के अन्तर्गत कृषि योग्य भूमि (000हे0)	चालू योजना अन्तर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन (000हे0)	नई योजना अन्तर्गत सिंचाई क्षमता का सृजन (000हे0)	कुल (4+5+6 000हे0)	अन्तर–बेसिनों के हस्तान्तरण द्वारा बची हुई सिंचाई क्षमता का सृजन (000हे0) (3–7)	बची हुई सृजित क्षमता के लिये अनुमानित राशि रू0 करोड़ में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	दक्षिण बिहार							
1	कर्मनाशा	326.71	210.68	49.05	0.00	259.73	66.98	669.8
2	सोन–काऊ–गंगी	493.12	411.57	0.00	12.04	423.61	69.51	695.1
3	पुनपुन	549.11	245.95	99.97	44.29	390.21	158.90	1589
4	हरोहर	590.67	199.44	0.00	205.74	405.18	185.49	1854.9
5	किऊल	120.96	72.22	19.20	0.00	91.42	29.54	295.4
6	बदुआ–बेलहरना	132.50	66.25	12.80	9.50	88.55	43.95	439.5
7	विलासी–चन्दन–चीर	158.51	102.24	21.61	5.60	129.45	29.06	290.6

	कुल (दक्षिण बिहार)	**2371.58**	**1308.35**	**202.63**	**277.17**	**1788.15**	**583.43**	**5834.30**
	उत्तर बिहार							
8	कोशी	838.10	439.90	24.16	0.00	464.06	374.04	3740.4
9	घाघरा–गंडक–बूढ़ीगंडक	1611.84	1009.78	0.00	111.70	1121.48	490.36	4903.6
10	महानन्दा	445.14	0.00	0.00	256.45	256.45	188.69	1886.9
11	कमला–बलान	322.32	36.49	179.14	0.00	215.63	106.69	1066.9
12	बागमती–अधवारा समूह	482.37	0.00	118.30	87.10	205.40	276.97	2769.7
	कुल (उत्तर बिहार)	**3699.77**	**1486.17**	**321.60**	**455.25**	**2263.02**	**1436.75**	**14367.50**
13	गंगा भाग	370.45	60.85	0-00	22.52	83.37	287.08	2870.80
	महा योग	**6441.80**	**2855.37**	**524.23**	**754.94**	**4134.54**	**2307.26**	**23072.60**

बेसिन के समेकित विकास परियोजना हेतु कुल लागत

22.(iv) 1,00,000.00रुपये / हे0 की दर से सृजित सिंचन क्षमता की लागत राशि की गणना की गयी है। बेसिन के समेकित रूप से विकास हेतु आंकी गई कुल लागत राशि का व्यौरा :–

(कृषि क्षमता हजार हेक्टेयर में तथा राशि करोड़ रुपये में)

क0 सं0	नदी बेसिन का नाम	चालू एवं नई मुख्य एवं मध्यम् सिंचाई प्रक्षेत्र	बाढ़ तटबंध तटबंध सड़क, जल निस्सरण एवं जमीन्दारी बॉध	नदी बेसिन को जोड़ने का प्रक्षेत्र	बेसिन के लिये कुल प्रस्तावित उद्व्यय	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
	दक्षिण बिहार					
1	कर्मनाशा	72.55	4.93	669.80	747.28	
2	सोन–काऊ–गंगी	1966.69	38.24	695.10	2700.03	

3	पुनपुन	631.86	38.79	1589.00	2259.65	
4	हरोहर	154.13	43.99	1854.90	2053.02	
5	किऊल	65.84	33.35	295.40	394.59	
6	बदुआ–बेलहरना	190.64	0.00	439.50	630.14	
7	विलासी–चन्दन–चीर	12.32	26.65	290.60	329.57	
	कुल (दक्षिण बिहार)	3094.03	185.95	5834.30	9114.28	
	उत्तर बिहार					
8	कोशी	628.25	228.37	3740.40	4597.02	
9	घाघरा–गंडक–बूढ़ी गंडक	1972.40	321.77	4903.60	7197.77	
10	महानन्दा	253.89	63.98	1886.90	2204.77	
11	कमला–बलान	32.80	35.32	1066.90	1135.02	
12	बागमती–अधवारा समूह	995.00	116.68	2769.70	3881.38	
	कुल (उत्तर बिहार)	3882.34	766.12	14367.50	19015.96	
13	गंगा भाग	143.72	73.93	2870.80	3088.45	
	महा योग	**7120.09**	**1026.00**	**23072.60**	**31218.69**	

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना 2007–08 के लिए प्रक्षेत्रवार व्यौरा

23. जल संसाधन विभाग में निम्नांकित चार प्रमुख प्रक्षेत्र हैं

1. सिंचाई प्रक्षेत्र (वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना तथा अन्तर नदी बेसिन योजना) ।
2. बाढ़ नियंत्रण प्रक्षेत्र (तटबंध , कटाव निरोधक तथा हर मौसम के लिए तटबंध पर सड़क निर्माण योजना) ।
3. जल निस्सरण प्रक्षेत्र ।

4. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (प्रक्षेत्र नाली, प्रक्षेत्र निकास नाली आदि कार्य) ।

23.(i) प्रक्षेत्र–वार दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) की उपलब्धि तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08) की आवश्यक राशि निम्न तालिका में अंकित है

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र0	प्रक्षेत्र	दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्व्यय			प्रस्तावित उद्व्यय	
		स्वीकृत उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय	वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)	वार्षिक योजना (2007–08)
1	2	3	4	5	6	7
1	सिंचाई प्रक्षेत्र (कार्य + स्थापना)	3528.57	1724.54	1590.30	3359.22	810.05
2	बाढ़ नियंत्रण (कार्य + स्थापना)	1306.47	734.95	316.84	1090.07	234.82
3	जल निस्सरण (कार्य)	350.00	12.77	8.55	429.29	35.99
4	कमांड क्षेत्र विकास (कार्य + स्थापना)	150.06	118.14	105.47	597.29	55.00
5	ई0 ए0 पी0				0.80	0.80
	कुल योग :	**5335.10**	**2378.32**	**2166.20**	**5471.58**	**1136.66**

23.(ii) प्रक्षेत्र–वार 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) की भौतिक उपलब्धि तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08) के भौतिक लक्ष्य निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं

क्र0	प्रक्षेत्र	भातिक इकाई	10वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक भौतिक उपलब्धि	भौतिक लक्ष्य	
				11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)	वार्षिक योजना (2007–08)
1	2	3	4	5	6
1	सिंचाई प्रक्षेत्र				
	अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन				

क	चालू एवं नई योजना द्वारा	ह0हे0	350.57	1173.91	200.00
ख	अन्तर नदी बेसिन योजना द्वारा	ह0हे0	0.00	386.66	25.00
	योग : (सृजित सिंचाई क्षमता)	ह0हे0	350.57	1560.57	225.00
ग	ई0आर0एम0 योजना द्वारा ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन	ह0हे0	144.50	716.50	150.00
2	**बाढ़ नियंत्रण**				
क	कटाव निरोधक कार्य	अदद	1464	2000.00	200.00
ख	तटबंध योजना	कि0मी0	0.00	200.00	50.00
ग	तटबंध सड़क योजना	कि0मी0	21.00	500.00	100.00
3	जल निस्स्रण योजना	ह0हे0	14.42	109.33	25.00
4	**कमांड कार्यकम**				
क	प्रक्षेत्र नाली	ह0हे0	37.00	200.00	40.00
ख	प्रक्षेत्र निकास नाली	ह0हे0	24.00	95.00	19.00

23.(iii) प्रक्षेत्रवार विस्तृत विवरण

क. वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजना

क(1) जल संसाधन विभाग द्वारा अब तक वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना के द्वारा कुल सृजित क्षमता 53.53 लाख हे0 का मात्र 52.5 प्रतिशत यानि 28.33 लाख हे0 क्षेत्र में ही सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है एवं 28.33 लाख हे0 सृजित सिंचाई क्षमता का मात्र 59 प्रतिशत यानि 16.64 लाख हे0 क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है । सृजित क्षमता को निम्न प्रकार से सारणीवद्ध किया गया है

(क्षेत्र लाख हेक्टेयर में)

बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्र	बिहार राज्य का कृषि योग्य भूमि का क्षेत्र	बिहार राज्य का कुल फसल आच्छादित क्षेत्र	वृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना द्वारा सृजित सिंचाई क्षमता		
			अधिकतम सृजित हो सकनेवाली सिंचन क्षमता	दि0 31.03.07 तक सृजित कुल सिंचाई क्षमता	सृजित सिंचाई क्षमता का उपयोग
94.16	59.96	79.92	53.53	28.33	16.64

क(2) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) की उपलब्धि तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र0	निधि का श्रोत	दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्व्यय			प्रस्तावित उद्व्यय	
		स्वीकृत उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय	वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)	वार्षिक योजना (2007–08)
1	2	3	4	5	6	7
1	स्थापना	468.00	468.00	466.80	414.29	82.14
2	राज्य योजना (चालू, नई तथा अन्तर नदी बेसिन योजना)	1502.94	127.23	121.09	1212.51	281.93
3	राष्ट्रीय सम विकास योजना	0.00	50.00	2.11	600.00	100.00
4	ए0आई0बी0पी0 (चालू, नई तथा अन्तर नदी बेसिन योजना)	1257.63	938.03	920.44	450.60	295.98
5	नाबार्ड(चालू एवं नई योजना)	300.00	141.28	79.86	681.82	50.00
	योग :(सिंचाई प्रक्षेत्र) (कार्य)	3060.57	1256.54	1123.50	2944.93	727.91
	योग :(सिंचाई प्रक्षेत्र) (कार्य + स्थापना)	3528.57	1724.54	1590.30	3359.22	810.05

क(3) चालू योजना, नई योजना एवं ई0आर0 एम0 योजना के द्वारा अतिरिक्त सिंचाई क्षमता एवं ह्रासित सिंचाई क्षमता के पुनर्स्थापन का कार्यक्रम

क(3)(i) चालू सिंचाई योजनाएँ

दसवीं पंचवर्षीय योजना में चल रहे कुल 12 अदद योजना का कार्य, जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करना है, की सूची निम्नवत् है । इन योजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा ।

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना पूरा होने का वर्ष	11वीं योजना में निधि की आवश्यकता (लाख रु0 में)	योजना समापन के पश्चात् सृजित क्षमता (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
	उत्तर कोयल जलाशय योजना	2008-09	49070.59	46.30
	जमानियॉ पम्प नहर योजना	2007-08	2450.00	16.77
	पुनपुन बराज योजना	2008-09	18000.84	13.92
	पश्चिमी कोशी नहर योजना	2008-09	6438.00	87.32
	बरनार जलाशय योजना	2008-09	13617.00	25.40
	बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना	2008-09	12393.00	25.65
	दुर्गावती जलाशय योजना	2007-08	169.00	17.45
	तिलैया डायभरसन योजना	2008-09	20766.00	31.70
	उदेरास्थान बराज योजना	2009-10	12500.00	20.00
	मंडई वीयर योजना	2008-09	4225.98	3.35
	बटाने जलाशय योजना	2008-09	268.00	2.49
	मुनहरा वीयर योजना	2007-08	1.00	3.42
		योग(चालू योजनाएं)	**139899.41**	**293.77**

क(3)(ii) नई सिंचाई योजना

बागमती बहुद्देशीय योजना एवं इन्द्रपुरी जलाशय योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में चालू करने का प्रस्ताव है । इस पंचवर्षीय योजना में उदेरास्थान बराज

योजना के पूरा होने के पश्चात् सूखाग्रस्त जिला जहानाबाद, नालंदा एवं गया जिला को काफी हद तक निजात मिल सकेगा ।

बागमती बहुद्देशीय योजना के पूरा होने पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के अलावे पूरे उत्तर बिहार में बाढ़ की समस्या का समाधान बहुत हद तक मिल सकेगा । इस योजना के पूरा होने पर शिवहर, सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिला के अधिकाधिक क्षेत्र को बाढ़ की समस्या से निजात मिल सकेगा। विभिन्न प्रकार की तकनीकी एवं वित्तीय कठिनाई के दृष्टिकोण से दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में बागमती बहुद्देशीय योजना के कार्य को नहीं किया गया परन्तु इस योजना को 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर शामिल कया गया है ।

इन्द्रपुरी बराज के 80 कि0मी0 अपस्ट्रीम में इन्द्रपुरी जलाशय योजना निर्माण होना है । इस योजना के पूर्ण होने पर सोन नहर प्रणाली में सिंचाई सुविधा में बृद्धि के साथ–साथ जल विद्युत परियोजना द्वारा 450 मेगावाट (MW) विद्युत उत्पादन हो सकेगा ।

नई सिंचाई योजनाओं का विवरण निम्नवत हैं

क0 सं0	योजना का नाम	योजना पूर्ण होने का वर्ष	ग्वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निधि की आवश्यकता (लाख रु0 में)	योजना पूर्ण होने पर सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हेक्टेयर में)
1	बागमती बहुद्देशीय योजना	2011-12	100000.00	100.00
2	इन्द्रपुरी जलाशय योजना	2011-12	200000.00	200.00
3	डकरानाला पम्प नहर योजना	2011-12	2410.87	17.34
4	सूरजगढ़ा पम्प नहर योजना	2011-12	5200.00	17.35
5	अजगैबीनाथ पम्प नहर योजना	2011-12	3885.00	19.60
6	कुंडघाट सिंचाई योजना	2011-12	11528.00	9.25
7	लोअर महानन्दा योजना	2011-12	16507.00	60.38
8	अपर महानन्दा योजना	2011-12	8822.00	42.20
9	कोशी योजना फेज–II	2011-12	29384.00	73.00
10	पश्चिमी कंकई योजना	2011-12	23744..00	62.44
11	गंडक फेज II योजना (अरेराज के नजदीक द्वितीय बराज का निर्माण कर गंडक नहर प्रणाली	2011-12	197240.00	228.50

	के अधिशेष जल का बूढ़ी गंडक, वाया एवं गंडक नदी द्वारा अन्तरण)			
12	कमला नहर आधुनिकीकरण योजना	2011-12	3286.00	39.84
13	मलय जलाशय योजना	2011-12	12010.00	7.74
14	सूर्यगढ़ा पम्प नहर योजना	2011-12	5189.73	2.50
	कुल (नई योजनाएं)		**619206.60**	**880.14**

क(3)(iii) ई0आर0एम0 सिंचाई योजनाएँ

ई0आर0एम0 सिंचाई योजना के तहत सोन आधुनिकीकरण योजना का कार्य प्रगति में है, और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में वर्ष 2009 तक पूर्ण होने की सम्भावना है ।योजनाओं की सृजित क्षमता एवं उपयोगी क्षमता के बीच अन्तर होने के कारण योजनाओं को इसके अन्तर्गत शामिल किया गया है । ई0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत शामिल योजनाओं को समय सीमा के अन्दर पूर्ण होने की सम्भावना है । साथ ही योजनाओं को पूरा करने में भूमि अधिग्रहण, वन एवं पर्यावरणीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने जैसी समस्या नहीं है । अतः योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शामिल किया गया है ।

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ई0आर0एम0 योजना में शामिल योजनाओं की विवरणी

क्र0	योजना का नाम	योजना पूर्ण होने का वर्ष	11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निधि की आवश्यकता (लाख रु0 में)	योजना पूर्ण होने पर सृजित क्षमता का पुनर्स्थापन (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
1	लोअर किऊल सिंचाई योजना का पुनर्स्थापन	2008-09	2874.50	28.75
2	पूर्वी गंडक नहर योजना का पुनर्स्थापन	2009-10	27682.00	300.00
3	सोन नहर आधुनिकीकरण योजना	2007-08	11690.00	116.90
4	पश्चिमी गंडक नहर योजना	2011-12	13100.00	150.00

	का पुनर्स्थापन			
5	पूर्वी कोशी नहर योजना का पुनर्स्थापन	2009-10	10500.00	105.00
6	फुलवरिया सिंचाई योजना के वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन	2008-09	360.15	0.50
7	अपर यमुना सिंचाई योजना के वितरण प्रणालियों का पुनर्स्थापन	2008-09	103.28	0.20
8	लोकाइन सिंचाई योजना के पुनर्स्थापन	2008-09	137.51	0.20
9	सतघरबा जलाशय योजना का पुनर्स्थापन	2008-09	285.44	1.80
10	हिरम्बी डैम का पुनर्स्थापन	2009-10	558.43	0.25
11	खड़गपुर झील का पुनर्स्थापन	2010-11	1131.43	0.15
12	चन्दन जलाशय योजना का पुनर्स्थापन	2009-10	895.44	4.75
13	बदुंआ जलाशय योजना का पुनर्स्थापन	2008-09	257.21	4.75
14	सिंधवारिणी जलाशय योजना का पुनर्स्थापन	2009-10	831.25	3.25
	कुल (ई0आर0एम0 योजनाएं)		**70406.64**	**716.90**
	महायोग (बृहद एवं मध्यम सिंचाई) 11वीं योजना		**829512.65**	**1890.41**

क(3)(iv) बिहार राज्य में अन्तर बेसिन अंतरण की योजना :

बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग राज्य के अन्दर की नदियों को जोड़ने की योजनाओं की पहचान कर उनकी संभाव्यता पर अध्ययन तथा विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार कर इनके कार्यान्वयन हेतु प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई कर रहा है । उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा पहचान की गई है कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना अन्तर्गत हिमालीय अवयव/प्रायद्वीपीय अवयव के बिहार से संबंधित सभी लिंक नहर योजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय पहलू सन्निहित है तथा इनके समाधान में काफी समय लगने की संभावना है । इस कारणबश राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा इन योजनाओं की

प्राथमिकता कम कर दी गई है। नेपाल भाग से निकली नदियों एवं कुछेक संयोजक नहर, जो इस प्रक्षेत्र में पड़ती है, को शामिल किया गया है ।

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार सर्वप्रथम प्रत्येक बेसिनों के अन्दर पड़नेवाले उप–बेसिनों को जोड़ने का दृष्टिकोण रखता है, फलस्वरूप कम से कम लागत में अधिकतम लाभ मिल सकेगा और साथ ही साथ इस प्रकार की योजनाओं से पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर कम पड़ेगा एवं अन्तर्राज्यीय विवाद का मुद्दा नहीं बनेगा, जिस कारण कार्य को सुगमतापूर्वक किया जा सकेगा। परिणाम स्वरूप अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधा बहाल हो सकेगी, जिससे अति पिछड़े क्षेत्र का विकास सम्भव हो सकेगा। इस कार्यक्रम के तहत अधिकाधिक जलाधिक्य क्षेत्र से जलाभाव या सुखाड़ क्षेत्रों में जल का अन्तरण हो सकेगा और बिहार में कृषि का विकास हो सकेगा।

जल उपलब्धता एवं उपजाऊ भूमि के दृष्टिकोण से बिहार एक वरदहस्त प्रदेश है। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कृषि आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना पहली प्राथमिकता है, ताकि प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादन की क्षमता बढ़े तथा इसकी लागत कम से कम हो। अतः इन सब उद्देश्यों की पूर्ति के लिये बिहार सरकार नदी बेसिन अन्तरण को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वयन के लिए प्रयत्नशील है। बिहार राज्य को अनेक प्रकार की जल समस्याओं यथा बाढ़, सुखाड़ एवं जल–जमाव से संबंधित समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है। अतः इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बिहार सरकार यथाशीघ्र उपाय करना चाहती है, जिससे कि उक्त समस्याओं से पीड़ित जन को राहत मिल सके।

बिहार सरकार ने कुछेक अन्तर–बेसिन अन्तरण योजनाओं को चिन्हित किया है एवं इसके अध्ययन का कार्य भी किया जा रहा है । इन योजनाओं के चालू होने पर जहॉ उत्तर बिहार के क्षेत्र को बाढ़ की समस्याओं से निजात मिल सकेगा वहीं दक्षिण बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को सिंचाई की सुविधा भी मिल सकेगी। बिहार सरकार ने सर्वप्रथम एक खास बेसिन को उन्नत करने की योजना बनाई है जिससे कि उस बेसिन में उपलब्ध जल का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ततपश्चात् जलाधिक्य वाले बेसिन से जलाभाव वाले बेसिन में जल का अन्तरण करने की योजना बनाई है। इस प्रकार बेसिन के अन्दर विभिन्न जल श्रोत अवयवों का

समेकित रूप से योजना बनाने का कार्यक्रम है। इसके साथ–साथ उचित स्थानों पर छोटे–छोटे जलाशयों का निर्माण करना एवं उससे बेसिनों के समेकित उन्नयन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। वर्त्तमान में बिहार सरकार द्वारा प्रक्षेत्रवार योजनाओं को चिन्हित किया गया है, जो निम्नवत् है

- बागमती सिंचाई एवं जल निस्सरण योजना का विकास–
  फेज– I (नेपाल सीमा के निकट ढेंग स्थल पर बराज निर्माण)
- गंडक फेज–II के अन्तर्गत अरेराज के निकट बराज निर्माण कर गंडक नहर प्रणाली में उपलब्ध जल की अधिशेष मात्रा का बूढ़ी गंडक, वाया एवं गंडक द्वारा जल का अन्तरण ।
- सोन नदी पर अरवल में द्वितीय बराज निर्माण का प्रस्ताव जिससे सोन नहर प्रणाली के जल की अधिशेष मात्रा का समुचित उपयोग एवं इन्द्रपुरी बराज पर निर्भरता में कमी लाना एवं अतिरेक जल को इन्द्रपुरी बराज पर बचाकर इसे पुनपुन हरोहर किऊल बेसिन को अन्तरित करना ।

सकरी नदी पर वाकसोती बराज का निर्माण एवं नवादा जिलान्तर्गत नाटा नदी पर नाटा वीयर का बराज में रूपान्तरण एवं वाकसोती बराज स्थल से सकरी नदी होते हुए नाटा नदी तक उपयुक्त संयोजक नहर से जोड़ना ।

उपर्युक्त योजनाओं से अलग कुछेक और भी योजनाओं की पहचान का कार्य चल रहा है । उत्तर बिहार के लिए चिन्हित योजनाएँ, जिनका मुख्य उद्देश्य बाढ़ के पानी का अन्तरण करना है, के लिए उस बेसिन के अन्तर्गत चल रही योजनाओं के लिए विभिन्न संयोजक नहरों द्वारा जल उपलब्ध कराकर सिंचाई सुनिश्चित करने का प्रस्ताव बेसिन की सभी योजनाओं को पूर्ण रूपेण जल उपलब्ध होने के पश्चात् ही अधिशेष जल का दूसरे बेसिन में अन्तरण करने का प्रस्ताव है । उपर्युक्त सभी योजनाओं के लिए सर्वप्रथम अगले 1–2 वर्षों में संभाव्यता प्रतिवेदन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने का प्रस्ताव है। संभाव्यता प्रतिवेदन पूर्ण होने के पश्चात् योजनाओं की प्राथमिकता तय की जाएगी। सामान्यतया ऐसी संयोजक योजनाएँ, जिनसे को दक्षिण बिहार के अत्यन्त सूखाग्रस्त जिलों को लाभ मिल सकता है, को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी तथा इसके समानान्तर उत्तर बिहार के

बाढ़ क्षेत्र की कुछ योजनाएँ भी ली जा सकेंगी। प्राथमिकता के आधार पर ऐसी योजनाओं का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन भी तैयार करना है, इसे तैयार करने में कार्य प्रारम्भ की तिथि से लगभग एक वर्ष का समय लगना अनुमानित है। अन्तर बेसिन अन्तरण के लिए प्रस्तावित कार्यान्वयन का विस्तृत विवरणी निम्नवत् है

क्र0 सं0	नदी बेसिन का नाम	अन्तर बेसिन अन्तरण से सृजित क्षमता जो सिंचाई सृजन क्षमता से अलग है ।(000हे0)
	दक्षिण बिहार	
1	कर्मनाशा	66.98
2	सोन–काऊ–गंगी	69.51
3	पुनपुन	158.90
4	हरोहर	185.49
5	किऊल	29.54
6	बदुआ–बेलहरना	43.95
7	विलासी–चन्दन–चीर	29.06
	कुल (दक्षिण बिहार)	**583.43**
	उत्तर बिहार	
8	कोशी	374.04
9	घाघरा–गंडक–बूढ़ीगंडक	490.36
10	महानन्दा	188.69
11	कमला–बलान	106.69
12	बागमती–अधवारा समूह	278.97
	कुल (उत्तर बिहार)	**1436.75**
13	गंगा भाग	287.08
	महायोग	**2307.26**

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अन्तर बेसिन अन्तरण योजनाओं से सृजित होने वाली सिंचाई क्षमता निम्न प्रकारेण है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	करोड़ रू0 में	सिंचाई क्षमता का सृजन (हजार हेक्टेयर में)
1	बागमती सिंचाई एवं जल निस्सरण योजना का विकास– फेज–I (नेपाल सीमा के नजदी ढेंग पर बराज का निर्माण)	10.37	103.68
2	गंडक फेज II के अन्तर्गत अरेराज के नजदीक द्वितीय बराज का निर्माण कर	25.74	257.47

	गंडक नहर प्रणाली के अधिशेष जल का बूढ़ी गंडक, वाया एवं गंडक नदी द्वारा अन्तरण ।		
3	सोन नदी पर अरवल में द्वितीय बराज का निर्माण कर सोन नहर प्रणाली के अधिशेष जल का अन्तरण एवं इन्द्रपुरी बराज पर निर्भरता में कमी लाने के साथ–साथ बचे हुए जल का इन्द्रपुरी बराज से पुनपुन–हरोहर–किऊल बेसिन में जल का अन्तरण ।	11.17	–
4	सकरी नदी पर बासकोटी बराज का निर्माण एवं नवादा जिलान्तर्गत नाटा नदी पर वीयर का बराज में रूपान्तरण जिससे कि बासकोटी बराज स्थल से संयोजक नहर द्वारा सकरी नदी से नाटा नदी में जल का अन्तरण ।	2.55	25.51
	यांगः–	49.83	386.66

क(3)(v) सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (पी0आई0एम0)

राष्ट्रीय जल नीति के अनुरूप पी0आई0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी निर्मित नहर प्रणालियों का प्रबंधन चरणबद्ध रूप से लाभान्वितों की समिति को हस्तान्तरित किया जाना है ।

नहर प्रणालियों का लाभान्वित कृषक समिति को अन्तरण की अद्यतन स्थिति निम्नवत् है

प्रबंधन हस्तान्तरित सिंचाई प्रणालियों की सं0	46
निबंधित कृषक समितियॉ	07
निबंधन हेतु आवेदित	24
आवेदन हेतु तैयार समितियॉ	15
उत्प्रेरण की प्रक्रिया में	518
कुल	**622**

46 अन्तरित वितरणियों के द्वारा 147.76 हजार हेक्टेयर क्षेत्र का अन्तरण हुआ है एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत शेष वितरणियों का अन्तरण करने का प्रस्ताव है।

ख. बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण

ख(i) प्रतिवर्ष बिहार बाढ़ का दंश झेलता है। भारत देश के करीब 56.5 प्रतिशत बाढ़ पीड़ित लोग बिहार में रहते हैं। बाढ़ के कारण बिहार के कृषि एवं औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके स्थायी निदान हेतु बिहार, भारत सरकार की सहायता से नेपाल क्षेत्र में हाई डैम निर्माण की अपेक्षा कर रहा है। योजना आयोग, भारत सरकार ने भी माना है कि राज्य अपने सीमित संसाधनों से बाढ़ पर नियंत्रण नहीं पा सकता है, इसलिए वृहद रूप में भारत सरकार से वित्तीय सहायता की अपेक्षा की जाती है ।

ख(ii) प्रदेश बंटवारा के पश्चात् उत्तर बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हो चुका है। प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, जो प्रदेश के कुल क्षेत्र का 73.06 प्रतिशत है। भारत का कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र 400 लाख हेक्टेयर है जिसका 17.2 प्रतिशत हिस्सा बिहार प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में बहनेवाली नदियॉ यथा– कोशी, गंडक, बागमती, कमला–बलान, भूतही–बलान, महानन्दा आदि नेपाल स्थित हिमालय से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवेश करती है। नेपाल की तराई से उत्तर बिहार में नदी का बहाव उच्च ढाल होने के कारण तीब्रता से होता है। ये नदियॉ जल के साथ गाद भी बहुत मात्रा में उत्तर बिहार लेकर आती है, जिसके कारण नदी की गहराई वर्ष दर वर्ष घटती जा रही है। परिणामस्वरूप नदियों के दोनों बांये एवं दांये किनारे को पार करते हुए खेत एवं गॉवों की जलप्लावित कर देता है। अल्पकालीन निदान के तहत बिहार ने अब तक उत्तर बिहार में 2952 कि0मी0 तथा दक्षिण बिहार में 478 कि0मी0 लम्बाई में तटबंध का निर्माण किया है।

ख(iii) दसवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय

(राशि करोड़ रु0 में)

क0 सं0	निधि का श्रोत	दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्व्यय			प्रस्तावित उद्व्यय	
		संसूचित उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय	वास्तविक व्यय	11वीं योजना	वार्षिक योजना
1	2	3	4	5	6	7
01	स्थापना	114.08	177.92	145.04	165.71	32.86

02	राज्य योजना (चालू एवं नई योजना)	1000.00	316.30	312.26	378.91	164.46
03	नाबार्ड (चालू एवं नई योजना)	192.39	28.65	4.58	545.45	37.50
	योग(बाढ़ नियंत्रण) (कार्य)	1192.39	344.95	316.84	924.36	201.96
	योग(बाढ़ नियंत्रण)(कार्य + स्थापना)	1306.47	522.87	461.88	1090.07	234.82

ख(iv) बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना का नाम	पूर्ण होने की संभावित तिथि	आवश्यक राशि (वर्ष 2006 के दर पर)
01	गंगा को छोड़कर शेष नदी पर कटाव निरोधक कार्य	2011–12	450.00
02	गंगा नदी पर कटाव निरोधक कार्य (केन्द्र प्रायोजित योजना)	2011–12	300.00
	कुल योग		**750.00**

ख(v) 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में निम्नांकित बाढ़ सुरक्षात्मक तटबंधों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है ।

क्रमांक	तटबंध का नाम	तटबंध की लंबाई (कि0मी0)	सुरक्षा प्रदान किए जाने वाले क्षेत्र (ह0 हेक्टेयर)
1	हाजीपुर–बाजीतपुर तटबंध	43.00	40.00
2	जोनिया–कुरशेला तटबंध	37.00	10.00
3	भूतही बलान तटबंध	30.00	14.00
4	पिरमुहानी कुरशेला तटबंध	31.00	7.00
5	कमला बलान दर्जिया–फुलिया तटबंध	40.00	24.00
6	बागमती बाढ़ नियंत्रण तटबंध	80.00	90.00
7	बदलाघाट–नगरपारा तटबंध	40.00	18.00
8	सोन तटबंध	67.00	30.00
9	बक्सर–कोईलवर–गंगा तटबंध	68.00	52.00
10	पुनपुन दांया तटबंध	14.00	5.00
	कुल योग	**450.00**	**290.00**

ख(vi) केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से बाढ़ प्रक्षेत्र की निम्नांकित योजनाएँ दसवीं पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में अंतरित हुई हैं

ख(vi)1. गंगा बेसिन में कटाव निरोधक कार्य (केन्द्र प्रायोजित योजना)

इस कोटि की योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश के व्यय का अनुपात 75:25 है। तटबंधों के कटाव निरोधक/उच्चीकरण कार्य के सुदृढ़ीकरण की 10 योजनाएँ जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार से स्वीकृत है, जो वर्ष 2007–08 तक पूर्ण होने की संभावना है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग, भारत सरकार को 2150.62 करोड़ रुपये की लागत की 34 बाढ़ सुरक्षा योजनाओं की सूची उपलब्ध करायी गई है।

ख(vi)2. केन्द्रीय योजनागत योजना (100% केन्द्रांश) के अधीन नेपाल भाग के कोशी नदी में कटाव निरोधक कार्य

इन योजनाओं के व्यय की शत–प्रतिशत प्रतिपूर्ति जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है । इन योजनाओं का चयन प्रतिवर्ष बाढ़ पूर्व कोशी उच्चस्तरीय समिति द्वारा की जाती है जिसके अध्यक्ष, गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष ही होते है । बिहार सरकार द्वारा समर्पित उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर ही केन्द्र सरकार व्यय की प्रतिपूर्ति करती है । वित्तीय वर्ष 2007–08 में नेपाल में स्थित कोशी तटबंध के किनारे 9 अदद कटाव निरोधक कार्य स्वीकृत कराये गए हैं।

ख(vi)3. केन्द्रीय योजनागत योजना (100% केन्द्रांश) के अधीन कमला नदी के तटबंध का भारतीय भाग तक विस्तार :–

कमला नदी के बॉये एवं दॉये तटबंध के 0.00–943.40 कि0मी0 तक उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार की योजना जिसकी प्राक्कलित राशि 78.63 करोड़ भारत सरकार को स्वीकृतार्थ समर्पित की गयी है। वर्ष 2004 बाढ़ के पश्चात् गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग से स्वीकृति प्राप्त कर इस तटबंध के आक्राम्य भागों को

सुदृढ़ किया गया। वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना को पूर्ण करने का लक्ष्य है।

ख(vi)4. केन्द्रीय योजना योजना (100 % केन्द्रांश) के अधीन बागमती तटबंध का भारतीय भाग में विस्तार

बागमती नदी के बायां एवं दायां तटबंध के 0.00 –17.5 कि0मी0 के उच्चीकरण एवं सुदृढ़ीकरण अवयव के साथ ढेंग रेलवे स्टेशन के अपस्ट्रीम पर कटाव निरोधक कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि 792.00 करोड़ है, की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना को पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

ख(vi)5. केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कटाव निरोधक कार्य

गंगा को छोड़कर अन्य नदियों के कटाव निरोधक कार्य तथा तटबंध निर्माण के कार्य को इस कोटि में सम्मिलित किया गया है । भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु योजनाओं की सूची सौंपी गई है ।

ग. जल निस्सरण

ग(i) बिहार प्रदेश में 9.41 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव से ग्रसित है जिनमें 8.35 लाख हेक्टेयर उत्तर बिहार में तथा 1.06 लाख हेक्टेयर दक्षिण बिहार में है। स्थायी जल जमाव के कारण बिहार का एक बहुत बड़ा भू–भाग अनुपयोगी रह जाता है। इनमें से 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल जमाव से मुक्त किया जा सका है, तथा शेष 7.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में से 2.50 लाख हेक्टेयर जल–जमाव क्षेत्र को मत्स्य पालन, मखाना की खेती आदि के लिये उपयुक्त समझा गया है, क्योंकि इनकी जल निकासी आर्थिक दृष्टिकोण से लाभप्रद नहीं है।

जल–जमाव होने के निम्नांकित कारण है :–

- अतिवृष्टि के कारण नदी की पेटी से पानी का उफनकर दोनों तटों को पार कर जाना ।
- जल निकास मार्ग का अवरूद्ध हो जाना ।
- सार्थक आउटफाल न होने के कारण सतही जल की निकासी का अवरूद्ध हो जाना ।

- जल निकास मार्ग का अवरूद्ध हो जाना ।
- नदी, टैंक, नहर द्वारा जल रिसाव के कारण भू–गर्भ जल का सतह ऊपर हो जाना।

इसमें सुधार हेतु निम्नांकित उपाय अपनाये गए हैं:–

- प्रत्येक नदी बेसिन के मुख्य जल निकास मार्ग (ट्रंक ड्रेन) के आड़ीकाट तथा लम्ब काट आकार/ ढाल को सुदृढ़ करना ।
- लिंक ड्रेन के आड़ीकाट तथा लम्ब काट आकार/ढाल को सुदृढ़ करना।
- प्रक्षेत्र जल निकासी नाली (फिल्ड ड्रेन) का निर्माण विस्तारपूर्वक करना ताकि जल लिंक तथा ट्रंक ड्रेन के द्वारा आसानी से निकल जाय ।
- जल का समुचित उपयोग । उपर्युक्त उपायों द्वारा अब तक 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल –जमाव से मुक्त किया जा चुका है ।

ग(ii) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)में निम्नांकित योजनाओं द्वारा 1.09 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को जल –जमाव से मुक्त करने का कार्यक्रम है :–

क्रमांक	योजना का सनाम	योजना के पूरा होने की संभावित तिथि	आवश्यक राशि (लाख में)	भौतिक लक्ष्य (हजार हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
01	अपर नून जल निस्सरण योजना	2011	3374.00	6.00
02	बेंगुआ जल निस्सरण योजना	2009	765.10	5.23
03	धनौती जल निस्सरण योजना	2011	2725.76	18.66
04	मोरदीवा जल निस्सरण योजना	2008	47.29	0.19
05	लाअर वागा जल निस्सरण योजना	2012	5150.00	58.87
06	मलिसरीह जल निस्सरण योजना	2008	58.25	4.69
07	मनुषमारा जल निस्सरण योजना	2008	36.71	0.87
08	कोहरा जल निस्सरण योजना	2008	66.56	1.25

09	झाझा जल निस्सरण योजना	2008	247.13	3.37
10	उत्तरवाहिनी जल निस्सरण योजना	2008	76.01	3.59
11	लहरनियॉ जल निस्सरण योजना	2008	7.96	0.05
12	दिवानगंज जल निस्सरण योजना	2008	7.86	0.88
13	घाघरा फेज–II जल निस्सरण योजना	2009	213.47	5.68
	कुल :–		**12776.40**	**109.33**

ग(iii) दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) की उपलब्धि तथा 11वीं पंचवर्षीय (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय

(राशि करोड़ रु0 में)

क्र0 सं0	निधि का श्रोत	दसवीं पंचवर्षीय योजना का उद्व्यय			प्रस्तावित उद्व्यय	
		संसूचित उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय	वास्तविक व्यय	11वीं योजना (2007–12)	वार्षिक योजना
1	2	3	4	5	6	7
01	राज्य योजना (चालू एवं नई योजना)	300.00	8.27	6.07	151.56	23.49
02	नाबार्ड (चालू एवं नई योजना)	50.00	4.50	2.48	272.73	12.50
	कुल योग (जल निस्सरण) (कार्य)	350.00	12.77	8.55	424.29	35.99

घ. कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम

घ(i) वृहद सिंचाई योजना से अधिकतम लाभ प्राप्त करने तथा कृषि उत्पादकता में बृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 1973–74 में कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकार का गठन किया गया था । राज्य में निम्नांकित चार कमांड कार्यरत है

1. सोन कमांड
2. गंडक कमांड
3. कोशी कमांड
4. किऊल–बदुआ–चंदन कमांड

घ(ii) दसवीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धि तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का प्रस्तावित उद्व्यय

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	निधि का श्रोत	दसवीं योजना का उद्व्यय			प्रस्तावित उद्व्यय	
		संसूचित उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय	वास्तविक व्यय	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12)	वार्षिक योजना (2007–08)
1	2	3	4	5	6	7
01	स्थापना	36.67	55.14	67.44	77.98	15.00
02	कार्य	113.39	63.00	38.03	519.22	40.00
	कुल योग :	**150.06**	**118.14**	**105.47**	**597.20**	**55.00**

घ(iii) कमांड गठन के प्रारम्भिक काल में इसका कार्य सुचारू रूप से चला, परन्तु कालान्तर में इसके कार्य आशानुरूप परिणाम नहीं दे सके है । इसलिए द्वितीय बिहार सिंचाई आयोग की अनुशंसा के आलोक में कमांड निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण कृषि विभाग से जल संसाधन विभाग को हस्तान्तरित किया गया है।

सिंचाई प्रक्षेत्र नाली, जल निकास प्रक्षेत्र नाली, 150 क्यूसेक तक नहर प्रणाली का पुनर्स्थापन कार्य, प्रशिक्षण आदि कार्य कमांड निदेशालय द्वारा किया जाता है ।

दसवीं योजना की वित्तीय उपलब्धि

24. दसवीं योजना के लिए संशोधित उद्व्यय 229968.45 लाख रुपये था जिसके विरुद्ध वित्तीय उपलब्धि 215795.84 लाख रुपये (93.00 प्रतिशत) रही है ।

11वीं पंचवर्षीय येाजना की प्रस्तावित योजनाएँ

25. **स्थापना**– विभाग (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए राशि का उपबंध किया गया है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 580.00 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 115.00 करोड रुपये}

26. **नयी एवं चालू सिंचाई योजनाएँ**– विभाग ओढ़नी जलाशय, दक्षिणी क्यूल जलाशय योजना, पुनपुन बॉध, जमानिया, होरहर, बरनार, बटेश्वर स्थान, मराई सिंचाई योजना एवं दुर्गावती नहर पुनर्रूद्धार जैसी प्रमुख योजनाओं को पुन कराने का प्रयास करेगा ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 1742.78 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 469.88 करोड रुपये}

27. **राष्ट्रीय सम विकास योजना** – राष्ट्रीय सम विकास योजना के द्वारा पूर्वी गंडक नहर परियोजना के लिए 50.00 करोड रू0 उपलब्ध कराया गया है । सम्प्रति यह योजना जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 600.00 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 100.00 करोड रुपये}

28. **ए0 आई0 बी0 पी0**– इस योजना के द्वारा नहरो का आधुनिकीकरण कर उनकी वर्तमान क्षमता में सुधार ला कर वृद्धि किया जाएगा ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 450.60 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 295.98 करोड रुपये}

29. **आर0 आई0 डी0 एफ0(नाबार्ड)**–ग्रामीण संरचनाओं के निर्माण हेतु वित्तीय येाजनाओं के लिए नाबार्ड निधि उपलब्ध कराता है । आर0 आई0 डी0 एफ0 के द्वारा उत्तर एवं दक्षिण बिहार के नहरों एवं संबद्ध संरचनाओं का निर्माण प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 1500.00 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 100.00 करोड रुपये}

राज्य योजना बाढ़ प्रबंधन

30. स्थापना– कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के लिए राशि उपलब्ध करायी गयी है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 77.98 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 15.00 करोड रुपये}

31. बाढ़ प्रबंधन, सड़क, एमबेकमेंट एवं क्षरण रोकने संबंधी कार्य – पुनपुन नहर के बांये एमबेकमेंट पर सड़क बनाने एवं बाढ़ प्रबंधन एवं कटाव रोकने संबंधी अन्य येाजनाओं के लिए राशि उपबंधित की गयी है ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 519.22 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 40.00 करोड रुपये}

32. बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली – 11वीं योजना के प्रथम वर्ष में ही बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यान्वित की जाएगी ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय 0.80 करोड रुपये}
{वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय 0.80 करोड रुपये}

जल संसाधन

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	58990ण38	37190.00	33134.26
2003–04	54750.38	36721.95	34794.04
2004–05	48314.00	32053.00	35994.18
2005–06	65038.00	63627.00	55180.78
2006–07	85685.00	60376.50	56692.58
योग	**264463.76**	**229968.45**	**215795.84**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 1136.66 करोड़ रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 5471.58 करोड़ रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम (प्रक्षेत्र नाली, प्रक्षेत्र निकास नाली आदि कार्य) ।
- 250% सिंचाई क्षमता प्राप्त करने हेतु सभी पूर्ण हो चुके वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं का चरणबद्ध रुप से आधुनिकीकरण ।
- निर्मित सिंचाई योजनाओं की सिंचन क्षमता का मूल्यांकन प्रत्येक पॉच वर्ष पर राष्ट्रीय स्तर के अभियंत्रण संगठन/ विशेषज्ञ से कराना।
- सोन सिंचाई प्रणाली को स्थायित्व प्रदान करने हेतु इन्द्रपुरी जलाशय योजना के विवाद का त्वरित हल।
- जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) को सुदृढ़ कर इसके कार्यक्षेत्र को विस्तारित करना।
- नदी बेसिनों को जोड़ने की योजना को अधिक महत्व देने हेतु इन योजनाओं को केन्द्रीय अनुदान के लिए ए0आई0बी0पी0 में सम्मिलित कराना।

- ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि प्रक्षेत्र के अन्तर्गत 4% वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत चालू योजनाओं को पूर्ण करना।
- बटेश्वर स्थान पम्प नहर योजना तथा पुनपुन बराज योजनाओं को ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत शामिल कराना।
- चंदन जलाशय योजना तथा बदुआ जलाशय योजना के आधुनिकीकरण हेतु ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत प्रस्ताव।
- राज्य के अन्तर्गत घाघरा–गंडक और बागमती अधवारा समूह को नदी बेसिन संयोजन योजना के तहत ए0आई0बी0पी0 के अन्तर्गत प्रस्ताव।
- कम गहराई वाले चौर से जल निःस्सरण की रणनीति को चुनौती के रुप में लेना।

8.2 लघु सिंचाई

1. विकास योजना में जल एक महत्वपूर्ण घटक है। अल्प एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधनों को पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकसित तथा संरक्षित करना सरकार की मूल नीति है। भूगर्भ जल का दोहन भी नियमित आधार पर होना चाहिए एवं यह उसके वार्षिक पुनर्भरण क्षमता के अंतर्गत होना चाहिए।

2. राज्य में लघु सिंचाई की चरम क्षमता

I	सतही सिंचाई परम्परागत आहर/पईन के साथ	15.44 लाख हेक्टेयर
II	भूगर्भ जल उपयोग की सिंचाई कूप, निजी नलकूप एवं राजकीय नलकूपों की योजनायें	48.57 लाख हेक्टेयर
	कुल	**64.01लाख हेक्टेयर**

3. दसवीं पंचवर्षीय योजना तक सृजित लघु सिंचाई क्षमता

I	भूगर्भ जल योजना	28.99 लाख हेक्टेयर
II	सतही जल योजना आहर/पईन के साथ	07.27 लाख हेक्टेयर
	कुल	**36.26 लाख हेक्टेयर**

4. वर्ष 2005–06 में लघु सिंचाई क्षमता का उपयोग

I	सतही जल योजना उद्वह सिंचाई एवं बार्ज उद्वह सिंचाई योजना के साथ	0.49 लाख हेक्टेयर
II	सतही जल की पारम्परिक आहर/पईन की योजना	3.32 लाख हेक्टेयर
III	राजकीय नलकूप	0.25 लाख हेक्टेयर
IV	निजी नलकूप एवं सिंचाई कूप	27.64 लाख हेक्टेयर
	कुल	**31.70लाख हेक्टेयर**

5. 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य

राज्य में सिंचाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए सिंचाई क्षमता का त्वरित विकास, विकसित क्षमता के उपयोग में सुधार, असिंचित क्षेत्र में सिंचाई लाभ के विस्तार, निजी नलकूपों एवं पंप सेटों पर अनुदान राशि में वृद्धि कर तथा जल उपभोक्ता समितियों को सुदृढ़ कर उनके टिकाउपन का बढ़ाना 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य होगा ।

6. 10वीं योजना का भौतिक कार्यक्रम एवं उपलब्धि

	योजना का प्रकार	**कार्यक्रम**		**उपलब्धि**	
	सतही जल योजनायें	**संख्या**	**सिंचाई क्षमता (लाख हे0 में)**	**संख्या**	**सिंचाई क्षमता (लाख हे0 में)**
क	लघु सिंचाई योजनायें नया चालू	 100 24	 0.490 0.150	 25 12	 0.120 0.100
ख	उद्वह/बार्ज सिंचाई योजनायें	7000	1.400	2011	0.400
ग	भूगर्भ जल योजना				
i	निजी नलकूप (एम.एस.टी.पी.)	1006099	20.120	406104	8.150
ii	राजकीय नलकूप	4575	1.830	1630	0.650
iii	पुराने राजकीय नलकूपों का पुर्नस्थापन	479	0.380	370	0.296
	कुल –		**24.370**		**9.716**

7. 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्ताव

7(1) लघु जल संसाधन विभाग की सतही सिंचाई योजनाओं का निर्माण मुख्यतः छोटे– छोटे नदियों, नालों, आहर/पईन जैसे जल संग्राहकों के सतही जल का भंडारण एवं विचलन कर किया जाता है। इनका कार्यान्वयन राज्य सरकार मुख्यतः नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. ऋण द्वारा करा रही है। आर.आई.डी.एफ. योजनायें तीन वर्ष के अन्दर कार्यान्वित करानी हैं। अतएव लघु सिंचाई योजनाओं में लागत राशि में वृद्धि सामान्यतः नहीं होती है। अधिकांश योजनाऐं एक से तीन वर्षों के समय–सीमा में कार्यान्वित कर ली जाती है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण योजनाओं के कार्यान्वयन में नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास फण्ड का उपयोग किया जाएगा।

7(2) 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्ष यथा 2007–08 एवं 2008–09 में लघु जल संसाधन विभाग ने 80,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन करने के लिए आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत सतही योजनाओं एवं भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संग्रहण क्षेत्रों (आहर/पईनों) की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन का प्रस्ताव किया है। इसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना के अगले तीन वर्षों यथा 2009–10 से 2011–12 में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता प्राप्त करने की उपर्युक्त गति को बरकरार रखा जाएगा । इसके साथ पारम्परिक जल संग्रहण क्षेत्र यथा आहर/पईन की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुर्नस्थापन की योजनायें भी लेने का प्रस्ताव है । 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 1000 आहर/पईनों के पुर्नस्थापन की योजना का कार्यान्वयन विभाग द्वारा कराया जायेगा । अनुमान है कि जल संग्रहण क्षेत्रों की 1,00,000 लाख हेक्टेयर समाप्त हो चुकी सिंचन क्षमता का पुर्नस्थापन इस योजना द्वारा किया जायेगा । राज्य के छोटे–छोटे नाले एवं नदियों पर बनने वाले वीयर, स्लुईस गेट, चेक डैम आदि की योजनाऐं भी 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आर.आई.डी.एफ. के अन्तगर्त वित्त पोषण एवं कार्यान्वयन हेतु प्रेषित की जाएँगी।

7(3) राज्य में भूगर्भ जल का दोहन औसतन वार्षिक पुनर्भरित भूगर्भ जल के 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत की दर से हो रहा है। अभी राज्य में अति भूगर्भ जल दोहन का सन्निकट खतरा नहीं है। वार्षिक पुनर्भरित भूगर्भ जल संसाधन से सिंचाई हेतु आरक्षित अन्यतम क्षमता 48.57 लाख हेक्टेयर है। वर्ष 2006–07 तक करीब 30

लाख हेक्टेयर का अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन होगा। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के उपरान्त करीब 18.57 लाख हेक्टेयर के लिए भूगर्भ जल की अदोहित सिंचाई क्षमता का सृजन करना होगा। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप यथा मिलियन शैलो नलकूप योजना कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। साथ हीं 3000 मध्यम श्रेणी के राजकीय नलकूप नाबार्ड के आर.आई.डी.एफ. फेज–XI के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी प्रकार की एक अन्य योजना नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु प्रेषित करने का प्रस्ताव है। 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इन दोनों योजनाओं में पाँच हजार राजकीय नलकूपों के पूर्ण होने से 2,00,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इसी प्रकार अतिरिक्त 4.5 लाख शैलो निजी नलकूप एवं सिंचाई कूप 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में लगाये जा सकते हैं। साथ ही 2000 अदद बन्द पड़े पुराने राजकीय नलकूपों को आर.आई.डी.एफ. एवं राज्य योजना के अन्तर्गत पुनर्स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। अतः करीब 10.87 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावित योजनाओं के अन्तर्गत भूगर्भ जल संसाधनों के दोहन से किया जाएगा।

7(4) राज्य सरकार नलकूपों के लिए मुफ्त या उच्च अनुदान के साथ बिजली नहीं उपलब्ध कराती है।वास्तव में यथेष्ठ मात्रा में बिजली के अभाव के कारण राज्य के नलकूप अन्यतम क्षमता के साथ नहीं चलाये जाते हैं। दक्षिणी बिहार के सुखाड़ग्रस्त जिलों में भूगर्भ जल के पुनर्भरण की आवश्यकता है। पोखरों, आहरों, चौरों इत्यादि जल संग्रहण क्षेत्रों में संग्रहित जल के अन्तःरिसाव से भूगर्भ जल का परोक्ष पुनर्भरण को प्रोत्साहित करना लघु जल संसाधन विभाग की नीति है। वर्तमान में राज्य के भूगर्भ जल दोहन के स्तर के आलोक में प्रत्यक्ष भूगर्भ जल पुनर्भरण की आवश्यकता नहीं है। चयनित तनावग्रस्त क्षेत्रों में स्थान विशेष की समस्या के अनुरुप भूगर्भ जल पुनर्भरण किया जाएगा ।इसके लिए राज्य सरकार ने **बिहार राज्य भूगर्भ जल (प्रबंधन के लिए विनियमन एवं नियंत्रण)** अधिनियम अधिनियमित किया है। यह अधिनियम उन क्षेत्रों, जहाँ भूगर्भ जल का दोहन नाजुक स्थिति पर पहुँच गया है, को अधिसूचित करने में मददगार होगा । भूगर्भ

जल के स्तर बदलाव एवं पुर्नभरण के आकलन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 100 अन्वेषणात्मक नलकूप लगाने का प्रस्ताव दिया गया है ।

7(5) निजी शैलो नलकूप योजना के वर्तमान में सामान्य, लघु एवं सीमान्त तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को दी जा रही अनुदान की राशि जो क्रमशः 30 प्रतिशत, 40 प्रतिशत एवं 50 प्रतिशत है, को बढ़ाकर 70–90 प्रतिशत करने की आवश्यकता है क्योंकि कृषक वर्तमान अनुदान राशि के स्तर पर 20,000 रू0 से 30,000 रू0 का भार लेने की स्थिति में नहीं है। राज्य में औसतन शैलो नलकूप की गहराई 45 मीटर है। वर्तमान स्वीकृत दर पर एक अदद शैलो नलकूप एवं पम्पसेट लगाने पर करीब 40,000 रू0 का खर्च आता है। वर्तमान 30 से 40 प्रतिशत दर पर अनुदान राशि 12,000 रू0 से 20,000 रू0 आती है तथा किसानों को 20,000 रू0 से 30,000 रू0 तक बैंक ऋण तथा स्वयं सहयोग के रूप में वहन करना पड़ता है। कमजोर मुख्यतः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लघु एवं सीमान्त किसान इस भार को वहन करने की स्थिति में नहीं है। इस प्रकार कमजोर वर्ग के किसानों में यह योजना आकर्षक नहीं है जो भविष्य में इस योजना के कार्यान्वयन में मुख्य लाभान्वित होंगे क्योंकि बड़े एवं मंझोले किसान इसका लाभ पहले ही उठा चुके हैं। इस प्रकार कमजोर वर्ग के कृषकों के लिए इस योजना को आकर्षक बनाने हेतु अनुदान की राशि को बढ़ाकर 70–90 प्रतिशत करने की आवश्यकता है जैसा कि मीलियन शैलो नलकूप कार्यक्रम के पहले के निजी नलकूप कार्यक्रमों में अनुमान्य था। राज्य के कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी निजी नलकूपों की योजना कार्यक्रम को चालू रखने एवं प्रस्तावित कृषि विकास दर की प्राप्ति के लिए अनुदान राशि बढ़ाने हेतु उदार दृष्टिकोण अपनाये जाने की आवश्यकता है ताकि प्रस्तावित कृषि उत्पादकता हासिल की जा सके।

8. 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08) के लिए प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य

क0	योजना	11वीं पंचवर्षीय योजना का भौतिक लक्ष्य (योजनाओं की संख्या)	सिंचाई क्षमता (लाख हे0 में)	वार्षिक योजना 2007–08 का भौतिक लक्ष्य	सिंचाई क्षमता (लाख हे0 में)
राज्य योजना					
1.	सतही सिंचाई योजनायें (आहर/पईनो की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन के साथ)	1256	1.650	100	0.270
2.	राजकीय नलकूप योजना (अकार्यरत पुराने राजकीय नलकूपों के पुनर्स्थापन के साथ)	500	0.200	100	0.040
3.	भवन	15		5	
4.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण				
	(i) भूगर्भ जल	100		20	
	(ii) सतही जल	5000		1000	
5.	नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.)				
	(i) नलकूप योजनायें	6000	2.400	2500	1.000
	(ii) सतही योजनायें	130	0.260	20	0.150
	(iii) बार्ज योजनायें	1500	0.300	500	0.100
6.	राष्ट्रीय सम विकास योजना (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता) निजी शैलो नलकूप योजना (एम.एस.टी.पी.)	450000	9.000	0	0.000
7.	(i) सी0एस0एस0 (3:1) वाटर बॉडिज की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की पायलट योजना	6	0.010	6	0.010
	(ii) सी0एस0एस0 (3:1) सुखाड़ग्रस्त क्षेत्र हेतु ए.आई.बी.पी.	10	0.020	5	0.010
	योग		**13.840**		**1.580**

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) तथा वार्षिक योजना (2007–08) में प्रस्तावित योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

राज्य योजना

9 लघु सिंचाई एवं नलकूप स्थापना

योजनाओं के अधीन स्थापना केवल 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के लिए होगा; वर्ष 2007–08 के बाद स्थापना को गैर योजना में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 3459.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 3459.00 लाख रू0)

10 राज्य योजना के अधीन आहर एवं पईन के पुनर्स्थापन के साथ सतही सिंचाई योजनायें

11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 1200 नई योजनायें तथा 56 चालू योजनायें लेने का प्रस्ताव है जिसमें 1000 अदद योजनायें दक्षिण तथा उत्तर बिहार की पुरानी आहर–पईन के पुनर्स्थापन की होंगी। 200 योजनायें स्लूईस गेट, वीयर, चेक डैम इत्यादि की होगी। इनमें से वर्ष 2007–08 के योजना के अधीन 100 योजनायें ली जायेंगी।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 39017.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1319.00 लाख रू0)

11. राज्य योजना के अधीन नलकूप योजनायें

11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पुरानी एवं लम्बे समय से अकार्यरत तथा अपने उपयोगी जीवन को पार कर गये 500 नलकूपों के पुनर्स्थापन के कार्य को लेने का प्रस्ताव है। इन नलकूपों में से 100 अदद के पुनर्स्थापन का कार्य वर्ष 2007–08 की वार्षिक योजना में लिया जायेगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 5000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)

12. मकान (भवन)

11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 15 मकानों को लेने का प्रावधान है जिसमें से पाँच को वार्षिक योजना 2007–08 में लिया जायेगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 100.00 लाख रू0)

13. सर्वेक्षण एवं अन्वेषण

राज्य के भूगर्भ जल संसाधनों के मूल्यांकन, सर्वेक्षण एवं संवर्धन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में करीब 100 अन्वेषणात्मक नलकूपों एवं पुनर्भरण कूपों के अधिष्ठापन का प्रस्ताव है। वार्षिक योजना 2007–08 में इस प्रकार के 20 संरचनाएँ ली जाएगी। इसके लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में 500.00 लाख रुपये तथा वार्षिक योजना 2007–08 में 100.00 लाख रुपये का योजना उद्व्यय है। सतही जल योजनाओं के लिए करीब 5000 आहर, पईन एवं अन्य परम्परागत वाटर बॉडिज के सर्वेक्षण, अन्वेषण एवं विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 200.00 लाख रू0)

नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. योजनाएँ

14. नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत नलकूप योजना

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5000 नलकूपों (3000 नई योजना के अन्तर्गत एवं 2000 चालू योजना के अन्तर्गत) का कार्यान्वयन कराया जाएगा। 1000 पुराने अकार्यरत नलकूप, जो अपनी क्षमता खो बैठे है, के जीर्णोद्धार एवं पुनर्स्थापन का भी प्रस्ताव है जिसके लिए वर्ष 2007–08 में नाबार्ड को एक योजना प्रेषित की जाएगी।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 49095.76 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 9500.00 लाख रू0)

15. सतही सिंचाई योजना

11वीं पंचवर्षीय योजना में 120 नई सतही सिंचाई योजनाओं तथा 10 निर्माणाधीन सतही सिंचाई योजनाओं के निर्माण का प्रस्ताव है जिसमें 20 योजनाओं को वार्षिक योजना 2007–08 में पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 9000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)

16. बार्ज उद्वह सिंचाई योजना

नाबार्ड आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्तर्गत करीब 500 अपूर्ण बार्ज उद्वह सिंचाई योजनाओं को 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूरा करने के लिए लिया जायेगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 1000 पुराने अकार्यरत उद्वह सिंचाई योजनाओं, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है के बदले 1000 बार्ज उद्वह सिंचाई की एक योजना का प्रस्ताव नाबार्ड को प्रेषित किया जाएगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 4500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)

राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.भी.वाई.)

17. निजी शैलो नलकूप योजना

11वीं पंचवर्षीय योजना में आर.एस.भी.वाई. के अन्तर्गत करीब 4,50,000 शैलो नलकूप सह पम्पसेट स्थापित करने का प्रस्ताव है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निजी शैलो नलकूपों की योजना के वित्त पोषण पैटर्न, अनुदान एवं कार्यान्वित करने के तरीकों में बदलाव का प्रस्ताव है। इस योजना को जिला प्रशासन एवं पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित कराने का प्रस्ताव है। पहाड़ी जिलों के लिए इस योजना के अन्तर्गत सिंचाई कूप के साथ पम्पसेट को अनुमान्य किया जायेगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 117000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 0.00 लाख रू0)

केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

18. केन्द्र प्रायोजित योजना (3:1) वाटर बॉडिज की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की पायलट योजना

उपर्युक्त केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत नालन्दा जिले के एक एवं जमुई जिले के पांच योजनाओं की स्वीकृति मिल गयी है। इन योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2007–08 में पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्ष 2007–08 के उपरान्त इस योजना को राज्य योजना के अन्दर कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 222.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 222.00 लाख रू0)

19. **सुखाड़गस्त जिलों हेतु केन्द्र प्रायोजित योजना (3:1) त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम**

जमुई जिला एवं अन्य वैसे सुखाड़गस्त जिलों की योजनायें जो वाटर बॉडिज की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की पायलट योजना में सम्मिलित नहीं की जायेगी, को भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय की ए.आई.बी.पी. योजना में सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार की 10–12 योजनाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है। इस प्रकार की 10 योजनाओं का विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है जिसे जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग्यारहवीं योजना 2007–12 का उद्व्यय 1983.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय 1983.00 लाख रू0)

लघु सिंचाई

10वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय उद्व्यय एवं उपलब्धि

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	पुनरीक्षित उद्व्यय	व्यय
2002-03	8750.000	6165.003
2003-04	24955.000	19685.264
2004-05	24821.000	22811.628
2005-06	25737.820	25633.530
2006-07	7600.000	7533.890
कुल	**91863.820**	**81829.315**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 19883.00 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 240457.23 लाख रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- 80,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता के सृजन करने के लिए आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत सतही योजनाओं एवं भारत निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत जल संग्रहण

क्षेत्रों (आहर/पईनों) की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन का प्रस्ताव ।

- राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत निजी नलकूप यथा मिलियन शैलो नलकूप योजना कार्यक्रम के अधीन 2,00,000 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन ।
- कमजोर वर्ग के कृषकों के लिए इस योजना को आकर्षक बनाने हेतु अनुदान की राशि को बढ़ाकर 70–90 प्रतिशत करने का प्रस्ताव ।
- राज्य के भूगर्भ जल संसाधनों के मूल्यांकन, सर्वेक्षण एवं संवर्धन हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में करीब 100 अन्वेषणात्मक नलकूपों एवं पुनर्भरण कूपों के अधिष्ठापन का प्रस्ताव ।

परिशिष्ट–8.1

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08) सार एक झलक में

(करोड़ रू0 में)

क्र0 सं0	निधि का श्रोत	10वीं पंचवषीय योजना का उद्व्यय			प्रस्तावित उद्व्यय	
		स्वीकृत उद्व्यय	बास्तविक उद्व्यय	बास्तविक व्यय	11वीं पंचर्षीय (2007–12) योजना	वार्षिक योजना (2007–08)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	स्थापना	582.08	645.92	611.84	580.00	115.00
2	राज्य योजना (चालू, नई एवं अन्तर नदी बेसिन योजनाएं)	2802.94	451.90	439.42	1742.78	469.88
3	राष्ट्रीय सम विकास योजना	0.00	50.00	2.11	600.00	100.00
4	ए0आई0बी0पी0 (चालू, नई एवं अन्तर नदी बेसिन योजनाएं)	1257.63	938.03	920.44	450.60	295.98
5	नाबार्ड (चालू एवं नई योजनाएं)	542.39	174.43	86.92	1500.00	100.00
	कुल (कार्य + स्थापना)	**5185.04**	**2260.18**	**2060.73**	**4873.58**	**1080.86**
	कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम					
1	स्थापना	36.67	45.14	67.44	77.98	15.00
2	कार्य	113.39	63.00	38.03	519.22	40.00
	कुल (कमांड क्षेत्र विकास)	**150.06**	**118.14**	**105.47**	**597.20**	**55.00**
	ई0 ए0 पी0				**0.80**	**0.80**
	महायोग (सिंचाई,बाढ़ एवं कमांड क्षेत्र)	**5335.10**	**2378.32**	**2166.20**	**5471.58**	**1136.66**

परिशिष्ट–8.2

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08) सार एक झलक में

(लाख रुपये में)

क0	योजनाएँ	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) हेतु उद्व्यय
राज्य योजना			
1.	लघु सिंचाई स्थापना	3459.00	3459.00
2.	सतही सिंचाई योजनायें (आहर/पईनों के पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन के साथ)	48197.47	1319.00
3.	राजकीय नलकूप (अकार्यरत पुराने राजकीय नलकूपों के पुनर्स्थापन के साथ)	5000.00	1000.00
4.	भवन	500.00	100.00
5.	सर्वेक्षण एवं अन्वेषण		
	(i) भूगर्भ जल	500.00	100.00
	(ii) सतही जल	1000.00	200.00
6.	नाबार्ड (आर.आई.डी.एफ.)		
	(i) नलकूप योजनायें	49095.70	9500.00
	(ii) सतही योजनायें	9000.00	1000.00
	(iii) बार्ज योजनायें	4500.00	1000.00
7.	राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत निजी शैलो नलकूप योजना (एम.एस.टी.पी.)	117000.00	000.00
8.	(i) सी.एस.एस. (3:1) वाटर बॉडिज की मरम्मति, पुनरूद्धार एवं पुनर्स्थापन की पायलट योजना	222.00	222.00
	(ii) सी.एस.एस. (3:1) सुखाड़गस्त क्षेत्रों के लिए ए.आई.वी.पी.	1983.00	1983.00
	योग	**240457.23**	**19883.00**

अध्याय – 9

बाढ़ प्रबंधन की गतिकी

बिहार देश का सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है और देश के बाढ़ प्रवण का 17 प्रतिशत हिस्सा इसके अन्तर्गत आता है । विभाजन के पश्चात बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल 93.81 लाख हेक्टेयर है जिसमें 68.80 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण है तथा 10 लाख हेक्टेयर निरंतर जलप्लावित रहता है । आवर्ती तथा जलवायु विषयक कारकों के कारण बाढ़ से संबंधित समस्याएॅं न केवल उत्तर बिहार के मैदानी इलाके को प्रभावित करती है बल्कि दक्षिण बिहार का बड़ा हिस्सा भी इससे प्रभावित होता है । समस्या की दीर्घकालिक एवं व्यापक प्रकृति सारणी 9.1 से स्पष्ट है ।

सारणी 9.1 बिहार में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

जोन	कुल भौगोलिक क्षेत्र (लाख हे0)	बाढ़ प्रवण क्षेत्र (लाख हे0)	कुल क्षेत्र में से बाढ़ प्रवण क्षेत्र (प्रतिशत)	सुरक्षा तटबंध की लम्बाई (कि0मी0)	सुरक्षित क्षेत्र (लाख हे0)
1	2	3	4	5	6
उत्तर बिहार	58.50	44.46	76.02	2952	27.16
दक्षिण बिहार	35.31	24.34	53.35	478	2.00
कुल	93.81	68.80	67.48	3430	29.16

2– जब नदियों में जल प्रवाह अधिक, विशेषकर सामान्य से अधिक होता है बाढ़ आती है और तब जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं रहने के कारण नदियों में अत्यधिक प्रवाह अथवा भारी वर्षा होने से निचले इलाके डूब जाते हैं । नदी की घाटियों (बेसिन) में बाढ़ तब आती है जब :–

- जल धाराओं की वहन क्षमता से अधिक जल प्रवाह होता है,
- मुख्य नदी में जाने से पहले पानी सहायक नदियों में आ जाता है,
- स्थानीय स्तर पर भारी वर्षा होने के साथ–साथ नदियॉ भी उमड़ने लगती हैं, और
- सतह के जल को प्रभावी ढंग से अथवा पर्याप्त गति से निकाला नहीं जा सकता है ।

3– बिहार में वर्ष भर में होनेवाली वर्षा का 80 प्रतिशत मानसून अवधि, जून से सितम्बर के बीच, होता है । मानसूनी वर्षा को संभालने की अपर्याप्त क्षमता के कारण नदियॉ उफनकर निकटवर्ती क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त कर देती है । बिहार सिंधु–गंगा मैदान के मध्य में अवस्थित है । गंगा के बायें किनारे का क्षेत्र उत्तर बिहार है तथा दाहिने किनारे का क्षेत्र दक्षिण बिहार है । लगभग सम्पूर्ण उत्तरी क्षेत्र प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है ।

4– बिहार की प्रमुख नदी और बेसिन गंगा है जिसमें उसकी बायीं छोर पर हिमालय से निकलने वाली घाघरा, गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी तथा महानन्दा नदियॉ मिलती हैं। दाहिनी छोर पर गंगा से मिलनेवाली मुख्य सहायक नदियॉ कर्मनासा, सोन, पुनपुन, किउल–हरोहर, बडुआ, चांदन और गुमानी है । कर्मनासा बिहार के कैमूर जिले की कैमूर पहाड़ी से निकलती है तथा सोन मध्य प्रदेश से मैकाला पहाड़ी से जबकि पुनपुन एवं किउल–हरोहर बिहार के छोटानागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती हैं । बूढ़ी गंडक के अलावे बिहार में गंगा के बायें किनारे पर मिलनेवाली सभी नदियों का काफी भाग नेपाल में पड़ता है तथा उनके जलग्रहण क्षेत्र का अधिकांश भाग महा हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में पड़ता है । इन नदियों में वर्फ के जल का प्रवाह होता है इसलिए ये बारहमासी है । इन नदियों के जलग्रहण तथा उपरी क्षेत्र में इंधन हेतु की गयी वन कटाई के कारण नदी की स्थिति बदल गयी है जिससे वानस्पतिक हिस्से का क्षरण हुआ है । फलस्वरूप नदियॉ न केवल जल की अधिक मात्रा उत्सर्जित करती हैं बल्कि भारी मात्रा में गाद भी लाती है । गाद का जमाव नदी के मार्ग में होता है क्योंकि ढाल प्रवणता समतल भूमि की तरफ रहता है । गाद के इस जमाव से नदी का तल उपर आ जाता है जिससे जल वहन की क्षमता घट जाती है; फलस्वरूप नदियॉ इधर–उधर बहने लगती है ।

दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन समाधान

5– नदियों के उपरी भाग में वृक्ष लगाने के अतिरिक्त बिहार के बाहर पहाड़ी क्षेत्रों के अन्तर्गत विभिन्न जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि संरक्षण तथा जल संभर उपाय करने की आवश्यकता है । इन इलाकों में जल संभर की व्यवस्था करने से अनुप्रवाह द्वारा लाई गयी रेत की मात्रा तथा नदियों के इधर–उधर बह जाने की

गति घटेगी जिससे बिहार को लाभ मिलेगा । तथापि बिहार में बाढ़ का दीर्घकालीन समाधान मुख्य नदियों एवं उनकी सहायक नदियों के उपरी भाग में जलाशय बनाकर ही किया जा सकता है । दुर्भाग्य से अधिकांश नदियॉ नेपाल से निकलती हैं तथा बिहार में प्रवेश करने के पूर्व नेपाल में काफी दूरी तय करती हैं और बॉध का उपयुक्त स्थान इसी देश में पड़ता है। नेपाल में बॉध बनाने के पूर्व दोनों सरकारों के बीच सहयोग आवश्यक है । कोसी की सहायक नदियों पर उपयुक्त स्थल की खोज की गयी है तथा बराह क्षेत्र में एक उॅचा बॉध (हाई डेम)बनाने का प्रस्ताव है जिससे बराह क्षेत्र में बाढ़ की अधिकतम मात्रा 42475 क्यूमेक (15 लाख क्यूसेक) को घटा कर 14000 क्यूमेक (5 लाख क्यूसेक) तक लायी जा सकती है । इससे नदियों द्वारा लाए गए मोटे तथा मध्यम गाद का आना रूकेगा । फलस्वरूप नदियों को स्थिर करने में मदद मिलेगी तथा उसके इधर–उधर निकल जाने और मुड़ जाने की प्रवृत्ति भी घटेगी । अन्य प्रमुख नदियों, जैसे बागमती और कमला पर जलाशय बनाने के लिए संभावित स्थलों का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा गया है । नेपाल में बॉधों के निर्माण के अतिरिक्त यहॉ व्यापक स्तर पर जलग्रहण क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ताकि इन नदियों से भारत में गाद को आने से रोका जा सके । तथापि ऐसे उपायों के होने तक राज्य की नदियों के किनारे तटबन्ध निर्माण एवं उसके रख रखाव सहित अल्पकालीन उपायों पर निर्भर रहना होगा। अबतक किए गए बाढ़ प्रबंधन कार्यो में 3430 कि0मी0 तटबंध का निर्माण तथा रख रखाव, नदी के तटों के चयनित हिस्सों का पलस्तर करना, भूमि कंटों (कुल 367, कोसी में 284, महानन्दा में 30, गंगा में 18 एवं गंडक में 35) को लगाना तथा अन्य बाढ़ बचाव कार्य सम्मिलित है।

6– बाढ़ एवं जल निकास बिहार की प्रमुख समस्याऐं हैं । राज्य के कुल क्षेत्रफल (93.81 लाख हेक्टेयर) का 73.06 प्रतिशत (68.80 लाख हे0) भीषण बाढ़ से प्रभावित होता है । इस पुनरावर्ती समस्या के कारण लगभग प्रति वर्ष जन–हानि, फसलों का नुकसान, संचार प्रणाली में अवरोध, घरों का विनाश तथा इन इलाकों में सभी आर्थिक विकास के क्रियाकलापों का सर्वनाश होता है । चूॅकि बाढ़ लानेवाली नदियॉ प्रायः नेपाल से निकलती हैं तथा दोषमुक्त बाढ़ प्रबंधन के लिए वृहत संसाधन

अपेक्षित हैं इसलिए बाढ़ प्रबंधन पर होने वाले समस्त खर्च का वहन करने की मांग केन्द्र सरकार से की गयी है ।

7– जल जमाव का मुद्दा भी बड़ा महत्वपूर्ण है । उत्तर बिहार में लगभग 9.00 लाख हे0 कृषि भूमि में जल जमाव रहता है । वर्ष 1986–87 में राज्य सरकार द्वारा कोसी और गंडक कमांड में समेकित जल निकासी स्कीम बनायी गयी थी । कार्य दल के सुझाव पर योजना आयोग द्वारा गठित समिति ने पश्चिमी कोसी कमांड के चरण–II के अन्तर्गत छः प्रायोगिक जल निकास स्कीम (मनियारी जल निकास स्कीम, अपर नून जल निकास स्कीम, झराही जल निकास स्कीम, दाहा जल निकास स्कीम तथा तेल जल निकास स्कीम) हेतु सहमति दी थी, जिसे कार्यान्वित करने के लिए लिया गया। लेकिन वर्ष 1991 से राज्य की वित्तीय खस्ताहाली के कारण इस स्कीमों पर काम रोक दिया गया । इन स्कीमों के पूरा होने की तबतक कोई संभावना नहीं है जबतक कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्वी क्षेत्र की कृषि उत्पादकता पर गठित सेन कमिटि की अनुशंसानुसार इन स्कीमों के लिए पूरी निधि केन्द्र सरकार द्वारा न दी जाय ।

बिहार की बाढ़ – 2007

8– बिहार राज्य नियमित रूप से बाढ़ ग्रस्त होता रहता है लेकिन विध्वंस की अननुमेघता, मात्रा तथा पैमाना की दृष्टि से यह वर्ष सबसे खराब रहा है । मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि उत्तर बिहार के अनेक हिस्सों में मध्य जुलाई में वर्षा 300 प्रतिशत अधिक हुई जिससे अनेक नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से 2–3 मीटर उपर हो गया । दुनिया का तापमान बढ़ने से नेपाल के उपरी जलग्रहण क्षेत्रों में असामान्य रूप से अधिक वर्षा होने से स्थिति और भी गंभीर हो गयी । बाढ़ से 19 जिलों के एक करोड़ चालीस लाख लोग (30 लाख घर) प्रभावित हुए जिससे 70 लाख हेक्टेयर में लगी फसलें बर्बाद हो गई तथा मुख्य रूप से गरीबों की परिसम्पत्तियॉ नष्ट हुईं । सड़कें, तटबंधों तथा सिंचाई साधनों जैसे आधारभूत संरचना की बात कौन कहे फूस एवं मिट्टी के घरों की भी भारी क्षति हुई । तथापि सरकार ने प्रभावित आबादी को प्रभावी राहत मुहैया कराया । राज्य की सम्पूर्ण शासन व्यवस्था राहत कार्य में जुटी थी : प्रभावित लोगों को बचाने के लिए 5200 नाव लगाए गये थे तथा दूर–दराज के इलाकों में जमीनी तथा हवाई

मदद से राहत वितरित की गयी थी, सेना के हेलिकॉप्टरों द्वारा लगभग 30000 भोजन के पैकेट कुल 130 टन, गिराये गये थे जबकि 92000 क्विंटल गेहूँ एवं चावल वितरित किये गये, 40000 पॉलिथिन शीट मुहैया कराए गये तथा लोगों को 5 करोड़ रू0 का अनुदान वितरित किया गया ।

9— केन्द्र सरकार और सामाजिक संगठनों के सक्रिय सहयोग से राज्य सरकार ने राहत एवं पुनर्वास की तत्कालीन चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया । बाढ़ का पानी घटने के पश्चात प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रों के बीच संपर्क कायम किया गया।

विशेष पैकेज की आवश्यकता

10— ग्यारहवीं योजना का मुख्य थीम ''जनोन्मुखी विकास'' है तथा पूर्वानुमान यह है कि इस अवधि में देश का पूर्वी क्षेत्र अनाज कटोरा के रूप में उभरेगा। राज्य सरकार ने अपनी ग्यारहवीं योजना के उद्वेश्य त्वरित सर्वांगीण विकास के मद्देनजर केन्द्र सरकार की सहायता से मौलिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना के संपूर्ण विकास एवं उत्थान के लिए अनेक उपाय किये है। तथापि यह सभी प्रयास बहुत बड़े भाग में बाढ़ की विभीषिका के कारण नष्ट हो गए । नष्ट हुई इन आधारभूत संरचनाओं को फिर से बनाने के लिए काफी बड़ी राशि खर्च की गयी है और वे अगले वर्ष फिर से बर्बाद हो जायेंगे । बावजूद इसके लाखों लोग जिनकी न तो रहने की कोई जगह रही, जिन्हें न पीने का पानी या भोजन का उपाय रहा, स्वास्थ्य सुविधाएँ नहीं रहीं, यहॉ तक कि मृतकों की संस्कार किया करने का भी कोई उपाय नहीं उनके अमानवीय अनुभव की क्षतिपूर्ति किसी राहत से नहीं की जा सकती ।

11— इससे स्पष्टतः यह उभरता है कि अब रटे रटाए सोच से तथा विहित मापदंडों, मॉडल आकलनों तथा मानक नीतियों से बाहर निकलना होगा । कुछ विचारणीय विषय इस प्रकार है :—

- नेपाल से निकलने वाली उत्तर बिहार की अनेक छोटी एवं बड़ी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वन कटाई के कारण नदियों में बहुत गाद भर गया है जिससे उनकी जल ग्रहण क्षमता घट गयी है । इस कारण बाढ़ आने की तीव्रता तथा उच्चतम जलस्तर हरेक वर्ष बढ़ जाता है ।

- मानक मापदंडों एवं विनिर्देश पर आधारित विभिन्न स्कीमों के अधीन निर्मित सड़कें बाढ़ के दौरान बह जाती है जिससे गॉवों एवं शहरों के बाजारों से, बल्कि वस्तुतः कहा जाय तो सभ्यता से संपर्क लम्बे समय के लिए टूट जाता है ।
- इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत कमजोर वर्गो के लिए लगभग दस लाख मकान बनाए गए हैं लेकिन ये (फूस एवं मिट्टी के घरों से अलग) भी बाढ़ के दौरान आश्रय मुहैया नहीं करा पाते हैं । इसका कारण यह है कि कमजोर वर्गो से संबंधित समुदाय के घर, सामान्यतः गॉव के किनारे निम्न भूमि पर अवस्थित होते है।
- राज्य सरकार द्वारा इरादा रखने तथा संसाधन उपलब्ध कराने के बावजूद समय पर सभी गरीबों को राहत पहुॅचाना अक्सर कठिन हो जाता है क्योंकि राहत सामग्रियों के भंडारण एवं प्रबंधन के लिए पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी हैं।
- यह तो सुस्पष्ट है कि सबसे अधिक प्राथमिकता मानव जीवन को दी जाती है लेकिन बिहार की अर्थ व्यवस्था कृषि आधारित है और मवेशी की भी सुरक्षा की आवश्यकता है । मवेशी की जितनी बड़ी संख्या है उसके अनुरूप उनके लिये भोजन तथा चारा का परिवहन, भंडारण तथा वितरण भी कठिन होता है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास की अनेक स्कीमें हैं लेकिन इसकी तुलना में शहरी स्थानीय निकायों को हमेशा धन की कमी रहती है जिससे वे संसाधनों को बढ़ाकर आधारभूत संरचना का विकास नहीं कर पाते हैं यद्यपि छोटे शहर भी ग्रामीण क्षेत्रों की तरह ही नियमित रूप से बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं ।

12– यद्यपि नेपाल से संबंधित बाढ़ का मसला केन्द्र सरकार के स्तर पर हल किया जाना है तथापि देश के अन्दर योजना प्रक्रिया से उन मसलों को हल किया जाना चाहिए जो उनके अन्तर्गत आता है ।

प्रयास किया जाना चाहिए कि –

- बाढ़ की आवृत्ति, अवधि, तीब्रता तथा प्रभाव कम किया जाय,
- आश्रय के लिए लोगों को घर छोड़ने की जो आवश्यकता हो जाती है उसे न्यूनतम किया जाए,
- जान एवं माल की क्षति को न्यूनतम किया जाय,
- बाढ़ प्रभावित लोगों हेतु राहत एवं पुनर्वास के सफल प्रबंधन के लिए आधारभूत संरचना बनाई जाय ।

14— उपर्युक्त बिन्दुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात् राज्य सरकार ने निम्नलिखित मिश्रित प्रस्ताव सूत्रित किये है :—

- उत्तर बिहार की नदियों में से गाद मिकालकर उनकी जल धारण क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है । गाद निकालने की क्रिया से निकली मिट्टी का उपयोग बाढ़ सुरक्षा तटबंध तथा सड़कों के लिए तटबंध, जहॉ कहीं आवश्यक हो, को ऊँचा करने में तथा निर्मित तथा पुननिर्मित किए जानेवाल इंदिरा आवास की भूमि को ऊँचा करने में किया जायेगा।
- राज्य के भीतर नदियों के बेसिन को आपस में जोड़ने से, अधिक जल वाले बेसिनों से कम जलवाले बेसिनों में पानी मोड़ दिया जायेगा जिससे बाढ़ का असर तथा उसकी तीव्रता कम होगी तथा बिना मानसून वाले मौसम में सिंचाई उपलब्ध होगी ।
- सभी सड़कों, विशेषकर राष्ट्रीय उच्च पथों, राज्य उच्च पथों, जिला की मुख्य सड़कों (एम0डी0आर0) तथा मुख्य ग्रामीण सड़कों को बाढ़ के स्तर से उपर उठाया जाएगा ताकि बाढ़ के दौरान बुनियादी संपर्क बना रहे । यह बाढ़ राहत के प्रभावी प्रबंधन के लिए भी आवश्यक है । अपेक्षित मिट्टी का बड़ा भाग उपर्युक्त सुझाव के अनुसार नदियों में से गाद निकालकर पूरा किया जा सकता है जिसमें केवल ढुलाई खर्च ही लगेगा ।
- कमजोर वर्गो के लिए घरों का निर्माण नदियों से मिट्टी निकालकर उससे बनाए गये ऊँचें प्लेटफार्म पर किया जाना चाहिए । जहॉ संभव हो इन घरों का तल बाढ़ के स्तर से ऊँचा होना चाहिए । संयोग से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र सिसमिक जोन में भी आते हैं इसलिए भूकंप प्रवण हैं । अतः घरों को इतना

मजबूत बनाना होगा कि वे भूकंप को झेल सकें । दो तल्ले भवन के निर्माण लागत को ध्यान में रखते हुए इन्हें सामूहिक आवासन की प्रणाली पर बनाया जा सकता है।

- बाढ़ के दौरान चारे की कमी को दूर करने के लिए स्थायी उपाय करने होंगे। प्रस्ताव है कि पी0पी0पी0 मॉडल पर चारा बैंक स्थापित किया जाय जो तभी व्यवहार्य होंगे जब वे कार्य करने लगेंगे लेकिन शुरूआत में इसके लिए पूँजीगत सहायता की आवश्यकता होगी ।
- मत्स्य पालन तालाब, जो उत्तर बिहार में लाखों लोग की आजीविका का प्रधान स्त्रोत है, बाढ़ के दौरान गाद से भर जाते हैं जिससे वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन करने में रूकावट आती है । इन्हें गाद मुक्त करने की आवश्यकता है ।
- बाढ़ से पटना के कई हिस्से सहित अनेक शहरों की जलनिकास प्रणाली अवरूद्ध और नष्ट हो गयी है जिन्हें व्यापक स्तर पर पुनर्निमाण करने की आवश्यकता है ।
- पंचायतें जो शासन व्यवस्था का सबसे निचला स्तर है, स्थानीय स्तर पर राहत एवं पुनर्वास का मुकाबला करने में सबसे अधिक सक्षम है । तथापि अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने के लिए उन्हें अबतक कार्यालय एवं आधारभूत संरचना ही उपलब्ध नहीं है । प्रस्ताव है कि पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया जाय जो बाढ़ के दौरान राहत प्रबंधन केन्द्रों के रूप में कार्य कर सके।
- बाढ़ के दौरान खद्यानों के परिवहन, भंडारण एवं उठाई–धराई की समस्या प्रमुख होती है । प्रस्ताव है कि प्रत्येक 404 बाढ़ प्रभावित प्रखंड में एक–एक गोदाम तथा 18 जिला मुख्यालयों में एक–एक उससे बड़ा गोदाम बनाया जाय जिसका प्रबंधन बिहार खाद्य निगम के अधीन हो।

14– इन प्रस्तावों के सैद्धांतिक आधारों पर कोई विवाद नहीं हो सकता है, यद्यपि स्कीमों के चरणबद्ध कार्यान्वयन के संबंध में समस्या आ सकती है । इस चिरस्थायी समस्या के टिकाऊ हल के लिए यह सुझाव दिया गया है कि निश्चित समय सीमा

में प्रस्तावों के तकनीकी एवं कार्यान्वयन के पहलू से सम्बद्ध सभी मामलों पर विचार करने के लिए योजना आयोग स्तर पर एक कार्यदल गठित किया जाय । जिससे राज्य स्थायी विकास के रास्ते पर दृढ़ता से बढ़ सके । यदि क्षेत्रीय विषमता को बड़ा होने से रोकना है तो योजना आयोग अथवा केन्द्र सरकार से एक विशेष पैकेज दिया जाना परमावश्यक होगा।

परिशिष्ट – 9.1

बिहार की बाढ़ 2007 हेतु वित्तीय प्रस्ताव

(करोड़ रू0 में)

स्कीम	वित्तीय प्रस्ताव
1 नदियों से गाद निकालना	5098.00
2 निकास की व्यवस्था के साथ निकटवर्ती नदियों को आपस में जोड़कर नियंत्रण	3580.39
3 सड़कों का समुत्थान और पुनर्निमाण	
(क) उच्च पथ एवं जिलों की मुख्य सड़को(एम.डी.आर.)	1843.00
(ख) ग्रामीण सड़कें	2054.52
4 गृह निर्माण	4200.00
5 जे0एन0एन0यू0आर0एम0, यू0आई0डी0एस0, एस0एम0डी0 एवं आई0एच0एस0 के अधीन आवंटन में वृद्धि	1988.00
6 पटना में तीव्र जल प्रणाली (स्टॉर्मा वाटर सिस्टम) का जिर्णोद्धार	34.88
7 आद्य सुरक्षा हेतु सभी बाढ़ प्रवण जिलों तथा प्रखंडों में गोदाम का निर्माण	155.71
8 पंचायत राह केन्द्रों का निर्माण	1138.48
9 चारा बैंकों का निर्माण	128.00
10 मात्स्यकी हेतु विशेष केन्द्रीय पैकेज	200.67
कुल	**20421.65**

अध्याय–10

आधारभूत संरचनायें

10.1 ऊर्जा

अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ऊर्जा प्रक्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है तथा इस वजह से पर्याप्त विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। पूर्व में ऊर्जा प्रक्षेत्र का विकास मांग के अनुरूप नहीं हुआ है अतः अब विद्युत प्रक्षेत्र को समुचित प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार के बँटवारे के बाद इस राज्य में अब मात्र दो विद्युत उत्पादन गृह रह गए हैं– बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान (2x50 मे0वा0+2x110=220 मे0वा0) तथा मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान (2x110=220 मे0वा0) । इन ताप विद्युत प्रतिष्ठानों की अधिकांश इकाइयाँ पुरानी एवं जर्जर हो गई है तथा इनके जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण की आवश्यकता है। फलस्वरूप बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को अपने श्रोतों से विद्युत का उत्पादन नगण्य हो गया है तथा राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु केन्द्रीय आबंटन पर निर्भर रहना पड़ता है।

2. राज्य के व्यापार,उद्योग एवं कृषि क्षेत्र की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ताप विद्युत तथा जल विद्युत दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध क्षमताओं का पूर्ण उपयोग कर तथा पुराने एवं बंदप्रायः पड़ी इकाइयों को पुनर्जीवित कर तथा नये विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना कर विद्युत उत्पादन बढ़ाना ऊर्जा नीति का मुख्य लक्ष्य है। इस प्रयोजनार्थ पुरानी संचरण परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा आवश्यकता के अनुरूप संचरण क्षमता बढाने हेतु नई परियोजनाओं को लाने की भी आवश्कता है। विद्युत संचरण एवं वितरण से संबंधित विकास कार्य ग्रामीण तथा शहरी, दोनों क्षेत्रों में आवश्यक है। इनमें नई लाईनों को बनाना, नये ग्रिड सब–स्टेशनों तथा पावर सब–स्टेशनों का निर्माण, वर्तमान ग्रिड सब–स्टेशनों और पावर सब–स्टेशनों का नवीकरण, ट्रांसफर्मरों की आपूर्ति बढ़ाना, इलेक्ट्रोनिक मीटर प्रणाली की पूर्णरूपेण स्थापना करना तथा उपभोक्ता सेवाओं का कम्प्युटरीकरण, इन कार्यों को करना आवश्यक है।

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–2012) एवं वार्षिक योजना 2007–2008 हेतु रणनीति

3. उत्पादन

राज्य में विद्युत उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उत्पादन क्षमता में आत्मनिर्भरता के न्यूनतम स्तर को प्राप्त करना अति आवश्यक है। राज्य की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि सन् 2012 तक ऊर्जा खपत के क्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु समुचित कदम ससमय उठाये जाएं ।

(क) **जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण**

बरौनी एवं मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठानों के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण हेतु राजीव गांधी सम विकास योजना में 506 करोड़ रू0 की राशि स्वीकृत की गई है, मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की इकाई संख्या–2 का कार्य प्रारंभ हो गया है तथा इस इकाई से दिसम्बर, 2007 के अंत तक 60 से 80 मे0 वा0 विद्युत उत्पादन मिलने की संभावना है। बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान की इकाई संख्या–6 (110 मे0वा0) के पुनरूत्थान का कार्य एन0टी0पी0सी0 के पर्यवेक्षण में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि0 द्वारा प्रारंभ किया गया है तथा इस इकाई से नवम्बर, 2007 के पश्चात् 60 से 80 मे0 वा0 विद्युत उत्पादन हो रहा है। उपर्युक्त दोनों ताप विद्युत प्रतिष्ठानों के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात् इनसे कुल 400 मे0 वा0 बिजली मिलने लगेगी।

(ख) **नये ताप विद्युत प्रतिष्ठानों के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि**

ऊर्जा प्रक्षेत्र की आधारभूत संरचनाओं को बढ़ाने का कार्य 10 वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ किया गया था तथा इसे राज्य की बढ़ती हुई विद्युत मांग को पूरा करने हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जायेगा। विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रयोजनार्थ बिहार राज्य विद्युत बोर्ड ने वर्तमान ताप विद्युत प्रतिष्ठानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु नये ताप विद्युत प्रतिष्ठान लगाने के लिए निम्नलिखित योजनाएँ बनाई हैं।

4. **11वीं योजना का विशिष्ट क्षेत्र**

(क) राज्य क्षेत्र– राज्य सरकार ने बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान में 250 मे0 वा0 की दो नई उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। उपर्युक्त प्रस्तावित नई ईकाइयों के लिए कोयले के लिंकेज हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा आवेदन दिया गया है।

- नई उत्पादन इकाई – बरौनी ताप विद्युत प्रतिष्ठान
- प्रस्तावित इकाई – 2x250 मे0 वा0
- कुल प्रस्तावित क्षमता विस्तार– 500 मे0 वा0
- कुल प्राक्कलित खर्च – 2250.00 करोड़

(ख) संयुक्त उपकम

(i) मुजफ्फरपुर ताप विद्युत प्रतिष्ठान की क्षमता का विस्तार :–(2x250 मे0 वा0) कॉटी विद्युत उत्पादन कम्पनी, (एन0टी0पी0सी0 एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का संयुक्त उपक्रम) के द्वारा एम0टी0पी0एस0, कॉंटी में 250 मे0वा0 की दो नई ईकाइयों के निर्माण पर सहमति जताई गई है।

(ii) नवीनगर (3x660 मे0 वा0)– एन0टी0पी0सी0 तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड/बिहार सरकार के साथ एक संयुक्त उपकम बना कर नवीनगर में 3x660 मे0वा0 उत्पादन क्षमता के ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र बनाने का फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

कम सं0	नई उत्पादन परियोजनाएँ	क्षमता	कुल	कुल आकलित लागत (करोड़ में)
1.	एम0टी0पी0एस0 विस्तार योजना प्रथम चरण	2x250 मे0वा0	500 मे0 वा0	2250.00
2.	नवीनगर ताप विद्युत प्रतिष्ठान	3x660 मे0 वा0	1980 मे0 वा0	9500.00

(ग) **निजी क्षेत्रः**– राज्य में विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि में निजी क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। राज्य में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजी उद्यमियों को

निवेश हेतु अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ सभी प्रकार की निर्वाधिताओं (क्लीयरेंसेज) को तीव्रता से पूर्ण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार सिंगल विंडो क्लीयरेन्स अधिनियम 2006 के तहत एक राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना की गई है। कई कम्पनियों ने नई विद्युत ईकाइयाँ लगाने में अपनी अभिरूचि दिखाई है। राज्य सरकार ने टैरिफ आधारित प्रतियोगी बिडिंग के द्वारा नए ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की स्थापना हेतु कतिपय स्थलों का चयन किया है, जिनमें निम्नलिखित प्रस्तावित स्थल हैं:–

क्रम सं0	प्रस्तावित विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठान का नाम	प्रस्तावित क्षमता	कुल क्षमता	आकलित खर्च (करोड़ में)
1.	कटिहार ताप विद्युत उत्पादन संस्थान	4x250 मे0 वा0	1000 मे0 वा0	4000.00
2.	पीरपैंती ताप विद्युत प्रतिष्ठान	4x500 अथवा 3x660 मे0 वा0	2000 मे0 वा0	8000.00

राज्य सरकार ने उपर्युक्त प्रस्तावित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं हेतु स्थलों के चयन एवं उन्नयन के लिए आई0एल0एफ0एस0 एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी बनाने का फैसला किया है। यह कम्पनी न सिर्फ स्थलों के चयन एवं उन्नयन का कार्य करेगी बल्कि परियोजनाओं की स्थापना हेतु आवश्यक सभी आवश्यक निर्वाधिताएँ पूरी करने तथा स्वीकृत्यादेश प्राप्त करने का कार्य भी करेंगी।

न्युक्लियर पावर कारपारेशन ऑफ इंडिया, मुम्बई द्वारा रजौली में प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा परियोजना जिसकी प्रस्तावित क्षमता 4x700 मे0 वा0 है, हेतु 3150 एकड़ भूमि तथा 3200 क्यू0/घंटा पानी (जिसमें 16000 क्यू0/घंटा खपत होगी) की आवश्यकता का आकलन किया गया है। इस प्रयोजनार्थ फरवरी, 2007 के प्रथम सप्ताह में मेसर्स एन0पी0सी0एल0, बिहार सरकार एवं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के अभियंताओं के एक विशेषज्ञ दल ने स्थल चयन हेतु भ्रमण भी किया है। परियोजना की आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग कार्य कर रहा है, उनकी अनुशंसा को मेसर्स एन0पी0सी0एल0 द्वारा सम्पुष्ट करने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाएगी।

इनके अतिरिक्त राज्य में कैप्टिभ पावर प्लांट तथा को–जेनरेशन प्लांटों के माध्यम से भी विद्युत उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा श्रोतों के विषय में एक नीति भी बनाई गई है जिस आधार पर लघु जल विद्युत परियोजनाओं में निजी भागीदारियों को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा।

5. संचरण

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के तहत् संचरण को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में माना गया है। राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उत्तर बिहार में 552 करोड़ रू0 की लागत से संचरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण का कार्य लगभग पूर्ण किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत 18 नए ग्रिड सब–स्टेशनों का निर्माण किया गया है तथा लगभग 875 कि0 मी0 नई संचरण लाईनों का विस्तार किया गया है । राज्य की विद्युत संचरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने तथा भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ संयुक्त रूप से आकलन कर संचरण फेज–II के तहत दो पार्ट, पार्ट–I एवं पार्ट–II में कार्यों के निष्पादन का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

(क) **संचरण फेज–II पार्ट–I**

कुल 1005.22 करोड़ रू0 की लागत से उप–संचरण फेज–II पार्ट–I परियेाजना की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जा रहा है। वर्ष–2006–07 तक भारत सरकार द्वारा 309.66 करोड़ रू0 की राशि सीधे पावर ग्रिड को विमुक्त की जा चुकी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 189.00 करोड़ रू0 की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें 150.00 करोड़ रू0 का प्रावधान वित्तीय वर्ष–2007–08 हेतु किया गया है।

कार्यो का विवरण	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति
नए ग्रिड सब–स्टेशनों का निर्माण	7 अदद	भूमि अधिग्रहण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है सर्वे कार्य तथा अन्य प्राथमिक कार्य प्रारम्भ
संचरण लाईन	373 कि0मी0	
क्षमता विकास	1170 एम0 बी0 ए0	
तार बदलने का कार्य	362 कि0मी0	

पूर्व के बचे हुए (स्पिल ओभर)कार्य	बेगुसराय में 220/132/33 कि0 वा0 ग्रिड सब–स्टेशन का निर्माण बेगुसराय–पूर्णियाँ 220 कि0वो0 डी0सी0लाईन	

(ख) ट्रांसमिशन फेज–II पार्ट–II

उप–संचरण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु 1511.00 करोड़ रू0 की लागत से यह योजना बनाई गई है जिसे योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। इस कार्य को पावर ग्रिड तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

विवरण	ग्यारहवी योजना (2007–12)	वार्षिक योजना 2007–08
नए ग्रिड सब–स्टेशन	21अदद	4 अदद
संचरण लाईन	1529 कि0मी0	300 कि0मी0
क्षमता विस्तार	540 के0 वी ए0	100 के0 वी0 ए0
री–कंडक्टरिंग	247 कि0मी0	50 कि0 मी0

इस योजना के पूर्ण होने के उपरान्त वर्ष 2008 के अंत तक राज्य संचरण क्षमता बढ़ कर 3350 मेगावाट हो जाएगी।राज्य में वर्ष 2012 तक ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ कर 11500 मे0 वा0 होने का अनुमान है जिसके लिए उत्पादन क्षमताओं का विस्तार किया जा रहा है तथा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लगभग 9000 मेगावाट के अतिरिक्त संचरण क्षमता की जरूरत होगी जिसमें लगभग 7000 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है।

6. वितरण में सुधार

बिहार राज्य में ऊर्जा प्रक्षेत्र में सुधार के क्षेत्र में वास्तविक चुनौती वितरण प्रणाली की दक्षता में वृद्धि करना है। राज्य का आर्थिक विकास स्थिर संचरण एवं वितरण प्रणाली पर निर्भर करता है। राज्य के ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह आवश्यक है कि आवश्यकता के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में एवं गुणवत्ता के साथ ऊर्जा की उपलब्धता हो जिसके लिए वितरण प्रणाली में समुचित निवेश की

आवश्यकता होगी। मेसर्स आई0सी0आर0ए0 (आई0 सी0 आर0 ए0) द्वारा मेसर्स पावर फाईनेंस कारपोरेशन को समर्पित एक प्रतिवेदन में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड में सम्प्रति 48 प्रतिशत समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT&C loss) का आकलन किया गया है। विगत दो वर्षो में विभिन्न योजनाओं के द्वारा संचरण एवं वितरण के क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों की वजह से सम्प्रति इसे कम करने की दिशा में प्रगति हुई है। संचरण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु चलायी जा रही योजनाओं के द्वारा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT&C loss) को कम किया जा सकेगा।

बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 8 कम्पनियों में पुनर्गठन का कार्य यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। इन कम्पनियों के निगमन का कार्य ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कर लिया जाएगा तथा दिसम्बर 2008 तक ये सभी कम्पनियाँ पूर्णतः कार्यरत हो जायेंगी।

(क)ए0पी0डी0आर0पी0

विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने, विद्युत आपूर्ति में वृद्धि करने, तथा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि ;।ज्—ब सवेद्ध में कमी लाने हेतु ए0पी0डी0आर0पी0 (।च्क्त्च्द्ध प्रारम्भ किया गया है। ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत राज्य के सोलह विद्युत आपूर्ति अंचलों में से 12 (बारह) को अंशतः समाविष्ट किया गया हैं । उपर्युक्त योजना के तहत उपभोक्ताओं तथा फीडरों के मीटरीकरण के अधिष्ठापन कार्य, 33 के0 भी0 तथा 11 के0 भी0 के अतिभारित तारों को बदलने का कार्य, नए पावर सब–स्टेशनों के निर्माण का कार्य, नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों के अधिष्ठापन तथा क्षमता विस्तार का कार्य, वितरण ट्रांसफॉर्मरों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य, तथा पेसु (पटना) क्षेत्र के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण, डी0एम0स0–स्काडा इत्यादि कार्यों का समारम्भ किया गया है। इन कार्यों हेतु सभी 12 अंचलों के लिए पूर्व में कुल 866.00 करोड़ रू0 की राशि स्वीकृत थी जिसे अब पुनरीक्षित कर रू0 1066.58 करोड़ किया गया है तथा इसमें से 594.33 करोड़ रू0 की राशि खर्च की जा चुकी है।

भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सिद्धांत रूप में शेष 4 आपूर्ति अंचलों के सात शहरों हेतु 129.50 करोड़ रू0 की योजना स्वीकृत की जा चुकी है जिसे इस अवधि में क्रियान्वित करने की योजना है।

कार्य परिधि

विवरण	लक्ष्य	प्राप्ति
पावर सब–स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	200 अदद	198 अदद
नए पावर सब–स्टेशनों का निर्माण	38 अदद	29 अदद
नए 33 के0 भी0 एवं 11 के0भी0 लाईन	1188.0 कि0मी0	1188.0 कि0मी0
33 के0वी0 एवं 11 के0वी0 लाईन के तारों का बदलाव	4034.0 कि0मी0	4034 कि0मी0
नए वितरण ट्रांसफॉर्मरों का अधिष्ठापन	1919 अदद	1841 अदद
200 / 100 / 63 के0वी0ए0 के वितरण ट्रांसफॉर्मरों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य	6574 अदद	5305 अदद

सम्प्रति ए0पी0डी0आर0पी0 राज्य के जिला मुख्यालय स्थित शहरों में चलाई जा रही है। इसे अनुमंडलीय स्तर के शहरों तथा प्रखंड मुख्यालयों के स्तर पर चलाने की आवश्यकता है। इस प्रकार से समग्र तकनिकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT&C Loss) को प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की दर से कम करने का लक्ष्य है।

ख. वार्षिक विकास योजना (ए0डी0पी0)

इस योजना के तहत नव विकसित शहरी क्षेत्रों के विद्युतीकरण का कार्य तथा अन्य बचे हुए कार्यों को पूरा करने की योजना है। जिन योजनाओं को ए0पी0डी0आर0पी0, ग्रामीण विद्युतीकरण अथवा अन्य योजनाओं में शामिल नहीं किया गया है उन्हें ए0डी0पी0 के अंतर्गत लाया गया है। ग्यारहवीं पचंवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं को ए0डी0पी0 में लाया गया हैः–

कार्य परिधि

क्रम सं0	विवरणी	अनुमानित लागत करोड़ में
1.	तीन नए ट्रांसफॉर्मरों मरम्मती कारखानों का निर्माण	120.03
2.	वर्तमान डी0एस0एस0 में कैपिसिटर लगाने का कार्य	15.03
3.	33/11 के0 वी0 पावर सब–स्टेशनों के बचे हुए कार्य (लगभग 30 अदद)	30.00
4.	200 अदद नए 33/11 के0 वी0 पावर सब–स्टेशनों का निर्माण	250.00
5.	पूराने कार्यरत ग्रिड सब–स्टेशनों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	3.00
6.	ग्रिड सब–स्टेशनों के पुराने तथा अब अप्रचलित हो चुके संरक्षी उपकरणों को बदलने का कार्य	125.00
7.	ग्रिड सब–स्टेशनों में 220 के0वी0,132 के0वी0तथा 33 के0वी0 फीडरों के मीटरीकरण का कार्य।	10.00
8.	33/11 के0 वी0 पावर सब–स्टेशनों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण	47.94
9.	विद्युत अधीक्षण अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता के आवासों का निर्माण, निरीक्षण भवन का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य तथा पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था	5.00
10.	जिन 33 के0 वी0,11के0वी0 तथा निम्न विभव के तारों को बदलने का कार्य ए0पी0डी0आर0पी0 योजना में शामिल नहीं किया गया है, उन्हें बदलने का कार्य	272.00
11.	ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं का मीटरीकरण	50.00
12.	राजकीय नलकूप तथा एल0टी0 योजना का ऊर्जान्वयन	72.00
	कुल	1000.00

7. भूमिगत केबुलिंग

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त पटना शहर के उपरली वितरण प्रणाली (Overhead distribution system) को भूमिगत केबुलिंग में/बदलने/परिवर्तित करने की योजना भी बनाई गई है। इस कार्य हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 624.25 करोड़ रू0 की राशि का प्रावधान किया गया है। इस योजना के द्वारा विद्युत आपूर्ति की दक्षता बढ़ाने के साथ–साथ ऊर्जा की उपलब्धता एवं गुणवत्ता में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है; साथ ही यह योजना विद्युत चोरी को रोकने में भी मददगार साबित होगी, जिससे बोर्ड के राजस्व में वृद्धि होगी और ए0 टी0 एंड सी0 दृष्टियों में भी कमी होगी ।

मेसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन को राज्य के अन्य प्रमुख शहरों हेतु भी भूमिगत केबुलिंग का डी0पी0आर0 बनाने को कहा गया है । इस कार्य हेतु आवश्यक निधि विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध कराई जाएगी जिनमें बाह्य अभिकरण भी शामिल हैं।

योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

8. बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठानों की इकाई संख्या–6 एवं 7 तथा मुजफ्फरपुर ताप शक्ति प्रतिष्ठान की इकाई संख्या–1 एवं 2 के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य।

बरौनी एवं मुजफ्फरपुर ताप शक्ति प्रतिष्ठानों के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का कार्य ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है।

(ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 16120.53 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 15000.00 लाख रू0)

9. बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान की ईकाई सं0–4 एवं 5 के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण

ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना में बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण का प्रस्ताव है।

(i) ग्यारहवी पंचवर्षीय योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय–10653.07 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) हेतु उद्व्यय – 7486.00 लाख रू0

10. बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान का विस्तार

ग्यारहवी योजना में बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान के विस्तारीकरण की योजना है।

(ग्यारहवी योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 7800.26 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 1000.00 लाख रू0)

11. **बरौनी ताप शक्ति प्रतिष्ठान के लिए गंगा नदी का जल** – इस योजना के लिए 11वीं योजना में निम्नलिखित उद्व्यय प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवी योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 6240.21 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 600.00 लाख रू0)

12. **नई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए0सी0ए0)**वर्तमान (Existing) विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठानों के विस्तारीकरण में निम्न प्रकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता करने का प्रस्ताव हैः

(i) ग्यारहवी योजना (2007–12) में उद्व्यय– 7280.24 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय– 7000.00 लाख रू0

13. नई परियोजनाओं हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (राज्य की योजना से)

वर्तमान विद्युत उत्पादन प्रतिष्ठानों के विस्तारीकरण में राज्य की योजना से निम्न प्रकार से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता करने की योजना हैः

(i) ग्यारहवी योजना (2007–12) में उद्व्यय– 3700.00 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय – 3700.00 लाख रू0

14. उप–संचरण प्रणाली, फेज–II, पार्ट– I, फेज–II, पार्ट–II

राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत् वर्तमान में चल रहे कार्यों को ग्यारहवी योजना अवधि में भी जारी रखा जाएगा।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय)

(i) फेज–II, पार्ट–I - 19656.00 लाख रू0
(ii) फेज–II, पार्ट–I 142588.71.00 लाख रू0

(वार्षिक योजना (2007–08) हेतु उद्व्यय)

(i) फेज–II पार्ट–I 15000.00 लाख रू0
(ii) फेज–II पार्ट–II 20,000.00 लाख रू0

15. भूमिगत केबुलिंग

राज्य के सभी जिला मुख्यालय के शहरों में ओवरहेड विद्युत वितरण प्रणाली को परिवर्तित कर भूमिगत केबुलिंग में बदलने का प्रस्ताव हैः–

(i) ग्यारहवी योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 64923.61 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) हेतु उद्व्यय – 2101.38 लाख रू0

16 ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हेतु पूरक व्यय– ग्यारहवी योजना अवधि में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के व्यय राज्य की योजना से पूर्ण किए जाऐंगे।

(i) ग्यारहवी योजना (2007–12) में उद्व्यय– 16640.00 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय– 711.58 लाख रू0

17. राज्य योजना : इस योजनान्तर्गत विद्युत वितरण हेतु 11वीं योजना के लिए उद्व्यय का प्रावधान किया गया है ।

ग्यारहवी योजना (2007–12) में उद्व्यय– 92917.61 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय– 905.42 लाख रू0

18. ए0पी0डी0आर0पी0– ए0पी0डी0आर0पी0 के अंतर्गत 16 विद्युत आपूर्ति अंचलों में से 12 आपूर्ति अंचलों को शामिल किया गया है। ग्यारहवी योजना अवधि में इस योजना के द्वारा वितरित ऊर्जा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT&C loss) को कम करने का प्रस्ताव है।

(i) ग्यारहवीं योजना (2007–12) में उद्व्यय– 58300.86 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय – 6000.00 लाख रू0
(iii) (राज्य की हिस्सेदारी)

19. बिहार राज्य जल विद्युत निगम (बी0एच0पी0सी0)

योजना अवधि में नावार्ड ऋण के द्वारा पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण किया जाएगा एवं नई परियोनाओं का कार्यारम्भ किया जाएगा।

(i) ग्यारहवी योजना (2007–12) में उद्व्यय– 7500.00 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजतना (2007–08) में उद्व्यय– 1500.00 लाख रू0

20. वाल्मिकी नगर तथा डेहरी में निकास धारापथ (एस्केप चैनल) का निर्माण

बाल्मिकीनगर तथा डेहरी परियोजनाओं में उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु गैर–सिंचाई अवधि में भी इकाईयों के परिचालन के सामर्थ्यकारी बनाने हेतु निकास धारापथ (एस्केप चैनल) का निर्माण किया जाएगा।

(i) ग्यारहवीं योजना (2007–12) में उद्व्यय– 5500.43 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय– 584.00 लाख रू0

21. डागमारा एवं अन्य वृहत् जल विद्युत परियोजनाओं का प्रारंभिक कार्य

डागमारा विद्युत परियोजनाआ अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्र में अवस्थित है तथा इस तरह की परियोजना से क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा ।

(ग्यारहवी योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 10400.35 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 1500.00 लाख रू0)

22. लघु जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण– ग्यारहवीं योजना में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

(i) ग्यारहवीं योजना (2007–12) में उद्व्यय– 997.48 लाख रू0
(ii) वार्षिक योजना (2007–08) में उद्व्यय – 200.00 लाख रू0

23. ब्रेडा (बिहार रिन्युएबुल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी)

स्थापनाः परियोजना क्रियान्वयन हेतु मूलभूत संरचनाओं को अवलंब प्रदान करने के लिए योजना उद्व्यय में स्थापना मद में प्रावधान किए गए हैं।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 260.01 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 55.00 लाख रू0)

24. गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतः ग्यारहवीं योजना में विभिन्न गैर पारम्परिक ऊर्जा श्रोतों को कियान्वित करने के कार्यक्रम को लागू करने का प्रस्ताव हैः–

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 156.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 50.00 लाख रू0)

25. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम सौर ऊर्जाः

सोलर फोटो वोल्टाईक तकनीक के द्वारा सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो पर्यावरण को सुरक्षित एवं साफ रखता हैं ।

(ग्यारहवी योजना (2007–12) हेतु उद्व्यय– 100.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 हेतु उद्व्यय– 100.00 लाख रू0)

उर्जा

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002—03	27876.30	17748.29	13299.53
2003—04	49717.80	39088.23	49898.63
2004—05	66961.80	8831.80	32457.25
2005—06	47654.25	56854.85	50033.85
2006—07	74345.00	48926.85	55900.13
योग	**266555.15**	**171450.02**	**201589.39**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007—08) — 83493.38 लाख रूपये

ग्यारहवीं योजना (2007—12) — 471841.45 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में वर्तमान परियोजनाओं का क्षमता विस्तार, पुरानी ईकाईयों का जीर्णोद्धार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा नए विद्युत उत्पादन गृह के प्रतिष्ठापन के द्वारा न्यूनतम आत्मनिर्भरता प्राप्त करना
- बरौनी एवं मुजफ्फरपुर ताप शक्ति प्रतिष्ठानों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ इनका पूर्णरूपेण जीर्णोद्धार, नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से तथा निजी उद्यमियों द्वारा नई विद्युत उत्पादन ईकाईयों के अधिष्ठापन को प्रोत्साहन।
- केन्द्रीय/राज्य प्रायोजित योजनाओं को लागू कर पुरानी संचरण और वितरण

प्रणाली का नवीकरण, तथा नए संरचनाओं का विकास

- नई विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का टैरिफ आधारित कम्पिटिटिव बिडींग द्वारा विकास हेतु विशेष प्रयोजन वाहन की स्थापना।
- कैप्टिभ पावर संयंत्र, को जेनरेशन तथा ऊर्जा के रिन्युएबुल श्रोतों के द्वारा राज्य की उत्पादन क्षमता में वृद्धि
- बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का उत्पादन,संचरण एवं पाँच विभिन्न वितरण कम्पनियों के रूप में पुनर्गठन
- आगामी 5 वर्षों तक प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की दर से समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि (AT & C Loss) में कमी।
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के सभी 11 के0 वी0 फीडरें में फ्रेंचाईजी की नियुक्ति

10.2 **परिवहन प्रक्षेत्र**

1 परिवहन प्रक्षेत्र अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सेवा प्रक्षेत्र है । परिवहन की महत्ता है कि नागरिकों का आर्थिक विकास इस पर निर्भर है। एक सुलभ एवं दक्ष परिवहन व्यवस्था, जिसमें भविष्य की आवश्यकताओं को सन्निहित किया गया हो, में आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने की क्षमता है तथा यह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में भी महत्वपूर्ण सहायक हो सकता है। वर्तमान में रेल तथा सड़क मार्ग परिवहन व्यवस्था के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। महत्वपूर्ण क्षमता के बावजूद अंतर्देशीय जलमार्ग अब तक विशेष प्रगति नहीं कर सका है।

2 बिहार में परिवहन प्रक्षेत्र पर अब तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों का पूरे देश से महत्वपूर्ण सड़क संपर्क होने के बावजूद बिहार में परिवहन सुविधाएँ संतोषप्रद नहीं हैं। बिहार से लगभग 3500 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग एवं 13,000 कि0मी0 राज्य स्तरीय राजमार्ग गुजरता है। प्रति लाख जनसंख्या के विरूद्ध मात्र 1500 वाहन ही हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन रेलमार्ग एवं सड़क मार्ग का एक महत्वपूर्ण एवं आत्मनिर्भर विकल्प हो सकता है, परन्तु यह प्रक्षेत्र

अब तक यथोचित ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया है। चूँकि बिहार जीवन–स्तर मानकों के दृष्टिकोण से पिछड़ा राज्य है, अतः परिवहन प्रक्षेत्र में विकास, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के साथ–साथ जीवन–स्तर में भी गुणात्मक परिवर्तन ला सकेगा।

3 **10 वीं योजना की समीक्षा**–10 वीं योजना में परिवहन प्रक्षेत्र के लिये पुनरीक्षित उद्व्यय 5.30 करोड़ रूपये के विरूद्ध इस अवधि में कुल 3.73 करोड़ रूपये (70.36 %) व्यय हुए।

(4) **11 वीं योजना का लक्ष्य**–11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर को 8.5 % के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रेल एवं सड़क परिवहन में 12.5 % की वृद्धि दर अपेक्षित है। अपेक्षित वृद्धि दर को प्राप्त करने के लिये अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता होगी।

(5) राज्य के विभाजन के बाद बिहार में उपलब्ध संसाधनों के सदंर्भ में, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कृषि उत्पाद को उचित मूल्य दिया जाय तथा अतिरिक्त कृषि उत्पाद को कम खर्च पर अच्छे बाजार तक पहुँचाया जा सके। परिवहन के विभिन्न साधनों तथा इससे संबंधित आधारभूत संरचना के विकास के आधार पर ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को अच्छे बाजार, आधुनिक अस्पताल, स्कूल, बस पड़ाव तथा रेलवे स्टेशन की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त, ट्रांसपोर्ट प्रक्षेत्र का विकास इस तरह किया जाना है जिससे कि परिवहन सुविधाओं तथा आधारभूत संरचना के विकास में ज्यादा निवेश प्राप्त हो सके। ग्रामीण स्तर पर समस्याओं के समाधान हेतु एक समेकित योजना बनाने की आवश्यकता है जिसमें ग्रामीण सड़क, छोटे पुल तथा सड़क पुलियों की योजनाओं को सन्निहित किया जा सके। अच्छे सड़क मार्गों को विकसित करने के लिये यह आवश्यक है कि इस पर माल की ढुलाई तथा यात्रियों की सुविधा के साथ–साथ माल के भंडारण एवं इसे उत्पाद केन्द्र से बाजार तक पहुँचाने की व्यवस्था की जाय। इस तरह की सुविधाओं का परिवहन प्रक्षेत्र में विकास किया जाना एक चुनौती है क्योंकि इसी के आधार पर परिवहन प्रक्षेत्र को समसामयिक बनाया जा सकता है। 11 वीं पंचवर्षीय योजना में परिवहन प्रक्षेत्र के अंतर्गत इन सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाना आज की परम आवश्यकता है।

6. अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 8.5% के लक्ष्य के आलोक में तथा माँग के लचीलेपन के आधार पर राज्य के परिवहन क्षेत्र की वृद्धि दर को 13% प्रति वर्ष होना चाहिये। वर्ष 2001–02 में मोटर वाहनों पर कर जो वर्ष 1994 में निर्धारित था को संशोधित किया गया एवं करों की नयी दर लागू की गयी परंतु बिहार वित्त अधिनियम–2001 तथा मोटर वाहन करारोपण (संशोधित अधिनियम–2002) को बिहार वित्त अधिनियम–2006 के द्वारा संशोधित करते हुये 1994 में लागू कर दर को पुनः स्थापित कर दिया गया है।

7 राज्य में परिवहन विभाग के अधीन 38 जिला परिवहन कार्यालय हैं। परिवहन विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण वर्ष 1990–91 में ही प्रारंभ किया गया। इस योजना के अधीन राज्य के पाँच जिला परिवहन कार्यालयों यथा–पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया को कंप्यूटरीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष–2000–01 में 10 जिला परिवहन कार्यालयों यथा भभुआ, औरंगबाद, समस्तीपरु, सीवान, बेतिया, जहानाबाद, मधुबनी, गोपालगंज, सीतामढ़ी एवं कटिहार में कंप्यूटर स्थापित करने के लिये राशि स्वीकृत की गयी थी, परंतु कतिपय कारणों से यह कार्य नहीं किया जा सका । अब कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की गयी है। प्रस्ताव यह है कि कंप्यूटरीकरण की योजना सभी जिलों में लागू की जाय। केन्द्रीय मोटर वाहन नियम–1989, में संशोधन के उपरान्त प्रस्ताव है कि चालक अनुज्ञप्ति तथा वाहनों का पंजीकरण 'स्मार्ट कार्ड' के रूप में ही निर्गत किये जायें। इस योजना के तहत विन्डो एन्टी सर्वर टेप–ड्राइव 8–पोर्ट 1/0 कार्ड, 3–विंडो क्लींवर लोकल नेटवर्किंग (मोडेम तथा दूरभाष कनेक्शन के साथ) वाताकूलन 2 के.वी.ए. ऑनलाइन यू.पी.एस., डॉट–मैट्रीक्स तथा इंक–जेट प्रिंटर, जेनेरेटर सेट, साइट प्रिपरेशन तथा साफ्टवेयर अप्लीकेश्न तथा अन्य सामग्रियाँ प्रत्येक जिले के लिये प्राप्त किये जायेंगे और उसमें लगभग 10.00 लाख रूपये प्रति जिला व्यय होने की संभावना है। इस आधार पर 11 वीं पंचवर्षीय योजना में पाँच करोड़ रूपये की राशि मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण पर व्यय होगी (अनुलग्नक–1)

{पंचवर्षीय योजना (2007–12)के लिये उद्व्यय– 529.97 लाख रूपये}

{वार्षिक योजना (2007–08) के लिये उद्व्यय– 50.00 लाख रूपये}

8. बे–इन–ब्रिज की सुविधा की कमी के कारण ओवरलोड वाहनों को रोकने में कठिनाइयाँ हो रही हैं तथा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुच्छेद 113–114 के अनुरूप ओरवरलोड वाहनों को प्रभावी ढंग से नहीं रोका जा रहा है। परिणामस्वरूप सड़क दुघर्टनायें बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिये आवश्यक है कि बे–इन–ब्रिज अधिष्ठापित किये जायें। आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य में महत्वपूर्ण राजमार्गों पर 6 इन्ट्री स्थानों पर बे–इन–ब्रिज अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव है।

{पंचवर्षीय योजना (2007–12)के लिये उद्व्यय– 104.93 लाख रूपये}

{वार्षिक योजना (2007–08) के लिये उद्व्यय– 0.00 लाख रूपये}

9. प्रवर्तन–तंत्र (मोबाइल दल) के पदाधिकारियों तथा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को राजस्व संग्रहण कार्य में और प्रभावी बनाने के लिये वाहनों के क्रय का प्रस्ताव है। तत्काल केवल सात वाहनों का क्रय किया जाए ।

{पंचवर्षीय योजना (2007–12)के लिये उद्व्यय– 30.74 लाख रूपये}

{वार्षिक योजना (2007–08) के लिये उद्व्यय– 0.00 लाख रूपये}

10. अंतर्राज्यीय जल परिवहन प्राधिकार ने इलाहाबाद से हल्दिया के बीच गंगा नदी को राष्ट्रीय जल परिवहन मार्ग संख्या–1 घोषित किया है। इस 90 : केन्द्रीय वित्त पोषित योजना में बहुत–सी महत्वाकांक्षी योजनायें सन्निहित हैं जिसके द्वारा महत्वपूर्ण नदियों को नौगम्य बनाने की योजना भी पिछली पंचवर्षीय योजना में थी। 10 वीं पंचवर्षीय योजना के अधीन केन्द्र सरकार ने गंडक, कोशी, तथा सोन नदियों पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण कराने की योजना की स्वीकृति दी थी। इसके अतिरिक्त भी कई योजनाएँ केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं। अंतर्राज्यीय जल परिवहन से संबंधित इन योजनाओं को पूरा करने के लिये राज्यांश 10% के आधार पर 100.00 लाख रूपये की आवश्यकता इस पंचवर्षीय योजना में होगी।

{पंचवर्षीय योजना (2007–12)के लिये उद्व्यय– 106.00 लाख रूपये}

{वार्षिक योजना (2007–08) के लिये उद्व्यय– 70.00 लाख रूपये}

परिवहन

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	378.84	219.10	200.00
2003–04	401.28	87.75	0.00
2004–05	188.08	78.08	15.41
2005–06	200.01	47.11	39.63
2006–07	120.00	118.91	118.53
योग	**1288.21**	**550.95**	**373.57**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 – 120.00 लाख रूपये

ग्यारहवीं योजना – 771.64 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- सभी जिलों में कम्प्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग का कार्यान्वयन
- केन्द्रीय मोटर–वाहन नियमावली 1989 के संशोधन के पश्चात् स्मार्ट–कार्ड के आधार पर चालक अनुज्ञप्ति निर्गत करना तथा पंजीकरण और
- महत्पपूर्ण राज–मार्गों के प्रवेश बिन्दु पर दो बे–इन–ब्रिज अधिष्ठापित करने की स्वीकृति प्राप्त तािा छः मार्गो पर बे–इन–ब्रिज अधिष्ठापित करने का प्रस्ताव

10.2.1 आधारभूत संरचना–पथ

आधारभूत संरचना का विकास, आर्थिक विकास हेतु सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसके बिना विकास संभव नहीं है। पथ–नेटवर्क आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पथ–नेटवर्क महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुँच बनाती है तथा उत्पादन केन्द्रों को बाजार से जोड़ती है। बिहार में पथ–नेटवर्क, राष्ट्रीय औसत की तुलना में कम है। कतिपय स्थानों पर यह अधिक यातायात घनत्व से निपटने में असमर्थ है तथा इसकी आरोही (राइडिंग) गुणवत्ता खराब है। वर्ष 1990 से पथ नेटवर्क में राष्ट्रीय स्तर पर 99.60% की वृद्धि हुई जब कि बिहार में यह वृद्धि 27.7% मात्र रही।

ग्राफ – 1

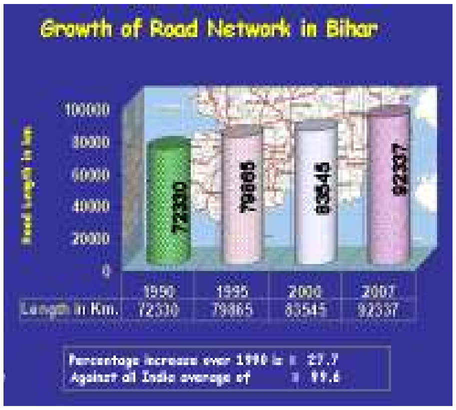

ग्राफ – 2

2. वर्ष 1990 की तुलना में वर्ष–2007 में अखिल भारतीय स्तर पर मोटर वाहनों की संख्या में 197% की वृद्धि हुई जबकि बिहार में यह वृद्धि 239% है। इस तरह यह स्पष्ट है कि बिहार में पथ नेटवर्क में वृद्धि यातायात घनत्व में वृद्धि के समानुपातिक नहीं हुई है।

ग्राफ – 3

ग्राफ – 4

3. देश में न्यूनतम सड़क–घनत्व के साथ अपर्याप्त सड़कों की लम्बाई तथा अधिक यातायात–घनत्व बिहार में खराव आरोही–गुणवत्ता का प्रमुख कारण है।

सड़क घनत्व – एक तुलना

Road Density-Comparison

Description	All India	Bihar	U.P.	A.P.	Karnataka	Gujarat	Bihar
Road Density per Sqkm. area	1.25	1.69	1.02	1.02	0.82	0.75	0.98
Km./lakh Population	360	717	185	297	289	275	111
Village Connectivity-%	62	51	60	67	59	99	57

ग्राफ –5

4. भारत सरकार तथा बिहार सरकार के विकास आयोजन में पथ–नेटवर्क में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत में वर्त्तमान सड़क नीति में दो मूलभूत सिद्धान्त हैं: **अभिगम्यता** और **गतिशीलता**। बढते यातायात–घनत्व तथा मोटर–वाहन की संख्या में बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए सड़कों का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण आवश्यक है। अनुरक्षण और सड़कों की आरोही–गुणवत्ता में सुधार करने पर भी बल दिया जाना है।

5. आगामी पंचवर्षीय योजनावधि में राज्य में स्थित सड़क नेटवर्क को देश के सर्वश्रेष्ठ सड़क नेटवर्क के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रशासनिक, आर्थिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण कॉरीडोर को 4–लेन संरचना में उन्नयन करने का लक्ष्य है। एन.एच. डी.पी. के अन्तर्गत 4–लेन में चौड़ीकरण तथा मजबूतीकरण किये जाने वाले पथांश निम्नांकित हैं :–

क्रं0	कॉरिडोर	लम्बाई कि0मी0	अभ्युक्ति
1	मोहनिया–सासाराम–औरंगाबाद–डोभी–बरही	205.7 रा0उ0प0–2–जी0 टी0 रोड	स्वर्णिम चतुर्भज के अन्तर्गत दिल्ली–कोलकत्ता का पथांश
2	गोपालगंज–मुजफ्फरपुर–दरभंगा– अररिया–किशनगंज	513.3 (रा0उ0प0-28,57)	इस्ट–वेस्ट कॉरिडोर का अंश
3	हाजीपुर– मुजफ्फरपुर –सीतामढ़ी सोनवर्षा	138.20 (रा0उ0प0-77)	

			.
4	पिपराकोठी–मोतीहारी–रक्सौल	**67.00** (रा0उ0प0-28A)	
5	पटना–हाजीपुर–छपरा	**80.00** (रा0उ0प0-19)	
6	आरा–बक्सर	**74.00** (रा0उ0प0-84)	
7	पटना–गया–डोभी	**125.00** (रा0उ0प0-83)	
8	बख्तियारपुर–मोकामा–पुर्णिया	**255.00** (रा0उ0प0-31)	
9	मोकामा–मुंगेर	**70.00** (रा0उ0प0-80)	
10	बख्तियारपुर–फतुहा–पटना–आरा	**100.80** (रा0उ0प0-30)	
11	छपरा–गोपालगंज	**92.00** (रा0उ0प0-85)	
12	फॉरबिसगंज–जोगबनी	**13.00** (रा0उ0प0-57A)	
	कुल	**1734 कि0मी0**	

5(i) इसके अतिरिक्त निम्नांकित प्रमुख मार्गों को 4–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन करने की आवश्यकता हैः–

- बख्तियारपुर–बिहारशरीफ–नवादा–रजौली
- गया–बोधगया–राजगीर–नालंदा–बिहारशरीफ
- मुंगेर–भागलपुर
- बिहटा–महाबलीपुर–औरंगाबाद

5(ii) गया–बोधगया–राजगीर–नालंदा–बिहार शरीफ योजना बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत प्रस्तावित है तथा जे.वी.आई.सी. इन योजनाओं के लिए वित्तीय पोषण करने हेतु इच्छुक है। अन्य तीन योजनाऍ लोक–निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के तहत प्रस्तावित है जिनके लिए आई.एल. एंड एफ.एस. तथा आई. डी. एफ.सी. जैसी वित्तीय संस्थाओं ने अपनी इच्छा जाहिर की है। इस कार्य का कार्यान्वयन बी.ओ.टी. (एन्यूटी) आधार पर प्रस्तावित है। उपरोक्त तीन परियोजनाओं के अतिरिक्त निम्नांकित परियोजनाऍ भी पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत प्रस्तावित हैं :–

i. पटना शहर में गंगा नदी के किनारे पथ निर्माण

ii. बख्तियारपुर तथा साहपुर पटोरी के बीच गंगा नदी पर पुल

iii. आरा तथा छपरा के बीच गंगा नदी पर पुल

iv. बिहटा–सरमेरा–मोकामा नवघोषित राज्य उच्च पथ 4–लेन के मापदंड में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण

v. आरा–मोहनियां राष्ट्रीय उच्च पथ–30 का पथांश

vi. वर्त्तमान महात्मा गांधी सेतु के सुपर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्माण

6. पी.पी.पी. मॉडल के अन्तर्गत कार्यान्वित होने वाली योजनाओं के लिए आई. एल. एण्ड एफ. एस. तथा आई. डी. एफ.सी. परियोजना प्रबंधन परामर्शी होंगे। इसके लिए आई.एल. एण्ड एफ. एस. तथा आई. डी. एफ. सी. को व्यावसायिक–शुल्क तथा सफलता–शुल्क के रूप में भुगतान किया जायेगा। यह दोनो राशियॉ अन्ततः परियोजना पर भारित होंगी। पी.पी.पी. के अन्तर्गत कार्यान्वयन हेतु उपरोक्त योजनाओं की अनुमानित लागत 7000 करोड़ रूपये ऑकी गयी है । योजना प्रारंभ का वर्ष 2008–2009 एवं निर्माण अवधि 3 वर्ष मानते हुए पथ–कर की वसूली वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की जायगी। एन्यूटी की अवधि 20 वर्ष तथा Viability Gap Grant (VGG) 40% मानते हुए गणना करने पर 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में राज्य सरकार को निम्नांकित प्रावधान करना होगा :–

वर्ष	**2008–09**	**2009–10**	**2010–11**	**2011–12**
वर्तमान एन. पी.पी. के आधार पर	–	1200	1400	624 (40 प्रतिशत बी.जी.एफ. के रूप में मानने पर)

एन्यूटी की राशि करोड़ रूपये में				

राज्य–उच्च–पथ

7. बिहार राज्य में विभिन्न कोटि के सड़कों की स्थिति निम्नवत् है :–

सड़कों की लम्बाई (कि0 मी0 में)

कोटि	पक्का	कच्चा	कुल
राष्ट्रीय–उच्च–पथ	3629.00	0.00	3629.00
राज्य–उच्च–पथ	3232.22	0.00	3232.22
बृहद–जिला–सड़क	7714.25	0.00	7714.25
अन्य–जिला–सड़क	2828.00	990.00	3818.00
ग्रामीण–सड़क	27400.00	35861.63	63261.63
कुल	**44803.47**	**36851.63**	**81655.10**

यह स्पष्ट है कि राज्य में राज्य उच्च पथ की लम्बाई अपर्याप्त है। वत्तर्मान स्थिति में राज्य उच्च पथों की आरोही (राइडिंग) गुणवत्ता में सुधार अपेक्षित है। अधिकांश राज्य उच्च पथ सिंगल/इण्टरमीडिएट लेन के हैं। राज्य उच्च पथ जिला मुख्यालयों को जोड़ती हैं तथा इन पर यातायात का दबाव कई गुणा बढ़ गया है। अतः इन राज्य उच्च पथों का कम से कम 2–लेन संरचना के अनुरूप उन्नयन आवश्यक हैं। राज्य उच्च पथों के सुधार के मद्देनजर बिहार सरकार ने राज्य उच्च पथ विकास कार्यक्रम (एस.एच.डी.पी.) प्रारंभ किया है। राज्य उच्च पथ विकास कार्यक्रम तीन चरणों में निम्नांकित रूप में विभक्त किया गया हैः–

(क) राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम–I (एस.एच.डी.पी.– I)

राज्य उच्च पथ विकास कार्यक्रम–I के अन्तर्गत 2025 कि0 मी0 राज्य उच्चपथ के पथांश के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य राष्ट्रीय सम विकास योजना अन्तर्गत प्रारंभ किया गया है, इसके लिए 3000 करोड़ रूपये कर्णांकित हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में इस उद्व्यय में से 577.69 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है। इस उन्नयन कार्य हेतु केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा ईरकॉन इन्टरनेशलन लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है। केन्द्रीय एजेन्सियों ने इस 2025 कि0मी0 लम्बाई को 42 पैकेजों में विभक्त किया है। 40 पैकेजों में कार्य का आवंटन/क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है। इसमें से 37 पैकेजों का कार्य मार्च

2009 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है। शेष पैकेजों में जून 2009 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम–I

भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

योजना	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0)					
	2007-08	**2008-09**	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	योग
एस.एच.डी. पी.–I	150	1650	235	-	-	**2035**
राष्ट्रीय सम विकास योजना	**वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रू0)**					
	910.70	1134.00	354.53	-	-	**2399.23**

(ख) राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम–II (एस.एच.डी.पी.–II)

उपरोक्त राज्य उच्च पथ के अतिरिक्त कई ऐसे पथ हैं जो कि दो या अधिक जिलों को जोड़ते हैं तथा राज्य उच्च पथ में घोषित होने योग्य हैं। राज्य सरकार ने ऐसे 11 पथों (1054 कि0मी0) को वर्ष 2006–07 में राज्य उच्च पथ के रूप में घोषित किया है। इन सड़कों को 2–लेन संरचना के रूप में उन्नयनित करने का प्रस्ताव है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डी0पी0आर0) तैयार है । बिहार सरकार ने एशियन विकास बैंक से इन सड़कों के उन्नयन हेतु धन राशि के लिए संपर्क किया है । कुल 1054 कि.मी. में से बिहटा–सरमेरा–राज्य उच्च पथ (112 कि0मी0) को बी.ओ.टी. के तहत (पीपीपी मॉडल) चार लेन में उन्नयन करने का प्रस्ताव है । शेष 880 कि0मी0 के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा धन राशि दी जायेगी। शेष 9 राज्य उच्च पथों के 820.21 कि0मी0 पथांश के उन्नयन कार्य का वित्त पोषण एशियन विकास बैंक की सहायता से किया जायगा। इस 820.21 कि.मी. पथांश के लिए 1654.68 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जा चुका है। एशियन विकास बैंक वित्त पोषण हेतु सहमत है। एशियन विकास बैंक के द्वारा ऋण के रूप में परियोजना लागत का 90% लगभग 1489.21 करोड़ रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा । शेष राशि की व्यवस्था राज्य सरकार अपने संसाधनों से करेगी। ए.डी.बी. वर्ष 2008–09 से वित्त पोषण प्रारंभ करेगी। इस परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। परियोजना को वर्ष 2008–09 में प्रारंभ कर 2010–11 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

(ग) राज्य उच्चपथ विकास कार्यक्रम-III (स.एच.डी.पी.- III)

राज्य सरकार ने आर्थिक, पर्यटन तथा विधि–व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कतिपय सड़कों के 723कि0 मी0 पथांश को राज्य उच्च पथ के रूप में घोषित किया है। इन पथों का 2–लेन संरचना के अनुरूप उन्नयन करने का प्रस्ताव है। एस.एच.डी.पी.–III (723 कि0मी0) के उन्नयन की अनुमानित लागत 1888 करोड़ रूपये की होगी। ए.डी.बी. ने वित्त पोषण हेतु सहमति व्यक्ति की है। सहमति के अनुसार ऐशियन विकास बैंक ऋणांश परियोजना लागत का 90 प्रतिशत अर्थात 1699 करोड़ रूपये की होगी तथा शेष 10 प्रतिशत बिहार सरकार का राज्यांश अर्थात् 188.80 करोड़ रूपये का होगा । कार्य को 2008–09 में प्रारंभ कर वर्ष 2010–11 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

एस.एच.डी.पी.–II तथा III की विस्तृत विवरणी

ए.डी.बी ऋण संपोषित योजना						
कार्यक्रम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)					
	2008-09	**2009-10**	**2010-11**	**2011-12**	**2012-13**	**Total**
एस.एच.डी.पी.–II	372.00	372.80	75.124	-	-	820.21
एस.एच.डी.पी.–III	.	कार्य प्रारंभ करना	217	360	146	723
कुल	**372.00**	**372.80**	**292.124**	**360**	**146**	**1543.21**

कार्यक्रम	वित्तीय लक्ष्य (करोड रू0 में)															कुल
	2008–09			2009–10			2010–11			2011–12			2012–13			
	राज्यांश	ऋणांश	कुल	राज्यांश	ऋणांश	कुल	राज्यांश	ऋणांश	कुल	राज्यांश	ऋणांश	कुल	राज्यांश	ऋणांश	कुल	
एस.एच.डी.पी. –II ए.डी.बी. ऋण संपोषित योजना–820.21 कि0मी0	75.45	679.1	754.55	75.5	679.5	**755.00**	14.51	130.62	**145.14**	-	-	-	-	-	-	**1654.69**
एस.एच.डी.पी. –III ए.डी.बी. ऋण संपोषित योजना–723.00 कि0मी0	-	-	0	18.88	169.92	**188.8**	75.52	679.68	**755.2**	62.92	566.35	**629.28**	31.472	283.248	**314.72**	**1888.00**
कुल	**75.45**	**679.1**	**754.55**	**94.38**	**239.42**	**943.8**	**90.03**	**810.30**	**900.34**	**65.00**	**585**	**629.28**	**31.472**	**263.248**	**314.72**	**3542.69**

राज्य योजना अंतर्गत एस0 एच0 डी0 पी0–II										
योजना	2008–09		2009–10		2010–11		2011–12		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
एच–72 लक्ष्मीपुर–बरियारपुर (57.87) कि0 मी0	कार्य प्रारंभ करना	13.00	26.00	46.00	26.00	59.00	5.87	13.97	57.87	131.97

प्रमुख जिला सड़कें (एम.डी.आर.)

8. अधिकांश प्रमुख जिला सड़कों के पथ–परत की चौड़ाई 3.05 मी0 से 3.50 मी0 तक है। वर्तमान में यह चौड़ाई पूर्णतः अपर्याप्त है। राज्य सरकार ने वर्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि में प्रमुख जिला सड़कों के कुल 7714 कि0मी0 लम्बाई पथांश को इण्टरमीडिएट–लेन मानक 5.50 मी0 के अनुरूप उन्नयित करने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए वित्त पोषण राज्य योजना/नाबार्ड/आर.आई.डी.एफ/केन्द्रीय सड़क निधि/सीमा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम/आर्थिक महत्व की सड़कें/अन्तर्राज्यीय सड़क सम्पर्क योजना/12वीं वित्त आयोग योजना के अन्तर्गत किया जाना है।

11वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत प्रक्षेपित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

प्रमुख जिला सड़कों का भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)

वित्तीय वर्ष	राज्य योजना	नाबार्ड ऋण योजना	के.स.निधि	बी.ए.डी.पी.	ई.आई.	आई.एस.सी.	कुल
2007-08	3551	507	22	41	20	8	4149
2008-09	1500	50	35	40	10	10	1645
2009-10	600	100	40	30	10	15	795
2010-11	500	100	35	35	10	15	695
2011-12	300	50	30	30	5	15	430
कुल	**6451**	**807**	**162**	**176**	**55**	**63**	**7714**

पुल–प्रक्षेत्र

9. बहुसंख्यक बारहमासी नदियॉ हिमालय से निकल कर रौलिंग टेरेन होते हुए गंगा के समतल मैदान में राज्य में प्रवेश करती हैं। नेपाल में अतिरिक्त ढुलाव (स्टीप स्लोप) के कारण यह बहुत ही तेज गति के साथ समतलीय मैदान में आती है जिससे कि यह बाढ़ के समय पथ–नेटवर्क का जलमग्न, भूक्षरण तथा कटाव करती है, जो कि अंततः यातायात को बाधित करती है। राज्य में विकास की धीमी गति का यह एक प्रमुख कारण है। संपर्कता प्रदान करने हेतु पुलें एक प्राथमिक आवश्यकता है। नदियों तथा सोतों की तुलना में पुलों की संख्या अपर्याप्त है। गंगा नदी राज्य की पूरी चौड़ाई लगभग – 400 कि0मी0 चौड़ाई में बहती है, परंतु इसपर पुलों की संख्या मात्र 4 है। राज्य के त्वरित विकास हेतु मुख्य नदियों पर 50 कि0मी0 के अंतराल पर एक पुल आवश्यक है।

9 (i) राज्य सरकार का निम्नांकित मुख्य नदियों के पुल विहीन स्थानों पर पुल निर्माण का प्रस्ताव है ।

क्र0	नदी	अवस्थिति	अनुमानित लागत (रू0 करोड़ में)	अभ्युक्ति
1	गंगा	आरा–छपरा के बीच	650	बी.ओ.टी.
2		बख्तियारपुर–शाहपुर पटोरी	650	बी.ओ.टी.
3	गंडक	गोपालगंज–नौतन के बीच	175	नाबार्ड
4		वैशाली जिला में	125	नाबार्ड
5		मुजफ्फरपुर जिला में	125	नाबार्ड
6		पूर्वी चम्पारण जिला में	125	नाबार्ड
7	सरयू	सीवान जिला में उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली	125	नाबार्ड
8	सोन	अरबल–सहार के बीच	100	राज्य योजना
9	फल्गू	गया–मानपुर पथ में गया शहर में	20	के.स.नि.
10		जहानाबाद जिला में	20	के.स.नि.
11	बूढ़ी	बेगुसराय जिला में	35	के.स.नि.

12	गंडक	समस्तीपुर जिला में	35	के.स.नि.
13		मुजफ्फरपुर जिला में	35	के.स.नि.
14	कोशी	सहरसा और दरभंगा के बीच बलुआहा घाट पर	250	नाबार्ड
15		खगड़िया जिला में	250	नाबार्ड
16		ढ़ाका और बेलवाघाट के बीच	30	के.स.नि.
17	बागमती	सीतामढ़ी जिला में	30	रा.यो.
18		शिवहर जिला में	30	रा.यो.
		कुल	**2810**	

9 (ii) इसके अतिरिक्त पुल विहीन स्थानों पर निम्नांकित पुलों के निर्माण का भी प्रस्ताव हैः–

क्रमांक	**नदी**	**पुलों की संख्या**	**अनुमानित लागत** (रू0 करोड़ में)	**अभ्युक्ति**
1	**कमला बलान**	2	40	रा.यो.
2	**पुनपुन**	2	20	रा.यो.
3	**दर्धा**	3	25	रा.यो.
कुल		**7**	**85**	

9 (iii) पुल विहीन स्थानों पर पुल निर्माण हेतु वित्त पोषण का शीर्षवार लागत राशि निम्नलिखित हैः–

बी.ओ.टी. – 1300 करोड़

नाबार्ड – 1275 करोड़

केन्द्रीय सड़क निधि – 1300 करोड़

राज्य योजना – 1300 करोड़

क्र.	शीर्ष	वित्तीय लक्ष्य (करोड़ रू0 में)															
		2008–09				2009–10				2010–11				2011–12			
		ऋ0	रा0	के0	कुल	ऋ0	रा0	के0	कुल	ऋ0	रा0	के0	कुल	ऋ0	रा0	के0	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	रा0यो0	.	.	.	.	.	44	.	44	.	60	.	60	.	41	.	41
2	नाबार्ड	188	47	.	235	282	71	.	353	376	94	.	470	94	23	.	117
3	के.स.नि.	.	.	.	.	.	.	60	60	.	.	70	70	.	.	45	45
4	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	.	.	.	.	.	.	**30**	**30**	.	.	**40**	**40**	.	.	**30**	30
कुल		**188**	**47**	.	**235**	**282**	**115**	**90**	**487**	**376**	**154**	**110**	**640**	**94**	**64**	**75**	213

9(v) राज्य उच्च पथ तथा प्रमुख जिला सड़कों पर वर्तमान में अवस्थित पुल/पुलियों की स्थिति निम्नवत् हैं:–

राज्य उच्च पथ	कुल संख्या	बी एस एस एल	एस एस एल	एस डी एल	एस एम एल
पुलिया	869	260	325	284	0
लघु सेतु	152	43	58	51	0
सेतु	34	11	11	12	0
कुल	1055	314	394	347	0
प्रमुख जिला सड़क	कुल संख्या	बी एस एस एल	एस एस एल	एस डी एल	एस एम एल
पुलिया	2619	1284	966	349	20

लघु सेतु	353	197	130	25	1
सेतु	77	33	38	6	0
कुल	3049	1514	1134	380	21

टिप्पणीः

बी एस एस एल – बिलो स्टैंडर्ड सिंगल लेन, एस एस एल – स्टैंडर्ड सिंगल लेन

एस डी एल – स्टैंडर्ड डबल लेन

एस एम एल – स्टैंडर्ड मल्टी लेन

9(vi) राज्य उच्च पथ पर अवस्थित पुराने पुल–पुलियों का परिवर्तन / पुनर्स्थापन / चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण एस.एच.डी.पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित कराये जाने का प्रस्ताव है। प्रमुख जिला सड़कों पर अवस्थित पुराने पुल–पुलियों का परिवर्तन /पुनर्स्थापन/चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य को इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किया जाना है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पर्याप्त वाटर–वो का प्रावधान करने हेतु नये पुल पुलियों का निर्माण उच्च प्राथमिकता पर है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए वर्तमान पंचवर्षीय योजना में संसाधन की आवश्यकता होगी।

9(vii) 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में भौतिक लक्ष्य

		भौतिक–लक्ष्य मीटर में					
क्र0	**योजना**	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	**कुल**
1	**राज्य योजना**	6447	15290	2000	2000	2000	**27737**
2	**नाबार्ड ऋण योजना**	0	1000	1000	1500	1500	**5000**
3	**केन्द्रीय सड़क निधि**	807	2000	2500	1500	1500	**8307**
कुल		**7254**	**18290**	**5500**	**5000**	**5000**	**41044**

मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना

10. संचालन समिति के द्वारा कुल 1844 अदद् योजनाएँ चयनित हैं । 25 लाख रू0 तक की लागत वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु जिला स्तर तथा 25 लाख रू0 से 10 करोड़ रूपये तक की लागत वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य पुल निर्माण निगम समिति, बिहार, पटना को प्राधिकृत किया गया है । योजना की स्थिति निम्न तालिका में अंकित हैं ।

क्र.	कार्यकारी एजेंसी	योजनाओं की कुल सं.	योजना पूर्ण करने का लक्ष्य
1	**जिला प्रशासन** 25.00 लाख रूपये तक की लागत वाली परियोजनाएं	1319	2008-09
2	**बि.रा.पु.नि.नि.लि., पटना** 25 लाख रूपये से 10 करोड़ रूपये तक लागत वाली परियोजनाएं	525	2008-09
कुल		**1844**	

इन योजनाओं को वर्ष 2008–09 में पूर्ण करने का लक्ष्य है ।11वीं पंचवर्षीय योजना के शेष के वर्षों का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्नांकित तालिका में देखा जा सकता है:

क्र.	वर्ष	लंबाई (मीटर में)	प्राक्कलित राशि (करोड़ रू0 में)	अभ्युक्ति
1	2008-09	14300	500	
2	2009-10	14300	500	
3	2010-11	14300	500	
4	2011-12	14300	500	
कुल		**57200**	**2000**	

मुख्य शहरों में सड़क उन्नयन

11. शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर बढ़ते हुए लगातार यातायात के दबाव के संधारण हेतु सड़कों का उन्नयन सामयिक मांग है। शहरी क्षेत्रों में यातायात में वृद्धि के कारण पथों की क्षमता का उन्नयन तथा इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु व्यापक आयोजन की आवश्यकता है। फ्लाई ऑवर, ऑवर पास तथा रेलवे उपरिपुल का निर्माण कराकर पथ की क्षमता में बढ़ोत्तरी की जा सकती है। शहरी पथों के चरणबद्ध विकास हेतु राज्य के महानगरों का चयन किया गया है। प्रथम चरण में राज्य की राजधानी पटना नगर चयनित है। यातायात–जाम की स्थिति से निबटने के लिये पटना नगर के विभिन्न 6 स्थानों पर कुल 330 करोड़ रू0 की लागत पर फ्लाई –ओवर का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें से दो फ्लाई –ओवर की स्वीकृति 105 करोड़ रूपये की लागत से प्रदान की गई है तथा एक फ्लाई –ओवर (कंकड़बाग में) योजना अनुमानित लागत 30.35 करोड़ रू0 हेतु मंत्रिपरिषद् द्वारा

स्वीकृत है । शेष तीन फ्लाई –ओवर निर्माण का कार्य भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

फ्लाई ऑवर के लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य

11(i) पटना नगर के सड़कों का उन्नयन जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय नगर नवीकरण मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जा रहा है, जिसका वित्तपोषण बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के द्वारा किया जाता है। द्वितीय चरण में मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर नगर के पथों का उन्नयन 100 करोड़ रूपये की लागत पर करने का प्रस्ताव है। तृतीय चरण में दरभंगा तथा गया नगर के पथों का उन्नयन 100 करोड़ रूपये की लागत पर करने का प्रस्ताव है।

रेलवे ओवर ब्रिज

12. रेलवे फाटक उच्च पथों पर सुगम यातायात के परिचालन में मुख्य बाधकों में से एक है। इसके कारण हो रहे विलम्ब को रेलवे फाटक पर पथ के आरेखन में रेलवे उपरिपुल/अन्डरपास के निर्माण से दूर किया जा सकता है। बिहार राज्य में निर्माणाधीन आर.ओ.बी. की विस्तृत विवरणी तालिका में देखी जा सकती हैः–

केन्द्र–प्रायोजित–योजनाएँ

केन्द्रीय सड़क निधि

13. 11 अदद् पुल परियोजनाओं तथा 4 अदद् स्वीकृत एवं प्रगतिशील पथ परियोजनाओं पर वर्ष 2006–07 में 80 करोड़ रूपये के उपबंध के विरुद्ध 51.4972 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। इन योजनाओं को वर्ष 2007–08 में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इनके अतिरिक्त पोत परिवहन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को 17 अदद् परियोजनाएॅं स्वीकृति हेतु समर्पित हैं। इनकी कुल प्राक्कलित राशि 146.60 करोड़ रूपये है। इस पंचवर्षीय योजना अवधि में 162 कि0मी0 पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य तथा 8307 मी0 लम्बाई में नये पुल निर्माण कार्य किये जाने का लक्ष्य है, जिसकी कुल लागत क्रमशः लगभग 97 करोड़ तथा 332.28 करोड़ रूपये की होगी। पुल विहीन स्थानों पर 6 अदद् पुल निर्माण कार्य वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 175 करोड़ रूपये की होगी।

अन्तर्राज्यीय सड़क सम्पर्क योजना

14. 4.55 करोड़ रू0 की लागत पर 8.00 कि.मी. पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत एवं प्रगति पर है । इस पंचवर्षीय योजना अवधि में 63 कि0मी0 पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किये जाने का लक्ष्य है जिसकी कुल लागत लगभग 38 करोड़ रूपये की होगी।

आर्थिक महत्व की सड़क सम्पर्क योजनाएँ

15. 7.62 करोड़ रू0 की लागत पर 19.60 कि.मी. पथांश की योजना स्वीकृत एवं प्रगति पर है। इस पंचवर्षीय योजना अवधि में 55 कि0मी0 पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किये जाने का लक्ष्य है, जिसकी कुल लागत लगभग 33 करोड़ रूपये की होगी।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

16. 27.20 करोड़ रू0 की लागत पर 41.00 कि.मी. पथांश के सुधार एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु कुल 4 योजनाएँ स्वीकृत एवं प्रगति पर है ।वर्त्तमान पंचवर्षीय योजना अवधि में 176 कि0मी0 एम0डी0आर0 के पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य किये जाने का लक्ष्य है जिसकी कुल लागत लगभग 106 करोड़ रूपये की होगी। इसके अतिरिक्त भारत – नेपाल सीमा के निकट 786.37 करोड़ रू0 की लागत पर 702.50 कि.मी. लम्बी सड़क निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

नाबार्ड–ऋण–योजना

17. वर्ष 2005–06 में राज्य सरकार द्वारा, आर.आई.डी.एफ.–X के अन्तर्गत 12 पथ योजनाएँ लम्बाई– 221 कि0मी0, प्राक्कलित राशि 71.30 करोड़ रूपये तथा आर.आई.डी.एफ.–XI के अन्तर्गत 14 योजनाएँ लम्बाई – 313 कि0मी0, प्राक्कलित राशि – 263.44 करोड़ रूपये, प्रारंभ की गई। वर्ष 2006–07 तक आर.आई.डी.एफ. – X तथा आर.आई.डी.एफ.–XI में क्रमशः 27.02 तथा 50.95 करोड़ रूपये का व्यय किया गया। वर्तमान पंच वर्षीय योजना अवधि में प्रमुख जिला सड़कों के 807 कि0मी0 पथांश का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य तथा 5000 मी0 पुल निर्माण कार्य किये जाने का लक्ष्य है, जिसकी कुल लागत क्रमशः 484 करोड़ रूपये तथा 200 करोड़ रूपये की होगी। पुल विहीन स्थानों पर 8 अदद् पुल निर्माण कार्य

वर्तमान पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित है, जिसकी अनुमानित लागत 1275 करोड़ रूपये की होगी।

वर्ष 2012 तक विश्व स्तर की आधारभूत संरचना प्राप्त करने हेतु संस्था में आवश्यक वृहद् परिवर्तन

18. इसके लिए कुछ कदम उठाये गये हैं एवं कुछ आवश्यक कदम विभाग द्वारा उठाये जायेंगें।

बिहार सरकार द्वारा उठाये गये आवश्यक कदम

- **दो बिड सिस्टम**— निविदा प्राप्ति एवं परामर्शी की नियुक्ति के लिए विभाग ने अपने स्टैंडर्ड बिडिंग डक्युमेंट के आधार पर दो बिड सिस्टम लागू किया है।

- **स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट** — सर्वोत्तम उद्यमिता हेतु सरकार ने स्टैण्डर्ड बिडिंग डॉक्युमेंट को अपनाया है।

- **सम्वेदक पंजीकरण नियम का सरलीकरण**— राज्य में निर्माण क्षमता बढ़ाने हेतु पुराने जटिल संवेदक पंजीकरण नियम के स्थान पर विभाग ने सरलीकृत पंजीकरण नियम लागू किया है।

- **गुणवत्ता सुनिश्चितकरण**— कार्यान्वयनाधीन योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय तथा मुख्यालय स्तर के गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विभाग ने **थर्ड पार्टी गुण नियंत्रण परामर्शी** की नियुक्ति भी की है।

- **ऑन लाईन अनुश्रवण**— राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की बिहार शाखा की सहायता से ऑन लाईन अनुश्रवण का निरूपण कर विभाग में स्थापित किया गया है। इसके लिए आवश्यक कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका है।

- **जी.आई.एस.**— राज्य के पथ के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जी.आई.एस. सड़क सूचना प्रबंधन प्रणाली विकसित की गयी है ।

- **कम्प्यूटराईजेशन**– पथ निर्माण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटर तथा नेटवर्क से जोड़ने का कार्य प्रगति में है, जिसमें मुख्यालय में डाटा सेन्टर भी सम्मिलित है।

- **यंत्र–संयंत्र बैंक**– आधुनिक निर्माण यंत्र–संयंत्रों की कमी को दूर करने हेतु राज्य सरकार द्वारा यंत्र–संयंत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। यंत्र–संयंत्र बैंक स्थापित करने हेतु उचित किराये पर विभाग अपनी जमीन इच्छुक फर्म को देगी। पटना में यंत्र–संयंत्र बैंक की स्थापना हो चुकी है। दूसरे स्थानों पर यंत्र–संयंत्र बैंक की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

- **ई निविदा**– विभाग ने ई–निविदा के माध्यम से कार्य आवंटित करने का निर्णय लिया है। एक्सप्रेशन ऑफ इन्टेरेस्ट आमंत्रित किया गया है तथा भेन्डर का चुनाव प्रक्रिया में है।

- **अनुरक्षण नीति**– पथों के उपयुक्त अनुरक्षण हेतु राज्य सरकार ने एक व्यापक नीति का निर्धारण किया है। पथों के अनुरक्षण हेतु पौट–पैच/नवीकरण कार्य हेतु संधारण निविदा निष्पादन की जटिल प्रक्रिया से बचने के लिए सरकार ने पथों का चार या पांच वर्षों के लिए संधारण संविदा लागू करने का निर्णय लिया है, जिसका आधार पथ के आरोही गुणवत्ता तथा रफनेस इन्डेक्स होगा।

- **अव्ययगत पथ विकास निधि**– पथों के उन्नयन हेतु एक अव्ययगत पथ विकास निधि की स्थापना की जा रही है। पथ कर /लेवी के रूप में राजस्व एकत्रित किया जायेगा, जो कि पथ योजनाओं का वित्त पोषण करेगा। इस निधि से पथ परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु विश्वसनीयता स्थापित की जा सकेगी।

- **विभाग का संस्थागत सुधार**– वर्तमान योजना अवधि में योजना मद् में उद्व्यय/उपबंध में कई गुणा की बढ़ोत्तरी को देखते हुए विभाग में संस्थागत सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार हेतु विभाग द्वारा उपभागों का नये सिरे से पुनर्गठन किया जाना है। यथा– योजना एवं बजट उपभाग, निरूपण एवं विशिष्टि उपभाग, निविदा उपभाग, निष्पादन एवं सुरक्षा उपभाग, अनुश्रवण उपभाग, गुणवत्ता सुनिश्चितकरण उपभाग, अनुरक्षण उपभाग, प्रशासन एवं निदेशन उपभाग तथा विधि एवं संविदा उपभाग आदि।

प्रोन्नति/ नियुक्ति के माध्यम से विभाग के सभी रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

- **विवाद–समाधान** : विवाद–समाधान हेतु मध्यस्थता की वर्तमान व्यवस्था में प्रक्रियात्मक विलम्ब के कारण निहित स्वार्थ हेतु हेरा–फेरी की प्रवृत्ति सन्निहित है। विदित है कि विभाग इन दिनों बड़े–बड़े पैकेजों में कार्यों का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर की कार्यकारी एजेंसियों के द्वारा संपादित कराने जा रही है। इसमें उत्पन्न विवाद–विघटन की समस्या को केन्द्रीय न्यायाधिकरण के समक्ष रखने पर विचार किया जा रहा है। त्रुटिहीन कार्यकलाप वाले एवं पूर्ण निष्ठावान् अवकाश प्राप्त वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी, न्यायाधिकरण के प्रमुख होंगे। केन्द्रीय न्यायाधिकरण में कुछ उत्तम सेवा एवं छवि वाले अवकाश प्राप्त अभियंतागण भी होंगे जो कि विवाद–विघटन के तकनीकी पक्ष का ध्यान रखेंगे।

- **पथ एवं उच्च–पथ विकास प्राधिकार**–पथ एवं उच्च–पथ विकास प्राधिकार के गठन हेतु आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

- **सामग्री बैंक**– संवेदकों द्वारा गुणवत्तायुक्त निर्माण सामग्रियों के संग्रहण में हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सामग्री बैंक की स्थापना की जा रही है। इसकी स्थापना में विभाग द्वारा निजी विकास को सहूलियत प्रदान की जायगी।

11वीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2007–08 में राज्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित योजनाएँ

19. स्थापना : वार्षिक योजना 2007–08 में स्थापना मद् में 290.90 लाख रूपये का उद्व्यय का प्रावधान है। विभाग अन्तर्गत सम्पूर्ण स्थापना गैर योजना के तहत स्थानान्तरित हो गयी है।

[11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय–1865.79 लाख रूपये]

[वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय–290.00 लाख रूपये)

20. केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय–2444.84 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत मूल उद्व्यय–380.00 लाख रूपये)

21. मशीनें एवं उपस्कर :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय–9650.66 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय–1500.00 लाख रूपये)

22. वृहद् सड़क निर्माण :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 567896.03 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 70717.50 लाख रूपये)

23. पुल निर्माण :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 49646.18 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 3970.00 लाख रूपये)

नाबार्ड, राष्ट्रीय सम विकास योजना, सीमा क्षेत्रीय विकास परियोजना, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता तथा अन्य

24. नाबार्ड ऋण योजना :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 58559.50 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 18400.00 लाख रूपये)

25. सीमा क्षेत्रीय विकास परियोजना :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 2298.03 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 840.00 लाख रूपये)

26. राष्ट्रीय समविकास योजना :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 57903.93 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 29514.00 लाख रूपये)

27. मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 191684.01 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 40000.00 लाख रूपये)

28. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता :

(11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के अन्तर्गत उद्व्यय– 5404.37 लाख रूपये)

(वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत उद्व्यय– 0.00 लाख रूपये)

पथ निर्माण

10वीं पंचवर्षीय योजनावधि में वित्तीय उपलब्धि

(राशि लाख में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक उद्व्यय
2002-03	9340.00	9078.25	6534.15
2003-04	31072.45	6051.02	4403.36
2004-05	45494.00	13986.16	12148.37
2005-06	59473.00	31674.96	24606.69
2006-07	114517.00	171099.00	161154.86
योग	259896.45	231889.39	208847.43

11वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 165611.50 लाख रूपये

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) – 937353.34 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- **विकास** आयोजना में पथ–नेटवर्क में सुधार उच्च प्राथमिकता पर है।
- आगामी पंचवर्षीय योजना में राज्य में स्थित पथ–नेटवर्क को देश के सर्वोत्तम पथ नेटवर्क के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार दृढ़ प्रतिज्ञ है।
- प्रशासनिक, आर्थिक एवं पर्यटन के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण कोरिडोर को 4–लेन संरचना के अनुरूप निर्माण करने की योजना है।
- गया–बोधगया–राजगीर–नालंदा–बिहारशरीफ कोरिडोर को बुद्धिस्ट–सर्किट विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्नयन का प्रस्ताव है, जिसके वित्तीय पोषण हेतु जे0बी0आई0सी0 ने अभिरुचि व्यक्त की है।
- बख्तियारपुर–बिहारशरीफ–नवादा–रजौली, मुंगेर–भागलपुर एवं बिहटा –महाबलिपुर– औरंगाबाद पथ, जन निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) के अंतर्गत प्रस्तावित है, जिसके वित्तीय पोषण हेतु आई0 एल0 एण्ड एफ0 एस0 तथा आई0 डी0 एफ0 सी0 जैसे वित्तीय संस्थानों ने अपनी

अभिरुचि व्यक्त की है।

- विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जी.आई.एस. प्रबंधन प्रणाली बनायी जा रही है।
- पथ निर्माण विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को कम्प्यूटर तथा नेटवर्क से जोड़ने का कार्य प्रगति में है।
- संवेदकों के यंत्र–संयंत्र की समस्या को सुलझाने हेतु यंत्र–संयंत्र बैंक की स्थापना विभिन्न स्थानों पर की जा रही है।
- विभाग ने निविदा प्राप्ति एवं निष्पादन में पारदर्शिता हेतु ई–टेन्डरिंग के माध्यम से निविदा प्राप्त करने का निर्णय लिया है।
- पथों के अनुरक्षण हेतु वर्तमान के पौट–पैच/नवीकरण के कार्यो के लिए वार्षिक निविदा के स्थान पर आरोही गुणवत्ता तथा रफनेस–इण्डेक्स के आधार पर 4/5 वर्षीय अनुरक्षण हेतु निविदा करने की नई अनुरक्षण नीति अपनाये जाने का प्रस्ताव है।
- एस.एच.डी.पी.–I के तहत राज्य उच्च पथों के 2035 कि.मी. पथांश को राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत उन्नयनित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 11 पथों (1054 कि.मी.) को राज्य उच्च पथ के रुप में घोषित किया है। इन पथों को 2–लेन संरचना के अनुरुप उन्नयनित करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त आर्थिक/पर्यटन/प्रशासनिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण 723 कि.मी. पथांश को राज्य उच्च पथ के रूप में घोषित करने तथा इन्हें 2–लेन संरचना के अनुरूप उन्नयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया है।
- 11वीं पंचवर्षीय योजना–अवधि में सभी प्रमुख जिला सड़कों को इण्टरमीडिएट लेन संरचना के अनुरूप उन्नयनित करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।
- ग्रामीण क्षेत्र में संपर्कता प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के नाम से नई योजना प्रारंभ की गई है। ग्रामीण पथों पर आवश्यक पुल/पुलिया का निर्माण इस योजना के तहत किया जायेगा। ग्रामीण पथों पर चल रही अन्य योजनाओं के अतिरिक्त यह

एक संपूरक योजना है।

- बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को पुनर्जीवित किया गया और इसका सुदृढ़ीकरण किया गया । वर्तमान में यह सकल लाभ में है।
- शहरी क्षेत्रों में पथों एवं यातायात व्यवस्था में चरणबद्ध सुधार हेतु महानगरों को चिन्हित किया गया।
- निविदा प्राप्ति हेतु 2–बिड प्रणाली अपनाई गई।
- संविदा शर्तों को वर्तमान परिवेश के अनुरूप संशोधित कर स्टैंडर्ड बिडिंग डोक्युमेंट बनया गया ।
- पुराने जटिल संवेदक पंजीयन नियम के स्थान पर सरलीकृत संवेदक पंजीयन नियम–2007 अधिसूचित किया गया।
- योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु मुख्यालय एवं प्रमंडलीय स्तर की गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं का परिमाणात्मक एवं गुणात्मक सुदृढ़ीकरण किया गया।
- योजनाओं के कार्यान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चितकरण हेतु थर्ड पार्टी क्वालिटी कन्ट्रोल परामर्शी की नियुक्ति की गई।
- योजनाओं की प्रगति के वास्तविक समय अनुश्रवण (रियल टाइम मोनीटरिंग) हेतु राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) की बिहार शाखा की सहायता से ऑनलाईन अनुश्रवण प्रणाली विकसित की गयी।

10.2.2 ग्रामीण कार्य

ग्रामीण कार्य विभाग सड़क, सेतु आदि जैसी ग्रामीण आधारभूत संरचना विकसित करता है । यह विधायक/विधानपार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं का कार्यान्वयन तथा नाबार्ड से वित्त पोषित विकास योजना के लिए परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करता है । ग्रामीण इलाकों में आधारभूत संरचनाओं के पिछड़ेपन को देखते हुए, विभाग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन इलाकों को आर्थिक गतिविधियों की मुख्य धारा में लाना है ।

2. उन चालू योजनाओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाय जो दसवीं योजना के दरम्यान आरम्भ किये गये थे । स्थानीय महत्व की लंबे समय से लंबित स्कीमों को विधायक/विधानपार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन प्राथमिकता दी जायगी । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का जोरदार प्रयास किया जायेगा ।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

3. आर0आई0डी0एफ0 स्कीमः केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा आबंटित राशि के अलावे विभाग सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण के लिए नाबार्ड के आर0आई0डी0एफ0 स्कीम के अधीन ऋण प्राप्त करना चाहता है । इस स्कीम के अधीन कच्ची या पक्की सड़कें अथवा ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन 3.75 मीटर से कम चौड़ाई वाली सड़कें जिन्हें प्रधानमंत्री ग्राम स्व रोजगार योजना अथवा किसी अन्य स्कीम के अधीन मंजूरी नहीं मिली है, को उत्क्रमण अथवा सृदृढ़ीकरण के लिए ली जाती है। ये सड़कें कृषि केन्द्रों एवं बाजारों को कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए मुख्य शहरी बाजारों से जोड़ती है । 2005–06 में नाबार्ड के आर0आई0डी0एफ0 ऋण स्कीम के अधीन 900.00 करोड़ रु0 तक की लागत वाली स्कीमों को कार्यान्वित किया जा सकता है । आर0आई0डी0एफ0 अपपप के अधीन, गया जिले में तीन सेतुओं के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा 1015.76 लाख रुपये का ऋण मंजूर किया गया है और संचारी अग्रिम (मोविलाइजेशन एडवान्स) के रूप में 182.00 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं । 2006–07 में आर0आई0डी0एफ0 ऋण स्कीम के अधीन 200.00 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान के विरूद्ध 402.67 करोड़ रुपये की लागत वाली स्कीम मंजूर की गयी थी, करार हो गये हैं और इन स्कीमों पर काम शुरू हो गया है । 2007–08 में 238.1672 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान को स्वीकृति मिल गयी है, जिसमें से 209.79084 करोड़ रुपये 2005–06 तथा 2006–07 में मंजूर स्कीमों को पूरा करने के लिए प्रदान किया जायेगा और 28.37644 करोड़ रुपये नयी स्कीमों के लिए दिया जायेगा ।

4. **न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमः** इस स्कीम के अन्तर्गत, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन की कच्ची अथवा पक्की सड़कों को यातायात के घनत्व एवं मिट्टी की स्थिति के आधार पर उत्क्रमण, चौड़ीकरण (3.75 मीटर तक) तथा सुदृढ़ीकरण

के लिए लिया जाता है । इस स्कीम के अन्तर्गत गांव को जिलो, अनुमंडलों एवं प्रखंड मुख्यालयों, औद्योगिक इलाकों, कृषि केन्द्रों शैक्षणिक संस्थाओं तथा स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों से जोड़ने वाली सड़कों को लिया जाता है । 2005–06 के लिए नयी स्कीमों के अधीन योजना उद्व्यय में कुल 199.50 करोड़ रुपये मंजूर किये गये। इसमें से 182.50 करोड़ रुपये नयी सड़कों के लिए, 14.00 करोड़ रुपये नये सेतुओं के लिए, 3.00 करोड़ रुपये आर0आई0डी0एफ0 स्कीम सहित नयी स्कीमों के लिए विस्तृत योजना परियोजना रिपोर्ट तैयार करने पर होने वाले खर्चे को पूरा करने लिए कर्णांकित किया गया । 2006–07 में नयी सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण से संबंधित (विधान सभा एवं परिषद में सरकार द्वारा दिये गये आश्वासनों सहित) खर्चों को पूरा करने के लिए कुल 397.15 करोड़ रुपये और आर0आई0डी0एफ0 स्कीम सहित नयी स्कीमों के लिए विस्तृत योजना रिपोर्ट तैयार करने पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए 3.30 करोड़ रुपये प्रदान किये गये । मार्च,2007 तक 617.00 करोड़ रुपये मूल्य की नयी सड़क स्कीमें तथा 44.00 करोड़ रुपये की नयी सेतु स्कीमें स्वीकृत की गयी थीं । जिसमें से क्रमशः 359.43 करोड़ तथा 26.13 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके थे। 2007–08 में, नयी सड़क स्कीम के अधीन 249.25189 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान स्वीकृत हुआ है जिसमें से 225.58436 करोड़ रुपये मार्च,2007 तक स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने के लिए और 23.66737 करोड़ रुपये नये स्कीमों के लिए दिये गये हैं । 2007–08 में नये सेतु स्कीम के अधीन 30.87649 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है जिसमें 17.8682 करोड़ रुपया मार्च,2007 तक स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने के लिए और 13.00829 करोड़ रुपया नयी स्कीमों के लिए प्रदान किये गये हैं ।

5. **विस्तृत परियोजना रिपोर्ट**: नयी स्कीमों के लिए डी0पी0आर0 की तैयारी पर होने वाले खर्च के लिए 2006–07 में योजना शीर्ष के अधीन आवंटन के रूप में 300.00 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया । 2007–08 में डी0पी0आर0 की तैयारी के लिए 330.00 लाख रुपये का आवंटन किया गया है ।

6. **स्थापना**: स्थापना शीर्ष के अधीन व्यय ग्रामीण कार्य विभाग में योजना शीर्ष के अधीन स्वीकृत कुल पदों की संख्या के विरूद्ध कार्यरत बल पर आधारित है । इन पदों में अभियंत्रण एवं प्रशासनिक संवर्ग शामिल हैं । स्थापना खर्च के रूप में

2005–06 के लिए 1244.23 लाख रुपये प्रदान किये गये तथा 2007–08 के लिए 1668.00 लाख रुपये प्रदान किये गये ।

7. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमः** इस स्कीम के अधीन नेपाल बॉर्डर के प्रखंडों में सुरक्षा एवं प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने वाली कच्ची–पक्की सड़कों के सुधार एवं उत्क्रमण के काम लिये जाते हैं । 2005–06 में इस स्कीम के लिए 500.00 लाख रुपये आवंटित किये गये जिसमें 599.00 लाख रुपये मूल्य की आठ स्कीमों को मंजूरी मिली । 2006–07 में 2005–06 एवं 2006–07 में मंजूर स्कीमों को पूरा करने के लिए 802.00 लाख रुपये प्रदान किये गये जिसमें से 7.99 करोड़ रुपये 2006–07 में खर्च किये गये । 2007–08 में इस कार्यक्रम के अधीन नयी स्कीमों के लिए 7.00 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं ।

8. **चालू स्कीमें**ः 2006–07 में चालू स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए 25.00 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं तथा 2007–08 के लिए इसी शीर्ष के अधीन 11.00 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं ।

9. **कंप्यूटरीकरण**ः 2007–08 में विभागीय कार्यालय के कंप्यूटरीकरण के लिए 21.00 लाख रुपये दिये गये हैं ।

10. **प्रशिक्षण एवं सेमिनार**ः 2006–07 में प्रशिक्षण एवं सेमिनार पर आने वाले खर्च के लिए 10.00 लाख रुपये प्रदान किये गये हैं ।

11. **अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष अंगीभूत कार्यक्रमः** वर्ष 2006–07 में इस स्कीम के लिए 4.73183 करोड़ रुपये आवंटित किये गये, 20.90076 करोड़ रुपये मूल्य की स्कीमें स्वीकृत की गयी तथा 4.73183 करोड़ रुपये खर्च किये गये । 2007–08 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना में 15.90 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गयी है जिसमें से 14.34 करोड़ रुपये 2006–07 में स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने के लिए और 1.55503 करोड़ रुपया नयी स्कीमों के लिए प्रदान की गयी है ।

12. **मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना (एम0एम0जी0एस0वाई0)**ः राज्य सरकार की योजना है कि 500 और 999 के बीच की जनसंख्या वाले सभी गांवों को बारह मासी पक्की सड़कों से जोड़ा जाय । जिला समाहर्त्ता के सचिवत्व एवं जिले के प्रभारी केबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में स्थापित संचालन समिति इस

स्कीम के अधीन ली जाने वाली सड़कों की प्राथमिकता सूची तैयार करती है । 2006–07 में 300.00 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन मंजूर किया गया, 900.00 करोड़ रुपये मूल्य की स्कीमों को स्वीकृति मिली और 300.00 करोड़ रुपये खर्च किये गये । 2007–08 में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 573.63 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान स्वीकृत किया गया है, जिसमें से 531.06868 करोड़ मार्च,2007 तक स्वीकृत स्कीमों को पूरा करने के लिए दिया जाना है तथा 42.56 करोड़ रुपया नयी स्कीमों को दिया जाना है ।

13. **विधायक / विधानपार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना**: मार्गदर्शिका के अनुसार विधान सभा एव विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर 1.00 करोड़ रुपये की लागत वाली स्कीमों की स्वीकृति दी जाती है । 2006–07 में 340.97 करोड़ रुपये विधायक/विधानपार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि स्कीम के लिए स्वीकृत किया गया,जिनमें से 335.98 रुपया खर्च किए गये । 2007–08 में इस स्कीम के लिए 335.00 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं ।

14. **आप की सरकार आप के द्वार**: राज्य सरकार की योजना है कि नक्सली एवं आतंक प्रभावित इलाकों में रहने वाले गरीब लोगों की दशा में शीघ्रता से सुधार लाया जाय । समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए नक्सली तथा आतंक प्रभावित गांवों को जिला, अंचलों, प्रखंड मुख्यालयों तथा पंचायतों से जोड़ने वाली सड़कों एवं सेतुओं का निर्माण सुधार तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है । संबंधित जिला समाहर्त्ताओं की अनुशंसाओं पर आधारित इन गांवों को जोड़ने वाली सड़कें और सेतुओं को इस स्कीम के अधीन लिया गया है । 2007–08 में, 100.00 करोड़ रुपये इस कार्यक्रम के लिए आवंटित किए गए हैं ।

15. **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना**: पूर्णतः केन्द्र प्रायोजित स्कीम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अधीन गांव से सड़क संपर्क स्थापित किया जा रहा है जो अब भारत निर्माण योजना का एक घटक है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन 1000 से ऊपर की जनसंख्या वाले (मैदानी भागों की) सभी असम्बद्ध गांवों को समयबद्ध तरीक से बारहमासी सड़क से जोड़ा जायेगा । पहले प्रस्ताव यह था कि 1000 से उपर की आबादी वाले सभी गांवों को 2003 के अंत तक सड़क से जोड़ दिया जाय लेकिन अंतिम तिथि बढ़ाकर 2009 कर दिया गया

है । ग्रामीण सड़कों तथा अन्य जिला सड़कों से जुड़े सभी कार्यक्रमों की देख–रेख एक पंजीकृत एजेंसी बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी (बी0आर0आर0डी0ए0) की मदद से ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाता है ।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए लक्ष्य :–

	कोटि	**संबद्ध गांव(संख्या)**	**सड़कों की लंबाई (कि0मी0)**	**अनुमानित लागत (करोड़ रू0)**
योजक मार्गों का निर्माण	1000+ जनसंख्या के लिए	13,582	29,087	10,500
	500–999 जनसंख्या के लिए	6,203	6,663	2,300
	250–499 जनसंख्या के लिए	3,497	3,274	1,300
	250 तक जनसंख्या	2,904	2,274	900
	कुल	26,186	41,298	15,000
आर पार निकलने वाले ग्रामीण मार्गों का उत्क्रमण			12,746	5,000

इसके प्रथम चरण से (2000–01 में) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत कुल 149.90 करोड़ रुपये के आवंटन से 629 गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 860 किलोमीटर लंबी 299 सड़कों का निर्माण किया गया है; (लगभग 634.135 किलोमीटर लंबी) 231 सड़कें पूरा होने की स्थिति में है । जून,2007 तक कुल खर्च 124.76 करोड़ रु0 रहा है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण–II (2001–03) के अधीन 1236 गांवों को बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिए लगभग 1540 किलोमीटर लंबी 670 सड़कों के लिए 302.98 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं जिसके विरूद्ध दिसम्बर, 2003 में 50 करोड़ रुपये, मई,2005 में 60 करोड़ रुपये और अक्टूबर, 2006 में 66.92 करोड़ रुपये निर्गत किये गये हैं । लगभग 1063.80 किलोमीटर लंबाई को आच्छादित करती 507 सड़कें पूरा होने की स्थिति में हैं । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के काम को राज्य में गति देने के लिए चरण–II और उसके आगे का काम केन्द्र सरकार की पांच एजेंसियों, एन0बी0सी0सी0, एन0पी0सी0सी0, सी0पी0डब्लू0डी0, एन0एच0पी0सी0 और

आई0आर0सी0ओ0एन0 के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय सीधे कार्यान्वित करायेगा, इस आशय का एक सहमति पत्र 31 अगस्त,2004 को हस्ताक्षरित किया गया । 6938 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कुल 2528.82 करोड़ रुपया मुक्त किया गया है और 1348.32 किलोमीटर पूरा होने की स्थिति में है । विभाग ने राज्य योजना से लंबे मार्गों का उत्क्रमण भी आरंभ किया है । 2006–07 में 1072.43 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 3954 किलोमीटर सड़कों का काम प्रारंभ किया गया है । इस प्रकार भारत निर्माण योजना के अधीन वर्तमान लक्ष्य निम्नांकित है :

1000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को जोड़ने का लक्ष्यः–

गांवों की संख्या (1000 से ऊपर जनसंख्या)	–	22,382
संबद्ध	–	8,800
असंबद्ध	–	13,582

	असंबद्ध गांव (संख्या)	**निर्माणार्थ योजक मार्गों की लंबाई (कि0मी0)**	**उत्कमित होने वाले सीधे मार्गों की लंबाई (कि0मी0)**
आरंभिक लक्ष्य	13582	29087	12746
चरण I एव II में निर्मित	1865	2400	0
एन0ई0ए0 द्वारा निर्मित	2482	2373	4565
राज्य योजना 2006–07 के अधीन निर्मित			3954
वर्तमान लक्ष्य	9234	24314	4227
अनुमानित लागत (करोड़)		9700	1700

इन महत्वाकांक्षी संपर्कता के लक्ष्यों को 2009 तक हासिल करने के लिए विशेष प्रयास एवं योजना की आवश्यकता है, चूंकि केन्द्रीय एजेंसियों की कार्य प्रगति लक्ष्य प्राप्ति के लिए ठीक–ठाक नहीं रही है । राज्य, इस स्कीम का पूरा लाभ और निधि नहीं भी प्राप्त कर सकता है, इसलिए विभाग ने बाकी का काम स्वयं करने का निर्णय लिया है । इसके लिए डी0पी0आर0 की तैयारी और प्रक्रिया प्रबंधन को बाह्य स्रोतों को सौंप दिया गया है और मार्च,2009 तक भारत निर्माण योजना के अधीन शेष कार्य पूरा करने के लक्ष्य के साथ निम्नांकित कार्य योजना के अनुसार कार्य आरम्भ कर दिया गया है :

1000+ जनसंख्या के लिए कार्य योजना

वित्तीय वर्ष	चरण	एजेंसी	ली जाने वाली सड़के (कि0मी0)	लाभान्वित होने वाले गॉव(सं0)	एन.आर. आर.डी.ए. पर डी.पी. आर. उपस्थापन / योग्य प्राधिकार	कार्यारम्भ	कार्य की पूर्णता	आवश्यक निधि (करोड़ रू0)
2007–08	I	बी.आर. आर.डी.ए.	2000	650	जुलाई,07	सितम्बर,07	मार्च,08	800
	II	बी.आर. आर.डी.ए.	3000	970	नवम्बर,07	फरवरी,08	नवम्बर,08	1200
2008–09	III	बी.आर. आर.डी.ए.	10000	3230	जनवरी,08	मई,08	नवम्बर,09	4000
	IV	बी.आर. आर.डी.ए.	13541	4384	अप्रैल,08	जून,08	मार्च,09	5400
कुल			**28541**	**9234**				**11400**

इसके साथ–साथ उन सेतुओं को भी बनाना होगा जिनका उल्लेख निर्माण एवं उत्क्रमण प्रस्तावों में नहीं है, जिसके लिए निधि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मार्गदर्शिका की कंडिका 8.5(ट) के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय अथवा राज्य सरकार से मांगी जायेगी । बहरहाल, एन0ई0ए0 ने लगभग 238 करोड़ रु0 की आवश्यकता का आकलन किया है ।

केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

सड़कों पर निर्मित किये जाने वाले सेतु (25 मीटर से लंबे)

कमांक	एजेंसियों के नाम	प्रस्तावों की संख्या	सेतुओं की कुल प्रस्तावित लंबाई (मी0 में)	कच्चा आकलन (लाख रू0 में)	राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला लागत अंश (लाख रू0 में)
1	सी0पी0डब्लू0डी0	14	915.00	3202.500	1977.500
2	एन0बी0सी0सी0	33	3862.00	13323.452	10675.400
3	एन0एच0पी0सी0	17	742.00	1958.050	702.774
4	एन0एच0पी0सी0	12	1053.00	3625.000	2846.540
5	आई0आर0सी0ओ0एन0	8	550.00	1650.000	1050.000
	कुल	**84**	**7122.00**	**23759.002**	**17252.214**

शेष कार्य के लिए लागतों का आकलन किया जा रहा है । विभाग गुणवत्ता नियंत्रण तथा यथा समय कार्य पूरा करने को उच्च प्राथमिकता दे रहा है । ठेका प्रबंधन तथा निर्माण पर्यवेक्षण का कार्य बाह्य स्रोत को दिया जा रहा है । गहन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण के लिए विभाग 72 प्रमंडलों को उनके समस्त तकनीकी संरचना के साथ अन्य विभागों से ले रहा है । कोर नेटवर्क को अद्यतन किया जा रहा है, ई–निविदा की शुरूआत की जा रही है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ऑन लाइन अनुश्रवण प्रणाली आरम्भ की जा रही है तथा अन्य स्कीमों तक इसका विस्तार किया जा रहा है । इनके अतिरिक्त, ठेकेदारों के प्रशिक्षण एवं क्षमता के विस्तार के लिए कदम उठाये गये हैं ।

ग्यारहवीं योजना तथा वार्षिक योजना 2007–08 के लिए प्रस्तावति स्कीमें:

16. **स्थापना:** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए स्थापना लागत को पूरा करने हेतु 1,668.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । इस स्कीम के लिए ग्यारहवीं योजना के दरम्यान 10,703.54 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 10,703.54 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 1,668.00 लाख रु0}

17. **चालू स्कीमें:** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए चालू स्कीमों हेतु 11.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 54.06 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 51.00 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 11.00 लाख रु0}

18. **सड़कों के लिए स्कीमें:** वार्षिक योजना के लिए नयी स्कीमों हेतु 26,681.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 113104.30 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 113104.30 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 26,681.00 लाख रु0}

19. **सेतुओं के लिए नयी स्कीमें:** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए नये सेतुओं के निर्माण हेतु 2,704.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम हेतु 16393.03 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 16393.03 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 2,704.00 लाख रु0}

20. **नयी स्कीमों के लिए सर्वेक्षणः** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए 330.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान 1748.90 लाख रु0 इस स्कीम के लिए प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 1748.90 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 330.00 लाख रु0}

21. **विधायक/विधान पार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीमः** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए 33,500.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 174167.33 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 174167.33 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 33,500.00 लाख रु0}

22. **मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाः** इस स्कीम के लिए वार्षिक योजना 2007–08 हेतु 30,000.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 219900.00 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 219900.00 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 30,000.00 लाख रु0}

23. **अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना** :वार्षिक योजना 2007–08 के लिए अनुसूचित जातियों के निमित विशेष अंगीभूत योजना हेतु 1,096.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 9981.00 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 9981.00 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 1,096.00 लाख रु0}

24. **कार्यालय उपस्कर एवं मशीनेंः** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए कार्यालय उपस्कर एवं मशीनों की लागत को पूरा करने हेतु 21.00 लाख रु0 का प्रस्ताव किया गया है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम हेतु 111.29 लाख रु0 प्रस्तावित है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 111.29 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 21.00 लाख रु0}

25. **कोशी पीड़ित योजनाः** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए कोशी पीड़ित योजना हेतु 10.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 95.39 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 95.39 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 10.00 लाख रु0}

26. **प्रशिक्षणः** वार्षिक योजना 2007–08 के लिए प्रशिक्षण हेतु 10.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 53.11 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 53.11 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 10.00 लाख रु0}

27. **नाबार्ड स्कीमें**ः वार्षिक योजना 2007–08 के लिए नाबार्ड के अधीन स्कीमों के निमित्त 20,000.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 1,32,000.00 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 1,32,000.00 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 20,000.00 लाख रु0}

28. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम** :वार्षिक योजना 2007–08 के लिए सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्कीम के निमित्त 802.00 लाख रु0 प्रस्तावित है । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान इस स्कीम के लिए 2900.58 लाख रु0 प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 2900.58 लाख रु0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्ययः 802.00 लाख रु0}

ग्रामीण कार्य

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	50922.00	50268.00	59113.94
2003-04	38818.00	48626.38	46900.94
2004-05	34769.15	34769.15	34235.35
2005-06	57165.07	38247.47	35572.23
2006-07	97258.00	122364.00	125351.10
योग	**278932.22**	**294275.00**	**301173.56**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08ः 116833.00 लाख रू0

ग्यारहवीं योजनाः 2007–12ः 648184.64 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण इलाकों को राज्य की आर्थिक गतिविधियों को मुख्य धारा में लाना है ।
- स्थानीय महत्व की स्कीमों को विधायक/विधान पार्षद कार्यक्रम के अधीन प्राथमिकता ।
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का जोरदार प्रयास किया जाएगा ।
- 3.75 मीटर से कम चौड़ाई वाली कच्ची या पक्की सड़के जिन्हें प्रधान मंत्री ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत स्वीकृत नही किया गया है, उन्हें नावार्ड के आर0 आई0 डी0 एफ0 से ऋण प्राप्त कर बनाया जाएगा ।
- आर0 आई0 डी0 एफ0 ट्पप्प के अधीन गया जिले में तीन सेतुओं के निर्माण के लिए नाबार्ड द्वारा 1015.76 लाख रू0 ऋण मंजूर किया गया है । एवं इस कार्य के लिए संचारी अग्रिम (मोविलाइजेशन एडवान्स) के रूप में 182.00 लाख रू0 प्राप्त हो चुके हैं ।
- 500 और 999 के बीच की जनसंख्या वाले सभी गॉवों को वारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ना ।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यान्वयन के लिए जिला समाहर्त्ता के सचिव एवं जिले के प्रभारी कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन समिति निर्मित की गयी है ।
- नक्सल एवं आतंकवाद प्रभावित गॉवों की सड़कों एवं पुलों का निर्माण आपकी सरकार आपके द्वार योजना के अंतर्गत की गयी है ।

10.3 नागरिक उड्यन

नागरिक उड्डयन विभाग की स्थापना 1990 में महत्वपूर्ण स्थलों पर हवाई अड्डों के निर्माण एवं विस्तार की गति को बढ़ाने, तथा रनवे आदि के विकास, उड्डयन प्रशिक्षण सुविधाएँ प्रदान करने, तथा हवाई जहाजों के अधिग्रहण तथा रख–रखाव के लिए की गयी थी । विभाग के मुख्य उद्देश्य हैं,– दूर–दराज स्थलों तक विशेष महत्वपूर्ण व्यक्तियों की पहुँच सुगम करना, एवं वर्तमान हवाई जहाजों के रख–रखाव के लिए उपस्कर, अतिरिक्त कल–पुरजे और इसी प्रकार की अन्य चीजों का क्रय करना । ग्यारहवीं योजना के दरम्यान हवाई यातायात के विकास के तेज किया जाएगा, जिससे प्रशिक्षण–शिक्षण सुविधाओं, महत्वपूर्ण स्थलों पर रनवे, एप्रॉन्स आदि के विकास अथवा निर्माण या विस्तार, तथा अच्छे हवाई जहाज के अधिग्रहण की आवश्यकता में वृद्धि होगी ।

2. बिहार उड्डयन संस्थान पाइलट प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए सबसे पुराने संगठनों में से एक है । विगत दशकों में, इंडियन एयर लाइंस, एयर इंडिया, राज्य उड्डयन एवं अन्य जैसी हवाई सेवा एवं हवाई यातायात कंपनियों की त्वरित वृद्धि के साथ ही नवीं योजना के दरम्यान विमानों की खरीद के साथ–साथ हवाई पट्टियों, प्राचीरों तथा पहुंच सड़कों का निर्माण आरंभ किया गया था । निधि की अनुपलब्धता के कारण दसवीं योजना के उद्देश्य बहुत भिन्न नहीं थे, क्योकि पिछले कार्यक्रमों की उपलब्धि आंशिक ही थी । प्रशिक्षु पाइलटों के उड़ान प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार उड्डयन संस्थान के पास अपेक्षित प्रशिक्षक विमान नहीं थे । इस प्रकार 2002–07 के बीच, लगभग 3671 उड़ान घंटे प्राप्त किये जा सके तथा (अन्य उड्डयन क्लबों पर उनके उड़ान घंटों को पूरा करने के लिए प्रशिक्षुओं के वित्तीय सहयोग के साथ) 26 निजी पाइलट लाइसेंस, 18 व्यापारिक पाइलट लाइसेंस और 5 ए0एफ0आइ0आर0(ए0) तथा एक एफ0आई0आर0(ए0) धारक निर्गत किये गये । फिर भी 1998–99 के दरम्यान प्रशिक्षण हेतु नये विमान खरीदे गये और नवीं योजना के अंतिम वर्ष से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहा है । राज्य सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन विभाग के अधीन के हवाई जहाज और हेलिकॉप्टर की सेवाओं का उपयोग कानून व्यवस्था,

अग्नि, जैसी आपातिक तथा अन्य संकट के समय में किया जाता रहा है । बिहार विभाजन के पश्चात् एक हावई जहाज (चालक सहित पॉच सीटों वाला) झारखंड को आवंटित किया गया तथा शेष तीन (जिनमें एक नया है) बिहार मे नागरिक उड्डयन विभाग के पास है ।

दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

3. वर्ष 2005–06 के दरम्यान नये विमान खरीदने के लिए 14,56,96,000 रू0 का अग्रिम मंजूर हुआ था । 2002–07 के दरम्यान दसवीं योजना के लिए 1800.00 लाख रू0 के कुल स्वीकृत मूल उद्व्यय के विरूद्ध नागरिक उड्डयन सेक्टर में लगभग 1732.67 लाख रू0 खर्च किये गये थे । दसवीं योजना के 2.00 करोड़ के पुनरीक्षित उद्व्यय के विरूद्धद्व योजना अवधि में 2.00 करोड़ (100 प्रतिशत) रू0 खर्च किए गये ।

4. विभाग द्वारा उड़ान कार्य को वारहमासी बनाने के लिए बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय, भभुआ, राजगीर, मुंगेर और सीतामढ़ी में महत्वपूर्ण हावई अड्डों के निर्माण, विस्तार और विकास का प्रस्ताव है जिसे ग्यारहवीं योजना के दरम्यान पूरा कर लिया जाएगा ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 1100.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 1000.00 लाख रू0}

5. नव अधिग्रहित विमानों के लिए आवश्यक उपकरण, औजार, अन्य कल–पुर्जे और तत्कालिक तौर पर आवश्यक होने वाले अतिरिक्त पुरजे खरीदे जाएगे ।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 603.31 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्ययः 100.00 लाख रू0}

नागरिक उड्‌यन

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्‌व्यय	पुनरीक्षित उद्‌व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	100.00	70.00	100.00
2003-04	100.00	100.00	100.00
2004-05	100.00	88.82	75.71
2005-06	1500.00	1456.96	1456.96
2006-07	-	200.00	200.00
योग	**1800.00**	**1915.78**	**1932.67**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08ः 1100.00 लाख रू0

ग्यारहवीं योजनाः 2007–12ः 1606.99 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- उड़ान कार्य को वारहमासी बनाने के लिए बेतिया, मधुबनी, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय, भभुआ, राजगीर, मुंगेर और सीतामढ़ी में महत्वपूर्ण हावई अड्‌डों का निर्माण और विकास ।

परिशिष्ट– 10.1

ऊर्जा

ग्यारहवीं योजना 2007–12 और वार्षिक योजना 2007–08
सारांश एक नजर में

क्रम संख्या		स्कीम	शीर्ष	ग्यारहवीं योजना उद्व्यय	वार्षिक योजना उद्व्यय
		बी0एस0ई0बी0			
I		**उत्पादन**			
	1.	बी0टी0पी0एस0 ईकाइयॉ 6 एवं 7 तथा एम0टी0पी0एस0 ईकाइयॉ 1 एवं 2 का आर0 एवं एम0	आर0एस0 भी0वाई0	16120.53	15000.00
	2.	बी0टी0पी0एस0 ईकाइयॉ 4 एवं 5 का आर0 एवं एम0	आर0एस0 भी0वाई0	10653.07	7486.00
	3.	बी0टी0पी0एस0 विस्तार	आर0एस0 भी0वाई0	7800.26	1000.00
	4.	बी0टी0पी0एस0 के लिए गंगा नदी जल	आर0एस0 भी0वाई0	6240.21	600.00
	5.	नयी परियोजनाएँ / साम्या (इक्वीटी)	राज्य योजना	7280.24	7000.00
	6.	नयी परियोजनाएँ / साम्या (राज्य योजना से)		3848.13	3700.00
II		**संचरण**			
	1.	उप संचरण प्रणाली चरण–II, भाग – I	आर0एस0 भी0वाई0	19656.65	15000.00
	2.	चरण–II, भाग – II		142588.71	20000.00
III		**वितरण**			
	1.	भूमिगत केबलिंग	आर0एस0 भी0वाई0.	64923.61	2101.38
	2.	आर0ई0कार्य का पूरक खर्च	आर0एस0 भी0वाई0.	16640.55	711.58
	3.	राज्य योजना	राज्य	92917.61	905.42

कम संख्या		स्कीम	शीर्ष	ग्यारहवीं योजना उद्व्यय	वार्षिक योजना उद्व्यय
			योजना		
	4.	ए0पी0डी0आर0पी0	ए.पी.डी. आर.पी.	58300.16	6000.00
IV	**बी0एच0पी0सी0**				
	1.	IV- नाबार्ड ऋण		7500.00	1500.00
	2.	बाल्मिकी नगर और डिहरी में निकास नहर का निर्माण		5500.43	584.00
	3.	डगमारा और अन्य बड़ी हाइउल परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक कार्य		10400.35	1500.00
	4.	एस0एच0पी0 का निर्माण		997.48	200.00
V	**बी0आर0ई0डी0ए0(ब्रेडा)**				
	5	स्थापना		261.01	55.00
	6	गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत		156.00	50.00
	7	बी0ए0डी0पी0–सौर शक्ति		100.00	100.00
कुल				**471884.00**	**83493.38**

परिशिष्ट–10.2

परिवहन

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्र0	योजना	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिये उदव्यय
	राज्य योजना		
1.	कंप्यूटरीकरण एवं नेटवर्किंग	529.97	50.00
2.	बे–इन–ब्रिज के अधिष्ठापन में	104.93	00.00
3.	प्रवर्तन–तंत्र का सशक्तीकरण	30.74	00.00
4.	अंतर्राज्यीय जल परिवहन परियोजना में राज्यांश	106.00	70.00
	कुल राशि	**771.64**	**120.00**

परिशिष्ट—10.2.1

पथ निमार्ण

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007—12) एवं वार्षिक योजना (2007—08)

सार एक झलक में

क्र0	योजना	11वीं पंचवर्षीय योजना 2007—08 के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007—08 के लिए उद्व्यय
1	स्थापना	1865.79	290.00
3	केन्द्र प्रायोजित योजना का राज्यांश	2444.84	380.00
4	मशीने एवं उपस्कर	9650.66	1500.00
5	सड़क निर्माण	567896.03	70717.50
6	पुलें	49646.18	3970.00
7	नाबार्ड ऋण योजना	58559.50	18400.00
8	सीमा क्षेत्रीय विकास परियोजना	2298.03	840.00
9	राष्ट्रीय सम विकास योजना	57903.93	29514.00
10	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना	191684.01	40000.00
11	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	5404.37	0.00
	कुल	**937353.34**	**165611.50**

परिशिष्ट–**10.2.2**

ग्रामीण कार्य

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रु0 में)

क0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	स्थापना	10,703.54	1,6668.00
2	चालू स्कीमें	54.06	11.00
3	सड़कों के लिए नयी योजनाएं	1,13,104.30	26,681.00
4	सेतुओं के लिए नयी स्कीमें	16,393.03	2,704.00
5	नयी योजनाओं के लिए सर्वेक्षण	1,748.90	330.00
6	विधायक/विधानपार्षद स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम	1,74,167.33	33,500.00
7	मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना	2,199900.00	30,000.00
8	अनुसूचित जाति के लिए विशेष अंगीभूत योजना	9,981.87	1,096.00
9	कार्यालय उपस्कर एवं मशीनें	111.29	21.00
10	कोसी पीड़ित योजना	95.39	10.00
11	प्रशिक्षण	53.11	10.00
12	नाबार्ड स्कीमें	1,32000.00	20,000.00
13	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	2,900.58	802.00
	कुल	**681213.40**	**1,16,833.00**

परिशिष्ट – 10.3

नागरिक उड्‌यन

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क0	योजना का नाम	ग्यारहवीं योजना 2007–12 के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय
1	महत्वपूर्ण स्थलों पर हवाई अड्डों का निर्माण/ विस्तार/ विकास	1100.00	1000.00
2	विमानों का रख–रखाव	603.31	100.00
कुल		**1703.31**	**1100.00**

अध्याय–11

नगर विकास एवं आवास

परिचय

सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए नगर महत्वपूर्ण वाहक हैं। हमारे शहरों में परिवर्तन को बनाये रखने के लिए आवश्यक है कि दृढ़ता से स्थापित, अपने में अधिकार सम्पन्न, स्वतंत्र स्थानीय जनता के प्रति उतरदायी स्थानीय सरकार हो। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन स्थानीय सरकार को पहली संवैधानिक मान्यता देती है। इन संशोधनों ने केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गयी नयी योजनाओं के साथ मिलकर राज्य सरकारों को शहरी शासन की गुणवत्ता सुधारने, पूर्व से प्रारम्भ किये गये प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण को पूरा करने, आधारभूत सेवायें प्रदान करने में सुधार करने, शहरी गरीबी का उपशमन करने, निजी निवेश के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन करने तथा राज्य में सम्पूर्ण आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अद्‌भुत अवसर प्रदान किया है।

2. **वर्तमान स्थिति** :– बिहार में नगरों की समस्यायें एवं शहरों का विकास जटिल है तथा यह वर्षों की उपेक्षा एवं उदासीनता तथा कुछ हद तक शहरों के प्रतिकूल अभिमत ने इसे अत्यधिक जटिल बना दिया है। शहरी प्रगति के आकलन के लिये व्यवहृत प्रायः प्रत्येक सूचक के अनुसार पर बिहार निम्नतम स्तर पर है। 2001 की जनगणना अनुसार राज्य के मात्र 10.5 प्रतिशत जनसंख्या शहरी है (जबकि सम्पूर्ण भारत का 27.78 प्रतिशत शहरी है), यह केवल हिमाचल प्रदेश (9.8 प्रतिशत), जो देश के राज्यों में निम्नतम शहरीकृत है, से ऊपर है। साथ हीं शहरी जनसंख्या कुछ खास जिलों तक ही सीमित है, जैसे–पटना, नालंदा, मुंगेर एवं भागलपुर; जबकि राज्य के शेष क्षेत्र नाममात्र के शहर हैं। अति महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 1991–2001 की अवधि में शहरी जनसंख्या की वृद्धि दर नकारात्मक थी (–2.68 प्रतिशत वार्षिक) जबकि तथ्यों के आधार पर यह सहज रूप से कहा जा सकता है कि झारखण्ड राज्य के निर्माण के फलस्वरूप अनेक शहरी क्षेत्रों के निकल जाने के कारण ऐसी परिस्थिति बनी है। वस्तुस्थिति यह है कि 1981–91 के

पूर्व दशक में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर सम्पूर्ण भारत के 3.09 प्रतिशत की तुलना में, राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर 2.64 प्रतिशत रही है। स्पष्टतः इस राज्य में व्यापक आर्थिक विकास, विशेष रूप से औद्योगीकरण के अभाव ने, नगरों एवं शहरों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है अर्थात, शहरी क्षेत्रों में पूरी शहरी जनसंख्या के अनुपात में शहरी गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है, (सम्पूर्ण भारत 23. 62 प्रतिशत की तुलना में यह 33 प्रतिशत है) जबकि 1993–94 से 2004–05 की अवधि में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आधारभूत सेवाओं के क्रम यथा–नल–जल, शौचालय सुविधा, नाला, कचरा संग्रहण व्यवस्था, नगर निकाय की उपलब्धि एवं लेखा–जोखा वास्तव में नगण्य है। प्रति व्यक्ति मूल नगरीय सेवाओं पर व्यय मात्र 104 रू0 है, जबकि महाराष्ट्र में यह 1705 रू0 है। शहरी संस्थायें, विशेष रूप से, शहरी स्थानीय निकाय राज्य में निष्क्रियता एवं उपेक्षा की स्थिति में है। आर्थिक मुद्दो पर, गैर प्राथमिक प्रक्षेत्र जी0एस0डी0पी0 कुल जी0एस0डी0पी0 का 63 से 64 प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से ऊँचा है और वर्ष 1993–94 से 2004–05 के दरम्यान 6.2 प्रतिशत (1993–94 के मूल्यो पर) की वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण भारत की औसत साक्षरता 70.1 प्रतिशत की तुलना में बिहार की शहरी साक्षरता मात्र 64.53 प्रतिशत है।

इस प्रकार बिहार के शहरी क्षेत्र, निष्क्रियता एवं सम्पूर्ण अविकसितता को प्रदर्शित करते हैं। यह निरूपित करता है– निम्न आर्थिक विकास, शहरीकरण का निम्न स्तर, उच्च शहरी गरीबी, शहरी सेवा का निम्न स्तर, एवं कमजोर शहरी संस्थाये, ये सभी अत्यधिक जटिल समस्याओं से ग्रसित है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में बिहार की स्थिति को मजबूत करते हुए अविकसितता के मकड़जाल को खत्म करना एक चुनौती होगी।

3. **शहरी विकास को प्रदर्शित करने की रणनीति** – शहरीकरण एवं आर्थिक विकास की गति आगे–पीछे की स्थिति में है। शहरीकरण का निम्न स्तर समान रूप से मिलकर निम्नतर शहरी जनसंख्या विकास एवं उच्च गरीबी स्तर, 1990 एवं इसके पहले के दशक में निष्क्रिय आर्थिक विकास का प्रकटीकरण है। निम्न विकास एवं निम्न शहरीकरण के मकड़जाल को आर्थिक विकास की शर्तों के अधीन हीं तोड़ा जाना संभव है।

यह ध्यान में रखते हुए कि बिहार के नगर एवं शहर लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं और कि दूसरे अन्य अधिक प्रगतिशील एवं अग्रदर्शी राज्यों में नगर एवं शहर तेजी से परिवर्तनशील घरेलू एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में उत्पन्न संसाधनों में से अधिकतम प्राप्ति की दिशा में एक दूसरे से होड़ कर रहे हैं, दो रणनीतियों (केन्द्र सरकार के द्वारा उठाये गए अद्यतन पहल का उपयोग एवं श्रमपूर्वक लागू करने) के मिश्रण को अंगीकृत करना इन पहलों द्वारा अनाच्छादित नगरों एवं शहरों तक उन्हें विस्तारित करने, आधारभूत संरचनागत सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं स्तरोन्नयन, इनमें निवेश को आकर्षित करने हेतु आवश्यक परिस्थितियां पैदा करने, संपत्ति कराधान एवं उपयोग शुल्क प्रणाली में सुधार के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों का सुदृढ़ीकरण और सभी सेवायें शहरी गरीबों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने हेतु मध्यम अवधि में व्यापक गति का वाहक हो सकता है। केन्द्रीय सरकार के प्रयासों का क्षेत्र एवं क्षमता इतना व्यापक है कि निष्क्रियता से प्रभावित नगरों एवं शहरो को पूरी तरह से न सिर्फ प्रभावित कर सकता है बल्कि इसे विकास के प्रक्षेपण पथ पर ला सकता है। बिहार का शहरी क्षेत्र (जैसा कि अन्य बहुत से राज्यों में) नियम कानून एवं प्रक्रियाओं से इस प्रकार बंधा हुआ है कि यह निवेश को आकर्षित करने, उतरदायी एवं स्वयं सक्षम होने योग्य नहीं बन पाता। चूंकि बिहार सरकार इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत उपलब्ध निधि की भागीदारी करने की प्रारंभिक अवस्था में है, इसलिये रणनीति इन सभी सुधार कार्यक्रमों जो एक दूसरे के साथ जुड़े हैं को मिलाकर चलाना होगा।

द्वितीय सहायक रणनीति 'शहरी स्थलों' के विनियमन, विकास एवं योजना की होगी, खासकर ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें विकास के लिए छोड दिया गया है का नवीकरण एवं पुनर्विकास विभिन्न तंत्रों यथा वर्त्तमान किराया नियत्रंण के प्रावधान में परिर्वतन, एफ0एस0आई0 में परिवर्द्धन, विकास के अधिकारों का हस्तांतरण, भूमि का उपयोग एवं अन्य आर्थिक प्रोत्साहनों (निश्चित अवधि के लिए सम्पति कर भुगतान से छूट) आदि को मिलाकर करने की है। बिहार में नगरों एवं शहरों का विकास अव्यवस्थित रूप से हुआ है जिसमें कोई क्रम या तरीका या नियंत्रण नहीं है। नवनिर्माण का विनियमन समान रूप से आवश्यक है ताकि भविष्य में विकास को सम्पूर्ण शहरी विकास के उद्देश्यों से जोड़ा जा सके।

इन रणनीतियों का गहन अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि परिदृश्य उतना खराब नही है जब राज्य सरकार द्वारा हाल में ही सकारात्मक विकास पर विचार किया गया है। राज्य सरकार ने सफलता पूर्वक सभी निगर निकायों का चुनाव कराया है, जिसका परिणाम है कि वर्त्तमान में सभी नगर निकायों में निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। द्वितीय महत्व का सकारात्मक पहलू यह है कि चुने गये प्रतिनिधियों में 60 प्रतिशत महिलायें है। सभी राज्यों में बिहार उन पहले राज्यों में है, जिसने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 को अधिनियमित किया है। अन्य सुधारों यथा बिहार अपार्टमेन्ट अधिनियम का अधिनियमन, शहरी भूमि हदबन्दी एवं विनियमन अधिनियम की समाप्ति, भूमि एवं सम्पति का कम्प्यूटर के माध्यम से निबंधन, बिहार भवन उपनियम का पुनरीक्षण कर जल संचय को अनिवार्य बनाये जाने का कार्य पूर्ण किया गया है। मुद्रांक शुल्क को 18 प्रतिशत से कम कर 10 प्रतिशत कर दिया गया है। बिहार किराया नियत्रंण अधिनियम में संशोधन विचाराधीन है। लेखा व्यवस्था में दोहरी लेखन व्यवस्था लागू करने की योजना बनायी गयी है। व्यापक स्तर पर सरकारी एवं गैरसरकारी कर्मियों का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्य प्रारंभ किया गया है। नगर निगमों को प्रबंधकीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। धृति कर में संशोधन एवं वसूली को अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया है। सभी महत्वपूर्ण नगरों एवं शहरों के लिए मास्टर प्लान एवं जी0आई0एस0 मैप विकसित किये जा रहे है। विलंब से प्रारंभ कर यह राज्य अन्य राज्यों के अनुभवों का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में है।

4 **आगे बढ़ने के उपाय**— नगरों एवं शहरों को स्वच्छ बनाने तथा शहरी क्षेत्रों के दक्षतापूर्णक कार्य करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के परिर्वतन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बिहार को अब निम्नाकिंत आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना है :—

क. **मानव संशाधनों का सुदृढ़ीकरण** — अन्य सुधार कार्यक्रमों को लाने से पूर्व यह परम आवश्यक है कि दक्ष एवं प्रशिक्षित कर्मियों को मिलाकर एक नगरपालिका संवर्ग बनाया जाय जो उन्हें सौपों गये कार्यों को दक्षतापूर्वक सम्पादित कर सकें। मानव संशाधन के विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। नगर निकायों को केन्द्रीय/राज्य सरकार की

योजनाओं के अतंर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन तथा निधि के उपयोग के लिए प्रबंधकीय एवं तकनीकी सहायता चरणबद्ध रूप से उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी है।

योजनावधि में नगर निगमों से प्रारंभ कर सभी नगर निकायों को प्रबंधक जो एम0बी0ए0 हों, वित्तीय प्रबंधक एवं नगर निवेशकों, लेखा प्रबंधक की दक्ष टीम उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

ख. ई–गवर्नेंस – राज्य में नगर निकायों ने कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था प्रारंभ की है। फिर भी तथ्यों के संग्रहण, वित्तीय प्रबंधन, अनुश्रवण इत्यादि तथा जन्म/मृत्यु प्रमाण–पत्र एवं अन्य सूचनाओं/सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसका सुदृढ़ीकरण आवश्यक है।

ग. संसाधन आधार में सुधार – नगर निकायों के द्वारा होल्डिंग टैक्स के पुनर्मूल्यांकन को एक अभियान के रूप में प्रारंभ किया गया है तथा वसूली के प्रयास में भी तेजी लायी गयी है। अन्य तरीकों के रूप में बाह्य स्त्रोतों से प्राप्ति, होल्डिंग टैक्सों की वसूली, अन्य संभावित स्त्रोतों की खोज, राजस्व विभाग से विभिन्न बन्दोबस्ती का हस्तांतरण, कर तथ्यों का कम्प्यूटराइजेशन, राज्य सरकार/ राज्य वित्त आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुदानों का उपयोग इत्यादि संभावनाओं की तलाश आवश्यक है। राज्य सरकार को चाहिए कि नगर निकायों को निधि हस्तांतरण करने में बारीकी से देखें ताकि स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में उनकी क्षमता सुनिश्चित की जा सके।

घ. शहरी आयोजना – राज्य में शहरी आयोजन पूर्णत एक उपेक्षित क्षेत्र है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के अधिनियमन के साथ ही सभी क्षेत्रीय विकास प्राधिकारों को नगर निगमों के साथ विलय कर दिया गया है। प्रत्येक नगर निगम में उपयुक्त प्रबंधकीय सहायता संसाधन स्रोत केन्द्र स्थापित किया जाना है। यह ईकाई मास्टर प्लान/जी0आई0एस0 मैप पर ध्यान देगी तथा उसे विकसित करेगी। इसके निमित एक प्रतिबद्ध नगर आयोजको का एक संवर्ग विकसित करने की आवश्यकता है। राज्य में एक स्वतंत्र/गैर सरकारी शहरी आयोजन संसाधन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जो राज्य सरकार को शहरों के भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाने हेतु सहायता प्रदान करे।

ङ. **स्वच्छ नगर** – बिहार के सभी शहरों में सिवरेज एवं ड्रेनेज की समस्या अत्यन्त ही दयनीय है। अन्तर प्रक्षेत्रीय योजनाओं को सम्मिलित करते हुए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तेजी से तैयार करने की आवश्यकता है।

च. **लोक एवं निजी सहभागिता**– बिहार के नगर निकायों में मानव एव तकनीकी दोनों संसाधनों की कमी है। इनके पास लोक एवं निजी सहभागिता के मॉडल अपनाने के सिवा अन्य कोई विकल्प नहीं है। निजी निवेशको को बुलाने हेतु सक्षम वातावरण के सृजन की आवश्यकता है। बिहार सरकार ने पहले से ही इस दिशा में पहल प्रारंभ कर दिया है।

छ. **नगरीय सुधार**– यद्यपि राज्य सरकार द्वारा निश्चित सुधार प्रारंभ किए जा चुके है, परन्तु उन्हें गति देने की आवश्यकता है ताकि 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष के अंत तक इन्हें पूर्ण किया जा सके।

ज. **शहरी गरीबी को कम करना**– यद्यपि नगर निकायों के विनियमन कार्यो के परिचालन में सुधार तथा जलापूर्ति/कचड़ो का निपटान इत्यादि योजनाओं को पूर्ण करने की ओर पूरा ध्यान दिया जा रहा है परन्तु नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर कोई विशेष ध्यान नही दिया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण प्रगति यह हैं कि बिहार के नगर निकायों द्वारा कमोवेश शहरी गरीबो का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है फिर भी अन्तिम स्तर पर अभी पहुँचा जाना है। बिहार शहरी गरीबी के उच्चतम स्तर पर है। गरीबों की पहचान के अलावे झुग्गी–झोपड़ियों का विकास एवं उसमें रहने वाले लोगों के लिये बुनियादी सेवायें बी0 एस0 यू0 पी0, आई0 एच0 एस0 डी0 पी0, एस0 जे0 एस0 आर0 वाई0 के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक नगर निकाय में एक दल होना चाहिए, जो पूर्णत इन कार्यो के प्रति प्रतिबद्ध हो; विशेष रूप से शहरी गरीब महिलाओं, बच्चों को लक्ष्य करके, गरीब , टूटे हुए असहाय फुटपाथी बच्चों के मामले में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता से हस्तक्षेप की आवश्यकता है। शहरों मे त्वरित आर्थिक वृद्धि के लिये इनकी सहभागिता के संबंध में गहराई से देखने की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिए आवासीय योजना को रोजगार सृजन एवं प्रशिक्षण के साथ जोड़ने की आवश्यकता है।

झ. **शिक्षा** – शिक्षा, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा पर शिक्षकों की नियुक्ति में नगर निकायों को अधिकार देने के साथ ध्यान दिया जा रहा है हालांकि सशक्तिकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात जितनी जल्दी हो सके, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण प्रभार नगर निकायों को दिया जाना चाहिए।

ञ. **स्वास्थ्य एवं पोषण** – बिहार में किसी भी निकाय ने अपने निवासियों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति पर विशेष अभिरूचि प्रदर्शित नहीं की है। टीकाकरण, मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य पूर्णतः उपेक्षित क्षेत्र हैं। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक गरीब स्तर के लोगों की स्थिति अत्यन्त ही मार्मिक है। प्रत्येक नगर निकाय को लोगों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर के अनुश्रवण हेतु, विशेष रूप से गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों लोगों के लिए, सुदृढ़ किया जना चाहिए।

ट. **नियोजन** – शहरी क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था की मजबूती उसके अनौपचारिक प्रक्षेत्र की गतिशीलता पर निर्भर है। नगर निकाय/राज्य सरकार विभिन्न स्तर के लोगों की समस्याओ/आवश्यकताओं को देखेगी, रोजगार को बढ़ाने वाले स्वतंत्र व्यापार स्थल एवं आसान ऋण की उपलब्धता बढ़ायेगी एवं शोषण एवं उत्पीड़न आदि से मुक्ति दिलायेगी। इस मामले में गैर सरकारी संगठनो की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण होगी।

ठ. **आवास** – यह भी एक अत्यंत उपेक्षित क्षेत्र है। बिहार राज्य आवास बोर्ड का सुदृढ़ीकरण शहरी लोगों विशेषकर अल्प आय वर्ग के लोगों को समर्थानुरूप आरामदायक आवास उपलब्ध कराने के उसके उद्देश्य के पूर्ति हेतु आवश्यक है। आवास बोर्ड का पुनर्गठन एवं पुनर्जीविकरण संभवतः पी0 पी0 पी0 मॉडल को अपनाकर करने की योजना है।

ड. **नगरीय यातायात** – बिहार में शहरी तथा नगरों का अर्द्धशहरी स्वरूप होने के कारण नगरीय यातायात प्राथमिकता का विषय नहीं है। फिर भी पटना तथा गया जैसे शहरों में भविष्य में यातायात की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य के अन्य क्षेत्रों से जनसंख्या के आवक के कारण इन शहरों में व्यापक स्तर पर व्यवस्थित यातायात की व्यवस्था हेतु योजना बनाया जाना अतिआवश्यक है। 11वीं पंचवर्षीय योजना काल में व्यापक एवं द्रुत यातायात व्यवस्था के संबंध में निर्णय लिया जायेगा और पटना तथा गया शहरों में उसे स्थान दिया जायेगा। उक्त

दोनों शहरों के अनुभव के आधार पर नगरीय यातायात योजना को बिहार राज्य के अन्य निगमों में लिया जायेगा। यातायात व्यवस्था को लोक निजी सहभागिता के आधार पर लिया जायेगा, जहाँ राज्य सरकार को वृहद निवेश की आवश्यकता नहीं होगी।

5. दसवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा एवं 11वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य – 10वीं पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षित उद्व्यय 73847.62 लाख रू0 था, जिसके विरूद्ध 74414.59 लाख रू0 व्यय किया गया है। 11वीं योजना का लक्ष्य 450871.13 लाख रू0 निर्धारित किया गया है।

5.1. 11वीं पचंवर्षीय योजना में प्रस्तावित विस्तृत योजनाएँ –

5.2.1. जलापूर्ति :– बिहार के शहरी लोगों के लिए स्वच्छ जल की नियमित आपूर्ति की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। वर्षो पूर्व बिछाये गये पाईप पुराने एवं जीर्ण–शीर्ण हैं तथा मूलतः बहुत प्रारंभ से ही बिछाये जाने के कारण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपर्याप्त हैं। फलतः कहीं–कहीं सिवरेज का पानी भी इसमें प्रवेश कर जाता है, जिससे जलजनित बीमारी का संक्रमण विशेषकर वर्षा ऋतु में होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि पुराने जलापूर्ति पाईप जीर्ण–शीर्ण हैं और वे समानान्तर में अवस्थित नाला व्यवस्था से मिले हुए हैं। इसलिए पुराने पाईपों को बदलने तथा नए क्षेत्रों में पाईप के विस्तार की तुरंत जरूरत है। निम्नांकित नगर निगमों/ नगर परिषदों/ नगर पंचायतों को इय योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है :–

(i) नगर निगम – पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं आरा।

(ii) नगर परिषद – छपरा, मोतिहारी, हाजीपुर, कटिहार, दानापुर, सासाराम, डिहरी, सिवान, सहरसा, पूर्णिया एवं मुंगेर।

(iii) नगर पंचायत – अन्य श्रेणी के शहरों में जलापूर्ति की स्थिति का आकलन कर योजनायें चयनित की जायेगी।

5.2.2. राज्य के कई शहर ऐसे है, जहॉ पाईप द्वारा पेयजलापूर्ति की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है। निम्नांकित शहरों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव हैः– दिघवारा, सुगौली, जमालपुर, नरकटियागंज, जोगबनी, कसवा, अरेराज, बगहा, मुरलीगंज, घोघरडीहा और गोगरी जमालपुर। वित्तीय वर्ष 2007–08 में पेय जलापूर्ति मद में

15854.33 लाख रू0 का योजना उद्व्यय प्रस्तावित है, जिसमें 14854.33 लाख रू0 चालू योजनाओं के लिए है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 25000.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 1230.00 लाख रू0}

5.3. सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम

5.3.1. सफाई :– सफाई एवं स्वच्छता एक जटिल क्षेत्र है, जिसे प्राथमिकता के आधार पर लेने की आवश्यकता है। सफाई एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत नालों का निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, शुष्क शौचालयों का निर्माण एवं परिवर्तन कार्य अच्छादित हैं। राज्य के सभी शहर जल–जमाव की समस्या से ग्रसित है। वर्तमान नाला प्रणाली आज की जनसंख्या की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है। इसलिए वर्तमान नाला व्यवस्था का उन्नयन करने एवं नये नालों के निर्माण का प्रस्ताव है। प्राथमिकता के आधार पर निम्नांकित शहरों को चयनित करने का प्रस्ताव है :–

(i) नगर निगम – पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं आरा।

(ii) नगर परिषद – छपरा, मोतिहारी, हाजीपुर, कटिहार, दानापुर, सासाराम, डिहरी, सिवान, सहरसा, पूर्णिया, बेतिया एवं मुंगेर।

(iii) नगर पंचायत – अन्य श्रेणी के शहरों में जल–जमाव की स्थिति का आकलन कर योजनायें चयनित की जायेगी।

पटना शहर के नालों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन किया जाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

5.3.2. भंगी मुक्ति :– राज्य सरकार सिर पर मैला ढ़ोने की प्रथा को पूर्णतः निषेध करने हेतु प्रतिबद्ध है। भारत सरकार द्वारा निर्माण किये गये राष्ट्रीय निर्माण योजना के अनुसार बिहार राज्य में 200230 शुष्क शौचालयों को गीले शौचालय में परिवर्तित किया जाना है। इसलिए राज्य सरकार इस हानिकर प्रथा को समाप्त करने तथा शुष्क शौचालय को बदलने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में सभी शुष्क शौचालयों को परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिर पर मैला ढोने वालों की पहचान, उनकी मुक्ति एवं पुर्नवास के कार्य को एक विश्वसनीय स्वयंसेवी संस्था की सहायता से प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। स्थानीय आवश्यकता के अनुसार सार्वजनिक शौचालय के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 16232.88 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 1000.00 लाख रू0}

5.4. 12वीं वित्त विशेष योजना सहायता :– स्थानीय निकायों की विशेष समस्या यथा जलापूर्ति, जल मल निकासी, नाला एवं सफाई से संबंधित अन्य कार्य के लिए 12वीं वित्त आयोग के तहत वर्ष 2005–06 से 2009–10 तक के लिए 180. 00 करोड़ रू0 की अनुशंसा की गई है। इस योजना के तहत प्रमंडलीय स्तर के शहरों को सम्मिलित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, छपरा एवं पूर्णिया शहर के जलापूर्ति नाला एवं जल मल निकासी हेतु 60.00 करोड़ रू0 स्वीकृत किया जा चुका है। वर्ष 2007–08 के लिए 79.4777 करोड़ रू0 कर्णांकित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 12000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 5000.00 लाख रू0}

5.5. जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एवं अन्य केन्द्र प्रायोजित योजनाऐं :– केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन जिसमें आधारभूत संरचनाओं एवं शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास शामिल हैं, छोटे एवं मध्यम शहरों में आधारभूत संरचनाओं की विकास योजना, छोटे एवं मध्यम शहरों का समेकित आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम तथा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एवं राष्ट्रीय सूचना प्रणाली जिनका उल्लेख निम्न प्रकार है, के अंतर्गत राज्य के शहरों के आधारभूत संरचनाओं के विकास की योजनायें प्रारंभ की गयी है :–

5.5.1. आधारभूत संरचनाओं एवं शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास :– इस योजना के अन्तर्गत पटना तथा बोध गया शहरों को सम्मिलित किया गया हैं। इन शहरों में आधारभूत संरचनाओं एवं शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है एवं इनका अनुमोदन चालू वर्ष में भारत सरकार से प्राप्त करने अनुमान है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 200000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 29342.00 लाख रू0}

5.5.2. छोटे एवं मध्यम शहरों में आधारभूत संरचनाओं की विकास योजना–

इस योजना के अन्तर्गत बोध गया एवं पटना को छोड़कर सभी शहरों को सम्मिलित किया जायेगा। इसके लिए भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 80 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 50000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 2500.00 लाख रू0}

5.5.3. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना – इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार के साथ–साथ श्रम रोजगार का सृजन करना है। इस योजना के तहत केन्द्रीय अंश एवं राज्य अंश का अनुपात 75:25 है। इस योजना का कार्यान्वयन गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2006–07 में 280.00 लाख रू0 का बजट उपबंध था। वर्ष 2007–08 के लिए भी 604.12 लाख रू0 का उपबंध है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 5000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 280.00 लाख रू0}

5.5.4. राष्ट्रीय सूचना प्रणाली :– भारत सरकार के सहयोग से राज्य में राष्ट्रीय सूचना तंत्र की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और दरभंगा शहरों को सम्मिलित किया गया है। राज्यांश के रूप में वित्तीय वर्ष 2006–07 में 43.67 लाख रू0 विमुक्त किया गया है तथा 11वें पंचवर्षीय योजना में 300.00 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है। वर्ष 2007–08 में राज्यांश के रूप में 44.00 लाख रू0 का प्रावधान है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 300.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 44.00 लाख रू0}

5.5.5. समेकित आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम – इसके अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत का 80 प्रतिशत राशि उपलब्ध करायी जायेगी, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए आवास निर्माण किया जायेगा, तथा नागरिक सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध कराई जायेगी।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 23700.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 1500.00 लाख रू0}

5.6. अन्य राज्य योजना

5.6.1. नागरिक सुविधाएँ – इस योजना के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकायों में स्ट्रीट लाईट, पार्क निर्माण एवं रख–रखाव, बस स्टैण्ड, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय आदि तथा अन्य नागरिक सुविधायें एवं सेवायें उपलब्ध कराना है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में 807.43 लाख रू0 इसके अंतर्गत उपलब्ध कराया जायेगा।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 47288.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.50 लाख रू0}

5.6.2. सड़के एवं पुल – राज्य के शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य समस्यायें निकायों के अंतर्गत यातायात व्यवस्था है। सभी शहरों में पथों की स्थिति अच्छी नहीं है। पथों के निर्माण/जीर्णोद्धार एवं नये पथों के लिए वित्तीय वर्ष 2007–08 में 6601.65 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है। जिसमें से 1805.00 लाख रू0 चालू योजनाओं के लिए कर्णाकिंत किया गया है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 30950.25 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 1000.00 लाख रू0}

5.6.3. परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं अन्य कार्य– नगर निकायों का परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता वर्द्धन करने हेतु क्रमशः 0.50 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 10000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.50 लाख रू0}

5.6.4. नगर निकायों के प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण – 74वें संविधान संशोधन के पश्चात नगर निकायों को व्यापक दायित्व दिये गये है। बहुत से नगर निकायों के पास तकनीकी एवं प्रशासनिक भवनों का अभाव है, इसलिए नगर निकायों के तकनीकी एवं भवनों के निर्माण को प्राथमिकता सूची में रखा गया है एवं वर्ष 2006–07 में 24 नगर परिषद एवं 41 नगर पंचायतों को इस योजना के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए 2115.00675 लाख रू0 आवंटित किये गये हैं। नगर परिषद के भवन निर्माण के लिए 51.721 लाख रू0 एवं नगर पंचायत के लिए

38.505 लाख रू0 की प्राक्कलित दर से योजना तैयार की गई है। वर्ष 2007–08 के 0.50 लाख रू0 कर्णांकित किया गया है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 15000.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.50 लाख रू0}

5.6.5. अनुश्रवण / मूल्यांकन / योजनाओं का पर्यवेक्षण

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 2400.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

5.6.6. ई–गवर्नेन्स

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 2000.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

5.6.7. बिहार राज्य आवास बोर्ड का सुदृढ़ीकरण / आधुनिकरण तथा आवास बोर्ड की योजनाओं को पूर्ण करना –

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 10000.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

5.6.8. शहरी गरीबी निवारण निदेशालय का सुदृढ़ीकरण –

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 1000.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

6. **विशेष अंगीभूत योजना** – शहरी क्षेत्रों में ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसे विशेष रूप से विशेष अंगीभूत योजना के अंतर्गत रखा जा सके, किन्तु सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति एवं जन जाति के सामुदायों के लोग जनसंख्या के आधार पर लाभान्वित होंगे।

7. **राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निकायों को अनुदान –**

तृतीय राज्य वित्त आयोग द्वारा आधारभूत संरचनाओं और नागरिक सेवाओं के कार्यान्वयन हेतु नगर निकायों को अनुदान देने की अनुशंसा की गई है। इसके अंतर्गत राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित दर पर नगर निकायों को अनुदान देने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

8. **वाह्य संपोषित योजना :–**

पटना शहर के लिए जलापूर्ति, जल मल निकासी एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समेकित योजना का पी0एफ0आर0 भारत सरकार को पूर्व में भेजा गया है। गया

शहर का भी पी0एफ0आर0 तैयार हो चुका है। सरकार के निदेश के अनुसार इस कार्यक्रम के तहत समेकित योजना वाह्य सहायता प्राप्त करने हेतु वहुराष्ट्रीय एजेन्सी के समक्ष उपस्थापित की जा रही है।

9. सीमा क्षेत्र विकास कार्यकम –

सीमा क्षेत्र के शहरों के समेकित विकास हेतु इस योजना के तहत स्थानीय निकायों को राशि आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2005–06 में 176.00 लाख रू0 की राशि जयनगर, नगर पंचायत को आवंटित की गई है।

नगर विकास एवं आवास

10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002.03	8642.00	8159.18	8159.18
2003.04	5705.86	3565.95	3738.59
2004.05	6535.07	8135.07	7206.82
2005.06	22337.86	20368.36	21867.72
2006.07	62324.00	33381.09	33442.28
योग	**105544.8**	**73609.65**	**74414.59**

11वीं पंचवर्षीय योजना का वित्तीय लक्ष्य :–

{11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 – 450871.13 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 – 41897.50 लाख रू0}

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- नगर निकायों का निर्वाचन – महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण
- शहरी निकायों के लिये अधिकारों का विकेन्द्रीकरण बिहार नगरपालिका

अधिनियम, 2007 लागू

- नये नगर निगमों/नगर परिषदों नगर पंचायतों का गठन
- दूरगामी शहरी क्षेत्र संबंधी सुधार(अरबन रिफार्मस) निर्वाचन में सुधार, भवन निर्माण उप विधि में संशोधन आदि
- पूंजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन, जैसे मुद्रांक शुल्क दर में कमी शहरी भूमि हदबंदी अधिनियम का निरसन
- जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत विभिन्न योजना में शहरों का चयन
- पटना एवं बोधगया के लिए 3840 करोड़ रूपये सीटी डेवलपमेंट प्लान (सी.डी.पी.) की स्वीकृति
- राज्य के आठ शहरों के लिए महायोजना (डेंजमत चसंद)
- शहरी गरीबों के लिए आधारभूत संरचना;
  205 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- शहरों के आधारभूत संरचनाओं के लिए 11वीं तथा 12वीं वित्त आयोग से 42 करोड़ रूपये की सहायता
- राज्य योजना के तहत सड़क निर्माण, जलापूर्ति एवं नगरपालिका भवनों के निर्माण हेतु 215 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- शहरों के लिए स्वच्छता अभियान सभी नगर निकायों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अन्तर्गत नाली निर्माण मशीनों/ उपकरणों के क्रय एवं सफाई हेतु 66 करोड़ रूपये की स्वीकृति
- बेहतर नागरिक प्रशासन

परिशिष्ट–11

नगर विकास एवं आवास

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	योजना का स्वरूप	प्रक्षेत्र / उप प्रक्षेत्र का नाम	11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कर्णांकित योजना उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 के अन्तर्गत कर्णांकित योजना उद्व्यय
01	राज्य योजना	**जलापूर्ति एवं सफाई**		
		क. जलापूर्ति	25000.00	1230.00
		ख. सफाई एवं स्वच्छता ड्रेनेज / सिवरेज / ठोस अपशिष्ट प्रबंघन से संबंधित अन्य योजनायें (चालू एवं नयी योजनायें)	16232.88	1000.00
		ग. 12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत विशेष उन्नयन अनुदान	12000.00	5000.00
		कुल :–	**53232.88**	**7230.00**
02	**क.** राज्य योजना	**नगर विकास**		
		(i) नगर क्षेत्र में नागरिक सुविधायें	47288.00	0.50
		(ii) नगर निकायों को अनुदान प्रशासनिक एवं तकनीकी भवनों का निर्माण / जीर्णोद्धार	15000.00	0.50
		(iii) मास्टर प्लान, परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं क्षमतावर्द्धन कार्यक्रम	10000.00	0.50
		(iv) ई–गवर्नेंस	2000.00	0.00
		(v) अनुश्रवण / मूल्यांकन / योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं राज्य संसाधन केन्द्र की स्थापना शहरी योजना एवं विकास	2400.00	0.00
		(vi) बिहार राज्य आवास बोर्ड का सुदृढ़ीकरण / आधुनिकीकरण तथा आवास बोर्ड की योजनाओं	10000.00	0.00

		को पूर्ण करने		
		(vii) शहरी गरीबी निवारण निदेशालय का सुदृढ़ीकरण	1000ण्00	0.00
		कुल :—	**87688.00**	**1.5**
	ख. केन्द्र प्रायोजित योजना/ अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (के0प्र0)	5000.00	280.00
		राष्ट्रीय सूचना तंत्र का अधिष्ठापन (के0प्र0)	300.00	44.00
		जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	200000.00	29342.00
		लघु एवं मध्यम शहरों का समेकित विकास (चालू योजना)/ छोटे एवं मध्यम शहरों में आधारभूत संरचनाओं की विकास (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	50000.00	2500.00
		समेकित आवास एवं गंदी बस्ती विकास कार्यक्रम (अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता)	23700.00	1500.00
		योगः—	**279000.00**	**33666.00**
03	**राज्य योजना**	पथ एवं पुल का निर्माण	30950.25	1000.00
		कुल योगः—	**450871.13**	**41897.50**

अध्याय– 12

उद्योग और सेवाऐं

12.1 उद्योग

1. बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद प्रायः सभी उद्योग एवं ततसंबंधी संरचनाएं झारखंड में रह गये। 10वीं योजनाकाल के दौरान विनिर्माण या औद्योगिक उत्पादन प्रक्षेत्र में राष्ट्रीय औसत 7.8 प्रतिशत की अपेक्षा 0.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य की आर्थिक स्थिति में गिरावट आई और यह 10वीं योजना काल में उद्योग प्रक्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ने का कारण रही। स्वाभाविक रूप से कमजोर संरचना, कम आर्थिक सहयोग एवं ऋण की उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति एवं उद्यमिता की कमी आदि इसके महत्वपूर्ण कारण हैं।

2. अतः 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत विकास के उस स्तर को प्राप्त करना आवश्यक होगा जिसमें लोगों को समृद्धि का एक न्यूनतम स्तर तथा उनके जीवन स्तर में सुधार की संभावना के अवसर प्राप्त हो। यदि राज्य में समेकित विकास के लक्ष्य को पूरा करना है, तो राज्य को भारी मात्रा में खासकर हस्तकरघा, हस्तशिल्प, कृषि एवं सेवाओं पर आधारित उद्योग प्रक्षेत्र में संभावनाएँ पैदा करनी होंगी। इस तरह के आर्थिक विकास से दो मुख्य परिणाम आयेंगेः–

(1) लोगों के लिए रोजगार की संभावनाओं में वृद्धि।

(2) इससे सरकार को अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होंगे जिसका उपयोग सामाजिक संरचनाओं में संभव हो पायेगा।

राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक प्रक्षेत्र का लक्ष्य 10 प्रतिशत तथा विनिर्माण में वृद्धि का लक्ष्य 12 प्रतिशत निर्धारित है। राष्ट्रीय औद्योगिक विकास दर की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए राज्य को औद्योगिक विकास की दर में वृद्धि कम से कम 15 प्रतिशत रखना होगा।

राज्य की अर्थ व्यवस्था में उद्योग का संभावनाएँ :

इसमें शक नहीं कि बिहार में अपेक्षाकृत कतिपय कई लाभकारी स्थितियॉ उपलब्ध हैं। देश में एक बड़ा उत्पादन केन्द्र बनने के लिये बिहार एक उपयुक्त

स्थान है जहां बड़ी संख्या में वैज्ञानिक एवं अभियंता बल सहित बड़ी संख्या में श्रमशक्ति में भी उपलब्ध है, साथ ही एक बड़ा बाजार भी यहां उपलब्ध है। खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में भी मूल्य संवर्धन की भी भारी संभावनाएँ हैं।

कृषि आधारित पहल के तौर पर जूट, बांस, ईख, इथनोल एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा मेडिसिनल प्लांट पर आधारित उद्योग की योजना कारगर हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रक्षेत्र यथा हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र बड़ी संख्या में नियोजन के स्त्रोत हैं क्योकि इस राज्य में परम्परागत केन्द्रों के साथ–साथ कुशल कारीगर बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। इस क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएँ हैं।

4. यद्यपि वर्ष 2004–05 को छोड़कर अन्य वर्षों में उपलब्धि का प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक रहा फिर भी औद्योगिक प्रक्षेत्र के लिए वर्षवार कर्णांकित राशि की मात्रा कम होने के कारण आधारभूत संरचना, प्रशिक्षण या अन्य इनपुट के सिलसिले में गुणात्मक वृद्धि की प्राप्ति नहीं हुई। यह क्रम वर्ष 2006–07 से न केवल रोका गया बल्कि कुल व्यय में वृद्धि 27 गुणा हुई।

हस्तकरघा, रेशम, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, चर्मोद्योग प्रक्षेत्र के लिए संभावित नियोजन में वृद्धि के लिए तथा कौशलता उन्नयन के लिए सरकार द्वारा पूंजी निवेश की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि लाभार्थियों को अच्छी आमदनी हो सके। इस हेतु न केवल वर्तमान में उपलब्ध प्रशिक्षण संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है, बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की आवश्यकता है ताकि राज्य के अंदर ही लोगों को रोजगार मिले और नियोजन हेतु अन्य राज्यों में न जाना पड़े।

11वीं योजना की रणनीति

5. देश में कृषि के बाद वृहत एवं लघु उद्योग सबसे बड़े नियोजन के स्त्रोत हैं। राज्य सरकार इस क्षेत्र में नियोजन बढ़ाने की दृष्टि से कई कदम उठा रही है। सर्वप्रथम राज्य के सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित कर दिये गये हैं । वर्ष 1993–94 से प्रधानमंत्री रोजगार योजना ही स्वरोजगार का मुख्य स्त्रोत रहा है जिसके तहत बेरोजगार युवकों को 2.00 लाख का ऋण लघु उद्योग के लिए राष्ट्रीय

बैंकों से उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना जिला उद्योग केन्द्र द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

राज्य में लघु, सूक्ष्म शिल्पकृत इकाई में पंजीकरण से 7651 नियोजन वर्ष 2006–07 में उपलब्ध हुए हैं।

राज्य सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कृषि आधारित उद्योग एवं ग्रामीण उद्योग के विकास को बढ़ावा दे रही है, खासकर कम्प्यूटर साक्षर महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ।

कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, रेशम एवं अन्य ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलने से गांव से शहर की ओर लोगों का पलायन भी रोका जा सकेगा।

मध्यम एवं लघु उद्योगों के विकास में सबसे बड़ा बाधा उद्योग लगाने में प्रक्रियाओं की जटिलता रही है । इसे सरकार द्वारा सरल बना दिया गया है तथा एकल खिड़की की स्थापना की गयी है, जहाँ उद्यमी विशेषज्ञों से बात कर सारी समस्याओं का समाधान कर सकेगा। इस संदर्भ में सिंगल विण्डों क्लियरेंस एक्ट–2006 अधिसूचित किया गया है।

औद्योगिक विकास के लिए वातावरण बनाने तथा क्षमता में वृद्धि तथा आधारभूत संरचना में विकास एवं सेवा प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित मध्यम एवं लघु इकाईयों प्रक्षेत्र में परियोजनाओं का शुभारंभ सांकेतिक रूप से राज्य के कुछ चुने जिलों में किया गया है। इस तरह राज्य सरकार द्वारा संरचना, ऋण, डिजाईन एवं बाजार की कमी को दूर करने के लिए कई कदम उठाये जा रहे है। इस संदर्भ में राज्य सरकार की मंशा राज्य में सरकारी एवं निजी साझेदारी के रूप में उद्योगों के विकास की ओर कदम बढ़ाना है जिसके तहत ई–गवर्नेस प्रारम्भ किया गया है तथा राज्य सरकार को आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 समन्वयक के रूप में सहयोग कर रही है।

विभिन्न प्रक्षेत्रों की योजनाएं निम्नवत हैं–

लघु प्रक्षेत्र

6. जिला उद्योग केन्द्र की योजना (स्थापना)

जिला उद्योग केन्द्र राज्य के औद्योगीकरण हेतु जिला स्तर पर एक प्रमुख संगठन है। जिला उद्योग केन्द्र योजना वर्ष 1978 से केन्द्र प्रायोजित योजनांतर्गत कार्यान्वित थी। वर्ष 1994–95 से इस योजना का कार्यान्वयन राज्य योजना से किया जा रहा है।

जिला उद्योग केन्द्र नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एवं शिल्पीकृत इकाइयों की स्थापना हेतु प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्य योजना एवं केन्द्र प्रायोजित योजना यथाप्रधानमंत्री रोजगार योजना का कार्यान्वयन भी जिला उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है।

जिला उद्योग केन्द्रों की तीन वर्षों की भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार हैः–

(क) स्थायी निबंधनः–

(लाख रु0 में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	नियोजन	कुल पूंजी निवेश
2005–07	7000	6941	15732	4697.30
2006–07	7000	7019	16578	7243.07

(ख) प्रधानमंत्री रोजगार योजनाः–

वर्ष	लक्ष्य	अनुशंसित आवेदन	ऋण स्वीकृत		ऋण वितरित	
			सं0	राशि (लाख रु0 में)	सं0	राशि (लाख रु0 में)
2005–06	25000	31518	14263	22005.77	9490	7714.19
2006–07	11400	20155	9245	9151.87	7908	6763.43

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 5200.00 लाख रु0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 852.00 लाख रु0)

7. हस्तकरघा सामान्यः–

(क) केन्द्रीय डिजाईन सेन्टर, राजेन्द्रनगर, पटना– यह एक चालू योजना है। पटना के राजेन्द्रनगर में सेन्टर को संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हस्तकरघा बुनकरों/प्रशिक्षणार्थियों को उत्कृष्ट एवं डिजाइनदार वस्त्र निर्माण में सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है। इस केन्द्र द्वारा उत्कृष्ट वस्त्रों के सैम्पल एवं पेपर डिजाईन तैयार किये जाते हैं। इस केन्द्र में छः–छः माह का दो

सत्र चलाया जाता है, प्रत्येक सत्र में 18 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के प्रोत्साहन हेतु 300/– रूपये प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाती है।

(ख) बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना– यह एक चालू योजना है। इस योजनान्तर्गत गैर योजना मद से अन्य क्षेत्र में संचालित छः बुनकर प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रशिक्षणार्थियों को योजना मद से 300/– प्रति माह छात्रवृति देने का प्रावधान है। प्रत्येक केन्द्र में 24 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है। इस तरह कुल 144 प्रशिक्षणार्थियों को 300/– प्रति माह की दर से 5.18 लाख रुपये छात्रवृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 76.25 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 15.25 लाख रु0)

8. पावरलूम

केन्द्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा पावरलूम सेवा केन्द्र स्थापित है। इस योजनान्तर्गत 120 प्रशिक्षाणार्थियों को एक वर्ष में 2–2 माह के छः सत्रों में 300 (तीन सौ) रुपये प्रति प्रशिक्षणार्थी की दर से वृत्तिंका राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस प्रकार छः सत्रों में 36 प्रशिक्षणार्थियों को 300.00 (तीन सौ) रुपये की दर से वृतिका प्रदान किया जाना है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 6.25 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 1.25 लाख रु0)

9. उद्योग मित्र योजना

उद्योग मित्र एक संस्था है जहाँ उद्यमियों को अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पर उद्यमी को निर्णयकर्त्ता के साथ सीधे वार्तालाप करने की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में औद्योगिक विकास हेतु उद्यमियों को सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सेमिनार का आयोजन, पुस्तक एवं बुलेटिन का प्रकाशन किया जाता है। उद्यमियों को उद्योगों की पहचान, परियोजना प्रतिवेदन की तैयारी एवं उससे संबंधित आंकड़े एवं अन्य सूचनायें उपलब्ध कराने के संबंध में मार्गदर्शन किया जाता है।

विगत तीन वर्षों की वित्तीय/भौतिक उपलब्धि

वित्तीय वर्ष	आवंटित राशि	व्यय की गयी राशि	उद्यमियों को सहायता
2004–05	11.00लाख रु0	11.00 लाख रु0	443
2005–06	25.00 लाख रु0	25.00 लाख रु0	957
2006–07	50.00 लाख रु0	50.00 लाख रु0	717

11वीं पंचवर्षीय योजना काल में कम्प्यूटर कक्ष का आधुनिकीकरण, पुस्तकालय का सुसज्जन एवं सभा कक्ष का आधुनिकीकरण किया जाना है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 250.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 30.00 लाख रु0)

10. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

भारतीय अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष माह नवंबर (14–27 नवंबर) में वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार के अधीनस्थ इण्डियन ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाईजेशन (आई.टी.पी.ओ.) द्वारा प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया जाता है।

इस मेला का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र में उत्पादित सामानों को अंतराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करना तथा व्यापार को बढ़ावा देना है।

उक्त मेला में देश–विदेश के सरकारी/गैर सरकारी विभाग, प्रतिष्ठान,संस्थान, निगम एवं अन्य व्यवसायिक संस्थान भाग लेते हैं। देश के सभी राज्य, निजी एवं सरकारी क्षेत्र के बड़े–बड़े उपक्रम, औद्योगिक प्रतिष्ठान अलग–अलग मंडपों में अपने क्षेत्र की प्रगति, विकास एवं व्यवसाय से संबंधित उत्पादों का प्रदर्शन एवं बिक्री करते हैं। सभी राज्य एवं केन्द्रशासित प्रदेशों का अपना स्थायी/ अस्थायी मंडल प्रगति मैदान, नई दिल्ली में निर्मित है। प्रत्येक वर्ष मेले का थीम (विशिष्ट विषय) इंडिया ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाईजेशन द्वारा परिवर्तित एवं निर्धारित किया जाता है। इसी निर्धारित थीम के अनुरूप ही मंडप की बाह्य एवं आंतरिक सजावट तथा प्रदेश के प्रदर्शन एवं बिहार की औद्योगिक प्रगति के साथ–साथ राज्य के सर्वांगीण विकास को बिहार मंडप के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है।

विगत तीन वर्षो की वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार हैः–

वर्ष	आवंटित राशि	व्यय की गई राशि	भौतिक उपलब्धि (लाभान्वित उधमी)
2004–05	35,00,000	31,25,395	61
2005–06	35,00,000	36,27,855	52
2006–07	40,00,000	40,03,072	55

11वीं पंचवर्षीय योजना काल में इस योजना हेतु निर्धारित राशि से बिहार मंडप के पुराने ढांचें के स्थान पर नये ढांचे के निर्माण पर व्यय किया जाना है साथ ही प्रत्येक वर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की तैयारी में इण्डियन ट्रेड प्रोमोशन ऑर्गेनाईजेशन, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित थीम पर आकर्षक सजावट जीर्णोद्धार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सफाई आदि पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 30.00 लाख रु0)

11. विधुतकरघा बुनकरों को जेनरेटर सेट उपलब्ध कराने की योजना

राज्य के विधुतकरघा प्रक्षेत्र के बुनकरों को औद्योगिक नीति–2006 के तहत 50 प्रतिशत अनुदान पर जेनरेटर सेट उपलब्ध कराने की योजना है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 30.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 6.00 लाख रु0)

12. पाषाण शिल्प सामान्य सुलभ सेवा केंद्र, पत्थरकट्टी, गया

योजना का मुख्य उद्देश्य पाषाण शिल्पियों को उन्नत प्रशिक्षण, पर्याप्त वित्तीय सहायता एवं मार्ग दर्शन देकर वहां के शिल्पियों को रोजगारोन्मुख करना है। स्थानीय क्षेत्रों में इन शिल्पियों की बहुलता है।बिहार राज्य के मगध प्रमण्डल के अंतर्गत गया जिला के ग्राम पत्थरकट्टी में स्थानीय पाषाण शिल्पियों के उन्नत विकास के लिए यह एक अति महत्वपूर्ण योजना है। इस योजनान्र्गत सरकारी भूमि एवं भवन उपलब्ध है । मशीन एवं उपकरण भी कार्मशाला में स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2007–08 में इस योजना का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। मशीन उपकरण एवं कच्चे माल की उपलब्ध कराने के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों का चयन कर प्रशिक्षण एवं उत्पादन कार्य प्रारंभ कर इस योजना को सुदृढ़ करना है । इस योजना के अन्तर्गत मानदेय के आधार पर प्रशिक्षक की व्यवस्था कर प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है

। इस योजना के विकास हेतु डायग्नोस्टिक सर्वे का प्रस्ताव इसे उत्कृष्ट बनाने हेतु कार्यान्वित है जिस पर 50,000/रूपये व्यय होने का अनुमान है एवं प्रशिक्षण पर अनुमानित वार्षिक व्यय रू0 2.00 लाख है ।

इसके अतिरिक्त आधारभूत सुविधा, मशीनों का आधुनिकीकरण, कुशल शिल्पियों के प्रशिक्षण पर मानदेय का भुगतान, कच्चे मालों की खरीदगी, बिक्री केंद्र, वाहन क्रय आदि का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 52.50 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 10.00 लाख रु0)

14. रेशम प्रक्षेत्र

इस प्रक्षेत्र के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य योजना हैः–

(क) आधारभूत संरचना विकास– तसर की योजनाओं का 5 अग्रपरियोजना केन्द्र एवं एक तसर विपणन केन्द्र के रूप में पुर्नगठित किया गया हैं । रेशम कीटपालकों के तसर सिल्क कीट बीज की मांग को पूरा करने हेतु इसके उत्पादन में वृद्धि तथा विपणन में सुविधा प्रदान करने हेतु इसका विकास किया गया है। मलवरी केन्द्र एवं अंडी केन्द्रों में भी ऐसी सुविधाएं प्रदान करना है।

(ख) कार्मिकों का प्रशिक्षणः– रेशम प्रक्षेत्र में कार्यरत पदाधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियेां को प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में भेजने का प्रस्ताव है।

(ग) रेशम कीटपालकों/सूत उत्पादकों के लिए पुरस्कारः– यह एक चालू योजना है। राज्य के सबसे अच्छे कीटपालक /सूत उत्पादकों को पुरस्कृत करने के लिए यह योजना प्रस्तावित है।

दोनों हीं वर्गों में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं 5 सांत्वना पुरस्कार दिये जाते हैं। पुरस्कार की राशि इस प्रकार है–

प्रथम	–	20,000.00 रू0
द्वितीय	–	15,000.00 रू0
तृतीय	–	10,000.00 रू0
सांत्वना	–	05,000.00 रू0

(घ) केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए राज्यांश :– राज्य में रेशम विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित सी0डी0पी0 एवं अन्य योजना संचालित की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यांश की भागीदारी का प्रस्ताव है।

(ङ) कल्याणकारी योजनायें:– रेशम उद्योग में काम कर रहे कीटपालकों ,सूत उत्पादकों को साइकिल उपलब्ध कराने, उनके आश्रितों को छात्रवृति देने जैसे अन्य कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2008–09 से शुरू कर प्रत्येक वर्ष में 2.00 लाख रूपये की राशि का प्रस्ताव है।

(च) योजनाओं के अनुश्रवण के लिए मोबिलिटी हेतु व्यय:– रेशम प्रक्षेत्र में राज्य एवं केन्द्र योजनाओं के अनुश्रवण हेतु सहायक उद्योग निदेशक एवं परियोजना पदाधिकारी को भ्रमण हेतु भाड़े पर वाहन की सुविधा देने का प्रस्ताव है।

प्रस्तावित भौतिक लक्ष्य :–

किस्म–	कच्चे रेशम का उत्पादन(मि0टन)
1. मलबरी–	62.50
2. तसर–	80.00
3. अंडी –	20.00
कुल :–	162.50

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

15. हस्तकरघा प्रक्षेत्र

(क) विपणन सहायता:–यह एक चालू योजना है,जिसके तहत हस्तकरघा बुनकरों को हस्तकरधा निर्मित वस्त्रों के विपणन में सहायतार्थ गांवों एवं शहरों में दरवाजे–दरवाजे घूमकर बिक्री करने हेतु साइकिल आपूर्त्ति करने की योजना है। विपणन सहायता योजना के अन्तर्गत हस्तकरघा बुनकरों को एक हजार रूपये अनुदानित मूल्य पर साइकिल आपूर्ति की योजना वित्तीय वर्ष 2005–06 से चलायी जा रही है।

(ख) हस्तकरघा आधुनिकीकरण की योजना:– 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सहकारी प्रक्षेत्र के बुनकरों को 1500/– रूपये तक हस्तकरघा साज–सज्जा एंव उपकरण शत–प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि बाजार की मांग के अनुसार फैशन एवं गुणवत्ता के अनुरुप हस्तकरघा फैब्रिक्स को उन्नत रुप दिया जा सके।

(ग) मेला एंव प्रदर्शनी:– हस्तकरघा बुनकरों को उत्पादों के प्रचार–प्रसार– सह बिक्री के लिए गया, भागलपुर, नालन्दा एंव केन्द्रित रूप से

पटना में मेला–सह प्रदर्शनी का आयोजन वित्तीय वर्ष 2007–08 से प्रारंभ किया जा रहा है।

(घ) कार्यशाला एंव सेमिनारः– राज्य के बुनकरों को केन्द्रीय योजना/राज्य योजना के प्रचार–प्रसार एंव तकनीकी हस्तानान्तरण तथा क्षमता विकास के लिए वर्कशॉप–सह–सेमिनार की योजना वित्तीय वर्ष 07–08 से प्रारंभ की गई।

(च) कौशल उन्नयन योजना :– कौशल उन्नयन योजनान्तर्गत राज्य में चल रहे 8 प्रशिक्षण केन्द्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1417.50 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

16. हस्तकरघा (सहकारिता)

(क) संशोधित 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हस्तकरघा (सहकारी) के आधुनिकीकरण हेतु विशेष अंगीभूत योजना

इस योजनान्तर्गत हस्तकरघा सहकारिता प्रक्षेत्र के बुनकरों को शत्–प्रतिशत राज्य अनुदान देकर करघों का आधुनिकीकरण किया जाता है, जिसके तहत् आधुनिक लूम, जैकार्ड, डॉबी, टेकअप मोशन आदि साज–सज्जाओं की आपूर्त्ति की जाती है, जिससे उत्पादन क्षमता एवं कार्यक्षमता में वृद्वि तथा कलात्मक, डिजाईनदार, आकर्षक, बुटीदार एवं विशिष्ट गुणवत्ता के हस्तकरघा वस्त्रों का उत्पादन संभव होता है। वर्ष 2007–08 में राज्य के 10 जिलों यथा– पटना, नालंदा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मधुबनी एवं बांका के 94 समितियों के 470 बुनकरों के लिये 47.00 लाख रूपये का बजट उपबन्ध स्वीकृत हैं।

11 वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) में इस योजनान्तर्गत लाभान्वित निम्न प्रकार प्रस्तावित है :– (राशि लाख रू0 में)

क0सं0	वर्ष का नाम	लाभुकों की संख्या
1.	2007–08	270
2	2008–09	8000
3	2009–10	8000
4	2010–11	8000
5.	2011–12	8000

इस योजना से कालान्तर में राज्य के सभी जिलों के हस्तकरघा बुनकरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य पूरा किया जायेगा।

(ख) संशोधित 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हस्तकरघा (सहकारी) का आधुनिकीकरण हेतु विशेष अंगीभूत योजनान्तर्गत कम्प्यूटर क्रय की योजना

वर्ष 2007–08 में राज्य के शीर्ष एवं क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर सहयोग समितियों तथा हस्तकरघा सहकारिता प्रक्षेत्र के कार्यालयों में कार्य निष्पादन को सुगमा बनाने हेतु तथा ऑकड़ों को संचालन हेतु 0.50 लाख रूपये की दर से छः कार्यालयों के लिये कुल छः कम्प्यूटर क्रय करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1650.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 50.00 लाख रु0)

17. जूट पार्क

इस योजनान्तर्गत राज्य के जूट उत्पाद बाहुल्य जिलों यथा– किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया के जूट उत्पादकों को आधारभूत सरंचना एंव आधुनिक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु जूट पार्क की स्थापना के लिए आई0एल0 एण्ड एफ0एस0, नई दिल्ली द्वारा डायग्नोस्टिक सर्वे एंव प्री–फिजिबिलीटी रिपोर्ट तैयार करायी जा रही है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 50.00 लाख रु0)

18. ग्रामीण हाट

राज्य के गया, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, अरवल एवं छपरा जिलों में एक–एक ग्रामीण हाट की स्थापना का प्रस्ताव है जिसके द्वारा खादी, हस्तकरघा, हस्तशिल्प, सामग्री के विपणन को प्रोत्साहित किया जायेगा।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 350.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 50.00 लाख रु0)

19. प्रबंधकीय अनुदान एवं विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के समीक्षा हेतु उपकरण

विभाग के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं का सतत अनुश्रवण एवं नियंत्रण एवं समीक्षा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करने की नितान्त आवश्यकता है । इसके लिए विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में नेट वर्किंग एवं उन्नत एवं विकसित गुणवत्ता के साथ डाटा संचरण हेतु आधुनिकीकरण किया जाना है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 20.00 लाख रु0)

20. जिला उद्योग केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना

जिला उद्योग केन्द्र, राज्य के औद्योगीकरण हेतु जिला स्तर पर एक प्रमुख केन्द्र है। वर्ष 2005–06 तक राज्य के 27 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत थे। वर्ष 2006–07 में 11 नवसृजित जिलों में जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना की गई। इस तरह वर्तमान में सभी 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्र कार्यरत हैं।

उक्त जिला उद्योग केन्द्रों में से 11 पुराने एवं 11 नये जिला उद्योग केन्द्रों में सरकारी भवन उपलब्ध नहीं हैं। साथ ही 11 नवसृजित जिला उद्योग केन्द्रों में टेलिफोन की सुविधा, उपस्कर, कम्प्युटर व उनमें इंटरनेट की सुविधा, फोटो कॉपियर मशीन, फैक्स मशीन, विद्युत कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिसे इस योजना अन्तर्गत नवसृजित जिला उद्योग केन्द्रों को उपलब्ध कराना है। जिला उद्योग केन्द्रों की योजनाओं के अनुश्रवण एवं उनके त्वरित कार्य संचालन हेतु 400/–रुपये प्रति कार्य दिवस की दर से किराये की गाड़ी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार हैः–

(लाख रु. में)

क्र.सं.	विषय	राशि
1	जमीन एवं भवन	1820.00
2	11 नये जिला उद्योग केन्द्रों को उपष्कर एवं साज–सज्जा	16.00
3	कम्प्यूटर एवं संबंधित उपकरण 38 जिला उद्योग केन्द्रों में	38.00

4	भाड़े की गाड़ी 38 जिला उद्योग केन्द्रों में	76.00
	कुल–	1950.00

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 900.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 200.00 लाख रु0)

21. उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान का सुदृढ़ीकरण की योजना

भारतीय अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ एवं विकसित करने में हस्तशिल्प की महत्वपूर्ण भूमिका है। हस्तशिल्प के विकास से न सिर्फ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नियोजन में वृद्धि होती है बल्कि हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात से विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है।

हस्तशिल्प के विकास हेतु राज्य में एक शीर्षस्थ हस्तशिल्प संस्थान के रूप में उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान है। संस्थान को विकसित करते हुए उन्नत एवं आधुनिक स्तर के हस्तशिल्प डिजाईन के लिए आधारभूत संरचना सुदृढ़ करने के साथ–साथ कम्प्यूटर ऐडेड डिजाईन लैब की व्यवस्था करना है। हस्तशिल्प प्रक्षेत्र में उन्नत किस्म के प्रशिक्षण के साथ–साथ उत्पादन कार्य के लिए मानदेय के आधार पर बाहर से प्रशिक्षक की व्यवस्था की जायेगी।

इस योजनान्तर्गत संस्थान के म्युजियम में हस्तशिल्प सामाग्रियों हेतु शो–केस का निर्माण एवं हस्तशिल्पियों को उनके कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण देने का कार्य मुख्य रूप से करने का प्रस्ताव है। इस हेतु 20.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2006–07 की उपलब्धि एवं वर्ष 2007–08 से प्रस्तावित व्यय निम्न प्रकार है:–

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	योजना	वर्ष 2006–07 में व्यय
1	राज्य पुरस्कार योजना	2.00
2	हस्तशिल्प सप्ताह	5.00
3	शो–केस का निर्माण	10.00
4	डिजाईन / प्रशिक्षण आदि	0.25
	कुल	17.25

इस योजना अन्तर्गत हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन, म्युजियम एवं कम्प्यूटर लैब का आधुनिकीकरण, डिजाईन एवं प्रशिक्षण पर व्यय करने का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय इंस्टीच्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद के माध्यम से संस्थान का आधुनिकीकरण कराया जाएगा।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 200.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 30.00 लाख रु0)

22. सेन्ट्रल प्रोसेसिंग प्लांट बिहारशरीफ एवं डाईंग एण्ड फिनिशिंग प्लांट दरभंगा को पुनर्जीवित करना एवं आधुनिकीकरण

सेन्ट्रल प्रोसेसिंग प्लांट बिहारशरीफ एवं डाईंग एण्ड फिनिशिंग प्लांट दरभंगा को पुनर्जीवित कर आधुनिकीकरण हेतु राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् को परामर्शी के रूप में चयन कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कराया गया है। जिसके अनुसार कार्यान्वयन किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 785.62 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

23. खादी बोर्ड का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरणः–

खादी प्रक्षेत्र को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है, जिससे ग्रामीणों को खादी बोर्ड के अन्तर्गत चलाये जा रहे कार्यक्रम से अवगत कराया जा सकेगा एवं ग्रामीण लाभान्वित हो सकेंगे एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो सकेगें।

अतः खादी बोर्ड के पटना (मुख्यालय) एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के भवनों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 485.50 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 160.00 लाख रु0)

24. खादी बोर्ड की आधारभूत संरचनाओं का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

राज्य के छपरा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, भागलपुर एवं मुंगेर जिलों में खादी बोर्ड कार्यालयों/गोदामों के भवनों का विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजना है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 135.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 27.00 लाख रु0)

25. बिहार राज्य खादी बोर्ड के अन्तर्गत प्रशिक्षण पुनः आरम्भ करने हेतु वित्तीय सहायता

खादी बोर्ड के अन्तर्गत चलाये जा रहे विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षण राशि के अभाव एवं ट्रेनर के सेवा निवृत होने के कारण प्रशिक्षण बंद हो गया था। अतः प्रशिक्षण कार्यक्रमों को पुनः आरम्भ करने हेतु मानदेय पर ट्रेनरों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। राज्य के 57 प्रशिक्षण केन्द्रों पर खादी सूत बुनाई, सिल्क, ऊन बुनाई, पोलिएस्टर खादी बुनाई, कुंभकारी, मधुमक्खी पालन, चर्म उद्योग, फाइवर उद्योग, बेंतबास उद्योग एवं ताड़गुड़ इत्यादि पर प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृति प्रदान करने का प्रस्ताव है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि एक माह से छः माह तक की हैं।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 300.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

26. खादी भवन, उत्पदान सह बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं मेला /प्रदर्शनी –जिला स्तर के खादी भवन, उत्पादन सह बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण करते हुए खादी बोर्ड द्वारा राज्य के अंतर्गत एवं राज्य के बाहर बिक्री मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 700.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

27. विभागीय पदाधिकारियों को अल्प प्रशिक्षण की योजना

विभागीय पदाधिकारियों की क्षमता के विकास हेतु विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों यथा NIMSME, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् आदि में प्रशिक्षित करने की योजना है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 250.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 15.00 लाख रु0)

28. राज्य स्तरीय मेला एवं प्रदर्शनी की योजना

राज्य के लघु उद्योग/शिल्पियों/बुनकरों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के ऐतिहासिक स्थानों यथा– सोनपुर (छपरा), सिंहेश्वर स्थान (मधेपुरा) एवं अन्य स्थानों पर मेला एवं प्रदर्शनी लगाने की योजना है।

इसके अतिरिक्त मेला/प्रदर्शनी लगाने हेतु महिला उद्योग संघ, उद्यमिता विकास संस्थान आदि संस्थानों को इस योजना से प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराने की योजना है। इस योजनांतर्गत राशि मेला एवं प्रदर्शनी/स्टॉल लगाने पर व्यय किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 400.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 10.00 लाख रु0)

29. खादी वस्त्रों पर छूट

राज्य सरकार द्वारा राज्य के अन्तर्गत खादी वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। जिसमें खादी बोर्ड आयोग द्वारा निबंधित संस्था/समिति इस छूट का लाभ ले सकती है। इस योजना के माध्यम से राज्य के बुनकरों को लाभ का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 2197.65 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 370.00 लाख रु0)

30. बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान नाथनगर भागलपुर का आधुनिकीकरण

पूर्व में बिहार सिल्क संस्थान में चार वर्षीय स्नातक सिल्क टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम चलाया जाता था लेकिन आधारभूत संरचना जैसे भवन, उपकरण, प्रयोगशाला, एवं पुस्तकालय ऑल इंडिया कॉसिंल आदि टेक्नीकल इजुकेशन के मानदण्ड के अनुसार नहीं रहने के कारण पाठ्क्रम स्थगित कर दिया गया था। वर्ष 2005–06 से सिल्क टेक्नोलॉजी का भोकेशनल कोर्स आरम्भ किया गया है।

बिहार राज्य सिल्क संस्थान को संचालित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा पर्षद के मानदण्ड के अनुसार भवन, उपकरण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय एवं अन्य सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव है। साथ ही इस संस्थान में अनुसंधान–सह–प्रशिक्षण एवं उच्च शिक्षा फैशन डिजाईनिंग के साथ विकसित करने का प्रस्तान हैं

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 10.00 लाख रु0)

31. पंचायत स्तर पर महिला उद्यमियों के सशक्तिकरण हेतु सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना

पंचायत स्तर पर महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदत्त करने हेतु इस योजना का सृजन किया गया है। महिलाओं द्वारा स्थापित प्लान्ट एवं मशीनरी की लागत का 20 प्रतिशत् या अधिकतम 20,000/– प्रोत्साहन देने का प्रावधान है। इस योजनान्तर्गत पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना महिला उद्यमियों द्वारा किया जाना है, जिसमें महिला उद्यमियों को कम्प्यूटर (प्रिंटर के साथ), फैक्स मशीन, फोटो कॉपियर मशीन, दूरभाष, इन्टरनेट आदि की सुविधा मुहैया कराने का प्रावधान बैंकों के द्वारा किया जाना है।

11वीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना पर 300.00 लाख रु० खर्च होंगे, जिसमें 1500 महिलाओं को स्वरोजगार दिलाने का लक्ष्य निर्धारित है। वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र0	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
1	2007–08	500
2	2008–09	150
3	2009–10	200
4	2010–11	300
5	2011–12	350
	कुल	*1500*

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 300.00 लाख रु0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

32. उद्यमिता विकास योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य मेहनती उद्यमियों को खोजना और उनको प्रशिक्षण प्रदान करना है,जिससे उनकी कार्य करने की क्षमता में बढोत्तरी हो । इस सपने को साकार करने के लिये इंस्टीच्यूट ऑफ इन्टरप्रिन्यरशिप डेवलपमेंन्ट,पटना में इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंन्ट बैंक, कॉमर्शियल बैंक और बिहार सरकार के साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस संस्थान के द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण से उद्यमियों की कार्य क्षमता को कैसे हर

क्षेत्र के लिये बढाया जा सकेगा जो कि ग्रामीण उद्योग या लघु उद्योगों से संबंधित है, यथा की बागवानी, हस्तकला, हैन्डलूम, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां आदि।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 150.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 30.00 लाख रु0)

33. सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलोजी (सीपेट), हाजीपुर

हाजीपुर में प्लास्टिक टेक्नॉलोजी क्षेत्र में अंशकालीन प्रशिक्षण प्रदान कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त चार जिलों यथा–भागलपुर, पूर्णियां, गया एवं सिवान में अंशकालीन प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 300.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 60.00 लाख रु0)

35. विद्युत दर पर अनुदान

राज्य के विद्युत करघा बुनकरों को प्रोत्साहित एवं उत्पादन लागत कम करने तथा बाजार की प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के उद्देश्य से विद्युतकरघा पर हुए विद्युत खपत का 1.50 रूपये प्रति युनिट विद्युत अनुदान प्रदान करने की योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से आरंभ की गई है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1400.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 300.00 लाख रु0)

36. विशेष अंगीभूत योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना एवं विपणन हेतु प्रशिक्षण

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता को देखते हुए सरकार ने यह योजना प्रत्येक जिला स्तर में आरम्भ की है। उद्यमिता विकास संस्थान द्वारा प्रत्येक जिले में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 20.00 लाख रु0)

37. ग्रामीण महिलाओं हेतु प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने हेतु वित्तीय सहायता

राज्य में ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण की योजना के अन्तर्गत पारम्परिक हस्तशिल्प एवं प्रशिक्षण प्रदान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के

विपणन हेतु स्थानीय/राज्य स्तर के मेला/प्रदर्शनी में स्टॉल लगाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना है।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से चलाने का प्रस्ताव है। स्वयंसेवी संस्था द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह (SHG) के लाभों से अवगत करायेगी एवं प्रशिक्षण एवं विपणन में सहायता प्रदान करेगें।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 20.00 लाख रु0)

38. हैण्डलूम कलस्टर योजना

राज्य के सात बुनकर बाहुल्य जिलों यथा–भागलपुर, पटना, गया, दरभंगा, मधुबनी, सीवान एंव नालंदा जिले के बुनकर कलस्टर को समेकित विकास हेतु आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 नई दिल्ली से डायग्नोस्टिक सर्वे एंव बिजनेस प्लान तैयार करायी गयी है जिसमें की गई अनुशंसाओं के अन्तर्गत कुल परियोजना लागत 68.65 करोड़ रूपये है, जिसमें से 24 करोड़ रू0 राज्य सरकार को वहन करना है। शेष लाभुकों एंव एस0पी0भी0 द्वारा वहन किया जायेगा। इसके अन्तर्गत क्लस्टर के बुनकरों को करघे का आधुनिकीकरण, हैण्डलूम पार्क की स्थापना, कच्चा माल हेतु बैंक, छपाई केन्द्र, बुनाई के पश्चात्, फिनिशिग, पैकेजिंग सेन्टर, डिजाईन एण्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेन्ट, ब्राण्ड बिल्डिंग एण्ड मार्केट प्रोमोशन, ग्रुप फेडरेशन का गठन एंव क्षमता विकास के साथ–साथ संबधित क्षेत्र में संचालित प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन भी किया जायेगा।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1800.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 200.00 लाख रु0)

वृहत एवं मध्यम प्रक्षेत्र

1. फुड पार्क

खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की आधारभूत संरचना की सुविधा हेतु भारत सरकार ने हाजीपुर में फूड पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार का अंशदान भूमि एवं फंड के रूप में होगी।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 400.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 10.00 लाख रु0)

2. एग्री एक्सपोर्ट जोन हेतु वित्तीय सहायता

राज्य में उत्पादित लीची की गुणवता विशिष्ट है जिस कारण इसके निर्यात की काफी सम्भावना है। लीची के निर्यात के प्रोत्साहन हेतु एग्री एक्सपोर्ट जोन की स्थापना की गई है। इस योजना के माध्यम से निर्यात को बढ़ाने हेतु सामान्य सुविधा केन्द्र एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 600.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 10.00 लाख रु0)

3. औद्योगिक अभियान

राज्य के औद्योगिकीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत परामर्श, सेमिनार, कार्यशाला इत्यादि की आवश्यकता है, जिसके द्वारा राज्य में पूंजीनिवेशकों को आकृष्ट किया जा सकेगा। उक्त उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु बिहार फाउंडेशन एवं बिहार विकास एवं निवेश प्रोत्साहन परिषद् का गठन किया गया है, जिनके माध्यम से समय–समय पर बैठकों का आयोजन कर उद्योगपतियों, विशेषज्ञों, अर्थशात्रियों इत्यादि का सुझाव/विचार प्राप्त किया जा सकेगा।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 50.00 लाख रु0)

4. प्रवासी भारतीय दिवस

राज्य द्वारा गत दो वर्षों से प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस में उपस्थिति का मुख्य उद्देश्य अप्रवासी भारतीयों को राज्य में विदेशी पूंजी निवेश के लिए प्रेरित करना होता है। उद्योग विभाग इस कार्य हेतु नोडल एजेंसी है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 600.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

5. स्थापित एवं नये अधिकृत किये जाने वाले भूमि में औद्योगिक पार्क/ प्रांगण विकास केन्द्र का आधारभूत संरचना का विकास

राज्य में उद्योग क्षेत्र में पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से स्थापित औद्योगिक पार्क प्रागंण विकास केन्द्र की आधारभूत संरचना यथा रोड, नाला, पीने के पानी, सामान्य सुविधा केन्द्र, डिस्पेन्सरी, टेलीफोन एक्सचेज का विकास एवं सुदृढ कर स्थापित करने की आवश्यकता है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये उद्व्यय 19000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये उद्व्यय 2500.00 लाख रु0)

6. बिहटा में भू–अर्जन

राज्य के औद्योगिक विकास हेतु पटना में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता है। पटना के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के उद्देश्य से अतिरिक्त भूमि बिहटा में अर्जन करने का प्रस्ताव है। बिहटा में 103 एकड़ भू–अर्जन करने का प्रस्ताव आरम्भ किया गया है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 300.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

7. नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलोजी (निफ्ट)–

नेशनल इन्सटीच्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलोजी, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत एक संस्था है जो फैशन डिजाईन, कम्युनिकेशन डिजाईन एवं ऐप्रेल प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने का कार्य करती है। देश भर में इनकी शाखाएँ नयी दिल्ली, बंगलोर, चेन्नई, गॉधीनगर, हैदराबाद कोलकता एवं मुम्बई में है। निफ्ट की एक शाखा बिहार में खोलने का प्रस्ताव है। जिसके लिये राज्य सरकार द्वारा 12–15 एकड. भूमि एवं 58.65 करोड़ रुपया वित्तीय सहायता के रूप में अंशदान वहन करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 2500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

8. मिनी टूल रूम

राज्य के तीन जिलों यथा–भागलपुर, बिहारशरीफ, एवं सारण में मिनी टूल रूम स्थापित करने का प्रस्ताव है। जिसके लिये गत वित्तीय वर्ष इंडो–डैनिस टूल रूम जमशेदपुर द्वारा फिजिबिलिटि रिपोर्ट तैयार कराया गया है, जिसे भारत सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा गया है। मिनी टूल रूम द्वारा विभिन्न ट्रेडों में डिप्लोमा कोर्स आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 4214.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 300.00 लाख रु0)

9. टूल रूम

लघु उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से लघु उद्योग सेवा संस्थान पटना एवं इंडो डैनिस टूल रूम जमशेदपुर के विस्तार केन्द्र के रूप में टूल

रूम की स्थापना कुल अनुमानित लागत 875.00 लाख राशि पर स्वीकृति प्रदान की है। यह विस्तार केन्द्र लघु उद्योग सेवा संस्थान के परिसर में स्थापित करने का प्रस्ताव है जिसमें 2 एकड़ भूमि में छात्रावास का प्राबधान किया जायेगा जिसका कुल अनुमानित व्यय 600.00 लाख है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 600.00 लाख रु0)

10. इनलैंड कनटेनर डिपो शीतलपुर

इनलैंड कनटेनर डिपो शीतलपुर की स्थापना पर भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त है। इस परियोजना का से कुल लागत 2342.00 लाख रुपया है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 600.00 लाख है। प्रस्तावित योजना हेतु 100 एकड़ भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रक्रियागत है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 600.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 5.00 लाख रु0)

11. इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक हब

हाजीपुर में इंटिग्रेटेड लॉजिस्टिक हब की स्थापना पर भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त हैं। प्रस्तावित योजना का कुल लागत 897.00 लाख रु0 है। जिसमें राज्य सरकार की भागीदारी 50 प्रतिशत अर्थात 448.50 लाख है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 448.50 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 10.00 लाख रु0)

12. नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च हेतु अनावर्ती व्यय

राज्य में नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना हाजीपुर में करने हेतु राज्य को भूमि एवं भवन उपलब्ध करने का प्रस्ताव है। तत्काल निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क के प्रशासनिक भवन में कोर्स आरम्भ करने हेतु भवन का आधुनिकीकरण एवं जीर्णाद्धार करने की आवश्यकता है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 2500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 40.00 लाख रु0)

13. नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु भू–अर्जन

नेशनल इन्स्टीच्यूट ऑफ फार्मास्यूटीकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च की स्थापना हेतु 100 एकड़ भू–अर्जन की आवश्यकता है, जिसमें प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण भवन, होस्टल, इत्यादि निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 600.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 100.00 लाख रु0)

14. लैंड बैंक

राज्य के विकास एवं औद्योगिकीकरण के लिये मेगा ग्रोथ सेन्टर, उच्च शिक्षा संस्थान, अन्तराष्ट्रीय नालन्दा महाविद्यालय, चीनी मिल एवं अन्य विकासात्मक कार्यों की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके लिये भू–अर्जन की कार्रवाई लैंड बैक के माध्यम से करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये उद्व्यय 103281.23लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये उद्व्यय 11959.00 लाख रु0)

15. औद्योगिक नीति 2006 के तहत अनुदान

राज्य में उद्योगों के त्वरित विकास हेतु औद्योगिक नीति 2006 की घोषणा की गई है। उद्योगों के विकास के प्रोत्साहन एवं पूंजी निवेशकों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन/छूट की सुविधा, जैसे उत्पादन पूर्व प्रोत्साहन, उत्पादन पश्चात्, रूग्न इकाई, इकाइयों के आधुनिकीकरण, विस्तार, विशाखन की सुविधा, कोटि प्रमाण पर प्रोत्साहन, सूचना प्रोद्योगिकी मिशन, हस्तकरघा प्रक्षेत्र, आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, समीक्षा इत्यादि प्रदान किया गया है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये उद्व्यय 20000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये उद्व्यय 1120.00 लाख रु0)

16. जयघोष राशि की प्रतिपूर्ति

पूर्व के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र/प्रांगण, ग्रोथ सेंटर, पार्क हेतु भू–अर्जन किया गया है। न्यायालय के आदेश के आलोक में बियाडा द्वारा भूमि के मूल्य में वृद्धि राशि बियाडा द्वारा भुगतान किया गया है।

अतः बियाडा द्वारा पूर्व में भुगतान किया गया जयघोष राशि की प्रतिपूर्ति किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्यय 1000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 200.00 लाख रु0)

17. लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम को वित्तीय सहायता

राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य वित्त निगम को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है । इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा सिडबी/आई0डी0बी0आई से लिये गये ऋण के भुगतान हेतु 71.00 करोड़ रुपये सूद मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। इसी संदर्भ में बिहार राज्य वित्तीय निगम को रिभाइभल कैपिटल के रूप में 100.00 करोड़ रुपये विभिन्न उद्योगों को ऋण उपलब्ध करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये उद्व्यय 16400.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये उद्व्यय 10000.00 लाख रु0)

18. लघु एवं मध्यम उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम को वित्तीय सहायता

बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम को आई0डी0बी0आई एवं सिडबी से लिये गये ऋण राशि 26000.00 लाख रुपये का भुगतान करना है। यह ऋण एक मुश्त निपटारा योजना के अन्तर्गत भुगतान करने का प्रस्ताव है। बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम अपने आंतरिक संसाधन से 1000.00 लाख रुपये तथा राज्य सरकार द्वारा 2500.00 लाख रुपये उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम पुनर्वित्त करने हेतु सुदृढ़ एवं सक्षम हो सकेगा।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये उद्व्यय 2500.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये उद्व्यय 2500.00 लाख रु0)

19. उद्यमिता विकास संस्थान के भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

उद्यमिता विकास संस्थान बिहार में वर्ष 1987 से कार्यरत है । इस संस्थान में भवन जैसी आधारभूत संरचना का अभाव है। अतः भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

(ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिये योजना उद्व्य 40.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना वर्ष 2007–08 के लिये योजना उद्व्यय 5.00 लाख रु0)

उद्योग

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	1881.00	1600.00	1481.36
2003–04	1778.50	1178.90	1175.15
2004–05	1425.00	1725.00	1452.14
2005–06	2081.50	2156.46	1971.60
2006–07	31409.50	55048.98	55048.86
योग	**38575.50**	**61709.34**	**61129.11**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 32900.00 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 198243.00 लाख रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- राज्य में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए 38 जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना।
- राज्य में लघु उद्योगों, छोटे एवं शिल्पकार इकाईयों के निबंधन से वित्तीय वर्ष 2006–07 में 7051 रोजगार का सृजन किया गया ।
- कम्प्यूटर की जानकारी रखनेवाली महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए योजना तैयार की गयी है ।
- ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर जाने की प्रवृति पर रोक लगाने हेतु कृषि खाद्य प्रसंस्करण, रेशमपालन एवं अन्य ग्रामीण उद्यमों को अधिक महत्व दिया गया है ।
- परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु **उद्योग मित्र** नामक फोरम की स्थापना की गई है, जिसमें उद्यमियों को आमने–सामने बैठ कर अपनी समस्याओं के निपटाने के लिए विमर्श करने हेतु आमंत्रित किया जाऐगा ।
- सिंगल विन्डो क्लीयरेंस अधिनियम 2006 को अधिसूचित किया गया है ।

- औद्योगिक विकास के लिए वातावरण बनाने, क्षमता में वृद्धि तथा आधारभूत संरचना में विकास एवं सेवा प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित मध्यम एवं लघु इकाई प्रक्षेत्र में परियोजनाओं का शुभारंभ सांकेतिक रूप से किया गया है ।
- औद्योगिक विकास के लिए ई–गवर्नेस प्रारंभ किया गया है तथा राज्य सरकार को आई0 एल0 एण्ड एफ0 एस0 समन्वयक के रूप में सहयोग कर रही है ।

12.2 सूचना प्रौद्योगिकी

ग्यारहवीं योजना के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य सौफ्टवेयर क्षेत्र में दीर्घकालिक वृद्धि, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में बिहार की हिस्सेदारी को बढ़ाना तथा सूचना प्रौद्यागिकी के संवर्द्धित उपयोग के लिए समुचित नीति का निर्धारण करना है जिसके तहत अधिक दक्ष, पारदर्शक एवं उत्तरदायी शासन का निर्माण, स्थानीय भाषाओं में सौफ्टवेयर के उपयोग का विकास तथा आम लोगों के सामर्थ्य के अंतर्गत लाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिए, ताकि दैनिक जीवन में लाभदायक एवं सहज उपयोग के साथ–साथ मानवशक्ति, दक्षता और शोध एवं विकास की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु वांछित नीति की रुप–रेखा के अंतर्गत इसे रखा जा सके ।

2. उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विभागों के पुनर्गठन के पश्चात् सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का हाल में गठन किया गया था ।

3. ग्यारहवीं योजना के अधीन कार्यान्वयन हेतु निम्नांकित योजनाएँ प्रस्तावित हैं।

4. राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (बी0एस0डब्ल्यू0ए0एन0) एवं कौमन सर्विस सेन्टर (सी0एस0सी0) योजना ग्यारहवीं

योजना के प्रथम वर्ष में राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अधीन बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एवं कौमन सर्विस सेन्टर को कार्यान्वित किया जाएगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय – 2576.58 लाख रुपये}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय – 2576.58 लाख रुपये}

5. बिहार का स्थानीय नेटवर्क : बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास परिषद के द्वारा राज्य सचिवालयों से संपर्क स्थापित किया जाएगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय – 1000.00 लाख रुपये}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय – 1000.00 लाख रुपये}

6. ई–सुशासन के अंतर्गत – प्रभावी सामाजिक वितरण के लिए ई–सुशासन के महत्वपूर्ण घटक जो मूल संरचना का निर्माण करती हैं, के कार्यान्वयन का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय – 500.00 लाख रुपये}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय – 181.42 लाख रुपये}

सूचना प्रौद्योगिकी

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	106.61	106.61	105.61
2003–04	106.94	76.08	74.64
2004–05	269.00	269.00	100.00
2005–06	269.00	388.88	379.94
2006–07	365.00	309.00	279.73
योग	**1116.55**	**1149.57**	**939.92**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 3758.00 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 4076.58 लाख रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- सॉफ्टवेयर क्षेत्र में दीर्घकालिक वृद्धि, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में बिहार की हिस्सेदारी को बढ़ाना ।

- दैनिक जीवन में लाभदायक एवं सहज उपयोग के साथ मानव शक्ति, दक्षता, शोध एवं विकास के गुणवत्ता में सुधार लाना ।

12.3 पर्यटन

12.3.1 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का विकास

बिहार राज्य में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं के तहत एवं इसके चहुमुखी विकास हेतु पर्यटन विभाग, बिहार सरकार ने विभिन्न स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें कई पर्यटन परिपथों यथा बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, सूफी परिपथ, रामायण परिपथ, गाँधी परिपथ, वन्य जीवन परिपथ में विभक्त किया है। उक्त परिपथों के अन्तर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलों पर राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु एवं उनको मूलभूत सुविधाएँ प्रधान करने के निमित बिहार राज्य के राष्ट्रीय उच्च पथों के प्रमुख चौक–चौराहों पर मार्गीय सुविधाओं का निर्माण एवं पूर्व में निर्मित सरंचनाओं का विकास, जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण तथा प्रस्तावित संरचनाओं के निर्माण हेतु भू–अर्जन करने का प्रस्ताव है।

बिहार के प्रमुख धार्मिक स्थलों, जो गंगा नदी के किनारे बसे हैं, के घाटों का सौन्दर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार के कार्य को सम्पन्न कराकर पर्यटकों को इस ओर आकर्षित किया जा सकता है, जिसके अन्तर्गत वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती, लाईट एवं साउण्ड की व्यवस्था, उक्त गंगा घाटों पर ही किया जाना है। साथ ही गंगा नदी में जल पर्यटन की असीम सम्भावनाओं को देखते हुए कुछेक महत्वपूर्ण कार्य पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे हैं। जल पर्यटन को विकसित करने हेतु पर्यटन विभाग द्वारा पटना के गाँधी घाट से गंगा के विभिन्न घाटों एवं टापुओं तक स्पीड बोट का परिचालन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पर्यटकों की गहरी अभिरूचि पाई गयी है। एक अन्य योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग देशी एवं विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये **48–सीट वाले वातानुकूलित ट्वीन स्क्रू बोट** का निर्माण करा रही है, जो निकट भविष्य में पटना के गाँधी घाट से परिचालित होगी। जल पर्यटन के विकास के अन्तर्गत पर्यटन विभाग द्वारा गंगा नदी में विभिन्न स्थानों पर टापूनुमा जगहों का

विकास एवं सौन्दर्यीकरण, केरल की तर्ज पर गंगा नदी में हाउस बोट, फ्लोटिंग कॉटेज, शिकारा के परिचालन से संबंधित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु चयनित वास्तुविद् को दिया गया है। एडवेन्चर टूरिज्म हेतु गंगा में **कयाकिंग, कैनोयिंग, रोईंग, इन्टरप्राईज सेलिंग, वाटर सर्फिंग, पारा सेलिंग, वाटर स्कूटर, विन्ड सर्फिंग** जैसे कई ऐसे खेल हैं जिनके विकास हेतु यहाँ अपार सम्भावनाएँ हैं। गंगा नदी में मनुष्यों का मित्र **''डाल्फिन''** पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं जो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र हो सकता है। इसके विकास के लिये पर्यटन विभाग द्वारा इस पर योजना बनाने का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। वाल्मिकिनगर, ककोलत (नवादा), भीमबांध आदि स्थलों में इको–टूरिज्म की असीम सम्भावनाएँ हैं। ये स्थल वन्यजीव प्रेमियों के लिये स्वर्ग हैं। इन स्थलों पर विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीव, प्रवासी पक्षी एवं अन्य पशु–पक्षियों का नयनाभिराम किया जा सकता है, जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने का बढ़िया श्रोत है। इसके अतिरिक्त बोधगया के समीप बराबर गुफाओं में, जो ईसा पूर्व तीसरी शताब्दि में सम्राट अशोक द्वारा विभिन्न धर्मावलम्बियों को दान स्वरूप दिया गया था, अशोक कालीन मौर्य कला एवं उसकी धर्म निर्पेक्षता का चित्रण है । ये गुफाएँ इको–टूरिज्म के लिये उपयुक्त हैं। इसी प्रकार ककोलत जल प्रपात भी इको–टूरिज्म के अन्तर्गत अच्छी सम्भावनाएँ रखता है। इससे देशी एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी तथा बिहार सरकार के राजस्व में कई गुणा वृद्धि की सम्भावना है। उक्त प्रस्तावित परियोजनाओं के विकास हेतु राशि की आवश्यकता है।

इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण, जिसमें गाईड, ट्रेवल एण्ड टूरिज्म ऑपरेटर, आतिथ्य सेवा तथा होटल मैनेजमेन्ट एवं कैटरिंग के शॉर्ट कोर्सेज इत्यादि कार्यक्रमों को चलाने का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 8362.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 2030.00 लाख रू0}

12.3.2 सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ का विकास

पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरिया पथ पर पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास किये जाने का प्रस्ताव

है। इस योजना के अन्तर्गत सड़कों का जीर्णोद्धार, धर्मशाला/विश्राम गृह का निर्माण, प्रकाश व्यवस्था इत्यादि सुविधाओं का विकास प्रस्तावित है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 517.42 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 70.00 लाख रू0}

12.3.3 बौद्ध परिपथ (बुद्धिस्ट सर्किट) के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का रख–रखाव

बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत कई महत्वपूर्ण पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण कराया गया है, जो बिहार के पर्यटन मानचित्र पर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन संरचनाओं की महत्ता के मद्देनजर इनका उचित रख–रखाव करना आवश्यक है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 96.77 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 50.00 लाख रू0}

12.3.4 बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की पुरानी योजनाएँ

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की पुरानी योजनाओं को पूर्ण करने हेतु पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 387.77 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 250.00 लाख रू0}

12.3.5 कन्सल्टेन्सी फी

पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिये विभिन्न वास्तुविदों का चयन किया गया है, जिसके लिये उन्हें परामर्शी शुल्क का भुगतान करने का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 200.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 50.00 लाख रू0}

12.3.6 प्रचार–प्रसार

पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा बिहार के विभिन्न पर्यटकीय स्थलों के उचित प्रचार–प्रसार के निमित प्रमुख राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय पत्र–पत्रिकाओं में विज्ञापन, सी0डी0 एवं ऑडियो–विजुअल प्रेजेन्टेशन का निर्माण, विज्ञापन सामग्रियों का प्रकाशन इत्यादि करने का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 500.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 50.00 लाख रू0}

12.3.7 मीडिया कोषांग

बिहार राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से पर्यटन विभाग, बिहार सरकार द्वारा मीडिया कोषांग के गठन करने का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना(2007–12) का उद्व्ययः 50.51 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 13.05 लाख रू0}

पर्यटन

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	500.00	150.00	75.09
2003–04	500.00	385.75	373.76
2004–05	385.24	1018.24	957.71
2005–06	743.00	743.00	742.67
2006–07	1600.00	1825.84	1823.34
योग	**3728.24**	**4122.83**	**3972.57**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 2513.05 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 10114.26 लाख रूपये

मुख्य नीतिगत पहल/मील का पत्थर

- विभिन्न स्थलों के महत्व को ध्यान में रखते हुए अलग–अलग पर्यटन परिपथों यथा बौद्ध परिपथ, जैन परिपथ, सूफी परिपथ, रामायण परिपथ, गाँधी परिपथ, वन्य जीवन परिपथ में विकसित किये जाने का निर्णय।
- वाराणसी की तर्ज पर गंगा आरती, लाईट एवं साउण्ड की व्यवस्था गंगा घाटों पर किया जाना ।
- जल पर्यटन को विकसित करने हेतु पटना के गाँधी घाट से विभिन्न घाटों एवं टापुओं तक स्पीड बोट का परिचालन ।

- बोध गया के समीप बराबर गुफाओं में अशोक कालीन मौर्य कला एवं ककोलत जल–प्रपात के विकास से पर्यटकों की संख्या एवं राजस्व में गुणात्मक वृद्धि लाना ।

परिशिष्ट 12.1

उद्योग

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

क0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007–12)का उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय
	I. ग्रामीण एवं लघु उद्योग		
क	**स्थापना**		
1	जिला उद्योग केन्द्र, डी.आई.सी. मुख्यालय	5200.00	852.00
2	हस्तशिल्प	23.00	4.50
3	हस्तकरघा सामान्य	76.25	15.25
4	शक्तिकरघा (पावरलूम)	6.25	1.25
ख	राज्य प्रायोजित स्कीम(चालू और नये)		
5	उद्योग मित्र	250.00	30.00
6	अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला	500.00	50.00
7	विद्युतकरघा (पावरलूम)	30.00	6.00
8	हस्तशिल्प	52.50	10.00
9	रेशम उत्पादन	1000.00	100.00
10	हस्तकरघा(सामान्य)	1417.50	100.00
11	हस्तकरघा(सहकारिता)	1650.00	50.00
12	जूट उद्यान(पार्क)	100.00	50.00
13	ग्रामीण हाट (गया, पूर्णिया, छपरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय)	350.00	50.00
14	प्रबंधन अनुदान और विभाग एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के अनुश्रवण हेतु उपकरण	100.00	20.00
15	पुराने एवं नये जिला उद्योग केन्द्रों का नवीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण तथा 22 नये जिला उद्योग केन्द्र का निर्माण (आउटसोर्सिंग द्वारा फोटोकॉपियर, कम्प्यूटर, दुरभाष, फैक्स, वाहन)	900.00	200.00
16	उपेन्द्र महारथी संस्थान का सुदृढ़ीकरण	200.00	30.00
17	केन्द्रीय प्रोसेसिंग संयत्र एवं रंगाई और परिष्करण संयत्र का पुनरूद्धार तथा आधुनिकीकरण	785.62	100.00
18	खादी बोर्ड का नवीकरण और	485.50	160.00

	आधुनिकीकरण		
19	खादी बोर्ड की लघु मरम्मत एवं अनुरक्षण	135.00	27.00
20	खादी, कुम्हारी, मधुमख्खी पालन तथा चर्म, जरी का काम, ईख एवं खॅाडसारी उद्योग में प्रशिक्षण हेतु पूॅजीगत सहायता	300.00	100.00
21	खादी भवनों, उत्पादन–सह–बिक्री केन्द्रों और राज्य मेले तथा प्रदर्शनियों का जीर्णोद्धार	700.00	100.00
22	उद्योग विभाग के सचिवालयीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों हेतु संक्षिप्त प्रशिक्षण कार्यक्रम	250.00	15.00
23	राज्य मेला और प्रदर्शनी	400.00	10.00
24	खादी वस्त्रों पर छूट	2197.65	370.00
25	बिहार सिल्क संस्थान का आधुनिकीकरण	500.00	10.00
26	ग्रामीण क्षेत्र में आई.टी. केन्द्रों की स्थापना	300.00	100.00
27	उद्यमिता विकास कार्यक्रम	150.00	30.00
28	सी.आई.पी.इ.टी. (अल्प अवधि पाठ्यक्रम, एवं तीन नई शखाऍ) को पूॅजीगत सहायता	300.00	60.00
29	शक्तिकरघों हेतु विद्युत सब्सिडी	1400.00	300.00
30	खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना पर प्रशिक्षण एवं बाजार को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष अंगीभूत कार्यक्रम	100.00	20.00
31	ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण एवं प्रदर्शनी तथा मेला के आयोजन हेतु पूॅजीगत सहायता	100.00	20.00
32	हस्तकरघा समूह	1800.00	200.00
	II. बड़े एवं मध्यम उद्योग		
	राज्य प्रायोजित स्कीम		
1	खाद्य उद्यान (फूड पार्क)	400.00	10.00
2	कृषि निर्यात क्षेत्र हेतु पूॅजीगत सहायता	600.00	10.00
3	औद्योगिक अभियान (सेमिनार, परामर्श कार्य)	500.00	50.00
4	प्रवासी भारतीय दिवस	600.00	100.00
5	औद्योगिक पार्कों, सम्पदाओं तथा विकास केन्द्रों में आधारभूत संरचना विकास	19000.00	2500.00
6	बिहटा (पटना) में औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि अधिग्रहण	300.00	100.00
7	एन.आई.एफ.टी. की स्थापना	2500.00	100.00
8	लघु उपकरण कक्ष	4214.00	300.00
9	उपकरण कक्ष	1000.00	600.00
10	आई.सी.डी. शीतलपुर	600.00	5.00

11	समेकित संभार–तंत्र केन्द्र	448.50	10.00
12	एन.आई.पी.ई.आर. पर आवर्ती व्यय	2500.00	40.00
13	एन.आई.पी.ई.आर. की स्थापना एवं भूमि अधिग्रहण	600.00	100.00
14	मेगा विकास केन्द्र, उच्च शिक्षा संस्थान यथा नालन्दा अंतराष्ट्रीय विश्वविद्यालय, चीनी मिलों एवं अन्य कार्यो हेतु भूमि बैंक	103281.23	11959.00
15	औद्योगिक नीति 2006 के अंतर्गत सब्सिडी	20000.00	1120.00
16	बियाडा को जयघोष राशि की प्रतिपूर्ति	1000.00	200.00
17	लधु एवं मध्यम उद्योग को वित्त पोषण हेतु बी.एस.एफ.सी. को पूॅजीगत सहायता	16400.00	10000.00
18	लघु एवं मध्यम उद्योग को वित्त पोषण हेतु बी.आई.सी.आई.सी.ओ. को पूॅजीगत सहायता	2500.00	2500.00
19	आई.ई.डी. के भवन निर्माण हेतु पूॅजीगत अनुदान	40.00	5.00
	कुल योगः I + II(औद्योगिक क्षेत्र)	**198243.00**	**32900.00**

परिशिष्ट–12.2

सूचना प्रौद्योगिकी

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रु0 में)

क0	योजना का नाम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
1	एन0ई0जी0पी0 के अंतर्गत बी0एस0डब्ल्यू0ए0एन0 / सी0एस0सी0 योजनाओं का कार्यान्वयन	2576.58	2576.58
2	बिहार के सचिवालयों से स्थानीय नेटवर्क	1000.00	1000.00
3	ई–सुशासन के अंतर्गत योजना	500.00	181.42
योग		**4076.58**	**3758.00**

परिशिष्ट–12.3

परिवहन

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007-12) का उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007-08 का उद्व्यय
1	महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों का विकास	8362.50	2030.00
2	सुल्तानगंज देवघर कांवरिया पथ	517.42	70.00
3	बौद्ध परिपथ के अन्तर्गत निर्मित संरचनाओं का रख–रखाव	96.77	50.00
4	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की पुरानी योजनाएँ	387.06	250.00
5	कन्सल्टेन्सी फी	200.00	50.00
6	प्रचार–प्रसार	500.00	50.00
7	मीडिया कोषांग	50.51	13.05
	योग	**10114.26**	**2513.05**

अध्याय–13

13. पर्यावरण एवं वन

13.1 मानव जाति के कल्याण के लिए पर्यावरण को बनाये रखना महत्वपूर्ण है। पर्यावरणीय तथ्यों यथा – जल का अवांछित उपयोग तथा वन–विनाश का प्रतिकूल प्रभाव पर्यावरण पर अत्यंत शीघ्रता से हो सकता है । इन सबके प्रति पर्यावरणीय रणनीति संवेदनशील होनी चाहिए तथा हमलोगों को इसकी चुनौतियों का उचित मूल्यांकन कर संतुलन कायम रखना चाहिए । हमें पर्यावरणीय मैत्रीपूर्ण नीति द्वारा तीव्र अर्थिक विकास को सुनिश्चित करना है ।

पर्यावरण एक व्यापक क्षेत्र है, जिसमें वनों का महत्वपूर्ण स्थान है । अतएव विभिन्न विकासात्मक क्रिया–कलापों के कार्यान्वयन के क्रम में पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को रोकने एवं प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का कदम पूर्वानुमान के साथ प्रारंभ करना चाहिए ।

1. दसवीं योजना की समीक्षा एवं ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

दसवीं योजना में वन विभाग के लिए पुनरीक्षित उद्व्यय 6,484.83 लाख रुपये के विरुद्ध 5743.86 लाख रुपये की वित्तीय उपलब्धि रही । दसवीं योजना का मुख्य उद्देश्य वनरोपण द्वारा क्षीण वनों का पुर्नस्थापन करना था । वन विकास एवं प्राकृतिक वनों की सुरक्षा में निवेश लगातार उपेक्षित रहा है। समेकित वन सुरक्षा योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2004–05 से प्रारंभ किया गया, जिसके तहत वनों के लिए आधारभूत संरचनाओं एवं वन–सीमा के सुदृढ़ीकरण में कुछ निवेश किया गया। ग्यारहवीं योजना में भी इसे जारी रखने का प्रस्ताव है ।

दसवीं योजना में पर्यावरण प्रक्षेत्र को किसी प्रकार का इनपुट नहीं मिला । दसवीं योजना में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो पर्यावरण के मानकों के अनुश्रवण के लिए नोडल एजेंसी है, को पूर्ण रुप से अपने संसाधनों पर निर्भर रहना पड़ा, राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार की वित्तीय अथवा सामग्री के रुप में सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी । ग्यारहवीं योजना में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

को अपने कर्त्तव्यों को प्रभावशाली ढंग से जारी रखने हेतु आवश्यक सहायता की आवश्यकता है ।

2. ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य एवं रणनीति

2.1 पर्यावरणीय मुद्दे

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार एक महत्वाकांक्षी विकास कार्यक्रम आरंभ कर रही है । प्रत्येक विकासात्मक क्रिया–कलाप का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि प्रस्तावित परियोजनाओं के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जायें ।

2.1.1 ऊर्जा, पर्यावरण एवं खाद्य–सुरक्षा

राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है । राज्य सरकार द्वारा मुख्य रुप से कृषि आधारित उद्योगों के विकास पर बल देने का प्रस्ताव है । इसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर गन्ना आधारित उद्योग पर बल होगा । गन्ना एवं सहायक उद्योगों से बड़ी मात्रा में कचरा का स्राव होता है, जिसमें जल निकायों एवं भूमि को प्रदूषित करने की क्षमता है । लोगों को स्वच्छ पेय–जल उपलब्ध कराने हेतु इन कचरों का उपचार एवं पुनर्चक्रीय प्रसंस्करण की आवश्यकता है । वर्त्तमान में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास ऐसे उद्योगों से निकलने वाले कचरों की गुणवत्ता के अनुश्रवण से संबंधित आधारभूत संरचनाएँ उपलब्ध नहीं है । बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ऐसी चुनौतियों से निपटने के लिए सुदृढ़ करने की आवश्कता है।

यह राज्य प्रति व्यक्ति ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के मामले में देश में सबसे नीचे है । राष्ट्रीय औसत प्रति वर्ष 612 यूनिट विद्युत खपत के विरुद्ध वर्ष 2005 में राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत मात्र 76 यूनिट था ।

राज्य में 45,103 ग्रामों की तुलना में मात्र 20,200 ग्रामों का विद्युतीकरण हो पाया है । जिसके फलस्वरुप अधिकांश ग्रामों के लोग अपने नित्य कार्यों के लिए ऊर्जा के अन्य साधनों पर निर्भर रहते हैं । राज्य में विद्युत उपभोग का वर्त्तमान ढॉचा पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य कारणों में से एक है । ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन पकाने के लिए ईंधन की लकड़ी और कृषि जन्य उपोत्पाद ऊर्जा के प्रमुख साधन हैं। ईंधन के रुप में इन सामग्रियों को जलाना न केवल ऊर्जा का अकुशल उपयोग है बल्कि वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य संकट का बड़ा कारण है ।

जैविक सामग्री एवं कृषि उपोत्पाद के बेहतर तरीके से उपयोग करने के प्रयास की आवश्यकता है जिससे वर्त्तमान ऊर्जा के उपयोग करने की पद्धति से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके । गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों यथा – जैविक ईधन, सौर ऊर्जा एवं मिनी हाइडेल पावर स्टेशन को उपयोग में लाकर इस प्रयास को आगे बढ़ाया जा सकता है ।

पूर्व में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपोत्पाद और गाय–गोबर का ईंधन के रुप में बेहतर उपयोग का प्रयास किया गया है । बड़े पैमाने पर गोबर गैस प्लान्ट और उन्नत चुल्हा को बढ़ावा दिया गया था । लेकिन विभिन्न कारणों से इच्छित फलाफल नहीं प्राप्त किया जा सका । असमुचित रख–रखाव एवं तकनीकी के प्रचार से ग्रामीण स्तर पर इसका इष्टतम उपभोग नहीं किया जा सका है । उन्नत चुल्हा इसलिए भी इच्छित परिणाम नहीं दे पाया क्योंकि ग्रामीण इससे होने वाले लाभ के प्रति संवेदनशील नहीं थे।

भविष्य में ग्रामीण जनसंख्या को इंधन के अन्य साधन मुहैया कराकर जैविक सामग्री को ईंधन के रुप में उपयोग में लाने की वतर्मान परम्परा से विमुख करना है। चूँकि पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की उपलब्धता को मूर्त्त रुप देने में कुछ समय लगेगा, कुछ समय के लिए यह आवश्यक है कि गोबर गैस और उन्नत चुल्हे का उपयोग जारी रखा जाए । इन उपायों की सीमित सफलता को चिन्हित करने के लिए अध्ययन कार्य जारी रखा जाएगा और तद्नुसार उपाय खोजे जायेंगे । इस प्रकार के अध्ययन के लिए स्थानीय तकनीकी संस्थानों से सम्पर्क बढ़ाया जायेगा । जैविक सामग्री का दक्षतापूर्वक उपयोग उसे गैस में परिवर्त्तित कर किया जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में जहॉ पर्याप्त मात्रा में जैविक सामग्री उपलब्ध है, वहॉ गैस के रुप में परिवर्त्तित करने वाले छोटे संयत्रों की स्थापना की संभावना का अध्ययन किया जाएगा। जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न होने वाले ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण को कम करने के लिए इथेनॉल और जैव–डीजल को पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्थानों के रुप में लाया जाना चाहिए । यह अब स्पष्ट हो गया है कि कृषि उत्पादों से जैविक डीजल का उत्पादन खाद्य सुरक्षा के लिए घातक है, इसके उपयोग में सावधानी बरतने की आवश्यकता है । हालॉकि घनी आबादी के कारण इन पौधों की खेती के लिए बेकार पड़ी भूमि अत्यंत सीमित है ।

2.1.2 स्कूली छात्रों के बीच पर्यावरण चेतना की जागृति

राज्य सरकार ने छात्र वृक्षारोपण योजना से किशोरावस्था के बच्चों की चेतना की जागृति के लिए वृक्षारोपण शुरु किया है । 8वीं, 9वी एवं 10वीं के वैसे छात्र जो पौधा लगाते हैं एवं उनकी रक्षा तीन वर्षों तक करते हैं, उन्हें प्रति पौधा के जीवित रहने पर 100 रुपये दिए जायेंगे । वर्ष 2006–07 में इस कार्यक्रम में 1.26 लाख विद्यार्थियों ने भाग लिया एवं इस कार्यक्रम में वर्ष 2007–08 में 3 लाख और अधिक विद्यार्थियों के हिस्सा लेने की संभावना है ।

केन्द्रीय सरकार नेशनल ग्रीन कॉप्स प्रोग्राम के अतिरिक्त इस प्रोग्राम को भी राशि प्रदान करती है । अब तक राज्य के सभी 38 जिलों में उच्च प्राथमिकी एवं उच्च विद्यालय के 7900 विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है । इस प्रकार लगभग 200 लाख रुपये प्रति वर्ष खर्च का आकलन है ।

2.1.3 वायु गुणवत्ता में सुधार

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा केवल पटना के दो स्थानों पर उच्च कोटि की वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण किया जा रहा है । यह बिल्कुल ही अपर्याप्त है तथा सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में उच्च वायु गुणवत्ता के लिए स्वतः सम सामयिक अनुश्रवण केन्द्रों को आरंभ करने का प्रस्ताव है । इन अनुश्रवण स्टेशनों से प्राप्त ऑकड़ों का उपयोग कर इन शहरों में विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरुप वायु गुणवत्ता के लिए तरीके विकसित किए जायेंगे ।

2.1.4 जलीय गुणवत्ता

इस राज्य में बहने वाली अनेक नदियों के कारण सौभाग्यवश इस राज्य को विपुल जल राशि प्राप्त है । बहुत सारी नदियों अत्यधिक प्रदूषित हो गयीं हैं, क्योंकि अपरिष्कृत गंदे नालों के पानी को सीधे इन नदियों में छोड़ दिया जाता है । शहरी एवं उद्योग विकास योजना के अंतर्गत गंदे नालों के जलों एवं औद्योगिक वहिस्रावों को परिष्कृत किया जाएगा । औद्योगिक इकाईयों की अनुमानित वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में जल की गुणवत्ता के अनुश्रवण को काफी सघन बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त किया जाएगा।

राज्य के कुछ हिस्सों में आर्सेनिक, फ्लूराईड, नाइट्रेट एवं आयरन प्रदूषण एक गंभीर अनुपात ग्रहण कर रहा है । राज्य में भूतल एवं सतही जलों के

अनुश्रवण के लिए 36 स्टेशन हैं, जो काफी कम हैं । इसे 60 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है । राज्य में लोगों को शुद्ध पेय जल दिया जाना आवश्यक है, खासकर उन लोगों के लिए जो वैसे क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें प्रदूषित क्षेत्र के रुप में चिह्नित किया गया है ।

2.1.5 ठोस–कचरा–प्रबंधन

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् (बी0एस0पी0सी0बी0), नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत राज्य सरकार के संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा ताकि ठोस कचरा के उपचार एवं निपटाने की सुविधा विकसित हो । नगरों एवं शहरों में नागरिकों की भागीदारी से एक ऐसी प्रणाली विकसित करने को प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उद्गम स्थान पर ही कचरों को अलग कर दिया जाय । सुविधा विहीन वर्गों के लिए शहरी स्थानीय निकायों को कम लागत वाले सामुदायिक स्वच्छता सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि अधिक कुशलता पूर्वक कचरा प्रबंधन किया जा सके ।

पटना में इनसीनेरेटर्स की स्थापना के कारण दवाओं के कचरों को सुरक्षित निपटाव में काफी सफलता प्राप्त हुई है । इस सुविधा को अन्य शहरों तक विस्तारित किया जाना चाहिए ताकि जैव चिकित्सीय कचरों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके ।

शहरी निकायों द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किए गए कार्यों के अनुश्रवण के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उपयोग किया जाएगा । बोर्ड को आवश्यक आधारभूत संरचना एवं अतिरिक्त मानव बल देकर इस कार्य हेतु सुदृढ़ किया जाएगा ।

2.1.6 भौगोलिक पर्यावरण योजना

बी0एस0पी0सी0बी द्वारा उद्योगों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों का चिह्निकरण एवं जिला स्तर पर पर्यावरण एटलस बनाने के लिए जोनल एटलस तैयार किया जायेगा, जो राज्य के उद्योगों एवं पर्यावरण एटलस स्थल चयन करने में मद्दगार होगा।

2.1.7 बाह्य निधिः

बिहार सरकार ने विश्व बैंक से मद्द की मांग की है ताकि आर्थिक वृद्धि को सशक्त एवं गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर नीतियों की श्रृंखला कार्यान्वित की जा सके । विश्व बैंक की आवश्यकता के अनुसार धनात्मक एवं ऋृणात्मक पर्यावरणीय प्रभावों के अध्ययन करने के लिए बिहार पर्यावरणीय विश्लेषण तैयार करना होगा । इस अध्ययन से सरकार की नीति सुधारों के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का पूर्वानुमान करने एवं सम्यक कार्रवाई की क्षमता में होने वाली बाधाओं की पहचान होगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0एन0डी0पी0) ने क्लीन डेभलपमेंट मेकैनिज्म (सी0डी0एम0) के अंतगर्त नक्शा विकास परियोजना को विकसित करने के लिए एक अध्ययन प्रायोजित किया है । यह योजना बी0एस0पी0सी0बी0 के संस्थान सुदृढ़ीकरण को भी समाविष्ट करता है ।

2.2 वनः

भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित '' राज्य के वन प्रतिवेदन, 2005'' के अनुसार वन आच्छादन 5579 वर्ग कि0मी0 (5.92 प्रतिशत) और पेड़ों का आच्छादन 2522 वर्ग कि0मी0 (2.68 प्रतिशत) है, जिन्हें जोड़ने से कुल योग 8101 वर्ग कि0मी0 (8.60 प्रतिशत) हो जाता है । 5579 वर्ग कि0मी0 में 2594 वर्ग कि0मी0 के वन आच्छादन ओपेन फोरेस्ट और स्कार्ब फोरेस्ट के रूप में वर्गीकृत किए गए है । पहली प्राथमिकता भारतीय वन सर्वेक्षण के मापदंडों के अनुरूप इन वनों की गुणवत्ता बढ़ाकर घने वन की श्रेणी में लाने की है ।

ग्राम वन प्रबंधन एवं रक्षा समितियों की मद्द से संयुक्त वन प्रबंधन विन्यास के द्वारा इन वनों का पुर्नवास एवं सघनीकरण किया जाएगा । वर्त्तमान में 615 ग्राम वन प्रबंधन एवं संरक्षण समिति का निर्माण किया गया है एवं इस योजना अवधि में इसकी संख्या दुगना करने का प्रस्ताव है । वृक्षारोपण के समय स्थानीय लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एकधान्य वृक्षारोपण को हतोत्साहित करते हुए स्वदेशी प्रजाति का वृक्षारोपण में प्रयोग किया जाता है ।

यह स्थानीय लोगों का न केवल सहयोग प्राप्त करने में मदद करेगा वरन् विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों को कायम रखेगा जो कि क्षेत्र में प्राकृतिक जंगल का महत्वपूर्ण अंग है ।

वर्त्तमान में अवकृष्ट वनों का पुनर्वास योजना राज्य योजना कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यान्वित हो रही है । राष्ट्रीय वानिकीकरण, पारिस्थितिक विकास बोर्ड एवं राष्ट्रीय सम विकास योजना द्वारा राष्ट्रीय वानिकीकरण कार्यक्रम को राशि लभ्य करायी जा रही है । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के द्वारा क्षीण जंगलों के पुनर्वास के लिए संसाधनों का भरपूर उपयोग किया जाएगा ।

वृक्ष आच्छादन को शहरी क्षेत्र में एवं सड़कों, नहरों एवं नदी के तटबंधों पर पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण कर बढ़ाया जाएगा ।

समतल क्षेत्र वाले राज्यों के लिए राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत वृक्ष आच्छादन अपने भौगोलिक क्षेत्र (18832 वर्ग कि0मी0) का 20 प्रतिशत अनिवार्य है । इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चलाए जा रहे कार्य यथेष्ट नहीं है । अधिसूचित वन क्षेत्र केवल 6473 वर्ग कि0मी0 है । 12359 वर्ग कि0मी0 गैर–वन–क्षेत्र को वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत लाना आवश्यक है । इस लक्ष्य को 15 वर्ष में प्राप्त करने का मतलब होगा औसतन 640 वर्ग कि0मी0 भूमि को प्रति वर्ष वृक्ष आच्छादन के अंतर्गत लाना, परिणामतः 4 करोड़ बीजांकुर प्रति वर्ष निजी भूमि में लगाने होंगे ।

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत समुदाय आधारित समन्वित वन प्रबंधन एवं संरक्षण योजना के द्वारा कृषि वानिकी को बहुत बल देते हुए प्रारंभ किया गया है । वर्ष 2007–09 में किसानों की निजी भूमि पर 18.36 करोड़ रू0 के उद्व्यय से पोपलर एवं अन्य तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियों के 76 लाख पौधें लगाए जायेंगे । द्वितीय चरण में यह योजना अन्य जिलों में 250 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत से विस्तारित की जाएगी । बड़ी संख्या में विकेन्द्रीकृत किसान नर्सरियों की स्थापना की जाएगी, जिससे एक बार पौधा लगाने का कार्य करने पर वे स्वधारित हो जायेंगे ।

चूँकि राज्य में वन–क्षेत्र अत्यंत समिति है, अतः सामाजिक वन्य कार्यक्रम के माध्यम से सार्वजनिक सम्पति संसाधन सहित सभी कृषि योग्य बेकार पड़ी भूमि पर वन एवं जैव संसाधनों का सृजन किया जाएगा । राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी

कार्यक्रम के अंतगर्त वृक्षारोपण भी एक प्राथमिक कार्य के रूप में चिह्नित है । वन विभाग पंचायती राज संस्थानों को वृक्षारोपन के विकास के लिए सभी आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा ।

राष्ट्रीय बांस मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर बिहार में बांस वृक्षारोपण पर खासकर बल दिया जाएगा । इस मिशन के अंतगर्त बांस के मूल्यवर्द्धन तथा आवश्यक विपणन संपर्क की व्यवस्था की जाएगी । प्रतिवर्ष 46 लाख रू0 की लागत पर 250 हेक्टेयर भूमि में बांस की खेती की जाएगी ।

समेकित वन संरक्षण योजना तथा बारहवें वित्त आयोग से विभाग की आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ करने में सहायता मिली है । प्राप्त निधि का उपयोग संचार प्रणाली, अग्निशमन, कार्यालय का आधुनिकीकरण एवं वन क्षेत्र की सीमा निर्धारण को सुदृढ़ करने के लिए किया गया है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में समेकित वन सुरक्षा योजना लागू रहेगी ।

2.3. **वन्य जीवनः**

वनों का 50 प्रतिशत क्षेत्र सुरक्षित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित है । विशेष पहल एवं बल के साथ इन क्षेत्रों के प्रबंधन की आवश्यकता है । वर्त्तमान मे सुरक्षित क्षेत्र में जीवों की आवासीय स्थिति तथा जैव–विविधता से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नही हैं । जैव विविधताओं एवं उनकी आवासीय स्थिति से संबंधित जैव सूचनाओं के आधारभूत आंकड़ों पर बल दिया जाएगा । योजना अवधि में सुरक्षित वन क्षेत्र के सभी प्रबंध योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा ।

शांति एवं कानून व्यवस्था के मामलें में चिह्नित सुरक्षित वन क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील हैं । अधिकांश सुरक्षित वन क्षेत्र अतिवादी कार्य–कलापों से प्रभावित हैं। इन सुरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षा तंत्र यथा–संचार, सड़क, निगरानी आदि को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है । सुरक्षित वन क्षेत्र के कर्मचारियों को आग्नेयास्त्र चलाने, प्रशिक्षण तथा विधि सम्मत अधिकार के उपयोग की आवश्यकता है । पारिस्थितिक विकास समितियों का गठन कर स्थानीय निवासियों से सहयोग लिया जाएगा ।

मानव–पशु संघर्ष में मुद्दों को पूरा करने की आवश्यकता है । बाघों की सुरक्षा के लिए बाघ टास्क फोर्स की अनुशंसा के आधार पर बाल्मिकी बाघ सुरक्षित

क्षेत्र फिर से बसाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी । जहॉ यह संभव नही है वहॉ सह–अस्तित्व योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा ।

2.4. नीति पहलः

कृषकों की भूमि पर उपजे वृक्ष उत्पादों के सहज निस्तार में वन उत्पाद अधिनियम एक बाधा है । कृषकों को बिना प्रतिबंध के कृषि वानिकी के काष्ठ आधारित उद्योग यथा– कागज एवं लुगदी, परत और प्लाईउड आदि के लिए ठोस कच्ची सामग्री के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर इन अधिनियमों को तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता है । यह कार्य नीतिगत पहल के अंतर्गत प्रचलित अधिनियम के अधीन पोपलर, यूक्लिपटस, सेमल, कदम्ब, गम्हार आदि खास प्रजातियों को अलग किया गया है, ताकि निजी कृषकों को स्वतंत्र रूप से वृक्षों को गिराने, यातायात और विपणन व्यवस्था करने का अधिकार प्राप्त हो सके ।

राज्य सरकार ने वर्ष 2003 में पंचायती राज संस्थाओं को गैर टिम्बर वन उत्पाद का संग्रह, भंडारण तथा विपणन का कार्य सौंपा है । सम्प्रति राज्य का गैर टिम्बर वन उत्पाद के संग्रह एवं विपणन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है । स्थानीय जनसंख्या को आधिकतम लाभ सुनिश्चित करने हेतु मूल्यवर्द्धन दक्षता एवं बेहतर विपणन संपर्क की सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

3.1. ग्यारहवीं योजना अवधि के अंतर्गत योजनाओं का विवरण

3.1.1. **वनः** क्षीण वनों के पुनर्स्थापन के लिए विभाग के फ्लैगशीप कार्यक्रम के अंतर्गत यह योजना प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 3125.95 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 725.19 लाख रू0}

3.1.2. नहर–तट फार्म योजनाओं के अधीन नहरों एवं सड़कों के किनारे पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण का कार्य जारी रहेगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 970.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 194.10 लाख रू0}

3.1.3. शहरी क्षेत्रों में विभिन्न संस्थानों यथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी और निजी कार्यालयों को सुंदरता प्रदान करने हेतु ग्यारहवी योजना में वृक्ष रोपे जायेंगे ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्ययः 1943.63 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्ययः 384.71 लाख रू0}

3.1.4. विद्यालय में बच्चों के सहयोग से वृक्षारोपण कार्य का शुभारंभ 2006–07 में किया गया था जो ग्यारहवीं योजना अवधि में जारी रहेगा ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्ययः 2351.46 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्ययः 505.00 लाख रू0}

3.1.5. द्वितीय चरण में उत्तर–बिहार के सभी जिलों में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत कृषि वानिकी योजना को विस्तारित किया जाएगा । वर्ष 2009–10 तक अवक्रमित वनों के अंश के रूप में बांका एवं जमुई जिले में पुनर्स्थापन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्ययः 5000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्ययः1000.00 लाख रू0}

3.1.6. बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त होने वाली निधि से आधारभूत संरचना कार्य जारी रहेगा । ऐसा अनुमान है कि पूरी योजना अवधि के लिए प्रस्तावित उद्‌व्यय 500.00 लाख रू0 की निधि आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्राप्त हो जाएगी।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्ययः 500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्ययः 100.00 लाख रू0}

3.1.7. समेकित वन सुरक्षा योजना के अधीन केन्द्र प्रायोजित योजना जिसमें केन्द्र सरकार का 75 प्रतिशत एवं राज्य सरकार की 25 प्रतिशत भागीदारी है, में राज्य सरकार की 250.00 लाख रू0 का उद्‌व्यय प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्ययः 250.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्ययः 50.00 लाख रू0}

3.2. वन्य जीवनः

3.2.1. सुरक्षित वन क्षेत्र की सुरक्षा एवं पोषण के लिए अधिकांश राशि विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त होती है । भारत सरकार द्वारा अभ्यारण्यों के लिए 500.00 लाख रू0 की सहायता अनुमानित है । दसवीं योजना अवधि में अभ्यारण्यों,

राष्ट्रीय पार्कों के विकास हेतु शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना थी । ग्यारहवीं योजना में कुछ खास घटकों का समावेश 50:50 प्रतिशत पर आधारित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 50.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 10.00 लाख रू0}

3.2.2. राज्य में उत्तर–बिहार में विविध प्रजाति के पक्षियों के लिए विस्तृत जल क्षेत्र हैं। 4 प्राकृतिक जल निकायों एवं 2 कृत्रिम जल निकायों को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 100.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 20.00 लाख रू0}

3.2.3. केन्द्र सरकार बाल्मिकी नगर परियोजना को शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना और 50:50 प्रतिशत केन्द्र एवं राज्य भागीदारी के आधार पर सहायता करती है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 125.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 25.00 लाख रू0}

3.3. पर्यावरणः

3.3.1. पर्यावरण के लिए प्रथम बार आवंटित किया जा रहा है । उर्जा, पर्यावरण,खाद्य–सुरक्षा मुद्दों से संबंधित अध्ययन का प्रस्ताव है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 100.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 0.00 लाख रू0}

3.3.2. राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में उच्च वायु गुणवत्ता के लिए स्टेशनों की स्थापना एवं अनुश्रवण कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 1530.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 0.00 लाख रू0}

3.3.3. प्रभावशाली ढंग से ठोस कचरा निस्तार के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुदृढ़ीकरण हेतु अनुश्रवण स्टेशन की स्थापना एवं अनुरक्षण का प्रस्ताव है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 1700.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 0.00 लाख रू0}

3.3.4. उद्योगों को दर्शाने वाले क्षेत्रीय नक्शा तैयार कर ठोस अवशिष्ट के निस्तार का प्रस्ताव है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्ययः 90.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्ययः 0.00 लाख रू0}

विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन का सारांश निम्नांकित तालिका में दर्शाया गया है ।

पर्यावरण एवं वन

दसवीं योजना में वित्तीय उपलब्धि

(रू0 लाख में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	753.00	509.00	533.61
2003–04	1255.70	625.72	412.93
2004–05	1464.00	242.00	212.60
2005–06	1967.22	2094.11	1865.12
2006–07	2514.00	3014.00	2719.60
योग	**7953.92**	**6484.83**	**5743.86**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वर्षिक योजना 2007–08 – 2431.50 लाख रू0
ग्यारहवीं योजना 2007–12 – 17936.54 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील का पत्थर

- संस्थाऐं यथा– विद्यालयों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, सरकारी और निजी कार्यालयों के सौन्दर्यीकरण हेतु वृक्षारोपण कार्य के लिए प्रोत्साहन ।
- विद्यालयी बच्चों के सहयोग से नई योजना–'' छात्र वृक्षारोपण योजना'' का शुभारंभ किया गया है ।
- मान्यता प्राप्त विद्यालयों के VIII, IX, एवं Xवीं कक्षा के छात्रों का वृक्षारोपण एवं तीन वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिवर्ष 100.00 रू0 की दर से भुगतान ।
- क्षीण वनों के पुनर्स्थापण कार्य को सर्वोच्य प्राथमिकता तथा
- राज्य में वृक्षारोपण में सुधार हेतु नहरों के किनारों पर नहर तह फार्म योजना के तहत वृक्षारोपण ।

परिशिष्ट–13.1

पर्यावरण एवं वन

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

कमांक	योजना	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वर्षिक योजना (2007–08) के लिए उदव्यय
1	अवक्रमित वनों का पुनर्स्थापन	3125.95	725.19
2	नहर तट फार्म	970.50	194.10
3	पथ तट–सह–शहरी वानिकी	1943.63	384.71
4	छात्र वृक्षारोपण योजना	2351.46	505.00
5	राष्ट्रीय सम विकास योजना	5000.00	1000.00
6	12वां वित्त आयोग	500.00	100.00
	योग	**13891.54**	**2909.00**
	वन्य जीवन		
7	वाल्मिकी ब्याध्र परियोजना (50:50) केन्द्र प्रायोजित योजना	125.00	25.00
8	संजय गॉधी जैविक उद्यान(50:50) सी0जेड0ए0 राज्य प्रायोजित हिस्सा	100.00	20.00
9	अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क का विकास	50.00	10.00
10	समेकित वन संरक्षण योजना	250.00	50.00
	योग	**525.00**	**105.00**
	पर्यावरण		
11	ऊर्जा, पर्यावरण एवं खाद्य सुरक्षा	100.00	0.00
12	वायु गुणवत्ता का अनुश्रवण	1530.00	0.00
13	जल गुणवत्ता का	100.00	0.00

कमांक	योजना	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वर्षिक योजना (2007–08) के लिए उदव्यय
	अध्ययन		
14	ठोस अवशिष्ट प्रबंधन का अध्ययन	1700.00	0.00
15	भौगोलिक पर्यावरण योजना	90.00	0.00
	योग	**3520.00**	**0.00**
	कुल योग	**17936.54**	**3014.00**

अध्याय – 14

14. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा निरंतर आर्थिक प्रगति में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है । आर्थिक प्रगति एवं जीवन स्तर में सुधार लाने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का योगदान निर्विवादित है । अकेले विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में ही इतनी क्षमता है कि ग्रामीण गरीबों की दशा में सुधार लाने में यथेष्ट एवं बड़े पैमाने पर योगदान कर सकता है ।इसलिए, राज्य को उपयुक्त प्रबंधन तकनीक के साथ साथ महत्वपूर्ण एवं स्थाई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण के लिए सुधार का सार्थक प्रयास करना होगा । इसके लिए सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलापों में नई तकनीक को बढ़ावा देना होगा ।

दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना के लक्ष्य

2– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हेतु दसवीं योजना के संशोधित उद्व्यय 122.68 करोड़ रू0 के विरूद्ध दसवीं योजना अवधि के दौरान उपगत व्यय 114.15 करोड़ रू0 (93.05 प्रतिशत) था ।

तकनीकी शिक्षा

3– बिहार में तकनीकी संस्थानों की संख्या देश के अन्य राज्यों की औसत संख्या से कम है । वर्ष 2000 में बिहार के पुनर्गठन तथा क्षारखंड निर्माण के पश्चात बिहार में तकनीकी संस्थानों की संख्या कम हो गयी जिसके फलस्वरूप पाठ्यक्रमों में नामांकन की क्षमता में भी ह्रास हो गया तथा बिहार में तकनीकी शिक्षा के अवसरों में भी कमी होती चली गयी । यह आवश्यक है कि बिहार की संपूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवन प्रदान करने पर तुरंत ध्यान दिया जाय। पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा की स्थापना का कार्य नियत समय पर पूरा किया जाय और तीन अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों को यथाशीघ्र चालू किया जाय । इसके अतिरिक्त कम से कम तीन अभियंत्रण महाविद्यालय – एक मध्य बिहार (भोजपुर / रोहतास) एक पूर्वी भाग (मधेपुरा / कटिहार) और तीसरा दक्षिण बिहार (मुंगेर / जमुई) में स्थापित करने की अनिवार्यता है । इसी प्रकार कम से कम छः

राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक नालन्दा, मधुबनी, जहानाबाद, गया, बक्सर और रोहतास जिलों में स्थापित करने की आवश्यकता है । राज्य को राष्ट्रीय औसत के अनुंरूप लाने के लिए पटना में बी0आई0टी0(मेसरा) के विस्तार केन्द्र की स्थापना के अतिरिक्त विभाग ने डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थानों की स्थापना हेतु निजी प्रवर्तकों को आमंत्रित किया है । बारहवें वित्त आयोग ने 2006–07 तथा 2009–10 के बीच व्यय हेतु कुल 50 करोड़ रूपये के अनुदान का अनुमोदन किया है । इसी परिप्रेक्ष्य में दो अभियंत्रण महाविद्यालयों और छः पोलिटेकनिक संस्थानों की कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं के क्षमता विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण की स्कीम 2006–07 में स्वीकृत की गयी । इसे ग्यारहवीं योजना में 2009–10 तक जारी रखा जायेगा । बारहवें वित्त आयोग द्वारा जिन शेष सात पोलिटेकनिक संस्थानों को शामिल नहीं किया गया उनका ग्यारहवीं योजना के दौरान सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता होगी । इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय सरकारी संगठन – राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड को भी प्रमाणीकरण के लिए सक्षम बनाने एवं डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रम विकसित करने हेतु ग्यारहवीं योजना के दौरान सुदृढ कर आधुनिक बनाने की आवश्यकता है । राज्य को राष्ट्रीय औसत के स्तर पर लाने हेतु विभाग सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में नये तकनीकी संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है ।

4– राज्य के 11 राजकीय पोलिटेकनिकों एवं दो राजकीय महिला पोलिटेकनिकों को निधि की आवश्यकता होगी ताकि वे शुरू किये गये नए पाठ्यक्रमों को चलाने में सक्षम हों । अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए0आइ0सी0टी0इ0) ने राजकीय पोलिटेकनिक, छपरा एवं गोपालगंज तथा राजकीय महिला पोलिटेकनिक, मुजफ्फरपुर में नये पाठ्यक्रमों की शुरूआत करने की मंजूरी दे दी है । छः राजकीय पोलिटेकनिकों/राजकीय महिला पोलिटेकनिक में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिये गये हैं । नये पाठ्यक्रम चालू करने के लिए 2007–08 में वित्तीय सहायता दी जायगी । 1960 के दशक में स्थापित कतिपय राजकीय पोलिटेकनिकों को अब अपनी कार्यशालाओं एवं प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है । इसके लिए उनके द्वारा प्रस्ताव

दिये गये हैं । विशेष तौर पर स्वरोजगार के लिए दस्तकारी कुशलता विकास क्षेत्र में लोकप्रिय एवं उपयोगी व्यवसायों में महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु 11 राजकीय महिला औद्योगिक विद्यालय हैं । इनके अलावा राजकीय मुद्रण विद्यालय, गुलजारबाग, पटना मुद्रण एवं जिल्दसाजी से संबंधित क्षेत्रों में लोगों को प्रशिक्षित करता है । इसके लिए वित्त का पूरा प्रबंध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और यह 2007–08 में भी जारी रहेगा ।

5– अभियंत्रण महाविद्यालयों और पॉलिटेकनिक/राजकीय पॉलिटेकनिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी को दूर करने हेतु वित्तीय वर्ष 2007–08 में ई0डी0यू0एस0ए0टी0 उपग्रह की सहायता से दूरस्थ ज्ञान कार्यक्रम की स्वीकृति दी गयी है ।

6– विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं अन्य उभरते क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए यह अनिवार्य है कि राज्य में एक केन्द्रीय साधन विनियोग केन्द्र की स्थापना की जाय, जिसमें शिक्षक एवं छात्र अपना शोध कार्य कर सकें । विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 में यह योजना स्वीकृति हेतु प्रस्तावित है ।

वैज्ञानिक सेवाएँ

7– विभिन्न संगठनों के माध्यम से लोगों में बेहतर जीविका हेतु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व के प्रति जागरूकता लाने तथा उनके मन में वैज्ञानिक संस्कार बैठाने तथा वैज्ञानिक सेवाओं का प्रावधान करने का काम बिहार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (बी0सी0एस0टी0) द्वारा किया जाता है । जिला विज्ञान केन्द्रों की सहायता से प्रदर्शनी एवं बहुविध क्रियाकलापों तथा गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से परिषद् विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित जनोपयोगी क्रियाकलाप तथा प्रौद्योगिकी अंतरण को प्रोत्साहित करता है । बाल विज्ञान कॉग्रेस नामक संगठन भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संप्रेषण, अल्पकालीन जागृति कार्यक्रम, संगोष्ठी, सम्मेलनों तथा केन्द्रीय विज्ञान एवं तकनीक परिषद द्वारा प्रचारित इसी प्रकार के कार्यक्रमों को बिहार विज्ञान एवं तकनीक परिषद् की सहायता से कार्यान्वित करता है । राज्य में कृषि आधारित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा कृषि और कृषि आधारित उत्पादन में वृद्धि करने के लिए बिहार विज्ञान एवं तकनीक परिषद् जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नोलौजी) नीति का प्रतिपादन कर रही है । इन्दिरा गॉधी

विज्ञान परिसर पटना में अवस्थिरत तारामंडल सौर मंडल, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, आकाशगंगा एवं समुद्री जल जीवों पर नियमित शो आयोजित करना है । इन्दिरा गॉधी विज्ञान केन्द्र, तारामंडल को 2006–07 के दौरान इसके आवर्ती विद्युत व्यय हेतु 20 लाख रू0 का अनुदान कर्णांकित किया जायेगा । बिहार दूर संवेदी अनु प्रयोजन केन्द्र, पटना(आई0आर0एस0–1डी0) के माध्यम से बिहार और पड़ोसी राज्यों के भूतल मानचित्रण करने में राज्य को योगदान करता है । स्कैन किये गये मानचित्र फसलों की योजना बनाने, भूमि के उपयोग, बाढ़ से संबंधित मसलों, भौगोलिक सूचना प्रबंधन प्रणाली के विकास, आपदा प्रबंधन हेतु डाटावेस तैयार करने तथा अन्य क्रियाकलापों से संबंधित आंकड़ों के विश्लेषण में बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं । बिहार विज्ञान एवं तकनीक परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव अनुमोदित हो जाने पर विभाग, बिहार विज्ञान एवं तकनीक परिषद्, बिहार राज्य दूरसंवेदी प्रयुक्ति केन्द्र तथा इन्दिरा गॉधी विज्ञान केन्द्र, तारामंडल के वैज्ञानिक उद्येश्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यकतानुसार वित्तीय समर्थन प्रदान करेगा। कार्यकारी ग्यारहवीं योजना में तारामंडल के आवर्ती व्यय हेतु प्रति वर्ष 40 लाख रू0 का अनुदान उपबंधित है । मुजफ्फरपुर एवं गया में एक–एक विज्ञान परिसर– तारामंडल की स्थापना का प्रस्ताव ग्यारहवीं योजना के अन्तर्गत सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

8. **बारहवें वित्त आयोग के अनुदान की उपयोगिता के अधीन प्रस्तावित क्रियाकलाप :–** जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है बारहवें वित्त आयोग ने तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं सुद्ढ़ीकरण हेतु 50 करोड़ रू0 का अनुदान स्वीकृत किया है। इस अनुदान का उपयोग 2006–07 से 2009–10 तक की अवधि में किया जाना है । प्रस्ताव एवं स्वीकृत राशि के अनुसार ग्यारहवीं योजना में 40 करोड़ रू0 कर्णांकित किये गये हैं ।

9. तकनीकी शिक्षा निदेशालय का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 34.00 लाख रू0}

{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 6.00 लाख रू0}

10. राज्य तकनीकी शिक्षा पर्षद् का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 196.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 28.80 लाख रू0}

11. अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिकों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य संबंधित पाठयक्रमों का पूर्ण कार्यान्वयन प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 300.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 100.00 लाख रू0}

12. अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिकों एवं राजकीय महिला पोलिटेनिकों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 850.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 260.70 लाख रू0}

13. मुजफ्फरपुर एवं गया में तारामंडल तथा साइंस म्यूजियम की स्थापना

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 600.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

14. नया राजकीय पोलिटेकनिक एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों की स्थापना एवं परिचालन प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 5100.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 100.00 लाख रू0}

15. लोक नायक जय प्रकाश इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छपरा की स्थापना एवं परिचालन प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 1223.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

16. मधेपुरा एवं चंडी में दो अभियंत्रण महाविद्यालयों का स्थापना एवं परिचालन प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 4500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 500.00 लाख रू0}

17. तीन अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों, एम0 ई0 सी0, गया, जे0 एम0 आई0 टी0, दरभंगा एवं आई0 सी0 ई0, मोतिहारी का परिचालन प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 845.10 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 266.00 लाख रू0}

18. बी0 आई0 टी0, मेसरा के विस्तार केन्द्र की स्थापना एवं परिचालन प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 400.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 400.00 लाख रू0}

19. बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी/इंदिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र, तारामंडल का सुदृढ़ीकारण प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 470.70 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 70.00 लाख रू0}

20. दो अभियंत्रण महाविद्यालय एवं बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत छः राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के विकास एवं क्षमता वृद्धि प्रस्तावित है।

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 4000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 700.00 लाख रू0}

21. संस्थानों में कम्प्यूटराइजेशन एवं नेटवर्किंग तथा शिक्षकों के प्रशिक्षण की योजना प्रस्तावित है

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 200.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

22. इसरो के सहयोग से एडुसेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा की योजना प्रस्तावित है

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 120.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

23. केन्द्रीय इंस्ट्रूमेटेशन सेन्टर/स्कॉलिस्टिक सेन्टर की स्थापना प्रस्तावित है

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 806.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

24. राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के लिए बीसीएसटी को अनुदान प्रस्तावित है

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 200.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

25. स्कॉलरशिप/फेलोशिप के लिए बीसीएसटी को अनुदान प्रस्तावित है

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 60.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

26. आई॰आई॰टी॰ पटना की स्थापना की योजना

{पंचवर्षीय योजना 2007–12 के लिए योजना उद्व्यय 5000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना 2007–08 के लिए योजना उद्व्यय 0.00 लाख रू0}

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(रूपये लाख में)

क्रमांक	वास्तविक उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	1775.00	1100.00	1987.29
2003–04	1503.75	1995.61	1752.08
2004–05	775.23	1716.10	1652.41
2005–06	4947.25	4105.35	4047.90
2006–07	4381.50	3381.00	2875.54
कुल	**13382.73**	**12298.06**	**11415.22**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 : 2431.50 लाख रू0
11वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 : 24905.30 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- उपयुक्त प्रबंधन तकनीक की सहायता से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उन्नयन का प्रयास ।

- योजना आयोग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध राये गये मार्ग दर्शन के अनुसार राष्ट्रीय रोजगार आरंटी कार्यक्रम के अधीन ई–सवुशासन के लिए क्षमता निर्माण एवं सांस्थिक ढ़ाचा तैयार करना ।
- सॉफ्टवेयर क्षेत्र के दीर्घकालिक वृद्धि का उन्नयन
- राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बाजार में बिहार की हिस्सेदारी को बढ़ाना ।
- अधिक दक्ष, पारदर्शक तथा उत्तरदायी सुशासन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के संवर्द्धित उपयोग हेतु समुचित नीति का निर्धारण ।
- स्थानीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर का विकास एवं उपयोग ।

परिशिष्ट — **14**

विज्ञान एंव प्रावैधिकी

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(राशि लाख रूपये में)

क्र0	योजना का नाम	ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	2	3	4
1	तकनीकी शिक्षा निदेशालय का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	34.00	6.00
2	राज्य तकनीकी शिक्षा, पर्षद् का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	196.50	28.80
3.	अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिकों एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिकों में सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों का पूर्ण कार्यान्वयन	300.00	100.00
4.	अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिकों एवं राजकीय महिला पोलिटेकनिकों के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	850.00	260.70
5.	मुजफ्फरपुर एवं गया में तारामंडल की स्थापना	600.00	0.00
6.	नया राजकीय पोलिटेकनिक, संस्थानों की स्थापना एवं परिचालन	5100.00	100.00
7.	लोकनायक जायप्रकाश इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, छपरा की स्थापना एवं परिचालन	1223.00	0.00
8.	मधेपुरा एवं चंडी में दो अभियंत्रण महाविद्यालयों की स्थापना एवं परिचालन	4500.00	500.00
9.	तीन अधिग्रहित अभियंत्रण महाविद्यालयों, एम0 ई0 सी0, गया, जे0 एम0 आई0 टी0, दरभंगा तथा आई0 सी0 ई0, मोतिहारी का परिचालन	845.10	266.00
10.	बी0 आई0 टी0, मेसरा के विस्तार	400.00	400.00

	केन्द्र की स्थापना		
11.	बिहार काउंसिल ऑन साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी इंदिरा गाँधी विज्ञान केन्द्र, तारामंडल के सुदृढ़ीकरण	470.70	70.00
12.	दो अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं 12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत छः राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक के विकास एवं क्षमतावृद्धि	4000.00	700.00
13.	संस्थानों में कम्प्यूटराइजेशन एवं नेटवर्किंग तथा शिक्षकों का प्रशिक्षण एवं सेमिनार के आयोजनार्थ	200.00	00.00
14.	इसरो के सहयोग एवं एडुसेट के माध्यम से दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था	120.00	00.00
15.	केन्द्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन सेन्टर/ स्कॉलिस्टिक सेन्टर की स्थापना	806.00	00.00
16.	राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय सेमिनार के आयोजन के लिए बीसीएसटी को अनुदान	200.00	00.00
17.	स्कॉलरशिप/फेलोशिप के लिए बीसीएसटी को अनुदान	60.00	00.00
18.	आई॰आई॰टी॰ पटना की स्थापना की योजना	5000.00	00.00
	कुल	**24905.30**	**2431.50**

अध्याय – 15

सामान्य सेवायें

15.1 लोक निर्माण (भवन)

लोक निर्माण (भवन) विभाग विभिन्न सरकारी विभागों के प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों के निर्माण की मॉगों को पूरा करता है ।

विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों की मॉग एवं आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करना है तथा विभाग द्वारा बनाए जाने वाले भवनों की योजना बनाना है । यह सभी सरकारी भवनों के निर्माण डिजाइन से लेकर निर्माण कार्य पूरा होने तक की संपूर्ण प्रक्रिया की जिम्मेवारी के लिए नोडल एजेंसी है। विभिन्न सरकारी विभागों की मॉगों की पूर्ति के लिए यह प्रशासनिक भवनों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों, न्यायालय भवनों तथा न्यायपालिका के लिए आवासीय भवनों का निर्माण करता है ।

पिछले दशक में विकास के क्रियाकलापों में वृद्धि होने के कारण इस विभाग के क्रियाकलापों में कई गुना बढ़ोत्तरी हुई है ।

2. दसवीं योजना की समीक्षा एवं ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

दसवीं योजना अवधि में भवन विभाग का पुनरीक्षित उद्व्यय 3699.00 लाख रू0 था जिसके विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि 2930.14 लाख रू0 रही ।

3. योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन

(i) सरकारी भवनों का निर्माण एवं उनका रख–रखाव इस विभाग का प्राथमिक दायित्व है । ग्यारहवीं योजनावधि में यह जारी रहेगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 5693.55 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 700.00 लाख रू0)

(ii) ग्यारहवीं योजना में यह विभाग न्यायालय भवनों,जिला न्यायाधीशों के आवासों तथा न्यायालय कर्मियों एवं अन्य के लिए आवासीय भवनों का निर्माण करेगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 1380.62 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 566.22 लाख रू0)

लोक निर्माण (भवन)

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	990.00	700.00	637.18
2003–04	790.00	300.00	345.04
2004–05	500.00	400.00	192.03
2005–06	1149.00	1049.00	752.47
2006–07	1199.00	1250.00	1003.42
योग	**4628.00**	**3699.00**	**2930.14**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 – 1266.22 लाख रू0
11वीं योजना 2007–12 – 7074.17 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- विभाग का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक एवं आवासीय भवनों की मॉग एवं आपूर्ति के बीच के अन्तर को कम करना ।
- विभिन्न सरकारी विभागों की मॉगों की पूर्ति के लिए यह प्रशासनिक भवनों, पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों, न्यायालय भवनों तथा न्यायपालिका के लिए आवासीय भवनों का निर्माण ।

15.2 विधि

विधि विभाग फास्ट ट्रैक न्यायालयों तथा परिवार न्यायालयों को गठित करने की चालू योजना को कार्यान्वित कर रहा है । विधि विभाग द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं का उद्देश्य राज्य में न्यायिक प्रशासन की प्रणाली को मजबूत करना है ।

2. दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

दसवीं योजनावधि में विधि विभाग का पुनरीक्षित उद्व्यय 9733.70 लाख रू0 था जिसके विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि 5127.53 लाख रू0 रही ।

3. योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन

(i) 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट

11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में त्वरित न्याय के निमित्त 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई, जो 2000–01 से 2004–05 तक कार्यरत रहा। पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से 183 फास्ट ट्रैक कोर्ट का विस्तार 2005–06 से 2009–10 तक के लिये किया गया। यह योजना 100% (शतप्रतिशत) केन्द्रीय योजना है।

11वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जब 183 फास्ट ट्रेक कोर्ट का गठन किया गया था, उस समय राज्यस्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अवकाश प्राप्त कर्मियों की नियुक्ति किया जाय। परन्तु अवकाश प्राप्त कर्मियों की अनुपलब्धता के कारण कार्य के निष्पादन में बहुत कठिनाई हो रही है ऐसी सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश से प्रायः प्राप्त होता रहता है। इस संदर्भ में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय से नियमित नियुक्ति हेतु अनुरोध किया गया है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 5178.32 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 1371.00 लाख रू0)

(ii) बिहार न्यायिक पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थान

राज्य के बंटबारे के उपरान्त बिहार न्यायिक पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। वर्त्तमान में निरीक्षण भवन, राष्ट्रीय उच्च पथ, पथ निर्माण विभाग,

गुलजारबाग, पटना में प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत है। संस्थान के लिये भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। इसके चारो ओर चहारदीवारी बना दिया गया है। संस्थान के भवन हेतु 16.51 करोड़ रुपये की योजना मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत हो चुकी है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 1000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 48.00 लाख रू0)

(iii) बिहार न्यायिक पदाधिकारी प्रशिक्षण संस्थान हेतु भवन निर्माण

न्यायिक पदाधिकारियों का प्रशिक्षण लगातार चलनेवाली प्रक्रिया है जिसके लिए एक स्थायी भवन अपेक्षित है क्योंकि वर्त्तमान में यह किराये के भवन में संचालित किया जा रहा है । ग्यारहवीं योजना अवधि में प्रशिक्षण संस्थान भवन बनाने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 324.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 52.00 लाख रू0)

(iv) परिवार न्यायालय

27 परिवार न्यायालय राज्य योजना एवं 3 गैर योजना में यानी कुल 30 परिवार न्यायालय कार्यरत है। पटना, मुजफ्फरपुर एवं भागलपुर का परिवार न्यायालय गैर योजना में कार्यरत है। शेष 27 परिवार न्यायालय योजना मद में है। यह योजना 50:50 का योजना है, जिसमें 50% केन्द्र सरकार एवं 50% राज्य सरकार व्यय वहन करती है।

2,00,00,000/–(दो करोड़) रूपये 20 परिवार न्यायालय के भवन हेतु भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में विमुक्त किया गया है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 3000.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 230.00 लाख रू0)

विधि

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	2130.00	2130.00	283.73
2003–04	1789.90	1789.90	809.15
2004–05	2688.35	2688.35	1391.61
2005–06	181.75	1424.45	1001.64
2006–07	1701.00	1701.00	16041.40
योग	**8491.00**	**9733.70**	**19527.53**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 1701.00 लाख रू0
11वीं योजना (2007–12) – 9502.32 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- विधि विभाग का उद्देश्य राज्य में न्यायिक प्रशासन की प्रणाली को मजबूत करना है ।

15.3 निबंधन

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

सरकार का उद्देश्य है कि निबंधन विभाग से संबंधित कार्यों के संबंध में आम जनता को अधिक सुविधा उपलब्ध करायी जाय । यह विभाग सरकार के राजस्व का एक प्रमुख स्त्रोत है। दो सौ वर्षो की पुरानी निबंधन प्रक्रिया को कम्प्युटरीकृत कर सरल, सुलभ एवं पारदर्शी बनाया गया है । नये आधुनिक उपकरणों/कम्प्युटरों के

सुरक्षित रख–रखाव एवं सुगम संचालन हेतु पुराने भवनों का जीर्णोद्धार तथा नये भवनों का निर्माण अत्यावश्यक है ।

- निबंधन विभाग के अधीन कार्यरत सभी कार्यालयों के भवन/अभिलेखागार लगभग सत्तर वर्ष से अधिक पुराने एवं अनुपयोगी हो गये हैं ।
- सभी निबंधन कार्यालयों का कम्प्युटरीकरण होने के कारण नये एवं आधुनिक रूप से भवन निर्माण करने की आवश्यकता है ।
- शताब्दी पुराने हस्तलिखित/हस्तांतरण अभिलेखों को नष्ट होने से बचाने के लिए चार वर्षों में डिजीटाइजेसन की योजना है ।
- सभी भवन/अभिलेखागार, जीर्णोद्धार एवं निर्माण कार्य, भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा ।
- अस्तु, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु कुल उद्व्यय 759.81 लाख रू0 प्रस्तावित है ।

(1) निबंधन विभाग संपत्ति हस्तान्तरण को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए उत्तरदायी है। निबंधन की मौजूदा प्रणाली पुरानी हो चुकी है जिसे आधुनिक बनाने की आवश्यकता है।

(2) शहरीकरण में काफी वृद्धि होने के कारण इस विभाग का दायरा बढ़ गया है तथा राजस्व उगाही करना ही इसका मुख्य उद्देश्य होगा ।

(3) राज्य के लिए संसाधन उत्पन्न करने हेतु निबंधन प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करना तथा अभिलेख कक्ष को आधुनिक बनाना होगा एवं भूमि अन्तरण विलेख को अधिक पारदर्शी बनाना होगा ।

दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

(4) दसवीं योजनावधि में निबंधन विभाग का पुनरीक्षित उद्व्यय 246.22 लाख रू0 था जिसके विरूद्ध वित्तीय उपलब्धि 217.26 लाख रू0 रही ।

योजनाओं का संक्षिप्त वर्णन

(5) निबंधन राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । निबंधन की जटिल प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है तथा कम्प्यूटर सुविधाओं का समावेश करने के लिए कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । ग्यारहवीं योजना के दौरान आधुनिक कार्यालयों के निर्माण पर जोर दिया जायेगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 759.81 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 136.00 लाख रू0)

निबंधन

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03			
2003–04			
2004–05			
2005–06	124.00	124.00	95.39
2006–07	136.00	122.22	121.87
योग	**260.00**	**246.22**	**217.26**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 – 136.00 लाख रू0
11वीं योजना 2007–12 – 759.81 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- पुरानी निबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण ।

5.4 वित्त

(1) राज्य के 40 कोषागारों में लेखाकरण की शुद्धता एवं समयबद्धता में सुधार लाने के लिए वित्त विभाग को चरणों में हार्डवेयर को उन्नत करने तथा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राप्त करने का कार्य सौंपा गया है । विभाग सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग का आधुनिकीकरण कर रहा है तथा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु महत्वाकांक्षी ई–गवर्नेन्स परियोजना का उत्तरदायित्व अपने उपर लिया है ।

(2) वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2007–08 में जिन योजनाओं का भार लिया गया है उनके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :–

- कार्यालयों के आधुनिकीकरण में कम्प्यूटर व्यावसायिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- कम्प्यूटर व्यावसायिकों को नवीनतम हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराकर उनकी दक्षता सुनिश्चित करना

दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य

(3) दसवीं योजना में वित्त विभाग का पुनरीक्षित उद्व्यय 2397.00 लाख रू0 था जिसके विरूद्ध 2156.37 लाख रू0 खर्च किये गये ।

योजनाओंका संक्षिप्त वर्णन

(4) ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान राज्य सचिवालय परिसर में एक खेल–कूद परिसर बनाया जायेगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 446.80 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 300.00 लाख रू0)

(5) ग्यारहवीं योजनावधिक में बाहरी सहायता से बिहार लाइवलिहुड प्रोजेक्ट कार्यान्वित की जायेगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 7908.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 7908.00 लाख रू0)

(6)ग्यारहवीं योजना अवधि में बारहवीं वित्त आयोग की योजना बिहार रेवन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन्ट्रा नेट (ब्रेन) को कार्यान्वित किया जाएगा।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 6862.92 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 1000.00 लाख रू0)

(7) बिहार लोक प्रबंधन क्षमता निर्माण प्रावधान के अधीन निधि की व्यवस्था की गयी है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 12.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 12.00 लाख रू0)

वित्त

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	354.00	354.00	354.00
2003–04	0.00	9.00	7.79
2004–05	758.00	198.00	397.65
2005–06	758.00	276.00	100.00
2006–07	1000.00	1360.00	1296.93
योग	**2870.00**	**2197.00**	**2156.37**

ग्यारहवीं योजना का वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08– 9220.00 लाख रू0
11वीं येाजना 2007–12– 15229.72 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल /मील के पत्थर

- 40 कोषागारों में हार्डवेयर का उन्नयन एवं नई सॉफ्टवेयर प्रणाली को उपलब्ध कराना ।
- सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग का आधुनिकीकरण करना ।
- विभिन्न कार्यालयों में ई–गवर्नेन्स के लिए कम्प्यूटरीकरण ।

15.5 गृह

15.1 राज्य में वार्षिक एवं पंचवर्षीय येाजना के अंतर्गत योजना व्यय के, पुलिस प्रशासन, अग्नि सेवा एवं कारागार तीन मुख्य घटक हैं । पुलिस लाइनों के भवनों के निर्माण के लिए भूमि का क्रय, पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा एवं पुलिस–बल की गतिशीलता में वृद्धि के लिए हल्की मोटर गाड़ियों का क्रय राज्य के पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता के क्षेत्र हैं ।

15.2 बिहार अग्निशमन सेवा, पटना अग्नि शमन केन्द्र में संचार–व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण और केन्द्रीय प्रणाली, एक अग्नि शमन केन्द्र का निर्माण, संकीर्ण ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए पूर्ण रूपेण सुसज्जित छोटे फायर टेंडरों का क्रय करना चाहती हैं।

15.3 गृह विभाग के लिए कारागारों का प्रबंधन एक मुख्य कार्य है । सुप्रबंधन के लिए नये कारागारों का निर्माण एवं वर्त्तमान में उपलब्ध कारागारों की क्षमता में वृद्धि करनी होगी । सम्प्रति बिहार राज्य में 55 कारागार है जिसमें से 6 केन्द्रीय कारागार, 24 जिला कारागार एवं 25 उप कारागार हैं । 21745 कैदियों के रखने की मकान क्षमता के विरूद्ध वर्तमान में कैदियों की संख्या 46876 है । जेल की प्रशासनिक प्रणाली त्रिस्तरीय है, प्रथम स्तर कैदी निरीक्षणालय, द्वितीय स्तर में केन्द्रीय कारागार तथा तृतीय स्तर में केन्द्रीय कारागारों से संबद्ध सभी जिला एवं उप–कारागार हैं ।

15.4 पुलिस विभाग की रणनीति ग्यारहवीं योजना में पुलिस कर्मियों की मूल आवश्यकता को पूरा करने के लिए पुलिस भवन का निर्माण और नवीकरण वर्त्तमान पुलिस भवनों की मरम्मति एवं पुनर्प्रतिरूपण करना है । अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में कार्यालय स्वचालन, संचार उपकरण एवं गतिशीलता सम्मिलित है । कारागार सुरक्षा वृद्धि के लिए धेराबंदी की दीवार की उॅचाई एवं विस्तार को बढ़ाना है । कारागार की अत्यधिक भीड़ में कमी लाने के लिए अतिरिक्त वार्ड का निर्माण किया जाएगा ।

दसवीं योजना की समीक्षा तथा ग्यारहवीं योजना के लिए लक्ष्य

15.5 दसवीं योजना अवधि में 14093.85 लाख रू0 पुनरीक्षित उदव्यय के विरूद्ध 7729.35 लाख रू0 की वित्तीय उपलब्धि हुई ।

ग्यारहवीं योजना में योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

15.6 पुलिस लाइनों एवं पुलिस थानों की आधारभूत संरचना एवं समेकित रूप से संचार प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 19862.46 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 2450.00 लाख रू0)

15.7 संचार प्रणाली को सुदृढ़ करने, फायर स्टेशन का निर्माण, शहरी क्षेत्र में अग्नि–शमन को प्रभावकारी बनाने हेतु दानापुर से पटना सिटी क्षेत्र के बीच जल की उपलब्धता हेतु स्थायी जलाशयों का विकास तथा लघु फायर टेन्डर का क्रय आवश्यक है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 4136.66 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 1000.00 लाख रू0)

15.8 कारागारों की धेराबंदी की दीवार की न्यूनतम ऊचाई 18 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर करने का प्रस्ताव है । कैदियों की अधिक संख्या को देखते हुए विभिन्न कारागारों में अतिरिक्त वार्ड निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 2209.38 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 559.80 लाख रू0)

15.9 केन्द्र क्षेत्र योजना– राज्य में सीमावर्त्ती क्षेत्रों में सुरक्षा कर्मियों की गतिशीलता में सुधार लाने हेतु सीमावर्त्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन सड़क विकास को प्रमुखता दी गई है । यह योजना ग्यारहवीं योजना में जारी रहेगी ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 250.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 250.00 लाख रू0)

गृह

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	2984.00	3039.00	814.90
2003–04	1223.56	1062.00	701.27
2004–05	3747.61	3747.61	2602.23
2005–06	2514.00	1808.68	990.28
2006–07	2510.00	5053.00	3132.30
योग	**12979.17**	**14710.29**	**8241.05**

ग्यारहवीं योजना के वित्तीय लक्ष्य

ग्यारहवीं योजना (2007–12) –26458.50 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007–08) – 4259.80 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- पुलिस बलों की गतिशीलता में वृद्धि और पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं का सृजन कर पुलिस प्रशासन, अग्नि शमन सेवा तथा कैदियों की सुविधा का आधुनिकीकरण ।

15.6 सूचना तथा प्रचार

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार की नीतियों कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को विभिन्न प्रचार माध्यम से जनता को अवगत कराया जाता है एवं जनता की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराया जाता है। सरकार के किसी भी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की दिशा में इस विभाग द्वारा आवश्यक पहल की जाती है। विशेष परिस्थिति में (विधि–व्यवस्था की स्थिति में) भ्रांति दूर कर जनता में उचित संदेश देने

का कार्य करते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की दिशा में विभाग का अहम् योगदान है। समय–समय पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा विशेष प्रचार अभियान चलाकर लोगों को शिक्षित करने का भी कार्य किया जाता है। सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकासात्मक कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन की दिशा में यह विभाग उत्प्रेरक का कार्य करता है।

राज्य की आठ करोड़ जनता को सूचना उपलब्ध कराने की दिशा में इस विभाग का महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। इस हेतु विभाग द्वारा पारंपरिक एवं अत्याधुनिक तकनीकी माध्यम से सूचना के संप्रेषण हेतु ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 एवं वार्षिक योजना 2008–09 के लिए निम्न प्रकार से योजना बनायी गयी है।

1. **ऑडिटोरियम का निर्माण/ प्रमंडल एवं जिला स्तरीय सूचना भवन का निर्माण:** मुख्यालय स्तर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के सूचना भवन को निर्मित कर अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित किया गया है। द्वितीय चरण में प्रमंडल एवं जिल स्तर पर सूचना भवन के निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 जिला क्रमशः दरभंगा, भागलपुर, मोतिहारी, गया, नालन्दा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया एवं शिवहर में निर्माण कार्य प्रारंभ है। इसके अलावे एक अन्य जिला में भी निर्माण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रत्येक जिला स्तरीय सूचना भवन की लागत 33.69 लाख के करीब है।

(11 वीं पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय–1305.62 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 104.00 लाख रू0)

2. **सूचना भवन, सूचना केन्द्र तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का उन्नयन एवं सशक्तिकरण**– इस योजना के अन्तर्गत सूचना भवन में विभिन्न प्रशाखा एवं क्षेत्रीय इकाईयों का उन्नयन किया जायेगा।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 136.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 36.00 लाख रू0)

3. **विकास एवं निवेश के लिए वातावरण निर्माण (आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, विशेष प्रचार अभियान, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधित कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत एवं नाट्य, मास**

मीडिया एवं वैसे सभी कार्यक्रम, जिससे निवेश एवं विकास का वातावरण बनाया जा सके)– इस योजना के अन्तर्गत मुख्यतः बिहार में विकास एवं निवेश के लिए वातावरण बनाने की कवायद करना है। इस योजना का कार्यान्वयन विभिन्न माध्यमों यथा आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, विशेष प्रचार अभियान, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधित कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत एवं नाट्य, मास मीडिया के द्वारा करना है। कुछ वैसे कार्यक्रम जिसका उल्लेख इसमें नहीं है, की आवश्यकता यदि विकास के वातावरण बनाने में पड़ेगी तो उसका भी उपयोग किया जायेगा। इसके लिए 120.00 लाख का उद्व्यय रखा गया है। इस योजना से बिहार की छवि में गुणात्मक परिवर्तन किया जा सकेगा।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 374.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 120.00 लाख रू0)

4. **वाहनों का क्रय**– बिहार में हो रहे विकास के कार्यक्रमों एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधित कार्यों का अवलोकन पत्रकारों को कराने के लिए एवं प्रचार–प्रसार के लिए पुराने वाहनों की जगह नए वाहन क्रय की योजना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 100.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 20.00 लाख रू0)

5. **उपकरणों का क्रय एवं रख–रखाव तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मॉनिटरिंग**– इस योजना के अन्तर्गत आवश्यक तकनीकी उपकरणों का क्रय तथा पूर्व में क्रय किये गये उपकरणों के रख–रखाव की व्यवस्था करना है ।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 75.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 उद्व्यय– 15.00 लाख रू0)

6. **सूचना भवन में सुरक्षा एवं सफाई का कार्यक्रम**

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 50.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 9.00 लाख रू0)

7. **आकस्मिकता**– उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन एवं आवश्यक कार्यों के लिए कुल योजना उद्व्यय 365.00 लाख का लगभग 1प्रतिशत 3.62 लाख रखा गया है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 15.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 3.62 लाख रू0)

8. कमजोर वर्गों के बीच होर्डिंग, फिल्म, लोकगीत एवं नृत्य, प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों से प्रचार– प्रसार – योजना उद्व्यय 365.00 लाख रू0 का 15.72 प्रतिशत अर्थात् 57.38 लाख की योजना कमजोर वर्गों के कल्याणार्थ बनायी गयी है। इसके तहत उनके बीच होर्डिंग, फिल्म, लोकगीत एवं नृत्य, प्रदर्शनी इत्यादि माध्यमों से प्रचार–प्रसार कर उनमें जागरूकता पैदा करना है।

(पंचवर्षीय योजना 2007–12 का उद्व्यय– 290.00 लाख रू0)

(वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय– 57.38 लाख रू0)

सूचना तथा प्रचार

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	106.61	106.61	105.61
2003–04	106.94	76.08	74.64
2004–05	269.00	269.00	100.00
2005–06	269.00	388.88	379.94
2006–07	365.00	309.00	279.73
योग	**1116.55**	**1149.57**	**939.92**

ग्यारहवीं योजना के वित्तीय लक्ष्य

ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 2345.62 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007–08) – 365.00 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकासात्मक कार्यक्रमों के संबंध में जनसाधारण को अवगत कराना ।

- सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों को जनता को एवं जनता की प्रतिक्रिया से सरकार को अवगत कराना ।
- विकासात्मक कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए उपकरण एवं उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना ।

15.7 कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार

प्रस्तावनाः– सरकारी सेवकों को आवास की सुविधा सुलभ कराना कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का एक मुख्य कार्य है । नवसृजित प्रमंडलीय/जिला/अनुमंडल कार्यालयों के कार्यालय भवनों का निर्माण कराना भी अन्य महत्वपूर्ण कार्य है । इन सुविधाओं के सृजन होने से सरकारी विभागों के कार्य करने की क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी ।

2. बदलते परिदृश्य में प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सुधार के माध्यम से राज्य के कर्मियों की क्षमता का विकास सुनिश्चित करना एवं प्रशासनिक संरचना उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य उद्देश्य है । आम जनता को प्रभावकारी प्रशासन सहज ढंग से पहुॅचाने के लिए राज्य में नयी प्रशासनिक इकाईयॉ विभाग द्वारा गठित की जाती हैं । भवनों के निर्माण के लिए वार्षिक योजना के माध्यम से वित्तीय प्रावधान उपलब्ध कराये जाते हैं । प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल स्तर के कार्यालय एवं आवासीय भवनों की चालू निर्माण योजनाओं एवं नयी योजनाओं के लिए प्रस्ताव दिये जाते हैं । 12वें वित्त आयोग द्वारा राज्य में प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान ए.टी.आई. (बिपार्ड) के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माण हेतु 5000.00 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था भी प्रस्तावित है ।

राज्य योजना

3. **जिला पुनर्गठनः** प्रमंडल, जिला एवं अनुमंडल कार्यालय तथा आवासीय भवनों के निर्माण एवं नवीकरण ।

ग्यारहवीं योजना (2007–12)के लिए उद्व्यय– 12687.75 लाख रू0 ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 1450.00 लाख रू0 ।

4. **12 वें वित्त आयोग**–12वें वित्त आयेाग से निधि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है

ग्यारहवीं योजना (2007–12)के लिए उद्व्यय– 1000.00 लाख रू0 ।
वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 1000.00 लाख रू0 ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रु0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	सेशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	550.00	20.00	347.63
2003-04	450.00	100.00	156.23
2004-05	100.00	1350.00	1350.00
2005-06	2450.00	2105.00	2105.00
2006-07	2450.00	2300.86	2373.86
कुल	**6000.00**	**5875.86**	**6332.72**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 2450.00 लाख रू0 ।
ग्यारहवीं योजना–(2007–12) – 13687.75 लाख रू0 ।

प्रमुख नीतिगत पहल/ मील के पत्थर

- मानव शक्ति योजना को सुनिश्चित करना
- प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक सुधार के माध्यम से राज्य कार्मिक व्यावहार्यता का विकास
- राज्य में नई प्रशासनिक इकाईयों का सृजन

15.8 उत्पाद एवं मद्य निषेध

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मद्य सामग्रियों की बिक्री से प्राप्त राजस्व की वसूली के लिए उत्तरदायी है । यह विभाग अन्तर्राज्यीय तस्करी, कर–वंचना, अवैध आसवन तथा कालाबाजारी पर रोक लगाने हेतु आवश्यक कदम उठाता है ।

2. उत्पाद – योजना की दृष्टि से विभाग का मुख्य लक्ष्य पर्याप्त संख्या में बैरक, हाजत एवं मालखानों का निर्माण कर आधारभूत संरचना को सुदृढ करना है । इससे विभाग की दक्षता में वृद्धि होगी तथा मद्य सामग्रियों के अवैध व्यापार पर रोक लगाने में सहायता मिलेगी, जिसके फलस्वरूप उत्पाद राजस्व में वृद्धि हो सकेगी ।

ग्यारहवीं योजना एवं वार्षिक योजना (2007–08) के लिए रणनीति

3. पटना, मुजफ्फरपुर, आरा (भेाजपुर), हाजीपुर, भागलपुर, मुंगेर, दरभंगा और सीवान जिलों में उत्पाद विभाग के कार्मिकों के लिए बैरक, हाजत एवं मालखाना का निर्माण प्रस्तावित है ।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

4. उत्पाद कार्यालयों के लिए बैरक, हाजत एवं मालखाना का निर्माण – इस योजना के तहत उत्पाद कार्मिकों के लिए आवास, बंदी बनाये गये लोगों एवं दोषियों तथा जब्त सामग्रियों को रखने हेतु निर्माण कार्य प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय – 300.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय – 70.00 लाख रू0)

5. कुम्हरार में भवन निर्माण – उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग द्वारा कुम्हरार में एक भवन निर्माण करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय – 26.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय – 00.00 लाख रू0)

6. मोबाईल सेट्स – उत्पाद विभाग की आधारभूत संरचना सुदृढ करने हेतु 300 मोबाईल सेट क्रय करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय – 18.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

7. सचिवालय स्थित कार्यालय का उन्नयन – सचिवालय स्थित उत्पाद कार्यालय के उन्नयन का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय – 25.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

8. छापामारी एवं निरीक्षण हेतु भाड़े का वाहन – जिन क्षेत्रीय कार्यालयों को अपना वाहन उपलब्ध नहीं है, उन्हें भाड़े का वाहन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय – 36.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

9. क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भवन निर्माण – उत्पाद उपायुक्त एवं जिला उत्पाद कार्यालयों के लिए कार्यालय भवन का निर्माण प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना(2007–12) के लिए उद्व्यय – 353.85 लाख रू0)
(वार्षिक योजना(2007–08) के लिए उद्व्यय – 00.00 लाख रू0)

उत्पाद एवं मद्य निषेध

दवसीं योजना काल में वित्तीय उपलब्धि

(रू0 लाख में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	–	–	–
2003–04	–	–	–
2004–05	–	–	–
2005–06	–	–	–
2006–07	100.00	86.79	88.29
योग	**100.00**	**86.79**	**88.29**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना 2007–08 – 100.00 लाख रू0
ग्यारहवीं योजना 2007–12 – 556.85 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- मद्य सामग्रियों की बिक्री से राजस्व की वसूली
- अन्तर्राज्यीय तस्करी, कर वंचना, अवैध आसवन एवं काला बाजारी पर रोक

15.9 वाणिज्य–कर

वाणिज्य–कर विभाग राज्य का प्रमुख राजस्व संग्रहण विभाग है। यह विभाग सात अधिनियमों को प्रशासित करता है यथा– बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005, केन्द्रीय बिक्री–कर अधिनियम, 1956, बिहार में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1993, बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948, बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 होटल एवं विलासिता कर अधिनियम, 1988 तथा विज्ञापन–कर अधिनियम, 1981। यह विभाग राज्य के राजस्व–संग्रहण में लगभग साठ प्रतिशत का योगदान करता है।

उद्देश्य

विभाग का मुख्य उद्देश्य कर प्रशासन में पारदर्शिता लाना है जिससे राजस्व में वृद्धि सुनिश्चित हो।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण:

1. विभागीय कार्यालय भवनों का निर्माण

वाणिज्य–कर विभाग के कुल 23 कार्यालयों का अपना कोई भवन नहीं है तथा ये किराये पर लिये गये भवनों में कार्यरत हैं।

किराये पर लिये गये भवन कार्यालय की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होते हैं। इस कारण विभाग के कम्प्यूटरीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य प्रभावित होता है।

वर्त्तमान में 14 कार्यालयों का भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है जिसके चालू वर्ष के अन्त तक पूर्ण होने की सम्भावना है। शेष 9 कार्यालयों के भवन निर्माण को 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा करने का प्रस्ताव है।

विभाग ने दो नये प्रशासनिक प्रमण्डलीय कार्यालय, 4 प्रमण्डलीय अंकेक्षण कार्यालय एवं 4 नये अंचल कार्यालयों का गठन किया है, जिसके लिये कार्यालय भवन का निर्माण आवश्यक है।

योजना पर 9 पुराने अंचल कार्यालयों के लिए प्रति यूनिट अनुमानित 75.00 लाख रू0 की दर से (75 X 9) कुल 675.00 लाख रू0 एवं मुजफ्फरपुर प्रमण्डलीय कार्यालय भवन हेतु 5 करोड़ रू0 का व्यय सम्भावित है।

वणिज्य–कर विभाग में कुल 67 क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है जिनमें 43 विभागीय भवन में कार्यरत हैं। भवनों के अनुरक्षण के लिए विभाग के आय–व्ययक में निधि का उपबंध नहीं है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्यय – 700.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्यय – 246.00 लाख रू0)

2. जाँच–चौकी हेतु भू–अर्जन

राज्य के सीमावर्त्ती क्षेत्रों में 17 समेकित जाँच चौकी का निर्माण प्रस्तावित है।

17 जाँच चौकियों में से छः जाँच चौकियों का निर्माण प्रथम चरण में किये जाने का प्रस्ताव है।

छः जाँच चौकियों हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया जारी है। भूमि का मूल्य समय–समय पर पुनरीक्षित किया जा रहा है।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्‌व्यय – 1374.96 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्‌व्यय – 1.00 लाख रू0)

3. प्रमण्डलीय मुख्यालयों में अभिलेखागार का निर्माण

कर प्रशासन के क्रम में प्रत्येक वर्ष भारी संख्या में नये अभिलेखों का सृजन होता है। इन अभिलेखों को लम्बी अवधि तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता बराबर रहती है। कार्यालयों में स्थान की कम उपलब्धता के कारण वर्षो तक इन महत्वपूर्ण अभिलेखों को सुरक्षित रखना कठिन है।

उक्त आवश्यकता को देखते हुए विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पटना एवं केन्द्रीय प्रमण्डल के पटना स्थित सात कार्यालयों के लिए प्रथम चरण में एक

अभिलेखागार तथा पाँच प्रमण्डलों के शेष 36 कार्यालयों के लिए पाँच अभिलेखागार का निर्माण शेष तीन चरणों में किया जाय।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 160.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 80.00 लाख रू0)

4. कम्प्यूटरीकरण योजना का आधुनिकीकरण

सम्प्रति विभाग का कम्प्यूटराईजेशन कार्य सर्वश्री टी0सी0एस0 लि0 द्वारा किया जा रहा है। जिनके द्वारा सॉफ्टवेयर का विकास एवं हार्डवेयर की आपूर्ति की जा रही है। इस योजना का व्यय वित्त विभाग द्वारा वहन किया जा रहा है।

सर्वश्री टी0सी0एस0 द्वारा सभी सामानों यथाः– कम्प्यूटर टेबल, कम शक्ति का यू0पी0एस0 और जेनरेटर की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं की जाती है। अतः उनकी आपूर्त्ति के लिए पूरक व्यवस्था का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 20.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

वाणिज्य–कर

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रु0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	सेशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	200.00	0.00	0.00
2003-04	100.00	0.00	0.00
2004-05	1224.00	1224.00	360.88
2005-06	500.00	500.00	500.00
2006-07	500.00	487.00	486.71
कुल	**2524.00**	**2211.00**	**1347.59**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 337.00 लाख रू0 ।
ग्यारहवीं योजना–(2007–12) – 2254.96 लाख रू0 ।

प्रमुख नीतिगत पहल/ मील के पत्थर

- राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु पारदर्शी कर प्रशासन को जारी रखना तथा

- राष्ट्रीय स्तर की वैट प्रणाली के अंतर्गत लिए गए निर्णय के अनुरूप वैट (वी0 ए0 टी0) का कम्प्युटरीकरण ।

15.10. **राजभाषा**

इस विभाग पर राज्य के भाषाओं के विकास का दायित्व है । राजभाषा हिन्दी तथा राज्य की दूसरी प्रमुख भाषा उर्दू का विकास करना है । राज्य में हिन्दी और उर्दू का कार्यालय उपयोग तथा साक्षरता के लिए विकास करना विभाग का मुख्य उद्देश्य है ।

2. बिहार दूसरा सबसे बड़ा हिन्दी भाषी राज्य है । हिन्दी की उन्नति के लिए विभाग द्वारा प्रसिद्ध लेखकों एवं सरकारी सेवकों को भाषा के प्रति उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए पारितोषिक प्रदान किया जाता है, जिसके लिए संगोष्ठी आदि का आयोजन किया जाता है । उसी प्रकार द्वितीय राजभाषा के रूप में उर्दू का विकास करना मुख्य उद्देश्य है । उर्दू को राजभाषा के रूप में विकसित करने का कार्य वर्ष 1981 में प्रारंभ किया गया था । बिहार प्रथम राज्य है, जिसने उर्दू को द्वितीय आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है ।

ग्यारहवीं योजना एवं वार्षिक योजना (2007–08) के लिए रणनीति

3. राजभाषा हिन्दी और उर्दू के संचरण हेतु सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं प्रर्दशनियों का आयोजन करने की विभाग की रणनीति है । उर्दू से संबंधित आधुनिक एवं तकनीकी शब्दकोष तथा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त पुस्तकों के क्रय से भी विभाग संबंधित है ।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

4. हिन्दी श्री सम्मान और पुरस्कार योजनाः– हिन्दी सेवी सम्मान तथा प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–चुने हुए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हिन्दी लेखकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है । पिछले दस वर्ष की अवधि में सृजनात्मक लेखों, पत्रकारिता,

न्याय एवं प्रशासनिक क्षेत्रों में हिन्दी के संचरण में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये सम्मान प्रदान किए जाते हैं ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 38.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 9.00 लाख रू0}

5. हिन्दी पांडुलिपि के प्रकाशन योजना के लिए अनुदानः राज्य में कई चुने हुए प्रतिभाशाली लेखक/साहित्यकार हैं, जिनके विशिष्ट कार्य निधि के अभाव में अभी तक अप्रकाशित हैं । चालू योजना के अधीन विभाग द्वारा चुने हुए लेखकों/साहित्यकारों को उनकी रचनाओं के प्रकाशन के लिए अनुदान दिया जाता है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 14.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 2.00 लाख रू0}

6. उर्दू श्री सम्मान और पुरस्कार योजनाः– उर्दू सेवी सम्मान और प्रोत्साहन पुरस्कार योजना–चुने हुए राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त उर्दू लेखकों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया जाता है । पिछले दस वर्ष की अवधि में सृजनात्मक लेखों, पत्रकारिता, न्याय, तथा प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए उर्दू लेखकों को पुरस्कार प्रदान किए गए हैं ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 15.10 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 3.00 लाख रू0}

7. उर्दू पांडुलिपि प्रकाशन योजना के लिए अनुदानः– राज्य में कई चुने हुए प्रतिभाशाली लेखक/साहित्यकार हैं, जिनके विशिष्ट कार्य निधि के अभाव में अभी तक अप्रकाशित हैं । चालू योजना के अधीन विभाग द्वारा लेखकों/साहित्यकारों को उनकी रचनाओं के प्रकाशन के लिए अनुदान प्रदान किया जाता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 9.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 1.00 लाख रू0}

8. हिन्दी/उर्दू पुरस्कार वितरण व्ययः– हिन्दी/उर्दू पुरस्कार वितरण समारोह– इन योजना के अधीन हॉल का आरक्षण,ताम्रपत्र का निर्माण, पुस्तिकाओं का प्रकाशन, अतिथियों के लिए यात्रा–भत्ता, उनके भोजन एवं आवासन आदि पर व्यय किया जाता है ।

{ ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 19.00 लाख रू0}
{ वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 3.00 लाख रू0}

9. अखिल भारतीय हिन्दी संगोष्ठी/कविगोष्ठी :– राजभाषा हिन्दी के विस्तारण एवं विकास हेतु विभिन्न प्रकारण के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है । इस योजना के अधीन संगोष्ठी/कवि गोष्ठी आदि का आयोजन किया जाएगा जिसमें यात्रा–भत्ता, भोजन एवं आवास, हॉल का आरक्षण आदि सम्मिलित है ।

{ ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 17.00 लाख रू0}
{ वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 3.00 लाख रू0}

10. हिन्दी एवं उर्दू के प्रसिद्ध लेखकों की जयंती एवं पुण्यतिथि का समारोहः– प्रसिद्ध हिन्दी एवं उर्दू साहित्यकारों की जयंती एवं पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया जाता है ।

{ ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 7.00 लाख रू0}
{ वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 1.00 लाख रू0}

11. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बीच राजभाषा का प्रचारः– अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए विशेष अंगीभूत योजना (राजभाषा के विकास पर आधारित)– इन योजना के अधीन बिहार में अनुसूचित जातियों की नयी पीढ़ी के बीच भाषा के विकास हेतु जिला स्तर पर अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच प्रामाणिक पुस्तकों का वितरण किया जाता है ।

{ ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 32.00 लाख रू0}
{ वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 3.00 लाख रू0}

12. उर्दू साहित्य के विकास के लिए संगोष्ठीः– राज्य की दूसरी भाषा उर्दू के विकास एवं विस्तार के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित समारोह का आयोजन किया जाता है । इस योजना के अधीन संगोष्ठी, मुशायरा आदि का आयोजन किया जाना है, जिसमें आमंत्रित विद्वानों की यात्रा–भत्ता, भोजन एवं आवास, हॉल का आरक्षण तथा जलपान पर व्यय किया जाता है ।

{ ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 11.00 लाख रू0}
{ वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 2.00 लाख रू0}

13. साहित्य संबंधी व्यय तथा हिन्दी/उर्दू की पुस्तकों का क्रयः– इस योजना के अधीन पुस्तकालय का अनुरक्षण तथा पुस्तकों एवं उपस्करों का क्रय किया जाता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 25.47 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 2.00 लाख रू0}

14. कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए मानदेय तथा कम्प्यूटर का अनुरक्षणः– कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए मानदेय एवं कम्प्यूटर का अनुरक्षण प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 9.50 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 1.50 लाख रू0}

15. फोटो कॉपियर एवं अन्य उपकरणों का क्रयः– कॉपियर एवं उससे संबंधित उपकरणों के क्रय का प्रस्ताव है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 2.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 2.00 लाख रू0}

16. 'राजभाषा' पत्रिका और अन्य साहित्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशनः–राजभाषा विभाग द्वारा 'राजभाषा' पत्रिका और अन्य साहित्यों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन किया जाता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 16.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 1.50 लाख रू0}

17. ख्याति प्राप्त उर्दू लेखकों के वार्षिक जयंती एवं पुण्यतिथि समारोह का आयोजनः– ख्याति प्राप्त उर्दू लेखकों के वार्षिक जयंती एवं पुण्य तिथि समारोह का आयोजन प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्ययः 4.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–8) के लिए उद्व्ययः 1.00 लाख रू0}

राजभाषा

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(रू0 लाख में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002-03	100.00	39.85	11.52
2003-04	10.00	30.00	2.89
2004-05	30.00	80.00	0.00
2005-06	30.00	30.00	2.36
2006-07	35.00	10.02	5.65
कुल	**205.00**	**189.87**	**22.42**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08): 35.00 लाख रू0

ग्यारहवीं योजनाः (2007–12): 220.57 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- हिन्दी की उन्नति के लिए प्रसिद्ध लेखकों एवं सरकारी सेवकों को भाषा के प्रति उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए पारितोषिक ।
- राज्य की दूसरी भाषा– उर्दू का विकास ।

15.11 योजना एवं विकास तथा सांख्यिकी

राज्य में योजनाओं का सूत्रीकरण, अनुश्रवण तथा विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के मूल्यांकन हेतु योजना एवं विकास विभाग की स्थापना की गयी है। राज्य स्तर पर विकास आयुक्त के मार्गदर्शन में योजना सचिव के नेतृत्व में योजना एवं विकास विभाग का कार्य सम्पन्न होता है। सम्प्रति राज्य के विभिन्न विकास कार्यक्रमों से जुड़े विभागों के समन्वयक के रूप में तथा सीमा क्षेत्र विकास एवं अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में यह विभाग कार्य करता है ।

2 वर्त्तमान में राज्य स्तर पर योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के आलोक में विभिन्न विकास कार्यों से जुड़े विभागों की योजनाओं के सूत्रीकरण की प्रक्रिया इस विभाग द्वारा की जा रही है।

3 राज्य योजना पर्षद के अध्यक्ष मुख्य मंत्री होते है तथा कैबिनेट मंत्री स्तर के पूर्ण–कालिक गैर सरकारी सदस्य इसके उपाध्यक्ष तथा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। योजना पर्षद (i) प्राथमिकताओं की अनुशंसा। (ii) निर्धारित प्राथमिकताओं तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रक्षेत्रों की योजनाओं का समेकन करना। (iii) अंतर्विभागीय कार्यकारी असमानुपात को दूर करना । (iv) राज्य की त्वरित आर्थिक एवं सामाजिक विकास की गति को बनाए रखना। (v) योजनाओं से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति का अनुश्रवण करना तथा (vi) राज्य योजना तत्रं द्वारा समर्थित प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्रों की समीक्षा तथा मूल्यांकन करना है । सदस्यों के अतिरिक्त कैबिनेट मंत्री भी योजना पर्षद की बैठक मे भाग लेते हैं ।

4 राज्य स्तर पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक प्राधिकृत समिति है , जो योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करती है तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करती है ।

5 योजना एवं विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय की स्थापना योजनाओं के सूत्रीकरण, कार्यान्वयन तथा मूल्यान्कन के लिए संगत सांख्यिकी के एकत्रिकरण के माध्यम से डेटाबेस सृजित करना है । निदेशालय द्वारा एकत्र किये जाने वाले महत्वपूर्ण सांख्यिकी कृषि, मूल्य, सामाजिक आर्थिक घटना तथा जन्म–मृत्यु सांख्यिकी से संबंधित ऑकड़े हैं ।

6. सामान्यतः राज्य स्तर पर योजना–तंत्र विभागीय संरचना के पारम्परिक ढ़ॉचे में है जहॉ विशेषज्ञों की कमी है । राज्य स्तर पर योजना तंत्र के पुनर्गठन से योजना प्रक्रिया की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है । हाल ही में राज्य स्तर पर कुछ असंगत

पदों के प्रत्यार्पण एवं विशेषज्ञ पदों यथा–उप निदेशक–सह–योजना पदाधिकारी, संयुक्त निदेशक, निदेशक एवं निदेशक प्रमुख के सृजन के द्वारा योजना तंत्र का पुनर्गठन एवं सुदृढ़ीकरण किया गया है ।

7. योजना के विकेन्द्रीकरण एवं जिलों के प्राकृतिक एवं अन्य संसाधनों के विकास के प्रोत्साहन हेतु वर्ष 1978–79 में जिला योजना का प्रारंभ किया गया । इसके तहत जिला योजना इकाईयां स्वीकृत की गईं और वर्ष 1981 में जिला योजना एवं विकास परिषद्ों का गठन किया गया । लेकिन विभाग के द्वारा इनके संचालन प्रक्रिया पर कोई प्रकाश नही डाला गया । जिला योजना प्रक्रिया के संचालन के लिए अनेकों सुझाव दिये गए एवं प्रयास किये गये किंतु इसके बाबजूद ये कोई ठोस आकार नही ले पाये।

8. संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन ने पंचायती राज संस्थानों और स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया है जिससे विकेन्द्रीकृत योजना प्रणाली या निम्न स्तर से योजना निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक नया सार्वभौमिक संवैधानिक मंच प्राप्त हुआ है । संविधान के प्रावधानों के अनुरूप बिहार में जिला योजना समितियों (डी0पी0सी0) का गठन किया गया है ।

9. यह पाया गया है कि जिला को योजना निर्माण के लिए इकाई के रूप में लेने के बावजूद भी जिला के अंतर्गत सापेक्षिक अर्द्धविकसीत क्षेत्रों का बड़ा हिस्सा अछूता रह जाता है । यह उत्तरोत्तर महसूस किया जा रहा है कि संतुलित विकास की सुनिश्चिता के लिए निम्न स्तर से विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करने की आवश्यकता है। यह स्थानीय आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने में सहायक होगी तथा निम्न स्तर से आवश्यकता आधारित योजना निर्माण की दिशा में एक पहल होगी । जिला योजना तंत्र के तर्ज पर प्रखंड स्तरीय योजना तंत्र का निर्माण उपयोगी होगा जो मध्यवर्ती स्तर के पंचायतीराज संस्थानों को सहायता प्रदान करेगा तथा समेकित प्रखंड योजना का सूत्रीकरण भी करेगा ।

मूल्यांकन एवं अनुश्रवण

10. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जन–जन तक पहॅुचने वाले विकास की अपनायी गयी नीति के लिए यह आवश्यक है कि योजनाओं एवं कार्यक्रमों का प्रभावी ढ़ग से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया हो ताकि लक्षित समूहों को इच्छित लाभ प्राप्त हो सके। राज्य में मूल्यांकन एवं अनुश्रवण मशीनरी के सुदृढ़ीकरण पर विशेष बल दिया जाएगा क्योंकि पूर्व में राज्य में एक कमजोर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तंत्र योजनाओं के निकृष्ट कार्यान्वयन का एक प्रमुख कारण रहा है । राज्य मूल्यांकन समिति का पुनर्गठन किया गया है जो मूल्यांकन के लिए योजनाओं के चयन के साथ–साथ मूल्यांकन एजेंसियों की अनुशंसाओं की अंतिम सहमति देने वाले शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगा । राज्य मूल्यांकन समिति ने अतिमहत्वपूर्ण 13 सामाजिक आर्थिक योजनाओं को मूल्यांकन के लिए चयन किया है । योजनाओं के सफल कार्यान्वयन में मूल्यांकन के महत्व को देखते हुए अन्य राज्य सरकारों की तरह इस राज्य के सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के सुदृढ़ीकरण का भी प्रस्ताव है। इस क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी अभिकरणों की सेवाऍ लेकर राज्य सरकार थर्ड पार्टी मूल्यांकन पर विचार कर रही है । राज्य के प्रमुख फ्लैगशिप येाजनाओं के समवर्ती अनुश्रवण के लिए यूनिसेफ को सम्मलित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है । प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के समवर्ती अनुश्रवण एवं बिहार के लिए विशेष वर्ल्ड बैंक बजटीय सहायता हेतु विकास आयुक्त के कार्यालय में दो अलग अनुश्रवण कोषांग बनाने का प्रस्ताव है । दृढ़ वित्तीय व्यवस्था के लिए प्रयास करने के अलावा इन प्रमुख पहलों के संयुक्त प्रयासों से योजनाओं का भौतिक रूप से अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सुनिश्चित हो सकेगा, जिसकी उपेक्षा के कारण अबतक योजनाओं का निकृष्ट कार्यान्वयन होता रहा हैं।

11. **विभाग के उद्‌देश्य**

- सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी0ए0डी0पी0) सहित राज्य के लिए वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजनाओं का सूत्रण करना ।

- विभिन्न विभागों द्वारा तैयार किए गए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं विभिन्न प्रक्षेत्रों के लिए निधि का आवंटना करना ।
- स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता से जिला स्तरीय योजना कार्यों का विकेन्द्रीकरण ।
- राज्य सरकार की आवश्यकतानुसार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित आंकडों का नियमित रूप से संग्रह करना ।
- राज्य घरेलू उत्पाद, बचत और पूंजी सूत्रीकरण का अनुमान तैयार करना ।
- राज्य में जन्म–मृत्यु अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कार्य का कार्यान्वयन ।

12. **ग्यारहवीं योजना का वार्षिक योजना 2007–08 के लिए रणनीति**

- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु अगले वर्ष की वार्षिक योजना एवं ग्यारहवीं योजना का सूत्रण ।
- विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु अगले वर्ष की वार्षिक योजना और ग्यारहवीं योजना के साथ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधि का आवंटन ।
- जिला स्तरीय योजनाओं के लिए निधि का आवंटन
- पांचवी आर्थिक गणना के आधार पर राज्य व्यवसाय पंजी तैयार करना ।
- राज्य में जन्म–मृत्यु का कम से कम 60 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु जन्म–मृत्यु अधिनियम का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करना ।
- फसल बीमा योजना के लिए ससमय आंकडे उपलब्ध कराना ।

योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

13. **राज्य, प्रमंडल, जिला और प्रखंड स्तर पर योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरणः**–राज्य स्तर पर कार्यरत योजना तंत्र योजना सूत्रण, योजना समन्वय एवं योजना अनुश्रवण के लिए पर्याप्त नहीं है । योजना एवं विकास विभाग में पुनर्गठित योजना एवं अनुश्रवण निदेशालय के पदों पर तुरंत पदस्थापन की आवश्यकता है ।

इसके लिए राज्य स्तर पर योजना तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु ग्यारहवीं एवं वार्षिक योजना 2007–08 के लिए क्रमशः 3000.00 लाख रू0 एवं 275.00 लाख रू0 का उद्व्यय प्रस्तावित है । प्रमंडलीय आयुक्त राज्य सरकार द्वारा क्षेत्र विस्तार पदाधिकारी के रूप में नामित हैं परन्तु इन्हें सहयोग के लिए प्रमंडल अथवा क्षेत्रीय स्तर पर कोई योजना तंत्र उपलब्ध नही है । सम्प्रति राज्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन, अनुश्रवण तथा सूत्रण तथा जिला योजना के अनुश्रवण एवं कार्यान्वयन में असमानता है । अतएव प्रमंडल को क्षेत्र मानते हुए क्षेत्रीय योजना तंत्र की स्थापना की आवश्यकता है । बिहार के सभी 38 जिलों में जिला योजना इकाईयां कार्यरत हैं । तृणमूल योजना से संबंधित विशेषज्ञ समिति (रामचन्द्रण समिति) के प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को एकटिविटि मैपिंग को पूर्ण करने की दिशा में त्वरित गति से अग्रसर होने तथा राज्य योजना एवं बजट में पंचायत प्रक्षेत्र का प्रावधान करने का निदेश दिया गया है । संविधान के अनुच्छेद 243 जेड0डी0 के अनुसार जिला योजना समितियों को सशक्त करने का निदेश केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है । वर्त्तमान में जिला स्तर से नीचे किसी प्रकार का योजना तंत्र नहीं है । पंचायत स्तर पर योजना निर्माण के लिए संगठनात्मक संरचना विकसित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 7797.30 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 450.00 लाख रू0}

14. **कम्प्यूटरीकरण क्षमता–निर्माण और सूचना प्रबंधन प्रणाली आधारित योजनाओं का अनुश्रवणः**– राज्य एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटर कोषांग का सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण एवं संगोष्ठियों के माध्यम से क्षमता–निर्माण तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली आधारित कम्प्यूटर की मदद से योजनाओं का अनुश्रवण अनिवार्य है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 60.00 लाख रू0}

15. **मुख्यालय में योजना भवन का निर्माणः**— योजना एवं विकास विभाग की सभी शाखाओं को एक छत के नीचे लाने हेतु राज्य स्तर पर एक योजना भवन के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007—12) के लिए उद्व्यय— 2000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007—08) के लिए उद्व्यय— 100.00 लाख रू0}

16. **जिला स्तर पर योजना भवन का निर्माणः**— जिला योजना इकाइयों के प्रभावशाली रूप से संचालन हेतु जिला स्तर पर योजना भवनों का निर्माण अत्यंत आवश्यक है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007—12) के लिए उद्व्यय— 1000.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007—08) के लिए उद्व्यय— 100.00 लाख रू0}

17. **जिला योजना कार्यालय का सुदृढ़ीकरणः**— योजनाओं का ससमय कार्यान्वयन, नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यों का निरीक्षण तथा कार्य की गुणवत्ता को कायम रखने हेतु जिला योजना कार्यालय को सुदृढ़ करना आवश्यक है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007—12) के लिए उद्व्यय— 500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007—08) के लिए उद्व्यय— 40.00 लाख रू0}

18. **राज्य स्तर पर विभाग में पुस्तकालयः**— राज्य स्तर पर विभाग में पुस्तकों, पत्रिकाओं, अद्यतन डेटाबेस सॉफ्टवेयर एवं दुर्लभ पांडुलिपियों के संधारण के लिए एक पुस्तकालय की आवश्यकता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007—12) के लिए उद्व्यय— 1500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007—08) के लिए उद्व्यय— 100.00 लाख रू0}

19. **प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं संगोष्ठियांः**— किसी संगठन के सहज एवं कुशल संचालन के लिए क्षमता—निर्माण प्राथमिक आवश्यकता है । योजना—अवधि में इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निम्नांकित उद्व्यय प्रस्तावित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007—12) के लिए उद्व्यय— 500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007—08) के लिए उद्व्यय— 100.00 लाख रू0}

20. **मुख्यमंत्री जिला विकास योजनाः**– जिन 17 जिलों को राष्ट्रीय सम विकास योजना में नहीं रखा गया है, उन्हें मुख्यमंत्री जिला विकास योजना में सम्मिलित किया गया है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 42115.06 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 16209.00 लाख रू0}

21. **क्रांतिक अंतरालों (क्रिटिकल गैप्स) को भरने हेतु अनाबद्ध निधिः**–विभिन्न विभागों की योजनाओं में क्रांतिक अंतरालों को भरने हेतु अनाबद्ध निधि की आवश्यकता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 207309.37 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 40425.87 लाख रू0}

22. **सांख्यिकी एवं सूत्रकांकों को तैयार करने हेतु पेशेवरों एवं सलाहकारों को अनुबंधित करनाः**– विभिन्न सांख्यिकी सूत्रकांकों की तैयारी के लिए पेशेवरों एवं सलाहकारों को अनुबंध के आधार पर रखने की आवश्यकता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 500.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 100.00 लाख रू0}

23. **केन्द्र प्रायोजित योजनाएँः**– बी0ए0डी0पी0– सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शत–प्रतिशत केन्द्रीय निधि क्षेत्र कार्यक्रम है । इस कार्यक्रम के अधीन प्राप्त निधि अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता है । योजना विभाग चुने हुए सीमावर्त्ती जिलों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का समन्वयन करता है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 4308.82 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 1310.00 लाख रू0}

24. **पिछड़े जिलों के लिए पहल(राष्ट्रीय सम विकास योजना)ः**– योजना आयोग के मार्गदर्शन के आलोक में राज्य के 21 जिले इस योजना के अधीन पूर्व से ही आच्छादित है ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 36750.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 34026.00 लाख रू0}

सांख्यिकी एवं मूल्यांकनः– राज्य योजना

25. **केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (टी0आर0एस0 और आई0सी0एस0)**:– समय पर विश्वसनीय कृषि सांख्यिकी प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित द्रुत सर्वेक्षण योजना (टी0आरएस0) तथा फसल सांख्यिकी सुधार (आई0सी0एस0) योजनाएँ है । इन योजनाओं पर आनेवाली लागत को राज्य एवं केन्द्र द्वारा समान रूप से वहन किया जाता है, जिनमें मूल रूप पर ग्यारहवीं योजना में होने वाला राज्यांश कर्णांकित है।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 458.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 62.00 लाख रू0}

26. **स्थापना के अंतर्गत 11 जिलों एवं दो प्रमंडल इकायों को चालू रखना** :– राज्य सरकार द्वारा प्रशासकीय महत्व को ध्यान में रखकर 11 जिलों एवं 2 प्रमंडलों में सांख्यिकी इकाइयों की स्थापना की गई है । ग्यारहवीं योजना में ये सभी इकाइयाँ कार्यरत रहेंगी ।

{ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय– 570.00 लाख रू0}
{वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय– 65.00 लाख रू0}

27. **मूल्यांकन इकाई का सृजन और सुदृढ़ीकरण**:– राज्य सरकार प्रतिवर्ष योजना और गैर–योजना शीर्षों के अधीन कई विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं पर 20,000 करोड रू0 (200 विलियन रू0) से अधिक राशि व्यय करती है । इस हेतु यह अनिवार्य है कि इन योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य को प्रभावशाली रूप से निरंतर जारी रखा जाय ताकि योजना के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सके । सांख्यिकी और मूल्यांकन निदेशालय संबद्ध विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर तथा विषय–वस्तु विशेषज्ञों की सक्रिय भागीदारी से विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कार्य में नोडल भूमिका अदा करता है । इन सेवाओं के लिए उद्व्यय निम्नप्रकार प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 2911.01 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 5.00 लाख रू0)

28. **केन्द्रीय पंजीकरण योजना का (सी0 आर0 एस0) सुदृढ़ीकरण**:–ग्यारहवीं योजना में केन्द्रीय पंजीकरण योजना को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 160.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 22.00 लाख रू0)

29. **प्रशिक्षण** : इस योजना के अंतर्गत निदेशालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, बिहार एवं अन्यत्र तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 280.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 15.00 लाख रू0)

30. **कम्प्यूटरीकरण का उन्नयनः** सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के लिए यह योजना आवश्यक है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 150.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 10.00 लाख रू0)

31. **पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रतिवेदनों का मुद्रण और ऑकड़ों का अंकण :** निदेशालय में कृषि, अन्य प्रक्षेत्रों और जीवनांक सांख्यिकी के महत्वपूर्ण ऑकड़ों के संग्रह हेतु विशेष प्रकार के प्रपत्र है । इसके अतिरिक्त यह विभिन्न प्रकार के प्रतिवेदनों का भी प्रकाशन करता है । निदेशालय के पास उपलब्ध ऐतिहासिक ऑकड़ों को सी0डी0 में सुरक्षित रखने एवं अंकण करने का प्रस्ताव है । योजना एवं विकास विभाग द्वारा बिहार मानव विकास प्रतिवेदन के प्रकाशन में निदेशालय द्वारा भी समन्वय करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अधीन बुनियादी ऑकड़ों के संग्रह कार्य का विस्तार संगत पुस्तकों के माध्यम से (पुस्तकालय का सुदृढ़ीकरण) करने का भी प्रस्ताव है । सरकारी मुद्रणालय से प्रपत्रों की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में समय पर नहीं होने के कारण कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है । इस येाजना के अंतर्गत बाहरी साधनों से प्रपत्रों के मुद्रण का प्रावधान है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 200.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 15.00 लाख रू0)

32. **जिला सांख्यिकी कार्यालय के लिए भवन** : छः जिला सांख्यिकी कार्यालयों को अपना भवन है परंतु वे जीर्ण–शीर्ण दशा में है । इस येाजना के अंतर्गत उनकी मरम्मती का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का उद्व्यय — 670.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007—08) का उद्व्यय — 150.00 लाख रू0)

33. **क्षेत्र एवं मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु भाड़े पर वाहनों की व्यवस्थाः** इस योजना के अंतर्गत जिन क्षेत्रीय एवं मुख्यालय के कार्यालयों के पास अपना वाहन उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने का प्रावधान है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का उद्व्यय — 250.00लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007—08) का उद्व्यय — 50.00 लाख रू0)

34. **क्षेत्रीय पर्यवेक्षण हेतु नये वाहनेां का कय** : इस योजना के अंतर्गत नये वाहनों का कय कर पुराने वाहनों को बदल दिया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का उद्व्यय — 25.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007—08) का उद्व्यय — 25.00 लाख रू0)

35. **नव सृजित प्रखंडों में पदों का सृजन** : सांख्यिकी एवं मूल्यांकन निदेशालय के अधीन प्रखंड स्तर पर कार्यकर्त्ता है । नव सृजित प्रखंडों में प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक का पद सृजित किया जाएगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का उद्व्यय — 200.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007—08) का उद्व्यय — 50.00 लाख रू0)

36. **चिकित्सा महाविद्यालयों एवं नगर निगमों में केन्द्रीय पंजीकरण योजना के कम्प्यूटीकरण** : चिकित्सा महाविद्यालयों एवं नगर निगमों में केन्द्रीय पंजीकरण योजना के कम्प्यूटीकरण का प्रस्ताव है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007—12) का उद्व्यय — 30.00 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007—08) का उद्व्यय — 05.00 लाख रू0)

योजना एवं विकास तथा सांख्यिकी

दसवीं योजना के अंतर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	775.00	601.00	327.40
2003–04	1726.75	2085.00	1660.95
2004–05	13490.70	13362.70	13293.54
2005–06	56838.12	31265.02	39645.97
2006–07	50953.00	41110.97	40304.75
योग	**123783.60**	**88424.69**	**95232.61**

ग्यारहवीं योजना के वित्तीय लक्ष्य

ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 93494.87 लाख रू0
वार्षिक योजना (2007–08) – 310681.56 लाख रू0

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में वृद्धि हेतु अगले वर्ष की वार्षिक योजना एवं ग्यारहवीं योजना का सूत्रीकरण।
- विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक विकास हेतु अगले वर्ष की वार्षिक योजना और ग्यारहवीं योजना के साथ सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधि का आवंटन ।
- जिला स्तरीय योजनाओं के लिए निधि का आवंटन ।
- पॉचवी आर्थिक–गणना के आधार पर राज्य व्यवसाय पंजी तैयार करना ।
- राज्य में जन्म–मृत्यु का कम से कम 60 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु जन्म–मृत्यु अधिनियम का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करना ।
- फसल बीमा योजना के लिए ससमय ऑकड़े उपलब्ध कराना ।
- प्रथम बार ग्यारहवीं योजना के लिए दृष्टिपत्र का प्रकाशन ।

15.12 राजस्व एवं भूमि सुधार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग राज्य में भूमि राजस्व प्रशासन के लिए नोडल विभाग है । भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं जोतों की चकबन्दी विभाग के कार्य प्राथमिकता के क्षेत्र हैं ।

2. राजस्व एवं भूमि सुधार भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण करते हुए इसके रख–रखाव एवं निचले स्तर तक राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण से संबंधित है । इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पुनरीक्षण सर्वे कार्यक्रम एवं जोतों की चकबंदी कार्यक्रम को वृहत रूप से प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ताकि इन दोनों तरीकों के माध्यम से भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण होता रहे । इनके लिए इन दोनों कार्यक्रमों को विस्तृत रूप से चलाने एवं एक समय सीमा के अंदर पूरा करने की प्रक्रिया अपनायी जायेगी । इस प्रयास का मुख्य संबल स्थायी वेतनमान में कार्यरत एवं बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त मानव संसाधन बल है ।

राजस्व प्रशासन के अंतिम पायदान पर राजस्व हल्का है, अतः इन्हें भवन एवं उपस्कर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ताकि निचले तबके के राजस्व कर्मियों में अपनापन का भाव पनपे तथा अपनी भूमिका एवं दायित्व के प्रति उन्हें गर्व हो । इससे कार्यस्थल से उनकी अनुपस्थिति की शिकायत भी दूर होगी । साथ ही गृहविहीनता एवं सम्पर्क सड़क विहीनता की समस्या को दूर करने हेतु गृह स्थल एवं वैसे ग्रामों/टोलों, जिनकी जनसंख्या 500 तक है, को सम्पर्क सड़क उलब्ध कराने हेतु भूमि अर्जन का भी प्रस्ताव है । परिसदन भ्रमण पर निकले हुए पदाधिकारियों के रात्रि विश्राम के लिए मात्र एक स्थान है । खासकर वैसे शहरी क्षेत्रों में, जहॉ रूकने के लिए अच्छी सुविधा यथा, होटल नहीं है, परिसदन का निर्माण किया जाना आवश्यक है । वास्तव में कुछ जिलों में वर्तमान में परिसदन है ही नहीं । अतः जिन जिलों में परिसदन नहीं है वहॉ इसका निर्माण एवं अन्य जिलों के परिसदनों का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है । इस संबंध में भौतिक एवं वित्तीय उद्व्यय को बाद के परिच्छेदों में अंकित किया जा रहा है।

11वीं पंचवर्षीय येाजना के लिए रणनीति

3. **भू–अभिलेखों का अद्यतीकरणः** 11वीं पंचवर्षीय येाजना अंतर्गत सारण जिला, पटना जिला के गंगा दियारा क्षेत्र में अवस्थित चार ग्रामों एवं पटना शहरी क्षेत्र में सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाना है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 3602.08लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 960.00 लाख रू0)

4. **जोतों की चकबंदीः** राज्य के पॉच जिलों में जोतों की चकबंदी का कार्य वृहत पैमाने पर प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 4625.00लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 625.00 लाख रू0)

5. **परिसदनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धारः** 11 वीं पंचवर्षीय येाजना में 42.90 लाख रू0 प्रति परिसदन की दर से 300.30 लाख रू0 की लागत पर सात परिसदनों का निर्माण एवं 325.99 लाख रू0 की लागत पर पुराने परिसदनों का जीर्णोद्धार प्रस्तावित है, कुल व्यय 626.29 लाख रू0 होगा । वित्तीय वर्ष 2007–08 में 128.70 लाख रू0 के अनुमानित लागत पर तीन परिसदनों का निर्माण प्रस्तावित है एवं 150.00 लाख रू0 की राशि में से बची राशि का उपयोग वर्त्तमान परिसदनों के जीर्णोद्धार पर किया जायेगा ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 626.29 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 150.00 लाख रू0)

6. **गृह स्थल एवं सम्पर्क सड़क हेतु जमीन का कय**

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 1031.00लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 231.00 लाख रू0)

7. **नक्शों का डिजिटाइजेशन एवं मुद्रणः** वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में कमशः भोजपुर, बक्सर, रोहतास एवं कैमूर जिलों के सर्वे नक्शों के डिजिटाइजेशन के लिए 205.00 लाख रू0 तथा गुलजारबाग प्रिन्टिंग प्रेस में नया रंगीन नक्शा मुद्रण मशीन

अधिष्ठापित करने हेतु 205.00 लाख रू0 प्रस्तावित है । तदनुसार इन दोनों उद्श्यों के प्राप्ति हेतु 11वीं पंचवर्षीय येाजना में 575.00 लाख रू0 की राशि प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 575.00लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 370.00 लाख रू0)

8. **हल्का कचहरी का निर्माण एवं रख–रखाव** : 11वीं पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2008–09 से प्रारंभ कर चार वर्षो की अवधि में 800 हल्का कचहरी का निर्माण प्रस्तावित है । इसके लिए प्रति कचहरी निर्माण हेतु रू0 4.50 लाख की दर से 3600.00 लाख रू0 एवं उपस्कर व्यवस्था के लिए प्रति कचहरी 15000/–(पन्द्रह हजार रू0) मात्र की दर से 120.00 लाख रू0 की राशि प्रस्तावित है ।

(ग्यारहवीं योजना (2007–12) का उद्व्यय – 4284.41 लाख रू0)
(वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय – 0.00 लाख रू0)

9. **राष्ट्रीय भू–संसाधन एवं प्रबंधन कार्यकम**

भू–प्रबंधन कार्यक्रम राजस्व प्रशासन का मानक स्वरूप है जिसके अन्तर्गत पारदर्शिता के आधार पर भू–अभिलेखो का संधारण तथा अद्यतीकरण की कार्रवाई की जाती है। इसके द्वारा विभिन्न भूखण्डों के साथ संबंधित रैयत के स्वामित्व का वैधानिक स्वरूप निर्धारित किया जाता है। इसी क्रम में राजस्व प्रशासन के सुदृढ़ीकरण, भू–अभिलेखों के अद्यतिकरण एवं कम्प्युटरीकरण, मानचित्रों के डिजिटाईजेशन तथा समेकित एवं नेटवर्क्ड भू–प्रबंधन व्यवस्था के लिए 40976.66 लाख रूपये की लागत से तैयार किए गए राष्ट्रीय भू–संसाधन एवं प्रबंधन कार्यक्रम योजना का परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को उपलब्ध करा दिया गया है। इस परियोजना प्रतिवेदन में शामिल किए गए योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक पाँच वर्षो में पूरा करने का लक्ष्य है। वर्षवार व्यय का ब्योरा एवं भौतिक उपलब्धि का लक्ष्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है :–

वर्ष	व्यय हेतु कर्णांकित राशि	अभ्युक्ति
2007–08 से 2008–09	**5336.72**	6+1 पायलट जिला
2009–10	**15323.18**	12 जिला
2010–11	**9872.18**	12 जिला
2011–12	**7593.02**	07 जिला
2012–13	**2851.56**	योजना को चालू रखने हेतु
योग	**40976.66**	**38 जिला**

वर्त्तमान में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले केन्द्रीय अनुदान/अंशदान की प्रक्रिया एवं परिमाण के संबंध में निर्णय प्रतीक्षित है। वर्णित परिस्थिति में राज्य योजना मद से राशि प्राप्त करने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु योजना प्राधिकृत समिति के समक्ष प्रस्ताव विचारार्थ उपस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। विभागीय परियोजना प्रतिवेदन पर भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने तथा केन्द्रीय अनुदान/अंशदान का निर्धारण होने की स्थिति में राज्य योजना मद से आवश्यकतानुसार शेष राशि प्राप्त की जाएगी ।

राजस्व एवं भूमि सुधार

दसवीं योजना के अन्तर्गत वित्तीय उपलब्धि

(लाख रू0 में)

वर्ष	मूल उद्व्यय	संशोधित उद्व्यय	वास्तविक व्यय
2002–03	2932.00	2932.00	1391.78
2003–04	1993.28	1796.98	1710.31
2004–05	2533.76	3033.76	2454.21
2005–06	1763.04	1763.04	1528.68
2006–07	1836.00	1836.00	1735.44
योग	**11058.08**	**11361.78**	**8820.42**

ग्यारहवीं योजना के लिए वित्तीय लक्ष्य

वार्षिक योजना (2007–08) – 2336.00 लाख रूपये
ग्यारहवीं योजना (2007–12) – 14743.78 लाख रूपये

प्रमुख नीतिगत पहल/मील के पत्थर

- पुनरीक्षण सर्वे कार्यक्रम एवं जोतों की चकबन्दी कार्यक्रम के वृहद रूप से प्रारंभ करने का प्रस्ताव है ताकि इन दोनों तरीकों के माध्यम से भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण होता रहे ।
- राजस्व प्रशासन के अंतिम पायदान पर राजस्व हल्का है, अतः इन्हें भवन एव उपस्कर उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ताकि निचले तबके के राजस्व कर्मियों में अपनापन का भाव पनपे तथा अपनी भूमिका एवं दायित्व के प्रति उन्हें गर्व हो।
- गृहविहीनता एवं सम्पर्क सड़क विहीनता की समस्या को दूर करने हेतु गृह स्थल एवं वैसे ग्रामों/टोलों, जिनकी जनसंख्या 500 तक है, को सम्पर्क सड़क उपलब्ध कराने हेतु भूमि अर्जन का भी प्रस्ताव है ।

परिशिष्ट 15.1

लोक निर्माण (भवन)

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

योजना का विवरण	ग्यारहवीं योजना (2007–12)का उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) का उद्व्यय
(1) राज्य योजना		
1– कार्यालय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	5693.55	700.00
(2) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्यांश		
2– पदाधिकारी आवास, जिला न्यायाधीश आवास तथा न्यायालय के कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन तथा न्यायालय भवन का निर्माण (50:50)	1380.62	566.22
कुल	**7074.17**	**1266.22**

परिशिष्ट – 15.2

विधि

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

योजना का विवरण	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
राज्य योजना		
1–न्यायिक प्रशासन (त्वरित न्यायालय	5178.32	1371.00
2– न्यायिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	1000.00	48.00
3– प्रशिक्षण संस्थान के लिए भवन	324.00	52.00
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राज्य का हिस्सा		
4– परिवार न्यायालय की स्थापना (50:50)	3000.00	230.00
कुल	**9502.32**	**1701.00**

परिशिष्ट– 15.3

निबंधन

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

योजना	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–2008) के लिए उद्व्यय
राज्य योजना		
1–निबंधन कार्यालय भवन का निर्माण	759.81	136.00
कुल	**759.81**	**136.00**

परिशिष्ट–15.4

वित्त

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

योजना	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	ग्यारहवीं योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
राज्य योजना		
1– सचिवालय खेल क्लब	446.80	300.00
3– बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना ई0 ए0 पी0	7908.00	7908.00
2– बारहवीं वित्त आयोग (टी0 एफ0 सी0)	6862.92	1000.00
4– बिहार लोक व्यय प्रबंधन क्षमता निर्माण	12.00	12.00
कुल	**15229.72**	**9220.00**

परिशिष्ट– 15.5

गृह

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं पुलिस लाईन के विकास हेतु आधार–भूत संरचना	19862.46	2450.00
2	बिहार अग्नि शमन सेवा	4136.66	1000.00
3	कारागार	2209.38	559.80
4	सीमावर्त्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम	250.00	250.00
	कुल	**26458.50**	**4259.80**

परिशिष्ट– **15.6**

सूचना तथा प्रचार

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रुपये में)

क्रं 0	*योजना का नाम*	ग्यारहवी पंचवर्षीय 2007–12 के लिए उद्व्यय	**वार्षिक योजना 2007–08 के लिए उद्व्यय**
1	**2**	**3**	**4**
1	ऑडिटोरियम का निर्माण/ प्रमंडल एवं जिला स्तरीय सूचना भवन का निर्माण	1305.62	104.00
2	सूचना भवन, सूचना केन्द्र तथा क्षेत्रीय कार्यालयों का उन्नयन एवं सशक्तिकरण	136.00	36.00
3	विकास एवं निवेश के लिए वातावरण निर्माण (आउटडोर पब्लिसिटी, फिल्म का निर्माण एवं प्रदर्शन, प्रकाशन, विशेष प्रचार अभियान, सजावटी विज्ञापन, प्रेस संबंधित कार्यक्रम, प्रदर्शनी, रोड शो, गीत एवं नाट्य, मास मीडिया एवं वैसे सभी कार्यक्रम, जिससे निवेश एवं विकास का वातावरण बनाया जा सके)	374.00	120.00
4	वाहनों का क्रय	100.00	20.00
5	उपकरणों का क्रय एवं रख–रखाव तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का मॉनिटरिंग	75.00	15.00
6	सूचना भवन में सुरक्षा एवं सफाई का कार्यक्रम	50.00	09.00
7	आकस्मिकता	15.00	3.62
8	कमजोर वर्गों के बीच होर्डिंग, फिल्म, लोकगीत एवं नृत्य, प्रदर्शनी एवं अन्य उचित माध्यमों से प्रचार– प्रसार	290.00	57.38
कुल		**2345.62**	**365.00**

परिशिष्ट– 15.7

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्र0	योजना का नाम	11वीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	2	3	4
	राज्य योजना		
1	जिला पुनर्गठन	12687.75	1450.00
2	12वॉ वित्त आयोग (ए.टी.आई.)	1000.00	1000.00
	कुल	**13687.75**	**2450.00**

परिशिष्ट–15.8

उत्पाद एवं मद्य निषेध

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क0	योजना	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	पॉच जिलों में बैरेक, हाजत एवं मालखाना का निर्माण	300.00	70.00
2	कुम्हरार, पटना में भवन निर्माण	26.00	0.00
3	300 मोबाईल सेट का क्रय	18.00	10.00
4	सचिवालय स्थित कार्यालय का उन्नयन	25.00	10.00
5	छापामारी एवं निरीक्षण हेतु भाड़े का वाहन का प्रबंध	36.00	10.00
6	उत्पाद उपायुक्त एवं जिला उत्पाद पदाधिकारियों के लिए भवन का निर्माण	153.85	00.00
	योग	**556.85**	**100.00**

परिशिष्ट–15.9

वाणिज्य–कर

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क्रं0	योजना	11वीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	कार्यालय भवनों का निर्माण (चालू योजना)	700.00	246.00
2	जाँच–चौकी हेतु भू–अर्जन	1374.96	1.00
3	अभिलेखागार का निर्माण	160.00	80.00
4	वैट कम्प्यूटराईजेशन	20.00	10.00
कुल		**2254.96**	**337.00**

परिशिष्ट– 15.10

राजभाषा

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रू0 में)

क0	योजना	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
	राज्य योजना		
1	हिन्दी श्री सम्मान एवं पुरस्कार योजना	38.50	9.00
2	हिन्दी पांडुलिपि के प्रकाशन हेतु अनुदान	14.50	2.00
3	उर्दू श्री सम्मान और पुरस्कार योजना	15.10	3.00
4	उर्दू पांडुलिपि के प्रकाशन हेतु अनुदान	9.50	1.00
5	हिन्दी/उर्दू पुरस्कार वितरण व्यय	19.00	3.00
6	अखिल भारतीय हिन्दी संगोष्ठी/कवि गोष्ठी	17.00	3.00
7	हिन्दी और उर्दू के प्रसिद्ध लेखकों की वार्षिक जयंती एवं पुण्यतिथि समारोह	7.00	1.00
8	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बीच राजभाषा का प्रचार	32.00	3.00
9	उर्दू साहित्य के विकास के लिए संगोष्ठी	11.00	2.00
10	साहित्यिक व्यय और हिन्दी/ उर्दू पुस्तकों का क्रय	25.47	2.00
11	कम्प्यूटर ऑपरेटरों के लिए मानदेय तथा कम्प्यूटर अनुरक्षण	9.50	1.50
12	फोटो कॉपियर तथा अन्य उपकरणों का क्रय	2.00	2.00
13	महत्वपूर्ण पुस्तकों, 'राजभाषा' पत्रिका तथा राजभाषा विभाग द्वारा अन्य साहित्यिक पुस्तकों का मुद्रण एवं प्रकाशन	16.00	1.50
14	ख्यात प्राप्त उर्दू साहित्यकारों की वार्षिक जयंती एवं पुण्यतिथि समारोह	4.00	1.00
	योग	**220.57**	**35.00**

परिशिष्ट– 15.11

योजना एवं विकास तथा सांख्यिकी

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(रू0 लाख में)

क्र0	स्कीम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
	योजना तंत्र		
	राज्य योजना		
1	राज्य, प्रमंडल, जिला और प्रखंड स्तर पर योजना तंत्र का सुदृढ़ीकरण	7797.30	450.00
2	कम्प्यूटरीकरण क्षमता निर्माण और सूचना प्रबंधन प्रणाली आधारित योजना का अनुश्रवण	500.00	60.00
3	मुख्यालय में योजना भवन का निर्माण	2000.00	100.00
4	जिला स्तर पर योजना भवन का निर्माण	1000.00	100.00
5	जिला योजना कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	500.00	40.00
6	राज्य स्तर पर विभाग में पुस्तकालय	1500.00	100.00
7	प्रशिक्षण, कार्यशाला एवं संगोष्टियों	500.00	100.00
8	मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	42115.06	16209.00
9	संकटग्रस्त खाइयों को भरने हेतु स्वतंत्र निधि	207309.37	40425.87
10	सांख्यिकी एवं सूत्रकांकों को तैयार करने हेतु पेशेवरों एवं सलाहकारों को अनुबंधित करना	500.00	100.00

	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
11	बी0 ए0 डी0 पी0	4308.82	1310.00
	राष्ट्रीय सम विकास योजना		
12	पिछड़े जिलों के लिए पहल	36750.00	34026.00
	सांख्यिकी एवं मूल्यांकन		
	राज्य योजना		
13	केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ (टी0आर0एस0और आई0सी0एस0)	458.00	62.00
	राज्य योजना स्कीम		
14	प्रमंडल एवं जिलों की इकाईयों को चालू रखना	570.00	65.00
15	मूल्यांकन इकाई का सृजन और सुदृढ़ीकरण	2911.00	5.00
16	केन्द्रीय पंजीकरण योजना का सुदृढ़ीकरण	160.00	22.00
17	प्रशिक्षण	280.00	15.00
18	कम्प्यूटरीकरण का उन्नयन	150.00	10.00
19	पुस्तकों, प्रपत्रों तथा प्रतिवेदनों का मुद्रण और ऑकड़ों का अंकण	200.00	15.00
20	जिला सांख्यिकी कार्यालय के लिए भवन	670.00	150.00
21	क्षेत्र एवं मुख्यालय स्तर पर पर्यवेक्षण हेतु भाड़े पर वाहन	250.00	50.00
22	क्षेत्रीय पर्यवेक्षण हेतु नये वाहनों का क्रय	25.00	25.00
23	नव सृजित प्रखंडों में पदों का सृजन	200.00	50.00
24	चिकित्सा महाविद्यालयों एवं नगर निगमों में केन्द्रीय पंजीकरण योजना के कम्प्यूटीकरण	30.00	5.00
	योग	**310681.56**	**93494.87**

परिशिष्ट–15.12

राजस्व एवं भूमि सुधार

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना (2007–08)

सार एक झलक में

(लाख रु0 में)

क0	योजना का नाम	ग्यारहवीं योजना (2007–12) के लिए उद्व्यय	वार्षिक योजना (2007–08) के लिए उद्व्यय
1	भू–अभिलेखों का अद्यतीकरण एवं सर्वे	3602.08	960.00
2	जोतों की चकबंदी	4625.00	625.00
3	परिसदनों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार	626.29	150.00
4	गृह स्थल एवं सम्पर्क सड़क के लिए भूमि का क्रय	1031.00	231.00
5	सर्वे नक्शों का डिजिटाइजेशन एवं मुद्रण	575.00	370.00
6	हल्का कचहरी भवन का निर्माण	4284.41	0.00
	योग	**14743.78**	**2336.00**

जी0एन0 विवरणी– 'ए,'

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय

(रू0 लाख में)

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम							
1	फसल उत्पादन	15051.36	1494.18	7113.50	5582.24	12839.16	64091.79	10682.25
	क. कृषि उत्पादन	11371.65	1379.33	6200.00	4850.25	11755.62	58099.46	9759.00
	ख. गन्ना विकास	3679.71	114.85	913.50	731.99	1083.54	5992.33	923.25
2	उद्यान विकास	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00
3	भूमि एवं जल संरक्षण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	पशुपालन	3308.34	198.88	225.88	221.95	955.17	3256.66	439.00
5	गव्य विकास	708.33	81.53	5207.00	5203.85	5457.47	27071.24	3207.00
6	मत्स्य	1895.26	160.17	152.00	109.42	658.92	2370.75	400.00
7	वृक्षा रोपन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1039.80	0.00
9	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	3000.00	664.18	3982.48	4689.52	7388.48	17572.65	1700.00
10	कृषि वित्तीय संस्थान	4244.46	80.00	300.00	300.00	380.00	0.00	0.00
11	सहकारिता	20889.12	10090.05	8279.00	8279.00	29800.13	54368.11	8779.00

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
12	अन्य कृषि कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	क. कृषि विपण्न		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग–1	**49096.87**	**12768.99**	**25459.86**	**24585.98**	**59679.33**	**169771.00**	**25207.25**
	2. ग्रामीण विकास							
1	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम							
	क. सुखाड़ोंन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम	1166.67	199.65	220.00	219.94	786.75	1559.71	220.00
	ख. मरूभूमि विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ग. समेकित जल छाजन विकास कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	घ. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण–प्रशासन	0.00	434.17	635.25	400.21	1473.53	5199.02	935.00
2	ग्रामीण विकास							
	क. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	12532.50	5546.40	3590.00	3600.00	13379.14	192363.91	6725.00
	ख. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	71083.33	30372.83	11800.00	11799.15	80849.65	242274.55	9100.00
	ग. राष्ट्रीय सुनिश्चित रोजगार योजना	0.00	0.00	6908.18	7908.00	7908.00		12000.00
	घ. राज्य सुनिश्चित रोजगार योजना			15000.73	14000.00	14000.00		20000.00
3	भूमि सुधार	17973.83	1528.68	1836.00	1735.44	8789.02	14743.78	2336.00
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम							
	क. सामुदायिक विकास	38519.37	9304.68	8722.00	8508.58	35825.16	78505.27	11124.50

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	ख. पंचायत	47750.80	55.99	252.00	114.32	28553.76	76064.42	242.00
	ग. विधायक / पार्षद योजना	133333.33	28484.39	33500.00	33721.86	170674.96	174167.33	33500.00
	योग–2	**322359.83**	**75926.79**	**82464.16**	**82007.50**	**362239.97**	**784877.99**	**96182.50**
	3. विशेष क्षेत्र कार्यकम							
1	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यकम							
	क. सीमा क्षेत्र विकास कार्यकम	4069.00	404.73	2806.00	2803.41	5604.47	12500.57	3302.00
	ख. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि		32250.00	29250.00	28500.00	0.00	66750.00	64026.00
	ग. धारा 275(1) के अंतर्गत अनुदान		1068.45	252.00	252.00		723.88	229.00
	घ. अनु0 जनजाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता			550.00	550.00		1579.90	500.00
	योग–3	**4069.00**	**33723.18**	**32858.00**	**32105.41**	**5604.47**	**81554.35**	**68057.00**
	4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण							
1	वृहत एवं मध्यम सिंचाई	327319.03	41566.01	40931.50	42375.84	159724.56	362071.32	76485.50
2	लघु सिंचाई	68177.70	25634.25	7600.00	7620.35	82510.97	240457.23	19883.00
3	कमांड क्षेत्र विकास	15005.23	2600.00	3594.00	3160.73	10583.00	59720.07	5500.00
5	बाढ़ नियंत्रण	191184.84	11014.77	15851.00	11156.01	47436.68	125366.39	31680.00
	योग–4	**601686.80**	**80815.03**	**67976.50**	**64312.93**	**300255.21**	**787615.01**	**133548.50**

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	5. उर्जा							
1	उर्जा	271958.00	49953.00	48540.35	55726.38	200958.61	471367.99	83288.38
	क. बिहार राज्य विधुत पर्षद	251387.17	49107.76	42711.50	49675.78	190922.77	446927.18	79504.38
	ख. बिहार राज्य जल विधुत निगम	20570.83	845.24	5828.85	6050.60	10035.84	24440.81	3784.00
2	उर्जा के अपरम्परागत श्रोत	1585.98	80.85	386.50	173.75	630.78	416.01	105.00
3	समेकित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम			0.00				
	योग–5	**273543.98**	**50033.85**	**48926.85**	**55900.13**	**201589.39**	**471784.00**	**83393.38**
	6. उद्योग एवं खनिज							
1	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	6123.54	1018.33	2190.50	4634.16	8057.14	21759.27	3191.00
2	अन्य उद्योग(ग्रामीण एवं लघु उद्योग से भिन्न)	17871.25	953.27	52858.48	50414.70	53071.97	176483.73	29709.00
3	खनिज	155.83	0.00	0.00	0.00	40.64	0.00	0.00
	योग–6	**24150.62**	**1971.60**	**55048.98**	**55048.86**	**61169.75**	**198243.00**	**32900.00**
	7. यातायात							
1	लघु वन्दरगाह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	नागरिक विमानन	3253.52	1456.96	200.00	200.00	1932.67	1703.31	1100.00
3	पथ एवं पुल	116098.36	33204.11	256023.07	248865.41	308719.80	1470151.05	248302.50
	क. पथ निर्माण विभाग	60055.65	24606.69	166334.00	156389.86	204082.43	935055.31	164771.50

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	ख. ग्रामीण पथ	46396.05	4741.14	87810.00	90715.51	98854.72	504145.49	82531.00
	ग. शहरी पथ	9646.66	3856.28	1879.07	1760.04	5782.65	30950.25	1000.00
4	पथ परिवहन	10960.43	39.63	118.91	118.53	373.57	771.64	120.00
	क. पथ परिवहन निगम	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	ख. परिवहन विभाग	10960.43	39.63	118.91	118.53	173.57	771.64	120.00
5	अुंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	अन्य परिवहन सेवाएँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	योग–7	**130312.31**	**34700.70**	**256341.98**	**249183.94**	**311026.04**	**1472626.00**	**249522.50**
	8. विज्ञान प्रावैधिकी एवं पर्यावरण							
1	वैज्ञानिक शोध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	सूचना प्रावैधिकी एवं ई–गवर्नेनस							
	क. ई–गवर्नेन्स (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)	0.00	1504.00	595.00	200.61	1704.61	4076.58	3758.00
	ख. ई–गवर्नेन्स (ब्रेन–वित्त विभाग)	0.00	0.00	1000.00	1000.00	1000.00	6862.92	1000.00
	ग. कोषागार– कम्प्यूटराईजेसन(वित्त विभाग)	282.00	0.00	0.00	0.00	719.44	0.00	0.00
	घ. वाणिज्यकर– कम्प्यूटराईजेसन	6507.02	500.00	487.00	486.71	1347.59	2254.96	337.00
3	पर्यावरण एवं पारिस्थिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
4	वानिकी एवं वन्य प्राणी	4513.79	1865.12	3014.00	2719.60	5743.86	17936.54	3014.00
	योग–8	**11302.81**	**3869.12**	**5096.00**	**4406.92**	**10515.50**	**31131.00**	**8109.00**
	9. सामान्य आर्थिक सेवाऍं							
1	सचिवालय आर्थिक सेवाऍं	1262.50	16.83	45.00	22.20	465.31	14297.30	1050.00
	क. योजना यंत्र	1262.50	16.83	45.00	22.20	465.31	14297.30	1050.00
2	पर्यटन	16267.60	742.67	1825.84	1823.34	3972.57	10114.26	2513.05
3	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	5796.96	222.04	193.97	160.55	587.71	5904.01	474.00
4	नागरिक आपूर्ति	7083.33	1131.00	0.00	0.00	6228.00	0.00	0.00
5	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाऍं	4878.21	6752.37	14670.00	43170.00	94938.23	249421.43	56634.87
	क. माप एवं तौल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ख. जिला योजना (अनाबद्ध राशि)	4878.21	0.00	0.00	28500.00	73515.86	207309.37	40425.87
	ग. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना		6752.37	10670.00	10670.00	17422.37	42112.06	16209.00
	घ. एकवारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता			4000.00	4000.00	4000.00	0.00	0.00
	योग–9	**35288.60**	**8864.91**	**16734.81**	**45176.09**	**106191.82**	**279737.00**	**60671.92**
	10. सामाजिक सेवाऍं							
1	सामान्य शिक्षा	188721.91	44980.61	74910.02	73700.27	205981.10	496961.87	29451.00
	क. प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा	172594.94	43548.04	60000.00	58673.74	184807.13	398954.86	20117.50

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	ख. माध्यमिक शिक्षा	10342.66	1297.56	9900.00	9394.91	14727.84	66193.87	4776.00
	ग. उच्च शिक्षा	3530.80	132.65	5000.00	5625.97	6423.71	31592.57	4522.50
	घ. राजभाषा	2253.51	2.36	10.02	5.65	22.42	220.57	35.00
2	प्रावैधिकी शिक्षा	15802.08	2543.90	2786.00	2674.93	9710.61	24905.30	2431.50
3	खेल एवं युवा सेवाएँ	4754.17	711.60	991.00	1032.15	2142.12	10134.78	1192.00
4	कला एवं संस्कृति	2864.21	201.65	1783.00	1570.80	2611.03	6563.05	1752.00
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	107919.70	15426.00	13822.00	17704.59	70594.59	87254.00	25836.93
	क. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार नियोजन	25021.00	2483.20	3500.00	3489.74	18186.00	22090.34	3500.00
	ख. जन स्वास्थ्य	82898.70	12942.80	10322.00	14214.85	52408.59	65163.66	22336.93
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	79590.61	20502.90	23546.00	20567.94	56805.54	158739.00	27657.85
	क. शहरी जलापूर्ति	31046.04	16181.89	10500.00	10936.10	31151.65	53232.88	7230.00
	ख. ग्रामीण जलापूर्ति	48544.57	4321.01	13046.00	9631.84	25653.89	105506.12	20427.85
7	आवास (आरक्षी आवास सहित)	95630.03	14632.58	45543.00	43104.25	120280.95	142928.01	38898.16
	क. आवास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	क. आरक्षी आधुनिकीकरण एवं आरक्षी थाना	3231.57	642.59	2862.00	1674.53	3923.12	19862.46	2450.00
	ख. अग्निशमन सेवाएँ	1108.21	339.99	1481.00	1002.81	2310.91	4136.66	1000.00
	ग. इंदिरा आवास योजना	44000.00	13650.00	41200.00	40426.91	90780.41	118928.89	35448.16

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	घ. इंदिरा आवास योजना(पी0एम0जी0वाई0)	47290.25	0.00	0.00	0.00	23266.51	0.00	0.00
8	नगर विकास	21107.84	1829.55	21002.02	20746.14	37480.29	366688.00	33667.50
9	सूचना एवं जनसंपर्क	3283.81	379.94	309.00	279.73	939.92	2345.62	365.00
10	अनु0 जाति/अनु0 जनजाति का विकास	22325.73	4996.43	12559.00	13078.85	27142.86	62355.28	9034.50
11	अन्य पिछड़े वर्गो का विकास						19281.34	3524.50
12	श्रम एवं नियोजन	33742.68	10974.12	36527.00	36438.89	65517.84	4234.65	778.40
13	सामाजिक सुरक्षा एवं समाजिक कल्याण	2953.15	130.79	1452.00	854.97	1741.75	124759.61	46932.00
14	पोषाहार	20267.25	21223.04	32179.85	31844.96	64480.52	240855.50	24214.59
	योग–10	**598963.17**	**138533.11**	**267409.89**	**263598.47**	**665429.12**	**1748006.01**	**245735.93**
	11. सामान्य सेवाएँ							
1	कारा	3647.73	7.70	710.00	454.96	1495.32	2209.38	559.80
2	लेखन सामग्री एवं प्रेस	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
	क. सरकारी मुद्राणालय	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00		0.00
3	लोक कार्य	16836.29	752.47	1250.00	1003.42	2930.14	7074.17	1266.22
	क. न्यायिक भवन	8417.96	316.57	600.00	342.86	1405.67	1380.62	566.22
	ख. भवन(पी0डब्लू0डी0)	8418.33	435.90	650.00	660.56	1524.47	5693.55	700.00
4	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	28741.99	4582.53	6810.37	6487.20	16365.22	45382.45	14846.00

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	10वीं योजना 2002–07 का निर्धारित उद्व्यय (2001–02 के मूल्य पर)	वार्षिक योजना 2005–06	वार्षिक योजना 2006–07		10वीं योजना 2002–07 का वास्तविक व्यय	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
			वास्तविक व्यय	पुनरीक्षित उद्व्यय	वास्तविक व्यय			
0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
	क. उत्पाद	0.00	0.00	86.79	88.29	88.29	556.85	100.00
	ख. बीस सूत्री कार्यक्रम	1002.27	8.89	0.00	0.00	112.35	0.00	0.00
	ग. जन शक्ति प्रशिक्षण	1029.12	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	घ. जिला पुर्नगठन	13970.88	2105.00	2300.86	2373.86	6232.72	13687.75	2450.00
	ड. अल्पसंख्यक कल्याण	7157.72	1253.72	2239.00	1964.85	4072.25	12508.92	2239.00
	च. विधि	5582.00	1001.64	1701.00	1641.40	5127.53	9502.32	1701.00
	छ. मंत्रिमंडल		17.89	0.50	0.00	17.89	0.00	0.00
	ज. निबंधन		95.39	122.22	121.87	217.26	759.81	136.00
	झ. सचिवालय स्पोर्टस कल्ब	0.00	100.00	300.00	236.93	336.93	1077.15	300.00
	ट. बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन योजना			60.00	60.00	60.00	7289.65	7920.00
	योग–11	**49226.01**	**5342.70**	**8770.37**	**7945.58**	**20830.68**	**54666.00**	**16672.02**
	कुल योग	**2100000.00**	**446549.98**	**867087.40**	**884271.81**	**2104531.28**	**6080011.36**	**1020000.00**

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय (राज्य बजट से)

(रू0 लाख में)

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
0	**1**	**2**	**3**
	1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम		
1	फसल उत्पादन	64091.79	10682.25
	क. कृषि उत्पादन	58099.46	9759.00
	ख. गन्ना विकास	5992.33	923.25
2	उद्यान विकास	0.00	0.00
3	भूमि एवं जल संरक्षण	0.00	0.00
4	पशुपालन	3256.66	439.00
5	गव्य विकास	27071.24	3207.00
6	मत्स्य	2370.75	400.00
7	वृक्षा रोपन	0.00	
8	खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	1039.80	0.00
9	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	17572.65	1700.00
10	कृषि वित्तीय संस्थान	0.00	0.00
11	सहकारिता	54368.11	8779.00
12	अन्य कृषि कार्यक्रम		0.00
	क. कृषि विपण्न	0.00	
	योग–1	**169771.00**	**25207.25**
	2. ग्रामीण विकास		
1	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम		
	क. सुखाड़ोंन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम	1559.71	220.00
	ख. मरूभूमि विकास कार्यक्रम	0.00	
	ग. समेकित जल छाजन विकास कार्यक्रम	0.00	
	घ. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण– प्रशासन	5199.02	935.00
2	ग्रामीण विकास		

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
0	**1**	**2**	**3**
	घ. राज्य सुनिश्चित रोजगार योजना		20000.00
3	भूमि सुधार	14743.78	2336.00
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		
	क. सामुदायिक विकास	78505.27	11124.50
	ख. पंचायत	76064.42	242.00
	ग. विधायक/पार्षद योजना	174167.33	33500.00
	योग–2	**784877.99**	**96182.50**
	3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		
1	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम		
	क. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	12500.57	3302.00
	ख. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	66750.00	64026.00
	ग. धारा 275(1) के अंतर्गत अनुदान	723.88	229.00
	घ. अनु0 जनजाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	1579.90	500.00
	योग–3	**81554.35**	**68057.00**
	4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण		
1	वृहत एवं मध्यम सिंचाई	362071.32	76485.50
2	लघु सिंचाई	240457.23	19883.00
3	कमांड क्षेत्र विकास	59720.07	5500.00
5	बाढ़ नियंत्रण	125366.39	31680.00
	योग–4	**787615.01**	**133548.50**
	5. उर्जा		
1	उर्जा	471367.99	83288.38
	क. बिहार राज्य विधुत पर्षद	446927.18	79504.38
	ख. बिहार राज्य जल विधुत निगम	24440.81	3784.00
2	उर्जा के अपरम्परागत श्रोत	416.01	105.00
3	समेकित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम		
	योग–5	**471784.00**	**83393.38**

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
0	**1**	**2**	**3**
3	खनिज	0.00	0.00
	योग–6	**198243.00**	**32900.00**
	7. यातायात		
1	लघु वन्दरगाह	0.00	
2	नागरिक विमानन	1703.31	1100.00
3	पथ एवं पुल	1470151.05	248302.50
	क. पथ निर्माण विभाग	935055.31	164771.50
	ख. ग्रामीण पथ	504145.49	82531.00
	ग. शहरी पथ	30950.25	1000.00
4	पथ परिवहन	771.64	120.00
	क. पथ परिवहन निगम	0.00	0.00
	ख. परिवहन विभाग	771.64	120.00
5	अुंतर्देशीय जल परिवहन	0.00	
6	अन्य परिवहन सेवाएँ	0.00	
	योग–7	**1472626.00**	**249522.50**
	8. विज्ञान प्रावैधिकी एवं पर्यावरण		
1	वैज्ञानिक शोध	0.00	
2	सूचना प्रावैधिकी एवं ई–गवर्नेनस		
	क. ई–गवर्नेन्स (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)	4076.58	3758.00
	ख. ई–गवर्नेन्स (ब्रेन–वित्त विभाग)	6862.92	1000.00
	ग. कोषागार– कम्प्यूटराईजेसन(वित्त विभाग)	0.00	0.00
	घ. वाणिज्यकर– कम्प्यूटराईजेसन	2254.96	337.00
3	पर्यावरण एवं पारिस्थिकी	0.00	
4	वानिकी एवं वन्य प्राणी	17936.54	3014.00
	योग–8	**31131.00**	**8109.00**
	9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ		
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ	14297.30	1050.00
	क. योजना यंत्र	14297.30	1050.00

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्‌व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्‌व्यय
0	**1**	**2**	**3**
5	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	249421.43	56634.87
	क. माप एवं तौल	0.00	
	ख. जिला योजना (अनाबद्ध राशि)	207309.37	40425.87
	ग. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	42112.06	16209.00
	घ. एकवारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	0.00	0.00
	योग–9	**279737.00**	**60671.92**
	10. सामाजिक सेवाएँ		
1	सामान्य शिक्षा	496961.87	29451.00
	क. प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा	398954.86	20117.50
	ख. माध्यमिक शिक्षा	66193.87	4776.00
	ग. उच्च शिक्षा	31592.57	4522.50
	घ. राजभाषा	220.57	35.00
2	प्रावैधिकी शिक्षा	24905.30	2431.50
3	खेल एवं युवा सेवाएँ	10134.78	1192.00
4	कला एवं संस्कृति	6563.05	1752.00
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	87254.00	25836.93
	क. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार नियोजन	22090.34	3500.00
	ख. जन स्वास्थ्य	65163.66	22336.93
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता	158739.00	27657.85
	क. शहरी जलापूर्ति	53232.88	7230.00
	ख. ग्रामीण जलापूर्ति	105506.12	20427.85
7	आवास (आरक्षी आवास सहित)	142928.01	38898.16
	क. आवास	0.00	0.00
	क. आरक्षी आधुनिकीकरण एवं आरक्षी थाना	19862.46	2450.00
	ख. अग्निशमन सेवाएँ	4136.66	1000.00
	ग. इंदिरा आवास योजना	118928.89	35448.16
	घ. इंदिरा आवास योजना(पी0एम0जी0वाई0)	0.00	0.00
8	नगर विकास	366688.00	33667.50

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	11वीं योजना 2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय
0	**1**	**2**	**3**
12	श्रम एवं नियोजन	4234.65	778.40
13	सामाजिक सुरक्षा एवं समाजिक कल्याण	124759.61	46932.00
14	पोषाहार	240855.50	24214.59
	योग–10	**1748006.01**	**245735.93**
	11. सामान्य सेवाएँ		
1	कारा	2209.38	559.80
2	लेखन सामग्री एवं प्रेस	0.00	0.00
	क. सरकारी मुद्राणालय		0.00
3	लोक कार्य	7074.17	1266.22
	क. न्यायिक भवन	1380.62	566.22
	ख. भवन(पी0डब्लू0डी0)	5693.55	700.00
4	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	45382.45	14846.00
	क. उत्पाद	556.85	100.00
	ख. बीस सूत्री कार्यक्रम	0.00	0.00
	ग. जन शक्ति प्रशिक्षण	0.00	0.00
	घ. जिला पुर्नगठन	13687.75	2450.00
	ड. अल्पसंख्यक कल्याण	12508.92	2239.00
	च. विधि	9502.32	1701.00
	छ. मंत्रिमंडल	0.00	0.00
	ज. निबंधन	759.81	136.00
	झ. सचिवालय स्पोर्टस कल्ब	1077.15	300.00
	ट. बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन योजना	7289.65	7920.00
	योग–11	**54666.00**	**16672.02**
	कुल योग	**6080011.36**	**1020000.00**

विवरणी– '1,'

11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) एवं वार्षिक योजना 2007–08 का उद्व्यय

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)			10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय			11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय			वार्षिक य
		राज्य सरकार/लोक उपक्रम प्रक्षेत्र और स्थानीय निकाय	कुल	चालू योजना	नई योजना	कुल	चालू योजना	नई योजना	कुल	चालू योजना	नई योजना	कुल
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. कृषि एवं सम्बद्ध कार्यक्रम											
1	फसल उत्पादन		15051.36	14674.71	376.65	12839.16	7629.82	5209.34	64091.79	40755.50	23336.29	10682.2
	क. कृषि उत्पादन	राज्य सरकार	11371.65	10995.00	376.65	11755.62	6546.28	5209.34	58099.46	38355.50	19743.96	9759.0
	ख. गन्ना विकास	राज्य सरकार	3679.71	3679.71	0.00	1083.54	1083.54	0.00	5992.33	2400.00	3592.33	923.2
2	उद्यान विकास	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	2000.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3	भूमि एवं जल संरक्षण	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.0
4	पशुपालन	राज्य सरकार	3308.34	2605.00	703.34	955.17	955.17	0.00	3256.66	1914.00	1342.66	439.0
5	गव्य विकास	राज्य सरकार	708.33	495.00	213.33	5457.47	417.10	5040.37	27071.24	1041.00	26030.24	3207.0
6	मत्स्य	राज्य सरकार	1895.26	815.00	1080.26	658.92	409.09	249.83	2370.75	570.00	1800.75	400.0

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
7	वृक्षा रोपन	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8	खाद्य भंडारण एवं वेयर हाउसिंग	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	1039.80	0.00	1039.80	0.0
9	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	राज्य सरकार	3000.00	3000.00	0.00	7388.48	3499.09	3889.39	17572.65	15900.00	1672.65	1700.0
10	कृषि वित्तीय संस्थान	राज्य सरकार	4244.46	4244.46	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11	सहकारिता	राज्य सरकार	20889.12	9958.11	10931.01	29800.13	21774.13	8026.00	54368.11	42604.00	11764.11	8779.0
12	अन्य कृषि कार्यक्रम		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	क. कृषि विपण्न	राज्य सरकार			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	योग–1		**49096.87**	**35792.28**	**13304.59**	**59679.33**	**40177.41**	**19501.92**	**169771.00**	**102784.50**	**66986.50**	**25207.2**
	2. ग्रामीण विकास											
1	ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम											
	क. सुखाड़ोंन्मुख क्षेत्र कार्यक्रम	राज्य सरकार	1166.67	1166.67	0.00	786.75	0.00	786.75	1559.71	0.00	1559.71	220.0
	ख. मरूभूमि विकास कार्यक्रम	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	ग. समेकित जल छाजन विकास कार्यक्रम	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	घ. जिला ग्रामीण विकास अभिकरण– प्रशासन	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	1473.53	0.00	1473.53	5199.02	0.00	5199.02	935.0
2	ग्रामीण विकास						0.00	0.00			0.00	
	क. स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	राज्य सरकार	12532.50	12532.50	0.00	13379.14	0.00	13379.14	192363.91	0.00	192363.91	6725.0
	ख. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	राज्य सरकार	71083.33	71083.33	0.00	80849.65	0.00	80849.65	242274.55	0.00	242274.55	9100.0
	ग. राष्ट्रीय सुनिश्चित रोजगार योजना	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	7908.00	0.00	7908.00			0.00	12000.0
	घ. राज्य सुनिश्चित रोजगार योजना	राज्य सरकार			0.00	14000.00	0.00	14000.00			0.00	20000.0
3	भूमि सुधार	राज्य सरकार	17973.83	7975.35	9998.48	8789.02	6741.86	2047.16	14743.78	9884.37	4859.41	2336.0
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम						0.00	0.00			0.00	

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)–स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)–स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	क. सामुदायिक विकास	राज्य सरकार	38519.37	38519.37	0.00	35825.16	0.00	35825.16	78505.27	0.00	78505.27	11124.5
	ख. पंचायत	राज्य सरकार	47750.80	235.00	47515.80	28553.76	28553.76	0.00	76064.42	687.45	75376.97	242.0
	ग. विधायक / पार्षद योजना	राज्य सरकार	133333.33	0.00	133333.33	170674.96	0.00	170674.96	174167.33	0.00	174167.33	33500.0
	योग–2		**322359.83**	**131512.22**	**190847.61**	**362239.97**	**35368.30**	326871.67	**784877.99**	**10571.82**	774306.17	**96182.5**
	3. विशेष क्षेत्र कार्यक्रम											
1	अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम											
	क. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	राज्य सरकार	4069.00	680.00	3389.00	5604.47	5604.47	0.00	12500.57	12500.57	0.00	3302.0
	ख. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	राज्य सरकार			0.00	0.00	0.00	0.00	66750.00	49838.65	16911.35	64026.0
	ग. धारा 275(1) के अंतर्गत अनुदान	राज्य सरकार			0.00	0.00	0.00	0.00	723.88	723.88	0.00	229.0
	घ. अनु0 जनजाति उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य सरकार			0.00		0.00	0.00	1579.90	1579.90	0.00	500.0
	योग–3		**4069.00**	**680.00**	**3389.00**	**5604.47**	**5604.47**	0.00	**81554.35**	**64643.00**	16911.35	**68057.0**

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	4. सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण											
1	वृहत एवं मध्यम सिंचाई	राज्य सरकार	327319.03	297026.03	30293.00	159724.56	159724.56	0.00	362071.32	87515.72	274555.60	76485.5
2	लघु सिंचाई	राज्य सरकार	68177.70	50786.27	17391.43	82510.97	82510.97	0.00	240457.23	28981.00	211476.23	19883.0
3	कमांड क्षेत्र विकास	राज्य सरकार	15005.23	15005.23	0.00	10583.00	7422.27	3160.73	59720.07	57440.00	2280.07	5500.0
4	बाढ़ नियंत्रण	राज्य सरकार	191184.84	31709.00	159475.84	47436.68	47436.68	0.00	125366.39	75891.00	49475.39	31680.0
	योग–4		**601686.80**	**394526.53**	**207160.27**	**300255.21**	**297094.48**	**3160.73**	**787615.01**	**249827.72**	**537787.29**	**133548.5**
	5. उर्जा											
1	उर्जा		271958.00	130442.83	141515.17	200958.61	171324.73	29633.88	471367.99	3500.00	467867.99	83288.3
	क. बिहार राज्य विधुत पर्षद	राज्य सरकार	251387.17	109872.00	141515.17	190922.77	163839.49	27083.28	446927.18	0.00	446927.18	79504.3
	ख. बिहार राज्य जल विधुत निगम	राज्य सरकार	20570.83	20570.83	0.00	10035.84	7485.24	2550.60	24440.81	3500.00	20940.81	3784.0
2	उर्जा के अपरम्परागत श्रोत	राज्य सरकार	1585.98	1585.98	0.00	630.78	630.78	0.00	416.01	400.00	16.01	105.0
3	समेकित ग्रामीण उर्जा कार्यक्रम	राज्य सरकार			0.00		0.00	0.00			0.00	
	योग–5		**273543.98**	**132028.81**	**141515.17**	**201589.39**	**171955.51**	**29633.88**	**471784.00**	**3900.00**	467884.00	**83393.3**

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	6. उद्योग एवं खनिज											
1	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	राज्य सरकार	6123.54	4506.00	1617.54	8057.14	4854.48	3202.66	21759.27	18561.62	3197.65	3191.0
2	अन्य उद्योग(ग्रामीण एवं लघु उद्योग से भिन्न)	राज्य सरकार	17871.25	1593.25	16278.00	53071.97	1099.00	51972.97	176483.73	167393.59	9090.14	29709.0
3	खनिज	राज्य सरकार	155.83	155.83	0.00	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	योग–6		**24150.62**	**6255.08**	**17895.54**	**61169.75**	**5994.12**	**55175.63**	**198243.00**	**185955.21**	12287.79	**32900.0**
	7. यातायात											
1	लघु वन्दरगाह		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
2	नागरिक विमानन	राज्य सरकार	3253.52	1853.52	1400.00	1932.67	1832.67	100.00	1703.31	506.99	1196.32	1100.0
3	पथ एवं पुल		116098.36	88541.88	27556.48	308719.80	131251.89	177467.91	1470151.05	516151.40	953999.65	248302.5
	क. पथ निर्माण विभाग	राज्य सरकार	60055.65	42145.83	17909.82	204082.43	120051.07	84031.36	935055.31	361692.51	573362.80	164771.5
	ख. ग्रामीण पथ	राज्य सरकार	46396.05	46396.05	0.00	98854.72	8189.21	90665.51	504145.49	151811.64	352333.85	82531.0
	ग. शहरी पथ	राज्य सरकार	9646.66	0.00	9646.66	5782.65	3011.61	2771.04	30950.25	2647.25	28303.00	1000.0
4	पथ परिवहन		10960.43	10960.43	0.00	373.57	283.41	90.16	771.64	340.00	431.64	120.0
	क. पथ परिवहन निगम	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	ख. परिवहन विभाग	राज्य सरकार	10960.43	10960.43	0.00	173.57	83.41	90.16	771.64	340.00	431.64	120.0
5	अुंतर्देशीय जल परिवहन		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
6	अन्य परिवहन सेवाएँ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	योग–7		**130312.31**	**101355.83**	**28956.48**	**311026.04**	**133367.97**	177658.07	**1472626.00**	**516998.39**	955627.61	**249522.5**
	8. विज्ञान प्रावैधिकी एवं पर्यावरण											
1	वैज्ञानिक शोध		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
2	सूचना प्रावैधिकी एवं ई–गवर्नेनस						0.00	0.00			0.00	
	क. ई–गवर्नेन्स (विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग)	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	1704.61	0.00	1704.61	4076.58	0.00	4076.58	3758.0
	ख. ई–गवर्नेन्स (ब्रेन–वित्त विभाग)	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00	6862.92	6862.92	0.00	1000.0
	ग. कोषागार–कम्प्यूटराईजेसन(वित्त विभाग)	राज्य सरकार	282.00	282.00	0.00	719.44	719.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	घ. वाणिज्यकर–कम्प्यूटराईजेसन	राज्य सरकार	6507.02	0.00	6507.02	1347.59	741.88	605.71	2254.96	200.00	2054.96	337.0

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
3	पर्यावरण एवं पारिस्थिकी	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
4	वानिकी एवं वन्य प्राणी	राज्य सरकार	4513.79	4513.79	0.00	5743.86	1597.14	4146.72	17936.54	2044.00	15892.54	3014.0
	योग–8		**11302.81**	**4795.79**	**6507.02**	**10515.50**	**3058.46**	7457.04	**31131.00**	**9106.92**	22024.08	**8109.0**
	9. सामान्य आर्थिक सेवाएँ											
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएँ		1262.50	1169.75	92.75	465.31	465.31	0.00	14297.30	10250.00	4047.30	1050.0
	क. योजना यंत्र	राज्य सरकार	1262.50	1169.75	92.75	465.31	465.31	0.00	14297.30	10250.00	4047.30	1050.0
2	पर्यटन	राज्य सरकार	16267.60	2500.33	13767.27	3972.57	2570.23	1402.34	10114.26	6533.82	3580.44	2513.0
3	जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	राज्य सरकार	5796.96	1805.79	3991.17	587.71	587.71	0.00	5904.01	2993.00	2911.01	474.0
4	नागरिक आपूर्ति	राज्य सरकार	7083.33	7083.33	0.00	6228.00	6228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ		4878.21	700.00	4178.21	94938.23	11435.86	83502.37	249421.43	40500.00	208921.43	56634.8
	क. माप एवं तौल		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
	ख. जिला योजना (अनाबद्ध राशि)	राज्य सरकार	4878.21	700.00	4178.21	73515.86	765.86	72750.00	207309.37	0.00	207309.37	40425.8
	ग. मुख्यमंत्री जिला विकास योजना	राज्य सरकार		0.00	0.00	17422.37	10670.00	6752.37	42112.06	40500.00	1612.06	16209.0

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)–स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)–स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	घ. एकवारगी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	राज्य सरकार			0.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	योग–9		**35288.60**	**13259.20**	**22029.40**	**106191.82**	**21444.36**	84747.46	**279737.00**	**60276.82**	219460.18	**60671.9**
	10. सामाजिक सेवाएँ											
1	सामान्य शिक्षा		188721.91	142874.56	45847.35	205981.10	171089.59	34891.51	496961.87	471388.10	25573.77	29451.0
	क. प्राथमिक एवं व्यस्क शिक्षा	राज्य सरकार	172594.94	137479.94	35115.00	184807.13	162867.99	21939.14	398954.86	383395.76	15559.10	20117.5
	ख. माध्यमिक शिक्षा	राज्य सरकार	10342.66	4486.33	5856.33	14727.84	7102.74	7625.10	66193.87	57830.52	8363.35	4776.0
	ग. उच्च शिक्षा	राज्य सरकार	3530.80	277.29	3253.51	6423.71	1067.09	5356.62	31592.57	29949.82	1642.75	4522.5
	घ. राजभाषा	राज्य सरकार	2253.51	631.00	1622.51	22.42	22.42	0.00	220.57	212.00	8.57	35.0
2	प्राविधिकी शिक्षा	राज्य सरकार	15802.08	4335.05	11467.03	9710.61	2261.13	7449.48	24905.30	1784.20	23121.10	2431.5
3	खेल एवं युवा सेवाएँ	राज्य सरकार	4754.17	3416.67	1337.50	2142.12	1337.37	804.75	10134.78	9260.92	873.86	1192.0
4	कला एवं संस्कृति	राज्य सरकार	2864.21	552.08	2312.13	2611.03	197.00	2414.03	6563.05	750.00	5813.05	1752.0
5	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य		107919.70	97672.70	10247.00	70594.59	60775.08	9819.51	87254.00	10181.82	77072.18	25836.9
	क. चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार नियोजन	राज्य सरकार	25021.00	14774.00	10247.00	18186.00	14490.70	3695.30	22090.34	6165.05	15925.29	3500.0

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
	ख. जन स्वास्थ्य	राज्य सरकार	82898.70	82898.70	0.00	52408.59	46284.38	6124.21	65163.66	4016.77	61146.89	22336.9
6	जलापूर्ति एवं स्वच्छता		79590.61	16142.04	63448.57	56805.54	25899.30	30906.24	158739.00	46260.33	112478.67	27657.8
	क. शहरी जलापूर्ति	राज्य सरकार	31046.04	2642.04	28404.00	31151.65	14564.55	16587.10	53232.88	12962.33	40270.55	7230.0
	ख. ग्रामीण जलापूर्ति	राज्य सरकार	48544.57	13500.00	35044.57	25653.89	11334.75	14319.14	105506.12	33298.00	72208.12	20427.8
7	आवास (आरक्षी आवास सहित)		95630.03	95630.03	0.00	120280.95	2060.00	118220.95	142928.01	19206.29	123721.72	38898.1
	क. आवास	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	क. आरक्षी आधुनिकीकरण एवं आरक्षी थाना	राज्य सरकार	3231.57	3231.57	0.00	3923.12	2060.00	1863.12	19862.46	19206.29	656.17	2450.0
	ख. अग्निशमन सेवाएँ	राज्य सरकार	1108.21	1108.21	0.00	2310.91	0.00	2310.91	4136.66	0.00	4136.66	1000.0
	ग. इंदिरा आवास योजना	राज्य सरकार	44000.00	44000.00	0.00	90780.41	0.00	90780.41	118928.89	0.00	118928.89	35448.1
	घ. इंदिरा आवास योजना(पी0एम0जी0वाई0)	राज्य सरकार	47290.25	47290.25	0.00	23266.51	0.00	23266.51	0.00	0.00	0.00	0.0
8	नगर विकास	राज्य सरकार	21107.84	1522.00	19585.84	37480.29	2273.00	35207.29	366688.00	1715.54	364972.46	33667.5
9	सूचना एवं जनसंपर्क	राज्य सरकार	3283.81	30.30	3253.51	939.92	774.25	165.67	2345.62	315.00	2030.62	365.0

कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	कमांक	विकास के मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)– स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
10	अनु0 जाति/अनु0 जनजाति का विकास	राज्य सरकार	22325.73	21648.77	676.96	27142.86	21395.86	5747.00	62355.28	62355.28	0.00	9034.5
11	अन्य पिछड़े वर्गो का विकास	राज्य सरकार			0.00			0.00	19281.34	0.00	19281.34	3524.5
12	श्रम एवं नियोजन	राज्य सरकार	33742.68	29650.27	4092.41	65517.84	43420.55	22097.29	4234.65	4234.65	0.00	778.4
13	सामाजिक सुरक्षा एवं समाजिक कल्याण	राज्य सरकार	2953.15	2322.03	631.12	1741.75	1741.75	0.00	124759.61	8595.00	116164.61	46932.0
14	पोषाहार	राज्य सरकार	20267.25	20267.25	0.00	64480.52	64480.52	0.00	240855.50	177254.25	63601.25	24214.5
	योग–10		**598963.17**	**436063.75**	**162899.42**	**665429.12**	**397705.40**	267723.72	**1748006.01**	**813301.38**	934704.63	**245735.9**
	11. सामान्य सेवाएँ											
1	कारा	राज्य सरकार	3647.73	3647.73	0.00	1495.32	1482.16	13.16	2209.38	830.43	1378.95	559.8
2	लेखन सामग्री एवं प्रेस		0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	क. सरकारी मुद्राणालय	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00		0.00	0.00	0.0
3	लोक कार्य		16836.29	1800.00	15036.29	2930.14	1595.00	1335.14	7074.17	1880.62	5193.55	1266.2
	क. न्यायिक भवन	राज्य सरकार	8417.96	800.00	7617.96	1405.67	1096.00	309.67	1380.62	1380.62	0.00	566.2
	ख. भवन(पी0डब्लू0डी0)	राज्य सरकार	8418.33	1000.00	7418.33	1524.47	499.00	1025.47	5693.55	500.00	5193.55	700.0

क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)–स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) का प्रस्तावित उद्व्यय	वार्षिक योजना 2007–08 का स्वीकृत उद्व्यय	क्रमांक	विकास के मुख्य शीर्ष / उप शीर्ष	कार्यकारी एजेंसी	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07)–स्वीकृत उद्व्यय (2001–02 के मूल्यों पर)	10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) का वास्तविक व्यय	11वीं पंचवर्षीय योजना (2007–12 का प्रस्तावित उद्व्यय
4	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ		28741.99	15231.99	13510.00	16365.22	14467.32	1897.90	45382.45	23535.55	21846.90	14846.0
	क. उत्पाद	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	88.29	0.00	88.29	556.85	0.00	556.85	100.0
	ख. बीस सूत्री कार्यक्रम	राज्य सरकार	1002.27	1002.27	0.00	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	ग. जन शक्ति प्रशिक्षण	राज्य सरकार	1029.12	0.00	1029.12	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
	घ. जिला पुर्नगठन	राज्य सरकार	13970.88	7684.00	6286.88	6232.72	6232.72	0.00	13687.75	8179.00	5508.75	2450.0
	ड. अल्पसंख्यक कल्याण	राज्य सरकार	7157.72	6545.72	612.00	4072.25	2462.40	1609.85	12508.92	5195.59	7313.33	2239.0
	च. विधि	राज्य सरकार	5582.00	0.00	5582.00	5127.53	5127.53	0.00	9502.32	8324.00	1178.32	1701.0
	छ. मंत्रिमंडल	राज्य सरकार			0.00	17.89	0.00	17.89	0.00	0.00	0.00	0.0
	ज. निबंधन	राज्य सरकार			0.00	217.26	95.39	121.87	759.81	759.81	0.00	136.0
	झ. सचिवालय स्पोर्टस कल्ब	राज्य सरकार	0.00	0.00	0.00	336.93	336.93	0.00	1077.15	1077.15	0.00	300.0
	ट. बिहार ग्रामीण जीवकोपार्जन योजना	राज्य सरकार			0.00	60.00		60.00	7289.65	0.00	7289.65	7920.0
	योग–11		**49226.01**	**20679.72**	**28546.29**	**20830.68**	**17584.48**	**3246.20**	**54666.00**	**26246.60**	**28419.40**	**16672.0**
	कुल योग		**2100000.00**	**1276949.21**	**823050.79**	**2104531.28**	**1243575.26**	**860956.02**	**6080011.36**	**2043612.36**	**4036399.00**	**1020000.0**